

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)



Gazetted & Debated Series
Parliament Library Building
Room No. 111-02/6
Block 'C'
Acc. No. 77
Dated 25 Jan 2011

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

15 जुलाई 2009

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डॉ. रविन्द्र कुमार चड्ढा
संयुक्त सचिव

जे.पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

अनिल निर्वाण
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 2, दूसरा सत्र 2009/1931 (शक)]

अंक 10, बुधवार, 15 जुलाई, 2009/24 आषाढ़, 1931 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 और 162	4-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 163 से 180	25-123
अतारांकित प्रश्न संख्या 1460 से 1633	123-516
सभा पटल पर रखे गए पत्र	517-524
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2007-08 और 2008-09) के संबंध में पर्यावरण और वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 181वें और 200वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	524
समिति के लिए निर्वाचन	
जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	526
सदस्यों द्वारा निवेदन	
देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के बारे में	526-553
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) चम्बल नदी से होने वाले भू-क्षरण को रोकने के लिए स्कीम तैयार किए जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक अर्गल	553
(दो) राजस्थान में रतनगढ़ और सरदारशहर के बीच रेल लाइन का आमाम परिवर्तन का कार्य पूरा किए जाने और सरदारशहर तथा हुनमानगढ़ के बीच नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह कस्वां	554

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(तीन)	छत्तीसगढ़ में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	कुमारी सरोज पाण्डेय	554
(चार)	विद्युत उत्पादन पर कर लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	555
(पांच)	जीटी रोड को दिल्ली से लखनऊ तक छह लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री अखिलेश यादव	555
(छह)	उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नरायणी नदी से बारंबार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	556
(सात)	बिहार के दरभंगा और खगड़िया जिलों को जोड़ने वाले पिपराघाट के जीर्णोद्धार पुल की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता	
	श्री महेश्वर हजारी	556
(आठ)	डाक विभाग के कर्मचारियों को मिलने वाले सेवा के सभी लाभों को देश के ग्रामीण डाक सेवकों को भी दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम.बी. राजेश	557
(नौ)	उड़ीसा में खुर्दा-बोलंगीर रेल लाइन के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रुद्रमाधव राय	557
(दस)	दिल्ली और महाराष्ट्र के मनमाड/कोपरगांव के बीच प्रतिदिन सुपरफास्ट ट्रेन चलाए जाने तथा शिरडी में तीर्थयात्रियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	558

(ग्यारह) तमिलनाडु में तिरुपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. शिवासामी 558

(बारह) महाराष्ट्र सरकार को तटीय सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत अतिरिक्त निधि दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुप्रिया सुले 559

(तेरह) गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेटी 560

नियम 331छ के निलंबन के बारे में प्रस्ताव 560

उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी 561

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2009-2010

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

डॉ. मुरली मनोहर जोशी 563

श्री वी. किशोर चन्द्र देव 582

श्री शैलेन्द्र कुमार 593

श्री पी.के. बिजू 597

श्री भर्तृहरि महताब 601

श्रीमती मीना सिंह 606

श्री अधलराव पाटील शिवाजी 608

श्रीमती सुप्रिया सुले 610

श्रीमती सुमित्रा महाजन 614

कुमारी मीनाक्षी नटराजन 618

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन 623

डॉ. पी. वेणुगोपाल 625

श्री गोरखनाथ पाण्डेय 628

श्री प्रबोध पांडा 631

विषय	कॉलम
श्री जगदानंद सिंह	634
श्रीमती प्रिया दत्त	636
श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	641
श्री जे.एम. आरुन रशीद	647
श्री शरीफुद्दीन शारिक	648
श्री असादुद्दीन ओवेसी	651
श्री एंटो एंटोनी	653
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	658
श्री नरहरि महतो	659
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	660
श्री मिथिलेश कुमार	663
श्री दिनेश चन्द्र यादव	663
श्री हंसराज गं. अहीर	664
श्री विजय बहादुर सिंह	666
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	668
श्री अर्जुन राम मेघवाल	672
श्री कपिल सिब्बल	672-688

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	703-704
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	703-714

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	715-716
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	617-718

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 15 जुलाई, 2009/24 आषाढ़, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वार्धन ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुई]

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, देश में सूखा पड़ा है, सारे देश में अकाल की स्थिति है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इस विषय को 12 बजे उठाए, शून्य प्रहर में उठाए।

श्री शरद यादव : आज सारे देश में अकाल की स्थिति है ... (व्यवधान) यह सदन उस समय तक उठ जाएगा, इस पर बहस नहीं होगी।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न काल चलने दीजिए। शून्य प्रहर में इस पर बात करेंगे। शून्य प्रहर में, सबसे पहले, शरद यादव जी, आप ही बोलेंगे। कृपया प्रश्न काल चलने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : पूरे देश का सवाल है, पूरे देश में सूखा पड़ा है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद यादव जी, आप शून्य प्रहर में बोल रहे हैं, अभी कृपया बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : देश में सूखा पड़ा है, जानवर मर रहे हैं और अब बीमारियाँ फैलनी शुरू हो जाएंगी। यह बहुत चिंता की बात है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न काल हो जाने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री शरद यादव : इस समय पूरे देश का सूखे से बुरा हाल है। आपका प्रेरोगेटिव है, आप सूखे पर बहस कराइये।... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : पीने के लिए पानी नहीं है, जानवर मर रहे हैं, आप अभी इस पर बहस कराइये।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। आप जिस बात को लेकर चिंतित हैं, वह गहरी चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि इस पर कल बहस होगी, कल चर्चा होगी और शून्य प्रहर में भी इस पर चर्चा हो जाएगी। अभी आप प्रश्न काल चलने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : चर्चा अभी होनी चाहिए, यह चिंता का विषय है।... (व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) : पूरे देश का मामला है, आप इसे उठाने दीजिए। पूरे सदन की भावना को समझिये।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। माननीय मंत्री जी इस पर बोल रहे हैं।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर) : प्रश्न काल चलने दीजिए।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : संजय निरुपम जी, आप बैठ जाइये, मंत्री जी बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, कल का दिन, एग्रीकल्चर पर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के लिए है, उस समय इस पर चर्चा होगी। इसलिए मैं विनती करूंगा कि कल विस्तारपूर्वक इस पर जिक्र हो सकता है, पूरे दिन का समय इस पर बहस के लिए तय है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उनकी पूरी बात तो सुन लीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, कोई ऐसा विषय नहीं है, जिस पर सरकार चर्चा करने से गुरेज करेगी। आप कोई भी विषय तय करें, हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कल कृषि पर चर्चा होनी है, लेकिन आज प्रश्न काल के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होनी है। कल हम कृषि पर पूरी चर्चा कर सकते हैं।... (व्यवधान)

महोदया, आप जितना समय देना चाहें, दे दें, कल की चर्चा के लिए कृषि लगा हुआ है। कल आप 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इस पर चर्चा कर सकते हैं। हम पूरे दिन की चर्चा के लिए तैयार हैं। आज कृषि मंत्री भी दिल्ली में नहीं हैं ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : केवल मंत्री महोदय की बात रिकार्ड में जाएगी।

(व्यवधान)...*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का समय आज दोपहर 3 बजे रखा गया है... (व्यवधान) कल, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा निर्धारित की गई है। मैं माननीय सदस्यों से कल पूरे दिन इस मामले पर चर्चा करने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

यदि आप चर्चा करने के लिए गंभीर हैं तो एक-एक माननीय सदस्य इस पर बोल सकते हैं यदि सभी बोलेंगे तो इस पर चर्चा होना मुश्किल है।... (व्यवधान) मैं तो कल के लिए कह रहा हूँ। आज तो और चीजें लगी हुई हैं।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : महोदया, कल कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में सूखे की स्थिति पर भी चर्चा की जा सकती है।

[हिन्दी]

शरद यादव जी आप जीरो ओवर में रेज कीजिए।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.32 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.32 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, प्रश्न काल। श्री हरिन पाठक।

क्षतिपूरक वनरोपण प्रबन्धन

*161. श्री हरिन पाठक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षतिपूरक वनरोपण संबंधी प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सीएएमपीए को राज्य-वार कितनी धनराशि प्रेषित की गई है;

(ङ) क्या सीएएमपीए ने राज्य सरकारों को निधियां जारी की हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) निधियों के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) से (ज) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) टी.एन. गोडावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 में आई ए संख्या 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के 29 अक्टूबर, 2002 के आदेश के अनुसरण में भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) का गठन अपने 23 अप्रैल, 2004 के आदेश द्वारा किया था। तथापि, काम्पा अपना कार्य शुरू नहीं कर सका। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 में आईए संख्या 1473 के संबंध में अपने दिनांक 05.05.2006 के आदेश में काम्पा का एक तदर्थ निकाय गठित किया था, जिसमें वन-महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय को अध्यक्ष तथा वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के प्रतिनिधि और केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति के अध्यक्ष के नामितों को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था। इस निकाय के कार्य निम्नलिखित हैं:—

“(i) यह निकाय सुनिश्चित करेगा कि ‘काम्पा’ की ओर से वसूली गई समूची धनराशि, जोकि इस समय राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास है; उसे इस निकाय द्वारा चलाए जा रहे बैंक खाते (खातों) में हस्तान्तरित किया जाए;

(ii) ‘काम्पा’ की ओर से प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त हुई समूची धनराशि तथा उस पर राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई आय की लेखा-परीक्षा कराए। लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाए। लेखा परीक्षा में इस बात की भी जांच की जाए कि क्या निधियों के निवेश में उपयुक्त वित्तीय प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है।”

(घ) 30.6.2009 को, राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा लगभग 9932.12 करोड़ रुपए की धनराशि लौटाई गई थी। तदर्थ काम्पा के खाते में लौटाई गई राज्यवार धनराशि को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ङ) से (ज) तदर्थ काम्पा ने अब तक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को धनराशि जारी नहीं की है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने तदर्थ काम्पा को राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों द्वारा उसे लौटाई गई धनराशि को वितरित करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया था।

तदर्थ काम्पा ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25.02.2009 के आदेश के अनुपालन में 07.07.2009 को एक रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में दाखिल की थी, जिसमें उसने राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं (एपीओ) के अनुसार धनराशि जारी करने का प्राधिकार मांगा था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 10.07.2009 के आदेश द्वारा तदर्थ काम्पा को यथा प्रार्थित अनुसार धनराशि जारी करने के लिए अनुमति दे दी है। राज्य स्तर पर काम्पा स्थापित करने से संबंधित दिनांक 02.07.2007 के दिशानिर्देशों पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी सहमति दे दी है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	(रुपए)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	109,906,133.00
2.	आंध्र प्रदेश	8,978,325,571.48
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,636,763,088.74
4.	असम	671,749,049.00
5.	बिहार	773,448,981.00
6.	चण्डीगढ़	17,652,067.00
7.	छत्तीसगढ़	12,321,350,743.39
8.	दादरा और नागर हवेली	16,829,000.00
9.	दमन और दीव	—
10.	दिल्ली	1,224,523,363.00
11.	गोवा	1,211,970,919.58
12.	गुजरात	2,496,471,445.00
13.	हरियाणा	1,911,413,386.79
14.	हिमाचल प्रदेश	3,667,719,848.60

1	2	3
15. जम्मू और कश्मीर	—	
16. झारखंड	9,500,280,928.03	
17. कर्नाटक	5,855,732,170.00	
18. केरल	175,090,762.58	
19. लक्षद्वीप	—	
20. मध्य प्रदेश	5,304,823,886.00	
21. महाराष्ट्र	8,935,493,798.50	
22. मणिपुर	74,568,219.00	
23. मेघालय	9,675,979.00	
24. मिजोरम	—	
25. नागालैंड	—	
26. उड़ीसा	13,106,182,423.00	
27. पुडुचेरी	—	
28. पंजाब	3,305,472,163.50	
29. राजस्थान	3,259,088,410.85	
30. सिक्किम	800,924,612.00	
31. तमिलनाडु	197,130,414.00	
32. त्रिपुरा	354,181,754.00	
33. उत्तर प्रदेश	4,709,629,585.46	
34. उत्तराखंड	8,165,322,154.65	
35. पश्चिम बंगाल	529,577,838.00	
कुल जोड़	99,321,298,695.15	

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदया, मैं इस पर ज्यादा लम्बी बात नहीं करूंगा क्योंकि लम्बी भूमिका है। फॉरेस्ट लैंड का उपयोग नॉन-फॉरेस्ट पर्पज हेतु करने के लिए पहले केन्द्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता थी और केन्द्र की अनुमति के बाद, उनके नियम के अनुसार कमपनसेशन देकर जो भी एजेंसी यह काम करना चाहती थी, उन्हें राज्य सरकार में यह पैसा जमा कराना पड़ता था और राज्य सरकार वह पैसा अपने पास रखती थी। वह उसको बजट में एलोकेशन करके वनीकरण, जंगलों का संरक्षण, एफॉरेस्टेशन, डवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट में उपयोग करते थे। मगर इसके बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, मैं इसकी डिटेल् में नहीं जाऊंगा लेकिन दिनांक 05-05-2006 को [अनुवाद] उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार प्रतिपूरक वन-रोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण का गठन किया गया था। [हिन्दी] उसके बाद हमने अथारिटी बनाई। मुझे आश्चर्य यह हो रहा है कि जब अथारिटी बना तो उसके फंक्शंस तय किए, [अनुवाद] कार्पो के बारे में यदि आप उत्तर संख्या 2 देखें, जहां तक मुझे जानकारी है, मुझे इस पर कहने दें। राशि, जो भी हो, जो राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई थी, वह इस तदर्थ निकाय में जमा की जाती है। [हिन्दी] वह 9900 करोड़ रुपये से बढ़कर 9926 करोड़ रुपया हो गया है। अब आपने जो फंक्शंस तय किए, उसमें कहीं पर यह नहीं लिखा है कि इन पैसों के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिर राज्य सरकार योजना बनाएगी और आपको राज्य सरकार को वापस देना पड़ेगा। ए और बी में फंक्शन में लिखा है, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट गये, राज्य सरकारों ने प्रस्ताव भेजे। सभी राज्यों के नाम हैं, 33 या 35 हैं। [अनुवाद] 249 करोड़ रुपयों की राशि गुजरात सरकार द्वारा इस तदर्थ निकाय को भेजी गई है। [हिन्दी] अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। आपको पहले तो जाना नहीं चाहिए था, फिर भी आप गये, अच्छी बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज से पांच दिन पहले यह तय कर दिया कि राज्य सरकारों के जो-जो प्रपोजल्स हैं, वह राज्य सरकार का अधिकार था, अगर वह नियम के अनुसार है तो उन्हें वे पैसे दिये जाएं। एक तो मैं धन्यवाद करूंगा कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा पांच दिन पहले हमारी सरकारों के फेवर में आया। मेरे दो ही प्रश्न हैं। समय बचाने के लिए उनको एक साथ जोड़ देता हूं क्योंकि गुजरात सरकार की ओर से दो प्रपोजल्स भेजी गई हैं। एक प्रपोजल वर्ष 2007-08 में 12.93 करोड़ की भेजी गई है जिसमें अभी हमने करीबन 4 करोड़ 28 लाख खर्च कर दिये हैं। दूसरा प्रस्ताव हमने वर्ष 2008-09 में 15 करोड़ 58 लाख का भेजा है। टोटल हमारा प्रोजेक्ट 97 करोड़ का है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : क्या आप पहला और दूसरा सप्लीमेंट्री एक साथ पूछ रहे हैं?

श्री हरिन पाठक : जी, साथ में पूछ रहा हूँ। मैं समय बचना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ऐसा तो नहीं है। आप पहले एक सप्लीमेंट्री पूछ लीजिए और फिर दूसरा पूछ लीजिए। मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

श्री हरिन पाठक : महोदया, जो हमारी पहली योजना है... (व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : भाषण मत दीजिए।

श्री हरिन पाठक : मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। यह टैक्नीकल विषय है। आप शहर में रहते हैं, इसलिए पता नहीं है कि इसमें क्या है और आपके स्टेट का पैसा बाकी है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें और अपना प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि गुजरात सरकार ने जो पहला प्रस्ताव 12.93 करोड़ का भेजा है क्योंकि [अनुवाद] गुजरात सरकार द्वारा 249 करोड़ रुपया पहले ही भेजा जा चुका है। क्या आप जल्द से जल्द 12.93 करोड़ रुपयों की यह राशि जारी करेंगे?... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री जयराम रमेश : अध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि शुक्रवार 10 जुलाई को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश ने सात वर्ष के अवरोध को समाप्त किया है।

सात वर्षों के बाद हमने उच्चतम न्यायालय से अंतिम निर्णय प्राप्त किया। मेरे विचार में, समूची सभा को उच्चतम न्यायालय की इस पहल का स्वागत करना चाहिए। वन-रोपण उद्देश्यों के लिए 11000 करोड़ रुपए, 9,900 करोड़ रुपए मूलधन राशि के रूप में तथा लगभग 1,200 करोड़ रुपए ब्याज की राशि अब उपलब्ध है। इस प्रकार सात वर्ष के बाद समाधान हुआ है। उच्चतम न्यायालय का आदेश क्या

कहता है? उच्चतम न्यायालय के आदेश के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अनुसार राज्य स्तर के सी.ए.एम.पी.ए. प्राधिकरणों का गठन किया जाएगा तथा वे परिचालन की योजना के अनुसार सभी कार्य कार्यान्वित करेंगे तथा दूसरे भाग के अनुसार तदर्थ सी.ए.एम.पी.ए. प्राधिकरण — मैं 'तदर्थ' शब्द पर बल देता हूँ, तदर्थ का अर्थ अस्थाई तौर पर, तदर्थ का अर्थ स्वयं समाप्त होनेवाला — मई, 2006 में स्थापित वितरण की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू करेंगे तथा कुछ माह बाद तदर्थ सी.ए.एम.पी.ए. समाप्त हो जायेगी तथा राज्य स्तर की सी.ए.एम.पी.ए. इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह शक्ति संपन्न हो जाएगी।

अब उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि शुरुआत में, प्रत्येक राज्य के अंतर्गत जमा किया गया मूलधन 10 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष जारी किया जाएगा। माननीय सदस्य के प्रश्न की प्रतिक्रिया में, मैं कहना चाहूँगा कि गुजरात के पास 250 करोड़ रुपयों का मूलधन है, जिसका अर्थ यह हुआ कि पहले वर्ष में, गुजरात को तदर्थ सी.ए.एम.पी.ए. से 25 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस प्रकार जैसे ही हम सारी औपचारिकताएं पूरी करते हैं तो कुछ सप्ताह में गुजरात को 25 करोड़ रुपए मिलेंगे।

मैं दोहराना चाहूँगा कि तदर्थ सी.ए.एम.पी.ए. एक विशुद्ध अंतरिम व्यवस्था है। यह समूचा पैसा राज्य सरकारों का है। यह राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है तथा केन्द्र सरकार की निगरानी तथा मूल्यांकन के अधीन है। अतः डर या शंका की कोई बात नहीं है कि केन्द्र राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। इसके विपरीत, केन्द्र ने पहल की है तथा सात वर्ष के अवरोध को दूर किया है।

श्री हरिन पाठक : महोदया, मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूँ तथा मैं जानता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 10.7.2009 के आदेश के माध्यम से निवेदन किए गए अनुसार तदर्थ सी.ए.एम.पी.ए. को पैसा जारी करने की अनुमति प्रदान की है। माननीय मंत्री ने कहा है कि वह धनराशि जारी करने को तैयार हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मैं उनसे सभी परियोजनाओं के लिए पैसा जारी करने का अनुरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद।

श्री हरिन पाठक : महोदया, मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

अध्यक्ष महोदया : आपने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है।

श्री हरिन पाठक : मैं दूसरा अनुपूरक पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। कृपया जल्दी से पूछें।

श्री हरिन पाठक : दूसरे चरण के लिए, गुजरात सरकार को लगभग 15.19 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। जैसा कि मंत्री ने बताया, राज्य सरकार द्वारा जमा की गई कुल राशि का 10 प्रतिशत 25 करोड़ रुपए होता है। इसलिए कृपया 25 करोड़ रुपये की यह धनराशि शीघ्र जारी करे। एकमात्र यही अनुरोध है।

श्री जयराम रमेश : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ कि 25 करोड़ रुपये गुजरात को अतिशीघ्र जारी कर दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल : माननीय अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। वनों की कटाई और वनारोपण की कमी के कारण वर्षा प्रभावित हो रही है। वहां दस लाख पेड़ काटे गए हैं।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : वहां दस लाख पेड़ हैं, पार्क बनाने के लिए काटे गए हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत रहिए

...(व्यवधान)

श्री राजाराम पाल : राज्य सरकार पूरी तरह से किसानों और वनों के प्रति उदासीन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का कोटा है, क्या उसे शीघ्र भेजकर मानिट्रिंग के लिए कोई आदेश जारी करेंगे?

श्री शैलेन्द्र कुमार : उत्तर प्रदेश में बिना एनओसी के काटे गए।
...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत रहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश : उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश को प्रथम वर्ष में तदर्थ सी.ए.एम.पी.ए. के माध्यम से 47 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यदि राज्य सरकार ने पहले ही वार्षिक कार्य

योजना तैयार कर ली है तो हमें 47 करोड़ रुपये का पहली किश्त जारी करने में बिल्कुल कोई हिचक नहीं है। परन्तु मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि यह धनराशि सिर्फ प्राकृतिक वनों के संरक्षण और पुनः सृजन के लिए है। यह रास्तों के किनारे अथवा बांधों पर पौधरोपण करने के लिए नहीं है। यह वनों के संरक्षण के लिए है, यह संकटापन्न पारितंत्र के लिए है और यह संकटापन्न वन्यजीव वासस्थानों के संरक्षण के लिए है। दिशानिर्देश राज्य सरकारों को भेजे जा रहे हैं।

जैसे ही इन्हें राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है, मुझे इन दिशानिर्देशों की एक प्रति सभा पटल पर रखने में प्रसन्नता होगी।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : बिना एन.ओ.सी. के उत्तर प्रदेश में यह सब किया गया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शान्त रहिये और चेयर को एड्रैस कीजिए।
श्री मुलायम सिंह यादव, आप बोलिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वन विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। वन, जानवर के अतिरिक्त जहां तक पर्यावरण का सवाल है, यह एक गंभीर बीमारी है और भी कई तरह के उत्तर हम जानना चाहते हैं, यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है। हम पर प्रदेश स्तर का दायित्व रह चुका है, इसलिए मैं जानता हूँ। लेकिन यह आपकी जानकारी में है, ऐसा नहीं है कि आपको इसकी जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों पेड़ कटे हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको इसकी जानकारी थी और यदि जानकारी नहीं थी तो हमारी जानकारी के अनुसार क्या आप इस पर कुछ विचार करेंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे? क्योंकि यह मामला ऐसा है कि यह आपकी बगल में ही है। नोएडा में लाखों पेड़ कट गये। राजधानी लखनऊ में लाखों पेड़ कट गये। जायसवाल जी लखनऊ से आ रहे हैं, पेड़ देखे हैं कि वहां कितने घने पेड़ नहर के किनारे थे। अब वहां एक भी पेड़ नहीं है।

महोदया, हम जानना चाहते हैं कि आखिर केन्द्र सरकार मौन क्यों है? अखबारों के माध्यम से और सारी जनता के माध्यम से सरकार को जानकारी है। फिर आपने क्या कार्रवाई की है? वहां लाखों पेड़ कट चुके हैं और अब भी लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, जो अभी तक बंद नहीं हुए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने इस पर क्या कार्रवाई की है और इस बारे में क्या योजना है?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश : अध्यक्ष महोदया, यद्यपि यह प्रश्न सी.ए.एम.पी.ए. से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी मुझे माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने में प्रसन्नता होगी।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप तो हिन्दी जानते हो। यह क्या बात है। अगर हिन्दी नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या यह लंदन की लोक सभा है, क्या लोक सभा लंदन में है?

अध्यक्ष महोदया : मैं उन पर जोर नहीं डाल सकती, वह हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में बोल सकते हैं।

श्री जयराम रमेश : मैडम, मैं हिन्दी में ही जवाब दूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप हिन्दी जानते हो।

श्री जयराम रमेश : पिछले हफ्ते जब अखबारों में यह छपा था कि लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं तो केन्द्र सरकार ने स्वयं एक इन्क्वायरी का गठन किया था। हम लोगों ने रीजनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जो लखनऊ में है, उनकी चैयरमैनशिप में फील्ड सर्वे के लिए ओखला बर्ड सैंक्चुअरी के आसपास जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है और जहां यह कहा जा रहा है कि लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं....(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : पेड़ काटे नहीं जा रहे हैं, कट चुके हैं।

श्री जयराम रमेश : उनकी जांच करने के लिए हमने यह टीम भेजी थी उस टीम की रिपोर्ट हमें समर्पित की गई है। मैंने खुद वह रिपोर्ट देखी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनवॉयरनमेंटल ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेन्स राज्य सरकार ने नहीं ली थी। परंतु हमने इस रिपोर्ट को अभी राज्य सरकार को भेजा है और उनसे पूछा है कि आपकी इस रिपोर्ट पर क्या टिप्पणी है? जब उनके कमैन्ट्स मिलेंगे, हमें जो

कार्रवाई करनी चाहिए, वह करेंगे। परंतु यह कहना गलत है कि केन्द्र सरकार मौन है। केन्द्र सरकार मौन नहीं है। केन्द्र सरकार ने जांच कराई है और जांच की रिपोर्ट हमारे पास है और हमने उसे राज्य सरकार को भेजा है।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नहीं, आपकी बात खत्म हो गई है। डॉ. रत्ना डे।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे : महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या वनरोपण के निमित्त वाली भूमि का पहले ही गैर वन-प्रयोजनों हेतु प्रयोग किया जा चुका है, क्या अनुसूचित जनजाति के लोगों को, जिन्हें वन का अधिकार है, उन्हें क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है और क्या वनों में रहने वाली जनजातियों में से किसी व्यक्ति की भूख के कारण मौत होने की कोई रिपोर्ट है।

श्री जयराम रमेश : महोदया, यह एक बहुत व्यापक मुद्दा है। इसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं है जो कि सी.ए.एम.पी.ए. के बारे में है, परन्तु मुझे यह कहना है कि संसद ने वन अधिकार अधिनियम पारित किया है तथा संसद द्वारा वन अधिकार अधिनियम पारित करने के बाद यह सुनिश्चित करना सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि वन अधिकार अधिनियम के प्रावधान हमारे द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली स्वीकृतियों में पूर्णतः प्रतिबिम्बित हो। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि वन क्षेत्रों में परियोजनाओं हेतु स्वीकृतियां देने की प्रक्रिया में जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु वन अधिकार अधिनियम में निहित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, मेरा एक सवाल है...

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आपका प्रश्न हो चुका है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, मेरी बात सुनिये..

अध्यक्ष महोदया : नहीं, मुलायम सिंह जी आपका प्रश्न हो गया है। आप कृपया शान्त रहिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, हम सवाल नहीं कर रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती मेनका गांधी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती मेनका गांधी की बात ही रिकॉर्ड में जायेगी।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या सेना, रक्षा बलों ने काफी भूमि ले ली है और इसका प्रयोग रेंज, डी.आर.डी.ओ. कार्य हेतु कर रहे हैं। उदाहरणार्थ विशेषकर उड़ीसा में, क्या उन्होंने कोई प्रतिपूरक वनरोपण राशि दी है। क्या उन्होंने कहा है कि व वनरोपण करेंगे अथवा स्वयं कोई कार्य करेंगे।

दूसरा, यह सी.ए.एम.पी.ए. धनराशि जब आप राज्यों को देते हैं, ये वे राज्य हैं जिन्होंने भूमि का प्रयोग पहले ही बदल दिया है। इस पैसे की मांग किए जाने के कारणों में से एक सिर्फ विद्यमान वनों का संरक्षण करना ही नहीं है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप हिन्दी में बोलिये।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : मुलायम सिंह जी, मैं जिस भाषा में बोलना चाहती हूँ उसी भाषा में बोलूंगी।

विद्यमान वनों का मात्र संरक्षण करने के बजाय, उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में वस्तुतः कोई वन नहीं है, क्या इस धनराशि का उपयोग — उन क्षेत्रों में, जहां पहले वन हुआ करते थे, पौधरोपण के द्वारा पुनः वन विकसित करने के लिए नहीं किया जा सकता है?

श्री जयराम रमेश : अध्यक्ष महोदया, दूसरे प्रश्न का उत्तर 'हां' है। सी.ए.एम.पी.ए. का उद्देश्य प्राकृतिक वनों जिनमें अवक्रमित वनभूमि, मध्यम घनत्व वाली वन भूमि अन्य वन भूमि शामिल हैं, का संरक्षण व पुनरुद्धार करना है।

माननीय सदस्या के दूसरे प्रश्न का उत्तर 'हां' है। जहां तक उनका पहला प्रश्न है मुझे विशिष्ट उदाहरण के बारे में पता लगाना होगा जिसका वह जिक्र कर रही हैं कि क्या वास्तव में प्रतिपूरक वनरोपण धनराशि का भुगतान किया गया है। परन्तु मैं माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहता हूँ। कि मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि काफी कम अपवाद रहे हैं। कुल मिलाकर, लगभग सभी पक्ष, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार जो वन भूमि का प्रयोग गैर-वन उद्देश्यों हेतु करते हैं व आखिर में युद्ध वर्तमान मूल्य का भुगतान करते हैं। परन्तु मैं सेना और रक्षा बलों के बारे में इससे संबंधित जानकारी लूंगा और इससे माननीय सदस्या को अवगत कराऊंगा।

[हिन्दी]

विदेशों में अध्ययनरत छात्रों का डाटा बैंक

+

*162. श्री प्रहलाद जोशी :

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों में देश-वार कुल कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले सभी छात्रों का डाटा बैंक बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार का डाटा बैंक कब तक बनाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार विदेश में अध्ययन के लिए प्रवेश चाहने वाले छात्रों के लिए कोई दिशानिर्देश जारी करने का भी है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रकार के दिशानिर्देश कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री बायालार रवि) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विदेशों में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनमें से अधिकांश विदेशों में भारतीय राजनैयिक मिशन/प्रोस्टों में स्वयं को दर्ज नहीं कराते हैं। भारतीय विद्यार्थियों की यथा उपलब्ध देश-वार, अनुमानित संख्या अनुबंध के रूप में सभा पटल पर रखी जाती है।

(ख) और (ग) जी, हां। मंत्रालय ने विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों और विद्यार्थियों के पारगमन की प्रक्रिया को एक सूचना प्रौद्योगिकी मंच की मार्फत सरल, कारगर और पारदर्शी प्रक्रिया में बदलने के लिए एक 'उत्प्रवास में ई-प्रशासन' परियोजना शुरू की है।

इस परियोजना के भाग के रूप में शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों के ब्यौरे भी दर्ज किए जाएंगे। इससे विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों का डाटा आधार स्थापित करने में मदद मिलेगी।

परियोजना को वर्ष 2010 के अंत तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

(घ) और (ङ) अध्ययन के लिए किसी भी देश को जाने की योजना बनाने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सलाहकारी सूचना मंत्रालय की वेब साइट पर उपलब्ध है।

अनुबंध

क्र. सं.	देश	भारतीय विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या
1	2	3
1.	एंटीगुआ और बारबुडा	5
2.	अर्मेनिया	500
3.	ऑस्ट्रेलिया	97,035

1	2	3
4.	ऑस्ट्रिया	25
5.	अजरबैजान	51
6.	बांग्लादेश	500
7.	बेलारूस	700
8.	ब्राजील	01
9.	बुल्गारिया	125
10.	कम्बोडिया	17
11.	कनाडा	2,500
12.	चीन	3,242
13.	क्यूबा	4
14.	साइप्रस	1,000
15.	चेक गणराज्य	30
16.	डेनमार्क	150
17.	मिश्र	100
18.	फ्रांस	2,000
19.	जोर्जिया	100
20.	जर्मनी	4,500
21.	गुआना	25
22.	हंगरी	30
23.	हांग कांग	50
24.	आइसलैंड	05
25.	इंडोनेशिया	02
26.	ईरान	625

1	2	3
27.	इराक	40
28.	इजराइल	100
29.	इटली	250
30.	जापान	544
31.	कोरिया (गणराज्य)	525
32.	कुवैत	6
33.	लीबिया	11
34.	मलेशिया	1,350
35.	मॉरिशस	400
36.	मेक्सिको	05
37.	माल्दोआ	12
38.	नेपाल	75
39.	न्यूजीलैंड	6,040
40.	नोर्वे	80
41.	ओमान	420
42.	फिलीपीन	1,000
43.	पोलैंड	01
44.	रोमानिया	225
45.	रूस परिसंघ	4,500
46.	स्लोवाक गणराज्य	02
47.	स्लोवानिया	39
48.	दक्षिण अफ्रीका	121
49.	स्पेन	400

1	2	3
50.	सेंट किट्स एंड नेविस	05
51.	सेंट लूसिया	150
52.	सेंट विनसेंट एंड ग्रेनेडाईस	15
53.	स्विट्जरलैंड	300
54.	सीरिया	3
55.	तजाकिस्तान	304
56.	तंजानिया	650
57.	तुर्की	2
58.	उक्रेन	3,000
59.	यूके	25,905
60.	संयुक्त राज्य अमेरिका	1,04,522
कुल		2,64,324

श्री प्रहलाद जोशी : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि भारी संख्या में विद्यार्थी अन्य देशों में स्थित विदेशी विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं। लेकिन डाटा बैंक के सवाल पर बात करने से पहले मैं आपके माध्यम से, मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि अमरीका एवं आस्ट्रेलिया में विश्वविद्यालयों सहित अनेक विश्वविद्यालय ऐसे हैं, जो घटिया स्तर के हैं। वे भारत में अपने एजेन्ट नियुक्त कर रहे हैं एवं अपने विश्वविद्यालयों में छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिए कमीशन दे रहे हैं। हमारे अनेक विद्यार्थियों को इन विश्वविद्यालयों के स्तर का पता नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार आंकड़े प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन विश्वविद्यालयों के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त करने एवं अपने विद्यार्थियों को जानकारी उपलब्ध कराने से है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसका कारण यह है कि अमरीका, आस्ट्रेलिया एवं कतिपय अन्य देशों के कुछ विश्वविद्यालय भी अपनी डिग्रियां बेच रहे हैं तथा इन बातों की जानकारी के अभाव में विद्यार्थी एजेन्टों को लाखों रुपये दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास इन एजेन्टों पर नियंत्रण रखने एवं देश में विद्यार्थियों को इसके बारे में शिक्षित करने की कोई योजना है।

श्री बायालार रवि : महोदया, माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न कुछ हद तक ठीक है। अद्यतन की सूचना के अनुसार आस्ट्रेलिया में लगभग 98000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं चार वर्ष पहले आस्ट्रेलिया में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की संख्या 14,000 थी। इस संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। लगभग 50 प्रतिशत या इससे अधिक विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं। मेरे विचार से यह हमारे आईटीआई जैसे हैं। अतः, जैसाकि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है; वे विश्वविद्यालय नहीं हैं। विद्यार्थी केवल 39 विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं और विद्यार्थी उनके परिसर में ही ठहर रहे हैं। पहला भाग तो यह था।

उनके प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में यह कहना है कि हम विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण को स्वैच्छिक या अनिवार्य बनाने के लिए किसी प्रकार के नियमन पर विचार कर रहे हैं।

महोदया, आज हमारे पास इस बात से संबंधित सही आंकड़े नहीं हैं कि कितने विद्यार्थी बाहर जा रहे हैं और इसे अत्यंत गंभीरता से ले रहे हैं। विद्यार्थियों के नाम पंजीकृत होने चाहिए एवं उन्हें दूतावास के माध्यम से जाना चाहिए। यह विद्यार्थियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए भी आवश्यक है। हमें इनका पंजीकरण करने की आवश्यकता है। विभिन्न देशों में जाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का पता होना आवश्यक है। हम यह कार्य आगे बढ़ाएंगे। यदि आवश्यक हुआ तो, हम इस संबंध में संसद में कानून लाएंगे।

महोदया, विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न संस्थानों ने बेईमान एजेन्ट नियुक्त किए हैं। उनकी सरकार की शिक्षा एवं नियोजन सचिव ने मुझसे मेरे कार्यालय में मुलाकात की और वह महिला एजेन्टों के नियंत्रण एवं विनियमन के लिए कानून बनाने पर सहमत हो गई थीं। हम भी अपने यहां कुछ करना चाहते हैं क्योंकि भारत में उन एजेन्टों के एजेन्ट हैं। हमारा उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। हम उन्हें भी नियंत्रण में रखना चाहते हैं। उन एजेन्टों के एजेन्ट जो भारत में हैं विद्यार्थियों को रोजगार की पेशकश कर वहां जाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है।

श्री प्रहलाद जोशी : महोदया, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न डाटा बैंक एवं आस्ट्रेलिया में हाल ही में हुए नस्लीय हमलों के बारे में है। मैं यह जानना चाहता हूं कि नस्लीय हमले के बाद आस्ट्रेलिया, अमरीका या अन्य किसी देश में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या घटी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि डाटा बैंक से हमारे विद्यार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों, जो किसी अन्य उद्देश्य से विदेश जाते हैं, की सुरक्षा कैसे

सुनिश्चित होगी; डाटा बैंक उनके लिए कैसे मददगार होगा एवं सरकार का उनकी किस प्रकार सहायता करने का विचार है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन देशों एवं विशेषकर उन देशों, जहां लगातार नस्लीय हमले जारी हैं, के साथ किसी राजनयिक प्रक्रिया की शुरुआत की है।

श्री बायालार रवि : मुख्य समस्या आस्ट्रेलिया के साथ है। यह मामला उच्च स्तर पर उठाया गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की है। तत्पश्चात्, वहां की सरकार ने भी अनेक उपाय किए हैं। आस्ट्रेलिया के दो शिष्टमंडल पहले ही भारत आ चुके हैं एवं भारत सरकार के समक्ष इस समस्या का वर्णन कर चुके हैं। कुछ ही दिनों में आस्ट्रेलिया से एक दूसरे शिष्ट मंडल के भारत आने की आशा है।

महोदया, हमारे प्रधानमंत्री ने आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करने के बाद, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने 'काउंसिल ऑफ आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट' की बैठक बुलाई थी। यह एक उच्चतम निकाय है। इसके अंतर्गत छह राज्य एवं दो संघ राज्य क्षेत्र हैं। उनके प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने जो निर्णय लिए उनमें से एक है विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाना तथा उन्होंने अन्य 11 निर्णय लिए हैं। इसके बाद, सीनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सीनेट ने इस मामले की जांच करने एवं 16 नवम्बर से पहले प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक समिति का गठन कर दिया। सीनेट ने इस समिति से विद्यार्थियों के कल्याण एवं सुरक्षा तथा आस्ट्रेलिया आने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। आस्ट्रेलिया सरकार ने ये सारे कदम उठाए हैं।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि विद्यार्थियों पर आक्रमण किया गया दुर्भाग्य से शुरुआती दौर उनकी पुलिस अपराधियों को पकड़ने या उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रही थी। हमारी सरकार ने हस्तक्षेप किया एवं आस्ट्रेलिया सरकार से कार्रवाई करने को कहा। भारतीय मीडिया ने भी इसे एक मुद्दा बना दिया है। अब, उनकी पुलिस अत्यंत सक्रिय ढंग से उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। यहां आने वाले शिष्टमंडल के सदस्यों में से एक वहां की सरकार के पुलिस अधिकारी थे।

महोदया, डाटा बैंक वह जानने के लिए आवश्यक है कि कितने विद्यार्थी विदेश जाते हैं तथा किन-किन देशों में तथा कहां-कहां जाते हैं। इससे न केवल हमें मदद मिलेगी, बल्कि विदेश जाने वाले विद्यार्थियों

की सुरक्षा करने में भी मदद मिलेगी। डाटा बैंक का कार्य अभी शुरू हुआ है, एवं हमारा विचार इस प्रक्रिया को वर्ष 2010 तक पूरा करने का है।

अध्यक्ष महोदया : श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी — उपस्थित नहीं।

श्री के.सी. वेणुगोपाल।

श्री के.सी. वेणुगोपाल : महोदया, लाखों भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि लाखों छात्र विदेश में अध्ययन कर रहे हैं। आस्ट्रेलिया में हमारा अनुभव खराब रहा है, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने भी वर्णन किया है। आस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा कई भारतीय छात्रों पर हमले किए गए हैं।

अतः, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे भारतीय छात्रों के कल्याण एवं संरक्षण के लिए उनके पास कोई प्रस्ताव है। क्या वे संबंधित देशों में स्थित हमारे दूतावासों में कुछ अधिकारियों को हमारे छात्रों की देखभाल के लिए प्राधिकृत करेंगे?

श्री वायालार रवि : आज की स्थिति के अनुसार हमारे भारतीय मिशनो में श्रमिक वाणिज्य दूतावास हैं, न कि छात्र वाणिज्य दूतावास। अब भारी तादाद में भारतीय छात्र विभिन्न देशों में जाते हैं। सूची सभा पटल पर रखी जा चुकी है। अतः, यह आवश्यक है कि किसी अधिकारी को केवल छात्रों के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए।

जहां तक विदेशों में भारतीय छात्रों की सुरक्षा का संबंध है, विदेश स्थित हमारे मिशनो ने विभिन्न देशों में इस पर गंभीर दृष्टिकोण अपनाया है। हम इस मुद्दे को पूरी गंभीरता के साथ उठाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशों में हमारे छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके। मैं आशा करता हूँ कि विदेश मंत्रालय एक अधिकारी नामनिर्दिष्ट करेगा जो अनन्य रूप से भारतीय छात्रों के हितों की देखभाल करेगा।

श्री विजय बहादुर सिंह : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि श्रेणी 'क' विश्वविद्यालयों, श्रेणी 'ख' विश्वविद्यालयों तथा श्रेणी 'ग' विश्वविद्यालयों के बारे में छात्रों को सूचना देने में कितना समय लगेगा। ऐसा इसलिए है कि मैंने इलाहाबाद में यह पाया है कि लगभग आधा दर्जन दलाल विभिन्न विश्वविद्यालयों में घूम रहे हैं तथा आस्ट्रेलिया जाने वाले 10 में से 9 छात्रों को वहां जाने पर यह पता चलता है कि विश्वविद्यालय था ही नहीं।

अतः, क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि देश को यह सूचना देने में और कितना समय लगेगा कि कौन-कौन से विश्वविद्यालय श्रेणी 'क' विश्वविद्यालय हैं और कौन से श्रेणी 'ख' विश्वविद्यालय हैं; तथा किन-किन विश्वविद्यालयों में नामांकन नहीं करवाया जाना चाहिए।

श्री वायालार रवि : महोदया, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नौ देशों के बारे में सूचना वेबसाइट पर दी जा चुकी है। शेष देशों के बारे में यह प्रक्रिया चल रही है। अतः, हम लगभग उन सभी देशों के बारे में सूचना वेबसाइट पर देंगे, जहां छात्र जा रहे हैं।

श्री विजय बहादुर सिंह : क्या कोई सूची है?... (व्यवधान)

श्री वायालार रवि : अगर आप चाहें, तो मैं पढ़ सकता हूँ।

श्री एम.बी. राजेश : महोदया, आस्ट्रेलिया तथा दुनिया के अन्य भागों में भारतीय छात्रों पर नस्लीय हमले तथा उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने विदेशों में भेदभाव के शिकार भारतीय छात्रों को सहायता सुनिश्चित करने तथा संरक्षण देने के लिए विभिन्न दूतावासों में कोई विशेष तंत्र शुरू किया है।

श्री वायालार रवि : महोदया, हमने पहला कदम उठाया है कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। जब कभी उन्हें ऐसी शिकायत मिलती है, तो उन्हें अवश्य कार्रवाई करनी चाहिए तथा हमलावरों को गिरफ्तार करना चाहिए तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। यह शुरू हो चुका है। सरकार एक छात्र को सहायता दे चुकी है। इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश के दो छात्रों, जो गंभीर रूप से घायल थे, को वहां स्थित हमारे दूतावास द्वारा सहायता दी गई। सभी राजनैतिक दल उनकी मदद कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी उन छात्रों पर होने वाले चिकित्सा व्यय का खर्च उठाने के लिए दूतावास को लगभग एक मिलियन रुपए की धनराशि भेजी है।

महोदया, एक समस्या यह है कि इन छात्रों के लिए कोई चिकित्सा बीमा नहीं है। अतः, हम छात्रों के लिए विदेश में उनकी शिक्षा अवधि के दौरान चिकित्सा बीमा पर जोर दे रहे हैं। यद्यपि, चिकित्सा उपचार पर व्यय काफी अधिक है, फिर भी हम आस्ट्रेलिया की सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं कि छात्र वहां चिकित्सा बीमा के साथ जाएं। हम इस पर जोर दे रहे हैं... (व्यवधान) हम मामले को दूतावासों के साथ उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

श्री अधलराव पाटील शिवाजी : माननीय मंत्री जी के उत्तर के अनुसार विदेशों में लगभग 2,64,000 छात्र अध्ययन कर रहे हैं तथा इनमें से 2,33,500 छात्र केवल आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका में अध्ययन कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बारे में किसी आंकड़े का संकलन करने का प्रयास कर रही है कि भारतीय छात्र विदेशों में शिक्षा पर कितना व्यय कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है? मेरा मूल प्रश्न यही है। भारत से इन चार देशों अथवा विदेश जाने पर कितना व्यय होता है।

श्री वायालार रवि : हमारे लेखे के अनुसार यह सही है कि लगभग 2,64,000 छात्र विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पास आंकड़े हैं। सटीक आंकड़ा न तो वित्त मंत्री के पास है और न मेरे पास। लेकिन औसतन प्रति छात्र प्रति वर्ष हम 20,000 डालर मानें, तो सभी छात्रों के लिए कुल राशि 5.5 बिलियन डालर से अधिक होगी। यह औसत है। मैं सटीक आंकड़े नहीं दे सकता क्योंकि छात्रों द्वारा व्यय की जाने वाली राशि अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है। अधिकतम राशि ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका में है। शायद आस्ट्रेलिया में व्यय की जाने वाली राशि उतनी अधिक न हो। छात्र अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए जाते हैं। चिकित्सा तकनीकी पाठ्यक्रमों तथा अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए अधिक भुगतान किया जाता है। कुछ अन्य पाठ्यक्रमों के लिए राशि काफी कम हो सकती है। अतः हम सटीक राशि नहीं बता सकते। लेकिन हम सब कुछ संहिताबद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास यह जानने का है कि कितनी राशि बाहर जाती है; वहां कितने छात्र हैं तथा विभिन्न देशों में शुल्क बांटा क्या है। यह केवल उनके वेबसाइटों द्वारा अथवा ई-प्रशासन द्वारा किया जा सकता है। यह सारी सूचना एकत्रित किए जाने के पश्चात् ही मैं सभा के समक्ष सटीक आंकड़े रख सकता हूँ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

केन्द्रीय क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं पर निर्धारित से अधिक समय तथा लागत लगना

*163. श्री मधु गौड यास्वी :

जी.एम. सिद्धेश्वर :

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने केन्द्रीय क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं पर निर्धारित से अधिक समय और लागत लगने के कारणों का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) :
(क) जी हां।

(ख) 30.04.2009 की स्थिति के अनुसार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 559385 करोड़ रु. की अनुमानित लागत की 100 करोड़ रु. एवं उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की 583 प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी की गई। अपने चालू होने की मूल अनुमोदित तारीख के संदर्भ में, 583 परियोजनाओं में से 11 परियोजनाएं समय से आगे चल रही हैं, 158 परियोजनाएं समय पर हैं और 284 परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं और 130 परियोजनाओं के चालू होने की तारीख निश्चित नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) इन परियोजनाओं में लागत और समय वृद्धि के मुख्य कारण निधि की कमी, भूमि अधिग्रहण तथा वन/पर्यावरणीय अनुमतियों में आई समस्याएं, ठेकेदारों की धीमी प्रगति, देश के कुछ क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति, घरेलू/विदेशी विक्रेताओं द्वारा उपस्करों की आपूर्ति में विलंब, परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन से बिल आफ क्वान्टिटीज (बीआक्यू) में वृद्धि, भौगोलिक आकस्मिकताएं, निर्माण के दौरान उधार ली गई पूंजी पर ब्याज में वृद्धि, बाह्य स्रोतों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, पुनर्वास की उच्च लागत, सीमेंट और इस्पात की सामान्य मूल्य वृद्धि हैं।

(ङ) ऐसी परियोजनाओं की लागत एवं समय वृद्धि को कम

करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य सुधारात्मक कदमों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

- (i) द्वि-स्तरीय क्लियरेंस प्रणाली अपनाना तथा निवेश के अनुमोदन से पूर्व परियोजनाओं का एकदम सही-सही मूल्यांकन करना;
- (ii) निधियों की पूर्णतः व्यवस्था के बाद ही परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए हाथ में लेना;
- (iii) सरकार द्वारा मासिक और तिमाही आधार पर परियोजनाओं की गहन समीक्षा;
- (iv) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास से संबंधित मामलों, वन अनुमतियों, अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा परियोजना स्थलों पर कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी समस्याओं के संबंध में राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई करना;
- (v) विभागीय तौर पर निष्पादित परियोजनाओं की समीक्षा के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों में अधिकार प्राप्त समिति का गठन करना;
- (vi) अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतःमंत्रालयी समन्वय;
- (vii) समय और लागत वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु मंत्रालयों/विभागों में स्थायी समितियों का गठन करना;
- (viii) कार्यकाल की निरंतरता के साथ प्रत्येक परियोजना के लिए, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति; और
- (ix) मानक बोली दस्तावेज अपनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करना।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय

*164. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कुल कितना प्रतिशत व्यय हुआ;

(ख) क्या निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य पर व्यय अत्यंत कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र पर औसतन प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय की गई/व्यय की जा रही है;

(ङ) क्या देश में स्वास्थ्य क्षेत्र का बड़े पैमाने पर वाणिज्यीकरण हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2008-09 के अनुसार पिछले चार वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में स्वास्थ्य पर कुल व्यय इस प्रकार था:

2005-06 (वास्तविक)	1.27 प्रतिशत
2006-07 (वास्तविक)	1.26 प्रतिशत
2007-08 (संशोधित अनु.)	1.41 प्रतिशत
2008-09 बजट अनु.)	1.41 प्रतिशत

(ख) और (ग) जी, हां। भारत में निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र में व्यय बहुत कम है। राष्ट्रीय बृहत आर्थिक एवं स्वास्थ्य आयोग, 2005 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक होने का अनुमान लगाया गया है। ये अनुमान कमजोर विधिविज्ञानीय पृष्ठभूमि के आधार पर हैं। अतः एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा ढांचे के आधार पर स्वास्थ्य व्यय के अनुमान बनाने के लिए एक कार्य शुरू किया गया था। ऐसे दृष्टिकोण से भारत में स्वास्थ्य वित्त पोषण के आकार और ढांचे की बेहतर और अधिक विश्वसनीय समझ हो पाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के परिणामों से यह प्रदर्शित होता है कि भारत में वर्ष 2001-02 के अनुमानित स्वास्थ्य व्यय लगभग 105,734

करोड़ रुपए था, जो सकल घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य) का 4.63 प्रतिशत बैठता है। कुल व्यय में से 20.3 प्रतिशत सार्वजनिक/सरकारी व्यय, 77.4 प्रतिशत निजी व्यय और शेष 2.3 प्रतिशत व्यय विदेशी सहायता से था। अलग-अलग स्तर पर केन्द्रीय सरकार का कुल स्वास्थ्य व्यय में 6.4 प्रतिशत, राज्य सरकार का 12.6 प्रतिशत और स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का 1.3 प्रतिशत योगदान है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के विभिन्न दौरों के परिवार उपभोक्ता व्यय के आंकड़ों से यह पता चलता है कि परिवार स्वास्थ्य पर अपने कुल आयोग व्यय का लगभग 5 प्रतिशत-6 प्रतिशत तथा समस्त गैर-खाद्य उपभोग व्यय का लगभग 11 प्रतिशत खर्च करते हैं। स्पष्टतया पहले स्वास्थ्य परिचर्या की सार्वजनिक क्षेत्र की प्रणाली के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रावधान अपर्याप्त रहा है। इसी कारण से माननीय प्रधानमंत्री ने पहुंच के भीतर, वहनीय और जवाबदेह और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को 2 प्रतिशत-3 प्रतिशत तक बढ़ाना रहा है।

(घ) आर्थिक सर्वेक्षण 2008-09 के अनुसार पिछले चार वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय का व्यौरा इस प्रकार है:

2005-06 (वास्तविक)	45,428 करोड़ रुपए
2006-07 (वास्तविक)	52,126 करोड़ रुपए
2007-08 (संशोधित अनु.)	66,423 करोड़ रुपए
2008-09 बजट अनु.)	75,055 करोड़ रुपए

(ङ) और (च) जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है भारत में स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय अपर्याप्त है। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक विशाल निजी क्षेत्र का उद्भव हुआ है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र के वाणिज्यीकरण में योगदान देता है। इसी कारण से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पर सरकारी व्यय को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। पर्याप्त सरकारी व्यय के अभाव में गरीब परिवारों को जेब से बहुत बड़ी धनराशि का भुगतान करना पड़ता है जिससे प्रायः उनकी वित्तीय स्थिति और बदतर हो जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या को सुदृढ़ करने में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रयासों को व्यापक रूप से यह सुनिश्चित करना होता है कि जेब के व्यय काफी कम हो जाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यह सुनिश्चित

करने के लिए गरीबों को गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध हों, दूर-दराज के क्षेत्रों में औषधों, निदान शास्त्र, आपाती एम्बुलेंस परिचर्या, डाक्टरों, अर्ध चिकित्सकों और नर्सों के लिए प्रावधान करने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने अस्पताली उपचार जहां कहीं राज्यों ने ऐसी सहायता की मांग की है, के लिए भी सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य जोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना है। इस मिशन में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लक्ष्यों के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ भागीदारी करने की भी व्यवस्था है जहां पर भागीदारियों के माध्यम से गरीबों के लिए गुणवत्तायुक्त परिचर्या तक पहुंच बढ़ने की सम्भाव्यता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मौलिक जोर स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय बढ़ाना है ताकि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार अपने घरों पर गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह उल्लेखनीय है कि हमारे संविधान में 'स्वास्थ्य' राज्य का एक विषय है और यह राज्य सरकारों का मुख्य उत्तरदायित्व है कि वे अपने नागरिकों को पर्याप्त, वहनीय और पहुंच के भीतर स्वास्थ्य परिचर्या सुनिश्चित करें। केन्द्रीय सरकार केवल केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत धन देने के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। पिछले वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली की उपेक्षा को देखते हुए इस प्रक्रिया को कुछ समय लगेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के शुरू के परिणाम यह विश्वास देते हैं कि यह नीति ग्रामीण स्तर, उप-केन्द्र स्तर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर और उप-जिला तथा जिला स्तरों पर सेवाओं की व्यवस्था के सही मार्ग पर है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से देश में स्वास्थ्य परिचर्या के वाणिज्यीकरण में काफी कमी आएगी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

[अनुवाद]

बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं

*165. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के समक्ष लोगों को व्यापक, उचित दर पर और सुगम गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराने में पेश आ रही कठिनाइयों का व्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र में बिस्तरों की व्यवस्था सहित बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी भारी निवेश की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए विशेषज्ञों से कोई राय ली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी की अनुमति देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने में सरकार द्वारा सामना की रही कठिनाइयों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. अपर्याप्त वित्तीय संसाधन।
2. मानव संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता।
3. विभिन्न भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी स्थितियों सहित कई कारणों से अल्पसेवित क्षेत्रों तक पहुंचने में कठिनाई।

(ख) और (ग) जी हां। बिस्तर की व्यवस्था सहित बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय वृहत अर्थव्यवस्था आयोग ने वर्ष 2005 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में 74000 करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन की आवश्यकता का अनुमान किया था जिसमें स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा निर्मित करने के लिए आवश्यक 33000 करोड़ रु. का अनुमानित पूंजीगत निवेश; अगले 15 वर्षों में सम्पूर्ण देश को कवर करते हुए आज़ापक वैश्विक सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धन को दी जाने वाली प्रीमियम सब्सिडी के लिए 9 हजार करोड़ रु.; और वेतन, औषध, प्रशिक्षण अनुसंधान आदि के लिए आवर्ती व्यय हेतु अनुमानित 41000 करोड़ रु. शामिल हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय वृहत अर्थव्यवस्था आयोग के अनुमानों एवं अनुशंसाओं, जिनका ब्यौरा वेबसाइट <http://www.who.int/publication/en> पर उपलब्ध है, के अनुरूप केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई, 2006 में कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यढांचा का अनुमोदन किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यढांचा में वर्ष 2005-06 से लेकर वर्ष 2011-12 तक की

अवधि के लिए 30 हजार करोड़ रुपये अनावर्ती एवं 36 हजार करोड़ रुपये आवर्ती व्यय के लिए अतिरिक्त निवेश का प्रावधान है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में जनस्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र के साथ गरीबोमुखी भागीदारी का प्रावधान है। राज्यों ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकारी-निजी भागीदारी व्यवस्था के जरिए 200 से अधिक ऐसे नये कार्यकलापों को अपनाया है, जिनमें से अधिकतर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को लक्ष्य में रखा गया है। इन नये कार्यकलापों के निर्देशिका का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.nic.in पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

औषध रोधी क्षय रोग

*166. श्री सुदर्शन भगत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े पैमाने पर औषध रोधी क्षयरोग (एक्सडीआर-टीबी) के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस रोग से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) जी, हां।

(ख) से (ङ) तृतीयक स्तर की परिचर्या वाले संस्थानों से ऐसे रोगियों की पृथक रिपोर्टें हैं। तथापि, इस समस्या की वास्तविक गंभीरता अभी निर्धारित की जानी है क्योंकि ये रिपोर्टें गैर-प्रतिनिधिक नमूनों पर आधारित हैं।

क्षय रोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई द्वारा किए गए एक अध्ययन (वर्ष 2000 और 2005 के बीच), जो वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध विज्ञान जर्नल में प्रकाशित किया गया, से 66 बहु-औषध प्रतिरोधक (एम.डी.आर.) रोगियों में से एक व्यापक औषध प्रतिरोधक

(एक्स.डी.आर.) रोगी का पता चला। इसका मतलब यह हुआ कि बहु-औषध प्रतिरोधक (एम.डी.आर.) रोगियों में 1.5 प्रतिशत व्यापक औषध प्रतिरोधक (एक्स.डी.आर.) क्षय रोगी होते हैं।

इसके अतिरिक्त, बहु एवं व्यापक औषध प्रतिरोधक क्षय रोग की व्याप्तता का अनुमान लगाने के लिए मंत्रालय ने गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों में औषध प्रतिरोध सर्वेक्षण किया। इन सर्वेक्षणों के निष्कर्षों से पता चलता है कि नये रोगियों में बहु-औषध प्रतिरोधक (एम.डी.आर.) क्षय रोग की व्याप्तता 3 प्रतिशत से कम है। इन राज्यों में व्यापक औषध प्रतिरोधक (एक्स.डी.आर.) क्षय रोग का प्रतिनिधिक अनुमान प्राप्त करने के लिए औषध प्रतिरोधक सर्वेक्षणों से पृथक् किए गए अभिज्ञात बहु-औषध प्रतिरोधक रोगियों की जांच क्षय रोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई में की गई। अप्रकाशित निष्कर्षों से पता चलता है कि नये रोगियों में कोई व्यापक औषध प्रतिरोधक (एक्स.डी.आर.) क्षय रोगी नहीं है और दोबारा उपचार प्राप्त करने वाले रोगियों में इसका प्रतिशत 0.5 से कम है।

औषध प्रतिरोधक क्षय रोग [व्यापक औषध प्रतिरोधक (एक्स.डी.आर.)] को शुरू में ही पता लगाकर और अच्छी गुणवत्ता वाली उपचार कार्यनीति नामतः प्रत्यक्ष देख-रेख में उपचार के लघु कोर्स (डॉट्स) द्वारा रोका जा सकता है और देश में इसको सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। साथ ही साथ इस मंत्रालय ने बहु-औषध प्रतिरोधक (एम.डी.आर.) क्षय रोग के निदान और उपचार के लिए डॉट्स प्लस सेवाएं शुरू की हैं ताकि व्यापक औषध प्रतिरोधक (एक्स.डी.आर.)-क्षय रोग होने को रोका जा सके।

परमाणु संयंत्रों के लिए ईंधन की कमी

*167. श्री गणेश सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु संयंत्रों के लिए ईंधन की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से देश-वार और वर्ष-वार यूरेनियम की कितनी मात्रा का आयात किया गया तथा इस पर कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या सरकार के पास देश को परमाणु ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो देश परमाणु ईंधन के क्षेत्र में कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा?

विज्ञान और औद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) देश में परमाणु विद्युत की कुल स्थापित क्षमता 4120 मेगावाट-ई है। इसमें से, 320 मेगावाट-ई क्षमता (तारापुर परमाणु बिजलीघर यूनिट-1 तथा 2-2×160 मेगावाट-ई) के लिए आयातित कम समृद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जोकि उपलब्ध है। शेष क्षमता (3800 मेगावाट-ई) के अंतर्गत दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर्ज) आते हैं। दाबित भारी पानी रिएक्टरों में स्वदेशी प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके संबंध में मांग और आपूर्ति के बीच बेमेलता है। स्थानीय तथा पर्यावरणीय कारणों की वजह से, नई खानें खोलने और संसाधन सुविधाएं स्थापित करने में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप मौजूदा बेमेलता पैदा हुई है।

(ग) वर्ष 2009 में, फ्रांस से 300 मीटरी टन प्राकृतिक यूरेनियम और रूसी परिसंघ से 60 मीटरी टन प्राकृतिक यूरेनियम गुटिकाएं प्राप्त हुए हैं। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग का एक सरकारी क्षेत्र उपक्रम है, दो परमाणु विद्युत रिएक्टर जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 1000 मेगावाट-ई है, कुडनकुलम, तमिलनाडु में रूसी परिसंघ के सहयोग से स्थापित कर रहा है। पहले रिएक्टर के लिए ईंधन के प्रथम भरण और एक पुनर्भरण की मात्रा भी वर्ष 2008 में प्राप्त हो गई थी। तारापुर परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2 के लिए कम समृद्ध यूरेनियम भी वर्ष 2006 में प्राप्त हो गया था। यूरेनियम के आयात पर किया गया वर्ष-वार व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	करोड़ रुपए
2006-07	638
2007-08	401
2008-09	844
2009-10 (जून, 2009 तक)	279

(घ) जी, हां।

(ङ) परमाणु ईंधन के संबंध में आत्मनिर्भरता एक दीर्घावधि लक्ष्य है और इसे, स्वदेशी त्रिचरणीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के माध्यम

से हासिल किए जाने की योजना है। इस कार्यक्रम के तीन चरणों का क्रियान्वयन, चरणों के बीच ईंधन चक्र के संबंधों के मद्दे नजर, क्रमानुसार किया जाना है। इस कार्यक्रम का पहला चरण जहां परिपक्वता की अवस्था में पहुंच गया है, वहीं फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (एफबीआर्ज) का दूसरा चरण आरम्भ कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी के विकास और दूसरे चरण की काफी बड़ी क्षमता की जरूरत है। कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति के आधार पर, थोरियम को ईंधन के रूप में काम में लाने वाले रिएक्टरों को बड़े पैमाने पर स्थापित करने का काम वर्ष 2040 के आसपास शुरू किए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

वेक्टरजनित और संक्रामक रोगों का फैलना

*168. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

श्री एंटो एंटोनी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर, लेप्टोस्पाइरोसिस और हैजा जैसे वेक्टर जनित और संक्रामक रोग फैल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने मामले सामने आये और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन रोगों की रोकथाम के लिए राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में इन रोगों के उपचार के लिए प्राप्त हुई विदेशी सहायता और इसमें से उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इन रोगों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए कोई अभियान शुरू किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इन रोगों की रोकथाम के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) से (ज) देश के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी एन्सेफलाइटिस के होने की सूचना मिल रही है जो इन के लिए स्थानिकमारी वाले क्षेत्र हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए मामलों की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष	मलेरिया	डेंगू	चिकनगुनिया ज्वर के संदिग्ध मामले	जापानी एन्सेफलाइटिस
2006	1785109	12317	13903222	2871
2007	1502742	5534	59535	4110
2008	1524939	12561	95091	3839
2009	271037	2221	13117	445
	(अप्रैल तक)	(जून तक)	(जून तक)	(जून तक)

मलेरिया मादा एनाफलीस मच्छर द्वारा फैलता है और यह कुछ क्षेत्रों संकेद्रित है। इसका संचरण विभिन्न पारिस्थितिकी पहलुओं पर निर्भर करता है। राज्यों द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों के अनुसार मलेरिया के मामलों ने एक कमी का रुझान दर्शाया है। तथापि, स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में मामलों की संख्या में घट-बढ़ सूचित किया गया है।

पूर्व में डेंगू की सूचना शहरी क्षेत्रों से मिल रही थी लेकिन अब यह ग्रामीण क्षेत्रों के द्रुत शहरीकरण, पानी जमा करने की पद्धतियों और अनुचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कारण शहरी क्षेत्रों में फैल रहा है और यह वेक्टर मच्छर-एडीस-जो डेंगू फैलाता है, टैकों, कूलरों और मिट्टी के बरतनों आदि में जमा ताजे पानी में पनपता है; के कारण भी फैलता है।

चिकनगुनिया 2006 में पुनः फैला और इस रोग की सूचना देश के विभिन्न भागों से मिल रही है। चिकनगुनिया का विषाणु वही है जो डेंगू फैलाता है। जापानी एन्सेफलाइटिस की सूचना मुख्य रूप से उन क्षेत्रों से मिली है जहां धान की खेती की और सुअर पालन का व्यवसाय किया जा रहा है क्योंकि वेक्टर मच्छर धान के खेतों में पनपता है और जापानी एन्सेफलाइटिस का विषाणु सुअरों अथा एडोर्ड

पक्षियों में अपने प्राकृतिक चक्र को बनाए रखता है। रिपोर्टों के अनुसार पूर्व वर्षों की अपेक्षा अब कम राज्यों से जापानी एन्सेफलाइटिस की सूचना मिल रही है।

पीने योग्य पानी का भंडारण हैजा के फैलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्य उत्तरदायी कारक निष्क्रिय अथवा एल्केलाइन पीएच, धरातल के पानी अथवा पीने के पानी के स्रोतों में लवणता तथा मल से संदूषण में बढ़ोतरी हो सकती है। कभी-कभी यह संदूषित आहार से भी फैलता है।

लैटोस्पायरोसिस मुख्य रूप से जानवरों का एक संक्रामक रोग है जिससे कभी-कभी मानव भी संक्रमित हो जाते हैं। यह संक्रमण कृन्तकों, वाहकों अथवा रोग ग्रस्त जानवरों के मूत्र से संदूषित वातावरण के संपर्क में आने से होता है। इस संचरण को फैलाने में कृन्तक लोमड़ी, खरगोश आदि, जैसे परपोषियों की मौजूदगी सहायक है। उनका मलोत्सर्जन मिट्टी और जल निकायों को संदूषित करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य कारक हैं: जल निकासी के लिए कम जगह का होना, पानी का जमा होना और मिट्टी का लवणयुक्त होना। लैटोस्पायरोसिस के प्रकोप समय-समय पर गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अंडमान के तटवर्ती जिलों से सूचित किए गए हैं।

हैजा और लैटोस्पायरोसिस जैसे संक्रामक रोगों की घटना में सामान्यतः मानसून के मौसम में वृद्धि होती है और वेक्टरजनित रोगों की घटना में मानसून के बाद वृद्धि होती है।

मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एन्सेफलाइटिस, हैजा और लैटोस्पायरोसिस के सूचित किए गए मामलों और मौतों के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण-I से VI में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) का वर्ष-वार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-VII में दिया गया है। केन्द्र सरकार ने नीचे दर्शाए गए अनुसार वेक्टरजनित रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए राज्य को राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन केंद्रीय सहायता में वृद्धि की है।

वर्ष	राज्यों के लिए आबंटन (करोड़ रुपए में)
1	2
2006-07	348.30

1	2
2007-08	361.08
2008-09	440.04
2009-10	411.39
संशोधित अनुमान के स्तर पर	
वृद्धि करने का प्रस्ताव है	

विदेशी सहायता केवल मलेरिया के निवारण और नियंत्रण के लिए प्राप्त होती है। वर्तमान में मलेरिया के नियंत्रण के लिए दो वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। अर्थात् (i) एड्स, क्षयरोग और मलेरिया संबंधी वैश्विक निधि (जीएफएटीएम) और (ii) विश्व बैंक से।

- (i) जीएफएटीएम परियोजना 2005 से कार्यान्वित की जा रही है। वैश्विक निधि के जरिए विदेशी सहायता के अधीन मलेरिया के नियंत्रण के लिए प्राप्त हुई कुल निधि 47.7 मिलियन अमेरिकी डालर है जिसमें से 29.25 मिलियन अमेरिकी डालर का निर्धारित किए गए वैश्विक निधि सहायता प्राप्त तीव्रकृत मलेरिया नियंत्रण परियोजना वाले क्षेत्रों में मलेरिया के नियंत्रण के लिए उपयोग किया गया है।
- (ii) मलेरिया नियंत्रण और काला-आजार उन्मूलन के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है और वित्त पोषण करार पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। यह परियोजना 250 मिलियन अमेरिकी डालर की है और यह 6 मार्च, 2009 से प्रभावी हुई।

जहां तक जागरूकता के सृजन का संबंध है, एनवीबीडीसीपी के अधीन वीबीडी के प्रभावी निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के स्वामित्व के लिए समुदाय सुग्राहीकरण को बढ़ाने और उसे सुनिश्चित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर केंद्रित सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण/व्यवहार में परिवर्तन संबंधी सम्प्रेषण अभियान चलाए जाते हैं।

राष्ट्रीय स्तर के कार्यकलापों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में समाचार पत्र विज्ञापन जारी करके प्रचार माध्यम अभियान चलाना

शामिल है जिसमें संचरण के मौसम के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की ओर से संदेश भी शामिल हैं।

दूरदर्शन पर स्पोर्ट, स्कॉल प्रसारित करके और आकाशवाणी तथा अन्य एफएम रेडियों में स्पोर्ट, जिंगल प्रसारित करके इलेक्ट्रानिक अभियान भी चलाया जाता है। इसके अलावा प्रसार भारती (दूरदर्शन) के कल्याणी कार्यक्रम के भाग के रूप में सुग्राहीकरण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

जून माह को मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाया जाता है और जुलाई माह को डेंगू रोधी माह के रूप में मनाया जाता है। जब मलेरिया रोधी और डेंगू रोधी कार्य-कलापों के लिए समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु अभियान विधि में सभी कार्यकलाप चलाए जाते हैं क्योंकि ये संचरण की मुख्य अवधियां हैं।

वेक्टर जनित एवं संक्रामक रोगों के लिए जागरूकता पैदा करना एक चलते रहने वाली प्रक्रिया है। राज्य वेक्टर जनित एवं अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में जनसमुदाय को जागरूक बना रहे हैं। राज्य स्तर पर निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाते हैं:

(i) हिमायत, (ii) अंतर वैयक्तिक संप्रेषण, (iii) सामाजिक संघटन, (iv) अंतर क्षेत्रीय परामर्श, (v) स्वास्थ्य मेला, (vi) स्कूली बच्चों को शामिल करते हुए रैली, (vii) इलेक्ट्रानिक (टीवी एवं रेडियो की झलकियां) एवं प्रिंट (समाचार-पत्र के विज्ञापन) मीडिया को शामिल करते हुए मीडिया की भागीदारी वाली कार्य नीतियों के जरिए संप्रेषण।

निवारण देश में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की बहु-आयामी कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से उल्लिखित कार्यनीति में देखा जा सकता है।

(i) रोग प्रबंधन

- शुरू में ही रोग की पहचान एवं पूर्ण उपचार
- रेफरल सेवाओं का सुदृढीकरण
- महामारी से निपटने की तैयारी एवं त्वरित कार्रवाई

(ii) समेकित वेक्टर प्रबंधन

- उच्च जोखिम वाले चुनिंदा क्षेत्रों में घर के भीतर अवशिष्ट छिड़काव

- कीटनाशी द्वारा विसंक्रमित मच्छरदानियों का इस्तेमाल
- लार्वाभोजी मछलियों का उपयोग
- जैव-लार्वानाशकों सहित शहरी क्षेत्रों में लार्वारोधी उपाएं
- लघु पर्यावरणिक अभियांत्रिकीकरण

(iii) सहायक कार्यकलाप

- व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी एवं अंतर-क्षेत्रीय समाभिरूपता
- क्षमता निर्माण के जरिए मानव संसाधन विकास
- अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन।

निवारण, नियंत्रण एवं उपचार से संबंधित विषय-वस्तु का निपटान राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है किंतु भारत सरकार विशेष कार्यक्रमों के जरिए तकनीकी सहायता, दिशानिर्देश एवं प्रशिक्षण तथा सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार के वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की कुछ पहलों की सूची संलग्न विवरण-VIII में दी गई है।

हैजा

हैजा सहित सभी अतिसारी रोगों को हैजा नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करके नियंत्रित किया जा सकता है जिनमें निदान का सत्यापन, हैजा की अधिसूचना (चूंकि हैजा स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक अधिसूचनीय रोग है), रोगी की शुरू में ही पहचान, उपचार केंद्रों की स्थापना तथा रिहाइड्रेशन थिरेपी (मौखिक अथवा अंतःशिरा) शामिल हैं। एंटीबायोटिक्स के साथ/एंटीबायोटिक्स के बगैर ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ओआरएस) विलयन हैजे का सर्वोत्तम उपचार है- जो सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी समेकित नवजात एवं बाल्यकालीन बीमारी प्रबंधन (आईएमएनसीआई) के लिए कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है।

सुरक्षित पेयजल एवं सामान्य सफाई अतिसारी रोगों की रोकथाम करने की कुंजी है। संबंधित राज्य सरकार जागरूकता फैलाने तथा जनसमुदाय को सुरक्षित पेय जल प्रदान करने का कार्य करती है।

लेप्टोस्पाइरोसिस

लेप्टोस्पाइरोसिस की घटना भारत के कुछ राज्यों में सीमित है। अभी हाल तक रोग की रोकथाम तथा नियंत्रण करने के लिए कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम या पहल नहीं थी।

गुजरात के चार जिलों (वालसड, नवसारी, तापी तथा सूरत), केरल के दो जिलों (कोट्टायम एवं एलेप्पी) और तमिलनाडु के दो जिलों (विलुपुरम एवं तिरुचिरापल्ली) में 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक 'नई पहल' के रूप में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना 2 वर्षों (2008-2010) की अवधि के लिए चलाई जा रही है। इस पायलट परियोजना का बजट लगभग 2 करोड़ रुपए

है। परियोजना में नैदानिक सेवाओं, रोगी परिचर्या प्रबंधन, रसायनरोगनिरोधन प्रशिक्षित जनशक्ति का विकास तथा पशुपालन एवं कृषि कार्मिकों की सुग्राहिता पर बल दिया गया है।

राष्ट्र स्तर पर, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान रोग प्रकोप की जांचों तथा हेतु विज्ञानी निदान के लिए प्रयोगशाला सहायता का समन्वय करता है। यह प्रशिक्षित जनशक्ति के विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है। इसने सभी संबंधितों के मार्ग दर्शन के लिए वेक्टर जनित एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने में भी सहायता दी है। जागरूकता पैदा करने के लिए, सभी स्वास्थ्य निदेशालयों को इन रोगों के लिए सीडीएलर्ट परिचालित किए जा रहे हैं।

विवरण-1**देश में मलेरिया के राज्यवार रोगी मौतें**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006		2007		2008		2009*	
	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	34081	0	27803	2	26165	0	5265	0
अरुणाचल प्रदेश	39182	196	32072	36	28072	6	2055	0
असम	126178	304	94853	152	83869	86	14238	5
बिहार	2744	1	1595	1	496	1	138	0
छत्तीसगढ़	190590	3	145949	0	123495	0	24155	0
गोवा	5010	7	9755	11	9822	21	1561	0
गुजरात	89835	45	71121	73	50884	36	3827	1
हरियाणा	47142	0	30895	0	35683	0	1917	0
हिमाचल प्रदेश	114	0	104	0	144	0	13	0
जम्मू और कश्मीर	164	0	240	1	200	1	42	0
झारखंड	193888	4	184878	31	212496	25	49545	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक	62842	32	49355	18	47162	7	7961	0
केरल	2111	7	1927	6	1084	3	343	0
मध्य प्रदेश	96160	56	90829	41	105265	0	9271	0
महाराष्ट्र	54420	133	67850	182	67321	164	5955	22
मणिपुर	2709	8	1194	4	708	2	155	0
मेघालय	29924	167	31827	215	38210	73	12726	20
मिजोरम	10668	120	6081	75	7306	91	893	8
नागालैंड	3361	75	4877	11	5674	0	1042	0
उड़ीसा	380216	257	371879	221	359619	218	97539	52
पंजाब	1888	0	2017	0	2494	0	128	0
राजस्थान	99529	58	55043	46	57482	54	3127	0
सिक्किम	93	0	48	0	38	0	9	0
तमिलनाडु	28219	0	22389	1	27373	0	4734	0
त्रिपुरा	23375	31	18474	51	25451	46	4336	8
उत्तराखण्ड	1108	0	953	0	1059	0	108	0
उत्तर प्रदेश	91566	0	82538	0	93383	0	6446	0
पश्चिम बंगाल	159646	203	87754	96	104757	101	11544	13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2993	1	3973	0	4688	0	1601	0
चंडीगढ़	449	0	340	0	347	0	16	0
दादरा और नगर हवेली	3786	0	3780	0	3037	0	318	0
दमन और दीव	140	0	99	0	110	0	10	0
दिल्ली	928	0	182	0	253	0	6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	1	0
पाण्डिचेरी	50	0	68	0	72	0	12	0
अखिल भारत योग	1784109	1708	1502742	1274	1524939	935	271037	130

*अनंतिम (अप्रैल तक)

विवरण-II

देश में डेंगू के राज्यवार रोगी एवं मौतें

क्र.सं.	राज्य	2006		2007		2008		2009 (जून तक अनंतिम)	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	197	17	587	2	313	2	30	0
2.	बिहार	4	0	0	0	1	0	0	0
3.	चंडीगढ़	182	0	99	0	167	0	0	0
4.	दिल्ली	3366	65	548	1	1312	2	0	0
5.	गोवा	1	0	36	0	43	0	26	0
6.	गुजरात	545	5	570	2	1065	2	464	0
7.	हरियाणा	838	4	365	11	1137	9	5	0
8.	कर्नाटक	109	7	230	0	339	3	329	1
9.	केरल	981	4	603	11	733	3	754	4
10.	महाराष्ट्र	736	25	614	21	743	22	242	1
11.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	पंजाब	1166	6	28	0	4349	21	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. राजस्थान		1805	26	540	10	682	4	48	3
14. तमिलनाडु		477	2	707	2	530	3	195	0
15. उत्तर प्रदेश		639	14	132	2	51	2	1	0
16. पश्चिम बंगाल		1230	8	95	4	1038	7	119	0
17. पांडिचेरी		0	0	274	0	35	0	7	0
18. मध्य प्रदेश		16	0	51	2	3	0	0	0
19. उड़ीसा		1	0	4	0	0	0	0	0
20. जम्मू और कश्मीर		24	1	0	0	0	0	0	0
21. मणिपुर		0	0	51	1	0	0	0	0
22. उत्तराखंड		0	0	0	0	20	0	0	0
कुल		12317	184	5534	69	12561	80	2221	9

विवरण-III

देश में चिकनगुनिया बुखार के राज्यवार मामले				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006	2007	2008	2009 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	77535	39	5	549
कर्नाटक	762026	1705	46510	9816
महाराष्ट्र	270116	1762	853	291
तमिलनाडु	64802	45	46	971
मध्य प्रदेश	60132	0	0	0

1	2	3	4	5
गुजरात	75419	3223	303	511
केरल	70731	24052	24685	701
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1549	0	0	0
दिल्ली	560	203	14	0
राजस्थान	102	2	3	74
पुडुचेरी	542	0	0	0
गोवा	287	93	52	77
उड़ीसा	6461	4065	4676	0

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	21	19138	17898	127
लक्षद्वीप	35	5184	0	0
उत्तर प्रदेश	4	4	11	0

1	2	3	4	5
हरियाणा	0	20	35	0
कुल	1390322	59535	95091	1317

*जून, 2009 तक अनंतिम

विवरण-IV

देश में ए ई एस/जापानी एंसेफलाइटिस के मामलों ओर उससे होने वाली मौतों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006		2007		2008		2009 (अनंतिम)	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	11	0	22	0	6	0	10	0
2.	असम	392	119	424	133	319	99	5	0
3.	बिहार*	21	3	336	164	203	45	0	0
4.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	70	0	39	0	14	3
7.	हरियाणा	12	6	85	48	13	3	0	0
8.	कर्नाटक	80	3	15	1	3	0	18	0
9.	केरल	3	3	2	0	2	0	0	0
10.	महाराष्ट्र	14	0	2	0	24	0	0	0
11.	मणिपुर	0	0	65	0	4	0	4	0
12.	तमिलनाडु	18	1	42	1	144	0	53	0
13.	उत्तराखंड	0	0	0	0	12	0	0	0
14.	उत्तर प्रदेश**	2320	528	3024	645	3012	537	341	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	पश्चिम बंगाल	0	0	16	2	58	0	0	0
16.	नागालैंड	0	0	7	1	0	0	0	0
कुल योग		2871	663	4110	995	3839	684	445	84

जून, 2009 तक अनंतिम

*वर्ष 2008 में झारखंड (पलामू और चत्रा जिलों) से 9 मामलों और 4 मौतों समेत।

**2009 में बिहार से 55 मामलों और 15 मौतों तथा नेपाल से 1 मौत समेत।

विवरण-V

भारत में 2006 से 2008 के बीच हैजे के राज्यवार मामले और उनके कारण हुई मौतें

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006		2007		2008*	
	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	20	0	80	0	153	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	एन.आर.	एन.आर.	0	0
असम	0	0	0	0	एन.आर.	एन.आर.
बिहार	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
छत्तीसगढ़	2	0	10	0	0	0
गोवा	एन.आर.	एन.आर.	38	0	0	0
गुजरात	100	2	66	0	50	0
हरियाणा	9	0	22	0	27	0
हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
झारखंड	0	0	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	80	1	117	2	254	1
केरल	12	0	5	1	7	0
मध्य प्रदेश	0	0	1	0	14	0
महाराष्ट्र	284	0	527	0	96	0
मणिपुर	0	0	2	0	एन.आर.	एन.आर.
मेघालय	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	35	0	एन.आर.	एन.आर.
पंजाब	24	0	11	0	12	0
राजस्थान	0	0	1	0	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	213	0	297	0	990	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
उत्तराखण्ड	0	0	1	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	0	6	0	0	0
पश्चिम बंगाल	133	0	176	0	236	0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	9	0	28	0	15	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	1052	0	1212	0	824	0

1	2	3	4	5	6	7
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
पुडुचेरी	0	0	0	0	2	0
कुल	1939	3	2635	3	2680	1

- नोट : 1. *वर्ष 2008 के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. एन.आर. अर्थात् 'सूचित नहीं किया गया।'

विवरण-VI

2006-2009 के दौरान लेप्टोस्पाइरोसिस के राज्यवार मामले और उससे होने वाली मौतें

क्र.सं.	राज्य	2006		2007		2008		2009 (जून तक)	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1.	अंडमान	130	17			64	15	23	4
2.	महाराष्ट्र	1189	58	1403	88	1142	60	2	0
3.	कर्नाटक	373	27	76	6	103	10		
4.	तमिलनाडु	1894	0	252	0	763		0	0
5.	केरल	1811	106	294	15	918	65	620	37
6.	गुजरात	657	124	507	123	539	109	0	0
	कुल	6054	332	2532	235	3526	259	645	41

विवरण-VII

राष्ट्रीय वेक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्यों के लिए 2006-07 से 2009-10 तक केंद्रीय सहायता का आबंटन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1910.55	1973.85	2277.79	1818.07

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	625.30	878.08	1284.60	1015
3.	असम	3363	3341.9	3755.69	4379.44
4.	बिहार	2633.31	2066.5	3447.91	3772.91
5.	छत्तीसगढ़	2181.79	2228.86	2405.16	2681.7
6.	गोवा	56.86	178.45	107.81	60.15
7.	गुजरात	1351.55	1702.84	1324.39	941.17
8.	हरियाणा	195	142.84	221.58	120.29
9.	हिमाचल प्रदेश	46.35	17.8	14.80	5.7
10.	जम्मू और कश्मीर	46.91	18.6	34.78	17.95
11.	झारखंड	3352.46	2975.08	3448.43	4450.63
12.	कर्नाटक	583.56	911.15	841.34	570.05
13.	केरल	409.58	297.92	520.82	332.33
14.	मध्य प्रदेश	2074.02	2179.13	2011.79	1802.45
15.	महाराष्ट्र	1523.84	1905.85	1680.83	961.61
16.	मणिपुर	488.61	688.29	595.05	637.5
17.	मेघालय	693.61	709.74	960.01	1129.42
18.	मिजोरम	549.68	685.75	739.63	888.76
19.	नागालैंड	748	790.02	838.17	868.44
20.	उड़ीसा	4625.94	3741.83	3863.83	4075.96
21.	पंजाब	114.87	96.93	212.39	107.35
22.	राजस्थान	1184.22	1896.29	1985.50	765.7
23.	सिक्किम	33.97	20.61	20.01	14.66
24.	तमिलनाडु	596.71	606.79	923.94	534.14

1	2	3	4	5	6
25.	त्रिपुरा	731.07	858.32	1094.07	1403.02
26.	उत्तर प्रदेश	1937.34	2151.5	3183.08	2856.03
27.	उत्तरांचल	53.01	210.59	57.47	57.08
28.	पश्चिम बंगाल	2138.17	2513.67	5373.06	4176.43
29.	दिल्ली	122.85	156.67	141.96	54.42
30.	पांडिचेरी	51.46	40.08	71.49	43.77
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	247.39	53.1	315.78	427.78
32.	चंडीगढ़	57.29	27.95	94.16	50.63
33.	दादरा और नगर हवेली	56.01	16.6	69.16	67.52
34.	दमन और दीव	26.91	12.93	27.54	27.01
35.	लक्षद्वीप	18.86	11.52	59.75	24.25
कुल		34829.70	36108.00	44003.77	41139.32'

*संशोधित अनुमान 2009-10 में बढ़ने का अनुमान है।

विवरण-VIII

वेक्टरवाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा
की गई पहल

मलेरिया:-

- निगरानी तथा उपचार करने के लिए बहुप्रयोजनी कार्यकर्ताओं, पुरुष प्रयोगशाला प्रविधिज्ञों, जिला वेक्टरवाहित रोग परामर्श दाताओं, मलेरिया तकनीकी पर्यवेक्षकों को उपलब्ध करा कर तथा आशाओं के सहयोग से मानव संसाधन को मजबूत करना।
- पी.फाल्सीपेरम (पी.एफ.) रोगियों के शीघ्र निदान के लिए द्रुत निदान जांच किटों का इस्तेमाल बढ़ाना।
- मृत्यु दर घटाने के लिए पी.एफ. रोगियों हेतु मलेरिया रोधी-एसीटी का प्रचलन करना।
- मच्छरदानियों का प्रयोग बढ़ाना और कार्यक्रम में प्रयोगार्थ दीर्घ टिकाऊ किटनाशक नेटों का उपयोग कराना।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन खासकर छिड़काव के पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण को गहन करना।

डेंगू/चिकनगुनिया:-

- भारत सरकार ने देश में डेंगू/चिकनगुनिया के निवारण एवं नियंत्रण हेतु एक कार्यनीतिक योजना तैयार की है और उसे राज्य (राज्यों) को क्रियान्वयनार्थ भेजा है।

- निदान सुविधाएं 137 प्रहरी निगरानी अस्पतालों तथा 13 शीर्ष विचारार्थ प्रेषण प्रयोगशालाओं के जरिए सुदृढ़ की गई।
- परिधीय स्तर पर निदान किटों को आपूर्ति को पर्याप्त करना।
- कमजोर वर्गों में रोगवाहक जनता का अनुवीक्षण करना।
- रोग प्रबंधन करने वाले चिकित्सा अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना।
- समुदायिक निहित के सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)/व्यवहार परिवर्तन संदेश (बीसीसी) क्रियाकलापों के जरिए गहन सामाजिक एक जुटता का अभियान चलाना।

जापानी एन्सेफलाइटिस (जे.ई.)

- भारत सरकार ने राज्यों को निगरानी सुदृढ़ीकरण तथा रोग प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- निदान सुविधाएं 51 प्रहरी तथा 13 शीर्ष विचारार्थ प्रेषण प्रयोगशालाओं में मजबूत की गई जिन्हें निदान किटों की आपूर्ति की गयी है।
- भारत सरकार ने व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी) को घटक के रूप में एकल मात्रा वाली अद्यतन तनूकृत जापानी एन्सेफलाइटिस टीका (एसए-14-14-2) के साथ एन्सेफलाइटिस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1 से 15 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए शिविर लगाकर की है। टीकाकरण के बाद नये समूहों (1-2 वर्ष के बीच के बच्चे) को शामिल करते हुए नेमी व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में समेकन किया जा रहा है। 2006 में 4 राज्यों के 11 जिले लाभान्वित किए गए। इसे 10 राज्यों के 28 जिलों में 2007 के दौरान लागू किया गया। 2008 में 10 राज्यों के 22 जिले लाभान्वित किए गए जिनमें उत्तर प्रदेश के 9 जिले हैं।
- 2009 में एन्सेफलाइटिस टीकाकरण मुहिम उत्तर प्रदेश के 7 जिलों और असम के 3 जिलों में पूरी की गई है। यह मुहिम पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं गोवा प्रत्येक के

2 जिलों में चल रही है।

- एक वेक्टरवाहित रोग निगरानी एकक तथा एक एन्सेफलाइटिस लघु दफ्तर बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थापित किया गया।
- चेतावनियां सभी राज्यों को नियमित रूप से भेजी जाती हैं और नियमित समीक्षाएं वरिष्ठ स्तर पर की जाती हैं।
- इसके अलावा बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में 50 स्तरों वाले तीव्र एन्सेफलाइटिस संलक्षण (ईईएस)/जापानी एन्सेफलाइटिस उपचार सुविधा की स्थापना करने के लिए 5.88 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत 2009-10 के दौरान आबंटित की गयी है।

युवाओं में हृदय रोग

*169. शेख सैदुल हक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर युवाओं में हृदय रोग के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस रोग के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा "गैर-संचारी रोग के भार का मूल्यांकन" पर किए गए अध्ययन के अनुसार आइकेमिक हृदय रोग (आईएचडी) की संख्या 1998 में 18.6 मिलियन से बढ़कर 2004 में 22.37 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था।

युवा जनसंख्या में इस रोग की व्यापकता के अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

चार प्रमुख जोखिम कारक जो कोरोनरी हृद रोगों सहित चिरकारी गैर संचारी रोग के होने के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं, इस प्रकार हैं:-

1. तंबाकू का इस्तेमाल, धूम्रपान, तंबाकू उत्पादों को चबाना;
2. शराब का इस्तेमाल;
3. शारीरिक निष्क्रियता; और
4. अस्वास्थ्यकर आहार।

(ग) स्वस्थ जीवनशैली हृदय की बीमारियों सहित अनेक गैर संचारी रोगों को रोक सकता है। शीघ्र पता लगाने और उपचार करने से भी हृदय रोगों में होने वाली जटिलताओं से बचा जा सकता है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मधुमेह, हृदवाहिका रोग और आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीडीसीएस) के लिए 1660.50 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है। एनपीडीसीएस को 10 राज्यों के 10 जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

*170. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में सुनामी, अत्यधिक वर्षा और सूखे जैसी असामान्य मौसम संबंधी स्थितियां वैश्विक तापन का प्रभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने वैश्विक तापन के कारण हुए जलवायु परिवर्तन और देश पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे पर हुई चर्चाओं और इनमें हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(च) जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार की क्या कार्ययोजना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) वैश्विक तापमान तथा सुनामी, अत्यधिक वर्षा होने और सूखा पड़ने के बीच कोई स्पष्ट कार्य-कारण निर्धारित नहीं किया गया है।

सुनामी मुख्यतः समुद्र के नीचे भूकंप आने के कारण पैदा होती है। मानसून की वर्षा विभिन्न स्थानिक और कालिक पैमानों के अनुसार अलग-अलग होती है। अत्यधिक वर्षा होने की घटनाएं, जो कुछ इक्का-दुक्का स्थानों पर होती है (जैसे कि मुंबई और राजस्थान में भारी वर्षा), पूर्णतः स्थानिक होती है तथा ये भारतीय मानसून प्रणाली की प्राकृतिक परिवर्तनीयता का ही भाग हैं। यद्यपि हाल ही में किए गए कुछ अध्ययनों से पिछले 40-50 वर्षों के दौरान अत्यधिक वर्षा होने की बारंबारता और तीव्रता बढ़ने का संकेत मिलता है, परंतु यह भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि वैश्विक तापन इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन संबंधी अन्तर-सरकारी पैनल की हाल ही की रिपोर्ट (आईपीसीसी-एआर4, 2007) तथा क्षेत्रीय जलवायु माडलों का प्रयोग करके किए गए हमारे देश के अपने मूल्यांकन से पता चलता है कि भारत सहित विश्व भर में 21 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अत्यधिक वर्षा होने की घटनाएं संभवतः अधिक होंगी। जहां तक अन्य मौसम के अत्यधिक खराब होने का संबंध है, इसके कई कारण हैं जिन्हें सदैव जलवायु परिवर्तन से नहीं जोड़ा जा सकता है। देश में 19 वर्षों में सूखा पड़ा है। सूखा पड़ने के वर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। देखे गए रुझान, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा रखे गए पिछले 130 वर्षों के सहायक रिकार्डों पर आधारित हैं। जलवायु में देखे गए और अनुमान लगाए गए परिवर्तनों का ब्यौरा सर्वप्रथम जून, 2004 में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को भेजे गए भारत के प्रारंभिक राष्ट्रीय भूत (नेटकॉम) में सूचित किया गया था। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इस कार्य का समन्वयन किया गया था, जो अब दूसरी नेटकाम रिपोर्ट पर कार्य कर रहा है।

- यद्यपि, मानसून की वर्षा का अखिल भारतीय स्तर पर कोई रुझान नहीं दिखाई देता है, परंतु प्रादेशिक स्तर के

क्षेत्रों में वृद्धि के रुझान दिखाई देते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि भारी वर्षा होने की घटनाओं में वृद्धि होने के लिए वैश्विक तापन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

- सतही वायु के औसत वार्षिक तापमानों में पिछली शताब्दी के दौरान करीब 0.5 डिग्री से/100 वर्ष की दर से काफी गरमी दिखाई देती है तथा हाल के डेटा वर्ष 1990 के बाद से इस गर्मी में सतत् वृद्धि दर्शाते हैं तथा इसकी वैश्विक गर्मी की प्रवृत्ति के साथ तुलना की जा सकती है। 1901 के बाद से वर्ष 2006 सबसे गरम वर्ष रिकार्ड किया गया है।
- ग्रीष्म मानसून ऋतु में बड़े पैमाने के सूखे अथवा बाढ़ की बारंबारता में किसी प्रकार की दीर्घकालिक प्रवृत्तियां नहीं देखी गई।
- बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले चक्रवातीय तूफानों की कुल बारंबारता, लगभग स्थिर रही है।
- भारतीय तटवर्ती क्षेत्रों के पिछले ज्वार भाटा मापियों के रिकार्डों के विश्लेषण से समुद्र स्तर में अनुमानतः 1.30 मि.मी/ वर्ष की वृद्धि का पता चलता है।
- इस बात का साक्ष्य है कि हिमालय के हिमनद तेजी से घट रहे हैं, तथापि, यह स्पष्ट नहीं है कि इसके लिए जलवायु परिवर्तन को कहां तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि हिमनदों का घटना, प्राकृतिक दीर्घावधिक हिमनद-अंतर-हिमनद चक्रों के कारण भी होता है।

(ड) भारत, जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया संबंधी कार्य में लगा है तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी) में भाग ले रहा है। सीओपी-8 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का बारहवां सम्मेलन तथा क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की दूसरी बैठक दिसंबर, 2006 में नैरोबी में की गई।

कोपेनहेगन में दिसंबर, 2009 के दौरान आयोजित किए जाने वाले

पक्षकारों के पन्द्रहवें सम्मेलन के लिए चल रही बहुपक्षीय बातचीत से, बाली कार्य योजना (बीएपी) के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन पर दीर्घावधिक सहयोग में वृद्धि होगी।

(च) सरकार ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य शुरू किए हैं:

- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों संबंधी एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं।
- जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन और न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाई का समन्वय करने के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधानमंत्री परिषद की स्थापना की गई है।
- वैश्विक एवं क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन के विज्ञान मुद्दों पर ध्यान देने के लिए उच्च-प्राथमिकता वाला कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें जलवायु परिवर्तन के विज्ञान के क्षेत्र में अंतर-विधात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे में वैश्विक एवं क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन केन्द्र की स्थापना करना भी शामिल है।
- जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत एक स्थायी संस्थागत तंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जो विकास एवं समन्वय की भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने 30 जून, 2008 को जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का शुभारंभ किया।
- राष्ट्रीय कार्य योजना में सौर ऊर्जा, बढ़ी हुई ऊर्जा क्षमता, सतत आवास, जल, हिमालय पारि-प्रणाली को बनाए रखना, हरित भारत, सतत् कृषि एवं जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यनीतिक ज्ञान के विशेष क्षेत्रों में आठ मिशन निर्धारित हैं। राष्ट्रीय कार्य योजना के केन्द्र बिंदु वाले आठ राष्ट्रीय मिशन जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहु-आयामी, दीर्घावधिक तथा एकीकृत कार्यनीतियों के परिचायक हैं।

विवरण

1901 से 2008 के दौरान निम्नलिखित वर्षों में
भारत में सूखा पड़ा

1901

1904

1905

1911

1918

1920

1941

1951

1965

1966

1968

1972

1974

1979

1982

1986

1987

2002

2004

वर्ष 1901 से 2008 तक कुल 19 वर्षों में सूखा पड़ा।

[अनुवाद]

देश में कोयला खानें

*171. श्री निशिकांत दुबे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की
कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में भूमिगत और खुले
मुहानों वाली कोयला खानों की कंपनी-वार और राज्य-वार संख्या कितनी
है;

९

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान झारखंड राज्य
सहित देश में शुरू की गयी नई कोयला खानों का राज्य-वार ब्यौरा
क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने
हेतु नई कोयला खानें शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा
क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कुल कितना निवेश किए जाने की संभावना
है और इस संबंध में किन स्रोतों से धनराशि जुटाई जाएगी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) :

(क) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी
लि. (एससीसीएल) में 1.4.2009 की स्थिति के अनुसार भूमिगत और
ओपनकास्ट खानों की कंपनी-वार एवं राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-1
में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में सीआईएल तथा
एससीसीएल में राज्य-वार खोली गई नयी खानें संलग्न विवरण-1 में
दी गई है।

(ग) से (ङ) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) में 134
परियोजनाओं की पहचान की गई है, जो 26006.68 करोड़ रु. के
अनुमानित निवेश से 308.94 मि.टन प्रतिवर्ष की अंतिम क्षमता हेतु
11वीं योजना अवधि के दौरान शुरू की जाएगी। इनमें से 65 परियोजनाएं
8593.80 करोड़ रु. के निवेश से 155.42 मि.टन प्रतिवर्ष की क्षमता
के लिए अनुमोदित की गई है और वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों
में हैं। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) में 22
परियोजनाओं की पहचान की गई है, जो लगभग 4500 करोड़ रु.
के अनुमानित निवेश से 44.50 मि.टन प्रतिवर्ष की अंतिम क्षमता के
लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान शुरू की जाएगी। इनमें से 7
परियोजनाएं 912.20 करोड़ रु. के निवेश से 15.05 मि.टन प्रतिवर्ष
की क्षमता के लिए अनुमोदित की गई हैं और कार्यान्वयन के विभिन्न
चरणों में हैं। सीआईएल के मामले में प्रस्तावित निवेश लगभग समग्र
रूप से आंतरिक संसाधनों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना

है तथा एससीसीएल के मामले में इसे आंतरिक संसाधनों के साथ-साथ है। परियोजनाओं के राज्यवार तथा स्थान-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-॥
अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से वित्त-पौषित किया जाना में दिए गए हैं।

विवरण-1

तालिका-क

1.4.2009 की स्थिति के अनुसार (अनंतिम) सीआईएल और एससीसीएल की खानों की सूची

कंपनी	राज्य	भूमिगत खानें	ओपनकास्ट खानें	मिश्रित खानें	कुल खानें
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	पश्चिम बंगाल	73	15	6	94
	झारखंड	9	6	1	16
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	पश्चिम बंगाल	2	1	0	3
	झारखंड	45	17	17	79
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	झारखंड	24	36	2	62
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	मध्य प्रदेश	0	5	0	5
	उत्तर प्रदेश	0	5	0	5
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	मध्य प्रदेश	22	7	4	33
	महाराष्ट्र	21	32	0	53
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	मध्य प्रदेश	28	8	0	36
	छत्तीसगढ़	41	13	1	55
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	उड़ीसा	9	15	0	24
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एन.ई.सी.)	असम	4	3	0	7
	मेघालय	1	0	0	1
कोल इंडिया लि. (सीआईएल)	जोड़	279	163	31	473
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल)	आंध्र प्रदेश	36	14	0	50

तालिका-ख

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में खोली गई
खानों की सूची

राज्य	खानों के नाम
1	2
मध्य प्रदेश	1. ब्लॉक बी (एससीएल)
	2. उरधान (डब्ल्यूसीएल)
	3. अम्माडांड (एसईसीएल)
	4. खैरा (एसईसीएल)
	5. हल्दीबारी (एसईसीएल)
	6. दामनी (एसईसीएल)
छत्तीसगढ़	1. विजय वेस्ट (एसईसीएल)
	2. अमीरी (एसईसीएल)
	3. हल्दीबारी (एसईसीएल)
	4. केटकी (एसईसीएल)

1	2
उत्तर प्रदेश	5. चहल (एसईसीएल)
	1. कृष्णशिला (एससीएल)
महाराष्ट्र	1. घोन्सा (डब्ल्यूसीएल)
	2. इन्दर यूजी से ओसी (डब्ल्यूसीएल)
	3. नवीनकान्दा फेस-1 (डब्ल्यूसीएल)
उड़ीसा	1. कुलदे (एमसीएल)
	2. भूबनेश्वरी (एमसीएल)
असम	1. लेडो (एनईसी)
आंध्र प्रदेश	1. बीपीए ओसी-2 एक्सटेंशन (एससीसीएल)
	2. केटीके-8 इन्क्लाइन (एससीसीएल)
	3. एसआरपी ओसी-1 (एससीसीएल)
	4. डोरली ओसी-1 (एससीसीएल)
	5. केटीके ओसी सेक्टर-1 (एससीसीएल)

विवरण-II

सीआईएल की 11वीं योजना की परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	कंपनी	परियोजना/खान का नाम	प्रकार	स्वीकृति की तारीख	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	अनु. पूंजी (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुमोदित परियोजनाएं							
1.	जेएच	ईसीएल	चित्रा ईस्ट (2.50)	ओसी	अग-07	1.30	112.69
2.	डब्ल्यूबी	ईसीएल	खोट्टाडीह औग. (1.00)	ओसी	दिस-06	0.55	23.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	डब्ल्यूबी	ईसीएल	झांजरा में द्वितीय कॉन्ट. माइनर	यूजी	फर-09	0.51	122.35
4.	डब्ल्यूबी	ईसीएल	नारायणकुरी	यूजी	फर-09	0.54	149.06
5.	डब्ल्यूबी	ईसीएल	बेलबेद (धसाल)	यूजी	फर-09	0.36	69.11
6.	डब्ल्यूबी	ईसीएल	मोहनपुर विस्ता. ओसी	ओसी	जन-08	0.60	14.23
7.	जेएच	सीसीएल	पिपरवार विस्तार ओसी	ओसी	जुला-07	3.50	21.88
8.	जेएच	सीसीएल	अशोक विस्तार ओसीपी	ओसी	दिस-07	3.50	341.66
9.	जेएच	सीसीएल	पूर्णडीह ओसी	ओसी	जुला-08	3.00	210.98
10.	जेएच	सीसीएल	मगध विस्तार ओसीपी	ओसी	अग-08	8.00	236.62
11.	जेएच	सीसीएल	तपिन ओसी	ओसी	अग-08	2.50	264.68
12.	जेएच	सीसीएल	रोहिणी विस्तार ओसी	ओसी	सित-08	1.20	105.67
13.	जेएच	सीसीएल	टर्मी आरपीआर	ओसी	मई-09	1.00	35.54
14.	जेएच	सीसीएल	अमलो ईपीआर	ओसी	मार्च-09	2.50	56.32
15.	जेएच	सीसीएल	तेतारीखर	ओसी	जन-09	2.00	78.60
16.	जेएच	सीसीएल	उरीमारी ईपीआर	ओसी	जन-09	2.00	43.57
17.	जेएच	सीसीएल	चुरी-बेंती कान्ट. माइनर	यूजी	अग-07	0.65	145.44
18.	जेएच	सीसीएल	पारेज ईस्ट यूजी(सीएम)	यूजी	मई-08	0.51	142.67
19.	एमपी	एनसीएल	निगाही विस्तार ओसी (15.00)	ओसी	अक्टू-07	5.00	259.40
20.	एमपी	एनसीएल	दुधीचुआ विस्तार ओसी (15.00)	ओसी	जुला-07	5.00	326.75
21.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	गोकुल ओसी	ओसी	जन-08	1.00	79.83
22.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	गौरी-1 और 2 विस्तार (मर्जर) ओसी	ओसी	नव-07	1.80	13.00
23.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	घुगुस दीप ओसी	ओसी	जन-07	1.50	10.15

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	जुनाद विस्तार ओसी	ओसी	नव-07	0.60	38.76
25.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	न्यू माजरी यूजी से ओसी	ओसी	नव-07	0.80	72.57
26.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	धुपताला ओसी (सस्ती यूजी से ओसी)	ओसी	जून-08	1.70	194.11
27.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	दिनेश (मकरधाकरा-3) ओसी	ओसी	जून-08	3.00	496.40
28.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	घोन्सा विस्तार ओसी (इन्क्लाइन परसोदा यूजी)	ओसी	अग-08	0.60	44.66
29.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	पेनगंगा (मुगोली विस्ता.) ओसी	ओसी	अक्टू-08	3.00	339.77
30.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	चिचोली ओसी	ओसी	अक्टू-08	0.30	24.64
31.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	तेलवासा विस्ता. अनुसूची	ओसी	अक्टू-08	0.70	5.12
32.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	धुरवासा विस्ता. अनुसूची	ओसी	जून-08	0.90	6.89
33.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	वघोदा यूजी	यूजी	अप्रैल-08	0.39	71.73
34.	एमपी	डब्ल्यूसीएल	शारदा यूजी	यूजी	अप्रैल-08	0.32	50.95
35.	एमपी	डब्ल्यूसीएल	धनकासा यूजी	यूजी	जून-08	1.00	152.86
36.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	भकरा यूजी	यूजी	अक्टू-08	0.27	55.28
37.	एमपी	डब्ल्यूसीएल	जमूनिया यूजी	यूजी	फर-09	0.72	127.52
38.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	सोवनेर-4/सोवनेर खान-1 विस्तार यूजी	यूजी	फर-09	0.45	68.17
39.	एमपी	डब्ल्यूसीएल	मोरी ब्लाक यूजी सीएम पैकेज के साथ	यूजी	दिस-08	0.36	67.50
40.	एमपी	डब्ल्यूसीएल	हरादोल (सीएसए)	यूजी	अप्रै-08	0.14	16.36
41.	सीजी	एसईसीएल	जामपल्ली	ओसी	जन-06	2.00	47.72
42.	सीजी	एसईसीएल	बिजारी ओसी	ओसी	जून-06	1.50	23.75
43.	सीजी	एसईसीएल	अम्बिका	ओसी	जून-06	1.00	22.30

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	सीजी	एसईसीएल	पेलमा ओसी	ओसी	जुला-08	10.00	448.32
45.	सीजी	एसईसीएल	करताली ईस्ट ओसी	ओसी	जुला-08	2.50	178.44
46.	सीजी	एसईसीएल	राय वेस्ट (बराउद विस्तार) ओसी	ओसी	जुला-08	3.00	135.58
47.	सीजी	एसईसीएल	कुसमुंडा विस्तार (15 एमटीवाई)	ओसी	जून-08	5.00	450.56
48.	सीजी	एसईसीएल	जगन्नाथपुर (महान-3 और 4) ओसी	ओसी	सित-08	3.00	152.43
49.	एमपी	एसईसीएल	बतूरा ओसी	ओसी	सित-08	2.00	203.82
50.	सीजी	एसईसीएल	चुर्चा आरओ यूजी	यूजी	जून-08	1.35	462.35
51.	ओआर	एमसीएल	भरतपुर विस्तार-3 ओसी	ओसी	फर-07	9.00	131.39
52.	ओआर	एमसीएल	समलेश्वरी विस्तार फेस-37 मिट प्रतिवर्ष (2 मिटप्रतिवर्ष वृद्धिक)	ओसी	अप्रैल-07	2.00	87.95
53.	ओआर	एमसीएल	भूबनेश्वरी विस्तार ओसी	ओसी	दिस-07	10.00	153.42
54.	ओआर	एमसीएल	कनिया विस्तार ओसी	ओसी	दिस-07	6.50	361.59
55.	ओआर	एमसीएल	बलराम विस्तार ओसी	ओसी	दिस-07	8.00	172.08
56.	ओआर	एमसीएल	लिंगराज विस्तार फेस-2 ओसी	ओसी	अग-06	3.00	2.18
57.	ओआर	एमसीएल	अनंता विस्तार (15 मिटप्रतिवर्ष- वृद्धिक सुभद्रा ब्लाक)	ओसी	अग-08	3.00	207.28
58.	ओआर	एमसीएल	लखनपुर विस्तार फेस-2	ओसी	सित-08	5.00	116.54
59.	ओआर	एमसीएल	हिंगुला विस्तार (15-वृद्धिक 7 मिटप्रतिवर्ष)	ओसी	नव-08	7.00	292.54
60.	ओआर	एमसीएल	बसुंधरा (वेस्ट) विस्तार (7.00 मिटप्रतिवर्ष)	ओसी	मार्च-09	4.60	46.52
61.	ओआर	एमसीएल	एचबीआई (औग.) यूजी	यूजी	अप्रैल-08	0.90	27.86
62.	एसएम	एनईसी	लेडो मैक. ओसीपी	ओसी	मार्च-06	0.25	41.37

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	एएसएम	एनईसी	टिकाक ईस्ट विस्तार	ओसी	मार्च-06	0.20	25.22
64.	एएसएम	एनईसी	तिरप ओसीपी	ओसी	जुला-08	0.60	49.71
65.	एएसएम	एनईसी	लेखापानी ओसीपी	ओसी	जुला-08	0.25	56.39
उप-जोड़						155.42	8593.80

अनुमोदित की जाने वाली परियोजनाएं

1.	डब्ल्यूबी	ईसीएल	सोनपुर बाजारी कॉम्ब (3 से 8 एमटीवाई)	यूजी		5.00	495.09
2.	डब्ल्यूबी	ईसीएल	तिलाबोनी	यूजी		2.00	145.40
3.	डब्ल्यूबी	ईसीएल	कुनुस्टोरिया दोबराना	यूजी		0.54	144.80
4.	डब्ल्यूबी	ईसीएल	रंगमाटी "ए"	यूजी		0.36	65.00
5.	डब्ल्यूबी	ईसीएल	रंगमाटी "बी"	यूजी		0.36	78.06
6.	जेएच	बीसीसीएल	कपूरिया (2.00)	यूजी		2.00	900.00
7.	जेएच	बीसीसीएल	नार्थ और साउथ तिसरा (2.00)	ओसी		6.00	981.40
8.	जेएच	बीसीसीएल	ब्लाक-4	ओसी		3.25	600.00
9.	जेएच	बीसीसीएल	ब्लाक-3 ओसीपी (वृद्धिक एसओपीसी और एमओसीपी)	ओसी		1.00	800.00
10.	जेएच	बीसीसीएल	मधुबंद और फुलारीटांड रि-आर्गे.	यूजी		1.00	250.00
11.	जेएच	बीसीसीएल	ब्लाक-2 ओसीपी और	ओसी		1.00	250.00
12.	जेएच	सीसीएल	कोइद/मनातू ओसी	ओसी		5.00	650.00
13.	जेएच	सीसीएल	पचरा इन्टिग्रेटिड ओसी	ओसी		3.00	450.00
14.	जेएच	सीसीएल	पिचारी/पिचारी विस्ता. ओसी	ओसी		3.00	250.00
15.	जेएच	सीसीएल	डीआरडी ओसी	ओसी		2.00	220.00
16.	जेएच	सीसीएल	अश्वा नार्थ साउथ ओसी	ओसी		2.00	200.00

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	जेएच	सीसीएल	गोडो ओसी	ओसी		2.00	275.47
18.	जेएच	सीसीएल	चानो-रिकबा ओसी	ओसी		2.00	175.00
19.	जेएच	सीसीएल	गोसे-परसाबेरा इन्टेग्रे. ओसी	ओसी		2.00	175.00
20.	जेएच	सीसीएल	पारेज वेस्ट ओसी	ओसी		1.00	125.00
21.	जेएच	सीसीएल	केडला ईपीआर ओसी	ओसी		2.00	300.00
22.	जेएच	सीसीएल	रामगढ़-2 वेस्ट ओसी	ओसी		1.00	175.00
23.	जेएच	सीसीएल	खैसईडीह ओसी	ओसी		1.00	100.00
24.	जेएच	सीसीएल	अशोक (वेस्ट) ओसी	ओसी		10.00	226.25
25.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	चिकलगांव और चिचला मर्जड ओसी	ओसी		3.00	800.00
26.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	मुरपुर विस्तार यूजी (इन्क्लाइन भनसुली और सुरमांजरी)	यूजी		3.00	300.00
27.	एमपी	डब्ल्यूसीएल	धनवा यूजी	यूजी		0.50	150.00
28.	एमपी	डब्ल्यूसीएल	नंद 1 यूजी	यूजी		0.70	135.89
29.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	बोरदा (नार्थ आफ घोंसा) यूजी	यूजी		0.96	85.40
30.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	न्यू माजरी सेक.-ए विस्तार ओसी	ओसी		1.50	100.00
31.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	उकनी दीप ओसी	ओसी		2.00	173.43
32.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	मोताघाट ओसी	ओसी		1.00	96.96
33.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	नीलजय दीप ओसी	ओसी		2.50	300.00
34.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	पदमपुर दीप ओसी	ओसी		1.00	120.00
35.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	पौनी-3 ओसी	ओसी		1.00	120.00
36.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	कम्पटी दीप ओसी	ओसी		1.00	120.00
37.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	पौनी दीप ओसी	ओसी		0.60	100.00
38.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	बेलोरा/नयागांव दीप ओसी	ओसी		1.00	112.93

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	येकोना-1 विस्तार	ओसी		0.60	100.00
40.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	येकोना-2 विस्तार	ओसी		0.60	100.00
41.	एमएस	डब्ल्यूसीएल	भाटडीह नार्थ वेस्ट ओसी	ओसी		1.00	120.00
42.	सीजी	एसईसीएल	गेवरा विस्तार (35 एमटीवाई)	ओसी		10.00	780.11
43.	सीजी	एसईसीएल	दीपिका विस्तार (25 एमटीवाई)	ओसी		5.00	574.95
44.	सीजी	एसईसीएल	बदौली विस्तार यूजी	यूजी		0.78	149.76
45.	सीजी	एसईसीएल	बोडरी/बोडरी नार्थ यूजी	यूजी		0.36	90.00
46.	सीजी	एसईसीएल	अमृतधारा यूजी	यूजी		0.48	67.00
47.	सीजी	एसईसीएल	बकुलमुनी	यूजी		0.36	53.93
48.	सीजी	एसईसीएल	जमदई यूजी	यूजी		0.36	53.00
49.	सीजी	एसईसीएल	गुमगांवा यूजी	यूजी		0.36	53.00
50.	सीजी	एसईसीएल	पाठकपुर	यूजी		0.66	109.67
51.	सीजी	एसईसीएल	अम्बा यूजी	यूजी		0.24	52.35
52.	सीजी	एसईसीएल	विजय (ईस्ट)	यूजी		0.40	53.00
53.	सीजी	एसईसीएल	पोरदा	ओसी		3.00	150.00
54.	सीजी	एसईसीएल	चिमतापानी ओसी	ओसी		5.00	125.00
55.	सीजी	एसईसीएल	रे ईस्ट ओसी	ओसी		2.00	100.00
56.	सीजी	एसईसीएल	दुर्गापुर ओसी	ओसी		4.00	150.00
57.	ओआर	एमसीएल	सियारमल	ओसी		8.00	350.00
58.	ओआर	एमसीएल	सियारमल (डब्ल्यू) विस्तार	ओसी		6.00	250.00
59.	ओआर	एमसीएल	बालभद्रा	ओसी		6.00	175.00
60.	ओआर	एमसीएल	कलिंगा ओसी विस्तार (कोर्णाक)	ओसी		2.00	125.00

1	2	3	4	5	6	7	8
61.	ओआर	एमसीएल	कलिंगा (वेस्ट) ओसी	ओसी		4.00	150.00
62.	ओआर	एमसीएल	छेंदीपाड़ा विस्तार/बैतारानी (ईस्ट)	ओसी		5.00	75.00
63.	ओआर	एमसीएल	मधुपुर	ओसी		2.00	50.00
64.	एमपी	एनसीएल	जयंत विस्तार ओसी (15.00)	ओसी		5.00	1060.03
65.	एसएम	एनईसी	तिपोंग ओसीपी	ओसी		0.50	100.00
66.	एसएम	एनईसी	पीक्यू ब्लाक ओसीपी	ओसी		0.15	50.00
67.	एसएम	एनईसी	टिकाक विस्तार ओसी	ओसी		0.40	400.00
68.	एसएम	एनईसी	जगुन ब्लाक	ओसी			
69.	एसएम	एनईसी	लचितखानी ओसीपी	ओसी		1.00	1000.00
उप-जोड़						153.52	17412.88
134	कुल जोड़-सीआईएल					308.94	26006.68

एससीसीएल की 11वीं योजना की परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	कंपनी	परियोजना/खान का नाम	प्रकार	स्वीकृति की तारीख	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	अनु. पूंजी (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुमोदित परियोजनाएं

1.	एपी	एससीसीएल	केटीके एलडब्ल्यू	यूजी	दिस-08	2.75	453.63
2.	एपी	एससीसीएल	रामपुर	यूजी	मार्च-07	1.50	270.00
3.	एपी	एससीसीएल	ओसीपी- एमएनजी विस्तार	ओसी	जून-07	4.00	44.21
4.	एपी	एससीसीएल	आरजी ओसी-3 विस्तार	ओसी	अक्टू-07	4.30	43.12
5.	एपी	एससीसीएल	शिवलिंगपुरम	ओसी	जन-08	1.50	50.46
6.	एपी	एससीसीएल	वकीलपल्ली बीजी	यूजी	दिस-08	0.49	31.49

1	2	3	4	5	6	7	8
	एपी	एससीसीएल	कोंडापुरम	यूजी	दिस-08	0.51	19.29
7.			उप-जोड़			15.05	912.20
अनुमोदित की जाने वाली परियोजनाएं							
1.	एपी	एससीसीएल	केटीके 9 एलडब्ल्यू	यूजी		2.10	525.00
2.	एपी	एससीसीएल	केटीके 5 एलडब्ल्यू	यूजी		2.10	525.00
3.	एपी	एससीसीएल	चन्द्ररूपल्ली-महादेवपुर	ओसी		1.00	150.00
4.	एपी	एससीसीएल	कोयागुडेम यूजी-1	यूजी		0.50	90.00
5.	एपी	एससीसीएल	कोयागुडेम यूजी-2	यूजी		0.50	90.00
6.	एपी	एससीसीएल	किस्ताराम	ओसी		2.00	206.51
7.	एपी	एससीसीएल	आरजी ओसी-2 विस्तार	ओसी		4.00	389.75
8.	एपी	एससीसीएल	आरकेपी ओसी	ओसी		2.50	228.94
9.	एपी	एससीसीएल	के.के.	ओसी		1.75	362.38
10.	एपी	एससीसीएल	जेवीआर ओसी-2	ओसी		4.00	474.64
11.	एपी	एससीसीएल	आरजी ओसी-3 विस्तार फेस-2	ओसी		1.50	212.55
12.	एपी	एससीसीएल	पेड्डापुरम	ओसी		1.50	212.55
13.	एपी	एससीसीएल	मनगुरू ओसी-2 विस्तार फेस-2	ओसी		3.00	एफआर तैयार की जा रही है
14.	एपी	एससीसीएल	पेड्डापुर थिक सीम	ओसी		1.50	एफआर तैयार की जा रही है
15.	एपी	एससीसीएल	आरकेपी ओसी-2	ओसी		1.00	एफआर तैयार की जा रही है
15.			उप-जोड़			29.45	3608.31
22			कुल जोड़ - एससीसीएल			44.50	4520.51

**ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बाढ़ और भू-कटाव से
बचाव की व्यवस्था**

*172. श्री बदरुद्दीन अजमल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के गठन की तारीख और इसके अधिकार क्षेत्र का दायरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की गई बाढ़ और भू-कटाव से बचाव संबंधी योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बाढ़ और भू-कटाव से बचाव की व्यवस्था संबंधी किसी दीर्घकालिक प्रणाली पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन 3 सितम्बर, 1980 को "ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46)" नामक संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था। इस बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम राज्य एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन में पड़ने वाले पश्चिम बंगाल के भाग आते हैं।

(ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गई बाढ़ एवं कटाव से सुरक्षा संबंधी राज्यवार स्कीमें नीचे दी गई हैं:-

असम

1. ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप की सुरक्षा, चरण-I (2008 के प्राक्कलन के अनुसार संशोधित लागत 56.07 करोड़ रुपये)। यह कार्य फरवरी, 2005 में प्रारंभ किया गया था और इसे दिसम्बर, 2009 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम था। 93% कार्य पूरा कर लिया गया है। कार्य का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दर्शाया गया है।

2. जनवरी, 2008 में स्थायी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर माजुली द्वीप की सुरक्षा के लिए आपातक कार्य (अनुमानित लागत 4.99 करोड़ रुपये)। यह कार्य सितम्बर, 2008 में पूरा कर लिया गया था। कार्य का ब्यौरा विवरण-I में दर्शाया गया है।

3. बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप की सुरक्षा, चरण-II एवं चरण-III (टीएसी द्वारा इस स्कीम को 115.03 करोड़ रुपये की स्वीकृति)। कार्य का ब्यौरा विवरण-I में दर्शाया गया है। अधिकांश कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इस कार्य को मार्च, 2012 तक पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है।

4. 8.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तिनसुकिया जिले में धौला हातीघुली में ब्रह्मपुत्र नदी का एवल्सन, चरण-III मार्च, 2007 में प्रारंभ किया गया था और मार्च, 2008 में इसे पूरा किया गया। तथापि, 2008 मानसून में क्षतिग्रस्त हुई कुछ स्क्रीनों में दिसम्बर, 2009 तक सुधार किए जाने का कार्यक्रम है। कार्य का ब्यौरा विवरण-I में दर्शाया गया है।

5. धौला हातीघुली में ब्रह्मपुत्र नदी का एवल्सन, चरण-IV। इस स्कीम को ईएफसी द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार 23 करोड़ रुपये की राशि से प्रारंभ किए जाने वाले कार्य के लिए तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। यह कार्य चालू वर्ष के दौरान प्रारंभ कर दिया गया है। कार्य का ब्यौरा विवरण-I में दर्शाया गया है।

6. फरवरी, 2009 तक 4.89 करोड़ रुपये की लागत से पुथीमारी नदी की बाढ़ और कटाव से नागरीजुली, रंगिया शहर और मुकमुआ/बोरभाग क्षेत्र का कटावरोधी कार्य पूरा कर लिया गया है।

नागालैंड

1. दीमापुर में धनसिरी नदी से कुशियाबिल और दुर्गाजन गांव की सुरक्षा चरण-II। 1.08 करोड़ रुपये की लागत का कार्य फरवरी, 2007 में प्रारंभ किया गया और इसे 2007-08 में पूरा किया गया।

(ग) प्रत्येक परियोजना पर आबंटित एवं खर्च की निधि का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के बाढ़ नियंत्रण के लिए दीर्घावधिक कार्यनीति का उल्लेख ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ब्रह्मपुत्र की मुख्य शाखा की मास्टर योजनाओं में किया गया है। ये दीर्घावधिक कार्यनीतियां हैं:-

- (1) बहुउद्देश्यीय भण्डारण बांध परियोजनाओं का निर्माण।
- (2) वाटरशेड प्रबंधन।
- (3) नदी प्रशिक्षण कार्य।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई मास्टर योजनाओं के माध्यम से ब्रह्मपुत्र एवं इसकी वितरिकाओं पर बहुउद्देश्यीय भण्डारण बांधों के निर्माण के लिए सक्षम स्थलों की पहचान की गई है।

जल राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी एवं बाढ़ रोधी कार्य की आयोजना, कार्यान्वयन एवं वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है और केन्द्र सरकार तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

नवम्बर, 2007 में भारत सरकार ने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी, जल निकास विकास, बाढ़ रोधी कार्य के कार्यान्वयन और क्षतिग्रस्त बाढ़ प्रबंधन कार्य के पुनरुद्धार के लिए राज्यों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय योजना के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) का अनुमोदन किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में 90 (केन्द्रीय हिस्सा):10 (राज्य का हिस्सा) के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण-I

(क) माजुली द्वीप की सुरक्षा संबंधी कार्य का ब्यौरा चरण-1

- पारगम्य स्क्रीनों (आरसीसी पोरकुपाइनों से बनी हुई)
- सड़क-सह-तटबंध (90.7 कि.मी. की मरम्मत एवं रखरखाव)
- तट पलस्तरन, भू-स्तरों के अग्रभाग की मरम्मत
- वास्तविक माडल लगाया जाना

कार्य की समीक्षा करने के लिए स्थाई विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर जिस आपातक कार्य के संबंध में जनवरी, 2008

में उपयुक्त उपाय सुझाए गए उसे सितम्बर, 2008 में पूरा किया गया।

- शलमारा खंड के प्रतिप्रवाह एवं अनुप्रवाह पर पारगम्य स्क्रीनें (आरसीसी पोरकुपाइनों से बनी हुई)।
- दक्खिनपट खंड पर 7.5 कि.मी. आरसीसी पोर्कुपाइन स्क्रीन।
- जेंगरई एवं बोरपोमुख में स्क्रीनों की मरम्मत की गई एवं उन्हें सुदृढ़ किया गया।

चरण-II एवं III

- विशिष्ट स्थानों पर पारगम्य आरसीसी पोर्कुपाइन स्पर एवं स्क्रीन।
- माडल अध्ययनों की सिफारिशों के आधार पर अलग-अलग लम्बाई वाले 10 भू-स्तरों का निर्माण।
- उठाये गए एक प्लेटफार्म का निर्माण।
- 500 मीटर में तट पलस्तरन का निर्माण।
- स्लूइस का निर्माण।
- पहले निष्पादित कार्य का रखरखाव।

(ख) धौला हतीधुली में ब्रह्मपुत्र के एवल्सन संबंधी कार्य का ब्यौरा

चरण-III

- 5500 मी. की लम्बाई में धौला घाट से पायलट चैनल तक लोहित नदी पर 7 कतारों वाले आरसीसी पोर्कुपाइन का निर्माण।
- 4000 मी. लम्बाई में पायलट चैनल के बायें तट के साथ 3 कतारों वाले आरसीसी पोर्कुपाइन स्क्रीनों का निर्माण।
- 600 मी. की लम्बाई में सिसिनी के स्पिल चैनल के आफ टेक की लोहित नदी के बायें तट के साथ आरसीसी पोर्कुपाइन स्क्रीन।

- बभारी स्थित देबांग नदी के प्रतिप्रवाह पर 150 मी. की लम्बाई में 3 कतारों वाले आरसीसी पोर्कुपाइन स्क्रीनों का निर्माण एवं इसके बायें तट के साथ टाइबन्ध के अनुप्रवाह पर 1200 मी. की लम्बाई में 4 कतारों वाले आरसीसी पोर्कुपाइन स्क्रीनों का निर्माण।
- मौजूदा पायलट चैनल के अनुप्रवाह में विस्तार का सुधार।

चरण-IV

- जीयो-बैग एप्रोनों से भरे 0.90 मी. मोटे बालू वाले 3650 मी. के लम्बे कौफर बांध सह-तटबन्ध का निर्माण।

- 4600 मी. लम्बे पायलट चैनल का निर्माण।
- लोहित नदी (4 स्थानों पर) के बायें तट का तट स्थिरीकरण।
- 8 (आठ) स्थानों पर आरसीसी पोर्कुपाइन स्क्रीन एवं स्पर।

दिबांग नदी से संबंधित कार्य

- दिबांग नदी पर मौजूदा टाइबन्ध का विस्तार एवं सुदृढीकरण।
- दिबांग नदी के बायें तट पर आरसीसी पोर्कुपाइन कार्य का निर्माण।

विवरण-II

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10 (मई, 2009 तक)	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम									
1.	माजुली द्वीप की सुरक्षा फेज-I	11.50	11.49	7.00	7.44	25.51	17.84	10.50	0.12
2.	माजुली द्वीप की सुरक्षा आपातिक कार्य	—	—	—	—	4.91	3.65	—	—
3.	माजुली द्वीप की सुरक्षा फेज-II और फेज-III	—	—	—	—	—	—	15.38	—
4.	धौला हातीघुली पर ब्रह्मपुत्र का एवल्सन: फेज-III	1.00	1.14	5.00	5.09	2.85	1.91	0.30	—
5.	धौला हातीघुली पर ब्रह्मपुत्र का एवल्सन: फेज-IV	—	—	—	—	—	—	3.7	0.04
6.	नागरीजुली रंगिया शहर एवं मुकलमुवा/बरभाग क्षेत्र की सुरक्षा	—	—	0.50	0.48	3.73	2.98	1.07	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नागालैंड									
1.	कुशियाबिल और दुर्गाजन गांव की सुरक्षा फेज-II	0.70	0.68	0.90	0.84	0.23	0.08	—	—

मुंबई आतंकी हमले संबंधी साक्ष्य का आदान-प्रदान

***173. श्री असादुद्दीन ओवेसी :**
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुंबई आतंकी हमलों में पाकिस्तान की संलिप्तता के संबंध में उसे पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पाकिस्तान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त हमलों के बाद लोगों के समक्ष आ रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) 26-29 नवंबर, 2008 को हुए मुंबई हमले को पाकिस्तान स्थित तत्वों से जोड़ने वाली सामग्री 5 जनवरी, 2009 को पाकिस्तान की सरकार को उपलब्ध कराई गयी थी। तत्पश्चात स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जानकारी उन्हें 13 मार्च और 20 मई, 2009 को दी गयी थी। पाकिस्तान ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान स्थित तत्व मुंबई में हुए आतंकी हमले में शामिल थे और यह कि लश्कर-ए-तैयबा ने इसे अंजाम दिया था तथा इसके लिए जिम्मेदार कहे जाने वाले 5 पाकिस्तानी राष्ट्रियों की गिरफ्तारी की सूचना दी। तथापि, हम पाकिस्तान से यह आशा करते हैं कि वह इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए हमारे द्वारा दी गयी सूचना पर कार्रवाई करे और इस आतंक के जघन्य अपराध के षड्यंत्रकारियों और इसे अंजाम देने वालों को सजा दे।

(ग) और (घ) हमले के परिणामस्वरूप 164 लोग मारे गए थे और 308 लोग घायल हुए थे। सरकार अपने नागरिकों और भूभाग की समुचित सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं संबंधी परियोजनाएं

***174. श्री तथागत सत्पथी :**

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं संबंधी परियोजनाओं और संपर्क स्थापित करने संबंधी विकास पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में इस संबंध में अनेक बुनियादी सुविधाओं संबंधी परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ङ) जी, हां। ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सरकार भारत निर्माण और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) क्रियान्वित कर रही है। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत छह ग्रामीण अवसंरचना घटक शामिल हैं अर्थात् सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्राम टेलीफोन कनेक्टिविटी। बीआरजीएफ को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि मानक सरकारी कार्यक्रमों की तुलना में क्षेत्रीय असंतुलनों में कमी करने संबंधी मुद्दों का अधिक समग्रता के साथ समाधान किया जा सके। इन कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत निर्माण कार्यक्रम

भारत निर्माण अवधि 2005-2009 के दौरान प्राप्त किए जाने वाले वास्तविक लक्ष्य और विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार हैं

घटक	भारत निर्माण के तहत निर्धारित लक्ष्य	इस स्कीम के तहत उपलब्ध कराई गई सहायता	मार्च, 2009 तक सूचित की गई वास्तविक उपलब्धियां
सिंचाई	10 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करना	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	6.518 मिलियन हेक्टेयर
सड़कें	1000 और इससे अधिक जनसंख्या (500 पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों) वाले प्रत्येक आवासस्थलों को बारहमासी सड़कें उपलब्ध करना: शेष 66,802 आवासस्थलों को कवर किया जाएगा। (जमीनी जांच के अनुसार संशोधित सं. 59564	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	31927 आवासस्थलों को कवर किया गया
विद्युत	शेष 1,25,000 गांवों और 23 मिलियन परिवारों को बिजली	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	62520 गांवों और 62.53 लाख बीपीएल परिवारों को बिजली पहुंचाई गई
आवास	60 लाख घरों का निर्माण करना	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	71.76 लाख घरों का निर्माण हुआ
पेयजल	2009 तक कवर न किए गए 55,067 आवासस्थलों को पेयजल मुहैया करना। असफल स्रोतों और जल गुणवत्ता की समस्या वाले सभी आवासस्थलों को कवर किया जाएगा।	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)	52040 कवर न किए गए आवासस्थलों को पेयजल मुहैया कराया गया और (331604 आवासस्थलों के लक्ष्य की तुलना में) और 259628 गुणवत्ता प्रभावित आवासस्थलों (2,16,968 आवासस्थलों के लक्ष्य की तुलना में) को कवर किया गया।
दूर संचार कनेक्टिविटी	2007 तक शेष 66,822 गांवों को टेलीफोन से जोड़ना	यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड (यूएसओ फंड)	57181 गांवों को टेलीफोन से जोड़ा गया।

वर्ष 2005-2009 के दौरान भारत निर्माण कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए 1,09,226.13 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। चालू वर्ष 2009-10 के लिए इस कार्यक्रम के बजट में 45,500 करोड़ रुपए आबंटित किया गया है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)

बीआरजीएफ ने दसवीं योजना के प्रारम्भ में शुरू की गई राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई), को प्रतिस्थापित किया था। बीआरजीएफ के दो घटक हैं; अर्थात् तत्कालीन आरएसवीवाई द्वारा कवर किए गए 147 जिलों सहित 250 जिलों को कवर करता हुआ जिला घटक और बिहार और उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजनाएं। जिला घटक का उद्देश्य अन्य कार्यक्रमों जैसे भारत निर्माण और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (नरेगा), जिन्हें स्पष्ट रूप से ग्रामीण अवसरचक्रात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है और जिन्हें गंभीर अंतरालों को पाटने के लिए अनुपूरण की आवश्यकता होती है, के अभिसरण में सहायता करना और उनका महत्व बढ़ाना है। बिहार के लिए विशेष योजना विद्युत, सड़क सम्पर्कता, सिंचाई, वानिकी और जलसंभर विकास जैसे क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए तैयार की गई है। कोरापुट, बोलांगीर और कालाहांडी के अविभाजित जिले 47,646 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं और इस क्षेत्र में जनजातीय समुदायों की प्रधानता है।

भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार

*175. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विशेषकर युवाओं में भारत की सांस्कृतिक विरासत और उसके मूल्यों के प्रचार-प्रसार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल सहित देश में इस प्रयोजनार्थ केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. वी. नारायणसामी) : (क) भारत की सांस्कृतिक विरासत और मूल्य प्रणालियों का प्रचार-प्रसार संस्कृति मंत्रालय के

अधिदेश का अभिन्न हिस्सा है और इस प्रयोजनार्थ अनेक संस्थान स्थापित किए गए हैं तथा स्कीमें प्रारूपित की गई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और देशभर में फैले संग्रहालय, हमारी सांस्कृतिक विरासत के आगार हैं। अकादमियां, साहित्य, मंच कलाओं तथा दृश्य कलाओं के विविध क्षेत्रों में सांस्कृतिक संवर्धन का कार्य करती हैं। मंत्रालय के तहत बौद्ध एवं तिब्बती अध्ययन संस्थान तथा रामपुर रजा पुस्तकालय और खुदाबक्श ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी जैसे विशेष पुस्तकालय, हमारी विरासत के व्यापक तथा विविध ज्ञान और साहित्य का परिरक्षण करते हैं। सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र विविध लोक संस्कृतियों के संवर्धन का कार्य करते हैं। ये सभी संगठन, समाज के युवा वर्गों सहित आम जनता में विरासत के संबंध में जागरूकता पैदा करने और अधिकाधिक भागीदारी, वित्तीय सहायता एवं आम लोगों की संलिप्तता के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्य प्रणालियों के प्रचार-प्रसार के लिए विविध कार्यकलापों को अंजाम देते हैं। इसके अलावा सीधे तौर पर मंत्रालय द्वारा संस्कृति के क्षेत्र में व्यापक किस्म के कार्यकलापों के संचालन हेतु विभिन्न एजेंसियों तथा व्यक्तियों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए अनेक स्कीमें चलाई जाती हैं।

वैसे तो इस मंत्रालय के कार्यकलाप विभिन्न आयु-वर्गों वाले समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर चलाए जाते हैं, कुछ ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम/कार्यकलाप हैं जिनमें युवाओं तथा बच्चों की विशिष्ट अपेक्षाओं/आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। मंत्रालय तथा इसके संगठनों द्वारा चलाए जा रहे ऐसे सभी कार्यक्रमों का ब्यौरा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है, जिन्हें संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रख दिया गया है।

(ख) और (ग) भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रचार-प्रसार का कार्य देश भर में फैले संस्कृति मंत्रालय के उन 41 संगठनों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है जिन्हें अलग-अलग विशिष्ट और सुनिश्चित उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है। फिलहाल भारत की सांस्कृतिक विरासत और मूल्य प्रणाली के प्रचार-प्रसार हेतु अतिरिक्त केंद्र/संगठन स्थापित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी

*176. श्री वैजयंत पांडा

श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों सहित देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक अपशिष्ट ई-अपशिष्ट में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महानगरों में उत्पन्न हो रहे अपशिष्टों के समुचित निपटान, प्रबंधन और संभलाई के लिए कोई प्रभावी तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अपशिष्ट/ई-अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी के लिए कोई तंत्र बनाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस मामले के समाधान हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), की सूचना के अनुसार देश में परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले 36,165 उद्योग हैं, जो प्रति वर्ष लगभग 6.2 मी. टन खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, जिसमें 2.7 मी. टन लैंडफिल अपशिष्ट, 0.41 मी. टन भस्म करने योग्य अवपशिष्ट और 3.08 मी. टन पुनःचक्रण योग्य खतरनाक अपशिष्ट शामिल हैं।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने खतरनाक अपशिष्टों के उपयुक्त प्रबंधन तथा हथालन के लिए खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारिय आवाजाही) नियमावली, 2008 को अधिसूचित किया है। खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योगों को इन नियमों के अनुसार विनियमित करना अपेक्षित है। राज्य सरकारों का यह उत्तरदायित्व है कि वे पर्यावरण के अनुकूल ठोस ढंग से अपशिष्ट के निपटान हेतु उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थलों की पहचान करें।

(ङ) और (च) परिसंकटमय अपशिष्ट नियमावली 2008 के अनुसार, परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली औद्योगिक यूनिटों के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों से प्राधिकार प्राप्त करना अपेक्षित है। अनुसूची-IV में सूचीबद्ध परिसंकटमय अपशिष्टों का पुनःचक्रण/पुनःप्रसंस्करण करने वाली यूनिटों का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत होना अपेक्षित है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट भी शामिल हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अपशिष्टों के पर्यावरण के अनुकूल ठोस प्रबंधन के लिए मानकों का निर्धारण करता है।

(छ) मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिसंकटमय अपशिष्ट नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। उपर्युक्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर दिशा-निर्देश प्रकाशित किए गए हैं। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां परिसंकटमय अपशिष्टों को उत्पन्न करने वाली यूनिटों की मानीटरिंग कर रहे हैं। यह मंत्रालय उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाओं की स्थापना हेतु लागत भागीदारी के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाओं के कार्यों की मानीटरिंग की जाती है।

नदियों में प्रदूषण

***177. श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा, यमुना, दामोदार, स्वर्णरेखा, करकेई और घग्गर सहित देश की विभिन्न नदियों में कुछ वर्षों के दौरान प्रदूषण बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन नदियों को प्रदूषण-मुक्त बनाने में सरकार के समक्ष आ रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कोई समय-सीमा और प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन नदियों में उद्योगों द्वारा बहाये जाने वाले बहिस्त्राव और गंदा पानी छोड़ने को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (च) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा कराई गई जल की गुणवत्ता मानीटरिंग के अनुसार गंगा, यमुना, दामोदर, सुवर्णरेखा और घग्गर सहित देश की विभिन्न नदियों के 139 प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान की गई है। इन पांच नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण पिछले कई वर्षों में प्रमुख नदियों में प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हुई है। जल का सिंचाई, पीने औद्योगिक उपयोग के अलावा, बिजली व अन्य प्रयोजनों के लिए दोहन होने से यह चुनौती और भी जटिल हो गई है।

नदी संरक्षण केन्द्रीय और राज्य सरकारों का सतत और सामूहिक प्रयास है। नदियों के जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रदूषण उपशमन कार्य केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत अमल में लाए जाते हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में देश के 20 राज्यों में फैली गंगा, यमुना, दामोदर तथा सुवर्णरेखा सहित 37 नदियों के अभिनिर्धारित प्रदूषित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 3926 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है। नदी संरक्षण संबंधी क्रियाकलाप जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एंड मीडियम टाउन्स

जैसी अन्य केन्द्रीय स्कीमों तथा राज्य की स्कीमों के अंतर्गत भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

भूमि अधिग्रहण, सृजित परिसंपत्तियों के प्रचालन और रखरखाव की अपर्याप्त व्यवस्था, अनियमित बिजली आपूर्ति, सीवेज शोधन संयंत्रों का कम उपयोग होना तथा प्रदूषण के नान प्वाइंट स्रोत आदि कारणों से नदी संरक्षण योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा आ रही है।

केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 20-2-2009 की अधिसूचना द्वारा गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करने और उसका संरक्षण करने के लिए 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' की स्थापना की है, जिसके लिए नदी बेसिन को आयोजना की एक इकाई मानते हुए एक समग्र कार्य प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्राधिकरण के कार्यों में उन सभी आवश्यक उपायों को शामिल किया गया है, जो सतत विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने तथा उन्हें कार्यरूप देने के लिए आवश्यक हैं।

नदी तटों पर स्थित उद्योगों के प्रदूषण की मानीटरिंग केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा की जाती है। दोषी उद्योगों के खिलाफ जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

विवरण

क्र. सं.	नदी	प्रदूषित नदी क्षेत्र	क्रिटिकल पैरामीटर्स बायो-केमिकल आक्सीजन डिमांड (मि.ग्रा/ली.)	राज्य
1	2	3	4	5
1.	गंगा	गढ़मुक्तेश्वर से त्रिघाट (गाजीपुर)	6.2-33	उत्तर प्रदेश
		हावड़ा से उलूबेड़िया	6.4-14.8	पश्चिम बंगाल
2.	यमुना	वजीराबाद से ओखला	8-144	दिल्ली
		कलानौर, यमुनानगर से सोनीपत	7-8	हरियाणा
		ओखला से कोसीकलां तक	7-144	हरियाणा

1	2	3	4	5
		पोंटा साहिब के निकट नदी का निचला भाग	6.5-15	हिमाचल प्रदेश
		कोसीकलां से जूहीका तक पिलखानी से यमुना के संगम तक	7.0-43	उत्तर प्रदेश
3.	दामोदर	धनबाद का निचला नदी क्षेत्र	>6	झारखंड
		दुर्गापुर से हल्दिया	6.4-32	पश्चिम बंगाल
4.	सुवर्णरेखा	जमशेदपुर के निकट	8-12	झारखंड
5.	घग्गर	पंजाब के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिरसा में ओट्टूवियर तक	7-81	हरियाणा
		मुबारकपुर से सरदूलगढ़ (पंजाब में समूचा विस्तार क्षेत्र)	6.2-180	पंजाब

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की समीक्षा

*178. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्री प्रदीप माझी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में बीमा कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा नई नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) सरकार द्वारा सीजीएचएस के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। सचिवों की समिति भी दिसंबर, 2008 से सीजीएचएस के कार्यकरण की नियमित रूप से समीक्षा करती रही है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इसे लाभार्थी अनुकूल बनाने के लिए निर्देश देती आ रही है। हाल ही में की गई कुछ पहलें नीचे दी गई हैं:-

(1) सीजीएचएस का विस्तार:- आज सीजीएचएस में दिल्ली के अलावा 24 शहर शामिल हैं। देहरादून, रांची, भुवनेश्वर और जम्मू ऐसे शहर हैं जहां सीजीएचएस का विस्तार पिछले चार वर्षों के दौरान किया गया।

(2) कम्प्यूटरीकरण:- आधुनिक युग के साथ चलने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से सीजीएचएस के अधीन व्यापक कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया गया है। सीजीएचएस के कम्प्यूटरीकरण से औषधालयों में लाभार्थियों द्वारा प्रतीक्षा करने के समय में कमी, करने, स्थानीय केमिस्टों को मांग पत्र आन लाईन देने, रोगी प्रोफाइल उपलब्ध करने, दवाओं/औषधों के इस्तेमाल का पैटर्न उपलब्ध करने में मदद मिलेगी जिससे सीजीएचएस

को फार्मूलरी औषधों की वास्तविक सूची बनाने, कागज के इस्तेमाल में कमी करने और लाभार्थियों के लिए कार्य क्षेत्र संबंधी सीमा (औषधालय के संबंध में) को हटाने आदि में मदद मिलेगी।

- (3) **प्लास्टिक कार्ड शुरू करना:-** कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में यह निर्णय किया गया है कि सीजीएचएस के प्रत्येक लाभार्थी को व्यक्तिगत रूप से प्लास्टिक कार्ड जारी किए जाएं। इससे लाभार्थियों को किसी भी शहर में सीजीएचएस सुविधा प्राप्त करने में मदद मिलेगी चाहे वे उस शहर में सरकारी कार्य अथवा अवकाश पर हों। अंतर-शहरी उपचार सभी शहरों के कम्प्यूटरीकृत और नेटवर्कीकृत करने के उपरांत संभव होगा।
- (4) **परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के साथ प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन (एनएबीएल):-** सीजीएचएस लाभार्थियों को बेहतर गुणवत्ता वाला उपचार प्रदान करने के मद्देनजर, यह निर्णय किया गया था कि केवल उन्हीं निजी अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों को सीजीएचएस के अंतर्गत पैनल में शामिल किया जाएगा जिन्हें भारतीय गुणवत्ता परिषद् द्वारा इन अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करने के उपरांत अनापत्ति प्रदान की गई हो। यह भी निर्णय किया गया है कि सीजीएचएस के पैनल वाली सभी प्रयोगशालाओं को भारतीय गुणवत्ता परिषद् के अंतर्गत एनएबीएल द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
- (5) **अस्पताल के बिलों की चिकित्सा लेखा-परीक्षा:-** प्रदान की गई सेवाओं और वहन किए गए व्ययों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पैनल में शामिल निजी अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत बिल वास्तविक हैं और यह कि लाभार्थियों को केवल वही उपचार दिया गया था जो जरूरी था और यह कि अस्पताल ने लाभार्थी को अनावश्यक जांचों/उपचार के लिए विवश नहीं किया गया है। अस्पताल के बिलों की चिकित्सा लेखा-परीक्षा का कार्य टीपीए से आउटसोर्स किया गया है।
- (6) **दावा अदालतें लगाना:-** सीजीएचएस और मंत्रालय में ये शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति

के पुराने मामले लंबे समय से निपटान के लिए लंबित पड़े हैं। यह निर्णय लिया गया था कि संबंधित अंचलों के अपर निदेशकों की अध्यक्षता में सीजीएचएस, दिल्ली के प्रत्येक अंचल कार्यालय में दावा अदालतें लगाई जाएंगी। वर्ष 2007 और 2008 के दौरान दिल्ली के प्रत्येक अंचल (पूर्वी, केंद्रीय, दक्षिणी एवं उत्तरी अंचलों) में वार्षिक रूप से दावा अदालतें लगाई गई थीं और 95% से अधिक दावों का उन अदालतों में निपटान किया गया था।

- (7) **स्थानीय सलाहकार समितियां:-** स्थानीय सलाहकार समिति की बैठकें माह के दूसरे शनिवार को प्रत्येक सीजीएचएस औषधालय में आयोजित की जाती हैं जिसमें औषधालय के स्तर पर समस्याओं को हल करने के लिए मुख्य कल्याण अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेंशनभोक्ता संगठन के प्रतिनिधियों, स्थानीय केमिस्ट द्वारा नियुक्त किए गए क्षेत्र कल्याण अधिकारी द्वारा भाग लिया जाता है।
- (8) **विकेंद्रीकरण और शक्तियों का प्रत्यायोजन:-** मंत्रालयों/विभागों को नियमों में छूट शामिल न होने की स्थिति में प्रतिपूर्ति के दावों के सभी मामलों को निपटाने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। इससे पूर्व उन्हें दो लाख रुपए तक के अनुरोधों पर विचार करने की शक्तियां प्राप्त थीं और इससे अधिक राशि के मामले सीजीएचएस के सुपुर्द किए जाते थे।
- (9) **इन्सुलिन:-** सीजीएचएस लाभार्थियों को समधर्मी (इन्सुलिन शीशी/काट्रिज) देने की अनुमति प्रदान करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। लाभार्थियों को समधर्मी इन्सुलिन के उपयोग के लिए पेन की खरीद करनी होगी।
- (10) **औषधालयों की सफाई प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग:-** चूंकि दिल्ली में अनेक औषधालयों में समूह IV के कर्मचारियों की कमी थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि कुछ कम अपूर्ण औषधालयों से अन्य अपूर्ण औषधालयों में समूह IV के कर्मचारियों को भेजा जाए। कुछ औषधालयों में इस तरह पैदा हुई रिक्ति पर काबू पाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि यंत्रिकृत सफाई के लिए सफाई कार्य को आउटसोर्स किया जाए। एजेंसी विगत पांच माह से इस कार्य का संचालन कर रही है और उनके द्वारा किए गए कार्य की सभी के द्वारा प्रशंसा की गई है।

(11) औषधों की खरीद के लिए दर संविदा:- एक प्रायोगिक परियोजना चलाए जाने का निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत दिल्ली में औषधालयों की विनिर्माताओं के समक्ष दर संविदा आधार पर प्रत्यक्ष तौर पर इंडेंट प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। यदि प्रस्ताव सफल सिद्ध होगा तो संपूर्ण सीजीएचएस को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जा सकता है। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि औषधालयों/सीजीएचएस को दवाओं की विशाल सूची नहीं ढानी होगी और इंडेंट आवश्यकता के अनुरूप मासिक आधार पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(ग) से (छ) छोटे केंद्रीय वेतन आयोग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू करने की सिफारिश की गई है। इसमें सिफारिश की गई थी कि मौजूदा कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए योजना उनके लिए निर्धारित अंशदान का भुगतान किए जाने के अध्यक्षीन स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि स्वास्थ्य बीमा योजना उन नए सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए जो योजना की शुरुआत के बाद सेवा आरम्भ करेंगे। इसी प्रकार, बीमे की शुरुआत के बाद नए सेवानिवृत्त हुए लोगों को योजना में शामिल किया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति जारी की गई है जिसमें ऐसी योजना के स्वरूप, संभाव्यता एवं व्यवहार्यता के संबंध में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली बीमा कंपनियों एवं स्वास्थ्य परामर्शदाताओं से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

पर्यावरण नीति का प्रभाव

*179. श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान पर्यावरण नीति तथा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 देश में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण में सहायक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :
(क) राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 यह स्वीकार किया गया है कि

पर्यावरणीय सुरक्षा, विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और इसमें सभी विकासात्मक गतिविधियों में पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को मुख्यधारा में लाने का इरादा व्यक्त किया गया है। इस नीति की महत्वपूर्ण थीम यह है कि हालांकि आजीविका और सभी का कल्याण सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, संरक्षण के लिए सर्वाधिक सुरक्षित आधार यह सुनिश्चित करना है कि विशिष्ट संसाधनों पर निर्भर लोग, संसाधनों के अवक्रमण की बजाय, संरक्षण से बेहतर आजीविका प्राप्त करें। इस नीति का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रबंध के लिए अपने-अपने संसाधनों और सामर्थ्य का उपयोग करने में विभिन्न स्टेक होल्डरों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 में विकासात्मक परियोजनाएं/गतिविधियां/प्रक्रियाएं अपेक्षित हैं, जिनके उपबंधों के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन परियोजनाओं से संबद्ध पर्यावरणीय सरोकारों को विधिवत रूप से समेकित किया गया है और परियोजना चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान उनका निराकरण किया गया है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय यह महसूस नहीं करता है कि मौजूदा पर्यावरणीय नीति और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 देश में पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए सहायक नहीं है।

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वन क्षेत्र का विस्तार

*180. श्री अर्जुन मुंडा :

श्री भर्तृहरि महाताब :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र है और उसकी प्रतिशतता कितनी है;

(ख) हेक्टेयर और प्रतिशतता के संदर्भ में वन क्षेत्र का राष्ट्रीय औसत क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में वन क्षेत्र के विस्तार के लिए कोई नया प्रयास शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान झारखंड सहित राज्यों में वनों के संरक्षण, विकास और संवर्द्धन हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि का योजना-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धि हासिल हुई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट, 2005 के अनुसार, देश में वन आवरण 67.7 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 20.60% है।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थानों को शामिल करते हुए गैर-वन भूमि पर वन आवरण को बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम, अर्थात् ग्राम/पंचायत वन योजना प्रस्तुत की है। सरकार द्वारा घोषित जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत, 'ग्रीन इंडिया' के लिए राष्ट्रीय मिशन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, 'वन आवरण की पुनः बहाली और पुनरुद्भव के त्वरित कार्यक्रम' के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, वर्ष 2009-10 के बजट में 500 करोड़ रुपये के आबंटन से नई राज्य योजना स्कीम शुरू की गई है।

(ङ) और (च) पर्यावरण और वन मंत्रालय वनों के संरक्षण, विकास और संवर्द्धन के लिए निम्नलिखित प्रमुख स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है:-

- (i) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम
- (ii) समेकित वन सुरक्षा स्कीम (वन प्रबंध का तीव्रीकरण के रूप में पुनः नाम दिया गया है)
- (iii) वन्यजीव वास-स्थलों का समेकित विकास
- (iv) बाघ परियोजना
- (v) हाथी परियोजना

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संघ सरकार द्वारा इन स्कीमों के लिए प्रदत्त की गई निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-11 से VI में दिया गया है। इन स्कीमों की सहायता से देश में वन और वृक्ष आवरण में धीरे-धीरे सुधार करना, देश में वन्यजीव क्षेत्रों सहित वनों की सुरक्षा तथा प्रबंध व्यवस्था और वनों और वन्यजीव संसाधनों में संयुक्त वन प्रबंध गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर बल देना संभव हुआ है।

विवरण-1

भारत में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में वन आवरण (भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	वन आवरण (हेक्टेयर में क्षेत्र)	वन आवरण (राज्य/संघ शासित प्रदेशों के भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशतता के रूप में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	4437200	16.13
अरुणाचल प्रदेश	6777700	80.93
असम	2764500	35.24
बिहार	557900	5.92
छत्तीसगढ़	5586300	41.32
दिल्ली	17600	11.87
गोवा	216400	58.45
गुजरात	1471500	7.51
हरियाणा	158700	3.59
हिमाचल प्रदेश	1436900	25.81
जम्मू और कश्मीर	2127300	9.57

1	2	3
झारखंड	2259100	28.34
कर्नाटक	3525100	18.38
केरल	1559500	40.13
मध्य प्रदेश	7601300	24.66
महाराष्ट्र	4747600	15.43
मणिपुर	1708600	76.53
मेघालय	1698800	75.74
मिजोरम	1868400	88.63
नागालैंड	1371900	82.75
उड़ीसा	4837400	31.07
पंजाब	155800	3.09
राजस्थान	1585000	4.63
सिक्किम	326200	45.97
तमिलनाडु	2304400	17.72
त्रिपुरा	815500	77.77
उत्तर प्रदेश	1412700	5.86
उत्तराखंड	2444200	45.7
पश्चिम बंगाल	1241300	13.99
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	662900	80.36
चंडीगढ़	1500	13.16
दादरा और नगर हवेली	22100	45.01
दमन और दीव	800	7.14

1	2	3
लक्षद्वीप	2500	78.13
पांडिचेरी	4200	8.75
कुल	67708800	20.60

विवरण-II

वनों के संरक्षण, विकास और संवर्द्धन के लिए संघ सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार प्रदान की गई निधियां

स्कीम : राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान वर्ष-वार जारी की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)			
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (8.7.09 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11.06	9.97	11.54	0.85
2.	छत्तीसगढ़	13.05	42.71	25.66	2.00
3.	गुजरात	17.52	30.93	25.75	0.93
4.	हरियाणा	9.20	12.93	20.14	9.52
5.	हिमाचल प्रदेश	11.56	7.43	6.72	0.00
6.	जम्मू और कश्मीर	5.83	8.13	8.47	1.82
7.	कर्नाटक	23.54	31.02	15.46	1.51

1	2	3	4	5	6
8. मध्य प्रदेश	15.83	13.84	22.55	7.86	
9. महाराष्ट्र	15.93	29.92	21.87	0.00	
10. उड़ीसा	14.07	19.01	21.63	0.00	
11. पंजाब	3.36	5.88	3.30	0.00	
12. राजस्थान	5.62	2.50	7.32	0.00	
13. तमिलनाडु	17.22	9.46	8.86	0.00	
14. उत्तर प्रदेश	11.88	36.77	30.80	16.25	
15. उत्तराखंड	11.52	12.39	9.24	3.10	
16. गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	
17. झारखंड	19.03	24.56	26.32	2.00	
18. बिहार	4.94	6.92	6.48	0.00	
19. केरल	12.75	8.81	9.45	0.00	
20. पश्चिम बंगाल	7.00	7.23	9.06	0.00	
21. अरुणाचल प्रदेश	2.93	4.85	3.25	0.00	
22. असम	13.60	8.58	9.78	0.00	
23. मणिपुर	7.78	12.37	9.51	0.00	
24. नागालैंड	7.22	7.75	6.64	1.50	
25. सिक्किम	7.41	11.28	6.63	1.10	
26. त्रिपुरा	4.37	5.02	0.89	0.94	
27. मिजोरम	13.09	16.75	13.61	2.78	
28. मेघालय	5.44	5.94	4.69	0.00	
कुल	292.75	392.75	345.62	52.16	

विवरण-III

वनों के संरक्षण, विकास और संवर्द्धन के लिए संघ सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार प्रदान की गई निधियां

स्कीम : समेकित वन सुरक्षा स्कीम/वन प्रबंध का तीव्रीकरण

वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान वर्ष-वार जारी की गई निधियां (लाख रुपयों में)**

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	179.772	270.00
2.	बिहार	132.53	83.736	93.614
3.	छत्तीसगढ़	371.40	613.012	463.695
4.	गोवा	शून्य* (29.01)	18.53	27.366
5.	गुजरात	400.00	568.825	461.66
6.	हरियाणा	167.50	96.04	111.85
7.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	124.066	260.96
8.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	—
9.	झारखंड	112.263	221.875	276.622
10.	कर्नाटक	122.88	159.60	264.90
11.	केरल	167.597	283.72	467.00
12.	मध्य प्रदेश	325.00	665.02	565.50
13.	महाराष्ट्र	शून्य* (103.46)	232.84	232.00
14.	उड़ीसा	76.38	180.61	234.00

1	2	3	4	5
15. पंजाब	शून्य* (100.00)	शून्य* (100.00)	134.28	
16. राजस्थान	100.07	99.692	150.408	
17. तमिलनाडु	158.40	431.5775	389.68	
18. उत्तर प्रदेश	135.04	235.73	255.48	
19. उत्तराखंड	508.58	283.41	305.26	
20. पश्चिम बंगाल	218.10	187.425	337.65	
21. असम	190.26	496.00	400.00	
22. अरुणाचल प्रदेश	191.68	308.42	282.84	
23. मणिपुर	395.18	143.55	206.843	
24. मेघालय	150.00	86.00	189.00	
25. मिजोरम	229.71	414.37	410.373	
26. नागालैंड	337.72	365.4264	222.479	
27. सिक्किम	141.70	120.6648	273.79	
28. त्रिपुरा	162.915	98.593	156.00	
29. दादरा और नगर हवेली	3.8552	शून्य	—	
30. दमन और दीव	शून्य	शून्य	18.1464	
कुल	4798.7602	6698.5047	7461.3964	

*दर्शाते हैं कि निधियां मंजूर की गई थी किंतु वास्तविक जारी की गई धनराशि शून्य थी क्योंकि पूर्व में अव्ययित निधियां चालू वर्ष की जारी की गई धनराशि के विरुद्ध समायोजित की गई थी। ये धनराशि कोष्ठक में दी गई हैं।

**वर्ष 2009-10 में उत्तराखंड राज्य को 300 लाख रुपये छोड़कर अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

विवरण-IV

वनों के संरक्षण, विकास और संवर्द्धन के लिए संघ सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार प्रदान की गई निधियां

स्कीम : वन्यजीव वास-स्थलों का समेकित विकास

वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान वर्ष-वार जारी की गई निधियां (लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (10-7-2009 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	57.75	82.86	73.48	49.60
2.	आंध्र प्रदेश	143.238	168.06	92.378	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	78.602	125.05	193.31	—
4.	असम	161.79	81.78	161.095	—
5.	बिहार	10.50	4.00	37.558	—
6.	छत्तीसगढ़	377.863	379.20	323.235	—
7.	दादरा और नगर हवेली	14.50	11.78	15.62	—
8.	गोवा	5.00	31.59	41.94	—
9.	गुजरात	328.675	332.08	318.52	141.04
10.	हरियाणा	60.75	70.03	86.02	—
11.	हिमाचल प्रदेश	261.56	233.32	241.983	129.99
12.	जम्मू और कश्मीर	173.68	221.54	470.87	163.184
13.	झारखंड	98.54	98.13	99.753	—

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
14. कर्नाटक		490.582	630.64	625.1501	371.26	24. राजस्थान		207.665	347.24	414.58	334.25
15. केरल		362.155	493.57	864.96	275.16	25. सिक्किम		140.376	159.22	187.73	—
16. मध्य प्रदेश		759.46	800.92	613.34	—	26. तमिलनाडु		205.24	274.64	727.91	399.00
17. महाराष्ट्र		223.855	331.33	390.22	—	27. त्रिपुरा		31.60	36.00	00	—
18. मणिपुर		96.986	105.89	100.095	—	28. उत्तर प्रदेश		290.38	332.36	307.173	—
19. मेघालय		38.20	64.88	58.007	—	29. उत्तराखंड		100.12	76.67	216.09	—
20. मिजोरम		136.066	169.46	289.09	—	30. पश्चिम बंगाल		357.225	356.22	345.78	—
21. नागालैंड		16.38	19.11	28.415	—	31. दिल्ली		—	0.00	00	—
22. उड़ीसा		340.855	357.08	576.88	—	32. दमन और दीव		—	4.721	6.12	—
23. पंजाब		1.00	0.00	40.29	—	कुल		5572.252	6399.36	7947.5921	1863.484

विवरण-V

वनों के संरक्षण, विकास और संवर्द्धन के लिए संघ सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार प्रदान की गई निधियां

स्कीम : बाघ परियोजना

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान वर्ष-वार जारी की गई निधियां (लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	35.0000	73.9175	56.9830	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	237.3730	110.2542	246.1710	167.357**
3.	असम	87.4310	95.6140	1092.3790	—
4.	बिहार	37.1450	98.3205	49.6730	—
5.	छत्तीसगढ़	10.0000	35.2250	169.8700	—

1	2	3	4	5	6
6.	झारखंड	155.9670	45.1600	115.3770	—
7.	कर्नाटक	267.8170	1159.7149	689.8390	—
8.	केरल	109.0000	153.2449	267.0900	—
9.	मध्य प्रदेश	759.2360	2975.9411	6998.5420	1544.054**
10.	महाराष्ट्र	229.5100	295.7191	411.1250	—
11.	मिजोरम	115.1600	82.9000	241.4500	—
12.	उड़ीसा	150.2500	43.2800	625.9900	—
13.	राजस्थान	100.8760	410.6800	2708.9500	1713.838**
14.	तमिलनाडु	85.1650	45.0000	690.8060	—
15.	उत्तरांचल	160.2950	202.0050	462.8500	—
16.	उत्तर प्रदेश	75.0000	134.8900	417.5130	113.30**
17.	पश्चिम बंगाल	177.3000	308.6741	228.3940	—
कुल		2,792.5250	6,270.5403	15,473.002	3538.549**

**अव्ययित शेष राशि का पुनः वैधीकरण।

विवरण-VI

वनो के संरक्षण, विकास और संवर्द्धन के लिए संघ सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार प्रदान की गई निधियां

स्कीम : हाथी परियोजना

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान वर्ष-वार जारी की गई निधियां (लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	60.00	64.774	60.00	45.00	5.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	71.50	61.00	54.50	65.00	—

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	40.00	75.00	144.00	175.19	—
4.	छत्तीसगढ़	—	80.00	83.77	60.43	—
5.	हरियाणा	—	50.00	—	—	—
6.	झारखंड	75.00	74.446	132.17	80.00	—
7.	कर्नाटक	168.00	167.82	212.65	249.00	—
8.	केरल	170.00	169.40	147.70	356.80	—
9.	महाराष्ट्र	—	25.00	56.86	77.76	—
10.	मेघालय	30.00	61.55	68.39	50.00	—
11.	मिजोरम	—	—	1.33	—	—
12.	नागालैंड	48.00	52.45	26.60	17.45	—
13.	उड़ीसा	114.00	153.94	148.50	180.60	—
14.	तमिलनाडु	112.00	153.41	124.978	269.163	170.00
15.	त्रिपुरा	—	—	12.00	28.96	—
16.	उत्तर प्रदेश	—	6.20	55.33	58.24	—
17.	उत्तराखंड	137.70	153.12	126.46	209.45	—
18.	पश्चिम बंगाल	181.00	160.89	185.725	176.096	—
कुल		1207.20	1509.00	1640.963	2099.139	175.00

[अनुवाद]

लिया है;

केन्द्रीय भण्डार का कंप्यूटरीकरण

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

1460. श्री पूर्णमासी राम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या निर्धारित क्रय नीति के अनुसार बड़े पैमाने पर उपभोक्ता और किराना मर्दों की आपूर्ति सीधे शाखा भण्डारों पर की जा रही है;

(क) क्या सरकार ने स्टॉक होल्डिंग आदि की जांच के लिए केन्द्रीय भण्डार की सभी शाखाओं का कंप्यूटरीकरण करने का निर्णय

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) केन्द्रीय भंडार की शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से लिया गया है। अब तक आर.के.पुरम-IV, नेताजी और पंडारा रोड, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय भंडार की शाखाओं/रिटेल स्टोर का कम्प्यूटरीकरण कर लिया गया है। तथापि, गोदामों/मुख्य कार्यालयों के साथ शाखाओं/रिटेल स्टोरों की नेटवर्किंग हेतु केन्द्रीय भंडार द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

(ग) से (ङ) उपभोक्ता और किराना सामान केन्द्रीय भंडार के केन्द्रीय गोदामों से तथा केन्द्रीय भंडार के अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सीधे रिटेल स्टोरों को भी आपूर्ति किए जा रहे हैं। सीधे शाखा स्टोरों का उपभोक्ता और किराना सामानों की सीधी आपूर्ति इसलिए की जाती है क्योंकि गोदामों के माध्यम से सभी सामान की आपूर्ति हेतु केन्द्रीय भंडार के पास पर्याप्त जगह और बुनियादी सुविधा नहीं है।

शिशु मृत्यु दर

1461. श्री नवीन जिन्दल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में शिशु मृत्यु दर कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों की दर के समान है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) देश की शिशु मृत्यु दर वर्ष 2004 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 58 से घटकर वर्ष 2007 में प्रति 1000 जीवित

जन्मों पर 55 रह गई है। ग्रामीण और शहरी राज्य वार शिशु मृत्यु दर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ग्रामीण शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 61 और शहरी शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 37 है। ग्रामीण क्षेत्रों की शिशु मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों के साथ असमान होने के कारणों में सामाजिक, आर्थिक और जनांकिकीय असमानताओं सहित अनेक कारण शामिल हैं।

(ङ) वर्ष 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में ग्रामीण जनसंख्या विशेष तौर से असुरक्षित वर्गों को पहुंच वाली, वहनीय और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की व्यवस्था है। इस मिशन में मौजूदा बुनियादी ढांचे को पुनः बनाने और नए निर्माण अथवा नवीनीकरण, जहां कहीं आवश्यक हो के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने की व्यवस्था है। इस मिशन में सभी स्तरों पर इन प्रणालियों को कारगर बनाने के लिए इनकी स्थापना करके सेवा प्रदानगी में सुधार करने की भी व्यवस्था है। इस कार्य में एक साथ जनशक्ति नियोजन में सुधार तथा बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण भी शामिल है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-2 (2005-10) व्यापक रूप से उन कार्यकलापों को समेकित करता है जो बाल स्वास्थ्य में सुधार करते हैं तथा बच्चों में मृत्यु दर कम करने वाले घटकों पर ध्यान देते हैं।

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संघटक बाल रूग्णतादर और मृत्यु दर कम करने में सहायता करते हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

- (i) अनिवार्य नवजात परिचर्या
- (ii) रोग प्रतिरक्षण
- (iii) शिशु और छोटे बच्चे को खिलाना
- (iv) विटामिन ए और लौह व फोलिक अम्ल की पूरक खुराक
- (v) तीव्र श्वसनीय संक्रमणों, अतिसार और संक्रमणों का शुरू में पता लगाना और उनका समुचित उपचार
- (vi) नवजात और बाल्यावस्था की बीमारियों का एकीकृत उपचार (आईएमएनसीआई) तथा पूर्व सेवा-आईएमएनसीआई
- (vii) सुविधा आधारित नवजात परिचर्या

विवरण

शिशु मृत्यु दर, 2007

भारत/राज्य/संघ क्षेत्र	शिशु मृत्यु दर		
	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
भारत	55	61	37
बड़े राज्य			
1. आंध्र प्रदेश	54	60	37
2. असम	66	68	41
3. बिहार	58	59	44
4. छत्तीसगढ़	59	61	49
5. दिल्ली	36	41	35
6. गुजरात	52	60	36
7. हरियाणा	55	60	44
8. जम्मू और कश्मीर	51	53	38
9. झारखण्ड	48	51	31
10. कर्नाटक	47	52	35
11. केरल	13	14	10
12. मध्य प्रदेश	72	77	50
13. महाराष्ट्र	34	41	24
14. उड़ीसा	71	73	52
15. पंजाब	43	47	35
16. राजस्थान	65	72	40
17. तमिलनाडु	35	38	31

1	2	3	4
18. उत्तर प्रदेश	69	72	51
19. पश्चिम बंगाल	37	39	29
छोटे राज्य			
1. अरुणाचल प्रदेश	37	41	15
2. गोवा	13	11	13
3. हिमाचल प्रदेश	47	49	25
4. मणिपुर	12	13	9
5. मेघालय	56	57	46
6. मिजोरम	23	27	16
7. नागालैंड	21	18	29
8. सिक्किम	34	36	20
9. त्रिपुरा	39	40	32
10. उत्तराखण्ड	48	52	25
संघ क्षेत्र			
1. अंडमान और निकोबार	34	38	23
द्वीपसमूह			
2. चंडीगढ़	27	25	28
3. दादरा और नगर हवेली	34	38	18
4. दमन और दीव	27	29	23
5. लक्षद्वीप	24	25	23
6. पांडिचेरी	25	31	22

नोट: छोटे राज्यों और संघ क्षेत्रों की शिशु मृत्यु दरें तीन वर्षों की अवधि 2005-07 पर आधारित हैं।

महापंजीयक, भारत, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित और जारी किया गया।

अक्टूबर, 2008

निजी अस्पतालों में सीजीएचएस लाभार्थियों द्वारा
उपचार कराया जाना

1462. श्री पूर्णमासी राम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीजीएचएस लाभार्थियों को ऐसे निजी अस्पतालों में उपचार कराने की अनुमति है जो सरकार मान्यता प्राप्त नहीं हैं तथा प्रतिपूर्ति दावों को प्राथमिकता देते हैं;

(ख) यदि हां, तो निपटान के लिए लंबित दावों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रक्रिया को सरल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) सीजीएचएस के लाभार्थी केवल आपातकालीन स्थिति में ही गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में लाभार्थी किए गए उपचार हेतु की जाने वाली प्रतिपूर्ति उस नगर के लिए निर्धारित पैकेज दर के अनुसार ही की जाती है। यदि गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में प्राप्त किया गया उपचार आपातकाल की स्थिति में नहीं है बल्कि एक योजनाबद्ध उपचार है, प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं है।

(ख) विभिन्न सीजीएचएस नगरों में लम्बित वैयक्तिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की संख्या के बारे में ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	नगर	लम्बित दावों की संख्या
1	2	3
1.	दिल्ली	29
2.	बैंगलोर	160
3.	चंडीगढ़	16
4.	चेन्नई	263
5.	देहरादून	15
6.	हैदराबाद	37

1	2	3
7.	जबलपुर	13
8.	कानपुर	05
9.	कोलकाता	600
10.	मुम्बई	157
11.	नागपुर	08
12.	पटना	10
13.	तिरुवनन्तपुरम	188

दावों के लम्बित होने का मुख्य कारण निधियों की अनुपलब्धता है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2009 में निम्नोक्त आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि:-

- (i) प्रतिपूर्ति दावों को जमा करने से पहले उपचार करने वाले चिकित्सक के काउन्टर हस्ताक्षर और जांच आवश्यकता समाप्त करना।
- (ii) सीजीएचएस लाभार्थी को प्रतिपूर्ति का दावा करने की अनुमति दो स्रोतों से ही दी जाए, पहले बीमा कम्पनी जिस पर लाभार्थी ने मेडीक्लेम पालिसी के लिए अंशदान दिया हो और दूसरे सीजीएचएस, यह इस शर्त पर है कि इन दो स्रोतों से प्रतिपूर्ति की कुल राशि उपचार पर व्यय हुई वास्तविक राशि से अधिक न हो।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य

1463. श्री एल. राजगोपाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'द काउन्ट डाउन टू 2015: मैटरनल, न्यूबर्न एण्ड चाइल्ड सर्वाइवल' रिपोर्ट के अनुसार सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भारत को कड़े प्रयास करने होंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में छह माह से कम के ऐसे शिशुओं का प्रतिशत बहुत कम है जिन्हें माताओं द्वारा स्तनपान कराया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) 'द काउन्ट डाउन टू 2015: मैटरनल, न्यूबार्न एण्ड चाइल्ड सर्वाइवल' रिपोर्ट के अनुसार भारत ऐसे पहले 68 देशों में से है जिनको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त करने हेतु मातृ एवं शिशु मृत्यु में कमी लाने की गति को तेज करना है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 57 (2006), नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 43 (2000) और मातृ मृत्यु दर 450 (2005) है जबकि महापंजीयक, भारत के कार्यालय से उपलब्ध नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 55 (2007), नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 36 (2007) और मातृ मृत्यु दर प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 254 (2004-06) है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के अनुसार भारत प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 की शिशु मृत्यु दर और प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 100 की मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने के लिए बचनबद्ध है। सरकार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस समय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए समग्र रूप से कार्य कर रही है।

(ग) और (घ) वर्ष 2007-08 में आयोजित जिला स्तरीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3, जो कि नवीनतम उपलब्ध सर्वेक्षण है, के अनुसार 6 महीने से कम आयु के बच्चे जिन्होंने केवल स्तनपान किया है, का प्रतिशत 46.4 (ग्रामीण 47.8 प्रतिशत, शहरी 42.5 प्रतिशत) है। जन्म के बाद शीघ्र ही स्तनपान शुरू करने की स्थिति में सुधार हुआ है। वर्ष 2002-07 में (जिला स्तरीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2) इसका प्रतिशत 27.8 था जो कि वर्ष 2007-08 (जिला स्तरीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3) में बढ़कर 40.2 प्रतिशत हो गया है।

(ङ) सरकार स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं द्वारा अंतरवैयक्तिक सम्प्रेषण के माध्यम से और लोक मीडिया के जरिए जागरूकता पैदा करके स्तनपान को बढ़ावा देती है। शिशु एवं युवा बाल स्तनपान के बारे में स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिक को प्रशिक्षण मातृ एवं बाल स्वास्थ्य

प्रशिक्षणों के भाग के रूप में दिया जाता है। एकीकृत नवजात शिशु एवं बाल्यावस्था रूग्णता कार्यक्रम प्रबंधन के भाग के रूप में भी स्तनपान को बढ़ावा दिया जाता है। जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से संस्थागत प्रसवों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि से प्राप्त अवसर का उपयोग स्तनपान के बारे में परामर्श सहित स्वयं और अपने नवजात शिशु की परिचर्या की प्रमुख पहलुओं के बारे में माताओं को परामर्श देने के लिए किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1-7 अगस्त को मनाए जाने वाले स्तनपान सप्ताह के जरिए स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्रवाई की जाती है।

नये वैक्सीन का उत्पादन

1464. श्री राजैया सिरिसिल्ला :

श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में रोगों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए नये वैक्सीन के उत्पादन को प्राथमिकता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश सहित देश में पिछड़े और अ.जा./अ.ज.जा. बहुल क्षेत्रों में ऐसी नई वैक्सीनों के प्रति क्या जागरूकता पैदा की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) वैक्सीन से रोके जाने वाले रोगों के रोग भार की प्रतिरक्षण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह द्वारा समीक्षा की जाती है। रोग के भार के आधार पर प्रतिरक्षण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह देश में नई वैक्सीन आरम्भ करने की सिफारिश करता है। व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में नई वैक्सीन को आरम्भ करने का निर्णय लेते ही, वैक्सीन निर्माताओं को वैक्सीन उत्पादन की आवश्यकताओं के बारे में अवगत करा दिया जाता है।

(ग) भारत सरकार द्वारा जब कभी भी एक नई वैक्सीन आरम्भ की जाती है तो आंध्र प्रदेश सहित देश के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों समेत सभी क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा जागरूकता सृजित की जाती है।

सरदार सरोवर परियोजना हेतु धनराशि

1465. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि प्रदान किये जाने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) :

(क) से (ग) केन्द्र सरकार, समय-समय पर लागू एआईबीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष दर वर्ष आधार पर राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वर्ष दर वर्ष आधार पर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अधीन चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए निधि मुहैया कराती है। वर्ष 2009-10 में एआईबीपी के तहत गुजरात राज्य सरकार से केन्द्रीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। गुजरात राज्य सरकार को परियोजना के लिए कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दिए जाने से पहले, केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों से परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को भी स्वीकृत करना होता है।

गैंडों को मारा जाना

1466. श्री महेन्द्र कुमार राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के ओरांग राष्ट्रीय उद्यान में गत तीन वर्षों के दौरान अवैध शिकारियों द्वारा बड़ी संख्या में गैंडों को मारा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) और (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 12 गैंडों

का ओरांग नेशनल पार्क में पिछले तीन वर्षों में अवैध शिकार किया गया है।

(ग) गैंडों सहित वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:-

1. वन्य जीवों की संकटापन्न प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में शामिल करके, उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।
2. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को समय-समय पर संशोधित किया गया है और इसे वन्यजीवों से संबंधित अपराधों के विरुद्ध अधिक कड़ा बनाया गया है।
3. दुर्लभ वन्य जीवों सहित वन्यजीवों और उनके वास-स्थलों को संरक्षित करने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।
4. वन्यजीवों और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार की जांच करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।
5. राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को वन्यजीवों से समृद्ध क्षेत्रों में और उनके आस-पास फील्ड फार्मेशन्स को और सुदृढ़ बनाने और गश्त में तेजी लाने के लिए अनुरोध किया गया है।
6. वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् वन्यजीव वास-स्थलों का समेकित विकास, 'बाध परियोजना' और 'हाथी परियोजना के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।
7. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-'वन्यजीवों के वास-स्थलों का समेकित विकास' के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 'संवेदनशील रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके वास-स्थलों के लिए रिकवरी कार्यक्रम' शुरू करने के लिए एक नया घटक जोड़ा गया है।
8. राज्य सरकार ने प्रभावी समन्वय और अवैध शिकार से नियंत्रण के लिए जिला स्तर की वन्यजीव समन्वय समितियां गठित की हैं। इसके अतिरिक्त, सभी राष्ट्रीय उद्यानों में अतिरिक्त सशस्त्र कार्मिकों को शामिल किया गया है।

विश्व विरासत संस्मारकों का संरक्षण

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

1467. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ङ) उक्त प्रस्ताव का कार्यान्वयन कब तक किये जाने की संभावना है?

(क) देश में स्थित विश्व विरासत संस्मारकों के राज्यवार नाम क्या हैं;

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कितने विश्व विरासत संस्मारकों को सीआईएसएफ सुरक्षा/सरकारी संरक्षण दिया गया है;

(ख) ताजमहल, आगरा और लाल किला, दिल्ली में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किया गया है।

(ग) क्या सरकार का देश के सभी विरासत संस्मारकों को सीआईएसएफ सुरक्षा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

भारत में विश्व विरासत स्थलों की राज्य-वार सूची

सांस्कृतिक स्थल (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षणाधीन)

क्र.सं.	स्थल का नाम	शामिल करने का वर्ष	राज्य
1	2	3	4
1.	अजन्ता गुफाएं	1983	महाराष्ट्र
2.	एलोरा गुफाएं	1983	महाराष्ट्र
3.	एलिफंटा गुफाएं	1987	महाराष्ट्र
4.	आगरा किला	1983	उत्तर प्रदेश
5.	ताजमहल	1983	उत्तर प्रदेश
6.	स्मारक समूह, फतेहपुर सीकरी	1986	उत्तर प्रदेश
7.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	1984	उड़ीसा
8.	स्मारक समूह, महाबलीपुरम्	1984	तमिलनाडु
9.	तंजावुर, गंगईकोंडाचोलापुरम् तथा दारासुरम स्थित विशाल जीवंत चोल मंदिर	1987 तथा 2004	तमिलनाडु
10.	चर्च तथा कॉन्वेंट, गोवा	1986	गोवा

1	2	3	4
11.	मंदिर समूह खजुराहो	1986	मध्य प्रदेश
12.	बौद्ध स्मारक, सांची	1989	मध्य प्रदेश
13.	प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, भीमबेटका	2003	मध्य प्रदेश
14.	स्मारक समूह, हम्पी	1986	कर्नाटक
15.	मंदिर समूह, पट्टडकल	1987	कर्नाटक
16.	हुमायूँ का मकबरा, दिल्ली	1993	दिल्ली
17.	कुतुब मीनार परिसर, दिल्ली	1993	दिल्ली
18.	लालकिला परिसर, दिल्ली	2007	दिल्ली
19.	चम्पानेर-पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान	2004	गुजरात
(रेल मंत्रालय के संरक्षणाधीन)			
20.	माउंटन रेलवे आफ इंडिया (दार्जिलिंग, नीलगिरि, कालका-शिमला)	1999, 2005, 2008	पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश
21.	छत्रपति शिवजी टर्मिनस (पूर्व विक्टोरिया टर्मिनस)	2004	महाराष्ट्र
(बौद्ध गया मंदिर प्रबंधन समिति के संरक्षणाधीन)			
22.	महाबोधि मंदिर, बौद्धगया	2002	बिहार
प्राकृतिक स्थल (पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के संरक्षणाधीन)			
1.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	1985	असम
2.	मानस वन्य जीव अभ्यारण्य	1985	असम
3.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	1985	राजस्थान
4.	सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान	1987	पश्चिम बंगाल

[हिन्दी]

संस्मारकों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए हैं;

मन्दिरों और संस्मारकों की सुरक्षा

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्य किये गये हैं; और

1468. श्री यशवंत लागुरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में वर्षवार कितनी राशि खर्च की गयी है?

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मंदिरों और

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में क्रमशः 78 (48 मंदिरों सहित) तथा 137 (55 मंदिरों सहित) केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं। ये स्मारक/स्थल भली भांति संरक्षित, परिरक्षित तथा सुरक्षित हैं। इन स्मारकों/स्थलों पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए रैम्पों के अलावा पेय जल, प्रसाधन कक्ष, सूचना पट्ट, सूचना ब्राशर, पहियादार कुर्सियां, उपयुक्त पहुंच मार्ग, भाषान्तरण केन्द्र आदि जैसी पर्यटक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में स्मारकों/स्थलों के रख-रखाव तथा मरम्मत पर व्यय की गई धनराशि इस प्रकार है:

राशि लाख रुपए में

राज्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (आबंटन)
उड़ीसा	298.98	278.29	234.16	250.00
आंध्र प्रदेश	661.47	743.23	865.00	600.00

[अनुवाद]

परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु एनजीओ को
धनराशि का आबंटन

1469. श्रीमती प्रिया दत्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु गैर-सरकारी संगठनों को कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एनजीओ-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है;

(ग) क्या सरकार ने इन एनजीओ के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो उन एनजीओ के नाम क्या हैं जिनके संदर्भ में कमियां पाई गयी हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) सूचना सकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कच्चे आम में रसायनों का उपयोग

1470. श्री एस.एस. रामासुब्बु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे आम को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) व्यापारियों द्वारा ऐसा किये जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का नियम 44एए ऐसे फलों की बिक्री का प्रतिषेध करता है जो एकटलीन गैस, जिसे प्रायः कैल्शियम कार्बाइड से उत्पादित कार्बाइड गैस के रूप में जाना जाता है, के प्रयोग से कृत्रिम रूप से पकाया गया हो। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सूचित किया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अनुसार कैल्शियम कार्बाइड छोटी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड और फास्फाइन जैसी गैसों पैदा करता है जो कि मिचली, उल्टी और सरदर्द पैदा करने के लिए जानी जाती हैं। राज्यों/संघ क्षेत्रों में खाद्य प्राधिकरणों, जो कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 को अपने राज्य/संघ क्षेत्र में क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं, से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कार्बाइड गैस का प्रयोग करने पर कड़ी निगरानी रखने और उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का समय-समय पर अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण

1471. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या नियंत्रण हेतु राज्यवार निर्धारित तथा प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्यों को दी गयी वित्तीय सहायता का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से ठोस कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि यह कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है। यह कार्यक्रम दम्पति को किसी मजबूरी के बिना उनकी पसन्द के अनुसार उनको उत्तम बैठने वाली परिवार नियोजन की विधियों को अपनाने में समर्थ बनाता है। जनसंख्या स्थिरीकरण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों में से एक है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकार का दृष्टिकोण प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपूरित मांगों को पूरा करने के लिए गर्भनिरोधक के व्यापक विकल्पों सहित दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इन सेवाओं में प्रसव, सुरक्षित गर्भपात, जननमार्गीय संक्रमणों का उपचार और परिवार नियोजन सेवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरसीएच-2) का दूसरा चरण भी शामिल है जिसका इरादा कुल प्रजनन दर, मातृ और शिशु रूग्णता और मृत्यु दर तथा अनचाही गर्भावस्थाओं को कम करके परिवार कल्याण के कार्यानिष्पादन में सुधार करना है। परिवार नियोजन की स्वीकार्यता को प्रोत्साहित करने और प्रदायकों को संरक्षा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- (1) नसबन्दी की असफलताओं, जटिलताओं और मौतों के लिए इसके स्वीकारकर्ताओं को मुआवजा देने हेतु नवम्बर, 2005 से राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई है और यह योजना डाक्टरों को क्षतिपूर्ति बीमा कवर भी प्रदान करती है।

- (2) अक्टूबर, 2006 में नसबन्दी के लिए मुआवजे के पैकेज को बढ़ाने संबंधी योजना शुरू की गई और परिवार नियोजन में विशेषतौर से पुरुष सहभागिता को बढ़ाने हेतु मुआवजे के पैकेज में आगे और संशोधन किया गया है, अर्थात् सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों में पुरुष नसबन्दी के लिए मौजूदा पैकेज को 800/- रुपए से बढ़ाकर 1500/-रुपए तक और महिला नसबन्दी के मौजूदा पैकेज को 800/-रुपए से बढ़ाकर 2000/-रुपए और सभी राज्यों में पुरुष नसबन्दी के लिए सभी श्रेणियों हेतु मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में 1500/-रुपए की एक समान धनराशि कर दी गई है।

- (3) परिवार नियोजन सेवाओं का उन्नयन करने हेतु चालू वर्ष से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं में विशिष्ट कार्य बिन्दुओं/कार्यनीतियों को शामिल कर दिया गया है।

- (4) पुरुष सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए नो स्कैलपेल पुरुष नसबन्दी की स्वीकार्यता बढ़ाना।

- (5) इसके 10 वर्ष के लम्बे समय तक चलने और अन्य आई. यू.डी. पर लाभों के कारण बच्चों के जन्म में अंतर रखने की एक विधि के रूप में आईयूडी 380ए को जोरदार ढंग से बढ़ावा देना।

- (6) 247 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बढ़ती हुई संख्या और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के बेहतर कार्यकरण के कारण वर्ष के दौरान निश्चित दिन निश्चित स्थान पर परिवार नियोजन सेवाएं संभव हुईं।

- (7) इस कार्यक्रम में व्यवस्थित ढंग से परिवार नियोजन के विकल्पों को बढ़ाना और नए तथा कारगर गर्भनिरोधकों को सावधानीपूर्वक शुरू करना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मासिक स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस संस्थापित करने के जरिए पहुंच बाह्य कार्यकलापों ने भी मदद की है।

विवरण

वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि हेतु राज्य-वार जारी की गई कुल धनराशियां

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	2006-07 जारी धनराशि	2007-08 जारी धनराशि	2008-09 जारी धनराशि	2009-10* जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	38708.77	59341.93	62009.92	9620.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	4226.93	3554.88	2390.50	711.85
3.	असम	34332.53	57498.89	56909.98	15165.14
4.	बिहार	45352.77	46660.86	91823.75	14202.55
5.	छत्तीसगढ़	13165.71	16222.90	22334.20	5188.97
6.	गोवा	275.82	310.49	1296.33	252.15
7.	गुजरात	28373.55	39296.77	32287.60	8304.75
8.	हरियाणा	12709.35	12634.44	17708.92	3132.69
9.	हिमाचल प्रदेश	7435.38	5123.66	5973.65	1844.82
10.	जम्मू और कश्मीर	5309.47	16133.29	7623.05	2483.19
11.	झारखंड	15306.82	14744.64	21995.96	3848.00
12.	कर्नाटक	25614.71	29690.07	41896.06	9467.38
13.	केरल	15940.14	28114.55	21841.89	3095.00
14.	मध्य प्रदेश	43879.49	60787.02	70096.54	12157.76
15.	महाराष्ट्र	32881.56	66728.64	57180.34	15393.75
16.	मणिपुर	3216.54	4270.56	5040.21	1528.27
17.	मेघालय	2960.65	3514.41	3770.34	1341.48
18.	मिजोरम	4463.78	2567.74	2866.60	795.23
19.	नागालैंड	3391.83	3513.27	4661.06	1210.19

1	2	3	4	5	6
20.	उड़ीसा	19341.80	33287.42	36423.33	7104.64
21.	पंजाब	14894.48	11411.71	18333.24	3794.10
22.	राजस्थान	43689.28	65307.63	78507.28	11735.25
23.	सिक्किम	2340.56	3266.89	1682.56	483.45
24.	तमिलनाडु	32815.68	52313.85	47822.45	10497.86
25.	त्रिपुरा	3117.80	6875.02	7072.28	2020.64
26.	उत्तर प्रदेश	111647.43	145724.36	162977.40	30146.19
27.	उत्तरांचल	5438.27	15101.60	10320.87	1982.26
28.	पश्चिम बंगाल	40186.31	51787.97	53639.44	11909.55
कुल-सभी राज्य		611017.41	855785.46	946485.75	189417.53

विधानसभा वाले संघ क्षेत्र

1.	दिल्ली	4218.03	6229.76	10918.69	1873.00
2.	पांडिचेरी	371.49	437.62	390.00	93.00

बिना विधानसभा वाले संघ क्षेत्र

1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	551.00	891.87	461.02	34.00
2.	चंडीगढ़	400.39	445.04	213.61	86.00
3.	दादरा और नगर हवेली	200.56	128.80	100.65	21.00
4.	दमन और दीव	277.14	149.03	69.24	8.00
5.	लक्षद्वीप	155.02	65.13	27.09	6.00

कुल (संघ क्षेत्र)		6173.63	8347.25	12180.30	2121.00
कुल योग		617191.04	864132.71	958666.05	191538.53

*आंकड़े अनंतिम हैं

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

1472. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1999 से देश भर में वार्षिक रूप से 11 मई को विभिन्न संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। प्रौद्योगिकीय दिवस मनाने का उद्देश्य प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों को याद करना और पुरस्कारों तथा कार्य को मान्यता प्रदान कर भारतीय उद्यमियों/नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित करना तथा सार्वजनिक एवं निजी दोनों संस्थानों द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करना है।

(ग) सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों में वैज्ञानिक मानवशक्ति समूह का विस्तार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना को सुदृढ़ करना तथा विज्ञान में कैरियर बनाने के लिए युवाओं को आकर्षित करना और इन्हें इसमें कायम रखना; ऐसे चुनिंदा प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना जिनका मिशन मोड में देश की प्रौद्योगिकीय प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रत्यक्ष प्रभाव हो; वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी अनुसंधान सुविधाओं तथा उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करना; अनुसंधान और विकास के आरंभिक प्रमाणों को विकासमान प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करने के लिए वैज्ञानिकों में नवोन्मेषी प्रवृत्ति को उत्प्रेरित करना; उच्चतर शिक्षा, विशेषकर विश्वविद्यालयों तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के नए माडलों

का विकास करना और वृहत् स्तर की अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संबंधी पहलों में भागीदारी सहित विकसित देशों के साथ मजबूत संबंधों को प्रोत्साहित करना शामिल है।

[हिन्दी]

देश में मौसम केन्द्र

1473. श्री राकेश सिंह : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश के विभिन्न भागों में स्वचालित मौसम केन्द्रों (एडब्ल्यूएस) की स्थापना करने की महत्वाकांक्षी योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए राज्यवार चिन्हित स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) एडब्ल्यूएस की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी जिलों को कवर करते हुए पूरे भारत में स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) का मजबूत नेटवर्क स्थापित करने की योजना बनाई है। वर्तमान में 177 एडब्ल्यूएस स्टेशन (अंटार्कटिका स्थित एक स्टेशन भी शामिल है) का एक नेटवर्क पहले से ही कार्यरत है। इसकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पूरे देश को कवर करते हुए एडब्ल्यूएस नेटवर्क का कार्य दिसंबर, 2009 तक पूरा हो जाएगा।

विवरण**वर्तमान एडब्ल्यूएस के स्थान**

क्र.सं.	स्टेशन	जिला	राज्य
1	2	3	4
1.	पोर्ट ब्लेयर	संघशासित क्षेत्र	अंडमान और निकोबार

1	2	3	4
2.	अमाडालवालसा	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश
3.	बापातला	गुंटुर	आंध्र प्रदेश
4.	भिमनी-पट्टनम	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश
5.	दारसी	प्रकाशम	आंध्र प्रदेश
6.	हैदराबाद	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
7.	कावाली	नैल्लौर	आंध्र प्रदेश
8.	नारसापुर	पश्चिमी गोदावरी	आंध्र प्रदेश
9.	नैल्लौर	नैल्लौर	आंध्र प्रदेश
10.	पेद्दापुरम	पूर्वी गोदावरी	आंध्र प्रदेश
11.	शार	श्रीहरिकोटा	आंध्र प्रदेश
12.	तिरुमला	चित्तूर	आंध्र प्रदेश
13.	विजयनगरम	विजयनगरम	आंध्र प्रदेश
14.	येलमांचिली	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश
15.	अंटार्कटिका		अंटार्कटिका
16.	बोंडिलो	पश्चिमी कैमंग	अरुणाचल प्रदेश
17.	चेंगलेंग	चेंगलेंग	अरुणाचल प्रदेश
18.	दपोरिजो	ऊपरी सुबानसीरी	अरुणाचल प्रदेश
19.	मैचुका	पश्चिमी सियांग	अरुणाचल प्रदेश
20.	नहरलगुन	पपुमपारे	अरुणाचल प्रदेश
21.	पासीघाट	पूर्वी सियांग	अरुणाचल प्रदेश
22.	तवांग	तवांग	अरुणाचल प्रदेश
23.	टुटिंग	ऊपरी सियांग	अरुणाचल प्रदेश

1	2	3	4
24.	जिरो	निचला सुबानसीरी	अरुणाचल प्रदेश
25.	गुवाहाटी	कंप्रुप	असम
26.	रायपुर	रायपुर	छत्तीसगढ़
27.	अयंगगर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली	दिल्ली
28.	दिल्ली विश्वविद्यालय	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली	दिल्ली
29.	मुगेशपुर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली	दिल्ली
30.	पीतमपुरा	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली	दिल्ली
31.	पूसा	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली	दिल्ली
32.	दीव	संघशासित प्रदेश	दीव एवं दमन
33.	गोवा	गोवा	गोवा
34.	अहमदाबाद	गांधीनगर	गुजरात
35.	आनंद	खेड़ा	गुजरात
36.	भुज	कच्छ	गुजरात
37.	द्वारका	जामनगर	गुजरात
38.	जखुआ	कच्छ	गुजरात
39.	कांडला	कच्छ	गुजरात
40.	कच्छ मांडवी	कच्छ	गुजरात
41.	महुआ	भावनगर	गुजरात
42.	राजकोट	राजकोट	गुजरात

1	2	3	4
43.	वेरावल	जूनागढ़	गुजरात
44.	अंबाला	अंबाला	हरियाणा
45.	बालासामंड	हिसार	हरियाणा
46.	बावल	रेवाड़ी	हरियाणा
47.	भिवानी	भिवानी	हरियाणा
48.	भोपानी	फरीदाबाद	हरियाणा
49.	दामला	यमुना नगर	हरियाणा
50.	फतेहाबाद	फतेहाबाद	हरियाणा
51.	हिसार	हिसार	हरियाणा
52.	जगदीशपुर	सोनीपत	हरियाणा
53.	झज्जर	झज्जर	हरियाणा
54.	कैथल	कैथल	हरियाणा
55.	कौल	कौल	हरियाणा
56.	गुडगांव	गुडगांव	हरियाणा
57.	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	हरियाणा
58.	महेंद्रगढ़	महेंद्रगढ़	हरियाणा
59.	मंडाकोला	नुह	हरियाणा
60.	मेवात	नुह	हरियाणा
61.	पंचकुला	पंचकुला	हरियाणा
62.	पंडु पिंडारा	जौंद	हरियाणा
63.	रोहतक	रोहतक	हरियाणा
64.	सादलपुर	हिसार	हरियाणा
65.	सिरसा	सिरसा	हरियाणा

1	2	3	4
66.	उचानी	करनाल	हरियाणा
67.	उजा	पानीपत	हरियाणा
68.	बंजुरा	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश
69.	बिलासपुर	बिलासपुर	हिमाचल प्रदेश
70.	चंबा	चंबा	हिमाचल प्रदेश
71.	चेल्सी स्कूल	शिमला	हिमाचल प्रदेश
72.	सीपीआरआई कैंपुर	शिमला	हिमाचल प्रदेश
73.	डलहौजी	चंबा	हिमाचल प्रदेश
74.	धर्मशाला	कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश
75.	हमीरपुर	हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश
76.	कसौली	सोलन	हिमाचल प्रदेश
77.	केयलांग	लाहौल एवं स्पिती	हिमाचल प्रदेश
78.	खोतखई	शिमला	हिमाचल प्रदेश
79.	कुफरी	शिमला	हिमाचल प्रदेश
80.	कुकुमसरी	लाहौर एवं स्पिती	हिमाचल प्रदेश
81.	मंडी	मंडी	हिमाचल प्रदेश
82.	मशोबरा	शिमला	हिमाचल प्रदेश
83.	नहान	शिमुर	हिमाचल प्रदेश
84.	नरकांडा	शिमला	हिमाचल प्रदेश
85.	नौनी	सोलन	हिमाचल प्रदेश
86.	पालमपुर	कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश
87.	रामपुर	उना	हिमाचल प्रदेश

1	2	3	4
88.	रेकन पेओ	किन्नौर	हिमाचल प्रदेश
89.	सैन्ज	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश
90.	सियो बाघ	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश
91.	धनबाद	धनबाद	झारखंड
92.	रांची	रांची	झारखंड
93.	अगुम्बे	शिमोगा	कर्नाटक
94.	बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक
95.	बेल्लारी	बेल्लारी	कर्नाटक
96.	बिदार	बिदार	कर्नाटक
97.	ब्रह्मावर	उडिपि	कर्नाटक
98.	कायमकुलम	अलापुझा	केरल
99.	कोटांकरा	कोलम	केरल
100.	पिलिकोड	कसारगोड़े	केरल
101.	तवानुर	मल्लापुर	केरल
102.	तिरुवनंतपुरम	तिरुवनंतपुरम	केरल
103.	मिनिकाय	मिनिकाय	लक्षद्वीप
104.	भोपाल	भोपाल	मध्य प्रदेश
105.	ग्वालियर	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
106.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश
107.	इंदौर	इंदौर	मध्य प्रदेश
108.	डपोली	रत्नागिरि	महाराष्ट्र
109.	देवगढ़	सिंधुदुर्ग	महाराष्ट्र

1	2	3	4
110.	महाबलेश्वर	सतारा	महाराष्ट्र
111.	मुंबई-कोलाबा	मुंबई	महाराष्ट्र
112.	मुंबई-साता-क्रुज	मुंबई	महाराष्ट्र
113.	नागपुर	नागपुर	महाराष्ट्र
114.	नासिक	नासिक	महाराष्ट्र
115.	पाषाण-पुणे	पुणे	महाराष्ट्र
116.	पुणे	पुणे	महाराष्ट्र
117.	रहुरी	अहमदनगर	महाराष्ट्र
118.	राजगुरुनगर	पुणे	महाराष्ट्र
119.	मुरुड	रायगढ़	महाराष्ट्र
120.	शिरडी	अहमदनगर	महाराष्ट्र
121.	दिमापुर	चुमुकेडिनिया	नागालैंड
122.	कोहिमा	कोहिमा	नागालैंड
123.	सेचु	कोहिमा	नागालैंड
124.	नई दिल्ली	नई दिल्ली	नई दिल्ली
125.	बासुदेवपुर	भद्रक	उड़ीसा
126.	बोनैगढ़	सुंदरगढ़	उड़ीसा
127.	ब्रह्मागिरी	पुरी	उड़ीसा
128.	चांदीपुर	बालासौर	उड़ीसा
129.	नवापाड़ा	नवापाड़ा	उड़ीसा
130.	निम्पारा	पुरी	उड़ीसा
131.	रम्भा	गंजम	उड़ीसा
132.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	पांडिचेरी

1	2	3	4
133.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	पंजाब
134.	कपूरथला	कपूरथला	पंजाब
135.	भरतपुर	भरतपुर	राजस्थान
136.	बीकानेर	बीकानेर	राजस्थान
137.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	राजस्थान
138.	जयपुर	जयपुर	राजस्थान
139.	जैसलमेर	जैसलमेर	राजस्थान
140.	झुझु	झुझु	राजस्थान
141.	जोधपुर	जोधपुर	राजस्थान
142.	गंगटोक	पूर्वी सिक्किम	सिक्किम
143.	आदिरामापट्टिनम	तंजावुर	तमिलनाडु
144.	चेन्नै	चेन्नै	तमिलनाडु
145.	चिदंबरम	कुड्डलौर	तमिलनाडु
146.	कलावै	कांचीपुरम	तमिलनाडु
147.	करैकल	पांडिचेरी	तमिलनाडु
148.	मैलम	वेल्लुपुरम	तमिलनाडु
149.	नेय्यूर	कन्याकुमारी	तमिलनाडु
150.	तिरुचेंदूर	तूथुकुडी	तमिलनाडु
151.	तूतीकोरिन बंदरगाह	तूथुकुडी	तमिलनाडु
152.	वेदासंदूर	डिडिगुल	तमिलनाडु
153.	आगरा	आगरा	उत्तर प्रदेश
154.	कानपुर	कानपुर	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4
155.	लखनऊ	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
156.	मथुरा	मथुरा	उत्तर प्रदेश
157.	पल्लीकलन	लखीमपुर-खेड़ी	उत्तर प्रदेश
158.	रानी चौरी	टिहरी-गढ़वाल	उत्तर प्रदेश
159.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश
160.	वाराणसी	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
161.	चमौली	चमौली	उत्तरांचल
162.	देहरादून	देहरादून	उत्तरांचल
163.	जोशीमठ	चमौली	उत्तरांचल
164.	मुक्तेश्वर	नैनीताल	उत्तरांचल
165.	पुरोला	उत्तरकाशी	उत्तरांचल
166.	रुद्र प्रयाग	रुद्र प्रयाग	उत्तरांचल
167.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	उत्तरांचल
168.	कर्निंग	24 परगना	पश्चिम बंगाल
169.	दार्जिलिंग	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल
170.	हासिमारा	हासिमारा	पश्चिम बंगाल
171.	ककद्वीप	24 परगना	पश्चिम बंगाल
172.	खेजुरी	झड़ग्राम	पश्चिम बंगाल
173.	कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
174.	नीमपीठ	24 परगना	पश्चिम बंगाल
175.	पुरुलिया	पुरुलिया	पश्चिम बंगाल
176.	रैदिधी	24 परगना	पश्चिम बंगाल
177.	सागर द्वीप	दक्षिणी 24 परगना	पश्चिम बंगाल

[अनुवाद]

निर्धन कैसर और गुर्दा रोगियों को वित्तीय सहायता

1474. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कैसर और गुर्दा के रोग से पीड़ित निर्धन रोगियों को वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है और केन्द्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा कर रही है।

गरीबी रेखा के नीचे रह रहे और कैसर और नेफ्रोलीजी सहित बड़ी जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को 'स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान', 'राष्ट्रीय आरोग्य निधि' और नवगठित 'स्वास्थ्य मंत्री की कैसर रोगी निधि' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सीजीएचएस के कम्प्यूटरीकरण पर व्यय

1475. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कम्प्यूटरीकरण पर कितना व्यय हुआ है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कम्प्यूटरीकरण के लिए अब तक 25.86 करोड़ रुपए की मंजूरी जारी की गई है।

आइला चक्रवात

1476. श्री मिलिंद देवरा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आइला चक्रवात ने सुन्दरवन के बंगाल टाइगर्स सहित कच्छ वनस्पति तथा वन्यजीव को नुकसान पहुंचाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कच्छ वनस्पति और वन्यजीव को कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या मौसम विभाग द्वारा चक्रवात का पूर्वानुमान लगाया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 25.05.2009 को सुंदरवन के बाघ रिजर्व में 'आइला' चक्रवात आया था, जिससे बड़े पैमाने पर आई बाढ़ और निकटवर्ती गांवों के बांधों में दरारें आने के कारण उपरोक्त रिजर्व के किनारे के गांवों और फील्ड कैंपों को काफी नुकसान हुआ। 25.5.2009 को एक बाघ के भाग जाने की सूचना प्राप्त हुई ट्रैकुलाइज करके 26.05.2009 को पकड़ लिया गया और बाद में रिजर्व में छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त, दो हिरनों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके अलावा पास के गांव में 8 हिरनों को बचाने की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से प्राप्त सलाह के आधार पर राज्य ने एक समिति के माध्यम से नुकसान का मूल्यांकन किया है जो 111.50 रु. है। इसके अतिरिक्त, क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण खारा पानी प्रतिरोधक धान बीजों की आपूर्ति, जलाशयों के निर्माण और संबंधित कार्यों तथा सुंदरवन बाघ रिजर्व के पारिविकास/वन विकास समितियों के लिए भी 2.075 करोड़ रु. की धनराशि प्रोजेक्ट की गई हैं।

(ग) और (घ) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पूर्वानुमान लगाया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के लिए तथा पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 21 चेतावनी बुलेटिन शामिल थे।

(ङ) राज्य सरकार ने लोगों की भलाई के लिए पारिविकास पहल हेतु सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, सुंदरवन बाघ रिजर्व और पास के प्रभावित गांवों में मकानों की अवसंरचना में हुई क्षति के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव किया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने केन्द्रीय प्रायोजित बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत इसके लिए 1 करोड़ रु. की सहायता देने की घोषणा की है।

[हिन्दी]

बिहार में जलाशय परियोजना

1477. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार राज्य सरकार से मासन जलाशय परियोजना के संबंध में कोई पत्र/संवाद प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) :

(क) और (ख) बिहार सरकार से मासन जलाशय परियोजना के संबंध में ऐसा कोई पत्र/सूचना जल संसाधन मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-पाक वार्ता

1478. श्री एम. राजामोहन रेड्डी :

श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने व्यापक और गहरे पारस्परिक संबंध हेतु भारत और पाक की वार्ता पुनः शुरू करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) अमरीकी मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने यह कहा है कि "हम यह मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान वास्तव में कई साझा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तथा हम दोनों के बीच वार्ता के स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि उक्त वार्ता के कदम, क्षेत्र तथा स्वरूप वहीं होंगे, जो कि भारत तथा पाकिस्तान के द्वारा स्वयं अपनी शर्तों तथा अपने समय के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।"

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन

1479. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले पशुओं, पक्षियों व लोगों के वातावरण और उनके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने तथा प्राकृतिक संसाधनों को बचाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) और (ख) मंत्रालय को बहु-राष्ट्रीय कंपनियों (एन.एन.सी) सहित विभिन्न उद्यमियों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना (ई.आई.ए.), 2006 की अनुसूची में दर्ज विकास संबंधी विभिन्न कार्य-कलाप शुरू करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता शामिल है।

(ग) से (ङ) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए उद्यमी परियोजना विशिष्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और संभव पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार करते हैं। परियोजना को तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने की अवस्था में पर्यावरणीय सरोकारों का निराकरण किया जाता है क्षेत्र विशिष्ट बहुपक्षीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों के मूल्यांकन और सिफारिश पर पर्यावरणीय मंजूरी देते समय परियोजना चक्र के दौरान कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय निर्धारित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना

1480. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :

श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करने हेतु आन्ध्र प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही 'राजीव आरोग्य श्री' के समान एक स्वास्थ्य बीमा योजना क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार 'आरोग्यश्री सेवाओं' के लिए वित्तपोषण की राशि बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राजीव आरोग्यश्री योजना के वित्तपोषण को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह महंगे तृतीयक परिचर्या सर्जिकल कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक प्रणाली को सुदृढ़ करना, प्राथमिक आन्तरिक रोगी परिचर्या प्रदान करना और जहां भी आवश्यक हो सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से भागीदारी प्राप्त करना है।

[हिन्दी]

सिख तीर्थयात्रियों को वीजा देने से मना किया जाना

1481. श्री अशोक कुमार रावत : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब जाने की इच्छा रखने वाले देश के सिख तीर्थयात्रियों को वीजा देने से मना किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जब पाकिस्तान द्वारा सिख तीर्थयात्रियों को वीजा देने से मना किया गया है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उपाय किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (घ) तीर्थयात्रियों सहित भारतीय राष्ट्रकों को पाकिस्तान की यात्रा के लिए वीजा प्रदान करना पाकिस्तान सरकार का विशेषाधिकार है। धार्मिक स्थलों की यात्रा संबंधी द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के अंतर्गत धर्मस्थलों एवं तीर्थयात्रियों, दोनों की संख्या को बढ़ाने के एक प्रस्ताव पर चार वर्षों से पाकिस्तान की सरकार के साथ बातचीत की जा रही है। तथापि, पाकिस्तान से औपचारिक रूप से इन प्रस्तावों पर उत्तर प्राप्त होने हैं।

नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंध

1482. योगी आदित्यनाथ : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में हाल ही में हुए राजनीतिक परिवर्तनों से नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या नेपाल में हो रही भारत विरोधी गतिविधियों की ओर सरकार का ध्यान गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) भारत तथा नेपाल के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संबंध काफी घनिष्ट व मैत्रीपूर्ण रहे हैं, जो कि विलक्षण है तथा समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हमने श्री माधव नेपाल को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका निर्वाचन होने पर बधाई दी है तथा किसी भी तरीके से नेपाल का समर्थन करने तथा उसके साथ संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने तथा उसके द्वारा अपेक्षित किसी भी सीमा तक मदद करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। 20-21 जून, 2009 को विदेशी सचिव की नेपाल यात्रा के दौरान नयी नेपाल सरकार के समक्ष हमारी यह वचनबद्धता दोहरायी

गयी थी। दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भी सहमत थे।

(ग) से (ङ) हाल ही में नेपाल में कुछ मीडिया रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जो कि भारत द्वारा नेपाली भूभाग के तथाकथित अतिक्रमण से संबंधित हैं। उनकी जांच की गयी है तथा उन्हें गलत पाया गया है। ऐसी घटनाओं को आवश्यक कार्रवाई के लिए नेपाल सरकार के साथ उठाया गया है। भारत-नेपाल सीमा के 96% भूभाग से संबंधित नक्शों को संयुक्त रूप से अंतिम रूप दिया गया है तथा उन पर आद्याक्षर किए गए हैं। इन पर पूर्णाधिकारिक स्तर पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए जिला स्तर सहित प्रभावशाली सीमा प्रबंधन के लिए द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र हैं। इनके अलावा विदेश सचिव की हाल की नेपाल यात्रा के दौरान स्थानीय स्तर पर ऐसे तंत्र स्थापित करने की भी सहमति हुई है।

[अनुवाद]

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

1483. डॉ. के.एस. राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागरिक केन्द्रित प्रशासन के संबंध में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा लोक शिकायत अधिकारियों, जो लोक शिकायतें निपटाने के लिए उत्तरदायी हैं, की नियुक्ति का मंत्रालय-वार/विभाग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) नागरिक केन्द्रित प्रशासन के संबंध में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.) की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:-

- (1) नागरिक चार्टरों को प्रभावी बनाना-सुधार के लिए एक कार्यसूची
- (2) नागरिक केन्द्रीयता के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग का सात श्रेणी माडल
- (3) प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी

(4) महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांगों की भागीदारी

(5) शिकायतोन्मुखी क्षेत्रों का विश्लेषण और पहचान सहित प्रभावी लोक शिकायत निवारण तंत्र तैयार करना

(6) उपभोक्ता संरक्षण

ये सिफारिशें नागरिक केन्द्रित प्रशासन-गवर्नेंस का सार नामक 12वीं रिपोर्ट का हिस्सा हैं। यह रिपोर्ट सार्वजनिक सूचना के लिए <http://www.arc.gov.in> पर उपलब्ध है। इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में भी रखी गई हैं। लोक शिकायतों के निवारण के लिए उत्तरदायी नियुक्त किये गये लोक शिकायत अधिकारियों के मंत्रालय-वार/विभाग-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा वर्ष 2006, 2007, 2008 और 2009 (30.06.2009 तक) के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या क्रमशः 109620, 101995, 124052 और 52933 हैं। केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं और शिकायतों पर एक विकेन्द्रीयकृत तरीके से कार्रवाई की जाती है।

विवरण

मंत्रालयों/विभागों में लोक शिकायत अधिकारियों की एक सूची

1. कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग

श्रीमती उमा गोयल,
संयुक्त सचिव (प्रशा., पी.सी. एवं लो.शि.),
कमरा सं. 242 क, कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001

2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

श्री राम अवतार,
निदेशक, कमरा सं. 223,
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

3. पशुपालन तथा डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग

श्री दिलीप रथ,
संयुक्त सचिव (प्रशा. 7 लो.शि.),
कमरा सं. 245, कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

श्री प्रवीर कुमार,
संयुक्त सचिव (एम.एस.एम.ई.),
कमरा सं. 122-बी
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001

5. रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(i) उर्वरक विभाग

श्री संजय कुमार सिन्हा,
उप सचिव (प्रशा. एवं सतर्कता), कमरा सं. 104,
बी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

(ii) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

श्री देवेन्द्र चौधरी,
संयुक्त सचिव,
कमरा सं.-340-ए, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

6. नागर विमानन मंत्रालय

श्री प्रशांत सुकुल,
संयुक्त सचिव,
राजीव गांधी भवन, कमरा सं. 272,
बी ब्लॉक, सफदरजंग एयरपोर्ट,
नई दिल्ली-110003

7. कोयला मंत्रालय

श्री पी. सोमा शेखर रेड्डी,
निदेशक (लो.शि.),
कमरा सं. 303, बी-विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

8. खान मंत्रालय

श्रीमती अजीता बाजपेयी पाण्डेय,
संयुक्त सचिव (लो.शि.),
कमरा सं. 322, ए-विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

9. वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

(i) वाणिज्य विभाग

श्री नीरज कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
कमरा सं. 288, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110001

(ii) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

श्री गोपाल कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
कमरा सं. 135-क, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110001

10. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(i) उपभोक्ता मामले विभाग

डॉ. केवल राम,
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार,
कमरा सं. 30, ए-विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

(ii) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

डॉ. जॉय आई चिनाथ,
संयुक्त सचिव,
कमरा सं. 158, कृषि भवन
नई दिल्ली-110001

11. संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(i) डाक विभाग

श्री राजेन्द्र कश्यप,
उप महानिदेशक (लो.शि. एवं क्यू.ए.)
कमरा सं. 312, डाक भवन,
तृतीय तल, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

(ii) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

श्री एस.एस. सिंह,
उप महानिदेशक (लो.शि.),
कमरा सं. 1210, संचार भवन,
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

(iii) सूचना औद्योगिकी विभाग

श्री एन. रवि शंकर,
संयुक्त सचिव/लोक एवं कर्मचारी शिकायत निदेशक,
इलेक्ट्रानिक्स निकेतन,
6, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
नई दिल्ली-110003

12. गृह मंत्रालय

श्री के.सी. जैन,
संयुक्त सचिव, (समन्वय एवं लो.शि.),
कमरा सं.09, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001

13. संस्कृति मंत्रालय

श्री वी.एस. मदान,
संयुक्त सचिव,
कमरा सं. 218, सी-विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

14. कारपोरेट कार्य मंत्रालय

श्री जितेश खोसला,
संयुक्त सचिव,
कमरा सं. 507, क-स्कंध,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

15. रक्षा मंत्रालय

श्री अजय तिकी,
संयुक्त सचिव, (स्थापना/लो.शि.) एवं सी.वी.ओ.
कमरा सं. 198-क, साऊथ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110011

16. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

श्री ए.के. गोयल,
संयुक्त सचिव, (प्रशा.),
चौथा तल, कमरा सं. 440,
पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

17. विदेश मंत्रालय

श्री ए. मणिकम,
संयुक्त सचिव, (सी.पी.वी. एवं सी.पी.ओ.),
कमरा सं.20, सी.पी.वी. प्रभाग,
पटियाला हाउस एनेक्सी, तिलक मार्ग,
नई दिल्ली-110001

18. वित्त मंत्रालय

(क) आर्थिक कार्य विभाग (मुख्य)

श्री कुमार संजय कृष्णा,
संयुक्त सचिव,
कमरा सं. 40-ख,
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

(ख) वित्तीय सेवा विभाग

(i) बैंकिंग प्रभाग,

श्री के.वी. ईपेन,
संयुक्त सचिव, (बी.ए.),
जीवनदीप भवन (तीसरा तल),
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

(ii) बीमा प्रभाग

श्री तरुण बजाज,
संयुक्त सचिव (बी एवं आई),
वित्त विभाग,
तीसरा तल, जीवनदीप भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

(iii) निवेश शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

(भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (एस.ई.बी.आई.))

श्री आर.के. नायर,
कार्यपालक निदेशक, (लोक शिकायत, भारतीय प्रतिभूति
विनिमय बोर्ड (एस.ई.बी.आई.), एस.ई.बी.आई. भवन,
प्लॉट सी-4क, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा,
मुंबई-400051

(ख) व्यय विभाग

श्री शक्ति कांता दास,
संयुक्त सचिव (पी.एफ.1),
कमरा सं. 169-ग, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली।

(ग) राजस्व विभाग (मुख्यालय)

श्री मुकुल सिंघल,
संयुक्त सचिव (राजस्व),
कमरा सं. 46, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली

(i) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

श्री एस.सी. सरकार,
उप सचिव (मुख्यालय),
सी.बी.डी.टी.,
कमरा सं.255, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

श्री एल.के. गुप्ता,
संयुक्त सचिव (प्रशा.-ई.सी.),
कमरा सं. 155-ग, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001

प्रवर्तन निदेशालय

श्री एस.के. पंडा,
विशेष निदेशक, 6वां तल,
लोकनायक भवन, खान मार्किट
नई दिल्ली-110003

(घ) विनिवेश विभाग

श्री सिद्धार्थ प्रधान,
संयुक्त सचिव,
सार्वजनिक उद्यम भवन,
कमरा सं.520, ब्लॉक सं. 14,
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003

19. खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय

श्री के. राजेश्वर राव
संयुक्त सचिव (लो.शि.),
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली-110049

20. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण

(i) स्वास्थ्य विभाग

(ii) परिवार कल्याण विभाग

(iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी

श्री देबाशीष पंडा
संयुक्त सचिव,
कमरा सं. 146, ए-विंग
निर्माण भवन, नई दिल्ली-11

21. भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय

(i) भारी उद्योग विभाग

श्री अम्बुज शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उद्योग भवन, कमरा सं. 183,
नई दिल्ली-110011

(ii) लोक उद्यम विभाग

श्री जी.एस. बोथयाल,
निदेशक (लो.शि.),
लोक उद्यम विभाग,
ब्लॉक 14, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

22. मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(i) उच्चतर शिक्षा विभाग

(ii) विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री सुनील कुमार,
संयुक्त सचिव,
शास्त्री भवन, सी. विंग,
कमरा सं. 215, नई दिल्ली-110001

23. महिला और बाल विकास मंत्रालय

श्री महेश अरोड़ा,
निदेशक,
कमरा सं. 638, शास्त्री भवन,
ए-विंग, नई दिल्ली-110001

24. सूचना और प्रसारण मंत्रालय

श्रीमती स्तुति कक्कड़,
अपर सचिव,
कमरा सं. 552, ए-विंग
शास्त्री भवन, डॉ. आर.पी. मार्ग,
नई दिल्ली-01

25. श्रम तथा रोजगार मंत्रालय

श्री एस.के. देव वर्मन,
संयुक्त सचिव,
कमरा सं. 107, श्रम शक्ति भवन,
रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

26. विधि एवं न्याय मंत्रालय

(i) विधि कार्य विभाग एवं विधायी विभाग

श्री आर. रघुपति,
संयुक्त सचिव,
चौथा तल, ए-विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

(ii) न्याय विभाग

श्री एस.बी. विश्वास,
निदेशक (एच.सी. एवं जे.),
जैसलमेर भवन, 26 मान सिंह मार्ग,
नई दिल्ली।

27. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

डॉ. क्वेक बंधोपाध्याय,
निदेशक (लो.शि.),
कमरा सं. 1020, ब्लॉक सं. 14,
पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-03

28. संसदीय कार्य मंत्रालय

श्री पी. गोपालकृष्णन,
संयुक्त सचिव,
87, संसद भवन,
नई दिल्ली

29. कार्मिक तथा शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(i) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग

डॉ. श्यामल कुमार सरकार,
संयुक्त सचिव (ए.टी. एवं ए.),
कमरा सं. 109, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001

(ii) पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

श्री एम.पी. सिंह,
निदेशक,
लोकनायक भवन, कमरा सं. 320,
तीसरा तल, खान मार्किट,
नई दिल्ली-110003

30. पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री के. माझी,
निदेशक,
कमरा सं. 207-ख,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

31. ऊर्जा मंत्रालय

श्री सुधीर कुमार,
संयुक्त सचिव एवं एफ.ए.,
कमरा सं. 209, द्वितीय तल,
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

32. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

श्री सुनील कुमार,
कार्यकारी निदेशक (लो.शि.),
चौथा तल, कमरा सं. 471, रेल भवन,
नई दिल्ली-110001

33. पोत परिवहन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(i) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग

श्री सरोज कुमार दास,
संयुक्त सचिव (प्रशा., टी. एवं लो.शि.),
कमरा सं. 516, परिवहन भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

(ii) पोत परिवहन विभाग

श्री राकेश श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव (बंदरगाह एवं प्रशा.),
कमरा सं. 411, परिवहन भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

34. ग्रामीण विकास मंत्रालय

(i) ग्रामीण विकास विभाग

(ii) भू संसाधन विभाग

(iii) पेयजल आपूर्ति विभाग

श्री जे.के. महापात्रा,
संयुक्त सचिव (प्रशा.) एवं सी.वी.ओ.,
कमरा सं. 162, कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001

35. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(i) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

श्री राकेश भारतीय,
निदेशक (लो.शि.),
प्रौद्योगिकी भवन,
नई महारौली रोड, नई दिल्ली-110016

(ii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग

श्री एन.एस. सामंत,
संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं लो.शि.),
कमरा सं. 711, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

(iii) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

श्री निखिलेश झा,
संयुक्त सचिव (लो.शि.),
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

36. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

श्री बी.एस. छाबड़ा,
निदेशक,
कमरा सं. 410-एच, चौथा तल
सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

37. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

डॉ. विनोद अग्रवाल,
संयुक्त सचिव (प्रशा.),
कमरा सं. 633, ए-विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

38. इस्पात मंत्रालय

श्री जी. एलियास,
संयुक्त सचिव,
कमरा सं. 289, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110001

39. वस्त्र मंत्रालय

श्री जे.के. शर्मा,
संयुक्त सचिव,
कमरा सं. 270-बी उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110001

40. जनजातीय कार्य मंत्रालय

डॉ. बचितर सिंह,
संयुक्त सचिव एवं शिकायत निदेशक,
कमरा सं. 741,
'क' स्कंध, सातवां तल,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

41. शहरी विकास मंत्रालय

श्रीमती अदिति एस. रे,
आर्थिक सलाहकार,
कमरा सं. 219-ए, सी स्कंध,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

42. जल संसाधन मंत्रालय

श्री एस.एस.के. राव,
निदेशक (समुन्वय एवं पीपीपी),
श्रम शक्ति भवन,
कमरा सं. 623, छाया तल, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

43. भू विज्ञान मंत्रालय

श्री एम.एल. शर्मा,
उप सचिव,
ब्लाक 12, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

44. युवा मामले और खेल मंत्रालय

श्री साइलश,
संयुक्त सचिव (वाई.ए. एवं लो.शि.),
कमरा सं. 114, सी विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

45. परमाणु ऊर्जा विभाग

श्री वी.पी. राजा,
अपर सचिव,
अणुशक्ति भवन, सी.एस.एम. रोड,
मुंबई-400001

46. अंतरिक्ष विभाग

श्री आर.जी. नादादुर,
संयुक्त सचिव,
6, अंतरिक्ष भवन, नई बी.ई.एल. रोड,
बैंगलोर-560094

47. योजना आयोग

श्री ए.एन.पी. सिन्हा,
वरिष्ठ सलाहकार (प्रशा.),
कमरा सं. 202, योजना भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली

48. पंचायती राज मंत्रालय

श्री एस.के. चक्रवर्ती,
उप सचिव,
भू-तल, सरदार पटेल भवन,
नई दिल्ली

49. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

श्री सुजीत दत्ता,
संयुक्त सचिव,
कमरा सं. 9, जीवनप्रकाश भवन,
के.जी. मार्ग,
नई दिल्ली

50. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

श्री डी.एन. श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
कमरा सं. 906, नौवां तल,
अकबर भवन, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली

51. भारतीय रिजर्व बैंक

श्री यू.एस. पालीवाल,
मुख्य महाप्रबंधक, आर.बी.आई.,
चौथा तल, अमर भवन,
सर पी.एम. मार्ग, मुंबई-400001

52. पर्यटन मंत्रालय

श्री उमेश कालरा,
निदेशक (लो.शि.),
परिवहन भवन,
कमरा सं. 126, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

53. भारत के महालेखा नियंत्रक

श्री पी.एन. मूर्ति,
महानिदेशक (ए.ई.सी.),
10, बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली।

54. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

श्री परिमल रॉय,
अध्यक्ष,
पालिका भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

55. संघ लोक सेवा आयोग

डॉ. ए.एस. खान,
संयुक्त सचिव (प्रशा.),
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली

56. कर्मचारी चयन आयोग

सुश्री प्रतिभा मोहन,
सदस्य (प्रशासन),
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

57. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

श्री पी.के. त्रिपाठी
प्रधान सचिव (ए.आर.)

58. दिल्ली पुलिस

श्री वाई.एस. डडवाल,
पुलिस आयुक्त,
दिल्ली पुलिस मुख्यालय,
एम.एस.ओ. भवन,
आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002

59. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री के. सलीम अली,
संयुक्त निदेशक (प्रशा.),
सी.बी.आई. मुख्यालय, ब्लॉक-3,
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
नई दिल्ली-110003

60. दिल्ली विकास प्राधिकरण

श्री दिनेश राय,
उपाध्यक्ष,
डी.डी.ए., विकास सदन,
आई.एन.ए., नई दिल्ली

खतरनाक घरेलू अपशिष्ट के निपटान
हेतु नियम

1484. श्रीमती मेनका गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खतरनाक घरेलू अपशिष्ट के निपटान हेतु कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार खतरनाक पदार्थों वाले इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सामानों के अपशिष्टों को पुनर्प्रयोज्य बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे खतरनाक घरेलू अपशिष्ट और उपकरणों को एकत्र करने, उनका प्रबंधन करने और उनका निपटान करने/उनको पुनर्प्रयोज्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) और (ख) सरकार ने नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रण, पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण को विनियमित करने के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 2000 अधिसूचित की है। नगरीय ठोस अपशिष्ट में "नगरीय अथवा नोटीफाइड एरिया में उत्पन्न व्यावसायिक अथवा घरेलू अपशिष्ट अथवा

औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट के अलावा, ठोस अथवा अर्धठोस अपशिष्ट शामिल हैं।"

(ग) और (घ) खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पारीय संचलन) नियमावली, 2008 के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक और इलेक्ट्रिकल अपशिष्टों का पुनर्चक्रण विनियमित किया गया है। इस नियमावली के अनुसार इलेक्ट्रानिक और इलेक्ट्रिकल अपशिष्ट सहित खतरनाक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण अथवा प्रसंस्करण के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इन नियमों के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण करवाना आवश्यक है। ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय दृष्टि से उचित प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश बनाए गए हैं।

(ङ) सरकार ने नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 2000 अधिसूचित की है। इस नियमावली की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (1) किसी शहर अथवा कस्बे में उत्पन्न सभी नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रबंध और निस्तारण नियमावली में दिए गए अनुपालन मानदंड और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
- (2) नगरीय प्राधिकारी नगरीय ठोस अपशिष्टों में एकत्रण, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

निजी अस्पतालों, नैदानिक केन्द्रों/नर्सिंग होम के शुल्कों को विनियमित करना

1485. श्री एस. सेम्मलई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी अस्पताल, नैदानिक केन्द्र और नर्सिंग होम उपचार के लिए मरीजों से अत्यधिक शुल्क वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अस्पताल, नैदानिक केन्द्र और नर्सिंग होम द्वारा लिए जाने वाले उपचार शुल्क को विनियमित करने हेतु कानून बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है और निजी अस्पतालों

का विनियमन, जिसमें उनके द्वारा लिया जा रहा शुल्क शामिल है, राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

नैदानिक स्थापना केन्द्रों के पंजीकरण और विनियमन के लिए कानून बनाना इस सरकार की प्राथमिकता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा

1486. श्री जगदम्बिका पाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार देश में करीब 7-15 प्रतिशत बच्चे बड़े मानसिक विकार से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की विषयवस्तुओं की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या मुहैया करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 1995-2000 के दौरान बंगलौर और लखनऊ में कराए गए अध्ययन के अनुसार बच्चों और व्यस्कों में मानसिक विकारों (विशेषतौर पर सीखने की अक्षमता को छोड़कर) की अनुमानित व्याप्तता दर 0-16 वर्ष की आयु वाले बच्चों में 12-13 प्रतिशत है। बंगलौर में व्याप्तता दर 12.5 प्रतिशत और लखनऊ में व्याप्तता दर 12.1 प्रतिशत थी। सामान्य तौर पर सबसे अधिक पाई जाने वाली बीमारी नौक्युरनल एन्यूरिसिस थी। अन्य सामान्य मानसिक विकारों में साधारण भय, हकलापन, ध्यान केन्द्रित करने में कमी, उतावलापन और विपरीतार्थक अवज्ञाकारी विकार थे।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा की है। देश में योग्य मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों की भारी कमी को पूरा करने के विचार से मानसिक

स्वास्थ्य संस्थाओं (स्पेसिल्टीज) में मानसिक स्वास्थ्य के उत्कृष्टता वाले केन्द्रों और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण विभागों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जनशक्ति विकसित करने की स्कीमें लागू की गई हैं। मौजूदा जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए, सरकारी चिकित्सा कालेजों/जनरल अस्पतालों में मनःचिकित्सा विभागों के उन्नयन और मौजूदा मानदण्डों के आधार पर सरकारी मानसिक अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए आर्थिक सहायता देना जारी है।

आत्महत्या को रोकने के लिए निवारक सेवाओं, कार्यस्थल पर तनाव को कम करने, स्कूलों और कालेजों में जीवन कौशल प्रशिक्षण एवं परामर्श के अतिरिक्त घटकों सहित देश में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को और जिलों में लागू करने हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की पुनः कार्यनीति तैयार की जानी भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मानसिक तौर पर बीमार व्यक्तियों तक पहुंचने और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने हेतु सार्वजनिक निजी साझेदारी को शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

विदेशों में कामगारों का आगम

1487. श्री पी. करुणाकरन : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान आर्थिक मंदी की वजह से खाड़ी देशों से काफी संख्या में बेरोजगार लोग आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन बेरोजगार लोगों की सहायता करने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या सरकार के पास इन लोगों को कम ब्याज पर उद्यमिता ऋण मुहैया कराने हेतु परियोजनाओं अथवा योजनाओं की घोषणा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ङ) सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, बहरीन और कतर के खाड़ी देशों

में भारतीय मिशनों ने सूचित किया है कि वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारतीय कामगारों की नौकरियां छूट जाने को लेकर किसी बड़े पैमाने पर प्रतिकूल प्रभाव की कोई सूचना नहीं है हालांकि कुछ नौकरियों के छूट जाने की सूचना है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन ने सूचित किया है कि भारतीय कामगारों के वापस आने के बारे में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा अनुमान है कि आर्थिक धीमेपन और मंदी के कारण परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के परिणामस्वरूप 50,000 से लेकर 1,50,000 कामगारों के भारत लौटने का अनुमान है। उन्होंने आगे यह भी सूचित किया है कि अधिकांश कामगार बिना वेतन के छुट्टी पर भारत लौटते हैं और ऐसी आशा है कि वे स्थिति में सुधार होते ही संयुक्त अरब अमीरात में अपने काम पर लौट सकेंगे।

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवाएं विभाग) ने सूचित किया है कि इस संबंध में किसी योजना अथवा परियोजना कोई सूचना नहीं है।

विशेष विद्युत क्षेत्र

1488. श्री इन्दर सिंह नामधारी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतरा के टण्डवा प्रखंड में पीपरवार को 2001 में विशेष विद्युत क्षेत्र घोषित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) परियोजना की प्रगति में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) :

(क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों

1489. श्री वीरेन्द्र कश्यप : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तराखंड में औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों का कुल कितना उत्पाद हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की खेती को बढ़ावा देने हेतु मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों से जड़ी-बूटियों का कुल कितना निर्यात किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) फाउंडेशन फार रिवाइटलाइजेशन आफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन (एफआरएलएचटी), बंगलौर के माध्यम से राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा संचालित एक अध्ययन के अनुसार, देश में औषधीय पादपों का कुल उत्पादन लगभग 3.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। अधिकांश औषधीय पादप वन एवं निर्जन भूमि से प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर 960 औषधीय पादपों का सक्रिय रूप से व्यापार किया जाता है, जिनमें से 178 प्रजातियों का वार्षिक उपभोग 100 मीट्रिक टन (एमटी) से अधिक है। तथापि, देश में औषधीय पादपों से संबंधित राज्यवार उत्पादन सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) संदर्भित राज्यों से जड़ी-बूटीय औषधियों की निर्यात संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न औषधियों/औषध एवं औषधीय पादपों/जड़ी बूटियों की निर्यात संबंधी सूचना संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

विवरण-I**औषधीय पादपों की कृषि हेतु प्रदत्त वित्तीय सहायता संबंधी विवरण**

(i) 2007-08 तक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की केंद्र क्षेत्रक स्कीम के अंतर्गत कृषि हेतु प्रदत्त वित्तीय सहायता संबंधी सूचना निम्नवत है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष		वर्ष		वर्ष		कुल योग	
		2005-06		2006-07		2007-08			
		सहायता किए गए कृषकों की संख्या	प्रदत्त सहायता की राशि (रुपये लाख में)	सहायता किए गए कृषकों की संख्या	प्रदत्त सहायता की राशि (रुपये लाख में)	सहायता किए गए कृषकों की संख्या	प्रदत्त सहायता की राशि (रुपये लाख में)	सहायता किए गए कृषकों की संख्या	प्रदत्त सहायता की राशि (रुपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरुणाचल प्रदेश	6	18.610	30	46.660	15	32.809	51	98.079
2.	असम	2	0.910	4	5.418	2	0.672	8	7.000
3.	मणिपुर	56	171.170	0	47.990	80	63.006	136	282.166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	मेघालय	0	0.000	0	0.000	9	5.150	3	5.150
5.	मिजोरम	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
6.	नागालैंड	14	17.180	10	14.160	23	20.386	47	51.726
7.	सिक्किम	11	14.740	52	60.200	45	24.597	108	99.537
8.	त्रिपुरा	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
9.	हिमाचल प्रदेश	53	108.050	86	115.040	140	128.900	279	351.990
10.	उत्तर प्रदेश	6	7.870	106	116.980	15	10.380	127	135.230
11.	उत्तराखण्ड	20	22.260	35	57.730	0	0.000	55	79.990
कुल		168	360.790	323	464.178	323	285.900	814	1110.868

(ii) 2008-09 से राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष विभाग द्वारा कार्यान्वित औषधीय पादप राष्ट्रीय मिशन संबंधी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय सहायता संबंधी सूचना निम्नवत् है:-

(लाख रु.)

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत निधियां	निर्गत/निर्गत की जाने वाली निधियां
1	2	3	4
1.	मध्य प्रदेश	543.38	543.375
2.	तमिलनाडु	682.88	682.875
3.	कर्नाटक	381.25	381.250
4.	केरल	238.67	238.670
5.	बिहार	108.94	108.940
6.	मणिपुर	368.00	368.00
7.	महाराष्ट्र	239.04	239.043

1	2	3	4
8.	असम	116.99	116.990
9.	मिजोरम	250.11	127.440
10.	नागालैंड	128.57	128.57
योग		3057.83	2935.153

(iii) "उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में बागवानी समेकित विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई)" संबंधी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम और कृषि मंत्रालय की राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रश्न से संदर्भित राज्यों को संस्वीकृत वित्तीय सहायता संबंधी सूचना निम्नवत् है:-

राज्य	2006-07 (लाख रु.)	2007-08 (लाख रु.)	2008-09 (लाख रु.) (अप्रैल-दिसम्बर)
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	18.85	39.00	0.00

1	2	3	4
असम	0.00	65.00	0.00
मणिपुर	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	26.00	117.00	88.14
नागालैंड	26.00	33.80	13.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	2.60
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
उत्तरा खंड	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	0.00	75.26	45.86
योग	70.85	330.06	149.60

विवरण-II

भारत से आयुष उत्पादों, औषधीय पादपों एवं
जड़ी बूटियों का निर्यात

(करोड़ रु.)

श्रेणी	2006-07 (करोड़ रु.)	2007-08 (करोड़ रु.)	2008-09 (अप्रैल 08- जनवरी 09 (करोड़ रु.)
1	2	3	4
पादप रासायनिक	36.35	50.91	37.17
आयुर्वेदिक पद्धति संबंधी औषध एवं दवाएं	321.44	259.54	299.22

1	2	3	4
होम्योपैथिक पद्धति संबंधी औषध एवं दवाएं	3.05	2.74	3.78
यूनानी पद्धति संबंधी औषध एवं दवाएं	1.13	0.70	3.42
सिद्ध पद्धति संबंधी औषध एवं दवाएं	0.42	0.02	0.12
औषधीय पादप एवं जड़ी बूटी	377.93	475.05	513.66
योग	740.32	788.96	857.37

[अनुवाद]

शहरों में प्रदूषण

1490. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान :

श्री जी.एम. सिद्धेश्वर :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन शहरों में प्रदूषण के स्तर का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को मुहैया करायी गयी सहायता/निधियों तथा उनमें से खर्च की गयी निधियों का राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा देश में प्रदूषण फैलाने वाली एजेन्सियों/उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) से (घ) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस.पी.सी.बी.) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पी.सी.सी.) की सहायता से देश में 130 शहरों और कस्बों को कवर करते हुए 346 स्टेशनों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की मानीटरी कर रहा है।

पिछले 03 वर्षों के परिवेशी वायु के लिए मानीटर किए गए डाटा से पता चला है कि सल्फर डायक्साइड (SO₂) का स्तर, सभी शहरों के आवासीय क्षेत्रों में, निर्धारित वायु गुणवत्ता मानदण्डों के भीतर है तथा अधिकतर शहरों में नाइट्रोजन डायक्साइड (NO₂) का घटता-बढ़ता रुझान है। बहुत से शहरों में अंतर्ष्वसनीय निलंबित विविक्त पदार्थ (आर.एस.पी.एम.) निर्धारित मानदण्डों से अधिक है। 2008 में मानीटर किए गए 125 शहरों में से 86 आवासीय क्षेत्रों में आर.एस.पी.एम. का स्तर निर्धारित मानदण्डों से अधिक है। पिछले 03 वर्षों में आर.एस.पी.एम. का घटता बढ़ता रुझान है। कोलकाता, हावड़ा और दिल्ली में कुल 8 स्थानों पर आवासीय क्षेत्रों में NO₂ स्तर की वार्षिक औसत निर्धारित मानदंडों अधिक है।

वायु प्रदूषण के कारण वाहनीय संचलन, औद्योगिकीकरण, रसोई में ईंधन का जलना, डी.जी. सेटों का संचालन आदि हैं।

(ड) पिछले 3 वर्षों के दौरान सी.पी.सी.बी. के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वायु मानीटरी कार्यक्रम के लिए विविध सी.पी.सी.बी. और पी.सी.सी. को प्रदान की गई निधियों का उल्लेख संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वित्त वर्ष, अर्थात् 2009-10 के लिए 400 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

(च) सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए, उद्योगों और जेनरेटर सेटों के लिए अधिसूचित उत्सर्जन मानकों का क्रियान्वयन जैसे, विविध उपाय किए हैं। 16 शहरों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है।

नए और प्रयोग में आ रहे वाहनों के लिए उत्सर्जन मानदंडों और आटो फ्यूल नीति के रोड मैप के अनुसार ईंधन गुणवत्ता, जन परिवहन में स्वच्छ प्रौद्योगिकी की शुरुआत और सामूहिक परिवहन का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

सी.पी.सी.बी. और संबंधित एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी., अधिसूचित पर्यावरणीय मानदंडों को प्रवृत्त करने के लिए उद्योगों का निरीक्षण करते हैं तथा उल्लंघन के मामले समुचित कार्रवाई जिसमें बंद करने संबंधी निदेश और और मुकदमा चलाना शामिल है, शुरू की जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (एन ए एम पी) के अंतर्गत विभिन्न मॉनीटरी अभिकरणों को जारी किए गए भुगतान के ब्यौरे

क्र. सं.	मॉनीटरी अभिकरण का नाम	2006-07 (रुपए)	2007-08 (रुपए)	2008-09 (रुपए)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश एसपीसीबी	573750	—	9335917
2.	असम एसपीसीबी	368334	2025834	7186667
3.	बिहार एसपीसीबी	394305	—	—
4.	चंडीगढ़ एसपीसीबी	1615000	920833	1117500
5.	चंडीगढ़ पीसीबी	871250	—	682500

1	2	3	4	5
6.	गुजरात एसपीसीबी	4324583	1884167	2110000
7.	गोवा एसपीसीबी	1190000		1065833
8.	झारखंड एसपीसीबी	1728333	2406667	1185833
9.	जम्मू और कश्मीर एसपीसीबी	1376000	1747000	—
10.	हरियाणा एसपीसीबी	—	441527	—
11.	हिमाचल प्रदेश एसईपी एंड पीसीबी	2295000	3992056	3573611
12.	कर्नाटक एसपीसीबी	3105000	538333	1625417
13.	केरल एसपीसीबी	1097917	942083	1922916
14.	महाराष्ट्र एसपीसीबी	1133333	5581667	5132583
15.	मेघालय एसपीसीबी	524167	—	897667
16.	मणिपुर एसपीसीबी	225000	—	—
17.	मध्य प्रदेश एसपीसीबी	510000	—	2155695
18.	मिजोरम एसपीसीबी	—	425000	810000
19.	नागालैंड एसपीसीबी	1586590	198333	623334
20.	उड़ीसा एसपीसीबी	1211250	892500	1867084
21.	पंजाब एसपीसीबी	250000	1133333	586000
22.	पांडिचेरी पीसीबी	255000	1020000	405000
23.	राजस्थान एसपीसीबी	2871250	3143333	2510000
24.	तमिलनाडु एसपीसीबी	1112084	—	—
25.	त्रिपुरा एसपीसीबी	345000	—	—
26.	उत्तर प्रदेश एसपीसीबी	4016250	904306	9416445
27.	उत्तराखण्ड ईपी एंड पीसीबी	288055	690000	368333

1	2	3	4	5
28. पश्चिम बंगाल एसपीसीबी	—	1501667	1960416	
29. एनईईआरआई	5986171	6324306	—	
कुल	3,92,53,622	3,67,12,945	5,65,38,751	

टिप्पण:- एसपीसीबी — राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एसईपी एवं पीसीबी — राज्य पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ईपी एवं पीसीबी — पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीसीसी — प्रदूषण नियंत्रण समिति, एनईईआरआई — राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान।

[हिन्दी]

[अनुवाद]

राजस्थान में इन्दिरा उद्वह सिंचाई परियोजना

लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

1491. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार से इन्दिरा उद्वह सिंचाई परियोजना हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) :

(क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार को मार्च 2004 से अप्रैल 2006 के दौरान राजस्थान की इन्दिरा उद्वह सिंचाई परियोजना के परियोजना प्रस्ताव पर नहर डिजाइन, लागत सिंचाई आयोजना, अंतर्राज्यीय मामलों, वित्तीय तथा जलवैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियां भेजी गई थी। राज्य सरकार की अनुपालना अभी प्रतीक्षित है।

(ग) परियोजना की मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लिया गया समय, केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की संतोषजनक अनुपालना करने तथा राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है।

1492. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों से स्वीकृति हेतु लम्बित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विलम्ब के कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सभी लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) :

(क) से (घ) 1.7.2009 के अनुसार केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के पास 101 नई वृहद तथा 85 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाएं मूल्यांकन का विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इनमें से, 37 वृहद और 27 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कुछ टिप्पणियों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुदेशीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा इन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए लिया गया समय, राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की संतोषजनक अनुपालना प्रदान करने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और-जनजातीय कार्य मंत्रालय से सांविधिक स्वीकृतियां, जहां पर ऐसी स्वीकृतियां अपेक्षित हैं, प्रदान किए जाने पर निर्भर करता है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	नागालैंड	1	0	1	0	1	1	1	1	2
20.	उड़ीसा	2	4	6	3	7	10	2	11	16
21.	पंजाब	7	2	9	1	1	2	8	3	11
22.	राजस्थान	3	4	7	4	3	7	7	7	14
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	2	1	3	0	1	1	2	2	4
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	5	6	11	2	0	2	7	6	13
27.	उत्तराखण्ड	1	0	1	0	0	0	1	0	1
28.	पश्चिम बंगाल	1	0	1	0	0	0	1	0	1
कुल जोड़		64	37	101	58	27	85	119	64	186

ए—मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत परियोजना

बी—कुछ टिप्पणियों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत

समुद्री अपरदन

1493. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा :

श्री एस.एस. रामासुब्बू :

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भारी समुद्री अपरदन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं तथा गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान अपरदन से कितनी क्षति हुई है;

(ग) क्या सरकार को इन राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) इन प्रस्तावों को मंजूरी देने में विलंब के क्या कारण हैं;

(च) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान समुद्री अपरदन को रोकने हेतु राज्य सरकारों को कितनी निधियां प्रदान की गईं; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) :
(क) और (ख) जी, हां। राज्यों से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार समुद्री तरंगों, हवाओं, ज्वारों, तूफानों, बालू तट की खुदाई आदि के कारण कर्नाटक में 249.56 कि.मी. की लम्बी तटरेखा, केरल में 478.14 कि.मी. एवं तमिलनाडु में 641.00 कि.मी. समुद्री कटाव होने की सूचना मिली है।

(ग) और (घ) केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य सरकारों ने बाह्य सहायता के वास्ते "राष्ट्रीय तट सुरक्षा परियोजना (एन.सी. पी.पी.)" के अंतर्गत विचार किए जाने के लिए कुछ परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इनकी जांच की गई है और इन पर विचार करने के लिए एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) को भेज दिया गया है। ए.डी.बी. परियोजना प्रारंभिक तकनीकी सहायता (पी.पी.टी.ए.) के लिए सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गया है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु राज्य सरकार ने तटरेखा की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय जल आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है जिसकी जांच की गई है और कुछ टिप्पणियां अनुपालना के लिए भेज दी गई हैं।

(ङ) तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का उत्तर नहीं दिया गया है।

(च) जल राज्य का विषय होने के कारण समुद्र के कटावरोधी कार्य की आयोजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। कुछ तटवर्ती राज्यों ने केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क किया है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपये की राशि की "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" नामक एक राज्य क्षेत्र स्कीम को मंत्रिमंडल द्वारा 02.11.2007 को आयोजित इसकी बैठक में 'सिद्धांततः' मंजूरी दे दी गई है, जिसके अंतर्गत नाजुक खंडों जिन्हें सभी अनिवार्य स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं, में समुद्र कटावरोधी कार्य के लिए भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान कर्नाटक राज्य को 3.80 करोड़ रुपये राशि जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) ने एक स्थायी तट सुरक्षा एवं प्रबंधन परियोजना तैयार करने के लिए 1 मिलियन डालर के अनुदान सहित परियोजना प्रारंभिक तकनीकी सहायता (पी.पी.टी.ए.) पर भी विचार किया है। जिसमें कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्य शामिल हैं।

(छ) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त करना

1494. योगी आदित्यनाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने उत्तर प्रदेश सहित देश के कतिपय चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद देश में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बनाए रखने के लिए कालेज में चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के संबंध में मेडिकल कालेजों का आवधिक निरीक्षण करती है। ऐसे मेडिकल कालेजों, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमों की अपेक्षा को पूरा नहीं करते पाए जाते हैं, की मान्यता वापस लेने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अंतर्गत केन्द्र सरकार से सिफारिश की जाती है। उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार ऐसे मेडिकल कालेजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिनकी मान्यता वापस लेने के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने केन्द्र सरकार से सिफारिश की है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के उपबंध के अनुसार इस विषय में कोई निर्णय लिए जाने से पहले राज्य सरकारों, संबंधित विश्वविद्यालय और चिकित्सा कालेजों से परामर्श किया जाता है तथा उनको पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं।

विवरण

ऐसे मेडिकल कालेजों की सूची जिनकी मान्यता वापस लेने के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने केन्द्र सरकार से सिफारिश की है

क्र.सं.	मेडिकल कालेज का नाम	प्रबंधन
1	2	3
1.	एम.जी.एम. मेडिकल कालेज, इन्दौर, मध्य प्रदेश	सरकारी
2.	श्याम शाह मेडिकल कालेज, रीवा, मध्य प्रदेश	सरकारी

1	2	3
3.	गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल, मध्य प्रदेश	सरकारी
4.	गाजरा राजा मेडिकल कालेज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	सरकारी
5.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश	सरकारी
6.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मेडिकल कालेज, बंगलौर, कर्नाटक	प्राइवेट
7.	डॉ. पंजाबराव उर्फ भाऊ साहब देशमुख मैमोरियल मेडिकल कालेज, अमरावती, महाराष्ट्र	प्राइवेट
8.	बी.आर.डी. मेडिकल कालेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	सरकारी

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेल 2010 हेतु खाद्य सुरक्षा मानदण्ड

1495. श्री वरुण गांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रमंडल खेल 2010 के मद्देनजर भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के सहयोग से शहर में संस्थापनाओं के लिए मानकीकृत खाद्य सुरक्षा मानदंड बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) से (ग) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसका प्रस्ताव भारतीय गुणवत्ता परिषद के सहयोग से सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों, उपभोक्ता एवं उद्योग आधारित खाद्य सुरक्षा प्रणालियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और लेखा परीक्षा तंत्र को विकसित करके राजधानी में खाद्य संस्थापनाओं की गुणवत्ता एवं सुरक्षा को उन्नत करने

के लिए सभी स्टैकहोल्डरों को एक साथ करने का है। इसका उद्देश्य राष्ट्र मंडल खेल, वर्ष 2010 के दौरान अपेक्षित बड़ी संख्या में दर्शकों के लिए तैयारी करने हेतु राजधानी में खाद्य संस्थापनाओं की सुरक्षा एवं स्वच्छता में सुधार लाना है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उपभोक्ता संगठनों, औद्योगिक निकायों, स्कूलों एवं कालेजों और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

स्वाइन फ्लू के लिए टैमीफ्लू दवा

1496. डॉ. थोकचोम मैन्या : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैमीफ्लू नामक एक विषाणुरोधी दवा स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए एक प्रभावी इलाज है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सरकार के पास उक्त दवा का भंडार पर्याप्त मात्रा में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निजी अस्पतालों को 'स्वाइन फ्लू' के रोगियों का इलाज करने की अनुमति है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) जी, हां। इन्फ्लूएन्जा ए एच1एन1 (जिसे पहले स्वाइन फ्लू कहा गया था) के रोगियों का उपचार करने के लिए ओजेल्तामिविर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित एंटीवायरल औषधी है।

(ग) और (घ) जी, हां। ओजेल्तामिविर की पर्याप्त मात्रा है। दस मिलियन कैप्सूल भंडार में हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ बैंकिंग प्रबंधन के रूप में और छः मिलियन कैप्सूल भंडार में है।

(ङ) और (च) रोगियों के पृथकीकरण और उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों, बन्दरगाहों और अंतर्राष्ट्रीय चेकपाइंटों वाले नगरों में पृथकीकरण/गम्भीर परिचर्या सुविधाकेन्द्रों की पहचान कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, पृथकीकरण सुविधाकेन्द्र रखने वाले किसी भी

मेडिकल कालेज या अंतर्गत तृतीयक परिचर्या अस्पतालों में ऐसे रोगियों का उपचार किया जा सकता है। तथापि, कर्नाटक जैसे राज्यों ने सरकारी सुविधाकेन्द्रों के अलावा निजी अस्पतालों की पहचान की है।

अब तक की स्थिति के अनुसार, इन्फ्लुएन्जा ए एच1एन1 का देश में कोई सामुदायिक फैलाव नहीं है और सरकारी अस्पताल उपचार सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। उपचार सुविधाओं के लिए निजी क्षेत्र के अस्पतालों को शामिल करने का निर्णय ऐसी स्थिति के पैदा होने पर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

भारतीय भू-भाग पर अतिक्रमण

1497. श्री के.डी. देवमुख : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन पड़ोसी देशों ने भारतीय भू-भाग के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण किया है तथा ये क्षेत्र कब से उनके कब्जे में हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त भू-भाग का कोई क्षेत्र इन देशों द्वारा मुक्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पाकिस्तान ने भारतीय भू-भाग के कुछ क्षेत्रों को चीन को हस्तांतरित कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) वर्ष 1948 से जम्मू व कश्मीर राज्य का लगभग 78,000 वर्ग किमी. भारतीय भूभाग गैर-कानूनी एवं बलपूर्वक पाकिस्तान के कब्जे में है। वर्ष 1962 से जम्मू व कश्मीर का लगभग 38,000 वर्ग किमी. भारतीय भूभाग चीन के कब्जे में है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) वर्ष 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान "सीमा करार" के तहत पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर में 5,180 वर्ग किमी. भारतीय भूभाग को गैर-कानूनी रूप से चीन को अंतरित कर दिया है। सरकार की स्थिति यह है कि यह तथाकथित "सीमा करार" गैर कानूनी और अवैध है। सीमा प्रश्न पर चल रही चर्चाओं में इसे चीनी पक्षकार के समक्ष दोहराया गया है।

[अनुवाद]

रक्षित कोयला ब्लॉकों का आबंटन

1498. श्री चंद्रकांत खैरे :

श्री नामा नागेश्वर राव :

श्री विश्व मोहन कुमार :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को रक्षित कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन कंपनियों को आबंटित कोयला ब्लॉकों का क्षेत्र एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सभी कंपनियों ने आबंटित ब्लॉकों में कोयला का उत्पादन शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन कंपनियों को आबंटित कोयला ब्लॉकों को निरस्त कर दिया है या निरस्त करने का विचार है जिन्होंने निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत उत्पादन शुरू नहीं किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या कुछ कंपनियां लंबित मुद्दों जैसे भूमि का अधिग्रहण, खनन पट्टा मंजूरी, वन संबंधी अनुमति, वित्तीय संस्थाओं से अनुमोदन आदि के कारण आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में असफल रही है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) :

(क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित केप्टिव कोयला ब्लकों के ब्यौरे क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार निम्नवत हैं:

कंपनी/क्षेत्र	आबंटित कोयला ब्लकों की संख्या			
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (जून 2009 तक)
क. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां				
(क) विद्युत	8	13	3	1
(ख) वाणिज्यिक खनन	12	18	1	—
(ग) लोहा और इस्पात	—	1	1	—
(घ) सीमेंट	—	—	—	—
ख. निजी कंपनियां				
(क) विद्युत	9	16	—	1.5
(ख) लोहा तथा इस्पात	5	3	8.5	3
(ग) सीमेंट	—	2	3.5	1.5
(घ) कोयले से द्रव की परियोजना	—	—	2	—
कुल योग	34	53	19	7

(ग) और (घ) जी, नहीं। दिशा-निर्देशों के अनुसार आबंटन की तारीख से केप्टिव कोयला ब्लकों से कोयले का उत्पादन ओपनकास्ट खानों के मामले में 36 महीने (वनभूमि में आने वाले क्षेत्र के मामले में 42 महीने) तथा भूमिगत खान के मामले में 48 महीने (वनभूमि में आने वाले क्षेत्र के मामले में 54 महीने) के भीतर कोयले का उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए। यदि कोयला ब्लॉक का अन्वेषण नहीं किया गया है तो विस्तृत अन्वेषण भू-विज्ञान संबंधी रिपोर्ट को तैयार

करने हेतु अतिरिक्त दो वर्ष की अनुमति दी जाती है। आबंटित ब्लॉक विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

(ड) और (च) उपर्युक्त भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) जी, हां। समीक्षा बैठकों के दौरान संबंधित राज्य सरकारों को भूमि अधिग्रहण एवं अन्य सांविधिक अनुमोदनों की प्रक्रिया को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया गया था।

[हिन्दी]

**राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाइयों का
कार्य न करना**

1499. श्री रघुवीर सिंह मीणा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन, रावतभाटा की पहली और दूसरी इकाइयां कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन इकाइयों द्वारा विद्युत उत्पादन कब शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संयंत्र की पहली एवं दूसरी इकाइयों के बंद होने के कारण राज्य को होने वाली विद्युत आपूर्ति की हानि को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) से (ग) राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 पहला दाबित भारी पानी रिएक्टर है, जिसने वर्ष 1973 में वाणिज्यिक रूप से परिचालन करना शुरू किया था। इस यूनिट को अक्टूबर, 2004 से इसके पुनर्संज्जीकरण/परिचालन जारी रखने संबंधी तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए बंद किया हुआ है।

राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 (200 मेगावाट-ई) के फीडर बदलने का कार्य पूरा कर लिया गया है और इस यूनिट में अब ईंधन भरण की प्रतीक्षा की जा रही है। नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में ईंधन संविरचन का कार्य भी शुरू हो गया है और इस यूनिट के सितंबर, 2009 से परिचालन शुरू कर देने की आशा है।

(घ) राजस्थान को राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-3 तथा 4 और नरोरा परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 के नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों सहित अन्य केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत आबंटित की गई है। इसके अलावा, रावतभाटा, राजस्थान में राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-5 तथा 6 (2+220 मेगावाट-ई) का निर्माण कार्य भी पूरा

कर लिया गया है और इनमें वर्ष 2009 में परिचालन शुरू होने की आशा है।

[अनुवाद]

सूर्य मंदिर का संरक्षण

1500. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोर्णाक स्थित सूर्य मंदिर में दरारें आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्मारक का सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो एएसआई ने इस स्मारक के उचित रखरखाव एवं संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों ने उड़ीसा राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ सूर्य मन्दिर, कोर्णाक का हाल ही में विस्तृत सर्वेक्षण किया है और यह पाया है कि स्मारक में कोई दरारें नहीं आ रही हैं। यह स्मारक भलीभांति संरक्षित और परिरक्षित है।

**तटीय विनियमन क्षेत्र तथा वन संरक्षण अधिनियम
के अंतर्गत मंजूरी**

1501. श्री टी.आर. बालू : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु सरकार से तटीय विनियमन क्षेत्र तथा वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मंजूरी हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) से (ङ) तमिलनाडु राज्य सरकार से तटीय विनियम जोन अधिसूचना 1991 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों का विवरण उनकी वर्तमान स्थिति सहित, संलग्न है।

(च) वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर 60 दिन के अन्दर निर्णय सूचित करने की समय-सीमा दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	स्थिति
1	2	3	4

तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 1991 के अंतर्गत स्वीकृति हेतु

1.	मात्यस्यिकी विभाग, नंदनाम, चेन्नई द्वारा गांव इकियारक्कापम, जिला विलुपुरम में फिश लैंडिंग सेंटर का निर्माण [मि.सं. 11-27/2009 आईए.।।।]	02/03/09	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की दिनांक 21-22 मई, 2009 को आयोजित 76वीं बैठक में विचार किया गया। समिति ने स्वीकृति प्रदान करने की सिफारिश की है।
2.	तमिलनाडु मैरीटाइम बोर्ड द्वारा नागापट्टनम पोर्ट पर काडुवेयार नदी की सुनामी आपातकालीन सहायता परियोजना तलकर्षण [मि.सं. 11-19/2009 आईए.।।।]	27/03/09	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की दिनांक 23-24 अप्रैल, 2009 को आयोजित 75वीं बैठक में विचार किया गया। समिति ने अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन परियोजना की सस्तुति की है। पत्र 03.06.2009 को जारी किया जा चुका है और सूचना प्रतिक्षित है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मंजूरी

3.	थेक्कलापट्टी से वेलामपाली तक 4 कि.मी. लम्बी नई सड़क के निर्माण के लिए 3 है. वन भूमि का वनेतर प्रयोजन से डायवर्शन/ पीएमजीएसवाई स्कीम के अंतर्गत कुर्नुल आर.एफ. में डीआरडीए धर्मापुरी के पक्ष में	16/06/09	हालही में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इसकी जांच की जा रही है
4.	10 कि.मी. की दूरी तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए 10 है. वन भूमि का पथान्तरण	02/01/09	आगामी राज्य परामर्शदात्री समूह बैठक में विचार किया जाएगा

1	2	3	4
	कुथीराइमोझी थेरी के माध्यम से कार्यकारी अभियंता, तमिलनाडु बिजली बोर्ड, थिरुनवेली के पक्ष में		
5.	सेलम वन विभाग में शेरवोरोयस (दक्षिण) रेंज में लौह अयस्क खनन के लिए वन भूमि का पथान्तरण, मैसर्स तमिलनाडु लौह अयस्क खनन निगम लिमिटेड (टीआईएमसीओ) (लौह अयस्क खनन) के पक्ष में	11.01.08	02.07.2008 में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

भारत-पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक

1502. श्री मनीष तिवारी :

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान का इरादा द्विपक्षीय वार्ता पुनः शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में दोनों देशों के विदेश सचिवों की बैठक होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बैठक के दौरान किन मुद्दों का समाधान किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (घ) 9 जून, 2009 को संसद में प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बाद प्रधान मंत्री ने 16 जून, 2009 को येकातेरिनबर्ग में आयोजित एससीओ-ब्रिक शिखर सम्मेलन के अवसर पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की तथा भारत की आकांक्षाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी कि पाकिस्तान सरकार ने भारत पर आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तानी भूभाग का उपयोग रोकने के लिए सशक्त व कारगर कार्रवाई करने की अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करेगी। यह सहमति हुई थी कि जुलाई, 2009 के मध्य में शरम-अल-शेख, मिस्र में आयोजित किए जाने वाले नाम शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत तथा पाकिस्तान

के नेताओं की मुलाकात से पहले दोनों विदेश सचिव आतंकवाद के मुख्य मुद्दे पर विचार-विमर्श करेंगे।

आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

1503. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की कतिपय सिंचाई परियोजनाएं आवश्यक मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार लंबित रहने के परियोजना-वार कारण क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) :

(क) से (ग) केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों में मूल्यांकन के अधीन नई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जैसे ही केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के प्रेक्षकों की संतोषजनक अनुपालना और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और जनजाति मामला मंत्रालय से आवश्यक स्वीकृति दे दी जाती है, जल संसाधन मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति के लिए विचार किया जाता है।

विवरण

आंध्र प्रदेश

(क) मूल्यांकन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत परियोजनाएं

1.7.2009 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	परियोजनाओं के नाम	वृहद/मध्यम	नदी/बेसिन	लाभान्वित जिला	प्राप्ति की तिथि	लाभ (हजार हेक्टेयर)	अनुमानित लागत (करोड़)	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री पाडा सागर लिफ्ट सिंचाई स्कीम (येल्लामपल्ली बैराज)	वृहद	गोदावरी	करीमनगर एवं मेडक	07/07	187.00	5157.52	सिंचाई आयोजना के संबंध में टिप्पणियां 26.5.09 को परियोजना प्राधिकरणों को भेजी गई। राज्य सरकार द्वारा अनुपालना भेजी जानी है।
2.	राजीव सागर लिफ्ट सिंचाई स्कीम (डुम्मुगुडम)	वृहद	गोदावरी	खम्मम	11/2007	81.00	1930.70	- जलविज्ञान एवं अंतर्राज्यीय मुद्दों के संबंध में टिप्पणियां क्रमशः 7/12/07 एवं 7/3/08 को परियोजना प्राधिकरणों को भेजी गई थीं। राज्य सरकार द्वारा अनुपालना भेजी जानी है। - तटबंध एवं नींव पहलुओं के संबंध में टिप्पणियों के संबंध में अनुपालना 13/2/09 और 28/1/09 को प्राप्त हुई थी जिनकी जांच की गई और आगे की टिप्पणियां क्रमशः 20/3/09 और 1/4/09 को भेजी गई थीं। नींव पहलू की टिप्पणियों के संबंध में अनुपालना 15/5/2009 को प्राप्त हुई। राज्य सरकार द्वारा शेष अनुपालना भेजी जानी है।
3.	वंसधारा परियोजना चरण-II फेज-II	वृहद	वंसधारा	श्रीकाकुलम	02/2007	43.41	1212.04	डीपीआर सीडब्ल्यूसी में मूल्यांकन के विभिन्न चरणों के अधीन थी। इस बीच माननीय उच्चतम न्यायालय

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								द्वारा केन्द्र सरकार को 6.2.2009 में छः माह के अन्दर एक जल विवाद अधिकरण का गठन करने और आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा वंसधारा नदी पर कट्टागडा पर साइड चैनल वियर एवं बाढ़ प्रवाह नहर परियोजना के निर्माण संबंधी विवाद को इस अधिकरण को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया।
4.	इंदिरा सागर लिफ्ट सिंचाई स्कीम (डुम्मगुडम)	वृहद	गोदावरी/खम्मम	खम्मम, पश्चिम गोदावरी एवं कृष्णा जिला।	01/08	81.00	1797.90	- जलविज्ञान मुद्दों के संबंध में टिप्पणियां मार्च, 2008 में परियोजना प्राधिकरणों को भेजी गई थीं। - अंतर्राज्यीय मुद्दों पर टिप्पणियां 24/2/2009 को भेजी गई थीं। - बैराज एवं नहर डिजाइन निदेशालयों की टिप्पणियां मई, 2009 में परियोजना प्राधिकरणों को भेजी गई। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त की अनुपालना प्रस्तुत की जानी है।
5.	जंझावती परियोजना	मध्यम	जंझावती/नागावली	विजयानगरम	01/2002	9.970	121.0	उड़ीसा के क्षेत्र में आमेलन के लिए उड़ीसा सरकार की सहमति राज्य सरकार द्वारा दी जानी है।
6.	मोदीकुंतावगु	मध्यम	गोदावरी	खम्मम	10/06	6.600	23.66	जलविज्ञान मुद्दों के संबंध में टिप्पणियां फरवरी 2009 में परियोजना प्राधिकरणों को भेजी गई थीं। राज्य सरकार द्वारा अनुपालना दी जानी है।
7.	आंध्र प्रदेश सिंचाई जीविका सुधार परियोजना (जेबीआईसी सहायता) सह परियोजनाएं*							
1.	व्यरा	वृहद	कृष्णा	खम्मम	मार्च 07	9158	46.00	जलविज्ञान को अंतिम रूप दिया जाना है और लागत का सार सीडब्ल्यूसी के मापदंडों के अनुसार तैयार किया जाना है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	तालीपेरू	वृहद	गोदावरी	खम्मम	मार्च 07	10000	13.20	जलविज्ञान को अंतिम रूप दिया जाना है और लागत का सार सीडब्ल्यूसी के मापदंडों के अनुसार तैयार किया जाना है।
III.	कांपा पर सतनाला	वृहद	गोदावरी	अदिलाबाद	मार्च 07	10474	48.39	तदैव
IV.	जोली पर स्वर्णा	वृहद	गोदावरी	अदिलाबाद	मार्च 07	3621	14.50	तदैव
V.	लंकासागर	वृहद	गोदावरी	खम्मम	मार्च 07	3175	12.00	तदैव
VI.	मल्लूरुवगु	वृहद	गोदावरी	वारंगल	मार्च 07	2023	12.00	तदैव
VII.	डिंडी	वृहद	कृष्णा	जलगोंडा महबूबनगर	मार्च 07	4250	15.00	तदैव
VIII.	गंजुलादिज	वृहद	कृष्णा	कुनूल	मार्च 07	12875	55.00	तदैव
IX.	स्वर्णमुखी अलिकट प्रणाली	वृहद	स्वर्णमुखी	चित्तौड़	मार्च 07	4130	27.55	तदैव
X.	गांडीपलम	वृहद	मनेरू	नेल्लोर	मार्च 07	6475	29.30	तदैव
XI.	निचली सागिलेरू	वृहद	पेन्ना	कडपा	मार्च 07	5325	19.00	तदैव
XII.	पेलेरू बित्रागुंडा अनिकट प्रणाली	वृहद	पलेरू	प्रकाशम	फरवरी 08	2962	19.00	तदैव
XIII.	कुम्बुम मध्यम सिंचाई परियोजना	वृहद	गुंडलाकम्मा	प्रकाशम	फरवरी 08	2810	16.00	तदैव
XIV.	पाखल मध्यम सिंचाई परियोजना	वृहद	कृष्णाउन्नेरू	वारंगल	फरवरी 08	5777	45.60	तदैव
XV.	राल्लाप्पाडु मध्यम सिंचाई परियोजना	वृहद	मनेरू		फरवरी 08	6478	34.60	तदैव

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश आजीविका सुधार परियोजना एक चालू जेबीआईसी सहायता प्राप्त परियोजना है। जेबीआईसी परियोजना के अन्य घटक हैं (i) 59 नए लघु सिंचाई टैंक लघु सिंचाई परियोजनाएं (ii) डब्ल्यूए का निर्माण और क्षमता निर्माण (iii) परियोजना परामर्शी सेवा आदि। लाभ अस्थायी हैं जिनमें वर्तमान कमान का स्थिरीकरण भी शामिल है।

*पीपीओ, सीडब्ल्यूसी के अंतर्गत।

फील्ड कार्यालय, सीडब्ल्यूसी के अंतर्गत।

(ख) टिप्पणियों की शर्त पर जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

1.7.2009 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	परियोजनाओं के नाम	वृहद/मध्यम	नदी/बेसिन	लाभार्थी जिले	प्राप्ति की दिनांक	लाभ (हजार हेक्टेयर)	अनुमानित लागत (करोड़)	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पुलीचिताला सिंचाई परियोजना	वृहद	कृष्णा	गुंटुर कृष्णा प्रकाशम पश्चिम गोदावरी	7/93	575	506.20	परियोजना को जल संसाधन मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देश्यीय परियोजना संबंधी सलाहकार समिति की अगली बैठक में परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए विचार करने हेतु रखा जा रहा है।
2.	कृष्ण डेल्टा प्रणाली	वृहद	कृष्णा	गुंटुर कृष्णा प्रकाशम पश्चिम गोदावरी	1/96	575	659.16	परियोजना को जल संसाधन मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देश्यीय परियोजना संबंधी सलाहकार समिति की अगली बैठक में परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए विचार करने हेतु रखा जा रहा है।
3.	वम्सधारा परियोजना चरण-II (नेराडी बैराज)*	वृहद	वम्सधारा	श्रीकाकुलम	5/83	53.64	275.74	- परियोजना को टी.ए.सी. द्वारा 4.12.91 को आयोजित इसकी 51वीं बैठक में निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति दे दी गई थी। (i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा स्वीकृति (ii) उड़ीसा सरकार द्वारा उनके क्षेत्र में आमेलन की स्वीकृति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								उपरोक्त की अनुपालना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जानी है।
4.	पेड्डेरु जलाशयः	मध्यम	ई. फ्लोइंग/ सारदा	विशाखापट्टनम	9/91	6.46	26.23	- नवंबर 1993 में निम्न शर्त के अधीन टी.ए.सी. द्वारा स्वीकृत (i) जनजातीय मामला मंत्रालय की स्वीकृति और राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधि का प्रावधान - उपरोक्त की अनुपालना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जानी है।
5.	येरावागु#	मध्यम	येरावागु/ गोदावरी	अदिलाबाद	3/99	4.46	31.28	- जनवरी, 2000 में टी.ए.सी. द्वारा निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत (i) निर्माण के समय डिजाइन बाढ़ की समीक्षा (ii) आर एवं आर योजना का जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा अनुमोदन और (iii) पर्याप्त निधि का प्रावधान। - उपरोक्ता की अनुपालना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जानी है।
6.	सुदावागु#	मध्यम	सुदावागु/ गोदावरी	अदिलाबाद	3/99	5.66	56.48	31.5.2000 को टी.ए.सी. की 73वी बैठक में टी. ए.सी. द्वारा निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत (i) निर्माण के समय डिजाइन बाढ़ की समीक्षा (ii) आर एवं आर योजना का जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा अनुमोदन और

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								(iii) पर्याप्त निधि का प्रावधान।
								उपरोक्ता की अनुपालना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जानी है।
7.	सुरमपालेम जलाशय स्कीम#	मध्यम	बुर्डाकलवा/ गोदावरी	पूर्वी गोदावरी	10/99	4.88	46.70	जनवरी, 2000 में टी.ए.सी. द्वारा निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत
								(i) निर्माण के समय डिजाइन बाढ़ की समीक्षा
								(ii) आर एवं आर योजना का जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा अनुमोदन और
								(iii) पर्याप्त निधि का प्रावधान।
								आंध्र प्रदेश सरकार ने जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा आर एवं आर योजना की स्वीकृति को छोड़कर सितंबर, 2006 के अंतिम सप्ताह में उत्तर प्रस्तुत कर दिये हैं।
8.	सुरमपालेम फेज-2*	मध्यम	बुर्डाकलवा/ गोदावरी	पूर्वी गोदावरी	7/2000	5.12	49.50	दिसंबर, 2000 में निम्न शर्तों के अधीन टी.ए.सी. द्वारा स्वीकृत
								(i) पर्याप्त निधि का प्रावधान
								(ii) प्रेक्षित आंकड़ों के आधार पर निर्माण के समय सुरमपालेम जलाशय और भूपतीपालेम जलाशय की डिजाइन बाढ़ की समीक्षा,
								(iii) जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा सुरमपालेम एवं भूपतीपालेम जलाशय स्कीमों की आर एवं आर योजना को स्वीकृति।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								(iv) 180 हेक्टेयर वन भूमि के भूपतीपालेम जलाशय स्कीम की ओर डाइवर्जन को स्वीकृति।
								• बाद में यह स्पष्ट किया गया कि कोई वन भूमि शामिल नहीं है। • राज्य सरकार को शेष प्रेक्षकों की अनुपालना करनी है।
9.	पेड्डुगुड्डा जलाशय परियोजना*	मध्यम	वेगावती/ नागावली	विजयनगरम	01/2002	4.858	32.11	• परियोजना पर 4.8.2003 को आयोजित 81वीं बैठक में विचार किया गया था और निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत करने योग्य पाया था (i) राज्य वित्त विभाग की सहमति (ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति (iii) जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा आर एवं आर योजना का अनुमोदन और (iv) निर्माण के साथ डिजाइन बाढ़ की समीक्षा। • राज्य सरकार द्वारा टिप्पणियों की अनुपालना की जानी है।

*पी.पी.ओ. के अंतर्गत

#सी डब्ल्यू सी के फील्ड कार्यालय के अंतर्गत

डिप्थीरिया और खसरा

1504. श्री नरहरि महतो : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में डिप्थीरिया और खसरा से राज्य-वार और वर्ष-वार कितने बच्चों की मृत्यु हो गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन बीमारियों से बचाव के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार कितने बच्चों को टीके लगाए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीपीटी मौतें				खसरा मौतें			
		2006	2007	2008 (अनंतिम)	2009 (अनंतिम)	2006	2007	2008 (अनंतिम)	2009 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2	10	3	2	1	0	2	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	—	0	0	10	—	0	2
3.	असम	—	0	0	—	—	50	78	—
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	8	11	1	4	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	3	0	0
10.	जम्मू सम्भाग	0	0	0	0	0	0	0	0
	कश्मीर सम्भाग	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. केरल		0	1	4	0	0	2	0	0
14. मध्य प्रदेश		0	0	0	0	0	15	3	0
15. महाराष्ट्र		15	0	0	0	11	0	0	0
16. मणिपुर		0	0	0	0	1	1	0	0
17. मेघालय		0	0	0	0	1	0	2	1
18. मिजोरम		0	0	0	0	0	0	0	0
19. नागालैंड		0	0	0	0	0	0	0	0
20. उड़ीसा		0	0	0	0	2	4	33	0
21. पंजाब		0	0	1	0	0	0	0	0
22. राजस्थान		11	13	0	0	4	0	1	0
23. सिक्किम		0	0	0	0	0	0	0	0
24. तमिलनाडु		0	0	0	0	0	0	1	0
25. त्रिपुरा		0	0	0	0	0	1	0	0
26. उत्तराखंड		0	0	0	0	0	0	0	0
27. उत्तर प्रदेश		0	1	0	—	2	2	2	—
28. पश्चिम बंगाल		30	33	24	6	45	18	55	7
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		0	0	0	0	6	0	0	0
30. चंडीगढ़		0	0	—	—	0	0	—	—
31. दादरा और नगर हवेली		0	0	0	0	0	0	0	0
32. दमन और दीव		0	0	0	0	0	0	0	0
33. दिल्ली		0	0	36	7	13	0	13	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. लक्षद्वीप		0	0	0	0	0	0	0	0
35. पांडिचेरी		0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		66	69	69	19	96	96	190	21

टिप्पणियां:

एन.आर.—सूचना नहीं/प्राप्त नहीं।

स्रोत: केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बच्चों में डीपीटी रोग प्रतिरक्षण (III खुराक)				खसरा			
		2005-06 उपलब्धि	2006-07 उपलब्धि	2007-08 उपलब्धि	2008-09* दिसम्बर, 08 तक उपलब्धि	2005-06 उपलब्धि	2006-07 उपलब्धि	2007-08* उपलब्धि	2008-09* दिसम्बर, 08 तक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. बड़े राज्य (जनसंख्या >20 मिलियन)									
1.	आंध्र प्रदेश	1,543,966	1,505,259	1,564,191	1,127,067	1,524,712	1,471,194	1,506,146	1,022,080
2.	असम	581,214	621,956	637,580	411,348	570,715	612,258	572,546	379,154
3.	बिहार	1,446,056	2,028,358	1,277,302	659,565	1,329,340	1,817,749	1,171,508	842,827
4.	छत्तीसगढ़	626,905	605,886	587,434	362,836	616,913	601,794	588,513	413,326
5.	गुजरात	1,213,337	1,211,932	1,211,932	815,110	1,169,733	1,170,354	1,170,354	826,107
6.	हरियाणा	548,404	570,643	559,352	333,777	529,636	543,969	552,045	399,746
7.	झारखंड	677,576	733,827	682,444	417,592	734,159	695,677	653,839	441,129
8.	कर्नाटक	1,094,827	1,092,494	1,082,879	764,111	1,036,885	1,035,473	1,040,265	767,779
9.	केरल	536,424	526,300	504,352	344,409	542,018	500,046	476,608	358,851
10.	मध्य प्रदेश	1,950,408	1,897,493	1,849,200	1,267,642	1,942,122	1,878,896	1,835,597	1,344,763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. महाराष्ट्र		2,079,367	1,984,169	1,983,696	1,269,794	1,984,167	1,891,520	1,873,507	1,211,070
12. उड़ीसा		850,624	817,910	799,418	432,496	840,283	788,074	781,868	431,280
13. पंजाब		531,806	536,117	498,503	277,429	510,755	503,062	463,316	327,593
14. राजस्थान		1,752,430	1,685,976	1,711,203	1,205,435	1,693,619	1,650,528	1,665,288	1,084,460
15. तमिलनाडु		1,129,310	1,130,245	1,140,122	814,214	1,131,304	1,120,967	1,132,719	704,226
16. उत्तर प्रदेश		5,320,615	5,457,184	5,317,827	3,127,816	5,180,650	5,103,901	5,243,913	3,328,173
17. पश्चिम बंगाल		1,621,658	1,588,878	1,525,676	714,877	1,520,463	1,522,628	1,505,096	1,049,253
II. छोटे राज्य									
1. अरुणाचल प्रदेश		12,676	20,778	13,193	10,609	22,247	19,373	11,731	12,519
2. दिल्ली		251,804	261,358	237,988	138,659	232,772	239,676	225,722	161,954
3. गोवा		25,821	24,238	23,768	18,057	23,543	23,018	23,355	16,793
4. हिमाचल प्रदेश		131,548	129,173	127,471	93,795	128,308	126,284	125,056	88,866
5. जम्मू और कश्मीर		284,000	296,255	299,246	194,627	277,982	285,987	275,979	183,193
6. मणिपुर		35,599	48,064	21,436	18,986	36,436	47,360	25,510	19,932
7. मेघालय		48,640	65,886	70,565	43,424	46,991	58,883	50,988	37,729
8. मिजोरम		19,104	21,897	18,963	14,168	18,087	18,813	17,970	13,996
9. नागालैंड		22,384	24,615	26,917	15,117	20,291	22,377	24,153	12,452
10. सिक्किम		11,427	11,427	10,735	7,229	10,496	10,496	10,917	7,754
11. त्रिपुरा		62,168	59,216	51,336	38,816	58,500	59,841	51,292	38,593
12. उत्तरांचल		231,430	222,690	218,270	136,497	218,428	211,311	201,757	142,477
III. संघ राज्य क्षेत्र									
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		6,705	5,745	6,117	4,164	5,555	5,968	5,557	3,710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	चंडीगढ़	15,987	15,858	16,383	9,772	16,731	15,618	16,859	10,697
3.	दादरा और नगर हवेली	7,625	7,778	7,277	5,234	6,950	7,099	7,153	5,740
4.	दमन और दीव	2,878	3,589	3,356	1,916	3,351	3,391	2,955	2,113
5.	लक्षद्वीप	1,622	1,033	1,033	408	910	1,092	1,092	387
6.	पांडिचेरी	16,185	16,352	16,459	10,751	15,934	16,328	16,209	10,752
IV. अन्य संस्थाएं									
1.	रक्षा मंत्रालय	24,680	25,318	56,979	37,529	23,828	14,615	28,749	21,648
2.	रेलवे मंत्रालय	24,268	22,903	30,916	17,164	18,257	16,895	16,198	11,228
सम्पूर्ण भारत		24,741,478	25,278,800	24,191,518	15,162,440	24,043,072	24,112,515	23,372,329	15,734,349

*आंकड़े अर्न्तित

स्रोत: सांख्यिकी प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

पेयजल परियोजनाओं में ऐस्बेस्टोस सीमेन्टयुक्त (एसी)

पाइपों का प्रयोग

1505. श्री राजेन गोहैन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयजल परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाला ऐस्बेस्टोस (एसी) पाइप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधरात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) उपलब्ध साहित्य से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पेयजल में प्रयुक्त होने वाला ऐस्बेस्टोस सीमेन्ट युक्त (एसी) पाइप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नये कोयला भंडार

1506. श्री प्रबोध पांडा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नये कोयला भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो पाए गए भंडारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन नये कोयला भंडारों से कोयला निकालने हेतु कोई कार्य योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) :

(क) जी, हां। देश में सतत अन्वेषण क्रियाकलापों ने कई कोलफील्डों में अतिरिक्त कोयला संसाधन स्थापित किए हैं।

जनवरी, 2006 से मार्च, 2009 की अवधि के दौरान भारतीय भू-वैज्ञानिक संसाधनों की कोयला सूची में देश में अतिरिक्त कोयला संसाधनों की स्थापना की वजह से 13,909 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है।

(ख) 13,909 मिलियन टन के अतिरिक्त कोयला संसाधनों का राज्यवार ब्यौरा निम्नवत है:-

राज्य	अतिरिक्त कोयला संसाधन अनुमान (मिलियन टन)
पश्चिम बंगाल	512
झारखंड	2814
मध्य प्रदेश	1223
छत्तीसगढ़	3041
महाराष्ट्र	1078
उड़ीसा	3228
आंध्र प्रदेश	1781
असम	12
मेघालय	117
नागालैंड	2
सिक्किम	101
जोड़	13909

(ग) और (घ) नए कोयला संसाधनों का अनुमान आमतौर पर क्षेत्रीय अन्वेषण के माध्यम से लगाया जाता है। इसके बाद खान आयोजना अध्ययन हेतु संभावित क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण की आवश्यकता होती है जिससे परियोजना रिपोर्टों को तैयार करके कोयले का उत्पादन किया जाता है। कोल इंडिया लि./केप्टिव खनन ब्लाकों के आर्बिट्रियर्स का कुछ ब्लाकों से उत्पादन का 11वीं योजना का कार्यक्रम है जबकि अधिकांश: ब्लाकों को उत्पादन की उपयुक्तता के अनुसार अनुवर्ती योजना अवधि में लिया जाएगा।

वन क्षेत्रों में खनन

1507. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के वन क्षेत्रों में खनन कार्यकलापों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार वन क्षेत्रों में खनन रोकने के लिए पर्यावरणविदों को अधिकार देने हेतु वन अधिकार अधिनियम में कोई संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वन क्षेत्रों में खनन कार्यकलापों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू होने से लेकर अब तक केन्द्रीय सरकार ने लगभग 1,22,157 हे. वन भूमि पर विभिन्न लौह और अलौह खनिजों के खनन से संबंधित 1631 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है। प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या और देश की विकासात्मक आवश्यकताओं के खनन किए गए खनिजों के आधार पर खनन में शामिल वन क्षेत्र वर्ष-दर-वर्ष भिन्न-भिन्न होता है।

(ग) से (ङ) वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु परिवर्तन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 द्वारा विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अंतर्गत स्थापित तंत्र वन भूमि को वनेतर प्रयोग हेतु तभी अनुमति प्रदान करता है जब कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हो। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि उपयोग को युक्तियुक्त बनाया गया है। परिणामस्वरूप, हम बड़ी मात्रा में वन भूमि का अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने को रोक सके हैं। (वन) (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की अवधि के पूर्व (25.10.1980) 1.5 लाख हे. प्रति वर्ष से वर्तमान में लगभग 31,000 हे. प्रतिवर्ष)।

हिमालय सांस्कृतिक विरासत

1508. श्री नवीन जिन्दल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय क्षेत्र सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन के लिए एक प्रमुख आकर्षण है;

(ख) यदि हां, तो हिमालयी सांस्कृतिक विरासत के विकास के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में हिमालय क्षेत्र के पर्वतीय राज्यों से परामर्श किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (च) जी, हां। हिमालय क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक/स्थल भली-भांति अनुरक्षित, संरक्षित तथा परिरक्षित हैं। संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग तथा परामर्श से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन संरक्षित स्मारकों पर पेय जल, प्रसाधन कक्ष, सूचना पट्ट, सूचना ब्राशर, पहियादार कुर्सियां, पहुंच मार्ग, भाषान्तरण केन्द्र आदि जैसी पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। समय समय पर इन सुविधाओं की समीक्षा की जाती है और आवश्यकताओं के अनुसार इनका उन्नयन किया जाता है।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद

1509. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2008-09 के दौरान कृषि क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) में क्षेत्र-वार कितना प्रतिशत हिस्सा है;

(ख) क्या सरकार द्वारा वर्ष के दौरान अनुमानित स.घ.उ. प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिए तथा चालू वर्ष में स.घ.उ. सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) वर्ष 2008-09 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों का क्षेत्र-वार प्रतिशत हिस्सा दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:

वर्तमान मूल्यों (%) पर सकल घरेलू उत्पाद में
क्षेत्र-वार प्रतिशत का वितरण

उद्योग	2008-09 (सं.अनु.)
1. कृषि, वानिकी तथा मत्स्य पालन	17.5
2. खनन तथा उत्खनन	2.5
3. विनिर्माण	15.8
4. विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति	1.6
5. निर्माण	8.9
6. व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार	25.3
7. वित्तपोषण, बीमा, जमीन-जायदाद और व्यावसायिक सेवाएं	14.0
8. सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं	14.4
9. कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	100.0

टिप्पणी: सं.अनु.-संशोधित अनुमान

(ख) और (ग) योजना आयोग सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है। सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य संपूर्ण योजना अवधि के लिए दिए जाते हैं। योजना आयोग के अनुसार, दसवीं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य क्रमशः 7.9 प्रतिशत तथा 9.0 प्रतिशत रखे गए हैं। पिछले चार वर्षों यानि 2005-06 से 2008-09 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में हासिल की गई वृद्धि दर इस प्रकार है:

नियतांक (1999-2000) मूल्यों पर कारक लागत के अनुसार
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर

वर्ष	पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत
1. दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007)	
2005-06	9.5
2006-07	9.7
2. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)	
2007-08	9.0
2008-09 (सं.अनु.)	6.7

(घ) आर्थिक सर्वेक्षण 2008-09 के अनुसार, वैश्विक वित्तीय संकट और इसके फलस्वरूप विकसित देशों में आर्थिक मंदी, भारत के आर्थिक विकास में धीमेपन का एक प्रमुख कारण रही है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने वृद्धि दर में फिर से तेजी लाने के लिए राजकोषीय तथा मौद्रिक कदम उठाए हैं, इनमें विनिर्माण क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उपाय भी शामिल हैं। राजकोषीय उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, योजना व्यय में वृद्धि, अप्रत्यक्ष करों में कटौती आदि शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक तथा ऋण संबंधी उपाय, बैंकों के लिए पर्याप्त तरलता और ऋण प्रदायगी, नगद आरक्षित और सांविधिक तरलता अनुपातों (सीआरआर और एसएलआर) में कटौती आदि के प्रावधानों से संबंधित हैं। इन उपायों को निर्यात, आवास, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों और बुनियादी ढांचे के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रावधानों के द्वारा अनुपूरित किया गया है।

लिंग अनुपात में हास

1510. श्री जगदम्बिका पाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में बालक-बालिका अनुपात में हास हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) वर्ष 2001 में 0 से 6 वर्ष की आयु वाला बाल लिंग अनुपात प्रति हजार लड़कों पर 927 लड़कियां थी जबकि 1991 की जनगणना में इसे 945 रिकार्ड किया गया था। वर्ष 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

लिंग अनुपात के घटने के मुख्य कारणों में लिंग चयन करना, बालिका भ्रूण हत्या, बालिका शिशु हत्या, शीघ्र बालिक बालपन की उपेक्षा करना, पुत्र को वरीयता, दहेज, असुरक्षा और जनसंख्या की गणना में पुरुष पक्षपात शामिल हैं।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम के उल्लंघन का पता लगाने और छपा मारने के लिए एक राष्ट्रीय निरीक्षण और मानीटरिंग समिति का गठन, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के माध्यम से मानीटरिंग, विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण तंत्रों के माध्यम से मुद्दे के बारे में जागरूकता सृजन करना, न्यायिक और जन अभियोजकों सहित स्टेक होल्डरों को जागरूक बनाना, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन और सहायक नर्स धात्री (ए.एन.एस.) और प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के माध्यम से समुदाय जागरूकता और आन लाईन शिकायत पंजीकरण सुविधा और औषधालयों द्वारा आन लाईन पर फार्म एफ भरने की सुविधा शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 1991 और 2001 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात

भारत और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र/जिला	लिंग अनुपात		बाल लिंग अनुपात	
	1991	2001	1991	2001
1	2	3	4	5
भारत	927	933	945	927

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर	896	892	उ. नहीं	941
हिमाचल प्रदेश	976	968	951	896
पंजाब	882	876	875	798
चंडीगढ़*	790	777	899	845
उत्तरांचल	936	962	948	908
हरियाणा	865	861	879	819
दिल्ली*	827	821	915	868
राजस्थान	910	921	916	909
उत्तर प्रदेश	876	898	927	916
बिहार	907	919	953	942
सिक्किम	878	875	965	963
अरुणाचल प्रदेश	859	893	982	964
नागालैंड	886	900	993	964
मणिपुर	958	978	974	957
मिजोरम	921	935	969	964
त्रिपुरा	945	948	967	966
मेघालय	955	972	986	973
असम	923	935	975	965
पश्चिम बंगाल	917	934	967	960
झारखंड	922	941	979	965
उड़ीसा	971	972	967	953
छत्तीसगढ़	985	989	974	975
मध्य प्रदेश	912	919	941	932

1	2	3	4	5
गुजरात	934	920	928	883
दमन और द्वीप*	969	710	958	926
दादरा और नगर हवेली*	952	812	1013	979
महाराष्ट्र	934	922	946	913
आंध्र प्रदेश	972	978	975	961
कर्नाटक	960	965	960	946
गोवा	967	961	964	938
लक्षद्वीप*	943	948	941	959
केरल	1,036	1,085	958	960
तमिलनाडु	974	987	948	942
पांडिचेरी*	979	1,001	963	967
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	818	846	973	957

स्रोत : जनगणना 1991 और 2001, भारत के महापंजीयक का कार्यालय,
*संघ राज्य क्षेत्र

बालिका शिशु रक्षा

1511. श्री राधा मोहन सिंह :

श्री रामसिंह राठवा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बालिका भ्रूणहत्या को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बालिका भ्रूणहत्या को रोकने विशेषकर 'बेटी बचाओ अभियान' के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान एवं चालू वर्ष में राज्य-वार कितनी उपलब्धि हासिल हुई;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त कार्यक्रम को जनजाति बहुल तथा उपेक्षित क्षेत्रों में भी शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में अधिनियम के उल्लंघन कर्ताओं का पता लगाने और छापा मारने के लिए राष्ट्रीय जांच एवं निगरानी समिति की स्थापना, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के तहत केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के माध्यम से निगरानी, विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण तंत्रों के माध्यम से इस विषय पर जागरूकता सृजित करना, न्यायपालिका और लोक अभियोजकों सहित स्टैक होल्डरों को सुग्राही बनाना, सहायक नर्सधात्री और मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के माध्यम से कार्यशालाओं/सेमिनार का आयोजन और सामुदायिक जागरूकता और साथ ही आन लाईन शिकायत पंजीकरण सुविधा और क्लिनिकों द्वारा आन लाईन 'फार्म एफ' को भरने की सुविधा देना शामिल है।

(ख) से (ङ) 'बेटी बचाओ' विषय पर दिनांक 28.4.2008 को नई दिल्ली में एक राष्ट्र स्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री ने किया और जिसमें केन्द्र और राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों और बाल कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सभी राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को अपने संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र में ऐसी बैठकें आयोजित करने का सुझाव दिया गया है।

[अनुवाद]

आपात स्वास्थ्य परिवहन सुविधा

1512. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरोसेमंद परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण गरीबों को दी जाने वाली स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं काफी हद तक प्रभावित होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में विभिन्न आपात स्वास्थ्य परिवहन सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आबंटित राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ग्रामीण आपात स्वास्थ्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आपात स्वास्थ्य परिवहन सेवाओं के लिए वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मिशन फ्लेक्सिबल पूल के अंतर्गत अनुमोदित निधियों को दर्शाने ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य सरकारों को आपात स्वास्थ्य परिवहन सेवाओं और अन्य आपातकालीन अनुक्रिया तंत्र के लिए निधियां जारी की जाती हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकारों ने अपनी निजी सुविधाओं द्वारा आपात स्वास्थ्य परिवहन सेवाएं परिचालित करना पसन्द किया है। अन्य मामलों में राज्य सरकारों ने जन निजी सहभागिता मार्ग के माध्यम से आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना चुना है। दोनों मामलों में राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उनके अनुरोधों के अनुसार निधियां जारी की गई हैं।

विवरण

2006-07

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित राशि
1	2	3
1.	मध्य प्रदेश	588.00
2.	राजस्थान	500.00
3.	असम	750.00

1	2	3
4.	अरुणाचल प्रदेश	240.00
5.	मणिपुर	54.00
6.	नागालैंड	35.00
7.	मेघालय	90.00
8.	आंध्र प्रदेश	1000.00
	कुल	3257.00

2007-08

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित राशि
1.	बिहार	1000.00
2.	मध्य प्रदेश	1040.00
3.	उत्तर प्रदेश	4740.00
4.	जम्मू और कश्मीर	400.00
5.	गुजरात	319.00
6.	गोवा	48.00
7.	असम	1000.00
8.	सिक्किम	72.00
9.	मिजोरम	90.00
10.	त्रिपुरा	97.08
	कुल	8806.24

2008-09

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित राशि
1	2	3
1.	बिहार	8.40

1	2	3
2.	जम्मू और कश्मीर	1000.00
3.	मध्य प्रदेश	3826.34
4.	राजस्थान	2500.00
5.	उत्तर प्रदेश	1843.81
6.	उत्तराखंड	1000.00
7.	आंध्र प्रदेश	10000.00
8.	गुजरात	4006.24
9.	कर्नाटक	679.00
10.	केरल	1147.67
11.	महाराष्ट्र	610.50
12.	तमिलनाडु	954.97
13.	असम	5045.00
14.	अरुणाचल प्रदेश	90.00
15.	मणिपुर	61.20
16.	मेघालय	82.20
17.	मिजोरम	182.40
18.	नागालैंड	119.00
19.	सिक्किम	201.01
20.	त्रिपुरा	97.80
21.	दमन और दीव	48.23
	कुल	33503.77

2009-10

नदियों का राष्ट्रीयकरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत राशि (लाख रुपए)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6500.00
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	50.00
3.	बिहार	40.32
4.	दमन और दीव	10.88
5.	गोवा	420.00
6.	गुजरात	2050.00
7.	हरियाणा	580.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1800.00
9.	जम्मू और कश्मीर	50.00
10.	पंजाब	2561.00
11.	राजस्थान	2000.00
12.	तमिलनाडु	3319.69
13.	उत्तर प्रदेश	7309.45
14.	उत्तराखंड	1080.00
15.	केरल	1094.00
16.	महाराष्ट्र	13.77
17.	असम	1972.00
18.	अरुणाचल प्रदेश	158.00
19.	मेघालय	360.00
20.	सिक्किम	16.92
21.	त्रिपुरा	2400.00

1513. श्री आनंदराव अडसुल :

श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राज्यीय विवादों के समाधान के लिए नदियों का राष्ट्रीयकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पहचान की गई नदियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) :

(क) अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान करने के लिए नदियों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जल विवादों का अधिनिर्णय करने के लिए सरकार ने 1956 में पहले से ही अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम अधिनियमित किए हुए हैं तथा विवादों का समयबद्ध अधिनिर्णय करने के लिए इसमें 2002 में संशोधन किया गया और इस अधिनियम को अब अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 कहा जाता है।

(ख) और (ग) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा उपकरणों का देश में विनिर्माण

1514. श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का देश में काफी मात्रा में आयात किया जा रहा है जिसके परिणाम-स्वरूप मरीजों को ऐसे उपकरणों की उच्च लागत का वहन करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन उपकरणों के देश में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कोई सहायता प्रदान की जाती है/प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 को
सख्ती से लागू करना**

1515. श्रीमती जयाप्रदा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के विद्यमान उपबंध देश में खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिए अपर्याप्त तथा अक्षम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पीएफए) अधिनियम, 1954 के अंतर्गत दंड को और कठोर बनाने में व्याप्त कमियों को दूर करने तथा इसके क्रियान्वयन में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उपभोक्ताओं और स्वैच्छिक संगठनों को सशक्त बनाने के लिए इसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है। खाद्य अपमिश्रण निवारण (पीएफए) अधिनियम और नियमों को लागू करने का कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को सौंपा गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों को समय-समय पर परामर्श दिया जाता है कि वे अपमिश्रण की जांच करें तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण (पीएफए) अधिनियम और नियमों के उपबंधों को लागू करने के लिए सतर्कता बरतें। खाद्य के नमूनों में मिलावट होने अथवा उनके मानकों के अनुरूप न होने के मामले में खाद्य अपमिश्रण निवारण (पीएफए) अधिनियम,

1954 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है जिसके तहत न्यायालयों द्वारा अपराध की गंभीरता के आधार पर छह माह से लेकर आजीवन कारावास की सजा दी जानी निर्धारित है। खाद्य अपमिश्रण निवारण (पीएफए) अधिनियम, 1954 सहित विभिन्न खाद्य नियमों को प्रतिस्थापित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 नामक एक नया अधिनियम भी बनाया गया है तथा यह अधिनियम खाद्य पदार्थों के लिए वैज्ञानिक आधार पर मानक निर्धारित करने के लिए भारतीय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए तथा उनके उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए भी है ताकि मानव खपत के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता और उनसे संबंधित मामले अथवा प्रासंगिक मुद्दों का निवारण सुनिश्चित हो सके।

[हिन्दी]

भारतीय व्यक्तियों पर हमले

1516. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय व्यक्तियों पर हाल में हुए नस्लीय हमलों के दृष्टिगत भारत और आस्ट्रेलिया के बीच पारस्परिक संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : आस्ट्रेलियाई सरकार ने भारतीय विद्यार्थियों पर हाल ही में हुए नस्लीय हमलों की कड़े रूप में निंदा की है तथा आस्ट्रेलिया में संघीय व राज्य, दोनों स्तरों पर भारतीयों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं। इस प्रकार भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे तथा इनमें पारस्परिक हित के लिए विविध क्षेत्रों में विस्तार होता रहा।

[अनुवाद]

कन्या भ्रूणहत्या संबंधी सम्मेलन

1517. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :

श्री नरहरि महतो :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यूनीसेफ

तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कन्या भूणहत्या के उन्मूलन के संबंध में कोई राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) उक्त सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा अभी तक क्या कारगर कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) से (घ) इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यूनीसेफ तथा राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार हाल ही में ऐसे किसी भी सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया है।

**संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत आतंकवाद-
रोधी रणनीति**

1518. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से पाकिस्तान की सीमा पर तनाव में कमी लाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की आतंकवाद-रोधी रणनीतियां अपनाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आतंकवाद-रोधी रणनीतियों में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को क्या सहायता प्रदान की जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) 19 जून, 2009 को प्रेस में बोलते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा- “मेरा मानना है कि पाकिस्तान और भारत के समक्ष मिलकर बातचीत करने और समय बीतने के साथ तनाव में कमी लाने तथा साझे हित के क्षेत्रों का पता लगाने का एक अवसर है।” भारत की चिरकालिक नीति रही है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भार और अमरीका के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध एक दीर्घावधिक वार्ता तंत्र विद्यमान है, जिसमें आतंकवाद का मुकाबला करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

**उड़ीसा की एल्यूमीनियम परिष्करणशालाओं
से जहरीले अपशिष्ट**

1519. श्री तथागत सत्पथी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में एल्यूमीनियम परिष्करणशाला से जहरीले अपशिष्ट के रिसाव की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) से (ग) उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मै. वेदान्त एल्यूमीनियम लि. के विभिन्न कारखानों से अलाकली बहिस्त्राव को वामसंधारा नदी में बहते हुए देखा गया था। राज्य बोर्ड ने जल प्रदूषण निवारण और (नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 31(क) के तहत और वायु (प्रदूषण निवारण और (नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत मै. वेदान्त एल्यूमीनियम लि. को निर्देश जारी करते हुए समयबद्ध अनुपालन के लिए विशिष्ट कार्य बिन्दु निर्धारित किए हैं। उद्योग द्वारा उपचारात्मक उपाय किए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप वामसंधारा नदी की जल गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इस समय जल गुणता प्राचलन निर्धारित सीमाओं के अन्दर हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं

1520. श्री राजैया सिरिसिल्ला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि स्वास्थ्य संबंधी पहलें उन तक नहीं पहुंचती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) से (ग) "स्वास्थ्य" 'राज्य' का एक विषय है, जन स्वास्थ्य सुविधाकेन्द्र संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। तथापि, जब भी कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन्हें आवश्यक नैदानिक कार्यवाई के लिए राज्य सरकारों को प्रेषित कर दिया जाता है।

सरकार ने ग्रामीण जनता विशेष रूप से संवेदनशील हिस्सों को पहुंच वाली, वहनीय और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरम्भ किया है। नए स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने और साथ ही मौजूदा स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन के लिए राज्य/संघ क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य/संघ क्षेत्र सरकारें अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करती हैं और उनका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में उल्लेख करती हैं उसके पश्चात, राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति के अनुमोदन के अनुसार उन्हें निधियां जारी कर दी जाती हैं।

पिछड़े जिलों का चुनाव

1521. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश के लगभग 100 जिलों का चुनाव सर्वाधिक पिछड़े जिलों के रूप में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले और जिलों के चुनाव के लिए सर्वेक्षण कर रही है;

(घ) यहद हां, तो इसका और ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रकार पहचान किए गए क्षेत्रों के कब तक किस रूप में लाभान्वित होने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के जिला घटक के अंतर्गत शामिल करने हेतु 250 जिलों की पहचान की गई है।

(ख) जिलों की सूची में कर्नाटक के पांच जिले शामिल हैं। सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आंध्र प्रदेश

1. आदिलाबाद
2. अनंतपुर
3. चित्तूर
4. कुडप्पा
5. करीमनगर
6. खम्माम
7. महबूब नगर
8. मेडक
9. नलगोंडा
10. निजामाबाद
11. रंगारेड्डी
12. विजयनगरम
13. वारंगल

अरुणाचल प्रदेश

1. अपर सुबनसिरि

असम

1. बारपेटा
2. बोंगाईगांव
3. कछार

4. धेमाजी
5. गोलपाड़ा
6. हेलकांडी
7. करबी अंगलांग
8. कोकराझार
9. लखीमपुर
10. मारीगांव
11. उत्तरी कछार हिल्स

बिहार

1. अररिया
2. औरंगाबाद
3. बांका
4. बंगूसराय
5. भागलपुर
6. भोजपुर
7. बक्सर
8. दरभंगा
9. गया
10. गोपालगंज
11. जमुई,
12. जहानाबाद
13. कैमूर/भभुआ
14. कटिहार

15. खगड़िया
16. किशनगंगंज
17. लखीसराय
18. मधेपुरा
19. मधुबनी
20. मुंगेर
21. मुजफ्फरपुर
22. नालंदा
23. नवादा
24. पश्चिम चंपारण
25. पटना
26. पूर्वी चंपारण
27. पूर्णियां
28. रोहतास
29. सहरसा
30. समस्तीपुर
31. सारण
32. शेखपुरा
33. शिवहर
34. सीतामढ़ी
35. सुपौल
36. वैशाली

छत्तीसगढ़

1. बस्तर

2. बिलासपुर
3. दांतेवाड़ा
4. धमतारी
5. जसपुर
6. कबीरधाम
7. कांकर
8. कोरबा
9. कोरीया
10. महासमुन्द
11. रायगढ़
12. राजनंदगांव
13. सरगुजा

गुजरात

1. बनास कांठा
2. दाहोद
3. डांग्स
4. नर्मदा
5. पंचमहल
6. साबरकांठा

हरियाणा

1. महेन्द्रगढ़
2. सिरसा

हिमाचल प्रदेश

1. चंबा

2. सिरमौर

जम्मू और कश्मीर

1. डोडा
2. कुपवाड़ा
3. पुंछ

झारखंड

1. बोकारो
2. चतरा
3. देवगढ़
4. धनबाद
5. दुमका
6. गढ़वा
7. गिरीडीह
8. गोड्डा
9. गुमला
10. हजारीबाग
11. जामतारा
12. कोडरमा
13. लातेहार
14. लोहरदगा
15. पाकुड़
16. पलामू
17. रांची

18. साहिबगंज
19. सरायकेला
20. सिमडेगा
21. पश्चिम सिंहभूम

कर्नाटक

1. बीदर
2. चित्रदुर्ग
3. दावनगिरी
4. गुलबर्गा
5. रायचुर

केरल

1. पलक्कड
2. वायनाड

मध्य प्रदेश

1. बालाघाट
2. बारवानी
3. बेतूल
4. छत्तरपुर
5. दमोह
6. धार
7. डिनडोरी
8. गुना
9. झबुआ

10. कटनी
11. खंडवा
12. खरगौन
13. मण्डला
14. पन्ना

15. राजगढ़
16. रेवा
17. सतना
18. सिओनी
19. शहडौल
20. सिओपुर
21. शिवपुरी
22. सिद्धी
23. टीकमगढ़
24. उमरिया

महाराष्ट्र

1. अहमद नगर
2. अमरावती
3. औरंगाबाद
4. भंडारा
5. चन्द्रपुर
6. धुले
7. गढ़चिरोली

8. गोंडिया
9. हिंगोली
10. नांदेद
11. नंदुरबार
12. यवतमाल

मणिपुर

1. चंदेल
2. चुरचंदपुर
3. तामेंगलॉंग

मेघालय

1. राइ बोइ
2. साऊथ गारो हिल्स
3. वेस्ट गारो हिल्स

मिजोरम

1. लांगतलाय
2. साइहा

नागालैंड

1. मोत
2. तुनसंग
3. वोखा

उड़ीसा

1. बोलांगीर
2. बौध

3. देबगढ़
4. धेनकेनाल
5. गजपति
6. गंजम
7. झारसुगुड़ा

8. कालाहांडी
9. कंधमाल
10. क्योझर
11. कोरापुट

12. मलकानगिरी
13. मयूरभंज
14. नबरंगपुर
15. नुआपाड़ा

16. रायगढ़
17. संबलपुर
18. सोनपुर
19. सुंदरगढ़

पंजाब

1. होशियापुर

राजस्थान

1. बांसवाड़ा
2. बारमेड़
3. चित्तौड़गढ़

4. डूंगरपुर
5. जैसलमेर
6. जलोर
7. झालावाड़
8. करौली
9. सवाई माधोपुर
10. सिरोही
11. टोंक
12. उदयपुर

सिक्किम

1. उत्तर जिला

तमिलनाडु

1. कुड्डलोर
2. डिडिगुल
3. नागापट्टिनम
4. शिवगंगा
5. तिरुवन्नामलाई
6. विल्लूपुरम

त्रिपुरा

1. धलाई

उत्तर प्रदेश

1. अंबेडकर नगर
2. आजमगढ़

3. बहराईच
4. बलरामपुर
5. बांदा
6. बाराबंकी
7. बस्ती
8. बंदायू
9. चंदोली
10. चित्रकूट
11. ऐटा

12. फरुखाबाद

13. फतेहपुर

14. गोंडा

15. गोरखपुर

16. हमीरपुर

17. हरदोई

18. जालौन

19. जौनपुर

20. कौशाम्बी

21. खीरी

22. कुशीनगर

23. ललितपुर

24. महाराजगंज

25. महोबा

26. मिर्जापुर

10. मुर्शीदाबाद

27. प्रतापगढ़

11. पुरुलिया

28. रायबरेली

जल क्षेत्र को विश्व बैंक सहायता

29. संत कबीर नगर

1522. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

30. श्रावस्ती

(क) क्या विश्व बैंक ने जल क्षेत्र में कोई अध्ययन कराया है;

31. सिधार्थनगर

32. सीतापुर

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत के बारे में इस रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं;

33. सोनभद्र

(ग) क्या विश्व बैंक जल क्षेत्र में सुधारों के लिए भारत को वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया है; और

34. उन्नाव

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तराखंड

1. चमोली

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) :

2. चंपावत

(क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा जनवरी 2006 में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका शीर्षक "इंडियाज वाटर इकानोमी: ब्रेसिंग फार ए टरबुलेंट फ्यूचर" है। संक्षेप में रिपोर्ट में भारत द्वारा जल के अस्तव्यस्त भविष्य का सामना किया जाना तथा मौजूदा जल विकास तथा प्रबंधन प्रणाली का सतत न होना दर्शाया गया है। रिपोर्ट में भारत के जल संबंधी प्रबंधन के विकास की जांच, पूर्व उपलब्धियों का वर्णन तथा इसकी समक्ष चुनौतियों का सामना करने का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि किन परिवर्तनों के संबंध में विचार किया जाए तथा पूर्व की कार्य प्रणाली को भविष्य में सैद्धांतिक परन्तु व्यवहार्य रूप में किस तरह परिवर्तित किया जाए। इस रिपोर्ट में दो मूल मुद्दों पर ध्यान दिया गया है- भारत के लिए जल संबंधी मुख्य चुनौतियां, तथा इनका समाधान करने के लिए अपेक्षित ठोस उपाय। भारत में जल के सतत विकास तथा प्रबंधन के लिए सशक्त सार्वजनिक जल संस्थानों की आवश्यकता है। भारत में जल प्रबंधन के विकास संबंधी अध्ययन किया गया है जिसमें पूर्व उपलब्धियों का वर्णन, भविष्य की चुनौतियों का विश्लेषण और एक सतत जल प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के तरीकों का सुझाव दिया गया है।

3. टिहरी गढ़वाल

पश्चिम बंगाल

1. 24 परगना साउथ

2. बांकुड़ा

3. बीरभूम

4. दिनाजपुर दक्षिण

5. दिनाजपुर उत्तर

6. जलपाईगुड़ी

7. मालदा

8. मिदनापुर पूर्व

(ग) और (घ) विश्व बैंक द्वारा जल संसाधन क्षेत्र संबंधी 10 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

9. मिदनापुर पश्चिम

विवरण

विश्व बैंक द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त जल संसाधन परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं का नाम	अनुबंध/पूर्णता की तिथि	सहायता की राशि (यू एस मिलियन डालर)	31.05.2009 तक संचयी विवरण (मिलियन डालर)
1	2	3	4	5	6
1.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना एलएन 4750-आईएन	<u>30.11.2004</u> 31.3.2011	394.020 अमेरिकी डालर	84.68 अमेरिकी डालर
2.	राजस्थान	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना सीआर 3603-आईएन	<u>15.3.2002</u> 31.3.2010	119.0 अमेरिकी डालर	97.29 अमेरिकी डालर
3.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना सीआर 3602-आईएन	<u>08.3.2002</u> 31.10.2009	111.0 अमेरिकी डालर	64.04 अमेरिकी डालर
4.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना-एलएन 4796-आईएन	<u>19.8.2005</u> 31.03.2012	325 अमेरिकी डालर	78.36 अमेरिकी डालर
5.	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना सीआर. 3635-आईएन	<u>06.06.2002</u> 31.1.2012	75.02 अमेरिकी डालर	46.83 अमेरिकी डालर
6.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना सी आर. 4291-आईएन एवं 4857-आईएन	<u>8.6.2007</u> 31.12.2012	189 अमेरिकी डालर	13.69 अमेरिकी डालर
7.	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना सी. 4872-आईएन एवं 3635-आईआईएन	<u>14.1.2008</u> 31.1.2012	64 अमेरिकी डालर	0.852 अमेरिकी डालर

1	2	3	4	5	6
8.	उड़ीसा	उड़ीसा समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना (7576-आईएन)	27-01-09 31.08.2014	112.000 अमेरिकी डालर	4:14 अमेरिकी डालर
9.	तमिलनाडु	तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण एवं जल निकाय पुनरुद्धार एवं प्रबंधन परियोजना (सीआर सं. 4846 (आईबीआरडी) एवं सीआर सं. 4255-आईएन (आईडीए)	12-2-2007 31.3.2013	485 अमेरिकी डालर	59.64 अमेरिकी डालर
10.	बहु-राष्ट्रीय	जल विज्ञान परियोजना (चरण-II) सीआर 4749- आईएन	19-1-2006 30.6.2012	104.980 अमेरिकी डालर	18.84 अमेरिकी डालर

टीकों का आयात

1523. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई भारतीय कंपनियां चीन से टीकों का आयात कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन टीकों का भारतीय प्राधिकारियों द्वारा आयात पंजीकरण नियमों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से निरीक्षण किया जाता है; और

(ग) टीकों के आयात के लिए कौन-कौन-सी कंपनियां पंजीकृत हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। तथापि, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित एक राष्ट्रीय स्तर की एक विशेषज्ञ समिति ने वर्ष 2005 में लाइव एटिन्यूटेड जापानी एन्साफ्लाइटिस वैक्सीन (एस ए-14-14-2) के पंजीकरण और आयात के उद्देश्य से चेनाडू इंस्टीट्यूट आफ बायोलोजीकल प्रोडक्ट, चीन का निरीक्षण किया। इस वैक्सीन को औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अनुसार अनुमोदित किया गया था।

(ग) वैक्सीनों के आयात के लिए पंजीकृत कंपनियों के नाम इस प्रकार हैं:

- (1) मैसर्स ज़ेजियांग टियानयूवान बायो-फार्मा
- (2) मैसर्स ज़ेजियांग पूकांग, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी
- (3) मैसर्स लिओनिंग चेंग डा बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लि.
- (4) मैसर्स चांगचुन इंस्टीट्यूट बायोलोजीकल प्रोडक्ट
- (5) चेनाडू इंस्टीट्यूट आफ बायोलोजीकल प्रोडक्ट, चीन

स्वास्थ्य अनुसंधान में उपलब्धियां

1524. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा शुरू किए गए/शुरू किए जा रहे अनुसंधान का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में विभाग द्वारा अभी तक अर्जित उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आम जनता के लाभार्थ नैदानिक और

चिकित्सीय तकनीकों में अनुसंधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):

(क) बुनियादी, अनुप्रयुक्त और नैदानिक अनुसंधान के संवर्धन और समन्वय तथा सभी ध्यान दिए जाने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से राष्ट्रपति की दिनांक 17.09.2007 की अधिसूचना द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक नया स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग सृजित किया गया। इस विभाग को औपचारिक रूप से 5 अक्टूबर, 2007 से आरम्भ किया गया और इसने 1 अप्रैल, 2008 से कार्य करना शुरू कर दिया।

(ख) इस विभाग के प्रारंभ से अब तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप पूरे किये गये हैं

- (i) मेडिकल कालेजों और माडल ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए विशेष सहायता के संबंध में अवसंरचनात्मक विकास के लिए संकल्पना प्रस्ताव।
- (ii) इसके अलावा, राष्ट्रीय विषाणु नेटवर्क की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की गई है और स्टैमसैल यूनिटों, मोलीक्यूलर मेडिसिन विभागों और उत्कृष्ट विशेषीकृत/उन्नत केंद्रों के विकास के लिए विशेष स्कीमें शुरू की गई हैं।
- (iii) आचारशास्त्र संबंधी विधेयक को अधिनियमित करने और राष्ट्रीय जैव आचार शास्त्र संबंधी प्राधिकरण की स्थापना करने पर कार्यवाही शुरू की गई है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के संस्थानों से यह अनुरोध किया गया है कि वे नैदानिक जांचों और थेराप्यूटिक अभिकर्मकों को विकसित करने में निवेश करना जारी रखें।

[हिन्दी]

वानिकी और वन्य जीव संरक्षण हेतु धनराशि

1525. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के बार-बार आदेश दिए जाने के बावजूद भी वानिकी और वन्य जीव संरक्षण के लिए निर्धारित अधिकांश धनराशि खर्च नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो अप्रयुक्त धनराशि और उक्त धनराशि कब से अप्रयुक्त है सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा धनराशि के पूर्ण उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) से (घ) 30.6.2009 की स्थिति के अनुसार, तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के पास लगभग 9932.12 करोड़ रु. उपलब्ध थे। इसे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा टी.एन. गोदावरम थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में 1995 की रिट याचिका (सिविल) नं. 202 में आई.ए. नं. 1473 के संबंध में दिनांक 05.05.06 के आदेशों के अनुसार गठित किया गया था। उपर्युक्त राशि को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उच्चतम न्यायालय के 05.05.06 के आदेशों के अनुसार धीरे-धीरे तदर्थ काम्पा के खाते में जमा कर दिया गया है। तदर्थ काम्पा के खाते में जमा कराई गई राज्यवार धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

तदर्थ काम्पा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि जारी नहीं कर सका क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको उसके द्वारा जमा कराई गई धनराशि को वितरित करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया था।

तदर्थ काम्पा ने माननीय उच्चतम न्यायालय के 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में आई.ए. सं. 2143 के संबंध में दिनांक 25.2.2009 के आदेशों के अनुपालन में माननीय उच्चतम न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें उसने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुसार चरणबद्ध रूप से धनराशि जारी करने हेतु प्राधिकार मांगा गया था। इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10.7.2009 को उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।

विवरण

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) में जमा कराई गई कुल राशि का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	(रुपए)
1	2.	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	109,906,133.00

1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	8,978,325,571.48
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,636,763,088.74
4.	असम	671,749,049.00
5.	बिहार	773,448,981.00
6.	चंडीगढ़	17,652,067.00
7.	छत्तीसगढ़	12,321,350,743.39
8.	दादरा और नागर हवेली	16,829,000.00
9.	दमन और दीव	—
10.	दिल्ली	1,224,523,363.00
11.	गोवा	1,211,970,919.58
12.	गुजरात	2,496,471,445.00
13.	हरियाणा	1,911,413,386.79
14.	हिमाचल प्रदेश	3,667,719,848.60
15.	जम्मू और कश्मीर	—
16.	झारखंड	9,500,280,928.03
17.	कर्नाटक	5,855,732,170.00
18.	केरल	175,090,762.58
19.	लक्षद्वीप	—
20.	मध्य प्रदेश	5,304,823,886.00
21.	महाराष्ट्र	8,935,493,798.50
22.	मणिपुर	74,568,219.00
23.	मेघालय	9,675,979.00
24.	मिजोरम	—

1	2	3
25.	नागालैंड	—
26.	उड़ीसा	13,106,182,423.00
27.	पाण्डिचेरी	—
28.	पंजाब	3,305,472,163.50
29.	राजस्थान	3,259,088,410.85
30.	सिक्किम	800,924,612.00
31.	तमिलनाडु	197,130,414.00
32.	त्रिपुरा	354,181,754.00
33.	उत्तर प्रदेश	4,709,629,585.46
34.	उत्तराखंड	8,165,322,154.65
35.	पश्चिम बंगाल	529,577,838.00
कुल जोड़		99,321,298,695.15

[अनुवाद]

समुद्र के जल स्तर में वृद्धि

1526. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समुद्री पौधों और जानवरों पर बढ़ते समुद्री जल स्तर का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में संरक्षण कार्य में लगे स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) और (ख) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 40 वर्षों से अधिक अवधि तक उत्तर भारतीय समुद्र से उठने वाली ज्वार-भाटा गेज को रिकार्ड किया गया है। यह देखने में आया है कि पिछली शताब्दी के दौरान समुद्र स्तर में 1.06-1.75 मिलिमीटर प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। यह अनुमान जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल द्वारा किए गए ग्लोबल समुद्र-स्तर में 1-2 मिलिमीटर प्रति वर्ष की अनुमानित बढ़ोतरी के अनुरूप है।

(ग) अनुमान है कि समुद्र स्तर में हो रही इस बढ़ोतरी का समुद्र में रह रहे जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-मंत्रालय के पैनल ने वर्ष 2007 में प्रकाशित मूल्यांकन रिपोर्ट में यह कहा है कि समुद्र वार्मिंग के साथ समुद्र स्तर में बढ़ोतरी और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्री बायोटा में बिमारियों का खतरा बढ़ा है।

(घ) सरकार ने तमिलनाडु और निकोबार द्वीपसमूह में स्थित मन्नार की खाड़ी के कोरल रीफ को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में कोरल रीफ को शामिल किया है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय रूप से प्रायोजित विभिन्न स्कीमों नामशः वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, वन्यजीव संरक्षण पर केन्द्रित कार्यकलापों के लिए बाघ परियोजना और हाथी परियोजना, जिसमें समुद्री और तटीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए वन्यजीव संरक्षण हेतु स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया है, के तहत राज्यों और संघ शासित सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

यूएससीआईआरएफ का भारत दौरा

1527. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड स्टेट कमिशन आन इंटरनेशनल रिलीजिएस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) के प्रतिनिधिमंडल ने जून, 2009 में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त दौरे के क्या उद्देश्य थे;

(ग) क्या यूएससीआईआरएफ ने देश के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कुछ मुद्दों पर प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त टिप्पणियों को भारत के अंदरूनी मामलों में सीधा हस्तक्षेप माना है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) यूनाइटेड स्टेट कमिशन आन इंटरनेशनल रिलीजिएस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) के एक प्रतिनिधिमंडल का देश में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए जून, 2009 में भारत की यात्रा करने का एक प्रस्ताव था।

(ग) और (घ) यूएससीआईआरएफ ने 9 मई, 2009 को अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि, इससे पहले यूएससीआईआरएफ ने 10 जनवरी, 2008 को जारी एक प्रेस विज्ञापित में वर्ष 2007 में उड़ीसा में हुए सांप्रदायिक हिंसा पर चिंता व्यक्त की थी।

(ङ) और (च) भारत सरकार विदेश के आयोगों द्वारा भारत की आंतरिक स्थिति पर की गयी टिप्पणियों का संज्ञान नहीं लेती है।

वैक्सीन पाकों की स्थापना

1528. श्री एस.एस. रामासुब्बु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार तमिलनाडु राज्य सहित देश में वैक्सीन पाकों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित वैक्सीन पाकों की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) जी नहीं। सरकार का देश में वैक्सीन पार्क स्थापित करने का

कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार राष्ट्रीय महत्ता की एक राष्ट्रीय परियोजना, जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उद्यम, एचएलएल लाईफ केयर लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, के रूप में एक एकीकृत वैक्सीन परिसर स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) और (ग) एकीकृत वैक्सीन परिसर एक विश्व श्रेणी की सीजीएमपी परिपूर्ण सुविधा होगी जो (क) जो सरकार के समग्र रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए अपेक्षित वैक्सीनों के निर्माण (ख) नयी उत्पन्न वैक्सीनों के उत्पादन और (ग) वैक्सीनों के अनुसंधान और विकास, मानकीकरण, जांच तथा सत्यापन के लिए एक केंद्र से संबंधित जरूरतों को पूरा करेगी।

(घ) परियोजना का पहला चरण, जिसमें यूआईपी वैक्सीन का विनिर्माण, भराई और पैकिंग शामिल होगी, वर्ष 2012 तक पूरा होगा। परियोजना का द्वितीय चरण जिसमें यूआईपी वैक्सीनों और नयी उत्पन्न वैक्सीनों का प्रचुर मात्रा में जीव विज्ञानी उत्पादन शामिल होगा, वर्ष 2014 तक पूरा होगा।

अनिवासी/प्रवासी भारतीयों को मताधिकार

1529. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रवासी/अनिवासी भारतीयों के मताधिकार हेतु विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विधान को कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री-वायालार रवि) : (क) से (ग) भारतीय नागरिकों, जो रोजगार, शिक्षा अथवा अन्यथा के कारण अपने निवास के स्थान से दूर हैं, को मताधिकार देने के प्रस्ताव का एक विधेयक फरवरी, 2006 में राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव भारतीय नागरिकों, जो अपने रोजगार, शिक्षा आदि के कारण भारत से बाहर रह रहे हैं, को अपने नाम भारत में अपने सामान्य निवास के स्थान से संबंधित चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज कराने और यदि वे चुनावों के समय अपने चुनाव क्षेत्रों में उपस्थित

हैं तो उन्हें लोक सभा और विधान सभाओं के चुनावों में अपना मत देने की अनुमति देता है। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसद की विभागीय स्थायी समिति ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट 4 अगस्त, 2006 को राज्य सभा को प्रस्तुत की थी/लोक सभा पटल पर रखी थी। रिपोर्ट की विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनः चालू करना

1530. शेख सैदुल हक : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त उद्यम में कोयला खान परियोजना उपकरणों का विनिर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के बंद पड़े उपक्रमों को पुनः चालू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम, दुर्गापुर (एमएएमसी) को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधान के अधीन 2.1.2002 को बंद कर दिया गया तथा कोलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सरकारी परिसमापक द्वारा इसकी परिसम्पत्तियों को कब्जे में ले लिया गया। वर्ष 2007 में परिसम्पत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया चल रही थी तो कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने एक चल रही कंपनी के रूप में एमएएमसी (परिसमापन में) की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए न्यायालय से सम्पर्क किया। बाद में, बीईएमएल ने इसमें भाग लिया तथा कोलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत एमएएमसी का अधिग्रहण करने के लिए कंसोर्टियम का गठन किया। कंसोर्टियम ने एमएएमसी के विरुद्ध ऋण और बकाया ब्याज माफ करने के लिए भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय से सम्पर्क किया तथा इस समय यह संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से विचाराधीन है।

[हिन्दी]

अस्पतालों में उपचार से इंकार करना

1531. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में कतिपय अस्पतालों द्वारा नवजात शिशुओं का उपचार करने से इंकार करने से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) से (च) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों में उपचार से इनकार करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उपर्युक्त अस्पताल सभी रोगियों को उनकी स्थिति, जाति और पन्थ का भेदभाव किए बगैर उपचार प्रदान कर रहे हैं। तथापि, केंद्र सरकार के अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की दशा में रोगियों को अन्य सार्वजनिक अस्पतालों में रेफर करने के लिए उचित सावधानी बरती जाती है।

[अनुवाद]

माजुली द्वीप का विश्व विरासत स्थल के रूप में विकास

1532. श्री बदरुद्दीन अजमल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा असम के माजुली द्वीप जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा यूनेस्को विश्व विरासत समिति की अगली बैठक में माजुली को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. नारायणसामी) : (क) माजुली द्वीपसमूह तथा

इसके सत्रों के सांस्कृतिक संसाधनों को संरक्षित तथा परिरक्षित करने के लिए असम सरकार ने "माजुली सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र अधिनियम, 2006" बनाया है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा माजुली सांस्कृतिक भूदृश्य प्रबंधन प्राधिकरण तथा एक कार्यकारी समूह को अधिसूचित किया गया है। सत्रों की वास्तविक अवसंरचना में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने 185 लाख रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की है।

राज्य सरकार की माजुली विकास परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने सत्रीया तथा लोक नृत्य के प्रचार और प्रशिक्षण के लिए सांस्कृतिक केन्द्र को स्वीकृति प्रदान की है तथा द्वीप की आदिवासी संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए एक नृजातीय ग्राम के विकास के लिए धनराशि भी प्रदान की है। सांस्कृतिक केन्द्र के तत्वावधान में नियमित कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन द्वारा सत्रों में अवस्थित पाण्डुलिपियों की जांच तथा प्रलेखन किया जा रहा है।

(ख) विश्व विरासत सूची में स्थल को सूचीबद्ध करने की पूर्वापेक्षा के अनुसार माजुली द्वीप को यूनेस्को की अस्थाई सूची में शामिल किया गया है। विश्व विरासत सूची में "सांस्कृतिक क्षेत्रों" के अंतर्गत शामिल करने के लिए इसके पुनः नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका नामांकन डोजियर तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त किया जा रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व को भी प्रकट करेगा। विश्व विरासत में शामिल करने के लिए यूनेस्को के एक सलाहकार निकाय, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक तथा स्थल परिषद (इकोमास) को भी माजुली द्वीप समूह के उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व का मूल्यांकन करने तथा पता लगाने के लिए स्थल का दौरा करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए आरक्षण

1533. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को तीन प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई कानून बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कानून के बावजूद भी पात्र शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को उनके लिए निर्धारित सुविधाओं/रियायतों से वंचित रखा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कानून के अक्षरशः क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कर्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागेदारी) अधिनियम, 1995 के अनुसार प्रत्येक समुचित सरकार प्रत्येक स्थापन में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणी के लिए कम से कम 3 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित करेगी जिनमें से दृष्टिविहीनों अथवा कम दृष्टि वालों; वधिरों; चलने फिरने की निःशक्तता वालों अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों के लिए, प्रत्येक निःशक्तता के लिए पहचाने गए पदों पर एक एक प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित होंगी, केवल उन स्थापनों को छोड़कर जो समुचित सरकार की अधिसूचना द्वारा इस प्रकार के आरक्षण से विमुक्त हैं। इस अधिनियम में आगे यह भी प्रावधान है कि सभी सरकारी शैक्षिक संस्थाएं और सरकार से सहायता प्राप्त कर रही अन्य शैक्षिक संस्थाएं, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कम से कम 3 प्रतिशत पद आरक्षित करेंगी।

(ग) और (घ) सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों की तर्ज पर सेवाओं में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन के बारे में अनुदेश जारी किए हैं जिसकी सभी मंत्रालय/विभाग पालना करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को अन्य बातों के साथ साथ इस आशय का अनुरोध करते हुए परिपत्र जारी किए हैं कि वे व्याख्याता के पदों और अन्य नौकरियों के मामलों में नियुक्ति पर और सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले के मामले में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण दें। नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में भी निःशक्तता से ग्रस्त बच्चों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें

1534. डॉ. के.एस. राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्च शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा हाल ही में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ बनाने तथा उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के समतुल्य सुविधाएं देने संबंधी सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के संगत उद्धरण, उच्च शिक्षा पर टिप्पणी सहित विवरण संलग्न हैं।

(ख) राज्य विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करने और उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के समतुल्य सुविधाएं देने के संबंध में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं है।

विवरण

उच्च शिक्षा

29 नवंबर, 2006

उच्च शिक्षा ने स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और राजनीति लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान किया है। लेकिन इस समय चिंता का एक गंभीर कारण है। उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले आयु वर्ग का हमारी जनसंख्या में अनुपात लगभग 7 प्रतिशत है। विश्वविद्यालयों में स्थानों की संख्या की दृष्टि से उच्च शिक्षा पाने के अवसर हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। हमारे आबादी के बहुत बड़े हिस्से को उच्च शिक्षा की कोई सुविधा सुलभ नहीं है। इतना ही नहीं हमारे अधिकतर विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा का स्तर अपेक्षा से बहुत कम है।

नींव का मजबूत होना बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मानना है कि हमारी स्कूल व्यवस्था का विस्तार करना और उसमें सुधार करना बेहद जरूरी है ताकि हर बच्चे को उच्च शिक्षा की दुनिया में कदम रखने के बराबर अवसर मिल सके। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग स्कूली शिक्षा के बारे में विचार-विमर्श कर रहा है और

यथा पर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में अपनी सिफारिशें देगा। फिलहाल आयोग इस सिफारिश में उच्च शिक्षा के बारे पर बल दे रहा है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने इस बारे में उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक विचार-विमर्श किया है। इसके अलावा इसने संसद, सरकार, समाज और उद्योग में संबद्ध व्यक्तियों के साथ भी परामर्श किया है। उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर सब चिंतित हैं। सबका एक मत से यह स्पष्ट मानना है कि उच्च शिक्षा में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है ताकि हम शिक्षा का स्तर गिराए बिना कहीं अधिक संख्या में विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकें। ऐसा करना विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था और समाज का बदलाव काफी हद तक हमारे लोगों में शिक्षा के क्षेत्र में उसकी क्वालिटी, खासकर उच्च शिक्षा के प्रसार और उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। सबको समाहित करने वाला समाज ही एक ज्ञानवान समाज की बुनियाद की व्यवस्था कर सकता है।

हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बदलाव का लक्ष्य विस्तार, उत्कृष्टता और सबको शामिल करने का होना चाहिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग मानता है कि व्यवस्था में दीर्घकालिक दृष्टि से सार्थक सुधार कर पाना जटिल भी है और मुश्किल भी। इसके बावजूद यह बहुत आवश्यक है।

क. विस्तार

1. अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करना: उच्च शिक्षा व्यवस्था में अवसरों को बढ़े पैमाने पर बढ़ाना जरूरी है। देश भर में करीब 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए, तभी भारत सन् 2015 तक कम-से-कम 15 प्रतिशत का सकल भर्ती अनुपात हासिल कर सकेगा। सारा ध्यान नए विश्वविद्यालयों पर होना चाहिए, लेकिन संबद्ध कालेजों के कुछ समूहों को मिलाकर भी विश्वविद्यालय बनाए जा सकते हैं। ऐसे विस्तार के लिए नियमों के ढांचे में बड़ा बदलाव करना होगा।
2. उच्च शिक्षा के लिए विनियमन का ढांचा बदलना: उच्च शिक्षा के बारे में वर्तमान विनियमन व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण कमियां हैं। प्रवेश में बाधाएं बहुत अधिक हैं। प्रवेश देने की व्यवस्था बहुत जटिल है। एक से अधिक विनियमन एजेंसियां हैं और उनके निर्देश भ्रमित करने

वाले तथा एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरी व्यवस्था पर लागू नियम बहुत अधिक हैं, पर उनका नियंत्रण बहुत कम है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग समझता है कि उच्च शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विनियमन प्राधिकरण (आईआरएएचई) की स्थापना बेहद आवश्यक है। यह प्राधिकरण सरकार से एकदम अलग होना चाहिए और सरकार के संबंधित मंत्रालयों सहित सभी हितधारकों के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए:

- उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियमन प्राधिकरण की स्थापना संसद के कानून के तहत होनी चाहिए। उसे प्रवेश के नियम बनाने और उस बारे में निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए।
- उच्च शिक्षा संस्थानों को डिग्री देने का अधिकार प्रदान करने की अनुमति देने वाली यह अकेली एजेंसी होनी चाहिए।
- मानकों की निगरानी और विवादों के निपटान की जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। यह प्राधिकरण सार्वजनिक और निजी संस्थानों पर समान नियम उसी तरह लागू करेगा, जिस तरह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर समान नियम लागू किए जाते हैं।
- उसे प्रमाणीकरण एजेंसियों को लाइसेंस देने का अधिकार होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि उसमें उच्च शिक्षा में सार्वजनिक संस्थानों को अनुदान देने और उनकी देखभाल पर ध्यान दिया जा सके। एआईसीटीई, एमसीआई और बीसीआई के प्रवेश विनियमन संबंधी कार्यकलाप उच्च शिक्षा के बारे में स्वतंत्र विनियमन प्राधिकरण को करने चाहिए ताकि उनकी भूमिका पेशेवर एसोसिएशनों तक सीमित रह जाए।

3. सार्वजनिक खर्च बढ़ाना और वित्त के स्रोतों में विविधता लाना: उच्च शिक्षा की हमारी व्यवस्था का विस्तार तब तक कि संभव नहीं है, जब तक उसके लिए धन की

व्यवस्था का स्तर न बढ़ाया जाए। धन की व्यवस्था सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से होने चाहिए।

- सरकार से मिलने वाला धन हमेशा बुनियादी आधार रहेगा, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए सरकारी सहायता सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 6 प्रतिशत में से शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद कम से कम डेढ़ प्रतिशत कर दी जानी चाहिए।
- धन की इतनी मात्रा भी उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक बड़े पैमाने पर विस्तार का खर्च पूरा नहीं कर पाएगी। इसके लिए बढ़ते सार्वजनिक खर्च की पूर्ति कर सकने वाली अन्य संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।
- अधिकांश सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के पास जमीन के रूप में संसाधनों का बड़ा भंडार है। विश्वविद्यालयों को इस जमीन से पैसा जुटाने की अनुमति देने के लिए नियम और मापदंड तय किए जाने चाहिए।
- फीस का स्तर तय करना विश्वविद्यालयों का काम है, लेकिन नियम के रूप में फीस इतनी होनी चाहिए कि विश्वविद्यालयों के कुल खर्च के कम से कम 20 प्रतिशत की पूर्ति करें। इसकी दो शर्तें होनी चाहिए; पहली शर्त के मुताबिक जरूरतमंद बच्चों को फीस से माफी के साथ-साथ अपनी लागत निकालने के लिए छात्रवृत्तियां; दूसरे विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए जो संसाधन जुटाएं हैं उनके कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी अनुदान सहायता में से बराबर की कटौती की सजा उन्हें दी जानी चाहिए।
- भारत को विश्वविद्यालयों और दाताओं के लिए प्रोत्साहनों में फेर-बदल की व्यवस्था के जरिए परोपकार की परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए। फिलहाल कर कानून और ट्रस्ट कानून दोनों ही इस लिए हतोत्साहित करते हैं। इन कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय अपनी पसंद के वित्तीय साधनों में निवेश कर सकें

और अपने न्यासों से होने आमदनी का उपयोग एक कोष बनाने के लिए कर सकें।

- विश्वविद्यालयों को पूर्व विद्यार्थियों के योगदान और लाइसेंसिंग फीस जैसे अन्य साधनों का भी पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे सहायक संस्थागत तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए, जो विश्वविद्यालयों को इस काम के लिए पेशेवर कंपनियों का सहयोग लेने की अनुमति दे।
- शिक्षा के अवसर बढ़ाने के साधन के रूप में शिक्षा में निजी निवेश बढ़ाना बहुत आवश्यक है। निजी निवेश (मुनाफे के लिए नहीं) को और अधिक आकर्षित करने के लिए, खासकर भूमि अनुदान के रूप में, सार्वजनिक संसाधनों का लालच भी दिया जा सकता है।

4. 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करना: राष्ट्रीय ज्ञान आयोग उच्चतम स्तर की शिक्षा दे सकने वाले 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश करता है। इन विश्वविद्यालयों को बाकी देश के लिए मिसाल बनना चाहिए। इनमें विद्यार्थियों को मानविकी, समाज विज्ञान, मूल विज्ञानों, वाणिज्य और पेशेवर विषयों सहित विभिन्न विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रशिक्षण देना चाहिए। 50 का यह आंकड़ा दीर्घकालिक लक्ष्य है। अगले तीन वर्ष में कम-से-कम दस ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दो तरीके से स्थापित किए जा सकते हैं। उन्हें या तो सरकार स्थापित करे या फिर कोई निजी प्रायोजक संस्था कोई सोसाइटी, परोपकारी ट्रस्ट या धारा-25 के अंतर्गत कंपनी बनाकर यह काम कर सकती है।

चूंकि दुनिया भर में विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए सार्वजनिक धन बेहद महत्वपूर्ण होता है। अतः अधिकतर नए विश्वविद्यालयों को शुरू में सरकार की ओर से काफी वित्तीय मदद की जरूरत होगी। प्रत्येक विश्वविद्यालय को उसकी स्थान की जरूरतों से फालतू सार्वजनिक भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए। फालतू भूमि बाद में आमदनी पैदा करने का स्रोत बन सकती है। बड़े ट्रस्टों

को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यमान आयकर कानूनों में छूट दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं किसी भी अवधि में आमदनी के इस्तेमाल या उपयुक्त वित्तीय साधन के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इन विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों की फीस का स्तर तय करने और आमदनी के दूसरे साधनों का उपयोग करने के लायक स्वायत्ता प्राप्त होनी चाहिए।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाए। वे आवश्यकता में बंधे दाखिले का सिद्धांत अपनाएंगे। इसके लिए जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए छात्रवृत्तियों की व्यापक व्यवस्था की जरूरत होगी। राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष के कार्यक्रम के अंतर्गत अवर स्नातक डिग्री विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपेक्षित संख्या में प्राप्त अंकों के बाद दी जानी चाहिए। अतः शिक्षा वर्ष में सेमिस्टर की व्यवस्था होगी और हर कोर्स के अंत में शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेंगे। एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से दूसरे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को अंकों का हस्तांतरण करना संभव हो सकेगा। इन राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की क्षमता को अधिकतम स्तर पर लाने के लिए नियुक्ति और प्रोत्साहन की उपयुक्त व्यवस्था की आवश्यकता है। शिक्षण और अनुसंधान, विश्वविद्यालयों और उद्योग तथा विश्वविद्यालयों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के बीच मजबूत संबंध स्थापित किये जाने चाहिए। राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अलग-अलग विभाग होंगे, लेकिन वे किसी कालेज को मान्यता नहीं देंगे।

ख. उत्कृष्टता

5. मौजूदा विश्वविद्यालयों में सुधार: उच्च शिक्षा में बदलाव लाने के प्रयासों के अंतर्गत मौजूदा संस्थानों में सुधार करना जरूरी है। कुछ आवश्यक कदम हैं:

- विश्वविद्यालयों को कम-से-कम 3 वर्ष में एक बार अपने पाठ्यक्रम में संशोधन और फेर-बदल करना जरूरी होना चाहिए।
- समझ के बजाय याददाश्त का इम्तहान लेने वाली वार्षिक परीक्षाओं के साथ-साथ लगातार भीतरी

आकलन भी होना चाहिए, जिसकी शुरूआत कुल अंकों के 25 प्रतिशत भार से करने के बाद निर्धारित अवधि में इसे 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रस्ताव है कि धीरे-धीरे एक कोर्स क्रेडिट प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, जिसमें डिग्री अलग-अलग पाठ्यक्रमों में निर्धारित संख्या में क्रेडिट पाने के आधार पर दी जाए। इससे विद्यार्थियों को विभिन्न विकल्प मिल सकेंगे।
- विश्वविद्यालयों में एक बार फिर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि एक-दूसरे की पूर्ति करने वाले शिक्षण और अनुसंधान प्रयासों के बीच सामंजस्य हो सके। इसके लिए नीतिगत उपायों के साथ-साथ संसाधनों के आवंटन, पुरस्कार प्रणाली और सोच में भी बदलाव आवश्यक है।
- कार्य की बेहतर परिस्थितियों और निष्पादन के लिए प्रोत्साहनों के जरिए प्रतिभावान शिक्षकों को आकर्षित करने और उन्हें विश्वविद्यालयों में बनाए रखने के लिए सोच-समझकर प्रयास किए जाने चाहिए।
- विश्वविद्यालयों के लिए संसाधनों के आवंटन के मापदंडों के अन्तर्गत वेतन या पेंशन की व्यवस्था और रख-रखाव, विकास या निवेश की आवश्यकता के बीच बेहतर संतुलन रखना चाहिए। उसे उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कम-से-कम आवश्यक मानकों और महत्वपूर्ण विकल्पों का महत्व समझना चाहिए।
- सिखाने, सीखने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक सुविधाओं, जैसे, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और कनेक्टिविटी की लगतार निगरानी करना और उससे सुधार करना आवश्यक है।
- विश्वविद्यालयों के प्रबंध के मौजूदा ढाँचे में सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यह ढाँचा

न तो स्वायत्ता की रक्षा करता है और न ही जवाबदेही को बढ़ावा देता है। बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करना उचित होगा। सरकार को कुलपतियों की नियुक्तियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दखल देना बंद कर देना चाहिए। यह काम तलाश की प्रक्रियाओं और उच्च कोटि के निर्णय पर आधारित होना चाहिए। यूनिवर्सिटी कोर्ट्स, विद्वत् परिषदों और कार्यकारी परिषदों के आकार और संरचना पर सबसे पहले फिर से गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी होती है और कभी-कभी यह बदलाव में रूकावट बन जाते हैं।

- ऐसे छोटे विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है जो बदलाव के अनुकूल हों और जिनका प्रबंध करना आसान हो।

6. **अवर स्नातक कालेजों का ढांचा बदलना:** अवर स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों से कालेजों को संबद्ध करने की व्यवस्था 50 वर्ष पहले भले ही उचित रही हो, लेकिन आज यह न तो उपयुक्त है और न ही उचित। इसे बदलना होगा। विश्वविद्यालयों से संबद्ध अवर स्नातक स्तर के कालेजों की व्यवस्था में फेर-बदल करना तत्काल जरूरी है।

- इसका सबसे सहज समाधान कालेजों को अलग-अलग कालेज या कालेजों के समूह के रूप में निर्धारित नियमों के अनुसार स्वायत्ता प्रदान करना है। तथापि इससे सीमित अनुपात में अवर-स्नातक कालेजों की समस्या का समाधान होगा।
- इनमें से कुछ संबद्ध कालेजों को सामुदायिक कालेज का रूप दिया जा सकता है, जिनमें व्यावसायिक और औपचारिक दोनों तरह की शिक्षा दी जा सकती है।
- एक केन्द्रीय अवर-स्नातक शिक्षा बोर्ड के साथ-साथ राज्य अवर स्नातक शिक्षा बोर्डों की स्थापना की जानी चाहिए। ये बोर्ड पाठ्यक्रम तय करेंगे और अपने से जुड़ने वाले अवर-स्नातक

कालेजों के लिए परीक्षा का संचालन करेंगे। ये बोर्ड शिक्षा के कामकाज को प्रशासनिक कामकाज से अलग कर देंगे और साथ ही क्वालिटी की मिसाल भी कायम करेंगे।

- नए अवर-स्नातक कालेजों को सामुदायिक कालेजों के रूप में स्थापित किया जा सकता है और उन्हें केन्द्रीय अवर-स्नातक शिक्षा बोर्ड या राज्य अवर-स्नातक शिक्षा बोर्ड या किसी नए स्थापित विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जा सकता है।

7. **क्वालिटी सुधारने को बढ़ावा देना:** उच्च शिक्षा व्यवस्था को समाज के प्रति और स्वयं प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जवाबदेही बढ़ाने में पेशी उच्च शिक्षा व्यवस्था के विस्तार की मुख्य भूमिका होगी, जो विद्यार्थियों को विकल्प दे और संस्थाओं के बीच स्पर्धा पैदा करे।

- सभी शिक्षा संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे अपनी वित्तीय स्थिति, भौतिक संपत्तियों, प्रवेश के नियमों, शिक्षकों के पदों, शैक्षिक पाठ्यक्रम की सूचना के अलावा अपने प्रमाणीकरण के स्रोत और स्तर के बारे में पूरी जानकारी दें।
- विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यक्रमों और शिक्षकों के मूल्यांकन के साथ-साथ शिक्षकों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- बुनियादी सुविधाओं में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार और पाठ्यक्रम तथा परीक्षा व्यवस्था के निरंतर आकलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- संचार सूचना टेक्नालाजी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वेबसाइट्स और वेब आधारित सेवाएं पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएंगी। उच्च शिक्षा और अनुसंधान के बारे में एक पोर्टल बनाने से परस्पर संवाद और सुलभता बढ़ सकेगी। ज्ञान का नेटवर्क सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों को आन लाइल खुले संसाधनों के लिए आपस में जोड़ देगा।

- प्रतिभावान शिक्षकों को आकर्षित करने और उन्हें विश्वविद्यालयों में रोके रखने के लिए अन्य साधनों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के भीतर और उनके बीच वेतन भिन्नता के मुद्दे पर दोबारा सोचना आवश्यक हो सकता है। विश्वविद्यालयों के बीच और उनके भीतर वेतन में इस तरह की भिन्नता बहुत अधिक न होते हुए भी अंशरदार हो सकती है।

भारत में विदेशी संस्थानों के प्रवेश और विदेशों में भारतीय संस्थानों के प्रसार के लिए उपयुक्त नीति बनाना आवश्यक है। ऐसा करते समय देश के भीतर विदेशी और घरेलू संस्थानों को समान स्तर सुनिश्चित करना आवश्यक है।

- उच्च शिक्षा व्यवस्था में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उच्च शिक्षा की किसी भी व्यवस्था में विविधता और बहुलता तो होती ही है, इसलिए सब पर एक समान नीति लागू करने से बचना चाहिए। इस तरह की विविधता और अंतर की उपेक्षा करने या उससे बचने की बजाय बहुलता की भावना को समझना चाहिए।

ग. सबको शामिल करना

8. सभी योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा सुलभ कराना: अधिक अवसरों की रचना के माध्यम से शिक्षा समाज में सबको शामिल करने के लिए एक बुनियादी तंत्र है। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी विद्यार्थी को वित्तीय कठिनाई के कारण उच्च शिक्षा पाने के अवसरों से वंचित न रहना पड़े। इसके लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता है:

- उच्च शिक्षा संस्थानों को आवश्यकता से बंधी प्रवेश नीति अपनाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी नीति के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देने या न देने का निर्णय लेते समय उसकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना शिक्षा संस्थान के लिए गैर-कानूनी होगा।
- आर्थिक रूप से कम साधन संपन्न विद्यार्थियों और ऐतिहासिक तथा सामाजिक दृष्टि से वंचित समूहों

के विद्यार्थियों के लिए विस्तारित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना होनी चाहिए और उसके लिए धन की कमी नहीं रहनी चाहिए।

9. ठोस कार्रवाई: उच्च शिक्षा व्यवस्था का एक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कम साधन संपन्न विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की सुलभता और अधिक कारगर ढंग से बहुत ज्यादा बढ़ाई जाए।

- आरक्षण आवश्यक है, लेकिन यह इस तरह की ठोस कार्रवाई का सिर्फ एक रूप और एक अंग है।
- शिक्षा उपलब्धियों में विसंगतियां जाति और सामाजिक समूहों से तो संबद्ध हैं ही, लेकिन वे आमदनी, लिंग, क्षेत्र और निवास स्थान जैसे अन्य संकेतकों से भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। ऐसा सार्थक और व्यापक ढांचा विकसित करना जरूरी है जो मौजूदा भिन्नताओं के विविध आयामों का समाधान करे। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों को अधिक अंक देने के लिए वंचना सूचकांक का इस्तेमाल किया जा सकता है और स्कूल परीक्षा में किसी विद्यार्थी के अंकों के रूप में संचित अंकों का उपयोग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों पर अमल के लिए तीन विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई करनी होगी: मौजूदा व्यवस्थाओं के भीतर सुधार, नीतियों में बदलाव और मौजूदा कानूनों या विधानों में संशोधन या नए कानून बनाना। प्रस्तावित परिवर्तनों को भी तीन अलग-अलग स्तरों पर लागू करना होगा: विश्वविद्यालय, राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत में उच्च शिक्षा के मामले में संकट बहुत गहरा है। अब इस संकट से व्यवस्थित ढंग से और सीधे ही दो-दो हाथ करने का समय आ गया है। इस पत्र में दी गई सिफारिशें एक महत्वपूर्ण शुरुआत का संकेत हैं। प्रस्तावित परिवर्तन स्थिति में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। यह सही है कि सुधार और बदलाव की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। राष्ट्रीय

ज्ञान आयोग अगले कदमों पर विचार करता रहेगा, लेकिन उसका कहना है कि स्थिति पर तत्काल ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि भारत का भविष्य इस पर निर्भर है। हमें तत्काल ही कदम उठाने होंगे।

उच्च शिक्षा के बारे में नोट

भूमिका

समाज में शिक्षा का प्रसार उन देशों की सफलता की बुनियाद रहा है, जिनमें विकास का सिलसिला देर से शुरू हुआ था। विकास की प्रक्रिया में प्राइमरी शिक्षा परम आवश्यक है, क्योंकि वह आधार तैयार करती है, किन्तु उच्च शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह दूसरों के मुकाबले बढ़त दिलाती है और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के जीवन-प्राण हैं। आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान पेशेवर शिक्षा में उत्कृष्टता के केन्द्र मूल्यवान सहयोगी तो हैं, लेकिन वे विश्वविद्यालयों का स्थान नहीं ले सकते, जिनमें आम जनता को शिक्षा के अवसर मिलते हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि उच्च शिक्षा ने स्वतंत्र भारत में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और राजनीति लोकतंत्र में तहत्वपूर्ण योगदान किया है। इसने अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है। इसने लोगों को सामाजिक अवसर दिए हैं, इसने हमारी राजनीतिक जीवन में सजग लोकतंत्र को बढ़ावा दिया है। इसने ज्ञानवान समाज की रचना के लिए प्रवेश द्वार उपलब्ध कराया है, किन्तु सिर्फ इसकी खूबियों पर ध्यान देना बहुत बड़ी भूल होगी। इसमें कुछ कमियां भी हैं, जो गंभीर चिंता पैदा करती हैं।

भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत गहरा संकट है। यह अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उत्कृष्टता के कुछ केन्द्र हैं, प्रतिभावान युवाओं का विशाल भंडार है और प्रवेश प्रक्रिया में जबर्दस्त मुकाबला होता है। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गणराज्य के संस्थापकों ने 50 वर्ष पहले उच्च शिक्षा के लिए जो बीज बोए थे, हम आज उनका लाभ उठा रहे हैं। सच्चाई यह है कि हमें लंबा सफर तय करना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली हमारी 18-24 वर्ष के आयु वर्ग की आबादी का अनुपात लगभग 7 प्रतिशत है, जो एशिया के औसत का सिर्फ आधा है। विश्वविद्यालयों में उपलब्ध स्थानों की संख्या की दृष्टि से उच्च शिक्षा के लिए मौजूदा अवसर हमारी आवश्यकता के हिसाब से बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। इतना ही नहीं अधिकांश विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के स्तर में जबर्दस्त सुधार की आवश्यकता है।

इतना तो स्पष्ट है कि भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। इसमें आमूलचूल बदलाव की जरूरत है ताकि हम शिक्षा का स्तर गिराए बिना कहीं बड़ी संख्या में युवाओं को शिक्षित कर सकें। ऐसा करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था और समाज में बदलाव काफी हद तक हमारी जनता के बीच शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा के प्रसार और उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। सबको समाहित करने वाला समाज ही ज्ञानवान समाज की बुनियाद बन सकता है।

भारत में उच्च शिक्षा के सामने मौजूद चुनौतियां एकदम स्पष्ट हैं। उच्च शिक्षा के लिए अवसरों का बड़े पैमाने पर विस्तार करना होगा। देश भर में 1500 विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है, जिनकी मदद से भारत 2015 तक कम-से-कम 15 प्रतिशत का सकल भर्ती अनुपात हासिल कर सकेगा। प्रत्येक क्षेत्र में उच्च शिक्षा की क्वालिटी का औसत स्तर सुधारना भी उतना ही आवश्यक है। इसके साथ-साथ ही विश्व स्तर की ऐसी संस्थाएं स्थापित करना भी आवश्यक है जो विश्व में उत्कृष्टता की मिसाल बन सकें। इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में यह जरूरी है कि समाज के सभी अंगों को शामिल करते हुए लोगों को उच्च शिक्षा की सुविधा सुलभ कराई जाए। इन लक्ष्यों को हासिल करने और सुलभता बढ़ाने से न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी कौशल और क्षमताएं विकसित होंगी, बल्कि भारत को ज्ञानवान अर्थव्यवस्था और समाज के रूप को बदलने में भी मदद मिलेगी।

हम मानते हैं कि उच्च शिक्षा व्यवस्था में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सार्थक सुधार करना जटिल भी है और मुश्किल भी। किन्तु ऐसा करना परम आवश्यक है। हम इस सिलसिले में निम्नलिखित चरणों का सुझाव देते हैं। सबसे पहले मौजूदा सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और अवर-स्नातक कालेजों में सुधार करना होगा। दूसरे, उच्च शिक्षा का संचालन करने वाले समूचे विनियमन ढांचे को पूरी तरह बदलना होगा। तीसरे, उच्च शिक्षा में निवेश के वित्तपोषण के लिए हर संभव स्रोत को टटोलना होगा। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए सक्रिय रणनीतियों पर विचार किया जाए। पांचवां चरण यह है कि अब राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में नई संस्थाएं खोलने का वक्त आ गया है, जो शिक्षा में उत्कृष्टता के केन्द्रों की मिसाल बन सकते हैं। छठा और अंतिम सुझाव यह है कि उच्च शिक्षा व्यवस्था का ढांचा ऐसा बनाया जाए, जो समाज में हाशिए पर जी रहे और समाज से बहिष्कृत समूहों को शिक्षा सुलभ कराए।

विश्वविद्यालय

अर्थव्यवस्था और समाज में विश्वविद्यालयों की भूमिका निर्णायक होती है। वे ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। वे ज्ञान बांटते हैं। वे ज्ञान का प्रसार करते हैं। विश्वविद्यालयों का लचीला, अभिनव और रचनात्मक होना आवश्यक है। विश्वविद्यालयों का रूप ऐसा होना चाहिए कि वे शिक्षक या विद्यार्थी दोनों में ही सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करें। उनमें स्पर्धा करने की क्षमता और उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा होनी चाहिए। हम अपने मौजूदा विश्वविद्यालयों में सुधार किए बिना अपनी उच्च शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की कल्पना भी नहीं कर सकते।

अतः भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति के बारे में गंभीर चिंता होना स्वाभाविक है। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की भर्ती के लिए स्थान आवश्यकता से बहुत कम हैं। अधिकतर विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर अपेक्षा से बहुत नीचे है। हमारे विश्वविद्यालयों और बाहरी दुनिया के विश्वविद्यालयों के बीच अंतर बढ़ गया है। हमारे कुछ विश्वविद्यालय विश्व के सर्वोत्तम अर्थात् उच्चतम पचास के अंतर्गत आते हैं। अगर हम अपने विश्वविद्यालयों की कमियों को समझना न चाहे तो भी उनके लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। यह सच है कि हर जगह हर समस्या मौजूद नहीं है। कुछ अपवाद भी हैं। किन्तु निम्नलिखित समस्याएं इतनी आम हैं कि उन पर चिंता होना स्वाभाविक है। सबसे पहले बात करें पाठ्यक्रम की तो उसमें दशकों से कोई बदलाव नहीं हुआ है, ज्ञान की बढ़ती सीमाओं की तो बात ही क्या है वह समय के साथ भी नहीं बदला है। दूसरे, विद्यार्थियों के ज्ञान मूल्यांकन की व्यवस्था में समझ की बजाय याददाश्त को महत्व दिया जाता है, इसलिए सीखने और सृजनात्मक क्षमताएं कमजोर हैं। तीसरी महत्वपूर्ण समस्या माहौल की है, जो कक्षा से बाहर कुछ सीखने को बढ़ावा नहीं देता। आज भी विश्वविद्यालय सुबह 09.30 से दोपहर 01.30 के दायरे में बंधे हुए हैं। थौथी समस्या यह है कि कक्षाओं या परीक्षाओं के लिए कोई निश्चित कैलेंडर नहीं है। कभी-कभी तो निर्धारित कार्यक्रम इतनी बुरी तरह छिन्न-भिन्न हो जाता है कि कई स्थानों पर समय सारिणी में दी गई कक्षाएं होती ही नहीं और परीक्षा के परिणाम 6 से 12 महीने बाद आते हैं। पांचवीं समस्या यह है कि बुनयादी सुविधाएं न सिर्फ नाकाफी हैं, बल्कि ढहने के कगार पर हैं। छठी समस्या यह है कि विभिन्न विषयों के बीच की सीमाएं ऐसी दीवार बन गई हैं, जो नए विषयों या नए पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश में रूकावट डालती हैं, जबकि ज्ञान का सबसे तेजी से विकास विषयों की संधि पर हो रहा है। सातवीं समस्या यह है कि अनुसंधान

को दिया जाने वाला महत्व धीरे-धीरे घटता जा रहा है। आठवीं समस्या यह है कि अनुसंधान की मात्रा वैसी नहीं रही, जैसी पहले हुआ करती थी। जिसकी झलक उसकी सामग्री की बारम्बारता और प्रकाशन के स्थान की कोटि में मिलती है कि शोध की क्वालिटी पहले जैसी नहीं रही। नौवीं समस्या यह है कि अधिकतर सार्वजनिक संस्थानों में जवाबदेही न के बराबर है, क्योंकि अच्छे कार्य निष्पादन के लिए कोई इनाम नहीं मिलता और काम न करने पर कोई सजा भी नहीं मिलती। दसवीं समस्या यह है कि 50 वर्ष पहले प्रशासन का जो ढांचा बनाया गया था, वह बदलते वक्त और परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, बल्कि निहीत स्वार्थ व्यवस्था का मजाक बना देते हैं।

इस बात का पूरा निदान कर पाना काफी मुश्किल है कि हमारे विश्वविद्यालयों की मुख्य समस्या क्या है। हमारे विश्वविद्यालयों की हालत सुधारने के उपायों का सुझाव देना यदि नामुमकिन नहीं, तो मुश्किल जरूर है। इसके बावजूद यह स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा की तस्वीर बदलने के किसी भी प्रयास में मौजूदा संस्थानों के सुधार को उसका एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। हम मानते हैं कि यह कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। फिर भी हमें विश्वास है कि हमने जो रास्ते सुझाए हैं, उनके अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार कर पाना न सिर्फ संभव है, बल्कि उससे स्थिति में बदलाव भी होगा।

संख्या और आकार: भारत में करीब 350 विश्वविद्यालय हैं। यह संख्यान तो उच्च शिक्षा की हमारी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त है और न ही चीन की तुलना में पर्याप्त है। चीन ने पिछले तीन वर्ष में 1250 नए विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी है। हमारे कुछ विश्वविद्यालयों का आकार इतना बड़ा है कि उनमें शिक्षा के स्तर पर निगरानी रखना और सु-प्रशासन देना नामुमकिन है। हमें अधिक उपयुक्त आकार के तथापि और अधिक गतिशील विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की जरूरत है। इसका निष्कर्ष सिर्फ यही नहीं है कि हमें 2015 तक देश भर में करीब 1500 विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है, बल्कि हमें छोटे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है, जिनमें बदलाव आसान हो और जिनका प्रबंध भी आसानी से किया जा सके।

पाठ्यक्रम: विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों की विषय-वस्तु कई दशकों से नहीं बदली है। उसमें लगातार समय-समय पर सुधार और संशोधन आवश्यक है। बदलाव के विरोध से पनप रहे प्रतिरोध पर काबू पाना जरूरी है। विश्वविद्यालयों को तीन वर्ष में कम-से-कम

एक बार अपने पाठ्यक्रम में संशोधन या फेर-बदल करना चाहिए। इन संशोधनों को अपनाने से पहले दूसरे विश्वविद्यालयों से इनकी समीक्षा कराई जानी चाहिए। इस तरह के संशोधन की प्रक्रिया चुस्त और विकेंद्रित होनी चाहिए, शिक्षकों को अधिक स्वायत्ता मिलनी चाहिए, और इसके लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो विधान में बदलाव किया जाना चाहिए। मौजूदा व्यवस्थाएं समय पर या तेजी से पाठ्यक्रम में संशोधन में बड़ी रुकावट बन जाती हैं। जो विभाग या विश्वविद्यालय नियमित रूप से पाठ्यक्रमों में सुधार नहीं करते, उनके लिए दंड की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि विभागीय विभाजन के कारण विश्वविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम या अभिनव पाठ्यक्रम शुरू कर पाना बहुत मुश्किल है। इस समस्या को सुलझाने के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए।

आकलन: भारत में विश्वविद्यालयों में वार्षिक परीक्षाओं का स्वरूप ऐसा है, जो अकसर सिखाने और सीखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि इसमें मनमाने ढंग से और बिना समझे और महत्वहीन सीखने के लिए ईनाम दिया जाता है। परीक्षा व्यवस्था में सुधार करना बहुत जरूरी है ताकि यह विद्यार्थियों की याददश्त के बजाय उनकी समझ की परीक्षा ले। विश्लेषण की क्षमताओं और रचनात्मक सोच को महत्व दिया जाना चाहिए। रटन्त विद्या को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। विकेंद्रित परीक्षा व्यवस्था और छोटे विश्वविद्यालयों में ऐसे सुधार कर पाना अधिक व्यावहारिक होता है, किन्तु विद्यार्थियों की प्रतिभा और क्षमता का आकलन सिर्फ परीक्षाओं के आधार पर नहीं होना चाहिए। लगातार भीतरी आकलन चलते रहना चाहिए, जो शिक्षकों और विद्यार्थियों सभी को समान रूप से सशक्त बनाता है और सिखाने-सीखने की प्रक्रिया में नई जान डालता है। इस तरह भीतरी आकलन की व्यवस्था से विद्यार्थियों में विश्लेषक और रचनात्मक क्षमताओं को भी बढ़ावा मिलता है, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली वार्षिक परीक्षाओं में घुटकर रह जाती हैं। शुरू में भीतरी आकलन के लिए कुल अंकों में से 25 प्रतिशत अंक दिए जा सकते हैं और धीरे-धीरे उन्हें बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जा सकता है।

पाठ्यक्रम क्रेडिट: मौजूदा व्यवस्था बहुत कठोर है और इसमें विद्यार्थियों के लिए विकल्प बहुत कम है। जो विश्वविद्यालय छोटे हैं या सेमिस्टर व्यवस्था अपनाते हैं, उनमें लचक अधिक होती है। बड़े विश्वविद्यालयों में भी पाठ्यक्रमों के ढांचों में अधिक विविधता और अधिक लचीलापन लाना आवश्यक है। यह पाठ्यक्रम क्रेडिट व्यवस्था अपनाने की दिशा में शुरुआत हो सकती है। इस व्यवस्था

में डिग्री विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवश्यक संख्या में क्रेडिट पाने के आधार पर दी जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अपने चुने हुए विषय में न्यूनतम संख्या में क्रेडिट पाना अनिवार्य होना चाहिए। किन्तु बाकी क्रेडिट अन्य विषयों में पाने की छूट होनी चाहिए। विद्यार्थियों को बंधक बनाने की बजाय छूट देना जरूरी है।

अनुसंधान: हमने एकदम अलग अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रयास किया तथा यह सोचकर उन पर संसाधनों की व्यवस्था कर दी कि अनुसंधान और शोध कार्य को विश्वविद्यालयों के दायरे से बाहर ले जाया जाना चाहिए। इस दौरान हम एक आवश्यक सिद्धांत भूल गए। शिक्षण और शोध दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे को समृद्ध बनाते हैं। शोध और अनुसंधान का प्राकृतिक स्थान विश्वविद्यालय ही होता है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों में शैक्षिक उत्कृष्टता पाने के लिए अनुसंधान और शोध कार्य जरूरी है। अब समय आ गया है कि अतीत से चली आ रही धारा का रूख पलटा जाए और विश्वविद्यालयों को एक बार फिर शोध और अनुसंधान का केन्द्र बनाया जाए। इसके लिए संसाधनों के आवंटन, पुरस्कार व्यवस्था और सोच में बदलाव करना होगा। शोध और अनुसंधान के लिए काफी मात्रा में अनुदान आवंटित करना आवश्यक है। इस तरह के अनुदान की व्यवस्था स्पर्धा के आधार पर की जानी चाहिए और अनुदान के लिए नियम गैर-योजना और योजनागत अनुदान के सामान्य नियमों से भिन्न होने चाहिए।

शिक्षक: प्रतिभावान शिक्षकों को आकर्षित करने उन्हें विश्वविद्यालयों में रोके रखने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसा करना आवश्यक है, क्योंकि कल शिक्षक बनने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों के सामने भारत में दूसरे पेशों और भारत से बाहर शिक्षा के पेशे में कहीं अधिक आकर्षक विकल्प उपलब्ध हैं। उन्हें कार्यालय के स्थान और शोध के लिए आवश्यक सुविधाओं और आवास के रूप में काम की उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध कराना आवश्यक है। किन्तु हो सकता है कि इतना काफी न हो। इसके साथ-ही-साथ कार्य निष्पादन के लिए कुछ प्रोत्साहन और पुरस्कार की व्यवस्था भी करनी होगी। इस समस्या का एक और पहलू भी है। विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को चुनने की नीति के कारण अकसर अपने पुराने विद्यार्थियों पुत्र/पुत्रियों को ही चुनते हैं और सर्वोत्तम प्रतिभा का चुनाव नहीं कर पाते। इससे क्वालिटी गिरती है और विश्वविद्यालयों में भाई-भतीजावाद पनपता है। इसलिए विश्वविद्यालयों के बीच परस्पर आदान-प्रदान करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के भीतर से भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों के अनुपात पर आधे या एक-तिहाई की सीमा

लगाई जा सकती है। इससे शिक्षकों की नियुक्ति में अधिक स्पर्धा आएगी और पारदर्शिता भी निश्चय ही बढ़ेगी।

धन की व्यवस्था: विश्वविद्यालयों में संसाधनों की गंभीर समस्या होने के कारण वित्तीय लचक बहुत कम रह जाती है। आमतौर पर रख-रखाव का 75 प्रतिशत हिस्सा वेतन और पेंशन पर खर्च हो जाता है। बाकी 25 प्रतिशत से कम से कम 15 प्रतिशत किराए, बिजली और टेलीफोन के बिलों और परीक्षाओं के आयोजन पर खर्च हो जाता है। बची-कुची 10 प्रतिशत से भी कम रकम विकास तो क्या रख-रखाव के लिए भी पूरी नहीं पड़ती। प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय संकट में रहते हैं और इमारते ढहती रहती हैं। इतना ही नहीं है। अधिकांश विश्वविद्यालयों में योजना निवेश व्यय गैर-योजना रख-रखाव व्यय के पांच प्रतिशत से भी कम होता है। कुल व्यय में इतने कम अनुपात में निवेश सिर्फ भविष्य को गिरवी रखने का काम कर सकता है और ऐसा ही हो रहा है। अब समय आ गया है कि विश्वविद्यालयों के लिए बजट नए सिरे से निर्धारित करने के बारे में ध्यान से सोचा जाए। कुछ धन विकास अनुदान और वेतन से भिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए आवंटित किया जाए। संसाधन आवंटन के नियमों के अंतर्गत वेतन/पेंशन के लिए प्रावधान और रख-रखाव/विकास/निवेश के लिए प्रावधान के बीच बेहतर संतुलन रखा जाना चाहिए। इन नियमों के अंतर्गत इस बात का महत्व समझा जाना चाहिए कि उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कम-से-कम मानकों और महत्वपूर्ण वरीयताओं को कायम रखना जरूरी है।

बुनियादी सुविधाएं: सिखाने-सीखने की प्रक्रिया को सबसे सीधे ढंग से सहाय्य देने वाली बुनियादी सुविधाओं पर नियमित रूप से निगरानी रखना और उनमें सुधार करना आवश्यक है। इसके लिए खेल सुविधाओं और सभागारों तथा कक्षा के कमरों के अलावा प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों पर विशेष ध्यान देना होगा। यह जरूरी है कि विश्वविद्यालय अपने परिसर में सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करें। इसके समानान्तर दाखिलों, प्रशासन और परीक्षाओं के लिए सूचना टेक्नालॉजी प्रणालियों और कैम्पस समुदायों के लिए अन्य उपयोगी वेब सेवाओं का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके विश्वविद्यालयों की नेटवर्किंग के लिए डिजिटल सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

प्रशासन: विश्वविद्यालयों के प्रशासन के ढांचे में सुधार करना तत्काल आवश्यक है। मौजूदा व्यवस्था में कई कमियां हैं। एक तरफ यह स्वायत्तता की रक्षा नहीं करता और दूसरी तरफ जवाबदेही को भी

बढ़ावा नहीं देता। सरकारों के हस्तक्षेप और राजनीतिक प्रक्रिया की दखलंदाजी के कारण विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता घट गई है। इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही का भी अभाव है, जबकि इन दोनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सबके लिए एक-समान इलाज बता पाना बेहद मुश्किल है। फिर भी महत्वपूर्ण शुरूआत के लिए कुछ उपाय एकदम स्पष्ट हैं। सबसे पहले तो कुलपतियों की नियुक्ति खोज प्रक्रिया और सिर्फ साधियों के निर्णय पर आधारित होनी चाहिए। इसमें सरकार के किसी भी अंग का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नियुक्ति हो जाने के बाद कुलपतियों का कार्यकाल छह वर्ष का होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पांच वर्ष का मौजूदा कार्यकाल पर्याप्त नहीं है। दूसरे, यूनिवर्सिटी कोर्ट्स, विद्वत् परिषदों और कार्यकारी परिषदों के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी होती है और कभी-कभी वे परिवर्तन में बाधक हो जाती हैं। 500 से ज्यादा के आकार वाली यूनिवर्सिटी कोर्ट्स को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि अब उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। बड़ी विद्वत् परिषदों की अकसर बैठकें नहीं होतीं। जब बैठकें होती हैं तब भी फैसले बहुत धीरे-धीरे लिए जाते हैं। इसलिए विद्वत् परिषदों के प्रतिनिधियों की स्थाई समितियां बनाई जानी चाहिए, जो जल्दी-जल्दी बैठकें करें और फैसले लें। ऐसी स्थिति में कुलपति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करना चाहिए, जो कार्यकारी परिषद की सलाह और सहमति से प्रशासन चला सके और जिसके पास इसका पूरा अधिकार हो। कार्यकारी परिषद जवाबदेही के लिए आवश्यक नियंत्रण और संतुलन कायम करेगी। तीसरे, अब तक के अनुभवों से पता चलता है कि दबे पांव राजनीति के दखल ने विश्वविद्यालयों का प्रबंध चलाना बेहद मुश्किल कर दिया है और बाहर से गैर-शैक्षिक दखलंदाजी ज्यादा होने लगी है। इस समस्या को समझ कर न सिर्फ विश्वविद्यालय के भीतर बल्कि बाहर भी, खासकर सरकारों, संसद और विधानमंडलों और राजनीतिक दलों में व्यवस्थित ढंग से सुलझाया जाना चाहिए।

2. अवर-स्नातक कालेज

अवर-स्नातक स्तर की शिक्षा में करीब 85 प्रतिशत विद्यार्थी दाखिला लेते हैं। यह हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा अंग है। इस तरह की शिक्षा कालेजों के माध्यम से दी जाती है, जहां विद्यार्थी कला, विज्ञान या वाणिज्य विषयों में पहली डिग्री पाने के लिए दाखिला लेते हैं। देश में कुल मिलाकर करीब 17,700 स्नातक कालेज हैं। इनमें से सिर्फ 200 कालेज स्वायत्त हैं और बाकी 17,500

कालेज या तो 131 विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं या उनके घटक प्राप्त हैं। औसतन हर विश्वविद्यालय से जुड़े 100 से अधिक कालेज हैं, लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों से संबद्ध कालेजों की संख्या तो 400 से भी ज्यादा है।

अवर-स्नातक स्तर स्तर की शिक्षा के लिए संबद्ध कालेजों की यह व्यवस्था 50 वर्ष पहले भले ही उपयुक्त रही हो, लेकिन भविष्य तो क्या, आज भी यह न तो उपयुक्त है और न ही पर्याप्त। इसका प्रबंधक बोझिल है। सभी कालेजों में शिक्षा का न्यूनतम स्तर बनाए रखना बेहद मुश्किल है। इस समस्या के कम से कम तीन पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि यह विश्वविद्यालयों पर जबर्दस्त बोझ डालती है। उन्हें इतनी बड़ी संख्या में अवर-स्नातक कालेजों में दाखिलों की देख-रेख करनी पड़ती है, पाठ्यक्रम तय करना पड़ता है और परीक्षाएं करानी पड़ती हैं। असमान स्तर और भौगोलिक फैलाव के कारण समस्या और उलझ जाती है। दूसरा पहलू यह है कि अवर-स्नातक कालेज संबद्ध होने के कारण स्वायत्ता और स्थान की दृष्टि से बंधा हुआ महसूस करते हैं, जिसके कारण उनके लिए बदलाव को अपनाना, नए प्रयास करना और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। यह समस्या उन अवर-स्नातक कालेजों के लिए ज्यादा गंभीर हो जाती है, जिनका स्तर अच्छा है, क्योंकि वहां शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को सबसे धीमी चाल वाले कालेजों के साथ चलने पर मजबूर होना पड़ता है। जो अवर-स्नातक कालेज उतने अच्छे नहीं हैं या खराब हैं, उनके लिए भी समस्या है, क्योंकि विश्वविद्यालय उनकी विशेष आवश्यकताओं या विशेष समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पाते। तीसरा पहलू यह है कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम तय करना और उनके निष्पादन का आकलन करना मुश्किल होता है, क्योंकि कालेज में प्रवेश से पहले स्कूल में उनके प्रदर्शन में बहुत अधिक अंतर रहता है। इस सच्चाई के कारण पाठ्यक्रम कम कठिन और परीक्षाएं भी कम सख्त करनी पड़ती हैं। वास्तव में पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं की रूप-रेखा इतने अधिक विद्यार्थियों के लिए एक समान रखने की बजाय लचीली बनानी पड़ती है।

विश्वविद्यालयों से संबद्ध अवर-स्नातक कालेजों की व्यवस्था में फेर-बदल करना तत्काल आवश्यक है। ऐसा करते समय मौजूदा अवर-स्नातक कालेजों और भविष्य में स्थापित किए जाने वाले अवर-स्नातक कालेजों के बीच भेद करना अत्यंत आवश्यक है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अवर-स्नातक कालेज भी उन्हीं समस्याओं से परेशान हैं, जिनके शिकार विश्वविद्यालय हैं।

इस समस्या का सबसे स्वाभाविक समाधान या तो अलग-अलग कालेजों को या कालेजों के समूहों को स्वायत्ता प्रदान करना है।

अलग-अलग कालेज: उन कालेजों को शिक्षा के स्व-शासन की दृष्टि से स्वायत्ता दी जा सकती है, जिन्होंने शिक्षा के मामले में उत्कृष्टता और कुशल प्रशासन की अपनी क्षमता साबित कर दी है। मौजूदा संबद्ध या घटक कालेजों को किसी पेशेवर प्रमाणीकरण संस्था द्वारा आकलन कराने के बाद विभिन्न चरणों में स्वायत्ता दी जा सकती है। इन कालेजों के निष्पादन की समीक्षा को संस्थागत रूप दिया जा सकता है और अगर वे शैक्षिक तथा प्रशासनिक निष्पादन के मापदंडों की कसौटी पर खरे उतरे तो उन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा सकता है। कालेज के अधिकारियों को संसाधनों के भीतरी आवंटन के लिए वित्तीय स्वायत्ता दी जा सकती है। किन्तु वित्तीय साधन प्रदान करने के मौजूदा तरीकों का पालन करते रहना चाहिए। संचालन की दृष्टि से पाठ्यक्रमों के निर्धारण और विद्यार्थियों के मूल्यांकन स्वायत्ता प्रदान की जा सकती है।

कालेजों के समूह: समान स्तर या भौगोलिक निकटता जैसे मानदंडों के आधार पर चुने गए कालेजों के समूहों को स्वायत्ता दी जा सकती है। बाद में ये कालेज समूह बना सकते हैं, एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं और आपस में मिलकर अलग-अलग कोर्स पढ़ा सकते हैं। धीरे-धीरे इन समूहों को मिलाकर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा सकता है। इन स्वायत्त समूहों में कोर्स क्रेडिट व्यवस्था अपनाई जा सकती है, जिसमें अलग-अलग कालेज क्रेडिट व्यवस्था पर आधारित कोर्स के लिए सेमिस्टर में पढ़ाई कराएं और ये क्रेडिट सभी कालेजों में हस्तान्तरित किए जा सकें। सभी कालेजों के बीच कोर्स चलाने और समस्याओं को सुलझाने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाया जाना चाहिए, जिसकी समितियों में सबके लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान हो।

इस तरह के स्वायत्त कालेज या कालेजों के समूहों उन 1500 विश्वविद्यालयों के अंग बन जाएंगे, जिनकी 2015 तक स्थापना का प्रस्ताव हमने रखा है। किन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह एक सीमित समाधान है। इसमें दो समस्याएं बड़ी स्पष्ट हैं।

पहली समस्या स्वायत्त कालेज माडल में विकल्प के रूप में स्वायत्ता देने की मुख्य-एजेंट समस्या है। कालेजों के प्रोत्साहनों और क्षमताओं के बीच अंतर करना आवश्यक है। जो कालेज स्वायत्त बनना चाहते हैं, लेकिन उसके हकदार नहीं हैं और जो कालेज स्वायत्त बन

सकते हैं, लेकिन स्वायत्ता नहीं चाहते उनके बीच भी भेद करना होगा। जो कालेज स्वायत्त बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उपयुक्त नहीं है, उनके लिए कुछ ऐसे मानदंड बनाए जाने चाहिए, जिनसे तय हो सके कि उन्हें स्वायत्ता दी जाए या नहीं। इनमें शिक्षकों और विषयों की न्यूनतम संख्या, प्रशासन का स्तर, विद्यार्थियों की दृष्टि से पिछला अनुभव, शिक्षक और अनुसंधान, अनुदानों के उपयोग, लेखा-परीक्षा की नियमितता, कार्यालय संसाधन और लेखा व्यवस्था, विश्वविद्यालय प्रक्रियाओं में योगदान, बुनियादी सुविधाओं और अगर प्रमाणन एजेंसी से उपलब्ध रेटिंग हो तो उसके आधार पर प्रशासनिक क्षमता, जैसे मानदंड शामिल हैं। जो कालेज स्वायत्त बनने के हकदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं चाहते, उनके लिए समुचित प्रोत्साहन तय किए जाने चाहिए, खासकर शिक्षकों को स्वायत्ता की दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। धन और संसाधन जुटाने से जुड़े संस्थागत प्रोत्साहन और प्रोफेसर्स के पदों शोध अनुदान और इधर-उधर जाने की अधिक आजादी सहित कर्मचारियों के लिए पेशेवर प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।

स्वायत्त कालेजों के माडलों के साथ दूसरी समस्या यह है कि इससे अवर-स्नातक कालेजों की सीमित संख्या या सीमित अनुपात को ही लाभ होगा। बहुत बड़ी संख्या में अवर-स्नातक कालेज इसके दायरे से बाहर रह जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वे स्वायत्त होने या स्वायत्त समूह में शामिल होने में सक्षम न हों। इस समूह के लिए सहज समाधान यही होगा कि वे मौजूदा विश्वविद्यालयों से संबद्ध बने रहे। ऐसी स्थिति में न सिर्फ इन अवर-स्नातक कालेजों के लिए समस्या रहेगी, बल्कि इन्हें मान्यता देने वाले विश्वविद्यालय भी संकट में रहेंगे। इस सबके बावजूद यह भी सच है कि इनमें से कुछ अवर-स्नातक कालेज निर्धारित मानदंडों के आधार पर अपने मौजूदा विश्वविद्यालयों से ही संबद्ध रहेंगे। इस सिलसिले में दो अन्य संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है।

पहली संभावना यह है कि इनमें से कुछ संबद्ध कालेजों को सामुदायिक कालेज बना दिया जाए। सामुदायिक कालेजों में दो वर्ष के पाठ्यक्रमों के जरिए व्यावसायिक शिक्षा और तीन वर्ष के पाठ्यक्रमों के जरिए औपचारिक शिक्षा दी जा सकती है। इस तरह विद्यार्थियों के एक वर्ग की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा। ये कालेज रोजगार-परक, कार्य-संबद्ध, कौशल आधारित और जीवन की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान दे सकते हैं। ये सामुदायिक कालेज वंचित वर्गों को संपूर्ण शिक्षा और रोजगार के लिए योग्यता प्राप्त करने का अनूठा अवसर प्रदान कर सकते हैं।

दूसरी संभावना यह है कि हम अवर-स्नातक शिक्षा के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड और राज्य स्तर पर भी अवर-स्नातक शिक्षा बोर्ड बनाएं, जो उन अवर-स्नातक कालेजों के लिए पाठ्यक्रम तय करेंगे और परीक्षाएं आयोजित करेंगे, जो उनसे संबद्ध होंगे। यह दोनों बोर्ड शैक्षिक कार्य को प्रशासनिक कार्य से अलग रखेंगे और साथ ही क्वालिटी के प्रतिमान प्रदान करेंगे। इससे प्रशासन बहुत सरल हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ मौजूदा अवर-स्नातक कालेज, खासकर अपने मूल विश्वविद्यालय से भौगोलिक दूरी पर स्थित स्नातक कालेज इन बोर्डों से संबद्ध होने का फैसला कर लें।

नए अवर-स्नातक कालेजों को उच्च शिक्षा में अवसरों के विस्तार का अभिन्न अंग बनना ही होगा। किन्तु यह नए कालेज कहां खोले जाएंगे। अपनी सफलता सिद्ध किए बिना स्वायत्ता पाना इनके लिए मुकिल होगा। हो सकता है कि इनमें से कुछ कालेज स्वायत्त कालेज के समूह में शामिल हो जाए, किन्तु यह स्थिति सामान्य की तुलना में अपवाद की होगी। मैं मौजूदा विश्वविद्यालयों में भी संबद्ध नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उन पर पहले ही बहुत ज्यादा बोझ है। इसलिए नए स्नातक कालेजों के सामने तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि उन्हें सामुदायिक कालेज के रूप में खोला जाए। दूसरा विकल्प यह है कि वे केन्द्रीय अवर-स्नातक शिक्षा बोर्ड से या राज्य अवर-स्नातक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हो जाए। तीसरा विकल्प यह है कि वे नए स्थापित होने वाले नए विश्वविद्यालयों से संबद्ध हों।

अवर-स्नातक कालेजों के संदर्भ में प्रशासन, पाठ्यक्रम परीक्षाओं, कोर्स क्रेडिट और सुलभता से जुड़े प्रश्न भी खड़े होंगे। इन पर इस नोट के पिछले खंड में विश्वविद्यालयों के संदर्भ में चर्चा की जा चुकी है।

3. विनियमन

एक स्वतंत्र उच्च शिक्षा विनियमन प्राधिकरण (आईआरएएच/इंडिपेंडेंट रेग्युलेटरी अथारिटी फॉर हायर एजुकेशन) की स्थापना की आवश्यकता साफ दिखाई देती है। इस तरह का विनियमन प्राधिकरण आवश्यक भी है और वांछनीय भी।

इसकी आवश्यकता के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि भारत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसद से कानून पास करना जरूरी है। नए संस्थानों के लिए डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा पाना और भी मुश्किल है। फिलहाल सिर्फ कानून के जरिए विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान एक बड़ी बाधा है। इसके

परिणामस्वरूप मौजूदा विश्वविद्यालयों का औसत आकार फैलता जा रहा है और उनकी क्वालिटी में लगातार गिरावट आ रही है। स्पर्धा के अभाव में समस्याएं और बढ़ जाती हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम उच्च शिक्षा व्यवस्था का दायरा फैलाना चाहते हैं तो निजी संस्थानों और सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए प्रवेश के नियमों की जरूरत होगी। इस उद्देश्य के लिए संस्थागत ढांचा तुरंत स्थापित किया जाना चाहिए।

ऐसा करना चार महत्वपूर्ण कारणों से आवश्यक है। एक तो इससे हितों के बीच टकराव सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें हितधारकों से दूरी बनेगी। दूसरे यह अधिक उपयुक्त हस्तक्षेपों की व्यवस्था के जरिए बहुत अधिक विनियमित लेकिन बहुत कम मौजूदा प्रशासिक व्यवस्था की जगह लेगा। तीसरा कारण यह है कि यह मौजूदा व्यवस्था को तर्कसंगत बनाएगा, क्योंकि अभी कार्यक्षेत्र एक-दूसरे पर हावी और उलझे हुए हैं। चौथा कारण है कि इससे एक से अधिक विनियमन एजेंसियों की जगह एक बार अनुमति की व्यवस्था शुरू होगी।

उच्च शिक्षा में मौजूदा विनियमन व्यवस्था में कई खामियां हैं। प्रवेश की बाधाएं बहुत ज्यादा हैं। प्रवेश की अनुमति देने की व्यवस्था बहुत जटिल है। प्रवेश के बाद भी अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग फीस से लेकर पाठ्यक्रम तक संस्थानों के पहलू को नियंत्रित करना चाहता है। यह व्यवस्था बेहद तर्कहीन सिद्धांतों पर भी आधारित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3.1.2 (ए) के अनुसार अनुदान प्राप्ति की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाएगा कि राज्य में मौजूदा संस्थाएं राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर पेशेवर शिक्षा के क्षेत्र में अन्य नियामक असकर इन सिद्धांतों का एक-समान पालन नहीं करते। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब आवश्यक शिक्षकों, सुविधाओं या बुनियादी ढांचे के बिना ही किसी महानगर के उपनगर में एक छोटे से मकान में चलने वाले इंजीनियरिंग कालेज या बिजनेस स्कूल को तत्काल मंजूरी दे दी गई, जबकि सुस्थापित विश्वविद्यालयों को इसी तरह की मंजूरी पाने में कठिनाई उठानी पड़ती है। ऐसे उदाहरण एक नहीं, अनेक हैं। इनसे साबित होता है कि मौजूदा विनियमन ढांचे की जटिलता, बहुरूपता और अडिगल रूख भारत में उच्च शिक्षा के अवसरों के विस्तार के लिए अनुकूल नहीं हैं।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मौजूदा विनियमन व्यवस्था उत्तम संस्थाओं की स्थापना में बाधक है, मौजूदा संस्थाओं में गलत जगहों पर बहुत अधिक नियंत्रण करती है और उच्च शिक्षा

के क्षेत्र में अभिनव या रचनात्मक सोच के लिए उनयुक्त नहीं है। अतः चुनौती ऐसी विनियमन व्यवस्था बनाने की है, जो न सिर्फ उत्तम संस्थानों की संख्या बढ़ाए, बल्कि उनके भीतर जवाबदेही को भी बढ़ावा दे। एक स्वतंत्र नियामक ऐसी व्यवस्था का आधार होना चाहिए।

प्रस्ताविक आईआरएएचई प्रवेश को नियमित करने वाले सिद्धांतों को युक्तिसंगत बनाएगा। इस प्रक्रिया के दो पहलू हैं:

नियमन किसका करना है और नियमन के लिए क्या सिद्धांत अपनाने हैं?

उच्च शिक्षा में नियामकों को पांच काम करने होते हैं:

- (1) प्रवेश: डिग्री देने का लाइसेंस, (2) प्रमाणन: क्वालिटी के मानदंड तय करना, (3) सार्वजनिक धन संवितरण, (4) सुलभता: फीस या ठोस कार्रवाई, (5) लाइसेंस: व्यवसाय चुनने के लिए।

भारत शायद दुनिया का अकेला देश है, जहां इन चार या पांच कार्यों का नियमन एक संस्था करती, अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आईआरएएचई के गठन का उद्देश्य इन कार्यकलापों को अलग-अलग करना है। प्रस्तावित आईआरएएचई मापदंड तय करने और प्रवेश के बारे में फैसला करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा यह संस्था प्रमाणन के लिए एजेंसियों को लाइसेंस देगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका सार्वजनिक धन के संवितरण तक सीमित रह जाएगी। सुलभता के मुद्दे आरक्षण के राज्य कानूनों और अन्य प्रकार की ठोस कार्रवाई के तहत संचालित होंगे। कुछ संस्थानों में पेशेवर संगठन किसी भी व्यवसाय को रोकने की पात्रता की शर्तें तय कर सकते हैं। अन्य सभी विनियमन एजेंसियों, जैसेकि एआईसीटीई को समाप्त करना होगा, जबकि एमसीआई और बीसीआई की भूमिका पेशेवर संगठनों तक सीमित रह जाएगी। ये पेशेवर संगठन अपने-अपने पेशे में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस देने के लिए देश भर में परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं।

विनियमन का दूसरा पहलू विनियमन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिद्धांत का है। आईआरएएचई विवेकाधीन नियंत्रणों के बजाय पारदर्शी मापदंडों के आधार पर नए संस्थान स्थापित करने के लिए पात्रता का निर्धारण करेगा इसकी मुख्य भूमिका डिग्री प्रदान करने का लाइसेंस देते समय सारी छानबीन करने की होगी। ऐसा करते

समय यह प्राधिकरण प्रस्तावित संस्था द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार पेश की गई सूचना के आधार पर उसकी शैक्षिक विश्वसनीयता और वित्तीय व्यावहारिकता का आकलन करेगा। प्राधिकरण सार्वजनिक और निजी संस्थानों पर वही नियम लागू करेगा, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर लागू किए जाएंगे।

आईआरएचई की संरचना कुछ इस तरह होगी। इसका एक अध्यक्ष होगा और छह सदस्य होंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होगा। प्राधिकरण के एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में रिटायर हो जाएंगे। अध्यक्ष किसी भी विषय में प्रतिष्ठित शिक्षाविद होगा, जिसे उच्च शिक्षा में प्रशासन का अनुभव होगा। सदस्य निम्नलिखित विषयों से चुने गए प्रतिष्ठित शिक्षाविद होंगे: भौतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि या प्रबंधन जैसे पेशेवर विषय। आईआरएचई में कुछ अंशकालिक सदस्य भी हो सकते हैं या प्राधिकरण को सलाह देने के लिए इनमें से हर एक विषय के विद्वानों की स्थाई समितियां भी बनाई जा सकती हैं। आईआरएचई के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा खोज समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

आईआरएचई की स्थापना संसद द्वारा पारित एक कानून के तहत होगी। यह एकमात्र एजेंसी होगी, जिसे उच्च शिक्षा संस्थानों को डिग्री प्रदान करने का लाइसेंस देने का अधिकार होगा। यह प्राधिकरण मानदंडों की निगरानी करेगा और विवाद भी सुलझाएगा। इसे प्रमाणन एजेंसियों को लाइसेंस देने का अधिकार प्रदान करने के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। आईआरएचई को सरकार से दूरी बनाए रखते हुए सरकार के संबद्ध मंत्रालयों सहित सभी हितधारकों से स्वतंत्र रहकर काम करने की छूट देना जरूरी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एआईसीटीई, एमसीआई, और बीसीआई के अधिनियमों में संशोधन करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका उच्च शिक्षा में सार्वजनिक संस्थानों के लिए अनुदान संवितरण और उनके रख-रखाव तक सीमित कर दी जाएगी। एआईसीटीई, एमसीआई, और बीसीआई, अब तक प्रवेश विनियमन के जो काम करते थे, वे सब अब आईआरएचई करेगा ताकि उनकी भूमिका पेशेवर संगठनों तक सीमित रह जाए। यह पेशेवर संगठन अपने-अपने पेशे में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस देने के लिए देश भर में परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं।

4. वित्त व्यवस्था

हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था का विस्तार आवश्यक भी है और वांछनीय भी, किन्तु यह धन की व्यवस्था किए बिना संभव नहीं है। उत्तम किस्म की शिक्षा की उपलब्धता बढ़ाना निवेश बढ़ाने पर निर्भर है, जिसके लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है वित्त की व्यवस्था करने के लिए अनेक स्रोत हैं।

सरकारी समर्थन: दुनिया में उच्च शिक्षा की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसे पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक धन न मिलता हो। हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की किसी भी रणनीति की बुनियाद सरकारी वित्तीय सहायता पर टिकी रहेगी। इस समय उच्च शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का जो 0.7 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है, वह किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है। पिछले एक दशक में वास्तविक दृष्टि में देखें तो कहा जा सकता है कि सामूहिक रूप से और प्रति विद्यार्थी के हिसाब से उच्च शिक्षा के लिए आवंटित संसाधनों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। आदर्श स्थिति में उच्च शिक्षा के लिए सरकारी समर्थन सकल घरेलू उत्पाद का यदि दो प्रतिशत नहीं, तो कम-से-कम डेढ़ प्रतिशत होना चाहिए, जबकि शिक्षा के लिए कुल बजट सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत है। यह कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। फिर भी सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि 2012 तक यह स्तर हासिल हो जाए। सरकार की ओर से इतना वित्तीय समर्थन भी उच्च शिक्षा में आवश्यक विस्तार के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की पूरकता के लिए विभिन्न संभावनाओं की तलाश करना आवश्यक है।

संपत्तियों का बेहतर प्रबंध: अधिकतर सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के पास भूमि के रूप में संसाधनों का विशाल भंडार है, जिसे अब तक हुआ नहीं गया है। वास्तव में देखें तो थोड़ी-सी सूझबूझ से हमारे अनेक विश्वविद्यालयों को भूमि अनुदान विश्वविद्यालयों से मिलते-जुलते संस्थानों में बदला जा सकता है। अतः हर विश्वविद्यालय एक अभिनव संपत्ति प्रबंध योजना बना सकता है। इस तरह की योजनाएं विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। किन्तु फिलहाल विश्वविद्यालयों के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। विश्वविद्यालयों की भौतिक संपत्तियों के इस्तेमाल के बारे में गंभीरता से सोचने की भी बहुत गुंजाइश है। विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी भूमि का इस्तेमाल करके धन जुटाने के वास्ते नियम बनाए जा सकते हैं और मापदंड तय किए जा सकते हैं।

फीस को युक्तिसंगत बनाना: हमारे विश्वविद्यालयों में कुल खर्च में फीस का औसत हिस्सा दस प्रतिशत से भी कम है। अधिकतर विश्वविद्यालयों में दशकों में फीस से कोई बदलाव नहीं आया है। सिद्धांत रूप में विश्वविद्यालयों को फीस तय करने की आजादी है, किन्तु व्यावहारिक रूप में विश्वविद्यालयों ने इस आजादी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि कुछ तो शिक्षा की सुलभता को लेकर वास्तविक चिंताएं हैं, लेकिन इसकी बड़ी वजह राजनीतिक प्रक्रिया में लोकप्रिय फैसलों की मजबूरी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आमदनी और खर्च के बीच की खाई पाटने के लिए अनुदान सहायता देने का जो तरीका अपनाया है उसने समस्या और बढ़ा दी है। विश्वविद्यालयों या कालेजों के लिए ऊंची फीस के जरिए आमदनी बढ़ाने में कोई फायदा नजर नहीं आता, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (या राज्य सरकार) से मिलने वाले अनुदान में से वह रकम घटा दी जाएगी। साधनों की जांच किए बिना सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में फीस का स्तर कम रखने से उन लोगों को असीमित लाभ हुआ है, जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। किन्तु निजी संस्थानों और विदेशी संस्थानों पर बाजार की क्षमता के अनुसार फीस लेने की कोई पाबंदी नहीं है। अब समय आ गया है कि हम इस बारे में दोबारा विचार करें, क्योंकि फीस को युक्तिसंगत बनाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। फीस का स्तर हमारे विश्वविद्यालयों को तय करना है, लेकिन नियम के मुताबिक फीस से विश्वविद्यालयों के कुल खर्च का कम-से-कम 20 प्रतिशत हिस्सा पूरा चाहिए। इसके अलावा मूल्य सूचकांक को समाहित करके हर दो वर्ष में फीस में फेर-बदल किया जाना चाहिए। समय-समय पर इस तरह के छोटे-छोटे फेर-बदल को लंबे समय के बाद एक मुश्त बड़े बदलाव की बजाय ज्यादा आसानी से स्वीकार कर लिया जाएगा। फीस को युक्तिसंगत बनाने की इस प्रक्रिया पर दो शर्तें लागू होनी चाहिए: एक तो यह है कि जरूरतमंद विद्यार्थियों को फीस माफी के साथ खर्च पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाए; और दूसरे विश्वविद्यालय फीस बढ़ाकर जो संसाधन जुटाते हैं, उसकी सजा के तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान सहायता में से उतनी रकम नहीं काटनी चाहिए।

परोपकारी दान: यह तो स्पष्ट है कि हमने इस संभावना को नहीं टटोला है। वास्तव में 1950 के दशक में उच्च शिक्षा के कुल खर्च में इस तरह के योगदान का अनुपात 12 प्रतिशत से अधिक हुआ करता था, लेकिन 1990 के दशक में यह घटकर 3 प्रतिशत से भी कम रह गया है। विश्वविद्यालयों और दान देने वालों के लिए प्रोत्साहनों में बदलाव के जरिए दान की इस परंपरा को जीवित रखना

संभव होना चाहिए। मौजूदा व्यवस्था में दान देने में कोई लाभ होना तो दूर, बल्कि नुकसान ही होता है। विश्वविद्यालय अगर अन्य स्रोतों से साधन जुटाते हैं तो वह रकम उनकी अनुदान सहायता में से काट ली जाती है, जबकि वास्तव में हमें इसका उलटा करना चाहिए। जो विश्वविद्यालय दूसरे स्रोतों से साधन जुटाते हैं उन्हें उसके बराबर अनुदान सहायता देकर पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इस समय कर कानून और ट्रस्ट कानून दोनों ही हतोत्साहक हैं। विश्वविद्यालयों के कोष को सिर्फ निश्चित प्रतिभूतियों में ही लगाया जा सकता है, जहां आमदनी इतनी कम है कि वे मुद्रास्फीति की दरों की बराबरी भी मुश्किल से कर पाते हैं। इतना ही नहीं विश्वविद्यालयों के प्रबंधन ट्रस्ट को कोष से होने वाली आमदनी का 85 प्रतिशत हिस्सा उसी वर्ष खर्च करना जरूरी है। इस तरह से उस आमदनी का सिर्फ 15 प्रतिशत हिस्सा ही कोष बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय अपनी पसंद के वित्तीय साधनों में निवेश कर सकें और इस प्रकार होने वाली आमदनी से कोष एक बना सकें।

अन्य स्रोत: यह स्वाभाविक है कि विश्वविद्यालयों की सोच कारोबारी नहीं होनी चाहिए। किन्तु पूर्व विद्यार्थियों से अंशदान, लाइसेंस फीस या उपयोगकर्ता शुल्क (बाहर के लोगों द्वारा विश्वविद्यालय की सुविधाओं के उपयोग पर लगने वाला शुल्क) जैसे अन्य साधनों का उपयोग करने में समझदारी भी होगी और अक्लमंदी भी। हमें एक ऐसा सहायक संस्थागत तंत्र भी स्थापित करना चाहिए, जिससे विश्वविद्यालय इस काम में पेशेवर कंपनियों की मदद ले सकें। पूर्व विद्यार्थियों से संसाधन जुटाने का काम भी शिक्षक नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए विशेष प्रतिभा और अनुभव की जरूरत होती है। इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य साधनों से धन जुटाने वाले विश्वविद्यालयों को सजा देता है और वे जितना धन जुटाते हैं, उतनी राशि उनकी अनुदान-सहायता में से काट ली जाती है। संसाधन जुटाने के लिए विश्वविद्यालयों को दंड देने की बजाए आयोग को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को इतनी स्वायत्ता और छूट होनी चाहिए कि वे उपयुक्त संस्थागत तंत्र बनाकर या उनका इस्तेमाल करके दूसरी जगहों से संसाधन जुटा सकें।

निजी निवेश: तीन पेशों — इंजीनियरिंग, चिकित्सा और प्रबंधन — में शिक्षा का इतना निजीकरण हो चुका है कि दो तिहाई से तीन चौथाई सीटें निजी संस्थानों में हैं। किन्तु विश्वविद्यालयों में जहां हमारे 70 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं, निजी निवेश लगभग शून्य

है। उच्च शिक्षा के अवसरों का दायरा बढ़ाने के लिए उसमें निजी निवेश को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में सबसे नेक इरादे के बावजूद इस समय आवश्यक पैमाने पर उच्च शिक्षा के अवसरों के विस्तार के लिए सरकारी साधनों से पर्याप्त मात्रा में धन नहीं जुटाया जा सकता।

सार्वजनिक निजी साझीदारी: निजी निवेश (मुनाफे के लिए नहीं) को अधिक मात्रा में आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक वित्त पोषक का लाभ प्रदान करना, विशेषकर भूमि अनुदान के रूप में रियायत देना, संभव हो सकता है। भूमि के आवंटन की मौजूदा व्यवस्था में राजनीतिक संरक्षण का हाथ रहता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में नेक इरादे से आने वाले उद्यमी हतोत्साहित होते हैं और जमीन-जायदाद के कारोबारी भेष बदलकर इस व्यावसाय में आ जाते हैं। सिद्धांत रूप में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी से न सिर्फ और अधिक आईआईटी तथा आईआईएम खोलना संभव है, बल्कि अधिक संख्या में विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जा सकते हैं। इस व्यवस्था में जमीन सरकार देती है और धन की व्यवस्था निजी क्षेत्र करता है। इस तरह की सार्वजनिक-निजी भागीदारी से विश्वविद्यालय और उद्योग जगत के बीच संपर्क बढ़ने से शिक्षण और अनुसंधान को भी मजबूती मिलती है।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी: भारत आज अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए उतना आकर्षक शिक्षा केन्द्र भी नहीं रहा है, जितना तीस वर्ष पहले हुआ करता था। अब हमें उच्च शिक्षा के लिए विदेशी विद्यार्थियों को भारत की तरफ आकर्षित करने के ठोस प्रयास करने चाहिए। इससे हमारा शैक्षिक माहौल समृद्ध होगा और क्वालिटी भी सुधरेगी। साथ ही हमें पर्याप्त मात्रा में धन भी प्राप्त होगा। अगर 50,000 विदेशी छात्रों से औसतन 10,000 अमरीकी डालर प्रति वर्ष की दर से फीस ली जाए तो करीब आधा अरब अमरीकी अरब डालर यानि मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से प्रति वर्ष 2300 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। सिक्के का दूसरा पहलू शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुमान है कि भारत को 1,60,000 विद्यार्थी विदेशों में पढ़ते हैं। अगर फीस और रहन-सहन पर प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च औसतन 25,000 अमरीकी डालर हो तो भारतीय विद्यार्थी विदेशों में प्रति वर्ष मौजूदा विनिमय दरों के हिसाब से चार अरब अमरीकी डालर, यानि 18,400 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर हम अपने देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था की क्वालिटी सुधारने की दिशा में काम करें और विद्यार्थियों के लिए स्थान बढ़ा दें तो वित्तीय साधनों का एक विशाल स्रोत हमें मिल सकता है।

5. क्वालिटी

उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र नियामक की स्थापना, मौजूदा सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारने और राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से कुल मिलाकर उच्च शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। किन्तु इसके साथ ही कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे, जो उच्च शिक्षा में क्वालिटी को बढ़ावा दे सकेंगे।

जवाबदेही: उच्च शिक्षा की क्वालिटी कई कारकों पर निर्भर है। किन्तु इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक हर स्तर पर जवाबदेही है। अतः उच्च शिक्षा व्यवस्था को बाहरी दुनिया के प्रति और व्यवस्था के भीतर भी जवाबदेह होना चाहिए। विश्वविद्यालयों की जवाबदेही का अर्थ शासन का नियंत्रण नहीं समझना चाहिए। नियमों और शर्तों पर आधारित संस्थागत तंत्र इस काम के लिए सबसे असरदार व्यवस्था है। समाज के प्रति जवाबदेही का वास्तविक उद्देश्य शासन की शक्ति बढ़ाने के बजाय विद्यार्थियों को फैसेले लेने लायक समर्थ बनाना होना चाहिए। के निर्धारित नियम या निरीक्षण नियंत्रण के साधन हैं। हमें ऐसी व्यवस्था अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें विद्यार्थी या उनके माता-पिता विश्वविद्यालयों का चुनाव कर सकें और उनकी सेवाएं ले सकें।

स्पर्धा: उच्च शिक्षा की सुलभता की कमी जवाबदेही की प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा है। जब विद्यार्थियों के पास विकल्प अपेक्षाकृत कम होते हैं तो उन पर संस्थानों का अंकुश बढ़ जाता है। विद्यार्थियों को विकल्प प्रदान करने और संस्थाओं के बीच स्पर्धा पैदा करने के लिए उच्च शिक्षा सुविधाओं का विस्तार जवाबदेही बढ़ाने के लिए बेहद आवश्यक है। भारत के भीतर संस्थानों के बीच इस तरह की स्पर्धा बेहद आवश्यक है, किन्तु भारत के बाहर से मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता के आधार पर मिलने वाली स्पर्धा के महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए। भारत में विदेशी संस्थाओं इस प्रयोजनार्थ के प्रवेश और विदेश में भारतीयों संस्थानों के प्रचार-प्रसार के लिए उपयुक्त नीति अवश्य बनानी चाहिए। इस तरह की नीतियों में हमेशा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि भारत आने वाली अच्छी संस्थाओं को प्रोत्साहन मिले और उन संस्थाओं को कम रियायतें मिले, जिनका स्तर उतना अच्छा नहीं है। मौजूदा व्यवस्था इसके विपरीत है। निचले स्तर वाली संस्थाएं भीड़ लगा देती हैं, जबकि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इस सबसे दूर रहते हैं, क्योंकि वे स्वायत्ता चाहते हैं और खुद अपने लिए प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। किन्तु सबके लिए समानता का स्तर सुनिश्चित होना चाहिए और घरेलू संस्थानों पर जो सारे नियम लागू होते हैं वही नियम

विदेशी संस्थानों पर लागू होने चाहिए। इसके साथ ही साथ ऐसी नीतियां अपनाई जानी चाहिए, जो भारतीय संस्थानों को विदेशों में अपने परिसर खोलने के लिए हतोत्साहित करने की बजाय प्रोत्साहित करे। यह परिसर कारोबार के अवसर के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता पाने की होड़ में स्पर्धा के अवसरों के रूप में खोले जाने चाहिए। यह बात सही है कि आज भी और भविष्य में भी विदेशों में शिक्षा संस्थानों का प्रसार घरेलू संस्थानों और व्यवस्था की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

प्रमाणन: अभी तक हमारे देश में सरकारी नियामकों के अधिकार बढ़ाकर जवाबदेही पैदा करने की कोशिश की गई है, लेकिन इससे उच्च शिक्षा की क्वालिटी सुधारने पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा है। इसके लिए नेशनल एकेडमी ऑफ़ एसेसमेंट काउंसिल का ही उदाहरण लें। इस व्यवस्था की तीन विशेषताएं ऐसी हैं, जिन्होंने इसकी साख बेहद कम कर दी है। सबसे पहली विशेषता यह है कि इसमें सिर्फ एक संस्था यानि एनएएसी को प्रमाणन का एकाधिकार मिल गया है। दूसरे एनएएसी के पास सभी संस्थानों का प्रमाणन करने की क्षमता नहीं है। इसने अब तक कुल संस्थानों में से लगभग 10 प्रतिशत का आकलन किया है। तीसरी विशेषता यह है कि एनएएसी की कार्यविधि में उसकी मनमर्जी बहुत अधिक चलती है। शासन द्वारा स्थापित एक संस्था को सारे अधिकार देने के बजाय आईआरएएचई को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह संस्थानों की रेटिंग करने के लिए सार्वजनिक और निजी प्रमाणन एजेंसियों को लाइसेंस दे। नियामक इन एजेंसियों के मापदंड तय कर सकता है। इसके साथ-साथ सभी शिक्षा संस्थानों के प्रमाणन के स्रोत और स्तर सहित पूरी जानकारी देने के लिए कड़े नियम भी बनाए जाने चाहिए, उच्च शिक्षा, विशेषकर निजी क्षेत्र में उच्च शिक्षा की तेजी से हो रही वृद्धि ने एक विश्वसनीय प्रमाणन प्रक्रिया के जरिए विद्यार्थियों और माता-पिता को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने की जबर्दस्त जरूरत पैदा कर दी है। इस व्यवस्था की मदद के लिए उच्च शिक्षा व्यवस्था में स्व-नियामक संस्थाएं बनाई जा सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन तंत्रों से मान्यता प्राप्त करने की आजादी दी जा सकती है।

भीतरी प्रणालियां: अधिकांश विश्वविद्यालयों में जवाबदेही के किसी भी तंत्र में विद्यार्थियों को सबसे कम भूमिका दी जाती है, जबकि सबसे ज्यादा उन्हीं का हित जुड़ा रहता है। बेशक, विद्यार्थियों के मूल्यांकन का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए, फिर भी उन्हें जवाबदेही के बुनियादी उपायों का अंग बनाया जा सकता है, जिससे कम-से-कम यह तो पता चल सकेगा कि कक्षाएं समय-सारणी

के अनुसार होती हैं या नहीं। इतना ही नहीं, पाठ्यक्रमों और शिक्षकों का मूल्यांकन विद्यार्थियों से कराने की भी आवश्यकता है, जैसे कि हमें शिक्षकों का मूल्यांकन दूसरे शिक्षकों से कराने की जरूरत है। मूल्यांकन की इस तरह की भीतरी व्यवस्था सिखाने-सीखने की प्रक्रिया में जवाबदेही को मजबूत करेंगी। इन्हें विश्वविद्यालय तंत्र के अन्य पहलुओं में जवाबदेही के लिए संस्थागत तंत्र के साथ अवश्य जोड़ा जाना चाहिए।

सूचना: लगभग हर जगह जन-जन को सूचना सुलभ कराना जवाबदेही का एक प्रमुख स्रोत है। उच्च शिक्षा को इसका अपवाद नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के लिए सूचना देने के कुछ नियम होने चाहिए। उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति, भौतिक संपत्तियों, प्रमाणन रेटिंग, प्रवेश के नियमों, शिक्षकों के पदों, शिक्षा के पाठ्यक्रम और अन्य बातों के बारे में बुनियादी जानकारी जनता के सामने रखनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों और माता-पिता की शक्ति बढ़ेगी और वे पूरी जानकारी के आधार पर विकल्प चुन सकेंगे। सूचना, स्पर्धा और बढ़ती सफ़ाई के मिलन से जवाबदेही का अंतर कुछ कम हो सकेगा।

प्रोत्साहन: हम अगर अच्छा निष्पादन न करने के लिए दंड नहीं दे सकते तो कम-से-कम अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार तो दे सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि विश्वविद्यालयों का तंत्र सरकारों और कंपनियों की क्रमबद्ध ढांचे से अलग होता है। प्रोत्साहनों का जाल कहीं ज्यादा कोमल होता है। इसके बावजूद अच्छे-से-अच्छे प्रतिभावान शिक्षकों को आकर्षित करने और उन्हें रोके रखने के साधन के रूप में विश्वविद्यालय के भीतर और विश्वविद्यालयों के बीच वेतन भिन्नता के बारे में सोचने का समय आ गया है। एक ही विश्वविद्यालय के भीतर शिक्षकों के बीच वेतन भिन्नता से उन्हीं विभागों में शिक्षकों के लिए अवसरों की लागत की झलक भी मिलनी चाहिए। इस तरह उन विषयों में भी प्रतिभावान शिक्षकों को रोके रखने में मदद मिलेगी, जिनमें अन्य विषयों की तुलना में बाजार में कहीं ज्यादा पारिश्रमिक मिलता है। वेतन भिन्नता की सुविधा से कुछ विश्वविद्यालय कुछ विषयों में उत्कृष्टता के केन्द्र स्थापित कर सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि समाज विज्ञान और मानविकी तथा बुनियादी विज्ञान जैसे अच्छी उदार शिक्षा के लिए आवश्यक विषयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन दिए जाएं, क्योंकि बाजार में इन विषयों की उतनी अच्छी मांग होना आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालयों के भीतर और उनके बीच इस तरह की वेतन भिन्नता बहुत अधिक हुए बिना असरदार हो सकती है।

फेकल्टी के सदस्यों के बीच वेतन भिन्नता का अधिकतम अनुपात तय करने के लिए एक अच्छा कारण मौजूद है ताकि प्रोफेसर वर्ग की पहचान को कोई खतरा न हो। यह सच है कि विश्वविद्यालय दूसरी जगहों के वेतन का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी सबके लिए ठीक-ठाक न्यूनतम राशि और अच्छा प्रदर्शन करने वालों के लिए विशेष राशि प्रदान करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके अलावा मकान, शिक्षण और अनुसंधान के लिए अच्छी सुविधाओं और शिक्षणेत पेशेवर गतिविधियों जैसे अन्य प्रोत्साहनों के बारे में सोचना भी महत्वपूर्ण है, बशर्ते कि इनसे संस्थान की बुनियादी जिम्मेदारियों पर कोई असर न पड़ता हो।

विभिन्नता: हमें यह मानना होगा कि उच्च शिक्षा की किसी भी व्यवस्था में विविधता और बहुलता तो होगी ही। इसलिए भारत जैसे विशाल देश में हम सबके लिए एक समान नीति का सिद्धांत नहीं अपना सकते। हमें विविधता को फलने-फूलने का अवसर देना होगा। इसके अनेक पहलू हो सकते हैं, जैसे, पाठ्यक्रम, विशेषज्ञता, संस्था का ढांचा, विद्यार्थियों का स्वरूप आदि-आदि। इसी तरह विभिन्नता को अगर सहज न माने तो भी यह अनिवार्य है। हम भले ही इसे न माने, लेकिन ऐसी भिन्नता एक सच्चाई है। विद्यार्थियों और माता-पिता को जो भी जानकारी मिलती है, उसके आधार पर वे अपनी धारणाएं बना लेते हैं और मन-ही-मन संस्थानों का क्रम तय करके चुनाव करते हैं। हमारी बहुलता की भावना में इस तरह की विविधता और भिन्नता की उपेक्षा करने या उससे भागने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। यह दुनिया में हर उच्च शिक्षा व्यवस्था की विशेषता है। उच्च शिक्षा का अर्थ उत्कृष्टता की तलाश है। इसका थोड़ा-बहुत अर्थ हमेशा समान स्तर पाने के बजाए कुछ विशेष उपलब्धि पाने का भी है। उत्कृष्ट संस्थान वे महत्वपूर्ण शिखर हैं, जो औसत को बढ़ा देते हैं। वे ऐसे रोल मॉडल भी हैं, जिनका दूसरे अनुसरण करना चाहते हैं। इस तरह के रोल मॉडल बन जाने वाले संस्थान दूसरे चुने हुए संस्थानों के संरक्षक और मार्गदर्शक भी बन सकते हैं।

6. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

भारत में युवाओं की तेजी से बढ़ती आबादी के लिए सकल भर्ती अनुपात में जबर्दस्त छलांग लगाने के लिए उच्च शिक्षा में सीटों की संख्या बहुत अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। वैसे तो ये काम शिक्षा के मौजूदा बुनियादी ढांचे का विस्तार करके सहजता से किया जा सकता है, किन्तु उच्च शिक्षा की क्वालिटी और मानकों के बारे में समझ में आए बुनियादी बदलाव के कारण एकदम नए संस्थानों

की स्थापना की आवश्यकता महसूस होती है, जिन पर मौजूदा संस्थागत और विनियामक ढांचे का कोई अंकुश न हो। आयोग की सिफारिश है कि ऐसे 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएं जो उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान कर सकें। विश्वविद्यालय बाकी देश के लिए मिसाल बनकर विद्यार्थियों को मानविकी समाज विज्ञान, बुनियादी विज्ञान, वाणिज्य सहित विभिन्न विषयों और पेशेवर विषयों में अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों की शिक्षा प्रदान करेंगे। 50 की यह संख्या दीर्घकालिक लक्ष्य है। अगले तीन वर्ष में कम-से-कम दस ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना को महत्वपूर्ण शुरुआत माना जाएगा। यह बात ध्यान रखने लायक है कि सभी राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का नया होना आवश्यक नहीं है। कुछ मौजूदा विश्वविद्यालयों को कड़ी चयन प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का रूप दिया जा सकता है। यह प्रक्रिया दूसरों के लिए मिसाल बन सकती है। यह बात सच है कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अगर पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध न हुए तो मानव संसाधन की समस्या आ सकती है। किन्तु शैक्षिक उत्कृष्टता के ऐसे केन्द्रों में उन प्रतिभाओं को भी आकर्षित किया जा सकता है, जो भारत में दूसरे पेशे का या भारत से बाहर शिक्षा के पेशे का चुनाव करते हैं।

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना दो तरह से की जा सकती है। एक तो सरकार द्वारा या फिर किसी निजी प्रायोजक संस्थान द्वारा। यह निजी संस्था कोई सोसाइटी, परोपकारी ट्रस्ट या धारा 25 के अंतर्गत कंपनी बनाकर। दुनिया भर में विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए सार्वजनिक धन बेहद महत्वपूर्ण होता है। अतः अधिकतर नए विश्वविद्यालयों को शुरू में सरकार की ओर से काफी वित्तीय मदद की जरूरत होगी। प्रत्येक विश्वविद्यालय को उसकी स्थान की जरूरतों से फालतू सार्वजनिक भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए। फालतू भूमि बाद में आमदनी पैदा करने का स्रोत बन सकती है। विश्वविद्यालय की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ उसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी। अगर विश्वविद्यालय निजी रूप से स्थापित परोपकारी ट्रस्ट न खोला है तो मौजूदा आय कर कानूनों में कुछ छूट देने की जरूरत पड़ेगी, जिससे एक बड़ा कोष बनाने को प्रोत्साहन दिया जा सके। विशेष तौर पर किसी भी कालावधि में आय का उपयोग करने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ट्रस्टों को अपने कोष अपनी पसंद के वित्तीय साधनों में लगाने की अनुमति होनी चाहिए और पूंजित संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धन को पूंजित लाभ कर से छूट मिलनी चाहिए। इन विश्वविद्यालयों को आवश्यकता पड़ने पर निजी कोष प्रबंधकों की सेवाएं लेकर अपनी पसंद के वित्तीय साधनों में निवेश की स्वायत्ता मिलनी

चाहिए। इसके अलावा प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कक्षा के कमरों और अन्य सुविधाओं जैसी भौतिक संपत्तियों के अधिकतम लाभकारी प्रबंध के लिए भी उपयुक्त तंत्र की स्थापना करना आवश्यक है। इन विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों की फीस का स्तर तय करने और आमदनी के दूसरे साधनों का उपयोग करने के लायक स्वायत्ता मिलनी चाहिए। इन साधनों में उद्योगों के साथ सहयोग और विदेशों से सहयोग के अलावा विश्वविद्यालय की सुविधाओं का वाणिज्यिक उपयोग और पूर्व विद्यार्थियों के नेटवर्क शामिल हैं।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाए। वे आवश्यकता से बंधे दाखिले का सिद्धांत अपनाएं। इस तरह आवेदक की पैसे देने की क्षमता या अक्षमता का उसे प्रवेश देने के विश्वविद्यालय के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी भी विद्यार्थी को एक बार प्रवेश देने के बाद विश्वविद्यालय को यह ध्यान रखना होगा कि उसे वित्तीय कठिनाई के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़नी पड़े। आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के लिए अनेक छात्रवृत्तियों, फीस माफी, एक मुश्त सहायता और पुरस्कारों की आवश्यकता पड़ेगी। अवर-स्नातक स्तर पर एक राष्ट्रव्यापी परीक्षा होनी चाहिए, जिसमें एक स्वतंत्र परीक्षा संस्था आवेदक की मौखिक, मात्रात्मक और विश्लेषण संबंधी क्षमताओं का तटस्थता से आकलन किया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रवेश 12वीं कक्षा के परिणामों, राष्ट्रव्यापी परीक्षा में मिले अंकों, लिखित कार्य और व्यक्तिगत वक्तव्यों सहित आवेदन सामग्री और इंटरव्यू के आधार पर दिया जाना चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश आवेदक के शैक्षिक रिकार्ड, आवेदन सामग्री, इंटरव्यू और ऐसे शैक्षिक या पेशेवर संदर्भों के आधार पर दिया जाएगा जिनसे संबद्ध विषय में आगे पढ़ने की उसकी योग्यता का संकेत मिलता हो।

राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री की अवधि तीन वर्ष होगी ताकि भारत के दूसरे विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की अवधि से समानता हो सके। पहले वर्ष में विद्यार्थियों को फाउंडेशन, विश्लेषण और साधन कोर्स पढ़ने का अवसर मिलेगा ताकि दूसरे वर्ष में वे विशेष विषय का चुनाव कर सकें। दूसरे वर्ष के अंत में उन्हें एक समन्वित पंचवर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री की पढ़ाई पूरी करने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए। डिग्रियां विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपेक्षित संख्या में क्रेडिट प्राप्त करने के बाद दी जानी चाहिए। हर विद्यार्थी को अपने चुने हुए विषय में न्यूनतम संख्या में क्रेडिट पाने होंगे और उसे बाकी-क्रेडिट अन्य विषयों के कोर्स से पाने की स्वतंत्रता होगी। अंतः शिक्षा वर्ष में सेमिस्टर की व्यवस्था होगी और हर कोर्स के

अंत में शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेंगे। एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से दूसरे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को क्रेडिटों का हस्तांतरण किया जा सकेगा। शिक्षा के पारंपरिक विषयों, रोजगार परख विशेष क्षेत्रों और विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता के लिए कई तरह के पाठ्यक्रम चुनने की सुविधा होगी। विभिन्न विषयों में हो रहे बदलावों और मौजूदा घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाएगा। जो विभाग लगातार दो वर्ष तक अपने पाठ्यक्रमों में सुधार नहीं करेंगे उनसे इसका कारण पूछा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को कुछ क्रेडिट अंकों के बदले निजी कंपनियों या शोध संस्थानों में इंटरशिप करने का विकल्प दिया जाना चाहिए।

इन राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सामर्थ्य को अधिकतम स्तर पर लाने के लिए नियुक्त और प्रोत्साहनों की उपयुक्त व्यवस्था की आवश्यकता है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के बीच और विभिन्न विभागों के बीच भी वेतन भिन्नता की गुंजाइश होनी चाहिए। समय-समय पर शोध के परिणामों की समीक्षा और विद्यार्थियों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सबसे विशिष्ट शिक्षकों को अवर-स्नातक पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कैरियर में उन्नति की कोई योजना नहीं होनी चाहिए और हर स्तर पर नियुक्तियां खुली स्पर्धा से होनी चाहिए। किसी भी फैकल्टी में पदों की कुल संख्या भले ही निश्चित कर दी जाए, किन्तु इस बारे में पूरी छूट होनी चाहिए कि किस स्तर पर फैकल्टी की नियुक्तियां की जाएं ताकि प्रतिभावान शिक्षकों का प्रगति में खाली स्थानों की संख्या के कारण कोई बाधा न आए। राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का ऊंचा स्तर बनाए रखने के लिए शिक्षकों के प्रदर्शन और प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करने का तंत्र होना चाहिए। इसमें एक-दूसरे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा समीक्षा की व्यवस्था भी की जा सकती है। इस तरह के मूल्यांकनों की प्रक्रिया और परिणाम सर्व-मुलभ और पारदर्शी होंगे।

इन विश्वविद्यालयों के शोध तथा अनुसंधानों के परिणाम भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास और विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। शिक्षण और अनुसंधान, विश्वविद्यालयों और उद्योग तथा विश्वविद्यालयों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के बीच मजबूत संबंध स्थापित होने चाहिए।

राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अलग-अलग विभाग होंगे, लेकिन वे किसी कालेज को मान्यता नहीं देंगे। प्रत्येक विभाग अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाएगा, जहां कहीं संभव होगा गैर शिक्षण गतिविधियों के लिए बाहरी संस्थाओं की मदद ली जानी चाहिए और

गैर-शिक्षण तथा शिक्षण कर्मचारियों के बीच 2:1 का अधिकतम अनुपात रखा जाना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय को फैंकल्टी, कर्मचारियों, शिक्षकों और लोगों की शिकायतों के निपटान के लिए एक भीतरी लोकपाल की नियुक्ति करनी चाहिए। जहां तक हो सके प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सूचना और संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, चुस्त, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

7. सुलभता

शिक्षा सामाजिक अवसर उत्पन्न करके हर वर्ग को समाहित करने का आवश्यक तंत्र उपलब्ध कराती है। अतः यह जरूरी है कि जहां हम यह ध्यान रखें कि किसी विद्यार्थी को वित्तीय कठिनाई के कारण उच्च शिक्षा पाने के अवसर से वंचित न रहना पड़े, वहीं आर्थिक और ऐतिहासिक दृष्टि से समाज के पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की सुलभता बहुत अधिक प्रभावकारी ढंग से बढ़ाई जाए।

उच्च शिक्षा में आर्थिक कठिनाइयों का समाधान उच्च शिक्षा पाने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सुविधाएं जुटाकर किया जा सकता है। इसके दो तरीके हो सकते हैं एक तो आवश्यकता से बंधी प्रवेश नीति अपनाई जाए। यह नीति अपनाने के बाद अगर कोई शिक्षा संस्थान विद्यार्थी को प्रवेश देने या न देने का फैसला उसकी वित्तीय स्थिति के आधार पर करता है तो यह फैसला गैर-कानूनी होगा। हर संस्थान यह लक्ष्य हासिल करने के लिए तरह-तरह के साधन अपना सकता है। वह चाहे तो छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करे या संपन्न छात्रों से साधन लेकर कमजोर वर्ग के छात्रों की मदद करे। इसके अलावा शिक्षा संस्थानों को अपनी पसंद से फीस तय करने की आजादी दी जानी चाहिए, बशर्ते कि कम-से-कम दो बैंक उस संस्थान में प्रवेश की पुष्टि के सिवाय और कोई जमानत लिए बिना शिक्षा की पूरी लागत के लिए ऋण देने को तैयार हों। शिक्षा की लागत में सिर्फ फीस ही शामिल नहीं है, बल्कि छात्रावास और भोजन की फीस तथा अध्ययन के कोर्स से जुड़े दूसरे खर्चों सहित रहन-सहन के उचित खर्च भी उसमें शामिल हैं। वाणिज्यिक बैंक खासकर गैर-पेशेवर पाठ्यक्रमों में आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों को कर्ज देने में आनाकानी कर सकते हैं इसलिए आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों और ऐतिहासिक दृष्टि से समाज के पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए ऐसी विस्तृत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना बनाई जानी चाहिए, जिसमें धन की कोई कमी न हो। इनमें ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इस प्रस्ताव की सफलता सरकार की ओर से उदार समर्थन पर निर्भर है। उदाहरण के लिए सरकार को ऐसे

विद्यार्थियों के लिए करीब एक लाख छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए। यह छात्रवृत्तियां ऐसे स्तर पर निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपनी पसंद के किसी भी संस्थान में प्रवेश ले सकें।

समाज में हाशिए पर जी रहे और समाज से बहिष्कृत समूहों को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ठोस और अधिक सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए। आरक्षण आवश्यक है, किन्तु वह इस ठोस कार्रवाई का सिर्फ एक अंग और एक रूप है। शिक्षा की उपलब्धियों में विसंगतियां जाति और सामाजिक समूहों से जुड़ी होने के साथ-साथ उनका आमदनी, लिंग, क्षेत्र और निवास स्थान जैसे अन्य संकेतकों से भी गहरा संबंध है। कुछ किस्म के स्कूलों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ऊंचे स्तर की उच्च शिक्षा की सुलभता और सीमित हो जाती है। इससे साबित होता है कि शिक्षा के अवसरों से वंचना बहुआयामी समस्या है और विद्यार्थियों के सामने मौजूद वंचना के अलग-अलग स्तरों पर ध्यान देना जरूरी है। एक सार्थक और व्यापक ढांचा समाज में मौजूद बहुआयामी विभिन्नताओं से निपटने में कारगर हो सकता है। उदाहरण के लिए वंचना सूचकांक विद्यार्थियों को अधिक अंक दिला सकता है और ऐसे विद्यार्थियों को स्कूल परीक्षा में मिले अंकों के साथ संचित अंक भी जोड़े जा सकते हैं। वंचना सूचकांक से मिले अंक जोड़ने के बाद सभी विद्यार्थी प्रवेश की होड़ में हिस्सा ले सकते हैं। यह संकेतक ऐसे होने चाहिए जिन्हें आसानी से पहचाना जा सके और जिनकी आसानी से पुष्टि हो सके, तभी व्यवस्था कारगर ढंग से काम कर सकेगी। इनमें स्कूल स्तर पर और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करते समय विद्यार्थियों के सामने आने वाली विभिन्न प्रकार की वंचनाओं को शामिल किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था दो तरह से उपयोगी है। इसमें एक तरह विभिन्न वंचनाओं का ध्यान रखा जाता है और दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि आरक्षित श्रेणी का ऐसा विद्यार्थी जो अन्य लाभ ले चुका है उसे प्रवेश के समय बहुत अधिक वरीयता न मिलने पाए। इस तरह के सूचकांक से मापे जाने की जरूरत वाले पिछड़ेपन के स्पष्ट संकेतकों में सामाजिक पृष्ठभूमि, जिसमें जाति (क्षेत्रीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए), धर्म और लिंग; परिवार का शैक्षिक इतिहास; परिवार की आमदनी; स्कूल की किस्म, जिसमें सरकारी और निजी स्कूलों और विभिन्न स्थानों तथा शिक्षा के विभिन्न माध्यमों वाले स्कूलों के बीच भेद किया जाए; निवास स्थान, जिसमें शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच भेद किया जाए; और जिलों को बुनियादी सुविधाओं या सामाजिक लाभों की सुलभता के संकेतक के अनुसार छोट कर क्षेत्रीय वंचना का ध्यान रखा जाए और शारीरिक अपंगता शामिल हो सकते हैं।

[हिन्दी]

योग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

1535. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में योग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में योग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य कर रहे और सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है तथा उनके कार्य निष्पादन एवं धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) धनराशि का दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए गैर सरकारी

संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और उनके नाम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) योग सहित सभी आयुष चिकित्सा पद्धतियों में बहिर्वर्ती अनुसंधान (ईएमआर) स्कीम को पुनरीक्षित एवं संशोधित किया गया है। संशोधित दिशा निर्देशों को वेबसाइट indianmedicine.nic.in पर देखा जा सकता है।

(ग) उक्त स्कीम पर वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को दिए गए अनुदानों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। इन गैर सरकारी संगठनों के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा की गई थी और इस संबंध में एक गैर सरकारी संगठन अर्थात् आश्रम आत्मदीप (रिसर्च सेंटर फार इंडियाज हेरिटेज), गुडगांव, हरियाणा को छोड़कर शेष सभी गैर-सरकारी संगठनों के कार्य संतोषजनक पाए गए।

(घ) आश्रम आत्मदीप (रिसर्च सेंटर फार इंडियाज हेरिटेज), गुडगांव, हरियाणा को दिए जाने वाले उत्तरोत्तर अनुदान संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2007-08 के दौरान आयुष विभाग की बहिर्वर्ती अनुसंधान स्कीम के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को दिए गए सहायता अनुदान की सूची

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	संस्थान का नाम	परियोजना की कुल लागत (रुपए)	निर्मुक्त निधियां (रुपए)
1	2	3	4	5
कर्नाटक				
1.	निवारक हृदय रोग और मधुमेह में जीवनशैलीगत उपचारों पर आधारित योग की प्रभावकारिता	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, कर्नाटक	20,00,000/-	8,30,000/-
2.	यूजलाईमिक हाईपर इंसुलिनेमिक क्लैप्स का उपयोग करने वाले योग चिकित्सकों और गैर-योग चिकित्सकों में इंसुल संवेदनशीलता का मूल्यांकन	शरीर विज्ञान एवं पोषण तत्व विभाग, संत जान चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल, बंगलौर, कर्नाटक	13,35,400/-	5,19,700/-

1	2	3	4	5
	महाराष्ट्र			
3.	योग उपनिषद् (योग कुंडलीय उपनिषद्, योग कुदमन्य उपनिषद्, त्रिशिखान्नाहण उपनिषद्) का आलोचनात्मक संस्करण	लोनावला योग संस्थान, लोनावला, जिला-पुणे, महाराष्ट्र	9,14,200/-	4,13,300/-
4.	भारतीय किशोर छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति के निवारण एवं नियंत्रण तथा मानसिक स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए योग	वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग, कैवल्य धाम, लोनावला, पुणे, महाराष्ट्र	22,56,000/-	9,68,000/-
5.	योग के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की माताओं में उत्पन्न तनाव का उपचार	अंतर्राष्ट्रीय योग बोर्ड, मुंबई	20,00,000/-	14,41,800/-
6.	पारंपरिक आसनों का विश्वकोष	लोनावला योग संस्थान, लोनावला, जिला-पुणे	15,00,000/-	1,00,000/-
7.	सुंदर देव का हठतत्वाकौमुदी -आलोचनात्मक संस्करण	लोनावला योग संस्थान, लोनावला, जिला-पुणे	8,00,000/-	50,000/-

विवरण-II

वर्ष 2008-09 के दौरान आयुष विभाग की बहिर्वर्ती अनुसंधान स्कीम के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को दिए गए सहायता अनुदान की सूची

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	संस्थान का नाम	परियोजना की कुल लागत (रुपए)	निर्मुक्त निधियां (रुपए)
1	2	3	4	5
	महाराष्ट्र			
1.	योग उपनिषद् (योग कुंडलीय उपनिषद्, योग कुदमन्य उपनिषद्, त्रिशिखान्नाहण उपनिषद्) का आलोचनात्मक संस्करण	लोनावला योग संस्थान, लोनावला, जिला-पुणे, महाराष्ट्र	9,14,200/-	3,18,300/-

1	2	3	4	5
2.	दो योग उपनिषदों के आलोचनात्मक संस्करण	लोनावला योग संस्थान, लोनावला, जिला-पुणे, महाराष्ट्र	10,94,000/-	5,25,700/-
	कर्नाटक			
3.	मधुमेह के परिणामों से संबंधित प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग का प्रभाव-एक गैर-अनुक्रमिक नियंत्रित परीक्षण	निसर्ग न्यास, सिरसी, एन के	20,49,500/-	7,46,750/-
4.	7 से 9 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों में तनाव एवं संज्ञानात्मक क्रियाओं पर योगाभ्यासों का प्रभाव	संत जान अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	19,80,793/-	13,39,242/-
	पश्चिम बंगाल			
5.	कोरोनरी एथ्रोस्क्लेरोसिस में सी-रिएक्टिव प्रोटीन और अन्य जैव चिह्नों पर योग का प्रभाव	विद्यासागर भौतिक शिक्षा एवं क्रीड़ा प्रौद्योगिक संस्थान, पूर्व मेदिनीपुर	14,56,750/-	11,65,400/-

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या

1536. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ग्लोबल इकनामिक प्रोस्पेक्ट्स फार 2009" संबंधी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में उप-सहारा अफ्रीका की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे जीवनसापन करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार के आकलन के अनुसार देश में गरीब लोगों की संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त आकलन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) "ग्लोबल इकनामिक प्रोस्पेक्ट्स फार 2009" संबंधी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में गरीब जनसंख्या का प्रतिशत (\$ 1.25 प्रतिदिन से कम पर जीवनयापन करने वाले) वर्ष 2005 के संबंध में उप-सहारा अफ्रीका के 50.9 प्रतिशत की तुलना में 41.6 प्रतिशत है। तथापि, अधिक जनसंख्या के कारण, भारत में निरपेक्ष रूप से गरीबों की संख्या उप-सहारा अफ्रीका से अधिक है।

(ख) भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के आधार पर गरीबी अनुमानों का उपयोग नहीं करती है।

(ग) योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान वर्ष 2004-05 में 301.7 मिलियन लगाया गया है, जो कुल जनसंख्या का 27.5% है।

(घ) योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या और उनके प्रतिशत का अनुमान,

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग लगाता है। राष्ट्रीय गरीबी रेखा वर्ष 2004-05 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 356.30 रु. प्रतिव्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 538.60 रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या और प्रतिशत का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा लगभग पांच वर्षों के अंतराल पर कराए गए परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर लगाया जाता है।

[अनुवाद]

राज्यों में कैम्पा की स्थापना

1537. श्री अधलराव पाटील शिवाजी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों से प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (कैम्पा) की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार देशभर में अवक्रमित वन क्षेत्र को उन्नत बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार वन रोपण पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यों को उक्त धनराशि किस प्रकार से आवंटित की जाएगी तथा वे इसे किस प्रकार खर्च करेंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) से (च) चूंकि भारत के उच्चतम न्यायालय के 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 के संबंध में दिनांक 29.10.2002 के आदेश में यथा निर्दिष्ट प्रतिपूरक वनीकरण कोष (सीएएफ) और प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) प्रचालित नहीं हो सका था, इसलिए 30.03.09 को राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा की गई थी। बैठक में यह निष्कर्ष निकला कि राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा अंगीकार

करने के लिए राज्य स्तरीय काम्पाज का गठन किया जाए और माडल दिशानिर्देश तैयार किए जाएं। तदनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में काम्पाज स्थापित करने के लिए और प्रतिपूरक वनीकरण के प्रति प्राप्त निधियों तथा तदर्थ काम्पा के पास इस समय उपलब्ध वर्तमान निवल मूल्य (एनपीवी) आदि का उपयोग करते हुए वन और वनावरण में बढ़ोतरी करने तथा वनों और वन्यजीवों का संरक्षण और प्रबंधन करने के लिए एक निधियन तंत्र स्थापित करने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं। राज्य के काम्पा द्वारा निधियन के बहु स्रोतों का उपयोग करने के लिए तथा वनों और वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के लिए एक एकीकृत ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। इसका एक कार्य प्राकृतिक वनों का पुनरोद्धार करना तथा राज्य वन विभाग में इस कार्य में लगी संस्था को सुदृढ़ बनाना होगा। इन दिशानिर्देशों में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजना के अनुसार तदर्थ काम्पा के खाते में जमा की गई राशि जारी करने का प्रस्ताव है।

सड़क परियोजनाओं के विकास हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति

1538. श्री निशिकांत दुबे :

श्री राजैया सिरिसिल्ला :

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों से उनके पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में शुरू की गई विभिन्न सड़क विकास परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यों से प्राप्त ऐसे सभी प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है तथा इनमें से प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार के पास पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कितने प्रस्ताव लंबित हैं तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :
(क) से (ग) झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए सड़क विकास प्रस्तावों का विस्तृत विवरण उनकी वर्तमान स्थिति सहित संलग्न है।

(घ) और (ङ) सितम्बर, 2006 की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

अधिसूचना में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को विचारार्थ विषयों के बारे में सूचित करने के लिए 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् मूल्यांकन और निर्णय की सूचना देने के लिए 105 दिन की समय सीमा उपलब्ध कराई गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्थिति
1	2	3	4
2006			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	ग्रेट निकोबार में कापेल बे से जोगिन्द्र नगर तक 6 कि.मी. उत्तर दक्षिण पट्टी का निर्माण	13.03.2006 को स्वीकृति प्रदान की गई
2.	हरियाणा	हरियाणा राज्य में 4/6 लेन के कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस वे परियोजना	22.02.2007 को स्वीकृति प्रदान की गई
3.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू में कोटमोकम से लोट गांव तक सड़क	10.03.2006 को स्वीकृति प्रदान की गई
4.	केरल	नाबार्ड परिसम्पत्ति आरआईडीएफ स्कीम के अंतर्गत वन सड़क	14.06.2006 स्वीकृति प्रदान की गई
5.	मध्य प्रदेश	भोपाल-सेहोर-देवास सड़क-4 लेन सड़क परियोजना एसएच-18	31.01.2007 को स्वीकृति प्रदान की गई
6.	उत्तर प्रदेश	जिला आगरा में आगरा-इटावा ब्रोड गंगा लाईन परियोजना	21.02.2006 को स्वीकृति प्रदान की गई
2007			
7.	गुजरात	वीजीएफ के अंतर्गत बीओटी आधार पर चयनित सड़कों से दो अतिरिक्त लेनों का निर्माण	29.05.08 का स्वीकृति प्रदान की गई
8.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू-कश्मीर-मेघालय सड़क परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी	15.05.07 को स्वीकृति प्रदान की गई
9.	कर्नाटक	देवनाहल्ली तालुक, कर्नाटक में आउटर रिंग रोड से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एक्सप्रेस वे का निर्माण	06.07.2007 को स्वीकृति प्रदान की गई

1	2	3	4
10.	मध्य प्रदेश	जाओरा-मंदसोर-नीमच-नया गांव सड़क सी-4 लाईन परियोजना एसएच-31	04.04.2007 को स्वीकृति प्रदान की गई
11.	महाराष्ट्र	बेराला-चिकहाली-अमदापुर-खामगांव सेक्टर-1 एसएच-16 को 4 लेन का बनाना	17.01.2008 को स्वीकृति प्रदान की गई
12.	महाराष्ट्र	जालना देवलगांव राज-बेराला सेक्टर-1 एसएच-176 को 4 लेन का बनाना	16.1.08 को स्वीकृति प्रदान की गई
13.	उत्तर प्रदेश	ताज एक्सप्रेस वे परियोजना	11.04.2007 को स्वीकृति प्रदान की गई
2008			
14.	गुजरात	वीजीएफ के अंतर्गत बीओटी आधार पर अहमदाबाद-विराम गांव-मालवीय रोड सेक्शन पर दो लेन का अतिरिक्त निर्माण	29.05.2008 को स्वीकृति प्रदान की गई
15.	गुजरात	वीजीएफ के अंतर्गत बीओटी आधार पर राजकोट-जामनगर-वादीनार रोड सेक्शन पर दो लेन का अतिरिक्त निर्माण	09.05.2008 को स्वीकृति प्रदान की गई
16.	गुजरात	वीजीएफ के अंतर्गत बीओटी आधार पर दीसा-पाटनवाडा-गुंडारी रोड सेक्शन पर दो लेन का अतिरिक्त निर्माण	07.11.2008 को स्वीकृति प्रदान की गई
17.	कर्नाटक	कर्नाटक एसएच सुधार परियोजना-II	13.01.2009 को स्वीकृति प्रदान की गई
18.	केरल	केरल राज्य में वालयर-वाडक्कनचेरी सेक्शन को-2 लेन से 4/6 लेन का बनाना	15.09.2008 को स्वीकृति प्रदान की गई
19.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में तालेगांव-अमरावती सेक्शन 4/6 लेन लेन का बनाना	5.08.2008 को स्वीकृति प्रदान की गई
20.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में फरक्का से रायगंज सेक्शन का 2 लेन से 4/6 लेन का बनाना	16.09.2008 को स्वीकृति प्रदान की गई
2009			
21.	आंध्र प्रदेश	लिंग रोड-एम 74, 54सी, 55ए, 55बी, 55सी, 65ए, 67सी-चिंतामणि बाईपास आंध्र प्रदेश बार्डर	05.06.2009 को विषय जारी किए गए

1	2	3	4
22.	झारखंड गोविंदपुर-जमतारा-दुमका-बारहट-साहेबगंज रोड, सड़क निर्माण विभाग, झारखंड द्वारा		विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 12-14 मार्च 2009 और 25-26 जून, 2009 को आयोजित बैठक में विचार किया गया। समिति ने स्वीकृति की सिफारिश की है।

इसरो द्वारा समर्पित उपग्रहों का प्रक्षेपण

1539. श्री वैजयंत पांडा :

श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का विचार आगामी वर्षों में विशेषकर समुद्र-संचार निगरानी आदि जैसे समर्पित उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसरो द्वारा किन स्वदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किए जाने की संभावना है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2009 में प्रमोचित किए जाने हेतु प्रस्तावित उपग्रहों का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

(i) ओशनसैट-2:

यह उपग्रह ओशनसैट-1 का प्रतिस्थापन करता है, जिससे समुद्री सतह कलर एवं पवन से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण करने का विचार है।

(ii) जी-सैट-4:

उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन करने के लिए इस परीक्षण संचार उपग्रह का प्रमोचन 2009 के चौथी तिमाही के लिए निर्धारित है।

(ग) इन उपग्रहों से, जिन लाभों को प्राप्त होने की संभावना है, वे निम्नानुसार हैं:-

(i) ओशनसैट-2:

इस उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग बहु-स्पेक्ट्रमी बैंडों में समुद्री सतह कलर के मापन हेतु किया जाता है, जिसका संभाव्य मात्स्यिकी क्षेत्रों और मौसम पूर्वानुमान में सहायक समुद्र सतह की हवा की पहचान के लिए भी उपयोग किया जाता है।

(ii) जी-सैट-4:

के.ए. बैंड एवं संबद्ध उपग्रह प्रणालियों का उपयोग करते हुए उन्नत संचार उपग्रह प्रौद्योगिकियों की योग्यता प्राप्त करने के लिए एक परीक्षण मंच के रूप में इस उपग्रह का उपयोग किया जाता है। उपग्रह प्रौद्योगिकियों, जैसे आयन नोदन, उपग्रह अनुवर्तन आदि के प्रदर्शन के लिए भी इस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह उपग्रह गगन नामक उपग्रह आधारित वायु नौसंचालन के लिए एक परीक्षाणात्मक नीतभार का भी वहन करेगा, जो जीपीएस संकेतों की परिशुद्धता, उपलब्धता तथा विश्वसनीयता का सुधार करता है।

[हिन्दी]

एमपीलैड योजना**1540. श्री अर्जुन मुंडा :****डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :**

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के लाभों, उपलब्धियों तथा निष्कर्षों की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना के क्रियान्वयन में, अन्य योजनाओं, जो कि इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं हैं, में धनराशि के उपयोग जैसी कोई विसंगतियां पाई गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) :
(क) नोडल जिला प्राधिकारियों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों के अनुसार एमपीलैड योजना की शुरुआत से जारी किए गए 19514.25 करोड़ रुप में से 30.6.2009 तक 18304.59 करोड़ रु. की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ख) और (ग) एमपीलैडस संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र, राज्य और जिले के अधिकारियों द्वारा योजना की समीक्षा और निगरानी की व्यवस्था के अलावा मंत्रालय ने एक स्वतंत्र अभिकरण, नेबकान्स द्वारा योजना के अंतर्गत निष्पादित सैंपल कार्यों की वास्तविक निगरानी के लिए एक पहल की है। अध्ययन से, अभिकरण ने यह पाया है कि एमपीलैड योजना आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना के निर्माण के लिए अनन्य योजना है। स्थानीय समुदाय ने इस योजना को, इसमें अंतर्निहित प्रभावशाली घटकों के कारण स्वीकार किया है

और इसका अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों सहित ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर समग्र सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(घ) से (च) अन्य योजनाओं के लिए निधि के किसी अंतरण की सूचना नहीं मिली है।

[अनुवाद]

वायरोलाजी इंस्टीट्यूट की स्थापना

1541. श्री एंटो एंटोनी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सहित राज्य सरकारों से राज्य में विषाणु वायरोला जी इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थानों की कब तक स्थापना कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में एन आई.वी. क्षेत्र स्टेशन को पुनः आरम्भ करने तथा अल्लापुजा (केरल) में एन.आई.वी., पुणे का फील्ड स्टेशन, स्थापित करने के लिए फरवरी, 2007 में कहा था।

(ग) अल्लापुजा (केरल) और गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में एन. आई.वी. पुणे के दोनों फील्ड स्टेशनों का गठन मार्च 2008 में कर दिया गया है।

विकास दर का धीमा पड़ जाना**1542. श्री किसनभाई वी. पटेल :****श्री प्रदीप माझी :**

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण देश की विकास दर धीमी पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने का है जिन पर वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) भारतीय अर्थव्यवस्था (1999-2000 की कीमतों में कारक लागत पर जीडीपी के संदर्भ में मापी गई) की विकास दर वर्ष 2007-08 में 9 प्रतिशत थी, जो 2008-09 वैश्विक वित्तीय नमी के कारण और विकसित अर्थव्यवस्था में मंदी के परिणामस्वरूप घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई।

(ग) और (घ) सरकार का अवसंरचना, दूरसंचार, बिजली उत्पादन, हवाई अड्डों, सड़कों, रेलवे में निवेश को बढ़ाने और विनिर्माण एवं निर्यात क्षेत्र में मंदी से उबारने का प्रस्ताव है।

(ङ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विनिर्माण क्षेत्र और निर्यात क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के उपायों के साथ-साथ, विकास गति को बनाए रखने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक दोनों तरह के उपाय किए हैं। राजकोषीय उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ योजना व्यय बढ़ाना, अप्रत्यक्ष करों में कमी करना, आदि शामिल हैं। आरबीआई द्वारा मौद्रिक एवं क्रेडिट संबंधी किए गए उपायों का संबंध पर्याप्त लिक्विडिटी एवं क्रेडिट डिलीवरी का प्रावधान करने, बैंकों के लिए कैश रिजर्व और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी अनुपात (सीआरआर ऐंड एसएलआर) में कमी करने से है। इन उपायों को निर्यात, आवास, सूक्ष्म एवं मझोले उद्यमों और अवसंरचना के लिए क्षेत्र विशिष्ट क्रेडिट के साथ जोड़ा गया है।

[हिन्दी]

खनिज समृद्ध क्षेत्रों में खनन से प्रदूषण

1543. श्री यशवंत लागुरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर देश के खनन: खनिज समृद्ध क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सरकार ने इन क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर का कोई नियमित आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार और वर्ष-वार इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) विभिन्न शहरों और कस्बों में खनिज दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों के निकट संवेदनशील रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में परिवेशी वायु गुणता की निगरानी कर रहा है। झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक राज्यों की भूमिका देश के खनिज रूप से समृद्ध क्षेत्रों का प्रमुख शेर है। खनन वाले खनिज समृद्ध क्षेत्रों के निकट इन राज्यों के शहरों/कस्बों में परिवेशी वायु गुणता की मानीटरी कर्नाटक में बंगलौर, बेलगांव और मंगलौर, झारखंड में धनबाद और झरिया, उड़ीसा में तलचर और अंगुल और राजस्थान में उदयपुर में की जा रही है। इन कस्बों की परिवेशी गुणता के परिणाम यह दर्शाते हैं कि सल्फर डायऑक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइड राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणता मानकों के अंदर है। तथापि, श्वसनीय निलंबित विविक्त पदार्थ (आर.एस.पी.एम.) के स्तर मानकों से अधिक हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान झरिया, अंगुल, बंगलौर और मंगलौर के आर.एस.पी.एम. के स्तर बढ़ रहे हैं और धनबाद, तलचर, उदयपुर और बेलगांव शहरों में उतार-चढ़ाव का रुख है। संबंधित परिवेशी वायु गुणता संबंधी आंकड़ें संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) इन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) इस्पात अयस्क खनन पर व्यापक औद्योगिक दस्तावेज तैयार किया गया है तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों एस.पी. सी.बी. के माध्यम से दिशा-निर्देश क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

(ii) कोयला खानों के लिए मानक इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किए गए हैं।

- (iii) संवेदनशील रूप से प्रदूषित क्षेत्रों, जिनमें पर्यावरणीय गुणवत्ता के पुनरुद्धार के लिए खनन क्षेत्र भी शामिल हैं, के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं।
- (iv) खनन परियोजनाओं को सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति लेना अपेक्षित है।
- (v) खनन क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।
- (vi) परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अनुपालन हेतु अधिसूचित किए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानीटरी कार्यक्रम (एम ए एम पी) के अंतर्गत खनन क्षेत्रों में
मानीटरी स्टेशनों की राज्य-वार सूची

1	2	3	शहर	स्टेशन का स्थल	स्टेशन का प्रकार	2006			2007			2008			2009 (जनवरी से अप्रैल)		
						SO2	NO2	RS PM	SO2	NO2	RS PM	SO2	NO2	RS PM	SO2	NO2	RS PM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
झारखंड	धनबाद	क्षेत्रीय कार्यालय	R	19	52	109	20	52	107	19	44	131	19	44	247		
	झरिया	एम.ए.डी.ए.	I	20	55	163	20	52	180	19	45	200	18	43	301		
उड़ीसा	तलचर	टी.टी.पी.एस. कालोनी	I	9	19	91	8	18	74	10	19	90	—	—	—		
		कोयला क्षेत्र	I	9	19	85	10	15	89	14	24	99	—	—	—		
	अंगुल	इन्डस्ट्रियल एस्टेट	I	7	14	107	6	17	128	6	22	127	6	23	157		
		नाल्को नगर टाउनशिप	R	5	21	69	5	19	71	8	18	89	8	17	90		
राजस्थान	उदयपुर	क्षेत्रीय कार्यालय	I	8	46	109	13	34	143	13	31	67	5	25	107		
		टाउन हाल	R	7	43	65	8	28	65	8	25	59	—	—	—		
		अम्बमाता	R	7	36	60	7	23	78	7	23	61	6	26	103		
कर्नाटक	बंगलौर	ग्रेफाइड इंडिया लिमिटेड	I	23	39	156	17	41	124	16	42	161	16	17	46		
		के.एच.बी. औद्योगिक क्षेत्र	I	21	37	55	16	39	77	15	40	71	15	41	89		
		पीन्या औद्योगिक क्षेत्र	I	18	35	79	17	39	86	15	41	123	15	41	48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	अम्को बैटरीज	R	20	37	54	17	38	62	15	40	76	15	43	82	
	यशवंतपुर	I	18	37	54	17	39	64	15	41	104	15	43	230	
	लक्कमनहली औद्योगिक क्षेत्र	R	2	4.5	45	4.5	4.5	90	3	12	100	4	14	102	
	रानी चैनम्मा सर्कल	R	2	4.5	67	4.5	4.5	145	3	12	107	4	13	83	
	बेलगांव कर्नाटक रा.प्र.नि. बोर्ड	I	2	14	29	2	16	39	2	14	33	2	17	46	
	मंगलौर स्टाईडस परिसर	I	8	4.5	52	7	4.5	62	7	7	60	7	6	66	

सभी मान ugm^2 में है

[अनुवाद]

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण

1544. श्री वरुण गांधी :

श्री नवीन जिन्दल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) एन.जी.आर.बी.ए. को कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई;

(घ) इस धनराशि की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश की अन्य नदियों के लिए भी ऐसे प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(च) यदि हां, तो पहचान की गई ऐसी नदियों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसके परिणामस्वरूप जल प्रबंधन में कितना सुधार हुआ है अथवा सुधार होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गंगा नदी के लिए एक शक्ति सम्पन्न नियोजन, वित्तपोषण, मानीटरिंग और समन्वयक प्राधिकरण की स्थापना के लिए दिनांक 20.02.2009 की एक अधिसूचना द्वारा 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (एनजीआरबीए) का गठन किया है। प्रधानमंत्री इस प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष हैं और संबंधित केन्द्रीय मंत्री तथा जिन राज्यों से गंगा बहती है, अर्थात् उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री इसके सदस्य हैं। प्राधिकरण के कार्यों में सतत विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गंगा नदी के प्रदूषण उपशमन और संरक्षण के लिए कार्यक्रमों के नियोजन और निष्पादन के लिए आवश्यक सभी उपाय शामिल हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2009-10 के केन्द्रीय बजट में एनजीआरबीए के लिए 250 करोड़ रु. का परिव्यय शामिल है। राज्यों में परियोजना क्रियान्वयन अधिकरणों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अर्थात् कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति, उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि के आधार पर धनराशि जारी की जाएगी।

(ङ) से (छ) इस समय देश की अन्य नदियों के लिए नदी बेसिन प्राधिकरण गठित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

म्यांमार के साथ सड़क नेटवर्क

1545. डॉ. थोकचोम मैन्सा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यांमार को मणिपुर में मोरेह में राष्ट्रीय राजमार्ग-39 के साथ जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में हुई प्रगति की क्या स्थिति है;

(घ) क्या सरकार का विचार सड़क संपर्क बढ़ाने हेतु म्यांमार के साथ द्विपक्षीय वार्ता आरंभ करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों को क्या-क्या लाभ होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ग) जी हां, मोरेह (मणिपुर) को म्यांमार से तामू-कलेत्वा-कलेम्यों (टीकेके) सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा गया है, जिसका निर्माण और उन्नयन भारत सरकार की सहायता से 2001 में सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है।

(घ) से (च) भारत और म्यांमार के बीच जवखाथेर (मिजोरम)/रि से म्यांमार तक सड़क मार्ग बनाने सहित अन्य सड़क मार्ग परियोजनाओं को शुरू करने के लिए चर्चा चल रही है। ये सड़क मार्ग भारत और म्यांमार के बीच बहुमूल्य सीमा-पार संपर्क की व्यवस्था करने के अलावा सीमा के दोनों ओर के क्षेत्रों के व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे।

[हिन्दी]

औद्योगिक इकाइयों को कोयले की आपूर्ति

1546. श्री अशोक कुमार रावत :

श्री जगदीश शर्मा :

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कोयला कंपनियां विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों तथा विद्युत संयंत्रों को घटिया कोयले की आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का कंपनी-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में घटिया कोयले की आपूर्ति करने तथा इन इकाइयों को उत्तम कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क)-कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियां, संबंधित सहायक कोयला कंपनियों द्वारा यथा उत्पादित कोयले के ऐसे ग्रेडों के लिए पिछड़े क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों में विद्युत संयंत्रों तथा औद्योगिक यूनिटों को लिंकेज/ईंधन आपूर्ति करार (एफ़ेएसए) के अनुसार कोयले की आपूर्ति करती हैं। गुणवत्ता आश्वासन के लिए, 0.4 मिलियन टन तथा इसकी अधिक की वार्षिक आवश्यकता वाले तापीय विद्युत गृहों तथा सभी बड़े उपभोक्ताओं को संयुक्त नमूनाकरण की सुविधा प्रदान की जाती है। अतः किसी संयंत्र को घटिया कोयले की आपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता है।

(ख) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, घटिया कोयले की आपूर्ति के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कोयला मंत्रालय/विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कोल इंडिया लि. को समय-समय पर पत्थर बोल्टर तथा गीले/चिपके कोयले की आपूर्ति संबंधी शिकायतें प्राप्त होती हैं। कभी-कभी उपभोक्ताओं, मुख्य रूप से विद्युत गृहों से कोयला कंपनियों को सीधे शिकायतें प्राप्त होती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सहायक कंपनियों को विद्युत संयंत्रों से प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09
शिकायतों की सं.	814	773	530

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का कंपनी-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) उद्योगों और तापीय विद्युत संयंत्रों आदि से विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होने पर कोल इंडिया लि. उन्हें आवश्यक जांच तथा उनके समाधान के लिए संबंधित सहायक कंपनियों को भेज देती है। पिछड़े क्षेत्रों के उपभोक्ताओं सहित अन्य उपभोक्ताओं, जहां भी वे हैं, से सीधे शिकायतें प्राप्त होने पर सहायक कंपनियों द्वारा उन पर इसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है।

ऐसी शिकायतों की जांच करने पर यह टिप्पणी की गई है कि मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के दौरान चिपके/भीगे कोयले की प्राप्त कुछ शिकायतें अपरिहार्य होती हैं। जहां तक पत्थर बोल्टर का संबंध है, संयुक्त मूल्यांकन के पश्चात अनलोडिंग छोर पर अलग किए गए स्टोन/बोल्टर के लिए पावर-हाउसों को प्रतिपूर्ति की जाती है।

[अनुवाद]

तेंदुओं की संख्या

1547. श्रीमती मेनका गांधी :

श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सहित देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान तेंदुओं की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में राष्ट्रीय उद्यानों/वन्य जीव अभयारण्यों में मानव-वन्य जीवों के टकराव को रोकने/बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) और (ख) वन्य पशुओं की संख्या में कमी-बेशी होना प्राकृतिक घटना है और प्रिडेशन, बीमारियां, प्रतिद्वंद्वता, मानव-पशु भिड़त, लू लगना आदि विभिन्न कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, मंत्रालय ऐसी किसी रिपोर्ट से अवगत नहीं है जो आंध्र प्रदेश सहित देश में विगत तीन वर्षों के दौरान तेंदुओं की संख्या में कमी दर्शा रही है।

(ग) देश में तेंदुओं सहित वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:-

1. तेंदुओं सहित वन्य जीवों की संकटापन्न प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में शामिल करके, उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।
2. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को समय-समय पर संशोधित किया गया है और इसे वन्यजीवों से संबंधित अपराधों के विरुद्ध अधिक कड़ा बनाया गया है।
3. दुर्लभ पशुओं सहित वन्यजीवों और उनके वास-स्थलों को संरक्षित करने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।
4. वन्यजीवों और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार की जांच करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।
5. राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को वन्यजीवों से समृद्ध क्षेत्रों में और उनके आस-पास फील्ड फार्मेशन्स को और सुदृढ़ बनाने और गश्त में तेजी लाने के लिए अनुरोध किया गया है।
6. वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् वन्यजीव वास-स्थलों का समेकित विकास, 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।
7. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-'वन्यजीवों के वास-स्थलों का समेकित विकास' के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 'संवेदनशील रूप में संकटाग्रस्त प्रजातियों और उनके वास-स्थलों के लिए रिकवरी कार्यक्रम' शुरू करने के लिए एक नया घटक जोड़ा गया है।

इसके अतिरिक्त, मानव-पशु भिड़त को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:-

1. मानव आवासों के बहुत जनदीक पाए गए पशुओं के लिए बचाव कार्य किया जा रहा है।
2. वन स्टाफ द्वारा सतर्कता बढ़ाई गई है और गहन रूप से गश्त लगाई गई है।

3. मृत्यु वन्य पशुओं द्वारा मानवों के मारे जाने पर मानव जीवन को क्षति पहुँचाने पर फसल को नुकसान और मवेशी को उठाकर ले जाने पर लोगों को मुआवजा दिया जाता है।
4. सोलर पावर फेन्सिंग/विद्युत फेन्सिंग, अवरोधकों का निर्माण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
5. राज्य वन विभाग द्वारा वनों के सीमान्तवर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और विद्यालय जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
6. सुरक्षा कार्यों में पारि-विकास और संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय लोगों की भागीदारी।

[हिन्दी]

सरकारी अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं

1548. श्री के.डी. देशमुख : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन अस्पतालों की पहचान की है, जहां शिशु मृत्यु दर बढ़ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अस्पताल-वार इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में प्रस्तावित उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) से (ङ) जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का संबंध है, ये अस्पताल रोगियों को और अधिक तृतीयक स्तर की परिचर्या प्रदान करते हुए बाल रोग चिकित्सा, नवजात शिशु, कार्डियोलॉजी, स्त्री रोग विज्ञान विभागों, आघात परिचर्या केन्द्रों, बर्न्स,

प्लास्टिक एवं मैक्सिलो फेसियल शल्य चिकित्सा, कार्डियक, थोरेसिक और वास्कुलर शल्य चिकित्सा, विकिरण विज्ञान तथा संवेदनाहरण आदि में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इन अस्पतालों में बच्चों को उत्कृष्ट उपलब्ध तृतीयक परिचर्या प्रदान की जाती है। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निवल शिशु मृत्यु दर कम हो गई है। ये अस्पताल रोगियों के प्रबंधन के लिए नए उपकरण, औषधें और तकनीकी साधित्र जोड़ कर विभागों का उन्नयन करने की सतत प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक स्मारकों हेतु राष्ट्रीय संरक्षण नीति

1549. श्री भर्तृहरि महताब :

श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐतिहासिक स्मारकों हेतु एक राष्ट्रीय संरक्षण नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संरक्षण योग्य सांस्कृतिक कलाकृतियों के रूप में ऐतिहासिक शहरों को मान्यता देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले विशेषकर आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित ऐतिहासिक शहर कौन-कौन से हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) ऐतिहासिक स्मारकों के लिए राष्ट्रीय संरक्षण नीति बनाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मौजूदा पद्धति के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित घोषित स्मारकों का अनुरक्षण और संरक्षण पुरातत्वीय सिद्धान्तों के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता और कार्य की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगरों में ऐतिहासिक भवनों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और

अवशेष अधिनियम, 1958 के संगत उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है।

(ड) प्रश्न नहीं उठता।

वैक्सीन संबंधी राष्ट्रीय नीति

1550. श्री चंद्रकांत खैरे :

श्रीमती जयाप्रदा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वैक्सीन संबंधी राष्ट्रीय नीति लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) भारत सरकार की 2005-10 के लिए पहले ही भारत में रोग प्रतिरक्षण के लिए एक व्यापक बहुवर्षीय योजना है। सरकार 2010-2017 की अवधि के लिए देश में रोग प्रत्यक्षण की एक बहुवर्षीय योजना तैयार करने पर कार्य कर रही है। सरकार निकट भविष्य में देश के लिए एक वैक्सीन नीति बनाने पर विचार करेगी।

निर्धनों को निःशुल्क दवाओं की आपूर्ति

1551. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धनों और जरूरतमंदों को आवश्यक दवाओं की निःशुल्क आपूर्ति के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत शामिल की जाने वाली प्रस्तावित दवाओं तथा रोगों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) से (ग) सरकार ने विशेष तौर पर दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद रोगियों के लिए उच्चकोटि की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जन स्वास्थ्य प्रदायगी प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रचालन किया है। एन.आर.एच.एम. में दवाइयों और अन्य उपभोग्यों के प्रापण

तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन संबंधी प्रक्रियाओं में व्यापक उन्नयन की संकल्पना भी की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अस्पताल में गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनिवार्य दवाइयां उपलब्ध हो सकें।

सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा प्रमुख जानलेवा रोगों से पीड़ित रोगियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाती है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत इस सहायता से रोगियों को किसी भी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल/संस्थान अथवा अन्य सरकारी अस्पताल में विकित्सा उपचार प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

एन.आर.एच.एम. एक क्षेत्र व्यापी पहल है तथा यह प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (II), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, समेकित रोग निगरानी सहित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यक्रमों को व्यापक संरक्षण प्रदान करता है। एन.आर.एच.एम. में भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आई.पी.एच.एल.) के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं में संपूर्ण उन्नयन की संकल्पना की गई है तथा इसमें इस प्रयोजनार्थ आवश्यक सभी अनिवार्य दवाइयां शामिल हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रोगियों हेतु स्मार्ट कार्ड

1552. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रोगियों के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावित कार्डों को जारी करने में कितना व्यय होने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) से (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड जारी करने के संबंध में मंत्रालय के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है।

यू.के. में अप्रवासी भारतीयों का उत्पीड़न

1553. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रवासी भारतीय अन्य देशों, विशेषकर यू.के. में उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अप्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) सरकार को कुछ देशों में भारतीय उत्प्रवासियों के उत्पीड़न की कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जहां तक ब्रिटेन का संबंध है, ब्रिटेन में हमारे मिशन से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि ब्रिटेन में भारतीय उत्प्रवासियों के उत्पीड़न की ऐसी कोई सूचना नहीं है।

समय-समय पर मंत्रालय और विदेशों में भारतीय मिशनों को भर्ती एजेंटों, विदेशी नियोक्ताओं तथा धोखेबाज विचौलियों द्वारा भारतीय उत्प्रवासी कामगारों के शोषण की शिकायतें मिलती रहती हैं। ये शिकायतें मुख्य रूप में धोखेबाजी, अधिक पैसा लेने, नियोक्ताओं द्वारा संविदा का उल्लंघन करने जैसे कि वेतन का भुगतान न करने/देरी से करने, चिकित्सा सुविधाओं और उचित भोजन उपलब्ध न कराने तथा रहन-सहन की खराब परिस्थितियां होने आदि से संबंधित होती हैं।

ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर और उनकी अपेक्षित जांच करके संबंधित भर्ती एजेंटों अथवा अंजीकृत एजेंटों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे धोखेबाज एजेंटों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों को निर्देश दें।

विदेशी नियोक्ता जो भारतीय कामगारों को परेशान करने में लिप्त पाए जाते हैं उन्हें पूर्व अनुमोदन श्रेणी में रखा जाता है। इस समय 355 विदेशी नियोक्ता पूर्व अनुमोदन श्रेणी में सूची में हैं।

धोखेबाजी और शोषण के विरुद्ध संरक्षण के लिए द्विपक्षीय सहयोग की आवश्यकता होती है। दिसम्बर, 2006 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ, अप्रैल, 2007 में कुवैत के साथ, नवम्बर, 2008 में ओमान के साथ, जनवरी, 2009 में मलेशिया के साथ और 17 जून, 2009 को बहरीन के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

[हिन्दी]

नवजात शिशुओं की मृत्यु

1554. श्री जगदम्बिका पाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में नवजात शिशुओं की मृत्यु के अनेक मामले जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) भारत के लिए सूचित नवजात शिशु मृत्यु दर 36 प्रति हजार जीवित जन्म है (नमूना पंजीयन सर्वेक्षण 2007)। भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 के लिए राज्यवार यथा सूचित नवजात मृत्यु दर के आकलन संलग्न विवरण में दिए गए हैं। नवजात मौतों के प्रमुख कारण हैं:

- सेप्सिस
- जन्म के समय निम्न वजन तथा
- श्वासावरोध।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [2005-12] के अंतर्गत प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम II [2005-10] में व्यापक रूप से उन कार्यकलापों को समाकलित किया गया है जिनसे बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होता है तथा बच्चों में होने वाली मौतों के लिए जिम्मेवार कारकों पर काबू पाया जाता है।

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के घटक जिनसे बाल रुग्णता एवं मृत्यु में कमी लाने में सहायता मिलती है, निम्नलिखित हैं:

- i. अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या
- ii. रोग प्रतिरक्षण
- iii. शिशु तथा छोटे बच्चे का आहार
- iv. विटामिन ए संपूरण एवं आयरन और फोलिक एसिड संपूरण

- v. तीव्र श्वसनी संक्रमणों, अतिसार एवं अन्य संक्रमणों की शुरू में ही पहचान एवं समुचित उपचार
- vi. समेकित नवजात एवं बाल्यकालीन बीमारी उपचार (आई.एम.एन.सी.आई.) एवं सेवापूर्व आई.एम.एन.सी.आई.
- vii. सुविधा आधारित नवजात शिशु परिचर्या।

विवरण

नवजात शिशु मृत्यु दर, भारत तथा बड़े राज्य, 2007

क्र.सं.	भारत/बड़े राज्य	2007
1	2	3
	भारत	36
1.	आंध्र प्रदेश	33
2.	असम	34
3.	बिहार	31
4.	छत्तीसगढ़	41
5.	दिल्ली	20
6.	गुजरात	37
7.	हरियाणा	34
8.	हिमाचल प्रदेश	31
9.	जम्मू और कश्मीर	39
10.	झारखंड	28
11.	कर्नाटक	26
12.	केरल	7
13.	मध्य प्रदेश	49
14.	महाराष्ट्र	25

1	2	3
15.	उड़ीसा	49
16.	पंजाब	29
17.	राजस्थान	44
18.	तमिलनाडु	23
19.	उत्तर प्रदेश	48
20.	पश्चिम बंगाल	28

स्रोत : नमूना पंजीयन प्रणाली, महापंजीयक, भारत

नोट : नवजात शिशु मृत्यु दर - किसी वर्ष प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के प्रथम माह (28 दिन के भीतर) के भीतर मरने वाले शिशुओं की संख्या।

[अनुवाद]

प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम

1555. श्रीमती प्रिया दत्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियम और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए हरियाणा सहित पूरे देश में अवैध रूप से लिंग निर्धारण क्लीनिक्स कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) से (ग) पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. एक्ट का उल्लंघन होने पर दायर मुकदमे राज्य/जिला सरकार की जानकारी में लाए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में एन.सी.आर.बी. के अनुसार कुल 86,125 तथा 96 मामले देश में क्रमशः 2005.-06 एवं 2006.-07 के दौरान दर्ज किए गए।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पुत्रियों के चुनिंदा उन्मूलन की सूचना देने वालों के लिए शुरू की गई पुरस्कार योजना, राज्य/जिला स्तरों पर निरीक्षण और अनुवीक्षण दलों की स्थापना, कन्या शिशु के मुद्दे संबंधी मुहिम में पंचायतों की भागीदारी, मुख्य सचिवों की अध्यक्षता

में निदानालयों के अनुवीक्षणार्थ कार्य दल और पी.सी. तथा पी.एन. डी.टी.एक्ट 1994 संबंधी विधिक मामलों पर जनता, सेवाग्राहीता, एवं सेवा प्रदायक के लिए जपगरूकता मुहिमों सहित इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु कदम उठाए हैं।

महिलाओं में मोटापा

1556. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोषण-संबंधी रोगों पर एक बहु-केन्द्री अध्ययन (2005-08) के अनुसार देश में 35 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में मोटापे और अधिक वसा के लक्षण पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) उपलब्ध सूचनानुसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रजननोत्तर अवधि में महिलाओं में पोषण संबंधी गैर संचारी रोगों के समुचित निवारण और रोकथाम कार्यनीतियों के विकास पर एक बहुकेन्द्रीक अध्ययन के लिए जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली इसका समन्वयकारी केंद्र है, 2005 में वित्तपोषण किया है। अध्ययन अभी जारी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अवैध कोयला खनन

1557. श्री इन्दर सिंह नामधारी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड स्थित मगध और अशोक कोयला खानों सहित देश में विभिन्न कोयला क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधिया चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जानकारी में आए ऐसे मामलों का कंपनी-वार और कोयला खान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अवैध कोयला खनन की घटनाएं अधिकारियों और कोयला माफिया की मिलीभगत से चल रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो दोषियों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(च) कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने क्या दपाय किए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) :

(क) से (ग) अवैध कोयला खनन अधिकांशतः पुराने और परित्यक्त खानों, छोटे और पृथक पैचों, पुराने खनित क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों में किया जाता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों के पट्टाधारी क्षेत्रों में नहीं है। अवैध खनन की गतिविधियां गुप्त स्वरूप की होने के कारण इस प्रकार खनित कोयले की ठीक-ठीक मात्रा का पता लगा पाना संभव नहीं है।

तथापि, कोयला कंपनियों द्वारा सुरक्षा कार्मिकों द्वारा मारे गए छापों तथा संबंधित राज्य सरकार के कानून और व्यवस्था के प्राधिकारियों के साथ संयुक्त छापों के परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों के दौरान बरामद किए गए कोयले की अनुमानित मात्रा निम्नानुसार है:-

(मई, 2009 तक)

कंपनी	2009-10 (अनं.)		2008-2009		2007-2008		2006-2007	
	मामलों/ घटनाओं की सं.	बरामद कोयले की मात्रा (टन में)	मामलों/ घटनाओं की सं.	बरामद कोयले की मात्रा (टन में)	मामलों/ घटनाओं की सं.	बरामद कोयले की मात्रा (टन में)	मामलों/ घटनाओं की सं.	बरामद कोयले की मात्रा (टन में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ईसीएल	193	1510.00	708	6529.00	262	2497.00	417	3528.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बीसीसीएल	65	271.67	284	2050.96	61	131.00	59	63.00
सीसीएल	19	0.00	157	93.00	508	429.90	460	404.00
एनसीएल	0	0.00	0	00.00	0	0.00	0	0.00
डब्ल्यूसीएल	0	0.00	1	11.00	3	41.00	6	38.50
एसईसीएल	0	0.00	0	00.00	1	40.00	16	541.31
एमसीएल	0	0.00	0	00.00	0	0.00	0	0.00
एनईसी	4	0.00	4	00.00	5	0.00	3	0.00
जोड़ सीआईएल	281	1781.67	1154	8683.96	840	3138.90	961	4574.81

ईसीएल - ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

एसईसीएल - साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

बीसीसीएल - भारत कोकिंग कोल लि.

एमसीएल - महानदी कोलफील्ड्स लि.

सीसीएल - सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.

एनईसी - नार्थ-ईस्ट कोलफील्ड्स

एनसीएल - नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.

सीआईएल - कोल इंडिया लि.

डब्ल्यूसीएल - वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

अशोका और मगध कोलफील्डों में अवैध खनन की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (च) सीआईएल से प्राप्त सूचना के अनुसार, कोयले के अवैध खनन की घटना में अधिकारी और कोल माफिया के बीच मिलीभगत होने से संबंधित कोई सूचना नहीं है।

कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। इसलिए अवैध खनन को रोकने/नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई करना राज्य/जिला प्रशासन का प्रमुख उत्तरदायित्व है। तथापि, अवैध खनन को रोकने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:-

(क) अवैध खनन से उत्पन्न रैट होलों को, जहां भी संभव होता है, पत्थर तथा मलबे से डोज आफ किया जा रहा है तथा भरा जा रहा है।

(ख) परित्यक्त खानों के मुहाने पर कंकरीट की दीवारें बनायी गयी हैं ताकि इन क्षेत्रों में पहुंच तथा अवैध खनन को रोका जा सके।

(ग) सुरक्षा कार्मिकों तथा स्थिर सुरक्षा कर्मियों द्वारा नियमित छापे मारे जाते हैं/जांच की जाती है और रात्रि के दौरान सशस्त्र गाड़ों सहित स्थिर सुरक्षा पिकेटों को पिटहैड डिपुओं पर तैनात किया गया है।

(घ) सुरक्षा कार्मिकों और संबंधित राज्य सरकार के कानून तथा व्यवस्था प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से औचक छापे मारे जाते हैं/जांच की जाती है।

(ङ) विभिन्न अवैध खनन स्थलों की फेंसिंग की जा रही है जिस पर "खतरनाक तथा निषिद्ध स्थान" वाले साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं।

- (च) जिन खनित क्षेत्रों में खनन किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, उनमें ओवरबर्डन डम्प किया जा रहा है।
- (छ) कोयले के अवैध डिपुओं तथा कोयले की अवैध ढुलाई के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त करना तथा निवारक कार्रवाई करने के लिए उसकी सूचना जिला प्राधिकारियों को देना।
- (ज) परिवहन दस्तावेजों की जांच करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर चैक-पोस्ट स्थापित करना।
- (झ) सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मौजूदा सुरक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण, सीआईएसएफ कार्मिकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा सुरक्षा विभाग में नए भर्ती किए गए लोगों को मौलिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (ञ) कोयला कंपनियां राज्य प्राधिकारियों के साथ गहन सम्पर्क बनाए रखती हैं।
- (ट) अवैध खनन के विभिन्न पहलुओं की निगरानी करने के लिए पश्चिम बंगाल तथा झारखंड की राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों (ब्लाक स्तर, उप मंडल स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर) पर संयुक्त समिति/कार्यबलों का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय श्रमिकों का प्रवास

1558. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या गत कुछेक वर्षों में विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या विदेश जाने वाले कामगारों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए आव्रजन कार्यालयों में जनशक्ति की कमी और उचित अवसंरचना का अभाव है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) भारतीय श्रमिकों का पारगमन निरंतर बढ़ रहा है हालांकि वर्तमान वर्ष के दौरान यह धीमा हुआ है। 90 प्रतिशत से अधिक भारतीय उत्प्रवास 'उत्प्रवास जांच अपेक्षित' वाले देशों को होता है।

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्प्रवास स्वीकृति के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

1. 2006	6,76,912
2. 2007	8,09,453
3. 2008	8,48,601
4. 2009 के दौरान (जनवरी से जून)	3,27,356

(ग) से (ङ) जहां तक प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का संबंध है, उत्प्रवास संरक्षियों के कार्यालयों में जनशक्ति अथवा अवसंरचना की कोई कमी नहीं है।

गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हवाई पत्तनों पर उत्प्रवास कार्यालयों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकत्ता और अमृतसर स्थित उत्प्रवास जांच चौकियों और पंजीकरण कार्यालयों, जिनका प्रबंध उत्प्रवास ब्यौरों द्वारा किया जाता है, में जनशक्ति की कमी अथवा अवसंरचना कोई अभाव नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों, जहां उत्प्रवास नियंत्रण का प्रबंध केन्द्र सरकारों की एक एजेंसी के रूप में राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, में अवसंरचना को कोई कमी नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित कुछ अन्य उत्प्रवास जांच चौकियों में जनशक्ति की कमी की सूचना मिली है।

गृह मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि सुरक्षा जांच को बढ़ाने और साथ ही यात्रियों की कठिनाईयों को कम करने के लिए कम्प्यूटर प्रणाली को उन्नत को बनाकर, उत्प्रवास नियंत्रण साफ्टवेयर कार्यान्वित करके, पासपोर्ट रीडिंग मशीन और आशंकित दस्तावेजों की जांच मशीनों आदि की स्थापना करके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों पर उत्प्रवास प्रणाली को आधुनिक बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने उनके नियंत्रण में प्रत्येक उत्प्रवास जांच चौकियों पर पर्याप्त स्टाफ तैनात करने को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है।

वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लंबित परियोजनाएं

1559. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश और गुजरात से संबंधित अनेक परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उनके शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) से (ग) इस समय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वनभूमि को वनेतर प्रयोजनों के लिए डायवर्ट करने के लिए पूर्व मंजूरी दिए जाने से संबंधित 26 प्रस्ताव गुजरात के तथा 21 प्रस्ताव मध्य प्रदेश के लंबित पड़े हैं।

केन्द्र सरकार ने विकास संबंधी कार्यों के लिए 1 हैक्टेयर तक वन भूमि के डायवर्शन के लिए राज्य सरकार को सामान्य मंजूरी देने के प्रावधान करते हुए प्रस्तावों को तेजी से निपटाने के लिए कदम उठाए हैं। केन्द्र सरकार ने खनन और अनारक्षण को छोड़कर, 5 हैक्टेयर से कम वन भूमि से संबंधित प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए मुख्य वन संरक्षण, इसके क्षेत्रीय कार्यालयों को शक्तियां प्रत्यायोजित की है। 40 हैक्टेयर तक की वन भूमि से संबंधित प्रस्तावों पर राज्य सलाहकार समूह के जरिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जाती है। केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा स्थल की अनिवार्य जांच पूर्व में 50 हैक्टेयर भूमि की तुलना में अब 100 से अधिक वन भूमि के प्रस्तावों के मामले में की जाती है। इन कदमों से निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आई है।

[अनुवाद]

बोन में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन

1560. श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन आन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के दलों का हाल में बोन में एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) और (ख) एडहॉक वर्किंग ग्रुप-लॉग टर्म को-आपरेटिव एक्शन (ए डब्ल्यू जी-एलसीए) का छठा सत्र, एडहॉक वर्किंग ग्रुप-क्योटो प्रोटोकॉल (ए डब्ल्यूजी-केपी) का आठवां सत्र तथा जलवायु परिवर्तन पर युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन की सबसाइडरी बॉडीज का तेरहवां सत्र 1-12 जून, 2009 को बोन में सम्पन्न हुआ था। हालांकि ए डब्ल्यू जी-एलसीए में विचार-विमर्शों का उद्देश्य बाली कार्ययोजना अनुसार जलवायु परिवर्तन हेतु कन्वेंशन के पक्षकारों के बीच प्रदूषण न्यूनीकरण अनुकूलन प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्रों में दीर्घावधिक सहयोगात्मक कार्रवाई द्वारा कन्वेंशन को कार्यान्वित करना था, तथापि ए डब्ल्यू जी-केपी में विचार-विमर्श क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि (2012 के बाद) में अनुबंध-1 के पक्षकारों की उत्सर्जनों को कम करने की प्रतिबद्धताओं पर निर्णय लेने के लिए किए गए थे।

ऐसी उम्मीद है कि एक सर्वसम्मत परिणाम निकलेगा और डिसंबर, 2009 में कोपेहेगन में आयोजित होने वाली पक्षकारों की पंद्रहवीं कांग्रेस तथा क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों (एम.ओ.पी.-15) की पांचवीं बैठक में निर्णय को अंगीकार कर लिया जाएगा।

देश में सांस्कृतिक विरासतें

1561. श्री मधु गौड यास्खी :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सांस्कृतिक विरासत केन्द्रों और विरासत/पुरातत्व महत्व के अन्य स्थलों की पहचान की गई है;

(ख) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उनके संरक्षण और परिरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में फ़ैले 3675 संरक्षित स्मारकों/स्थलों का संरक्षण और अनुरक्षण करता है।

(ख) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों का संरक्षण, परिरक्षण, अनुरक्षण, पर्यावरणिक विकास और उनमें पर्यटक संबंधी सुविधाओं का सृजन करना नियमित कार्य है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ये कार्य आवश्यकता के अनुसार और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन किए जाते हैं।

(ग) वर्ष-वार आबंटित निधियां नीचे दी गई हैं:-

लाख रुपए में

2006-07	10860.43
2007-08	12893.70
2008-09	13588.00
2009-10	13065.00

अंगों का दान

1562. श्री आनंदराव अडसुल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार स्वेच्छा से अपने अंगों का दान करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क द्वितीय श्रेणी रेल पास और स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में रेल मंत्रालय से चर्चा की है;

(ग) यदि हां, तो इस पर रेल मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत शव अंग दान को बढ़ावा देने के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार ने अंगों के दान को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) से (च) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी डब्ल्यू पी सं. 813/2004 में अपने दिनांक 06.09.2004 के आदेश के तहत मानव

अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 और मानव अंग प्रतिरोपण नियमावली 1995 के प्रावधानों की जांच करने हेतु एक समिति गठित की थी। इसकी रिपोर्ट दिनांक 25.5.2005 को प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 18.5.2007 को एक राष्ट्रीय मंत्रणा आयोजित की गई और अगस्त 2007 के दूसरे पखवाड़े में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तत्पश्चात दिनांक 18 सितंबर, 2007 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति की सिफारिशों तथा राष्ट्रीय मंत्रणा से उभरी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994 में संशोधन करने तथा अंगदान को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि शव दान को बढ़ावा देने के लिए कतिपय प्रोत्साहन शुरू किए जाने की आवश्यकता है। अनुशंसित प्रोत्साहन निम्नलिखित हैं:-

- (1) सरकार द्वारा व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या स्कीम तैयार की जाए।
- (2) अंग दान किए जाने वाले अस्पताल (इसकी अन्य शाखाओं, यदि कोई हो, सहित) में आजीवन निःशुल्क वृक्क/यकृत की जांच, अनुवर्ती उपचार और परिचर्या।
- (3) अंग दान करने संबंधी कारणों की वजह से मृत्यु जोखिम के प्रति अंग दाता की सुरक्षा के लिए 3 वर्षों के लिए 2 लाख रुपए की एक कस्टमाइज्ड जीवन बीमा पालिसी, जिसमें प्रापक द्वारा एक बार प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए।
- (4) सभी जीवित अंगदाताओं को पहचान पत्र के साथ-साथ राज्य/स्थानीय सरकार द्वारा समादर प्रमाण पत्र जिसमें उसे यहां अनुशंसित विभिन्न लाभ प्राप्त करने और फायदा उठाने के लिए उसकी पात्रता का समर्थन किया जाएगा। इस पहचान-पत्र पर बड़े-बड़े सुस्पष्ट शब्दों में ऐसा स्लोगन लिखा होना चाहिए जैसे "किसी की जान बचाने के लिए धन्यवाद"।
- (5) मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम की धारा 2(के) में यथाविनिर्दिष्ट होने वाले किसी भी व्यय/आय की हानि के लिए मुआवजा।
- (6) शव दाता के पति/पत्नी अथवा एक बच्चे अथवा माता-पिता के लिए भारतीय रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी के किराए पर 50% रियायत।

शव दाता के पति/पत्नी अथवा एक बच्चे अथवा माता-पिता के लिए भारतीय रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी में रियायत संबंधी प्रोत्साहन पर विचार करने के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

**सीजीएचएस औषधालयों को राज्य के
सिविल अस्पतालों से जोड़ना**

1563. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में सीजीएचएस लाभार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों में सीजीएचएस औषधालयों को राज्यों के आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित सिविल अस्पतालों से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) से (ग) प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को राज्य सरकार/निगम निकाय द्वारा स्थापित अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने की अनुमति है। जहां भी सी.जी.एच.एस. वर्तमान में कार्य कर रही है, ये अपने लाभार्थियों को उन्हें दिए जाने वाले उपचार के संबंध में सलाह देने के लिए सरकारी अस्पतालों (राज्य सरकारों/निगम निकायों द्वारा स्थापित अस्पतालों समेत) के विशेषज्ञों के पास रैफर करती है।

[हिन्दी]

जैव-संवर्धित खाद्य पदार्थों के कारण रोग

1564. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव संवर्धित खाद्य पदार्थों के उपयोग के परिणामस्वरूप अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थों में मेंढक और मछली की जीनों को डाला जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण)

अधिनियम, 1986 द्वारा हानिकर सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिकीय तौर पर आविष्कृत जीवों एवं कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात एवं भंडारण हेतु नियमावली 1989 के अधिसूचित नियम 11 में यह प्रावधान किया गया है खाद्य सामग्रियों, खाद्य सामग्रियों के संघटकों और संसाधन सामग्री तथा आनुवंशिकीय तौर पर आविष्कृत जीवों अथवा कोशिकाओं समेत योग्य पदार्थों को मंत्रालय के अंतर्गत जीन अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति (जी ई ए सी) के अनुमोदन के बिना उत्पन्न नहीं किया जाएगा, बेचा व आयात नहीं किया जाएगा अथवा न ही उनका उपयोग किया जाएगा। जी ई ए सी द्वारा भी जैव-संवर्धित (जी एम) खाद्य फसल को भारत में व्यापारिक निर्मुक्ति का अनुमोदन नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

विदेश सचिव की अमरीका यात्रा

1565. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विदेश सचिव ने हाल ही में अमरीका की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो वहां हुई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) नए अमरीकी प्रशासन द्वारा कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात अमरीकी सरकार के निमंत्रण पर विदेश सचिव ने 9-11 मार्च, 2009 के दौरान अमरीका की यात्रा की जिससे कि वे भारत सरकार के साथ अपने परामर्शों को जारी रख सकें। इस यात्रा के दौरान विदेश सचिव और उनके अमरीकी समकक्ष ने भारत-अमरीका द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी की और आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।

जल संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश

1566. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू, सिंचाई और औद्योगिक प्रयोजनार्थ जल लेखापरीक्षा और जल संरक्षण के लिए प्रारूप दिशानिर्देश तैयार किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दिशानिर्देशों का क्या प्रभाव पड़ेगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग ने "घरेलू, सिंचाई एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल लेखा परीक्षा एवं जल संरक्षण के लिए सामान्य दिशानिर्देश" तैयार किये हैं। दिशानिर्देशों में मुख्य रूप से जल आपूर्ति एवं उपयोग अध्ययन, प्रक्रिया अध्ययन, प्रणाली लेखा परीक्षा, निस्सरण विश्लेषण और जल लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित जल लेखापरीक्षा के विभिन्न उपाय शामिल हैं। जल के सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोग से संबंधित पक्षों को रिपोर्ट में शामिल किया गया है। दिशानिर्देशों को राज्यों को परिचालित कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंचाई क्षेत्र में जल लेखा परीक्षा की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

सूचना का अधिकार के कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी

1567. श्री राजैया सिरिसिल्ला : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी के बारे में उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विशेषकर आंध्र प्रदेश का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार ने सूचना का अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से प्रसारण हेतु श्रव्य और श्रव्य-दृश्य दृश्यांकनों/चित्रांकनों (स्पोट्स) की तैयारी, ग्रामीण क्षेत्रों में डाकखानों में पोस्टरों के माध्यम से प्रदर्शन; सूचना मांगने वालों के लिए दिशा-निर्देशों का प्रकाशन; जागरूकता पैदा करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सूचना आयोग को अनुदान सहित राज्य सूचना आयोगों को धनराशि की मंजूरी; शामिल हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम किसी राज्य-विशेष के संबंध में नहीं हैं।

देश में आर्द्र भूमि का संरक्षण

1568. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गुजरात सहित राज्यवार कितनी आर्द्रभूमि और झीले हैं;

(ख) क्या आर्द्रभूमि और झीलों का अतिक्रमण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आर्द्रभूमि और झीलों/जल निकायों को अतिक्रमण से बचाने के लिए उनके संबंध में एक विनियामक प्रणाली लागू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान झीलों और आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए सरकार ने कितनी धनराशि आबंटित/जारी की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) देश में आर्द्र भूमियों और झीलों की संख्या पर कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत अभिज्ञात नमभूमियों और झीलों की संख्या के गुजरात समेत क्रमशः राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। देश में अधिकतर नमभूमियों और झीलों का आकार अतिक्रमणों, मानवीकरण दबावों, अनियंत्रित सिल्टेशन (गादीकरण), वीड इनफेस्टेशन, मूल और औद्योगिक बहिस्त्रावों के उत्सर्जन, कीटनाशकों और उर्वरकों के कारण होने वाले सतही रन-आफ के कारण संकुचित हो रहा है। हालांकि इन पहलुओं पर कोई प्रामाणिक डाटा उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) जैसा कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 में परिकल्पित है, नमभूमियों के संगत उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु एक विनियमित तंत्र जिसे कानूनी रूप से लागू किया जा सके, तैयार किया गया है।

(च) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान नमभूमियों और झीलों के संरक्षण के वास्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	आर्द्र भूमियों की संख्या	झीलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	1
2.	असम	3	—
3.	बिहार	3	—
4.	चंडीगढ़	1	—
5.	गुजरात	8	—
6.	हिमाचल प्रदेश	5	—
7.	हरियाणा	2	—
8.	जम्मू और कश्मीर	12	1
9.	झारखंड	2	—
10.	कर्नाटक	7	16
11.	केरल	5	1

1	2.	3	4
12.	मध्य प्रदेश	13	4
13.	महाराष्ट्र	3	14
14.	मणिपुर	1	—
15.	मेघालय	1	—
16.	मिजोरम	2	—
17.	उड़ीसा	5	1
18.	पांडिचेरी	1	—
19.	पंजाब	4	—
20.	राजस्थान	1	5
21.	सिक्किम	6	—
22.	तमिलनाडु	3	2
23.	त्रिपुरा	2	3
24.	उत्तर प्रदेश	16	1
25.	उत्तराखंड	2	5
26.	पश्चिम बंगाल	6	3
कुल		115	57

विवरण-II

आर्द्र भूमियों हेतु जारी की गई निधियां

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	35.85	—	47.259	—	83.109

1	2	3	4	5	6	7
2.	असम	82.08	50.34	—	—	132.42
3.	गुजरात	78.50	13.90	47.36	—	139.76
4.	हिमाचल प्रदेश	83.09	40.00	30.188	—	153.278
5.	जम्मू और कश्मीर	31.00	33.00	129.39	—	193.39
6.	कर्नाटक	28.29	36.497	33.075	—	97.862
7.	केरल	16.23	—	15.75	—	31.98
8.	मध्य प्रदेश	19.00	49.40	42.94	10.97	122.31
9.	मणिपुर	—	30.00	—	—	30.00
10.	मिजोरम	17.92	53.00	71.99	—	142.91
11.	उड़ीसा	54.95	90.00	27.00	70.44	242.39
12.	पंजाब	105.14	103.27	73.78	30.85	313.04
13.	राजस्थान	61.45	53.00	13.44	—	127.89
14.	सिक्किम	—	16.36	53.31	34.10	103.77
15.	तमिलनाडु	23.25	99.60	153.40	91.38	367.63
16.	त्रिपुरा	—	—	24.70	—	24.70
17.	उत्तर प्रदेश	76.00	28.54	119.74	57.18	281.46
18.	उत्तराखंड	—	—	2.334	—	2.334
19.	पश्चिम बंगाल	127.19	92.355	185.025	48.64	453.21
कुल		863.34	750.262	1070.679	343.56	3027.839

झीलों के वास्ते जारी की गई निधियां:

1.	जम्मू और कश्मीर	3000	3166	1250	1071	8487
2.	कर्नाटक	450	259	484	—	1193

1	2	3	4	5	6	7
3.	मध्य प्रदेश	458	875	60	—	1393
4.	महाराष्ट्र	230	100	0755	200	6055
5.	उड़ीसा	100	—	100	—	200
6.	राजस्थान	—	1344	13615	—	27055
7.	उत्तर प्रदेश	149	100	400	—	649
8.	उत्तराखंड	733	428	340	—	1501
9.	पश्चिम बंगाल	100	—	400	—	500
कुल		5220	6272	4471	1271	17234

प्रति व्यक्ति आय

1569. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति व्यक्ति आय में अंतरराज्यीय और राज्यों के मध्य असमानता है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति आय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश के प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) से उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2007-08 के लिए चालू कीमतों पर प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के अर्थ में मापित विभिन्न राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। प्रतिव्यक्ति आय में अन्तर-राज्यीय विभिन्नताएं अधिकांश रूप से प्राकृतिक संसाधन क्षमता, औद्योगिकरण का स्तर, मानव पूंजी सूचकों अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या स्तर में अंतर, आदि के कारण है। तथापि, इस प्रकार का एक समान पैटर्न नहीं है, जो सभी राज्यों पर लागू होता दिखाई पड़ता है। पीसीआई की

अन्तरा-राज्यीय विषमता के अनुमानों का केन्द्रीय रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता।

(ग) सरकार संतुलित तरीके से राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय करती आ रही है। इस संबंध में नीतिगत उपायों के रूप में कम विकसित राज्यों के पक्ष में केन्द्र की ओर से राज्यों को संसाधनों का योजना और गैर-योजना अंतरण, पिछड़े क्षेत्रों में निजी उद्योग स्थापित करने के लिए कर प्रोत्साहन, आदि शामिल हैं। राज्यों के बीच आय विषमता कम करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ), पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदि शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 2007-08 के लिए चालू कीमतों पर राज्यवार प्रतिव्यक्ति आय (रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिव्यक्ति आय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	34063

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	27398
3.	असम	21464
4.	बिहार	11135
5.	झारखंड	19928
6.	गोवा	105582
7.	गुजरात	एन.ए.
8.	हरियाणा	58531
9.	हिमाचल प्रदेश	40134
10.	जम्मू और कश्मीर	24214
11.	कर्नाटक	35555
12.	केरल	41814
13.	मध्य प्रदेश	18051
14.	छत्तीसगढ़	25360
15.	महाराष्ट्र	47051
16.	मणिपुर	19258
17.	मेघालय	26636
18.	मिजोरम	27501
19.	नागालैण्ड	एन.ए.
20.	उड़ीसा	23403
21.	पंजाब	44923
22.	राजस्थान	23053
23.	सिक्किम	33553
24.	तमिलनाडु	40757

1	2	3
25.	त्रिपुरा	एन.ए.
26.	उत्तर प्रदेश	16060
27.	उत्तरांचल	एन.ए.
28.	पश्चिम बंगाल	31722
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	एन.ए.
30.	चंडीगढ़	110676
31.	दिल्ली	78690
32.	पांडिचेरी	63524
अखिल भारत प्रतिव्यक्ति एनएनपी		33283

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन से प्राप्त सूचना के आधार पर।

[हिन्दी]

**त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)
के अंतर्गत निधियां**

1570. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत निधियां देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी निधियां दी गई;

(ग) क्या देश के अल्पविकसित राज्यों को सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर विशेष निधियां दी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) :

(क) जी हां।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत चालू वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा सतही जल लघु सिंचाई स्कीमों के लिए एआईबीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर निधियां जारी की जाती हैं। वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सूखा प्रवण/जनजातीय क्षेत्र के हित संबंधी परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय औसत से कम सिंचाई विकास वाले राज्यों की परियोजनाओं को एआईबीपी के अंतर्गत एक नई परियोजना को एआईबीपी में शामिल करने के एक दर एक मानदंड से छूट देते हुए शामिल किया जा सकता है जिसके अनुसार एआईबीपी के अंतर्गत एक नई परियोजना को चालू परियोजना के पूर्ण होने पर ही एक दर एक आधार पर शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एआईबीपी के अंतर्गत सूखा प्रवण/जनजातीय क्षेत्र के हित संबंधी परियोजनाएं 90 प्रतिशत अनुदान सहायता की पात्र हैं। सामान्य क्षेत्र को दी जा रही अनुदान सहायता 25% है।

एआईबीपी के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखंड को विशेष श्रेणी के राज्यों में वर्गीकृत किया गया है तथा इन राज्यों की परियोजनाएं एआईबीपी के अंतर्गत 90 प्रतिशत अनुदान सहायता की पात्र हैं। उड़ीसा के अविभाजित कोरापुट, बोलंगीर तथा कालाहांडी जिलों की परियोजनाओं को भी विशेष श्रेणी के राज्यों के बराबर माना गया है तथा एआईबीपी के तहत इन्हें 90 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

एआईबीपी के अंतर्गत निधियों का जारी किया जाना राज्य सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर राज्य के पर्याप्त बजट प्रावधान के अनुसार एआईबीपी के दिशानिर्देशों के तहत एआईबीपी द्वारा जारी की जाने वाली निधियों संबंधी प्रस्ताव पर निर्भर करता है।

विवरण

एआईबीपी के तहत वर्ष 2006-07 से 2009-10
(07.07.2009 तक) जारी की गई केन्द्रीय सहायता (सीए)/
अनुदान का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	राशि (करोड़ रुपये में)			
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	843.4220	987.7692	855.1800	662.6610

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.0000	47.1800	33.9580	0.0000
3.	असम	30.2685	77.3380	405.9540	98.4907
4.	बिहार	3.2300	62.2400	109.7029	18.6300
5.	छत्तीसगढ़	10.7050	96.9640	193.0402	60.8853
6.	गोवा	1.9100	32.4800	39.2300	0.0000
7.	गुजरात	121.8885	585.7200	258.6100	0.0000
8.	हरियाणा	3.1700	0.0000	0.0000	0.0000
9.	हिमाचल प्रदेश	3.9300	114.0500	119.3178	0.0000
10.	जम्मू और कश्मीर	37.7716	199.2251	393.0661	0.0000
11.	झारखंड	1.2900	9.2244	3.7200	0.0000
12.	कर्नाटक	160.3729	349.9000	442.4190	182.7980
13.	केरल	16.6468	0.0000	0.9045	3.8120
14.	मध्य प्रदेश	48.3100	500.3450	473.7824	446.7544
15.	महाराष्ट्र	465.5213	972.2500	2257.8313	1.9785
16.	मणिपुर	156.3042	103.9870	221.6733	0.0000
17.	मेघालय	0.7500	1.1600	24.8009	0.0000
18.	मिजोरम	14.2354	34.3434	50.7176	0.0000
19.	नागालैंड	10.5995	40.5100	48.5979	0.0000
20.	उड़ीसा	133.8846	624.3590	724.4387	201.7852
21.	पंजाब		13.5000	9.5400	0.0000
22.	राजस्थान	11.6000	156.5300	178.6200	8.1100
23.	सिक्किम	3.3236	3.2400	0.0000	0.0000
24.	त्रिपुरा	22.5131	8.1000	43.1750	0.0000
25.	तमिलनाडु		0.0000	0.0000	0.0000

1	2	3	4	5	6
26. उत्तर प्रदेश	81.8954	150.6900	315.4732	0.0000	
27. उत्तराखंड	84.7298	265.6500	371.6580	33.4782	
28. पश्चिम बंगाल	6.7000	8.9500	22.8100	0.9144	
कुल	2301.9722	5445.7051	7598.2213	1720.2977	

[अनुवाद]

कंपनियों के बोर्ड से पर्यावरणीय विनियामकों को हटाया जाना

1571. श्री तथागत सत्पथी :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्री मधु गौड यास्खी :

श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कंपनियों के बोर्ड से पर्यावरणीय विनियामकों को हटाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को कतिपय गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की ओर से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने जैसे पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन मामलों की कोई जांच करायी है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और चूककर्ता अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) और (ख) विशेषज्ञों के उपलब्ध बायोडाटा के आधार पर विशेषज्ञ

मूल्यांकन समितियों का गठन करते समय गहन जांच की जाती है ताकि हितों का परस्पर संघर्ष न हो।

(ग) से (च) पूर्व में पर्यावरणीय मंजूरी पत्र में निर्धारित शर्तों का कार्यान्वयन न करने, निर्धारित मानकों का पालन न करने, परियोजना क्षेत्र में परिवर्तन करने और परियोजना स्थल बदलने जैसे मामलों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की भलीभांति जांच की गई है और जहां भी आवश्यक समझा गया है, इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केन्द्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से भी स्थलीय निरीक्षण करवाए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित राज्य सरकारों से भी सहायता ली गई है। परियोजना क्षेत्र में या स्थल में परिवर्तन से संबंधित मामलों में पर्यावरणीय मंजूरी (ई.सी.) देने से पहले प्राप्त किसी भी शिकायत पर निर्णय लेने से पूर्व इसे विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों को उनकी सिफारिश के लिए भेज दिया जाता है।

(छ) मंजूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से (i) लंबित परियोजनाओं की स्थिति (ii) विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की बैठक की अनुसूची और कार्यसूची (iii) ई.सी. बैठक का कार्यवृत्त (iv) पर्यावरण मंजूरी पत्र और (v) पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित परिपत्र, दिशा-निर्देश, निर्देश से संबंधित सूचना पब्लिक डोमेन में डाली गई है।

[हिन्दी]

विधि आयोग का गरीबी संबंधी प्रतिवेदन

1572. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

श्री जगदीश शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग के 223वें प्रतिवेदन में वंचित वर्ग की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग की मुख्य सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. नारायणसामी) : (क) विधि आयोग के 223वें

प्रतिवेदन में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को अक्षरशः लागू करने की सर्वोच्च प्राथमिकता पर बल दिया गया है जिससे कि वंचित वर्ग की स्थिति में सुधार हो सके।

(ख) विधि आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि गरीबी उन्मूलन हेतु विभिन्न कानून, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, बनाए गए हैं। इसमें टिप्पणी की गई है कि गरीबों की स्थिति का उपशमन करने की दिशा में विभिन्न श्रम कानून बनाए गए हैं जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 आदि।

(ग) विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा संबंधित मंत्रालयों और विभागों को प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

बाघ संरक्षण के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन

1573. श्री अघलराव पाटील शिवाजी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाघ संरक्षण के लिए उत्तरदायित्वों में सम्मिलित होने और धनराशि के बेहतर उपयोग के लिए राज्य सरकारों और निदेशक, बाघ परियोजना के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौता ज्ञापन पर कब तक हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार वन आधारित वन गुज्जरो और मुख्य क्षेत्रों के अन्य ग्रामवासियों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास की समीक्षा करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार जंगलों के जैव-विविधता और पर्यावास के संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) और (ख) जी, हां। एवं वन मंत्रालय (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण

प्राधिकरण के माध्यम से कार्यरत), राज्य सरकारों और बाघ रिजर्वों के फील्ड निदेशकों के बीच एक त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन के प्रारूप को अनुमोदित किया गया है, जिसमें देश में प्रभावी बाघ संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु फंड फ्लो से जुड़े संबंधित दायित्व और पारस्परिक वचनबद्धताएं निर्धारित की गई हैं। बाघ परियोजनाओं की चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत बाघ बहुल राज्यों को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराते हुए उक्त समझौता ज्ञापन को इस वर्ष क्रियान्वित किया जाएगा।

(ग) और (घ) बाघ संरक्षण के सशक्तिकरण के लिए बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के दिशा-निर्देशों को वर्ष 2008 में संशोधित किया गया है, जिसमें चालू क्रिया-कलापों के अतिरिक्त, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्व के 1 लाख रु./परिवार पैकेज की तुलना में वर्धित 10 लाख रु. परिवार का पैकेज देकर कोर अथवा क्रिटिकल बाघ पर्यावासों में रहने वाले लोगों के लिए वर्धित ग्राम पुनर्स्थापन/पुनर्वास पैकेज के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देना शामिल है।

(ङ) और (च) स्थानीय लोगों को सुरक्षा और अवैध शिकार रोधी कार्यों में शामिल करने के लिए बाघ परियोजना की चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। भारत सरकार द्वारा बाघ संरक्षण के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई पहलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा बाघों और अन्य वन्य जीव-जन्तुओं की सुरक्षा/संरक्षण के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय।

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध उपलब्ध कराने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन।
2. बाघ आरक्षित क्षेत्र अथवा इसके कोर क्षेत्र में अपराध के मामलों में दंड और अधिक कड़े कर दिए गए हैं।

प्रशासनिक उपाय

3. राज्यों से यथा-प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता

- द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके अवैध शिकार रोधी दस्तों की तैनाती।
4. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 4.9.2006 से गठित किया गया है जिसके द्वारा बाघ रिजर्व प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चितता, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना को तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण फाऊंडेशन की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण सुदृढ़ किया जा सकेगा।
 5. वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिनांक 6.6.2007 से बहु आयामी बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन।
 6. आठ नए बाघ आरक्षित क्षेत्रों की घोषणा और चार नए रिजर्वों अर्थात् महाराष्ट्र में सहयाद्री, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, म.प्र. में रातापानी और उड़ीसा में सूनाबेड़ा के सृजन के लिए सिद्धान्तिक मंजूरी।
 7. बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्वास/पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को निधिकरण सहायता (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार) परंपरागत शिकार में लगे समुदायों के पुनर्वास, वनों के बाहर बाघ आरक्षित क्षेत्र में आजीविका हेतु मुख्य धारा में लाने और वन्यजीव सरोकार और पर्यावास विखंडन को रोकने के लिए रेस्टोरेटिव रणनीति द्वारा फोस्टरिंग कारीडोर संरक्षण शामिल है।
 8. बाघों (सह-परभक्षियों, शिकार होने वाले जानवरों और पर्यावास स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए) आंकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित की गई है और उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस आंकलन/मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण रणनीति के लिए बेंचमार्क हैं।
 9. 15 बाघ राज्यों द्वारा (17 राज्यों में से) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 जिसे 2006 में संशोधित किया गया था, की धारा 38V के अंतर्गत कोर क्षेत्र अथवा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में 29284.762 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अधिसूचित किया गया है (ये राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, कर्नाटक, केरल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल)। दो बाघ बहुल राज्यों (बिहार और उत्तर प्रदेश) ने कोर अथवा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स के रूप में (2765.04 वर्ग किलोमीटर) अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश राज्य ने अपने नये गठित बाघ रिजर्व (संजय धुन्नी नेशनल पार्क और संजय ध वन्यजीव अभयारण्य) में कोर/क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट अभिनिर्धारित/अधिसूचित नहीं किया है।
 10. बाघ रिजर्व राज्यों के माध्यम से संरक्षण संबंधी इनपुट्स को बेहतर/समन्वित ढंग से कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है।
- वित्तीय उपाय**
11. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की क्षमता और अवसंरचना में बढ़ोतरी के लिए राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**
12. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकाल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।
 13. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

14. साइट्स (सी.आई.टी.ई.एस.) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक के दौरान जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशन्स ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके जो केवल वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा, भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और एशियाई बड़े बाघों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

बाघ पुनः छोड़ा जाना

15. सरिस्का और पन्ना बाघ रिजर्व, जहां पर बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुके हैं, में सक्रिय प्रबंधन के भाग के रूप में बाघ/बाघिन पुनः छोड़े गए हैं।

विशेष बाघ सुरक्षा बल (एस.टी.पी.एफ.) का सृजन

16. वित्त मंत्री द्वारा अपने 29.2.2008 के बजट अभिभाषण में घोषित की गई नीतिगत पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ बाघ सुरक्षा से संबंधित कार्य बिन्दु भी शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन.टी.सी.ए.) को एक विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन, हथियारों से लैस करने और तैनाती के लिए 50.00 करोड़ रु. का एकमुश्त अनुदान मंजूर किया गया था। उक्त बल से संबंधित प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 13 बाघ रिजर्वों के मामले में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान एस.टी.पी.एफ. के सृजन के लिए काबेट, रणथम्भौर और दुधवा बाघ रिजर्व के लिए प्रत्येक को 93 लाख रु. जारी किए गए हैं। शेष 10 बाघ रिजर्वों में एस.टी.पी.एफ. के सृजन के लिए वर्ष 2009-10 के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।

[हिन्दी]

भारत द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण

1574. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

श्री एस.एस. रामासुब्बु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान देश द्वारा कौन-कौन से अंतरिक्ष उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है तथा इनके कार्य हैं और इन्हें किन स्टेशनों से प्रक्षेपित किया गया है;

(ख) क्या कोई उपग्रह अपने मिशन में असफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं और इसके परिणामस्वरूप हुए वित्तीय घाटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपग्रह प्रक्षेपण तकनीक में भारत का विश्व में कौन-सा रैंक/स्थान है; और

(ङ) उपग्रह प्रक्षेपण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा प्रमोचित किए गए अंतरिक्षयानों के नाम तथा उनके कार्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट)-4सी अंतरिक्षयान सहित जुलाई 10, 2006 को संपन्न भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचनयान-एफ 02 (जीएसएलवी-एफ 02) का प्रमोचन असफल रहा।

(ग) नोदक नियामक के त्रुटिपूर्ण कार्य के कारण एक द्रव स्ट्रैप-आन मोटर में पाई गई प्रणोद की कमी को विफलता का मुख्य कारण माना गया। इस विफल मिशन का प्रत्यक्ष व्यय 246 करोड़ रुपए था। राष्ट्रीय स्तर के एक विशेषज्ञ समिति ने विफलता के कारणों का विश्लेषण किया और गुणता नियंत्रण/निरीक्षण क्रियाविधियों में सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया। 2/7/2007 को इसकी उत्तरवर्ती

उड़ान, जीएसएलवी एफ 04/इन्सैट-4 सीआर मिशन में इन सबको सम्मिलित किया गया, जो सफल रही।

(घ) और (ङ) भारत की दो प्रमोचन यान प्रणालियां हैं यानी (i) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान (पीएसएलवी), जो मुख्यतया 1 से 2 टन श्रेणी के उपग्रहों को 400-800 कि.मी. के निकट भू-कक्षा में प्रमोचित करने के लिए है, (ii) भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचन यान (जीएसएलवी), जिसका प्रयोग 2 टन भार वाले संचार उपग्रहों को भू-तुल्यकाली कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किया जाता है। संयुक्त

राज्य अमरीका, रूस, जापान, यूरोपियन यूनियन एवं चीन के पास ऐसी प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। भारतीय प्रमोचन यान, इन देशों के यानों के बराबर हैं।

वर्तमान जीएसएलवी की क्षमता भारत को 2.2 टन भार वाले उपग्रह को भू-तुल्यकाली कक्षा में प्रमोचित करने देती है और इस क्षमता को 4.5 टन तक बढ़ाने के लिए जीएसएलवी-मार्क III का विकास करने लगा है।

विवरण

क्रम संख्या	उपग्रह का नाम	प्रमोचन की तिथि	प्रमोचन स्टेशन	उपग्रह का कार्य
1.	इन्सैट-4 सी	10/07/2006	श्रीहरिकोटा	संचार एवं प्रसारण
2.	कार्टोसैट-2	10/01/2007	श्रीहरिकोटा	मानचित्रण/मानचित्रकला
3.	एसआरई-1	10/01/2007	श्रीहरिकोटा	परीक्षणात्मक प्रौद्योगिकी उपग्रह
4.	इन्सैट-4 बी	12/03/2007	फ्रेंच गियाना	संचार एवं प्रसारण
5.	इन्सैट-4 सीआर	02/09/2007	श्रीहरिकोटा	संचार एवं प्रसारण
6.	कार्टोसैट-2 ए	28/04/2008	श्रीहरिकोटा	मानचित्रण एवं मानचित्रकला
7.	आईएमएस-1 (टीडब्ल्यूसैट)	28/04/2008	श्रीहरिकोटा	सुदूर संवेदन
8.	चन्द्रयान-1	22/10/2008	श्रीहरिकोटा	चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन
9.	रिसैट-2	20/04/2009	श्रीहरिकोटा	सुदूर संवेदन
10.	अनुसैट	20/04/2009	श्रीहरिकोटा	परीक्षणात्मक संचार उपग्रह

[अनुवाद]

भू-जल का घटता स्तर

1575 श्री निशिकांत दुबे :

श्री अधीर चौधरी :

श्री ए. सम्पत :

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :

श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश के विभिन्न भागों में जल स्तर में तेजी से कमी आ रही है जिसके कारण पानी की अत्यधिक कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे क्षेत्रों/स्थानों की पहचान की गई है जहां भू-जल स्तर में तेज गिरावट देखी गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार जल संरक्षण और इसके इष्टतम उपयोग के लिए प्रयोक्ता प्रभारों को लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जल स्तर बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(च) केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण द्वारा जनता को शिक्षित करने के लिए आयोजित जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा इसके परिणामस्वरूप इस संबंध में उपलब्धि, यदि कोई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) :

(क) से (ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार देश के विभिन्न भागों में भूजल के अत्यधिक दोहन एवं अल्प पुनर्भरण के कारण भूजल स्तर में गिरावट देखी गई है। सी.जी.डब्ल्यू.बी. ने अति-दोहन से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की है।

(घ) और (ङ) जल के संरक्षण और जल के इष्टतम उपयोग के लिए उपभोक्ता शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार द्वारा किए गए उपायों में डगवेलों के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी स्कीम का कार्यान्वयन, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार संबंधी स्कीमों का कार्यान्वयन, प्रदर्शनात्मक वर्षा जल संचयन एवं भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी स्कीम का कार्यान्वयन, भूजल विकास के नियमन को सुविधाजनक बनाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माडल बिलों का परिचालन शामिल है।

(च) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) ने जन जागरूकता, जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी 384 जन जागरूकता एवं 299 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

हज 2009 के लिए अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट

1576. श्री बदरुद्दीन अजमल :

श्री उमाशंकर सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2009 के दौरान हज तीर्थयात्रियों के लिए अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शशी थरूर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि हज पर जाने वाले किसी भी तीर्थयात्री को यात्रा शुरू करने के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा न हो, राष्ट्रीय एवं राज्य हज समितियों के साथ परामर्श करने के पश्चात सभी पासपोर्ट अधिकारियों को नए नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी पासपोर्ट अधिकारियों को यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि हज पासपोर्ट, समिति द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत हज यात्रियों/हज समिति को सौंप दिए जाने चाहिए ताकि किसी भी हाजी को इस पवित्र यात्रा को शुरू करने में कोई कठिनाई न हो।

संरक्षित स्मारकों में कार्यक्रमों का आयोजन

1577. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) कतिपय कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए संरक्षित स्मारकों के उपयोग की अनुमति देता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) एएसआई द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों की प्रकृति क्या है और इसके लिए कितना शुल्क निर्धारित किया गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए एएसआई द्वारा प्रदान की गई अनुमति का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चुनिंदा स्मारकों (सूची संलग्न विवरण-1) की पृष्ठभूमि

तथा अनुमोदित दिशानिर्देशों (संलग्न विवरण-II) के अनुसार उनके अहातों में विशेष रूप से नियत स्थानों पर उच्च कोटि के सांस्कृतिक कार्यक्रमों मुख्यतः शास्त्रीय संगीत, नृत्य तथा नाटक आयोजित करने की अनुमति प्रदान कराता है।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रदान की गई अनुमति का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-1

उन स्मारकों की सूची जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जा सकती है।

1. आगरा मंडल

1. राम बाग
2. अकबर का मकबरा (बाहर की ओर)
3. दीवान-ए-आम (आगरा किला)
4. कंकाली टीला, मथुरा
5. बादशाही गेट की बाहरी ओर खुला क्षेत्र, फतेहपुर सीकरी

2. औरंगाबाद मंडल

1. बीबी-का-मकबरा का लान, औरंगाबाद
2. शैलकृत गुफाओं के सामने खुला क्षेत्र, एलोरा
3. किले का खुला क्षेत्र, दौलताबाद

3. बंगलौर मंडल

1. हाथीशाला का खुला क्षेत्र, हम्पी
2. विट्ठल मंदिर परिसर का खुला क्षेत्र, हम्पी
3. केशव मंदिर के पूर्व में खुला क्षेत्र, सोमनाथपुर
4. होयसलेश्वर मंदिर का खुला क्षेत्र, हलेबिडु
5. चेन्ना केशव मंदिर का खुला गलियारा, बेलूर

6. बाहुबली की प्रतिमा का खुला क्षेत्र तथा आवृत्त कोर्ट, श्रवणबेलगोला
7. बाहुबली प्रतिमा के चारों ओर खुला क्षेत्र, कारकला
8. किले का खुला क्षेत्र, चित्रदुर्ग
9. खुले लान, टीपू सुल्तान का महल, बंगलौर
10. टीपू के मकबरे के चारों ओर खुला क्षेत्र, श्रीरंगपटना
11. खुला क्षेत्र-दौलताबाद बाग महल, श्रीरंगपटना
12. श्री हरिहरेश्वर मंदिर, हरिहरा
13. ईश्वर मंदिर, अरसीकेरे
14. किला देवानाहल्ली
15. सोमेश्वरा मंदिर, कोलार
16. खुला क्षेत्र मंदिर समूह, नंदी
17. अनंतपद्मनाभ मंदिर परिसर, कारकला
18. किला, बेलारी
19. स्मारकों के चारों ओर खुला क्षेत्र, हम्पी

4. भोपाल मंडल

1. चित्रगुप्त मंदिर का उत्तर, खजुराहो
2. तानसेन का मकबरा, ग्वालियर
3. सास बहू मंदिर के आस पास खुला क्षेत्र, ग्वालियर
4. शिव मंदिर के पश्चिम में खुला क्षेत्र, भोजपुर
5. जहाज महल का खुला क्षेत्र, मांडू

5. भुवनेश्वर मंडल

1. राजारानी मंदिर के आसपास खुला क्षेत्र, भुवनेश्वर
2. खुला क्षेत्र मुक्तेश्वर मंदिर

3. परशुरामेश्वर मंदिर
4. सूर्य मंदिर का खुला क्षेत्र, कोणार्क
5. सीता भांजी
6. हरिपुर गढ़
7. रत्नागिरि स्थित स्थल
6. चंडीगढ़ मंडल
 1. जल महल के आस पास खुला क्षेत्र, नारनोल
 2. किला, नुरपुर
 3. खुला क्षेत्र, कांगड़ा किला
 4. दक्खनी सराय
 5. भटिन्डा किला
7. चेन्नई मंडल
 1. बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर
 2. बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलापुरम
 3. ऐरावतेश्वर मंदिर, दारासुरम्
 4. मंदिर समूह, शैलकृत गुफाएं, महाबलीपुरम
 5. मंदिर समूह का खुला क्षेत्र, मूवारकोइल
 6. किला क्षेत्र सद्रास
8. दिल्ली मंडल
 1. अरब की सराय (हुमायूं मकबरा परिसर)
 2. ईसाखान मकबरा का बाहरी लान (हुमायूं मकबरा परिसर)
 3. जहाज महल
 4. रोशनारा गार्डन
 5. कुतुब मीनार परिसर का खुला क्षेत्र
6. लान तथा बाहरी खुला क्षेत्र, पुराना किला
7. खुला क्षेत्र, किला रायपिथौरा
8. लालकिले का खुला क्षेत्र (रामलीला का क्षेत्र तथा भीतरी क्षेत्र)
9. देहरादून मंडल
 1. रुद्रनाथ मंदिर परिसर, गोपेश्वर, जिला चमोली
10. धरवाड़ मंडल
 1. दुर्गा मंदिर परिसर का खुला क्षेत्र, एहोल
 2. ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर का खुला क्षेत्र, एहोल
 3. मंदिरों के उत्तर का खुला क्षेत्र, पट्टडकल
 4. मंदिर समूहों के बीच खुला क्षेत्र, अशतुर
 5. किला गुलबर्गा के भीतर खुला क्षेत्र
 6. महमूद गावान मदरसा का खुला क्षेत्र, बीदर
 7. गोल गुम्बज के चारों ओर खुला क्षेत्र, बीजापुर
 8. इब्राहिम रोजा के लान, बीजापुर
 9. खुला क्षेत्र, नवरसपुर
 10. स्मारक समूह का खुला क्षेत्र, लक्कुंडी
 11. महादेवी मंदिर के आस पास खुला क्षेत्र, इट्टगी
 12. सिद्धेश्वर मंदिर के पश्चिम की ओर खुला क्षेत्र, हवेरी
 13. मधुकेश्वर मंदिर समूह, बनवासी
 14. मुक्तेश्वर मंदिर, चन्दादानपुर
 15. किले का खुला क्षेत्र, सौदा
11. गोवा मंडल
 1. किले के भीतर खुला क्षेत्र, अगुडा

2. महादेव मंदिर परिसर, तामदीसुरला
3. सफा मस्जिद का खुला क्षेत्र, पोंडा
12. हैदराबाद मंडल
 1. गोलकोंडा किला के अंदर का क्षेत्र
 2. सिद्धौट किला, कड्डपा
 3. संकाराम, विशाखापट्टनम
 4. रामाप्पा मंदिर, पसलमपेट
 5. किले के अन्दर का क्षेत्र, वारंगल
 6. स्थानांतरित स्मारक नागार्जुनकोंडा तथा अनुप के आस-पास खुला क्षेत्र (केवल दिन के दौरान)
 7. अमरावती के चारों ओर का क्षेत्र, स्तूप स्थल
13. जयपुर मंडल
 1. अन्ना सागर, बारादरी
 2. प्राचीन स्थल, भानगढ़
 3. डींग महल, डींग, जिला भरतपुर
 4. किला, बयाना
 5. मंदिर समूह, बादोली
 6. महानल मंदिर, मेनाल
 7. मंदिर समूह, बिजोलिया
 8. किला, चित्तौड़गढ़
 9. किला, कुम्भलगढ़
 10. किला, रणथम्भौर
 11. किला, जैसलमेर
 12. पुरातत्वीय स्थल, लुद्रवा
13. घाट/जहांगीरी महल, पुष्कर
14. कोलकाता मंडल
 1. कृष्ण बिहार महल के सामने खुला क्षेत्र
 2. बिष्णुप्र मंदिर समूह के चारों ओर खुला क्षेत्र, बिष्णुपुर
15. लखनऊ मंडल
 1. रेजीडेंसी लगखनऊ
 2. खुला क्षेत्र किला, झांसी
16. मुम्बई मंडल
 1. खुला क्षेत्र एलीफेंटा
 2. किला रायगढ़
 3. महल परिसर,
17. पटना मंडल
 1. पुरातत्वीय स्थल, सारनाथ
 2. पुरातत्वीय स्थल, नालन्दा
 3. शेरशाह मकबरा का खुला क्षेत्र, सासाराम
18. रायपुर मंडल
 1. स्मारक समूह, सिरपुर
19. रांची मंडल

शून्य
20. शिमला मंडल
 1. वायस रीगल लॉज का खुला क्षेत्र, शिमला
21. श्रीनगर मंडल
 1. महल रामनगर
 2. किला का खुला क्षेत्र, रामनगर

22. त्रिशूर मंडल

1. किले के अन्दर खुला क्षेत्र, बेकल
2. फोर्ट सेंट एंग्लो के अन्दर का क्षेत्र, कन्नूर
3. किला, पलक्कड

23. वडोदरा मंडल

1. खुला क्षेत्र/सूर्य मंदिर के आस पास उद्यान, मोधेरा
2. किले के अन्दर खुला क्षेत्र, पावागढ़
3. किला, दीव
4. किले क्षेत्र, मोती दमन
5. किला क्षेत्र, नानी दमन
6. सीढ़ीनुमा कुआं के आस पास क्षेत्र, पाटन

विवरण-II

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी दिशानिर्देश तथा साथ में उन स्मारकों/स्थलों की सूची जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जा सकती है।

1. साधारण रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण [भा.पु.स.] स्मारकों तथा ऐसे स्मारकों से जुड़ी भूमि को समारोहों/कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रयोग में लेने की अनुमति नहीं देना चाहेगा। तथापि, मंडलों द्वारा अपवाद के रूप में, इस प्रकार के प्रयोग की अनुमति तभी दी जा सकती है जब महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/अधीक्षण पुरातत्वविद् मंडल कार्यालय पूर्णतथा संतुष्ट हों कि समारोह/कार्यक्रम से स्मारक, इसकी भूमि तथा उस पर स्थित अन्य निर्मित संरचनाओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी।
2. मंडल, केवल उन्हीं स्मारकों के लिए अनुमति प्रदान करेंगे जिनकी पहचान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए की गई है। ये उन स्मारकों के क्षेत्र/हिस्सों को रेखांकित भी करेंगे। जहां इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।
3. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/अधीक्षण पुरातत्वविद्, मंडल कार्यालय, पहचाने गए स्मारक/स्थल में समारोह आयोजित करने

की अनुमति देने से मना कर सकते हैं यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में जीर्णोद्धार/सौन्दर्यकरण कार्य किए गए हैं तथा इस प्रकार के आयोजन से जीर्णोद्धार के कार्य में बाधा/क्षति पहुंच सकती है।

4. यदि कोई स्मारक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए अनुमति देने हेतु सूची में नहीं है तो महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संबंधित अधीक्षण पुरातत्वविद् से रिपोर्ट मंगाने के पश्चात इस प्रकार की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। तथापि, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास इस प्रकार के किसी अनुरोध को रद्द कर देने का अधिकार भी सुरक्षित है। उनका निर्णय अंतिम होगा।
5. उच्च दर्जे के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को वरीयता: शास्त्रीय के आयोजन के लिए अनुमति दी जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए, शास्त्रीय अवसरों का आशय शास्त्रीय संगीत, नृत्य तथा नाटक होगा। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई अवसर सांस्कृतिक अवसर है या नहीं, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्णय अंतिम होगा।
6. ऐसे किसी समारोह/कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जहां प्रवेश का विनियमन टिकटों की बिक्री या प्रवेश शुल्क लगा कर किया जाएगा।
7. किसी ऐसे कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जो वाणिज्यिक/धार्मिक गतिविधि जैसे बिक्री, प्रदर्शनी तथा बिक्री आदि से संबंधित होगा।
8. केवल सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक निकायों को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। निजी व्यक्तियों, निजी निकायों या अन्य व्यावसायिक संगठनों को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यह निर्णय लेने के लिए कि क्या कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुरोध सार्वजनिक निकाय से प्राप्त हुआ है या नहीं, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्णय अंतिम होगा। सार्वजनिक निकायों से प्राप्त अनुरोध पर विचार करते समय, महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/अधीक्षण पुरातत्वविद्, मंडल कार्यालय संबंधित संगठन के पूर्व इतिहास तथा कार्य कलापों, कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के स्वरूप तथा अवधि पर विचार करेंगे।

9. कुछ मामलों को छोड़कर जहां रिकार्ड किए गए कारणों के कारण अनुमति एक दिन से अधिक दी जा सकती है, जारी की गई अनुमति केवल एक दिन के लिए वैध होगी। सभी अस्थायी संरचनाएं उसी दिन रात्रि 11.00 बजे तक बनाई व हटाई जानी चाहिए। सभी कार्यक्रम रात्रि 10.00 बजे तक सम्पन्न हो जाने चाहिए। इसके बाद किसी प्रकार के संगीत या साउंडस्पीकर आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी प्रकार के उल्लंघन किए जाने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी।

10. एक अस्थाई मंच या स्टेज बनाने के अलावा जिसे हटाया जा सकता है किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार की अस्थायी संरचनाओं को बनाने में किसी प्रकार की चिनाई का कार्य नहीं किया जाएगा।

11. चूंकि स्मारक या इसकी सीमा के भीतर किसी कार्यक्रम के आयोजन से निर्मित अवसंरचना तथा इसके परिवेश को क्षति पहुंच सकती है अतः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके प्रयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क लगाएगा:-

(क) किसी संरक्षित स्मारक से जुड़ी भूमि (बाहरी) में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 25,000/- रुपए प्रति दिन तथा यदि भूमि के साथ-साथ निर्मित स्मारक (आंतरिक) के किसी भाग का भी प्रयोग किया जाना हो तो 50,000/- रुपए प्रति दिन प्रभार लिया जाएगा (दिल्ली के चुने हुए स्मारकों में)।

(ख) अन्य मंडलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किसी संरक्षित स्मारक से जुड़ा क्षेत्र (बाहरी) के प्रयोग के लिए 10,000/- प्रति दिन प्रभार लिया जाएगा तथा जहां संरक्षित स्मारक का एक भाग भी प्रयोग किया जाना है तो 25,000/- रुपए प्रतिदिन प्रभार लगाया जाएगा।

अन्य अंतर किए जाने की आवश्यकता होने पर उसे महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निर्धारित करेंगे।

उपर्युक्त के साथ-साथ दिल्ली के सभी स्मारकों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 50,000/- रुपए प्रतिदिन की प्रतिदाय प्रतिभूति जमा की मांग भी करेगा। अन्य मंडलों में यह प्रतिदाय प्रतिभूति जमा 30,000/- रुपए होगी। यह प्रतिभूति जमा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घास-फूस/कूड़ा कचरा आदि या क्षति की मरम्मत, यदि कोई होती है तो, उस पर किए गए व्यय के पश्चात् आयोजन के एक सप्ताह के पश्चात् वापिस कर दी जाएगी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभिन्न विभिन्न पहलुओं जैसे पार्किंग, आगनतुकों की अधिकतम संख्या, शोर तथा प्रकाश स्तर आदि पर अपनी उचित शर्तें लगा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्मारक तथा इसका परिवेश सुरक्षित रहे तथा कार्यक्रम के संचालन से स्मारक (बाहरी रूप से) या इसकी सांस्कृतिक सद्भावना को कोई नुकसान न पहुंचे।

उपरोक्त दिशानिर्देश 14 जनवरी, 2005 से लागू हुए हैं।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्रम सं.	मंडल/स्मारक/स्थल का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ब्यौरा			
		2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
बंगलौर मंडल					
1.	स्मारक समूह, हम्पी	कर्नाटक सरकार द्वारा हम्पी उत्सव	कर्नाटक सरकार द्वारा हम्पी उत्सव	1. कर्नाटक सरकार द्वारा हम्पी उत्सव	शून्य

1	2	3	4	5	6
				2. कर्नाटक सरकार द्वारा नृत्य कार्यक्रम	
2.	किला चित्रदुर्ग			कर्नाटक सरकार द्वारा दुर्गा उत्सव	शून्य
3.	होयसालेश्वर मंदिर, हेलेबिड तथा चन्नाकेशव मंदिर, बेलूर			कर्नाटक सरकार द्वारा होली उत्सव	शून्य
भोपाल मंडल					
1.	तानसेल का मकबरा, ग्वालियर	संगीत कला अकादमी, भोपाल द्वारा तानसेन समारोह	संगीत कला अकादमी, भोपाल द्वारा तानसेन समारोह	संगीत कला अकादमी, भोपाल द्वारा तानसेन समारोह	शून्य
2.	मंदिरों का पश्चिमी समूह, खजुराहो	संगीत कला अकादमी, द्वारा नृत्य उत्सव	संगीत कला अकादमी, द्वारा नृत्य उत्सव	संगीत कला अकादमी, द्वारा नृत्य उत्सव	शून्य
3.	शिव मंदिर, भोजपुर भुवनेश्वर मंडल	मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल द्वारा सांस्कृतिक उत्सव	मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल द्वारा सांस्कृतिक उत्सव	मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल द्वारा सांस्कृतिक उत्सव	शून्य
भुवनेश्वर मंडल					
1.	राजा रानी मंदिर	जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम	जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम	जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम	शून्य
2.	मुक्तेश्वर मंदिर	जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम	जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम	जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम	शून्य
चंडीगढ़ मंडल					
3.	भटिंडा किला	उपायुक्त, भटिंडा द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

1	2	3	4	5	6
चेन्नई मंडल					
1.	वेल्लोर किला, वेल्लोर के संरक्षित क्षेत्र के भीतर दक्षिण पूर्वी तरफ किला मैदान का खाली हिस्सा	बैठकों, प्रदर्शनियों का आयोजन तथा तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों की पार्किंग	बैठकों, प्रदर्शनियों का आयोजन तथा तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों की पार्किंग	बैठकों, प्रदर्शनियों का आयोजन तथा तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों की पार्किंग	बैठकों प्रदर्शनियों का आयोजन तथा तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों की पार्किंग
दिल्ली मंडल					
1.	कुतुब मीनार	दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम, दिल्ली द्वारा कुतुब उत्सव	1. दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम द्वारा कुतुब उत्सव 2. दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम के माध्यम से टाइम्स आफ इंडिया द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	पुराना किला	1. दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम द्वारा दादा संगीत 2. सिटी ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 3. टी सी आई द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 4. ग्लोबल यूनियन अनर्जी वैन्वर लिमिटेड द्वारा सांस्कृतिक संध्या 5. दिल्ली पर्यटन	1. अपोलो हॉस्पिटल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 2. सी एन एन, भारतीय ब्यूरो प्रमुख द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 3. डी आई जी, बी एस एफ द्वारा बैंड कार्यक्रम 4. भारतीय वायु सेना द्वारा	1. आई सी सी आर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 2. इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 3. बैक स्टेज प्रा. लि. द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 4. डी जी, आई सी सी आर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 5. निदेशक, स्कूल	1. बी पी, टाइम्स आफ इंडिया द्वारा शास्त्रीय नृत्य 2. डी जी, आई सी सी आर द्वारा दक्षिण एशिया सांस्कृतिक कार्यक्रम

1	2	3	4	5	6
	तथा परिवहन विकास निगम द्वारा इटेलियन आर्केस्ट्रा कार्यक्रम 6. रक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक संध्या 7. भा.पु.स., संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य तथा सरोद वादन 8. वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 9. टाइम्स आफ इंडिया द्वारा संगीतमय कार्यक्रम 10. दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम द्वारा अनन्य उत्सव 11. एशिया पैसिफिक, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम	सांस्कृतिक कार्यक्रम 5. रणजीत दत्ता, पंडित जसराज द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 6. टाइम्स आफ इंडिया द्वारा शास्त्रीय कार्यक्रम 7. दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम द्वारा अनन्य उत्सव 8. विदेश मंत्रालय द्वारा संगीत कार्यक्रम 9. साउथ एशिया टाइम्स लाइफ न्यू सर्विस द्वारा फारचून ग्लोबल फार मीट 10. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 11. आई सी सी आर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम	आफ ड्रामा द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 6. सचिव, साहित्य कला परिषद द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 7. निदेशकि, आनसेट सल्यूशन प्रा.लि. द्वारा दिल्ली पेंटिंग प्रतियोगिता 8. वी पी, आई टी डी सी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम		

1	2	3	4	5	6
3.	लाल किला	शून्य	1. उर्दू अकादमी द्वारा कवि सम्मेलन सांस्कृतिक कार्यक्रम 2. साउथ एशिया टाइम्स लाइफ न्यू सर्विस द्वारा फारचून ग्लोबल फार मीट	1. उर्दू अकादमी द्वारा कवि सम्मेलन सांस्कृतिक कार्यक्रम 2. स्पेशल ओलम्पिक एशिया पेसेफिक द्वारा टाच रन	1. उर्दू अकादमी द्वारा कवि सम्मेलन सांस्कृतिक कार्यक्रम 2. हैरिटेज मोटरिंग क्लब आफ इंडिया द्वारा डिस्प्ले फ्लैग बढ़ते कदम
4.	हुमायूँ का मकबरा		1. कार्यकारी निर्माता, सी एन एन, आई बी एन द्वारा विशेष कार्यक्रम		
5.	कोटला फिरोजशाह	शून्य	सचिव, शिक्षा, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रकाश तथा ध्वनि शो कार्यक्रम	शून्य	शून्य
6.	रोशनारा मकबरा, कश्मीरी गेट, जन्तर मन्तर तथा अग्रसेन की बावरी धारवाड़	शून्य	शून्य	पब्लिक आर्ट तथा इकोलाजी द्वारा सार्वजनिक कला उत्सव	शून्य
1.	नानेश्वर मंदिर का खुला क्षेत्र, लक्कुडी	1. जिला प्राधिकरण, गडग द्वारा राज्य उत्सव, लाखुंडी उत्सव	शून्य	जिला, प्राधिकरण, गडग द्वारा राज्य उत्सव, लाखुंडी उत्सव	जिला प्राधिकरण, गडग द्वारा लाखुंडी उत्सव, 2009

1	2	3	4	5	6
		2. जिला प्राधिकरण गडग द्वारा लोक नृत्य, विरासत गाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम			
2.	बिंदर किले का खुला क्षेत्र, बिंदर	बहमनी सुल्तानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिला प्रशासन, बिंदर	शून्य	जिला प्रशासन, बिंदर द्वारा बिंदर उत्सव, 2008	जिला प्रशासन बिंदर द्वारा बिंदर उत्सव, 2009
3.	मंदिर समूह का खुला क्षेत्र, पट्टडकल	शून्य	जिला प्रशासन, बगलकोट द्वारा चालुक्य उत्सव, 2007	जिला प्रशासन, बगलकोट द्वारा चालुक्य उत्सव, 2008	
	गोवा मंडल				
1.	महादेव मंदिर, तम्बदिसुर्ला	सांस्कृतिक तथा ग्राम पंचायत विभाग द्वारा धालो तथा फुगदी	सांस्कृति तथा ग्राम पंचायत विभाग द्वारा धालो तथा फुगदी	सांस्कृतिक तथा ग्राम पंचायत विभाग द्वारा धालो तथा फुगदी	सांस्कृति तथा ग्राम पंचायत विभाग द्वारा धालो तथा फुगदी
	हैदराबाद मंडल				
1.	वारंगल किला, वारंगल	शून्य	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम	शून्य	शून्य
	जयपुर मंडल				
1.	कुम्भलगढ़ जिला	राजस्थान सरकार द्वारा कुम्भलगढ़ उत्सव	राजस्थान सरकार द्वारा कुम्भलगढ़ उत्सव	राजस्थान सरकार द्वारा कुम्भलगढ़ उत्सव	शून्य
2.	बदशाही बाग, खमनोर	शून्य	राजस्थान सरकार द्वारा विधिक साक्षरता सम्मेलन	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
3.	अन्नासागर बारादरी, अजमेर	शून्य	शून्य	राजस्थान सरकार द्वारा एट होम उत्सव	शून्य
	लखनऊ मंडल				
1.	रेजीडेंसी बिल्डिंग, लखनऊ	शून्य	स्टेट बैंक आफ इंडिया, लखनऊ द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम	शून्य	शून्य
2.	दिलकुशा पैलेस, लखनऊ	शून्य	एडजुटेंट जनरल लखनऊ द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम	शून्य	शून्य
	पटना मंडल				
1.	कुशीनगर	शून्य	शान्ति बुद्ध भूमि तीर्थ संगठन द्वारा समारोह	शून्य	शून्य
2.	शाही किला, जौनपुर	शून्य	शून्य	जिला आयुक्त, जौनपुर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम	शून्य
	श्रीनगर मंडल				
1.	प्राचीन पैलेश, रामनगर, उधमपुर, जम्मू और कश्मीर	शून्य	म्यूनिसिपल कमेटी रामनगर द्वारा भजन संध्या		
2.	परी महल, श्रीनगर		पर्यटन निदेशालय, जम्मू और कश्मीर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम (संतूर वादन)		
3.	देवी भगवती मंदिर, मनवल	नवरात्रों पर अखण्ड ज्योति (वर्ष में दो बार) बिना किसी प्रभार के	नवरात्रों पर अखण्ड ज्योति (वर्ष में दो बार) बिना किसी प्रभार के	नवरात्रों पर अखण्ड ज्योति (वर्ष में दो बार) बिना किसी प्रभार के	नवरात्रों पर अखण्ड ज्योति (वर्ष में दो बार) बिना किसी प्रभार के

1	2	3	4	5	6
शिमला मंडल					
1. विध्वस्त किला, कांगडा, हिमाचल प्रदेश	1. अध्यक्ष, श्वेताम्बर जैन कांगडा कमेटी द्वारा जैन समुदाय का वार्षिक समारोह 2. प्रधान, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, नरपुर द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी	1. अध्यक्ष, श्वेताम्बर जैन कांगडा कमेटी द्वारा जैन समुदाय का वार्षिक समारोह 2. प्रधान, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन नरपुर द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी	1. अध्यक्ष, श्वेताम्बर जैन कांगडा कमेटी द्वारा जैन समुदाय का वार्षिक समारोह 2. प्रधान, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, नरपुर द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी		
वडोदरा मंडल					
1. सूर्य मंदिर, मोधेरा, जिला महसाणा, गुजरात	शून्य	कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट, महसाणा द्वारा उत्तरार्ध उत्सव/राष्ट्रीय नृत्य उत्सव	कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट, महसाणा द्वारा उत्तरार्ध उत्सव/राष्ट्रीय नृत्य उत्सव	कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट, महसाणा द्वारा उत्तरार्ध उत्सव/राष्ट्रीय नृत्य उत्सव	

तीस्ता सिंचाई परियोजना

1578. श्री नृपेन्द्र नाथ राय : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में तीस्ता सिंचाई परियोजना का कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित और जागे की गयी निधियाँ का ब्यौरा क्या है;

(घ) परियोजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) परियोजना के कब तक पूरी होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिन्सेंट एच. पाला) :

(क) और (ख) तीस्ता सिंचाई परियोजना वर्ष 1975 में 69.72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई थी। परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 2988.61 करोड़ रुपये है। मार्च, 2009 के अंत तक परियोजना पर किया गया संचयी व्यय 1153.43 करोड़ रुपये है। परियोजना की धीमी प्रगति के कारण हैं।

(i) परियोजना को समय पर पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की असमर्थता।

(ii) नहर प्रणाली के भूमि के अधिग्रहण में देरी।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अंतिम तीन वर्षों के दौरान परियोजना के लिए किए गए बजट प्रावधान और किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	बजट प्रावधान	किया गया व्यय
2006-2007	94.10	39.954
2007-2008	94.85	62.01
2008-2009	115.79	57.54

2009-10 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया बजट आबंटन 237.19 करोड़ रुपये है।

(घ) सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण एवं कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। तथापि केन्द्र सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी. पी.) के अंतर्गत कार्यक्रम के समय-समय पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। तीस्ता परियोजना के लिए अभी तक जारी केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान 152.924 करोड़ रुपये है। इसके बाद परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं की सूची में शामिल कर लिया गया है और यह राष्ट्रीय परियोजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार 90 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के लिए पात्र है।

(ङ) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार परियोजना को मार्च, 2015 तक पूरा करने की योजना है।

विदेशों में कोयला खानों का अधिकरण

1579. श्री वैजयंत पांडा :

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में कोयला खानों के अधिग्रहण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही उक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) उक्त परियोजनार्थ शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(घ) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) कोयला खानों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी आय उत्पादित होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) :

(क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार ने कोल इंडिया लि. (सीआईएल)/ भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल)/राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल)/राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि. (एनएमडीसी) तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. (एनटीपीसी) के बीच संयुक्त उद्यम के माध्यम से स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन का अनुमोदन कर दिया है जिसे "इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्रा.लि." (आईसीवीएल) के रूप में पंजीकृत किया गया है। आईसीवीएल का उद्देश्य भागीदार कंपनियों की कोयले की मांग को पूरा करने के लिए विदेश में कोयला संसाधनों में निवेश करना है। एसपीवी के लिए 10000 करोड़ रु. की प्राधिकृत पूंजी और 3500 करोड़ रु. की प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी का अनुमोदन किया गया है। आईसीवीएल को 20.5.2009 को एक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

(ङ) चूंकि आईसीवीएल प्रारंभिक चरण में है इसलिए कोयला संसाधनों/खानों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप सृजित होने वाली आय का अनुमान लगाना इस समय संभव नहीं है।

दवा विक्रेताओं द्वारा औषधि/दवाइयों की बिक्री

1580. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औषधियों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों के रुझान में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दवा विक्रेताओं द्वारा दवाइयों/औषधियों की बिक्री के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए मानदंडों/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दवा विक्रेताओं द्वारा औषधियों की बिक्री के लिए इन मानदंडों को सख्ती से लागू करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले दवा विक्रेताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) देश में भ्रामक विज्ञापन के बढ़ते रुझान की रिपोर्ट नहीं हैं। औषधों का विज्ञापन औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के अधीन विनियमित किया जाता है। यह अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा उनके संबंधित अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत लागू है।

(ग) और (घ) दवाओं का विक्रय औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1954 के उपबंध के अंतर्गत अनुज्ञापन व्यवस्था तथा राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारियों के निरीक्षण के जरिए विनियमित किया जाता है। विस्तृत उपबंध औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं जो अनुज्ञप्ति की शर्तों के रूप में थोक और खुदरा औषधों दोनों के लिए अनिवार्य हैं। राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारीगण उक्त अधिनियम के तहत उल्लिखित दंडात्मक उपबंधों के अनुसार उपबंधों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करते हैं।

राष्ट्रीय जल मिशन

1581. श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री प्रदीप माझी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय जल मिशन प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौस क्या है, साथ ही इस मिशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त मिशन जलवायु परिवर्तन/वैश्विक तापन के मुद्दों का समाधान किस प्रकार करेगा।

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) :

(क) से (ग) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना को जून, 2008 में जारी कर दिया गया है जिसमें आठ राष्ट्रीय मिशनों को संस्थागत बनाने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय जल मिशन आठ

अभिज्ञात राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। जल संसाधन मंत्रालय ने एक परामर्शदात्री प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय जल मिशन के लिए ड्राफ्ट व्यापक मिशन दस्तावेज तैयार कर लिया है। राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य "जल का संरक्षण, जल को व्यर्थ बहाने में कमी और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के चारों ओर और इनके अंदर अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना" है। राष्ट्रीय जल मिशन के लिए अभिज्ञात किए गए पांच लक्ष्य हैं (i) सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक जल डाटा बेस और जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन (ii) जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण के लिए नागरिकों और राज्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रोत्साहन, (iii) अति-दोहित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान, (iv) जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना; और (v) बेसिन स्तरीय एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का प्रोत्साहन।

[हिन्दी]

पीएमजीएसवाई को पर्यावरणीय स्वीकृति

1582. श्री यशवंत लागुरी :

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौस क्या है और उस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में कितने मामले लंबित पड़े हैं और इस प्रकार लंबित रहने के कारण क्या हैं; और

(घ) शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) इस मंत्रालय को किसी भी राज्य सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना,

2006 के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। अतः उन्हें पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के अलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मानवों पर औषधियों का नैदानिक परीक्षण

1583. डॉ. के.एस. राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) और भारतीय औषध महानियंत्रक (डीसीजीआई) देश में औषधियों के नैदानिक परीक्षण को विनियमित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के परीक्षण के मापदंड/दिशानिर्देशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई कंपनियों को मानवों पर औषधियों का नैदानिक परीक्षण करने संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रकार की कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(च) क्या सरकार का विचार देश में नैदानिक परीक्षण को विनियमित करने के लिए किसी कानून का अधिनियमन करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस प्रकार का कानून कब तक अधिनियमित होने की संभावना है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के उपबंधों के अनुसार देश में नैदानिक परीक्षणों को केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी डी एस सी ओ) द्वारा विनियमित किया जाता है। नैदानिक

परीक्षण करने के लिए अपेक्षाओं एवं दिशानिर्देशों को औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के नियम 122 घ क, 122 घ क क, 122 घ, ख, 122 ड एवं अनुसूची म में विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूची म में यह भी अधिदेश है कि नैदानिक परीक्षण सी डी एस सी ओ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा जारी उत्तम नैदानिक पद्धतियों से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।

(ग) से (ङ) मैसर्स वैध फार्मास्युटिकल लिमिटेड ने दिनांक 20-8-2008 के अपने पत्र के तहत भारत में 13-वैलेंट न्यूमोकोक्कल कंजुगेट वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण में शामिल किए गए एक प्रयोगाधीन व्यक्ति की मौत से संबंधित गंभीर प्रतिकूल घटनाओं (एस ए ई) की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एस ए ई की समीक्षा के बाद सी डी एस सी ओ ने देश में 6-11-2008 को नैदानिक परीक्षण आस्थगित कर दिया। इसके उपरान्त नैदानिक परीक्षण के स्थल, जहां उपर्युक्त एस ए ई हुई थी, का सी डी एस सी ओ द्वारा गठित एक दल द्वारा निरीक्षण किया गया और इसमें उत्तम नैदानिक पद्धतियों से संबंधित अनेक उल्लंघन प्रकट हुए। इसलिए प्रायोजक (मैसर्स वैध फार्मास्युटिकल लिमिटेड), मानीटर (मैसर्स जी वी के बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड) और संबंधित अन्वेषक को चेतावनी पत्र जारी किए गए जिनमें उन्हें ऐसे उल्लंघन को भविष्य में रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाइयां करने के लिए कहा गया था। नैदानिक परीक्षण 6-11-2008 से 22-4-2009 तक सभी 12 स्थलों पर आस्थगित रहे। प्रायोजक ने उत्तम नैदानिक पद्धति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई अनेक सुधारात्मक कार्रवाइयों का उल्लेख किया। सी डी एस सी ओ ने उसकी संवीक्षा की तथा निरीक्षण किए गए स्थल को छोड़कर सभी स्थलों से 23-4-2009 को आस्थगन रद्द करने का निर्णय लिया। इसके अलावा मानीटर एवं निरीक्षित स्थल के अन्वेषक ने उनके द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा दिया जिसके आधार पर 2-6-2009 को निरीक्षित स्थल से भी आस्थगन रद्द कर दिया गया।

(च) से (ज) सरकार ने 21 अगस्त, 2007 को राज्य सभा में औषध एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक पुरः स्थापित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नैदानिक परीक्षणों के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में पृथक विनियामक उपबंधों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा, नैदानिक अनुसंधान संगठन (सी आर ओ)/देश में नैदानिक परीक्षण करने वाले प्रायोजक के पंजीयन के लिए औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित नियमों के मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए सी डी एस सी ओ की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

पूर्व की ओर देखो नीति

1584. डॉ. थोकचोम मैन्था : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "पूर्व की ओर देखो" नीति में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जैसा कि "पूर्व की ओर देखो" नीति में प्रतिपादित किया गया है सरकार भी "असियान" के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए बातचीत कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं के साथ 1990 के दशक के आरंभ से ही भारत सरकार की "पूर्व की ओर देखो" नीति का विकास होता रहा है और हम असियान तथा दक्षिण और पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ अपने क्रियाकलापों को काफी गहन बनाने में सफल हुए हैं। उच्च-स्तरीय यात्राओं और द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश का संवर्धित स्तर हमें नियमित आधार पर पूर्व की ओर देखो नीति की रूपरेखा और विषय-वस्तु को उन्नत करने का अवसर प्रदान करते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) असियान के साथ मुक्त व्यापार करार के भाग के रूप में सामानों के व्यापार से संबद्ध करार के पाठ को अंतिम रूप दिया गया है। निवेश और सेवाओं से संबद्ध करारों पर शीघ्र चर्चा आरंभ होने वाली है।

[हिन्दी]

कोयला कंपनियों में नियोजित कामगार

1585. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न सरकारी उपक्रमों में कंपनीवार कितने व्यक्ति नियोजित हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कंपनी-वार मशीनों और हाथों से अलग-अलग कितना कोयला उत्पादित हुआ है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां

30.6.2009 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों में तैनात कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:-

कंपनी	31.5.2008 के अनुसार कर्मचारियों की संख्या
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	87785
भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल)	73846
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	53768
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल)	60102
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) और दानकुनी कोयला काम्प्लेक्स	79056
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल)	19648
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल)	15068
सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.	2298
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी)	2849
कोल इंडिया लि. (सीआईएल) (मुख्यालय)	737
जोड़	395157

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.

30.6.2009 की स्थिति के अनुसार सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. में कामगारों की संख्या 70341 है।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.

1.7.2009 की स्थिति के अनुसार नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. में कामगारों की संख्या 14471 है।

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मशीन तथा मैनुअली उत्पादित कोयले की मात्रा कंपनी-वार अलग-अलग नीचे दिए अनुसार है:-

(मि.ट.)

कंपनी	2008-09		2007-08		2006-07	
	मशीन द्वारा	मैनुअली	मशीन द्वारा	मैनुअली	मशीन द्वारा	मैनुअली
ईसीएल	24.17	3.97	19.65	4.41	25.63	4.48
बांसीसीएल	23.48	2.03	22.92	2.29	21.35	2.85
सीसीएल	42.07	1.17	42.76	1.39	39.84	1.48
एनसीएल	63.65	0.00	59.62	0.00	52.16	0.00
डब्ल्यूसीएल	43.89	0.81	42.51	1.01	42.00	1.21
एसईसीएल	100.34	0.80	92.75	1.05	87.32	1.18
एमसीएल	96.28	0.06	87.94	0.07	79.93	0.07
एनईसी	0.96	0.05	1.01	0.09	0.94	0.11
सीआईएल	394.84	8.89	369.16	10.31	349.17	11.74

चालू वर्ष हेतु कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों में मशीन और मैनुअली उत्पादन संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है। उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.

(मि.ट.)

	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
	(अप्रैल-जून '09)			
मशीन द्वारा	11.437	40.496	35.778	32.133
मैनुअली	0.820	4.046	4.826	5.574
जोड़	12.257	44.542	40.604	37.707

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.

वास्तविक लिग्नाइट उत्पादन (लाख टन)

	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
	(अप्रैल-जून '09)			
मशीन द्वारा	58.76	213.07	215.86	210.14

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की खानें उच्च मशीनीकृत हैं, मैनुअली उत्पादित कोयले की मात्रा नगण्य है।

विदेशों में भारतीय छात्रों पर हमले

1586. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में केन्द्र सरकार को आस्ट्रेलिया और कनाडा में नस्ली हमलों का सामना कर रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को स्पष्ट करते हुए एक शपथपत्र दायर करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) न्यायालय में मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) जी हां। मामला न्यायाधीन है।

निजी कम्पनियों में अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी

हेतु आरक्षण

1587. श्री अशोक कुमार रावत :

श्री पी. करुणाकरन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र में अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण सुनिश्चित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार को जनप्रतिनिधियों तथा अन्य सामाजिक संगठनों से कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) से (घ) निजी क्षेत्र में आरक्षण शुरू किए जाने के संबंध में सरकार को विभिन्न संगठनों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण शुरू किए जाने सहित इस सकारात्मक कार्यवाई के मुद्दे की जांच-पड़ताल करने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उद्योग जगत और अन्य संघों के साथ वार्ता शुरू करने के लिए सितम्बर, 2004 में एक मंत्री दल

गठित किया गया था। इस दल की पांच बैठकें हुईं और इसने शीर्षस्थ उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श भी किया। निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्यवाई पर उद्योग जगत के साथ इस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में अक्टूबर, 2006 में एक समन्वय समिति का गठन किया गया। समिति ने शीर्षस्थ उद्योग चैम्बर/संघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चाएं कीं। दिनांक 11.7.2008 को आयोजित समन्वय समिति की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अधिकता वाली आबादी के पिछड़े जिलों में उत्पादक इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए सितम्बर, 2008 में एक अधिकारी-दल गठित किया गया है।

[अनुवाद]

वन भूमि का अन्य उपयोग

1588. श्रीमती मेनका गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सहित कई राज्यों में वन भूमि का उपयोग पेट्रोल पंप और शापिंग माल सहित गैर-वन कार्यों के लिए किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वन भूमि का निजी व्यवसायिक उपयोग होने के कारण क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):

(क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत वनभूमि को विकास कार्यों तथा ढांचागत विकास, सिंचाई, पाइपलाइन/केबल/ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने के साथ-साथ वानिकी प्रयोजन हेतु अपवर्तित किया जाता है। अब तक 1591 अनुमोदनों में से 146 अनुमोदन, जिनमें से ज्यादातर अप्रोच रोड से पेट्रोल पंपों तथा शापिंग माल्स के निर्माण से संबंधित, हरियाणा राज्य के लिए दिए गए हैं। इनमें 17.375 हेक्टेयर वन भूमि को शामिल किया गया है।

नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्री

1589. श्री भर्तृहरि महताब : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्री जनता के लिए आसानी से उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी परीक्षणों का पंजीकरण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रजिस्ट्री में दर्ज परीक्षणों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार को परीक्षण न्याचार के परिणामों और प्रकाशित रिपोर्टों में किसी प्रकार की विसंगतियों का पता चला है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान सांख्यिकी संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) द्वारा अनुरक्षित क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्री - इंडिया (सी टी आर आई) www.ctri.in पर नैदानिक परीक्षणों की एक निःशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्री है।

(ग) फिलहाल सी टी आर आई में सभी उपचारात्मक (इंटरनैशनल) परीक्षणों को पंजीकृत किया जा रहा है। अवलोकनात्मक और जैवउपलब्धता/ जैवसमसंयोजी परीक्षणों का फिलहाल पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। दिनांक 15 जून 2009 से परीक्षण को अनिवार्य बना दिया गया है।

(घ) सी टी आर आई की शुरुआत दिनांक 20 जुलाई 2007 को की गई थी। दिनांक 13 जुलाई 2009 की स्थिति के अनुसार, 338 परीक्षणों को पंजीकृत किया गया है।

जुलाई 2007 से दिसंबर 2007 के दौरान, 11 परीक्षणों को पंजीकृत किया गया था।

जनवरी 2008 से दिसंबर 2008 के दौरान, 137 परीक्षणों को पंजीकृत किया गया था।

जनवरी, 2009 से जुलाई 2009 के दौरान, 190 परीक्षणों को पंजीकृत किया गया था।

(ङ) और (च) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत

केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी डी एस सी ओ) को परीक्षण न्याचार के परिणामों तथा प्रकाशित रिपोर्टों में ऐसी किसी विसंगति की कोई सूचना नहीं मिली है।

माओवादियों का अन्य संगठनों के साथ संपर्क

1590. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माओवादियों ने अन्य देशों से अपनी गतिविधि संचालित करने वाले अन्य संगठनों से संपर्क स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित सरकारों के साथ इस मुद्दे को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (घ) संबंधित मंत्रालय (गृह मंत्रालय) से सूचना की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जैवप्रौद्योगिकी हेतु रूपरेखा

1591. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैवप्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु तैयार की गयी रूपरेखा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने स्वास्थ्य परिचर्या, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में जैवप्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में कार्य कर रहे जैवप्रौद्योगिकी पार्कों और इन्क्यूबेशन केंद्रों की राज्यवार संख्या कितनी है और ग्यारवीं योजना के दौरान राज्यवार कितने ऐसे पार्क और केंद्र स्थापित किए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक,

लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जैवप्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति तैयार की है जिसकी घोषणा अक्टूबर, 2007 में की गयी थी। यह कार्यनीति विभिन्न स्टेकहोल्डरों, वैज्ञानिकों, गैर-सरकारी संगठनों, नीति निर्माताओं, सिविल सोसाइटियों और उद्योगों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई थी।

राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति का उद्देश्य ऐसे साधनों और प्रौद्योगिकियों का विकास करना है जिनसे समाज के सबसे बड़े तबके की समस्याओं का समाधान किया जा सके, उत्पादों और सेवाओं को वहनीय कीमतों पर उपलब्ध कराया जा सके और उभरती हुई जैव-अर्थव्यवस्था में भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति का मूलभूत लक्ष्य ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के उद्भव को संभव बनाना है जो नवाचार को प्रोत्साहित कर सके। इस कार्य-नीति में और अधिक विश्वस्तरीय शोधकर्ताओं को तैयार करने, विश्वविद्यालय तंत्र में उत्कृष्टता केन्द्रों तथा अन्तर-विषयक नेटवर्कों की स्थापना करने, प्रौद्योगिकी अंतरण और पेटेन्ट कौशल को सुदृढ़ बनाने, बायोटेक क्लस्टरों एवं पार्कों को प्रोत्साहित करने, एक सशक्त विनियामक तंत्र का निर्माण करने, जैविक पदार्थों के स्थानांतरणीय आवागमन में सुधार करने, जिन प्रमुख क्षेत्रों में संस्थानों की कमी है उनमें नए संस्थानों की स्थापना करने और राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी को जोड़ने का प्रावधान है। मानव संसाधन विकास, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, उद्योग एवं व्यापार और जन जागरूकता को बढ़ावा देने और विशिष्ट उप-क्षेत्रों के लिए कार्ययोजना तैयार करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए यह कार्यनीति एक व्यापक रूपरेखा है। कार्यनीति की यह कार्ययोजना जैवप्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भावी प्राथमिकताओं और गतिविधियों को दिशा प्रदान करेगी।

(ख) और (ग) संघ सरकार ने स्वास्थ्य परिचर्या, कृषि और उद्योग क्षेत्र में जैवप्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। 1986 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) को जैवप्रौद्योगिकी के प्रवर्धन एवं विकास के लिए एक अधिदेश सौंपा गया है। डीबीटी के अतिरिक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी जैवप्रौद्योगिकी शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करते हैं। डीबीटी अपनी प्रमुख गतिविधियों में जैवप्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने, उत्पादों/प्रक्रियाओं के विकास, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा

देने, मानव संसाधन विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यापारीकरण के लिए क्षमता को बढ़ाने, विनियामक तंत्रों को कारगर बनाने, बौद्धिक सम्पदा के प्रभावकारी प्रबंधन, उत्कृष्टता केन्द्रों के निर्माण और अवसंरचना सुदृढ़ीकरण पर बल देता है। देश भर में अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टीका, नैदानिकी, जैव-औषधि, इम्प्लांट्स और उपकरणों पर बल दिया गया है। कृषि में आवश्यकतानुसार मार्कर सहायित उत्पादन और आनुवंशिक संशोधन के प्रयोग से सूखा, लवणता, फसलोत्तर हानियों, न्यूट्रास्यूटिकल्स, बायोफॉर्टीफीड्स पर बल दिया गया है।

(घ) देश में जैवप्रौद्योगिकी, विभाग, भारत सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त 4 जैवप्रौद्योगिकी पार्क कार्यशील हैं। ये पार्क उत्तर प्रदेश (लखनऊ) और आन्ध्र प्रदेश (हैदराबाद) तथा 2 तमिलनाडु (चैन्नई) में अवस्थित हैं। बंगलौर और पुणे में भी ऐसे पार्कों की स्थापना की गई है। मोहाली में एक नया पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। जैवप्रौद्योगिकी उद्योग के विकास की दिशा में जैवप्रौद्योगिकी पार्कों के महत्व को समझते हुए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की संभाव्यता के आधार पर सरकार की वर्ष 2010 तक कम से कम 10 बायोटेक पार्कों को प्रोत्साहन एवं सहायता देने की योजना है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, असम और गुजरात के प्रस्तावों को सरकार ने पहले ही सहायता प्रदान की है। उड़ीसा का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा योजना/विकास स्तर पर है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात केन्द्र

1592. श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

डॉ. रघुनाथ प्रसाद सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुरंत चिकित्सा सहायता के अभाव में सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त काफी सारे व्यक्ति मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों अभिघात केन्द्रों की राज्यवार और स्थानवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या वर्तमान में स्थापित अभिघात केन्द्र पर्याप्त हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार देश में और अधिक अभिघात केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किस स्थान की पहचान की गयी है; और

(छ) इन केन्द्रों का कार्यकरण कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद):

(क) से (छ) परिवहन अनुसंधान विंग, नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 2007 के दौरान देश में सड़क यातायात संबंधी दुर्घटनाओं के कारण 479216 दुर्घटनाओं की सूचना दी गई; 513340 व्यक्ति घायल हुए एवं 114444 की मृत्यु हो गई।

इस समस्या पर काबू पाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अभिघात परिचर्या सुविधाओं की

स्थापना के लिए परियोजना" की परिकल्पना की गई है ताकि दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम गलियारों के किनारे अभिघात केन्द्रों का नेटवर्क विकसित किया जा सके। परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे प्रत्येक 50 कि.मी. पर जीवन सहायक एंबुलेंसों की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है। इसमें अभिघात केन्द्रों की तीन श्रेणियों अर्थात् एल-1, एल-2, एवं एल-3 का भी प्रावधान है अभिघात परिचर्या नेटवर्क इस तरह बनाया गया है जिससे कि किसी भी अभिघात पीड़ित को 50 कि.मी. से अधिक नहीं ले जाना पड़े और प्रत्येक 100 कि.मी. पर एक नामोद्दिष्ट अभिघात केन्द्र उपलब्ध हो।

जिन केन्द्रों को 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभिघात परिचर्या केन्द्रों की स्थापना के लिए अब तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण पर है। ये केन्द्र प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

अनुमोदित अभिघात केन्द्रों की सूची

राज्य	क्र.सं.	हास्पिटल/मेडिकल संस्था का नाम
1	2	3
गुजरात	1.	डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, हिम्मतनागर (एल-3)
	2.	जनरल हास्पिटल, वलसाड (एल-2)
	3.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सूरत (एल-2)
	4.	डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, भरूच (एल-3)
	5.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वडोदरा (एल-2)
	6.	पं. दीन दयाल उपाध्याय हास्पिटल, राजकोट (एल-2)
	7.	जनरल हास्पिटल, मोरबी (एल-2)
	8.	सिविल हास्पिटल, राधनपुर (एल-3)
	9.	सहयोग आरोग्य हास्पिटल, बचऊ, कच्छ (एल-3)

1	2	3
तमिलनाडु	10.	जनरल हास्पिटल, पोरबंदर (एल-2)
	11.	सी एच सी, जेतपुर (एल-3)
	12.	कृष्णगिरी गवर्न. हास्पिटल, धरमपुरी (एल-3)
	13.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सिविल हास्पिटल, वेलोर (एल-2)
	14.	कील्परुक्क मेडिकल कॉलेज और हास्पिटल, वेलोरे (एल-2)
	15.	डिस्ट्रिक्ट हेडक्वा. हास्पिटल, दिंडिगल (एल-2)
	16.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हास्पिटल, कन्याकुमारी (एल-2)
	17.	तिरुनल्वेली मेडिकल कॉलेज हास्पिटल, तिरुनल्वेली (एल-2)
	18.	डिस्ट्रिक्ट हेडक्वा. हास्पिटल, करूर (एल-3)
	19.	डिस्ट्रिक्ट हेडक्वा. हास्पिटल, कोविलपट्टी (एल-3)
आंध्र प्रदेश	20.	गवर्नमेंट राजाजी हास्पिटल और मेडिकल कॉलेज, मदुराई (एल-2)
	21.	नयदुपेत तालुक हास्पिटल, नेल्लोर (एल-3)
	22.	मेडिकल कॉलेज, गुंटुर (एल-2)
	23.	टुनी तालुक हास्पिटल, ईस्ट गोदावरी, (एल-3)
	24.	तालुक हास्पिटल, टेक्कली (एल-3)
	25.	डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, नेल्लोर (एल-2)
	26.	डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, ओंगोलु (एल-3)
	27.	आंध्र मेडिकल कॉलेज, विशाखापट्टनम (किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज) (एल-2)
	28.	राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीज़ (रिम्स), आदिलाबाद (एल-2)
	29.	एरीआ हास्पिटल, कामारेड्डि (एल-3)

1	2	3
	30.	डिस्ट्रिक्ट हेडक्वा. हास्पिटल, निजामाबाद (एल-2)
	31.	गवर्नमेंट जनरल हास्पिटल, कूरनूल (एल-2)
	32.	गवर्नमेंट जनरल हास्पिटल, अनंतपूर (एल-2)
	33.	गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल महबूबनगर (एल-3)
	34.	कम्युनिटी हास्पिटल, पेनुकोड (एल-3)
कर्नाटक	35.	तुमकुर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, तुमकुर (एल-3)
	36.	सीरा सी. एच. सी./तालुक हास्पिटल, सीरा (एल-3)
	37.	चित्रादुर्गा सिविल हास्पिटल, चित्रादुर्गा (एल-2)
	38.	देवंगेरे सिविल हास्पिटल, देवंगेरे (एल-3)
	39.	हावेरी डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, इताल, हावेरी (एल-3)
	40.	बेलगांव डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, बेलगांव (एल-3)
	41.	कर्नाटक इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीज, हुबली (एल-2)
	42.	जनरल हास्पिटल, चिक्बोल्लापूर (एल-3)
पंजाब	43.	डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, जालनधर (एल-2)
महाराष्ट्र	44.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हास्पिटल, कोल्हापुर, (एल-2)
	45.	बी. एल. मेडिकल कॉलेज, पुणे, (एल-2)
	46.	सतारा डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, सतारा, (एल-3)
	47.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हास्पिटल, नागपुर (एल-2)
	48.	सब-डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, होंगंबट, वर्धा (एल-2)
	49.	सब-डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, दहाणू डिस्ट्रिक्ट, ठाणे (एल-3)
उड़ीसा	50.	डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, बालासोरे, (लेवेल-2)

1	2	3
	51.	डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, भद्रक, (एल-वेल-3)
	52.	डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, खूरडा, (लेवेल-3)
	53.	एस सी बी मेडिकल कॉलेज, कट्टक (लेवेल-आई)
हरियाणा	54.	बी एस एस जनरल हास्पिटल, पानीपत (एल-2)
उत्तर प्रदेश	55.	एम एल एन मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद (एल-2)
	56.	बी आर डी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर (एल-2)
	57.	डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, ललितपुर (एल-2)
	58.	डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, जालौन (एल-3)
	59.	एम एल एन मेडिकल कॉलेज, झांसी (एल-2)
	60.	श्री भीमराव अम्बेडकर जिला हास्पिटल, इटावा (एल-3)
	61.	एस एन मेडिकल कॉलेज, आगरा (एल-2)
	62.	एल एल आर हास्पिटल और जी एस वी एम मेडिकल कॉलेज, कानपुर (एल-2)
	63.	डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, फैजाबाद (एल-3)
	64.	डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, बस्ती (एल-3)
	65.	डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, फतेहपुर (एल-3)
पश्चिम बंगाल	66.	बूरदवन मेडिकल कॉलेज और हास्पिटल, बूरदवन (एल-2)
	67.	सब-डिविज़नल हास्पिटल, आसन्सोल (एल-2)
	68.	नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और हास्पिटल, सिलिगुरी (एल-2)
	69.	इस्लामपुर एस.डी. हास्पिटल, उत्तर दीनजपुर (एल-2)
राजस्थान	70.	तालुक हास्पिटल, कोटपुतली (एल-3)
	71.	एस एम एस मेडिकल कॉलेज, जयपुर (एल-2)

1	2	3
	72.	जे एल एन मेडिकल कॉलेज, अजमेर (एल-2)
	73.	डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, भीलवाड़ा (एल-3)
	74.	आर एन टी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर (एल-2)
	75.	सिविल हास्पिटल, डूंगरपुर (एल-3)
	76.	गवर्नमेंट हास्पिटल, सिरोही (एल-3)
	77.	गवर्नमेंट हास्पिटल, बरन (एल-3)
	78.	श्री सन्वालिया हास्पिटल, चित्तोरगढ़ (एल-3)
	79.	नई मेडिकल कॉलेज हास्पिटल, कोटा (एल-2)
जम्मू और कश्मीर	80.	गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, उधमपुर (एल-2)
	81.	मिर्जा मोहम्मद अफज़लबेग मेमोरिल डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, अनंतनाग (एल-3)
असम	82.	मेडिकल कॉलेज और हास्पिटल, सिलचर (एल-2)
	83.	सिविल हास्पिटल, हाफ्लोन्ग (एल-3)
	84.	सिविल हास्पिटल, दिफू (एल-3)
	85.	डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, नागांव (एल-2)
	86.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हास्पिटल, गुवाहाटी (एल-2)
	87.	सिविल हास्पिटल, बोनाईगांव (एल-3)
बिहार	88.	सदर हास्पिटल, सासाराम, रोहतास (एल-3)
	89.	ए एन मगध मेडिकल कॉलेज हास्पिटल, गया (एल-2)
	90.	सदर हास्पिटल, किशनगंज (एल-3)
	91.	सदर हास्पिटल, पुर्णिया (एल-2)
	92.	सदर हास्पिटल, माधेपुरा (एल-3) दरभंगा मेडिकल कॉलेज हास्पिटल, दरभंगा (एल-2)

1	2	3
	93.	एस.के. मेडिकल कॉलेज हास्पिटल, मुजफ्फरपुर (एल-2)
	94.	सदर हास्पिटल, गोपालगंज (एल-3)
	95.	सब-डिविजनल हास्पिटल झंजरपुर (एल-3)

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में विलंबित केन्द्रीय परियोजनाएं

1593. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार महाराष्ट्र में निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) समायोपरि के कारण इन परियोजनाओं की लागत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गयी है;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) :
(क) से (ग) 01.04.2009 की स्थिति के अनुसार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 16 आधारी संरचना क्षेत्रों में 20 करोड़ रु. और उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की 889 परियोजनाओं की निगरानी कर रहा है। इनमें से, महाराष्ट्र राज्य में 34 परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से, दो क्षेत्रों अर्थात् पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और रेलवे की 7 परियोजनाएं अपनी मूल अनुमोदित अनुसूची के संदर्भ में समय से पीछे चल रही हैं। ऐसी सूचना मिली है कि 7 विलंबित परियोजनाओं में लागत वृद्धि 6281.7 करोड़ रुप है जो 3465.28 करोड़ रु. की मूल अनुमोदित लागत का 181.28 प्रतिशत बैठती है। इन परियोजनाओं में लागत वृद्धि के कारण भौगोलिक समस्याएं, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण में विलंब, आपूर्ति में विलंब तथा समय वृद्धि की वजह से सामान्य लागत वृद्धि हैं। सात विलंबित परियोजनाओं की सूची, उनके चालू होने की प्रत्याशित तारीख के साथ संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) ऐसी परियोजनाओं की लागत एवं समय वृद्धि को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य सुधारात्मक कदमों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

- (i) द्वि-स्तरीय क्लियरेंस प्रणाली अपनाना तथा निवेश के अनुमोदन से पूर्व परियोजनाओं का एकदम सही-सही मूल्यांकन करना;
- (ii) निधियों की पूर्णतः व्यवस्था के बाद ही परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए हाथ में लेना;
- (iii) सरकार द्वारा मासिक और तिमाही आधार पर परियोजनाओं की गहन समीक्षा;
- (iv) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास से संबंधित मामलों, वन अनुमतियों, अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा परियोजना स्थलों पर कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी समस्याओं के संबंध में राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई करना;
- (v) विभागीय तौर पर निष्पादित परियोजनाओं की समीक्षा के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों में अधिकार प्राप्त समिति का गठन करना;
- (vi) अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतःमंत्रालयी समन्वय;
- (vii) समय और लागत वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु मंत्रालयों/विभागों में स्थायी समितियों का गठन करना;
- (viii) कार्यकाल की निरंतरता के साथ प्रत्येक परियोजना के लिए, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति; और
- (ix) मानक बोली दस्तावेज अपनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करना।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में मूल स्वीकृति के संदर्भ में समय से पीछे चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा
(1.4.2009 की स्थिति)

क्र. सं.	क्षेत्र/अभिकरण/परियोजना	क्षमता	अनुमोदन की मूल तारीख	चालू होने की मूल तारीख	चालू होने की प्रत्याशित तारीख	समय वृद्धि (महीनों में)	मूल लागत (करोड़ रु.)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु.)	मूल लागत के संदर्भ में लागत वृद्धि (%)	कुल व्यय (करोड़ रु.)
पेट्रोलियम										
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड										
1.	ल्यूब आयल आधारित स्टाक क्वालिटी का उन्नयन		10/2006	4/2009	5/2010	13	638.90	1030.00	61.21	249.87
2.	मुंबई तेल शोधक कारखाने में ग्रीन फ्यूल एवं एमीशन कंट्रोल परियोजना		10/2002	4/2005	3/2009	47	1152.00	1731.00	50.26	1551.79
तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लिमिटेड										
3.	मुंबई हाई साउथ रीडिवलेपमेंट फेज-II	346 मी.टन	6/2007	6/2009	4/2011	22	1252.75	5713.07	356.04	2928.92
रेलवे										
गेज परिवर्तन										
4.	मिराज-लातूर रोड	374 कि.मी.	4/1993	3/2001	3/2010	108	225.00	846.40	262.84	527.37
महानगर परिवहन परियोजनाएं										
5.	कुर्ला-भांडुप पांचवीं एवं छठी लाइन फेज-II	10 कि.मी.	4/1995	3/2002	12/2009	93	49.84	136.45	173.78	107.39
नई लाइन										
6.	अमरावती-नरखेर नई लाइन परियोजना	138 कि.मी.	6/1994	6/1999	3/2011	141	120.90	284.27	135.13	206.37
सिग्नलिंग एवं दूरसंचार										
7.	सीएसटी मुंबई-कुर्ला-ठाणे-कल्याण ट्रेन डिस्क्रीइबर सिस्टम		4/1996	3/1999	6/2010	135	25.89	35.79	38.24	19.79
कुल							3465.28	9746.98	181.28	5591.47

‘वन गांवों का राजस्व गांवों में परिवर्तन’

1594. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार वन गांवों की संख्या क्या है;

(ख) इन वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) इन वन गांवों को राजस्व गांव के रूप में कब अधिसूचित किया जाएगा; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) से (घ) 12 राज्यों में बसे 2474 वन ग्रामों में से 514 वन ग्रामों को, जिनमें 315 ग्राम मध्य प्रदेश के हैं, अब तक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत राजस्व ग्राम के रूप में कनवर्ट किया जा चुका है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II पर दिया गया है। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तित करने के लिए उस वन भूमि को अनारक्षित किया जाता है जिस भूमि पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 13.11.2000 के 1995 की डब्ल्यू पी (सिविल) संख्या 337 के संबंध में दिए गए आदेश के अनुसार रोक लगाई गई है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के लिए वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय की पूर्व मंजूरी लेना अपेक्षित है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	वन ग्रामों की संख्या
1	2	3
1.	असम	499
2.	छत्तीसगढ़	425
3.	गुजरात	199
4.	झारखंड	24
5.	मेघालय	23

1	2	3
6.	मध्य प्रदेश	893
7.	मिजोरम	85
8.	उड़ीसा	20
9.	त्रिपुरा	62
10.	उत्तराखंड	61 (हैबीटेशन)
11.	उत्तर प्रदेश	13
12.	पश्चिम बंगाल	170
जोड़		2,474

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिलों का नाम	अब तक परिवर्तित ग्रामों की संख्या	अनुमोदित क्षेत्र (हेक्टेयर)	अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	गुजरात	पंच महल	112	4,238.43	10.06.2005
2.	मध्य प्रदेश	खारगौन	67	8,893.747	12.08.2002
		देवास	13	1,001.38	21.10.2002
		राजगढ़	1	44.50	21.10.2002
		गूना	1	88.54	06.03.2003
		सिद्धि	12	235.45	16.04.2003
		विदिशा	5	106.87	13.01.2004
		बड़वानी	67	3,692.43	13.01.2004
		डिंडोरी	86	11,088.61	13.01.2004
		छिंदवाड़ा	48	4,630.73	13.01.2004

1	2	3	4	5	6
	रायसेन	11	167.54	13.01.2004	
	सागर	4	163.42	09.06.2005	
3.	महाराष्ट्र नांदुरबार	73	4,073.95	24.12.2002	
4.	उत्तरांचल देहरादून	11	2,561.22	10.06.2005	
	नैनीताल	3	183.20	25.08.2008	
	जोड़	514	41,170.01		

[अनुवाद]

पक्षियों की मौत

1595. श्री मधु गौड़ यास्खी :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सहित देश में पक्षियों की मौतों के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) और (ख) पक्षियों और पशुओं की संख्या में उतार-चढ़ाव एक प्राकृतिक घटना है और विभिन्न कारण जैसे प्रिडेशन, रोग, प्रतिस्पर्धा, और कीटनाशी उपचारित बीजों का सेवन, लू लगना आदि हैं। इसके अलावा, पक्षियों की मृत्यु के विवरण का मिलान केन्द्रीय सरकार के स्तर पर नहीं किया जाता है। तथापि, ऐसे संकेत नहीं मिले हैं जो यह दर्शाते हों कि देश में राजस्थान सहित, इनकी मृत्यु में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पक्षियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

(i) अत्यंत संकटग्रस्त और अत्यधिक संकटापन्न पक्षी प्रजातियां वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल की गई है उसके द्वारा उन्हें उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(ii) पक्षियों के महत्वपूर्ण पर्यावास उनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य घोषित किए गए हैं।

(iii) पक्षियों और उनके पर्यावासों सहित वन्यजीव संरक्षण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अंतर्गत कड़े दण्डों का प्रावधान किया जाता है।

(v) पक्षियों सहित वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लोगों के बीच जागरूकता पैदा की जाती है।

(vi) किसानों को कीटनाशी युक्त बीजों को रोपित न करने की सलाह दी गई है।

पर्यावरण संबंधी स्वीकृति में पारदर्शिता

1596. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान पर्यावरण स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया इतनी पारदर्शी नहीं है; और

(ख) पर्यावरण स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया में सुधार के लिए इसे और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सभी संबंधियों से टिप्पणियाँ/सुझाव प्राप्त करने के लिए दिनांक 19 जनवरी, 2009 की एस.ओ.195 (ई) के अनुसार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना,

2006 में संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक सतर्कता द्वारा पर्यावरण विनियमन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी संबंधी सूचना शीघ्र/स्वैच्छिक आधार पर देना भी शामिल है।

मंजूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से (i) लंबित परियोजनाओं की स्थिति (ii) विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की बैठक की अनुसूची और कार्यसूची (iii) ई एसी बैठक के कार्यवृत्त (iv) पर्यावरण मंजूरी संबंधी पत्रों और (v) पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित परिपत्रों, दिशा-निर्देशों, अनुदेशों से संबंधित सूचना जनता को उपलब्ध कराई गई है।

ग्रीन प्रौद्योगिकी हेतु विशेष कोष

1597. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना देश में ग्रीन प्रौद्योगिकी के संवर्धन हेतु विशेष कोष सृजित करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना जारी कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना की रूप रेखा का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) से (घ) प्रधान मंत्री द्वारा 30 जून, 2008 को जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई थी। राष्ट्रीय कार्य योजना की रूप रेखा में विशिष्ट क्षेत्रों वाले 8 राष्ट्रीय मिशन और कुछ अन्य पहले शामिल हैं, जो न केवल हमारे विकास उद्देश्यों का संवर्द्धन करती हैं जलवायु परिवर्तन के निराकरण हेतु परस्पर लाभ भी प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय मिशनों में से एक अर्थात् जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशनों में वेन्चर कैपिटल निधियों के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अंगीकरण और उपशमन हेतु निजी क्षेत्र की पहलों को प्रोत्साहित करना परिकल्पित है। मिशन में अनुसंधान को सहायता प्रदान करने के लिए जलवायु विज्ञान अनुसंधान फंड का सृजन करना भी प्रस्तावित है। बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करना और बढ़ावा देना भी है।

स्वच्छ प्रौद्योगिकी के अंगीकार को सुकर बनाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत अन्य शुरुआतों में कोयला आधारित ऊर्जा सुपर क्रिटिकल बायलरों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास; अधिक कम्बाईन्ड चक्र प्राकृतिक गैस संयंत्रों की स्थापना; फास्ट ब्रीडर और थोरियम-आधारित थर्मल रिएक्टर प्रौद्योगिकी के अंगीकरण के माध्यम से न्यूक्लियर ऊर्जा को बढ़ावा देना; ट्रांसमिशन और वितरण के दौरान तकनीकी नुकसानों को कम करने हेतु उच्च-वाल्टेज ए.सी. और उच्च वाल्टेज डी.सी. के ट्रांसमिशन को अंगीकार करना; लघु और बड़े पैमाने की हाइड्रो ऊर्जा को अंगीकार करना, बायोमास दहन और गैसीकरण आधारित पावर जनरेशनल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का संवर्धन करना; राष्ट्रीय ऊर्जा प्रणाली में नवीकरणीय आधारित स्रोतों की मुख्य धारा को सहायता प्रदान करने हेतु विनियमित/शुल्क प्रणालियों में बढ़ोतरी तथा परिवहन और औद्योगिक ईंधनों हेतु नवीकरण योग्य ऊर्जा प्रौद्योगिकियां परिकल्पित हैं।

महत्वपूर्ण योजनाओं को बजटीय सहायता

1598. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपनी आठ महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 43 प्रतिशत की भारी वृद्धि से इसके लिए बजटीय सहायता में वृद्धि की है;

(ग) यदि हां, तो इन आवंटनों से इन योजनाओं को बृहत रूप से किस सीमा तक क्रियान्वित किया जा सकेगा; और

(घ) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जहां अतिरिक्त संसाधनों को आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी हां। वर्ष 2008-09 में 70,840 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन की तुलना में वर्ष 2009-10 (जुलाई 2009-केन्द्रीय बजट) में महत्वपूर्ण स्कीमों हेतु 1,03,119 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जोकि 2008-09 बजट अनुमान में 45 प्रतिशत की वृद्धि है।

(ग) और (घ) महत्वपूर्ण स्कीमों तथा इन आवंटनों से इन योजनाओं को बृहत रूप में किस सीमा तक क्रियान्वित किया जा सकेगा, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के व्यौरे

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	कार्यक्रम	मंत्रालय/विभाग	2008-09 ब.अ.	2009-10 (मुख्य बजट) ब.अ.	कालम 4 की तुलना में कालम 5 में परिवर्तन का प्रतिशत (08-09 ब.अ. की तुलना में 09-10 का ब.अ.)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	13100.00	13100.00	0.00	कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा तक पहुंच, साम्यता, स्कूल में रोके रखना तथा गुणवत्ता पर बल दिया गया है। लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में बालिकाओं पर ध्यान केन्द्रित करने वाले दो अतिरिक्त घटक हैं: प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)
2.	मध्याह्न भोजन (एमडीएम)	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	8000	8000	0	प्राथमिक चरण में सफलता हासिल होने के पश्चात् 1. 10.2007 से 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में इस स्कीम का अपर प्राइमरी स्टेज तक विस्तार कर दिया गया है। वर्ष 2008-09 से, पूरे देश के सभी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम में अपर प्राथमिक स्तर (कक्षा I से VIII) तक के बच्चों को कवर किया गया है।
3.	राजीव गांधी पेयजल मिशन	पेयजल आपूर्ति	7300	8000	9.589041096	सभी ग्रामीण आवासों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में राज्यों के प्रयासों में तेजी लाना।

1	2	3	4	5	6	7
4.	संपूर्ण स्वच्छता अभियान	पेयजल आपूर्ति	1200	1200	0	30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 593 जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं चालू की गई हैं ग्यारहवीं योजना की समाप्ति तक सभी जिलों को संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कवर करने तथा वर्ष 2010 तक स्वच्छता से वंचित लोगों की संख्या को लगभग आधा तक कम करने का मिलेनियम विकास लक्ष्य हासिल करने का प्रस्ताव है।
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) (स्वास्थ्य एवं आयुष घटक शामिल)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	12050	14127	17.23651452	एमआरएचएम ग्रामीण आबादी, विशेषकर वंचित वर्गों को पहुंच योग्य, वहनीय और गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य डिलीवरी प्रणाली में वास्तुगत सुधार करने की परिकल्पना करता है।
6.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	महिला एवं बाल विकास	6300	6705	6.428571429	सरकार देश में एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) स्कीम का सार्वजनीकरण करने हेतु प्रतिबद्ध है। मार्च 2012 तक आईसीडीएस के अंतर्गत सभी सेवाओं की गुणवत्ता सहित छः वर्षों के नीचे प्रत्येक बच्चे तक विस्तार किया जाएगा।
7.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए)	ग्रामीण विकास	16000	39100	144.375	एनआरईजीए कार्यान्वित करने हेतु काफी संख्या में लाभार्थियों को कवर करना तथा और अधिक दिनों का रोजगार प्रदान करना।
8.	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)	शहरी विकास	6890	12887	87.03918723	राज्य सरकारों का ध्यान शहरी अवसंरचना के महत्व पर पुनः केंद्रित करना
कुल			70840.00	103119.00	45.57	

[हिन्दी]

औषधि विनियामक तंत्र की समीक्षा

1599. श्री हंसराज गं. अहीर :

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में बढ़ती नकली दवाओं के कारण भेषज उद्योग को भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में नकली और घटिया दवाओं के मूल्यांकन सहित औषधि विनियामक तंत्र की व्यापक समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(छ) सरकार द्वारा उक्त समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) जी, हां। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.), के तत्कालीन महानिदेशक और सचिव, डा. आर.ए. मशेलकर की अध्यक्षता में 2003 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी ताकि नकली दवाइयों की समस्या सहित औषधि विनियामक मामलों की जांच की जा सके। समिति की विस्तृत रिपोर्ट केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) की वेबसाइट www.cdsc.nic.in पर उपलब्ध है। समिति की सिफारिशों की प्रमुख मदें निम्नानुसार हैं:-

(i) राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण की स्थापना सहित देश में औषधि विनियामक प्रणाली के लिए एक नई संरचना। एक सुदृढ़, सुसज्जित, सशक्त, स्वतंत्र और व्यावसायिक तौर

पर संचालित केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.), जिसे प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट करने वाले केन्द्रीय औषधि प्रशासन (सी.डी.ए.) की हैसियत प्रदान की जा सकती है।

(ii) केन्द्र व राज्यों में औषधि विनियामक अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उपाय।

(iii) केन्द्र सरकार को देश में नकली दवाइयों की सही-सही मात्रा का स्पष्ट पता लगाने के लिए वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अध्ययन करने के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए।

(iv) नकली दवाइयां तैयार करने वालों के लिए कड़ी शास्ति।

(छ) सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं:-

(i) औषधि एवं प्रसाधन-सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2007 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय औषधि प्राधिकरण का निर्माण और औषधों के केन्द्रीकृत अनुज्ञापन के लिए प्रावधान सन्निहित थे, को 21 अगस्त, 2007 में राज्यसभा में पुरःस्थापित किया गया था।

(ii) सी डी एस सी ओ को पर्याप्त अवसंरचना और जनशक्ति के साथ सुदृढ़ करने के लिए निरंतर रूप से और संगत तौर पर प्रयास किए गए हैं। सभी रिक्त पदों को भरा जा रहा है। औषधि निरीक्षक के 62 नए पद और तकनीकी अधिकारियों के 10 नए पदों को सृजित किया है और उन्हें भरा जा रहा है। व्यय विभाग से औषधि निरीक्षकों के और पदों के लिए स्वीकृति देने के अनुरोध किया गया है। नियमित स्टाफ की सहायता करने के लिए संविदात्मक स्टाफ (टेक्निकल डाटा एसोसिएट्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर) की भी भर्ती की गई है। विश्व बैंक के मार्फत क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत परीक्षण सुविधा केन्द्रों के उन्नयन और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान की गई है ताकि बहुत संख्या में उपलब्ध नमूनों की जांच करने के लिए प्रयोगशालाओं की क्षमता को बढ़ाया जा सके। इस परियोजना के अंतर्गत 23 राज्यों और 6 केन्द्रीय औषधि प्रयोगशालाओं को नवीकरणों, विस्तारों और उपकरणों के जरिए सुदृढ़ किया गया है।

(iii) देश में नकली दवाइयों की मात्रा का पता लगाने के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आई.एस.आई.), हैदराबाद द्वारा प्रदान किए गए सांख्यिकीय सिद्धांतों के आधार पर सी.डी.एस.सी.ओ. के जरिए एक देशव्यापी सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों और प्रत्येक स्तर यथा मेट्रो, बड़े शहर, जिले, कस्बे और गांवों में 100 से अधिक विभिन्न फार्मसी आउटलेट्स से 29 विनिर्माताओं के 9 चिकित्सीय श्रेणियों से संबंधित औषधों के 61 ब्रांडों के लगभग 24,300 नमूने संकलित किए गए हैं। इससे उन भौगोलिक क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिलेगी जहां नकली दवाइयां उपलब्ध हैं ताकि नकली दवाइयों की बुराई का उन्मूलन करने के लिए इन क्षेत्रों में संबंधित प्राधिकरणों द्वारा संकेन्द्रित अनुवीक्षण किया जा सके।

(iv) औषध एवं प्रसाधन-सामग्री संशोधन अधिनियम, 2008 में अब नकली दवाइयों के विनिर्माताओं पर कड़ी शास्तियां लगाने का प्रावधान है।

आतंकवाद पर समझौते

1600. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार-बार होने वाले आतंकवादी हमलों के बाद भारत ने अन्य देशों के साथ आतंकवाद के मुद्दे को उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ पिछले दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी; और

(ग) आतंकवाद के मुद्दे से निपटने के लिए इन देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए या हस्ताक्षर किए जाने की संभावना वाले समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) जी हां, आतंकवाद को मुकाबला करने में वैश्विक सहयोग के भाग के रूप में भारत अन्य देशों के साथ बात करके उपयुक्त मंचों पर भारत के विरुद्ध चलाए जा रहे आतंकवाद के मुद्दे को उठाता है। आतंकवाद के नासूर का मुकाबला किए जाने से संबद्ध संयुक्त कार्यकारी दलों (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है, जिसमें 27 देश

अथवा क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं (सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है)। जेडब्ल्यूजी वैश्विक आतंकवाद, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, आतंकवाद का मुकाबला करने से संबंधित प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में सहयोग का बढ़ावा देने और आतंकवाद प्रतिरोध क्षेत्र में बहुपक्षीय प्रयासों के संवर्धन हेतु सूचना और आकलनों का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है।

(ग) जेडब्ल्यूजी की बैठकों में आतंकवाद प्रतिरोध से संबद्ध विभिन्न विषयों को शामिल किया जाता है। जेडब्ल्यूजी ने खतरे की आशंकाओं से अवगत कराने, क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति का आकलन करने, दृष्टिकोणों और कार्रवाइयों का समन्वय करने तथा मादक दवाओं के गैर-कानूनी व्यापार, आतंकवाद के वित्त-पोषण, जैव-आतंकवाद, विमानन सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और प्रत्यर्पण के जरिए आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग के एक उपयोगी मंच के रूप में कार्य करता है।

विवरण

आतंकवाद-प्रतिरोध पर संयुक्त कार्यदलों की सूची

क्र.सं.	देश का नाम	गठन का वर्ष
1	2	3
1.	मिस्र	1995
2.	कनाडा	1997
3.	जर्मनी	1998
4.	यूके	2000
5.	यूएसए	2000
6.	फ्रांस	2001
7.	ईयू*	2001
8.	चीन	2002
9.	इजराइल	2002
10.	कजाखस्तान	2002

1	2	3
11.	रूस	2002
12.	क्रोएशिया	2002
13.	उज्बेकिस्तान	2003
14.	थाइलैंड	2003
15.	तुर्की	2003
16.	सिंगापुर	2003
17.	आस्ट्रेलिया	2003
18.	तजाकिस्तान	2003
19.	बिम्स्टेक*	2004
20.	मॉरीशस	2004
21.	इंडोनेशिया	2004
22.	म्यांमा	2004
23.	पोलैंड	2004
24.	जापान	2005
25.	कंबोडिया	2005
26.	पाकिस्तान	2006
27.	इटली	2007

*क्षेत्रीय समूह

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहन
देने के लिए दिशा-निर्देश

1601. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी
मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर निर्मित की जाने वाली
औषधियों के क्षेत्र में छोटी और मध्यम भेषज इकाइयों की अनुसंधान
और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश जारी
किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके
कारण क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान औषधि और
भेषज अनुसंधान कार्यक्रम के तहत अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं
के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संस्वीकृत निधियों का
ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान
मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक,
लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, तथा संसदीय कार्य
मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख)
जी, हां। सरकार ने बड़े पैमाने पर निर्मित की जाने वाली
औषधियों के क्षेत्र में छोटी और मध्यम भेषज इकाइयों सहित औषधि
और भेषज उद्योग को अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए
आसान ऋण, उष्णकटिबंधी क्षेत्र के उपेक्षित रोगों के लिए नई
औषधियों का विकास करने हेतु निदानालयी परीक्षण (चरण-I, II और
III) के लिए सहायता अनुदान प्राप्त करने में समर्थ बनाने तथा
सार्वजनिक रूप से निधिकृत अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों और उद्योग
के साथ सहयोगी अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू करने के
लिए औषधि और भेषज अनुसंधान कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत
दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आसान ऋण 3 प्रतिशत साधारण ब्याज
प्रतिवर्ष की दर पर कुल परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक उपलब्ध
कराए जाते हैं। ऋण की वसूली परियोजना अवधि के बाद शुरू होती
है और ब्याज सहित कुल राशि 10 वार्षिक किरतों में वसूल की
जाती है। यह जानकारी वेबसाइट www.dst.gov.in पर भी उपलब्ध
है।

(ग) विगत तीन वर्षों (2006-07, 2007-08, 2008-09) और
चालू वर्ष (2009-10) के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
द्वारा औषधि एवं भेषज अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान तथा
विकास परियोजनाओं के लिए स्वीकृत निधियों का ब्योरा निम्नानुसार
है:-

वर्ष	ऋण (करोड़ रुपये)	सहायता अनुदान (करोड़ रुपये)
2006-07	43.71	43.86
2007-08	73.50	100.44
2008-09	50.02	35.76
2009-10 (जून, 2009 तक)	6.89	1.40

सीएलएफ का सुरक्षित निपटान

1602. श्री वैजयंत पांडा :

श्री विश्व मोहन कुमार :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र की एक रिपोर्ट के अनुसार काम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स (सीएफएल) स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सीएफएल के विनिर्माण के लिए कोई मानक निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा सीएफएल के सुरक्षित निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) और (ख) दि सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट ने दिनांक 31 जनवरी, 2009 के 'लेट देयर बीसीएफएल इन डाउन टू अर्थ' नामक शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ काम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स (सीएफएल) में मरकरी की उपस्थिति और स्वास्थ्य के लिए इसके खतरों के बारे में जिक्र किया गया है।

(ग) से (ङ) "एनवायरनमेंटली साउंड मैनेजमेंट आफ मरकरी

इन फ्लोरोसेंट लैम्प्स" पर नीति बनाने के लिए सरकार द्वारा एक कार्य बल का गठन किया गया था। इस कार्य बल द्वारा गठित की गई तकनीकी समिति ने 'गाइड लाइंस फार एनवायरनमेंटली साउंड मरकरी मैनेजमेंट इन फ्लोरोसेंट लैम्प्स सेक्टर' विकसित की हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से फ्लोरोसेंट लैम्प्स (एफएल) में मरकरी की मात्रा के लिए बनाने का अनुरोध किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीएफएल का निर्माण भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है, भारतीय मानक ब्यूरो निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणीकरण मार्क्स लाइसेंस देता है और उसकी मानीटरी करता है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार (i) मेसर्स क्राम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड, वडोदरा (ii) मेसर्स पर्मालाइट इलेक्ट्रिकल्स(प्रा.) लिमिटेड दिल्ली (iii) मेसर्स एटलस इंडस्ट्रीज, दिल्ली (iv) मेसर्स ग्लिटर ओवरसीज, सोलन द्वारा निर्मित लैम्प्स की गुणवत्ता सीएफएल के निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाई गई थी। भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष 2008-2009 के दौरान इन चार निर्माताओं के सर्टीफिकेशन मार्क्स लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।

विरासत स्मारकों का पुनरुद्धार

1603. श्री विलास मुनेमवार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर दिल्ली के कुछ विरासत स्मारकों का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने स्मारकों का पुनरुद्धार किया जाएगा;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए कितनी निधियां आवंटित की गई हैं तथा इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली में ऐसे 46 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की पहचान की गई है जिनके बाह्य रूप को संवारा जाना है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। पहचान किए गए स्मारकों के बाह्य रूप को संवारने संबंधी समस्त कार्य 25.73 करोड़ रुपये की अनुमाति लागत पर अगस्त, 2010 तक पूरा किया जाना है।

विवरण

राष्ट्रमंडल खेल-2010 के अंतर्गत संरक्षण के लिए पहचान किए गए स्मारकों का ब्यौरा

क्र. सं.	स्मारक का नाम	प्रस्तावित धनराशि (लाख रुपये)
1	2	3
1.	पुराना किला परिसर	229.00
2.	खैरुल-मंजिल-मस्जिद	37.00
3.	शेरशाह गेट	75.00
4.	हुमायूं का मकबरा परिसर	160.00
5.	खान-ए-खाना का मकबरा	45.00
6.	सब्ज बुर्ज	17.00
7.	नीला गुम्बद	40.00
8.	बु-हालिमा मकबरा	15.00
9.	अरब-की-सराय	65.00
10.	बाराखम्भा	13.00
11.	हजरत निजामुद्दीन परिसर स्मारक समूह	22.00
12.	सफ्दरजंग मकबरा परिसर	25.00
13.	लोदी गार्डन स्मारक (संख्या 5)	25.00
	(1) मुहम्मदशाह का मकबरा	
	(2) बारा गुम्बद मस्जिद	
	(3) शीश-गुम्बद	

1	2	3
	(4) सिकन्दर लोदी का मकबरा	
	(5) सतपुला	
14.	नजफ खान मकबरा	55.00
15.	सिटी वाल, कश्मीरी गेट	75.00
16.	वजीरावाद पुल, मकबरा तथा मस्जिद	15.00
17.	कोटला फिरोजशाह	105.00
18.	दिल्ली गेट, दरियागंज	11.00
19.	सिटी वाल, दरियागंज	50.00
20.	खूनी दरवाजा	15.00
21.	जंतर मंतर परिसर	65.00
22.	लाल बंगला	5.00
23.	उग्रसेन-की बावली	30.00
24.	लाल किला परिसर	275.00
25.	अजमेरी गेट	23.00
26.	सलीम गढ़ किला	80.00
27.	अशोक शिला लेख	30.00
28.	बीरां का गुम्बद	20.00
29.	दादी पोती	20.00
30.	सकरी गुमटी	15.00
31.	बारा खम्भा	22.00
32.	मुहम्मदी वाली मस्जिद	20.00
33.	लाल गुम्बद (मालवीय नगर)	35.00
34.	तीन बुर्ज	10.00

1	2	3
35.	सीरी फोर्ट वाल	
	(1) पंचशील पार्क से लगा स्ट्रेच	50.00
	(2) एशियाड विलेज से लगा स्ट्रेच	5.00
	(3) एशियाड टावर से सीरीफोर्ट खेल परिसर तक दीवार का स्ट्रेच	30.00
	जोड़	85.00
36.	हौज खास परिसर	70.00
37.	जहांपनाह वाल	55.00
38.	किला रायपिथौरा वाल	105.00
39.	सतपुला	20.00
40.	कुतुब मीनार परिसर	95.00
41.	जमाली कमाली मकबरा तथा मस्जिद	15.00
42.	आजिम खान का मकबरा	15.00
43.	बलबन का मकबरा तथा खंडहर	45.00
44.	तुगलकाबाद फोर्ट	30.00
45.	गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा	20.00
46.	अदीलाबाद फोर्ट	40.00
	जोड़	2339.00
	आकस्मिक व्यय	233.90
	कुल जोड़	2572.90
	अर्थात्	2573.00

पीआईओ/एनआरआई के लिए विश्वविद्यालय

1604. डॉ. के.एस. राव : क्या प्रवास भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के दौरान पीआईओ/एनआरआई के लिए प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना और कार्यकरण आरंभ करने की दिशा में कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना तथा कार्यकरण हेतु किसी कानून को अधिनियमित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त विश्वविद्यालय द्वारा कब तक कार्य करना आरंभ किए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ङ) बेंगलूरु में भारतीय मूल के लोगों/अनिवासी भारतीयों के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य मनीपाल एकेडमी आफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट को सौंपा गया है। सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार, भारतीय मूल के लोगों/अनिवासी भारतीयों के प्रस्तावित विश्वविद्यालय और साथ ही देश के अन्य भागों में स्थापित किए जाने वाले ऐसे और विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा एक कानून अधिनियमित करने के लिए विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। विनियमनकारी निकायों द्वारा निर्धारित आवश्यक औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं के पूरा होने पर भारतीय मूल के लोगों/अनिवासी भारतीयों के पहले विश्वविद्यालय के कार्य करना आरंभ कर देने की संभावना है।

एमपीलैड योजना के तहत आबंटन बढ़ाया जाना

1605. डॉ. थोकचोम मैन्था :

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमपीलैड) योजना को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह बढ़ोतरी कब से जागू होगी;

(ग) क्या एमपीलैड योजना के नाम को बदलने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) एमपीलैड्स निधि की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग को उनके अनुमोदन के लिए भेजा गया था। योजना आयोग ने सूचित किया है कि वे इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने तथा साथ ही अतिरिक्त निधि की उपलब्धता की स्थिति स्पष्ट हो जाने पर ही इस प्रस्ताव का मूल्यांकन करेंगे।

(ग) और (घ) एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति ने अनुशंसा की है कि "सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स)" का नाम बदलकर "स्थानीय क्षेत्र विकास योजना" कर दिया जाए। तथापि, मंत्रालय का विचार है कि यदि योजना का नाम बदल दिया जाता है, तो इस योजना का अनन्य स्वरूप समाप्त हो जाएगा।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को वापस लेना

1606. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित कतिपय योजनाओं को वापस लेने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परित्यक्त परियोजनाएं

1607. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि.(सीआईएल) तथा इसकी सहायक कंपनियों ने कुछ परियोजनाओं का परित्याग कर दिया है/उन्हें बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं तथा इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान इसके परिणामस्वरूप कोयला कंपनियों की अनुमानित हानि क्या है;

(घ) क्या सरकार का इन परियोजनाओं को अन्य कंपनियों को देने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सी.आई.एल. द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां प्रदान की गई हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कोल इंडिया लि. की परित्यक्त/बंद खानों/परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं:

क्र.सं.	सहायक कंपनी	राज्य	खान का नाम	कारण
1	2	3	4	5
1.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	पश्चिम बंगाल	संग्रामगढ़ भूमिगत (यूजी)	आर्थिक तथा सुरक्षा के आधार पर
2.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	मध्य प्रदेश	पेंच ईस्ट ओपनकास्ट (ओसी)	खनन योग्य भंडार का समाप्त होना

1	2	3	4	5
3.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	महाराष्ट्र	इन्डेर यूजी	गैर-मितव्ययी
4.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	मध्य प्रदेश	नौराजावाद (ईस्ट) यूजी	भंडार का समाप्त होना।
5.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि	मध्य प्रदेश	कोटमा वेस्ट यूजी	भंडार का समाप्त होना।
6.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि	मध्य प्रदेश	कोटमा ओसी	भंडार का समाप्त होना।
7.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	छत्तीसगढ़	कुम्दा ओल्ड यूजी	भंडार का समाप्त होना।
8.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	उड़ीसा	देउलबेरा यूजी	सुरक्षा के आधार पर
9.	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	असम	तिपोंग यूजी	7.11.2008 को खान अधिनियम की धारा 22(3) को लागू करने के कारण उत्पादन आस्थगित कर दिया गया।
10.	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	असम	लिडो यूजी	4.11.2008 तथा 7.11.2008 को खतरनाक घटना के कारण 7.11.2008 को खान को सतह से सील कर दिया गया था।
11.	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	असम	बारागोलाई यूजी	7.11.2008 को खान अधिनियम की धारा 22(3) को लागू करने के कारण उत्पादन आस्थगित कर दिया गया।

(ग) परियोजनाओं को बंद करने/परित्यक्त करने के कारण कोल इंडिया लि ए और उसकी सहायक कंपनियों को कोई हानि नहीं हुई।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त 11 खानों में से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के माध्यम से चुने जाने वाले संयुक्त उद्यम भागीदार के जरिए विकास हेतु संग्रामगढ़ भूमिगत खान की पहचान की गई है।

(च) कोल इंडिया लि. ने इस प्रयोजनार्थ कोई निधियां नहीं दी हैं।

वन क्षेत्रों में कोयला खनन पर प्रतिबंध

1608. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घने वन क्षेत्र में कोयला खनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार का वन क्षेत्रों में कोयला खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए वनों को श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या है;

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों की कोई कोयला परियोजना पर्यावरण अनुमति प्राप्त हेतु लंबित पड़ी हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है; और

(छ) इन परियोजनाओं को कब तक अनुमति प्रदान किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, हाल में कोयला तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों के बीच हुई बैठक में कोयला खनन के लिए "जाओ" और "नहीं जाओ" वन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था ताकि समय और ऐसे धन की किसी भी हानि से बचा जा सके जो अन्वेषण आदि में अन्यथा हो सकता है।

(ङ) से (छ) अप्रैल, 2006 से जून, 2009 के बीच की अवधि के दौरान 20 करोड़ रु. और उससे अधिक की लागत वाली 76 परियोजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं। इन 76 परियोजनाओं में से 28 परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से प्राप्त कर ली गई है और शेष 48 परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु आवंटन

1609. श्री अशोक कुमार रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष के दौरान पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राज्य-वार प्रतिव्यक्ति आवंटन तथा निधियों के उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों द्वारा याचित आवंटन तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास के संबंध में राज्य-वार प्रति व्यक्ति परिव्यय दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) राज्यों की वार्षिक योजना, जिसमें राज्यों के निजी संसाधन और केन्द्रीय सहायता शामिल हैं, के आकार संबंधी निर्णय योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर लिया जाता है। वार्षिक योजना परिव्यय का क्षेत्रकीय वितरण, जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास इत्यादि शामिल हैं, राज्य सरकारों द्वारा कार्यदल की योजना आयोग के विभिन्न विषय प्रभागों के साथ की गई चर्चा के बाद किया जाता है।

विवरण

(रुपए)

क्रम. सं.	राज्य	वार्षिक योजना 2006-07 में प्रति व्यक्ति परिव्यय		वार्षिक योजना 2007-08 में प्रति व्यक्ति परिव्यय		वार्षिक योजना 2008-09 में प्रति व्यक्ति परिव्यय	
		कृषि	ग्रामीण विकास	कृषि	ग्रामीण विकास	कृषि	ग्रामीण विकास
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	50	151	81	192	252	350
2.	अरुणाचल प्रदेश	387	157	452	176	365	153
3.	असम	47	80	69	109	134	208
4.	बिहार	10	104	27	103	39	98

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	106	260	145	196	266	258
6.	गोवा	292	203	304	208	328	245
7.	गुजरात	87	75	163	91	281	138
8.	हरियाणा	28	71	39	83	93	162
9.	हिमाचल प्रदेश	169	84	180	158	212	176
10.	जम्मू और कश्मीर	226	137	66	140	117	77
11.	झारखंड	125	320	130	257	124	297
12.	कर्नाटक	155	130	191	211	396	225
13.	केरल	94	515	100	72	109	78
14.	मध्य प्रदेश	38	197	79	205	128	242
15.	महाराष्ट्र	55	98	67	141	88	130
16.	मणिपुर	93	209	81	163	112	178
17.	मेघालय	234	302	296	512	480	573
18.	मिजोरम	656	252	664	483	687	473
19.	नागालैंड	315	187	247	179	385	389
20.	उड़ीसा	15	43	23	64	78	59
21.	पंजाब	25	79	61	132	92	201
22.	राजस्थान	20	100	21	128	48	196
23.	सिक्किम	395	1479	570	2105	927	2378
24.	तमिलनाडु	59	231	80	234	195	293
25.	त्रिपुरा	140	268	197	209	383	298
26.	उत्तर प्रदेश	49	76	94	90	162	119

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	उत्तराखंड	191	259	246	315	336	334
28.	पश्चिम बंगाल	17	80	20	81	43	97

जनसंख्या संबंधी आंकड़े जनसंख्या अनुमानों संबंधी तकनीकी समूह, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट में 1 अक्टूबर, 2006, 2007 और 2008 की स्थिति के अनुसार अनुमानित कुल जनसंख्या के अनुसार हैं।

[अनुवाद]

जैव विविधता को खतरा

1610. श्रीमती मेनका गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में निर्माणाधीन धर्म पत्तन के परिणामस्वरूप भीतकनीका राष्ट्रीय पार्क तथा गहिरमाथा समुद्रीय अभयारण्य को खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पत्तन के निर्माण कार्य के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अधिसूचना का उल्लंघन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :
(क) राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिससे क्षेत्र की जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव का संकेत मिलता है।

(ख) से (घ) जनवरी, 2000 में भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति इस पत्तन को मंजूरी की गई थी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना प्राधिकरण ने इंटरनेशनल यूनियन फार कंजरवेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन), राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को उन्हें पर्यावरणीय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में सहायता के लिए लगाया है, ताकि पत्तन का विनिर्माण और आपरेशन की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। पर्यावरण और वन मंत्रालय के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर

ने सूचित किया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें अनुपालन के विभिन्न चरणों में हैं।

एजेंटों और दलालों द्वारा छात्रों का शोषण

1611. श्री एम. श्रीनिवासुल रेड्डी : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में अध्ययन के लिए दाखिला प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों का एजेंटों तथा दलालों द्वारा शोषण करने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा छात्रों का शोषण रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) जी हां। उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मंत्रालय वर्तमान उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के स्थान पर एक नए उत्प्रवास कानून, जिसमें नामांकित एजेंसियों के विनियमन की व्यवस्था है ताकि उनके द्वारा उपलब्ध कराई जानी वाली सेवाओं के लिए मानक निर्धारित किए जा सकें और मानकों के अनुरूप उनके अनुपालन की निगरानी की जा सके, एक विधायी प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों का उनके प्रस्थान से पूर्व पंजीकरण किया जाएगा।

विवरण

आस्ट्रेलिया

केनबेरा स्थित भारतीय उच्चायोग को एक शैक्षिक एजेंट, एडयूकेशनल एजुकेशनल कंसलटेंटसी एजेंट, कोची (केरल) के विरुद्ध

हाल ही में कुछ भारतीय विद्यार्थियों से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया था कि एजेंट ने आस्ट्रेलिया में उनके रहने के बारे में झूठे आश्वासन दिये थे जिसमें, यदि विद्यार्थी एक वर्ष के पाठ्यक्रम में पंजीकृत होते हैं तो उन्हें चार वर्ष का कार्य परमिट; सेमेस्टर्स के बीच दो माह की छुट्टी ताकि वे अपनी फीस का भुगतान करने में मदद के लिए पैसा कमा सकें; अंशकालिक नौकरियां दिलवाने में सहायता, और यदि वे 900 घंटे काम करते हैं तो स्थायी निवास के लिए पात्रता शामिल थी। मामले को केरल सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

स्विट्जरलैंड

अप्रैल, 2008 में एक भारतीय विद्यार्थी से भारतीय दूतावास, ब्रुने को ईगल कालेज सूईसी ए.जी., गेजुएट एंड बिजनस स्कूल, स्विट्जरलैंड को उसके द्वारा अदा किए गए सीएचएफ 20,200/- के धोखे के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी। 20 अगस्त, 2008 को पांच भारतीय विद्यार्थियों से स्विस् मैनेजमेंट एकेडमी, होटल रेनफॉल, जिनट्रलस्ट्रेसे 60, सीएच-8212, न्यू हासेन के विरुद्ध घपले, दुरुपयोग और धोखेबाजी की एक अन्य शिकायत प्राप्त हुई थी। दाखिला प्रक्रिया में शामिल दो भारतीय एजेंट (1) मै. एम.पी. ट्रेडिंग हाऊस, 1211 मेंकर चेम्बर V, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021; और (2) मिस ज्योति कसाड, 53, एलजीएफ. वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाबर रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 शामिल थे। दूतावास ने मामले को संबंधित स्विस् प्राधिकारियों के साथ उठाया है। भारतीय विद्यार्थियों के शोषण को रोकने के लिए उपरोक्त कार्रवाई हेतु दूसरी शिकायत को भी मुम्बई और दिल्ली के पुलिस आयुक्तों को भेजा गया है।

ब्रिटेन

भारतीय उच्चायोग, लंदन को सितम्बर, 2008 में एक भारतीय नागरिक श्री सर्वानन चन्दमोहन से प्राप्त हुई थी जो वेल्स में एमबीए के अध्ययन के लिए ब्रिटेन आया था। उसके प्रायोजक ने उसे आगे अध्ययन जारी रखने की अनुमति नहीं दी और अपनी दुकान में अवैध तौर पर काम करने के लिए बाध्य किया। भारतीय उच्चायोग, लंदन के हस्तक्षेप से मामले को हल किया गया जिसमें शिकायतकर्ता अपनी इच्छानुसार भारत लौट आया।

संयुक्त राज्य अमेरिका

मंत्रालय को अमेरिकन स्कूल आफ एवियेशन, एट वाटर संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि 2008 में अचानक बंद कर दिया गया और लगभग 100 भारतीय विद्यार्थियों को असहाय छोड़ दिया गया था, के विद्यार्थियों और उनके माता-पिताओं से अनेक याचिकाएं प्राप्त हुई थीं। स्कूल के मालिक, श्री प्रिस सिंह उर्फ मनप्रीत सिंह जिसे पायलट पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों ने लगभग 40,000/- अमरीकी डालर के शुल्क का भुगतान किया था, ने विद्यार्थियों की फीस लौटाए बिना ही दिवाला निकाल दिया था। दस संबंध में सीनियर मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, लुधियाना द्वारा सूचित किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अमरीकन स्कूल ऑफ एवियेशन द्वारा अपना काम बंद करने से पूर्व नई दिल्ली में एसए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कम्पनी निगमित की गई थी और कम्पनी के निदेशक अमरीकन स्कूल आफ एवियेशन के मालिक के माता-पिता थे और कम्पनी के खाते में भारी मात्रा में रकम हस्तांतरित की गई थी। मामले को आगे जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा गया था। सेन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्यिक दूत ने संयुक्त राज्य अमेरिका में वहां असहाय विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए मामले को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया था।

राज्यों के वन मंत्रियों का सम्मेलन

1612. श्री आनंदराव अडसुल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के वन मंत्रियों के साथ कितने सम्मेलन आयोजित किए गए हैं;

(ख) उक्त सम्मेलनों में चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन सम्मेलनों के दौरान उठाए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार द्वारा अवैध शिकारियों तथा पशु उत्पादों तथा पादप जातियों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री तथा निर्यात में संलिप्त लोगों की सीमा पार गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त रणनीतियों को अंगीकार करने का प्रस्ताव है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पिछले दो वर्षों के दौरान वन मंत्रियों का कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ड) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2007 में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया है जिसमें वन, पुलिस और सीमा शुल्क के अधिकारी हैं जो वन्यजीव के अपराधों के मुद्दों से निपटने, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रेमिफिकेशन भी शामिल है, के लिए हैं।

भारत अनेक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों का हस्ताक्षरकर्ता है जोकि जैवविविधता की सुरक्षा से संबंधित है और यह वन जीवों और इसके व्युत्पन्नों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित कर रहे हैं, जैसे जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन, वनस्पतिजात और प्राणिजात (साइट्स) की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, विश्व विरासत कन्वेंशन, कन्वेंशन आन माइग्रेटरी स्पीसीज एण्ड कन्वेंशन आन वैटलैन्ड्स साथ इसके अलावा, भारत ने चीन गणतंत्र के साथ बाघों के अवैध शिकार तस्करी बाघों की इंडिडियों और इसके व्युत्पन्नों को बेचने जैसी गतिविधियों का विनाश करने हेतु संयुक्त उपाय करने के लिए एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि सीमा पारीय आवाजाही पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त कार्य बल स्थापित किया जाए। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय समितियां, जब कभी अपेक्षित हो, गठित की गई हैं, ताकि अवैध शिकारियों की सीमा पारीय गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

पर्यावरणीय अधिकरण विधेयक

1613. श्री अधलराव पाटील शिवाजी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुराने पर्यावरणीय अधिकरण विधेयक को नया रूप देकर एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त विधेयक को कब तक नया रूप दिए जाने की संभावना है;

(घ) इस विधेयक में सिविल न्यायलयों के भार और मामलों के शीघ्र निपटान में किए हद तक कमी आने की संभावना है; और

(ड) प्रस्तावित अधिकरण के गठन का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) से (ग) विभिन्न मंत्रालयों को पर्यावरण अधिकरण विधेयक का मसौदा वर्ष 2006 में उनकी टिप्पणी के लिए परिचलित किया गया था। तत्पश्चात् उक्त मसौदा विधेयक में कुछ संशोधन किए गए हैं और यह प्रस्ताव किया गया है कि एक राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की स्थापना की जाए। एनजीटी का मसौदा विधेयक अब नए सिरे से परिचालित किया गया है। संसद में उक्त विधेयक के पैसेज के लिए एक विशिष्ट समय सीमा को आबंटित किया जाना संभव नहीं है।

(घ) एनजीटी में सिविल किस्म के अन्य अदालतों में पर्यावरण मामलों के लम्बित भार को कम करने और ऐसे मामलों के तेजी से निपटान करने में सहायता देने की मंशा है। तथापि इसकी सीमा का आकलन किया जाना मुश्किल है।

(ड) प्रस्ताविक अधिकरण की संरचना को विधेयक के मसौदे में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

गरीबों के लिए कोयले पर राजसहायता

1614. श्री राजैया सिरिसिल्ला : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गरीबों के उपयोग के लिए आपूर्ति किए गए कोयले पर राज-सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) विभिन्न कोलफील्डों/कोयला कंपनियों के लिए कोयले के भिन्न-भिन्न ग्रेड/आकारों के लिए जारी मूल्य अधिसूचना में सीआईएल द्वारा घोषित अधिसूचित दरों की तुलना में सब्सिडी दरों पर कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की बिक्री नहीं की जाती है।

चूंकि कोयले का मूल्य निर्धारण पूर्ण रूप से विनियंत्रित है और कोयला कंपनियों को सरकार द्वारा कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है इसलिए कोयले को सब्सिडी देना व्यवहार्य नहीं है। इसके अलावा, राष्ट्रीय संदर्भ में, कोयला घरेलू उपयोग के लिए ईंधन का प्रमुख स्रोत नहीं है।

नई राजधानी परियोजनाओं हेतु आवंटन

1615. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो पंचवर्षीय योजनावधियों के दौरान योजना आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार को नई राजधानी परियोजनाओं के निर्माण हेतु विशेष वित्तीय बजट और योजना परिव्यय संस्वीकृत और आवंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) नई राजधानी परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी नहीं। योजना आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार को नई राजधानी परियोजनाओं के निर्माण हेतु विशेष योजना परिव्यय का आवंटन नहीं किया है। नया रायपुर को जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत मिशन सिटी रायपुर में शामिल किया गया है। नया रायपुर के लिए नगर विकास योजना का अनुमोदन कर दिया गया है। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत नया रायपुर के शहरी गरीबों के लिए जलापूर्ति और बुनियादी सेवा परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है।

(ग) टाऊनशिप विकास हेतु योजना का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। 302.60 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से प्रमुख सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। 179.12 करोड़ रुपये तथा 230.00 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से क्रमशः सचिवालय भवन और विभाग मुख्यालय भवन का निर्माण प्रगति पर है। एक आवासीय कालोनी का भी निर्माण किया जा रहा है। जलापूर्ति, परिवहन, सीवरेज और बिजली जैसे अन्य अवसंरचना कार्यों की योजना बनाई जा रही है तथा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) आयोजना के अनुसार यह परियोजना वर्ष 2031 तक पूरी हो जाएगी।

[हिन्दी]

भारत निर्माण योजना

1616. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत निर्माण योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वर्षों के दौरान इस योजना के निर्धारित लक्ष्य क्या थे तथा इसके वास्तविक घटक को वास्तव में कितना हासिल किया गया;

(ग) परियोजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किए जाने के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) भारत निर्माण के लक्ष्य और विगत दो वर्षों के दौरान हुई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भारत निर्माण योजना की सफलता सुनिश्चित करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसकी समीक्षा संबंधित मंत्रालयों, योजना आयोग और ग्रामीण अवसंरचना समिति द्वारा की जा रही है।

विवरण

घटक	वर्ष 2005- 2009 तक 4 वर्षों के लिए लक्ष्य	वर्ष 2005 से मार्च 2009 तक सूचित वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 2007-2009 तक दो वर्षों के लिए लक्ष्य	2007-2009 तक दो वर्षों में उपलब्धि	गिरावट का कारण
सिंचाई (मिलियन हेक्टेयर)	10	6.518	5.70	2.9	भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति, पुनः स्थापन, पुनर्वास एवं राज्य सरकारों द्वारा मैचिंग शेयर की अनुपलब्धता
पेयजल (आवास स्थलों की संख्या)	6,03,639	6,57,749	3,73,785	4,53,184	—
सड़कें					
(क) आवासस्थल	66,802	31927	43,638	18,438	संविदा संबंधी समस्याएं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, परियोजना कार्यान्वयन
(ख) उन्नयन एवं नई संयोज्यता कि.मी. में	3,40,316	240424.3	2,23,577.7	15,72,42.3	इकाइयों की कमी, भूमि अधिग्रहण एवं कुछ राज्यों में कानून व्यवस्था की समस्या
आवास मकानों की संख्या (लाख)	60	71.76	42.54	41.25	उपलब्धि (71.76 लाख) लक्ष्य से अधिक
विद्युतीकरण गांवों की संख्या	1,25,000	62520	49,731	23,995	कार्यक्रम के औपचारिक अनुमोदन में विलम्ब था
बीपीएल परिवारों की संख्या (लाख)	230	62.53	152	55.8	
टेलीफोन संयोज्यता गांवों की संख्या	66,822	57181	32,518	10,212	सेटलाइट ट्रांसपोंडरों की अनुपलब्धता तथा ग्राहकों के लिए उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब

**देश के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी
का उपयोग**

1617. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सरकार द्वारा किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ख) क्या सरकार इससे संबंधित कतिपय क्षेत्रों को विशेष पैकेज प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो रोजगार और राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने तथा महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हेतु सरकार द्वारा कौन सा तंत्र स्थापित किया गया है; और

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) देश के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सरकार द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों में घरेलू उपयोग के लिए पेयजल, विकेन्द्रीकृत ऊर्जा उत्पादन, सुरक्षा प्रौद्योगिकी, जैव कृषि तकनीकें, औषधीय तथा सुगंधित पौधे, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पोषण से संबंधित रोग, महिला प्रौद्योगिकी पार्क, ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, स्वास्थ्य और स्वच्छता, अखाद्य तेलों के लिए प्रौद्योगिकी प्रणालियाँ, प्रौढ़ अवस्था हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग, लकड़ी रहित वन उत्पादों का मूल्यवर्धन और रेशम-उत्पादन शामिल हैं। सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन अनुप्रयोग (एन.बी.एम.ए.) का कार्यान्वयन किया है जिससे बड़ी मात्रा में प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों का विकास तथा प्रदर्शन हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों में संबंधित कार्यक्षेत्र वाले मंत्रालयों के साथ भागीदारी करता है। इस मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदत्त सामाजिक परियोजनाओं का मुख्य बल ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने पर रहा है, जहां इन प्रौद्योगिकियों का कार्य करना आवश्यक हो। इन परियोजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों सहित ग्रामीण लोगों के उत्थान में सहायक कार्यकलाप को सम्मिलित करने वाले विषय एवं कार्यक्रम शामिल हैं। ग्यारहवीं योजना में सरकार ने जल, ऊर्जा, पौषणिक सुरक्षा, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संसाधनों के मूल्यवर्धित उपयोग आदि से संबंधित कुछ प्रभावकारी कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक ऐसी ऐल्गोरिथ्म विधि का सफलतापूर्वक विकास किया है जिससे बायोमास सूची का प्रयोग करके साप्ताहिक आधार पर फसलों का अनुवीक्षण करना संभव हो सका है। सरकार ने ग्रामीण उद्यमियों को उनके जीविकोपार्जन के लिए उपयोग में आने वाली किफायती प्रौद्योगिकियों के विकास में भी सुविधा प्रदान की है।

[अनुवाद]

**कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973
में संशोधन**

1618. श्री असादुद्दीन ओवेसी :

डॉ. के.एस. राव :

श्री सुरेश कलमाडी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इन संशोधनों को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) :

(क) से (ग) केन्द्र सरकार ने कैप्टिव खनन के मौजूदा प्रतिबंध को बिना देश में कोयले का खनन करने तथा देश में कोयले का अन्वेषण करने के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों की भारतीय कंपनियों को अनुमति देने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने का निर्णय लिया। तदनुसार, एक विधेयक, अर्थात्, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 राज्य सभा में दिनांक 24.4.2000 को पेश किया गया था।

ट्रेड यूनियनों की ओर से कड़े विरोध के कारण विधेयक को, स्थायी समिति की रिपोर्ट के पश्चात्, आगे नहीं बढ़ाया जा सका। संशोधन को लागू करने के लिए कोई समय सीमा बताना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि मामला संसद में है।

प्रतिबंधित औषधियों/दवाओं का विक्रय

1619. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित कई औषधियों/दवाओं को बाजार में बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) से (ग) विनियामक प्राधिकारियों द्वारा किसी औषध को प्रतिबंधित करने अथवा उसे वापिस लेने का निर्णय आम तौर पर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित होता है जो अनेक कारकों जैसे किसी देश में रोग का पैटर्न, अनुमत औषधों के प्रभावों और खुराकों, किसी निश्चित जनसंख्या में विशिष्ट जातीय समूहों में भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाओं, अधिक सुरक्षित एवजियों की उपलब्धता और औषध की समग्र सुरक्षा संबंधी प्रोफाइल द्वारा प्रभावित होता है। यह सुविदित तथ्य है कि कोई भी औषध देना जनसंख्या के सांख्यिकीय रूप से गैर महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों में पूर्ण रूप से गौण प्रभावों अथवा प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं से मुक्त नहीं है। किसी एक अथवा कुछ देशों में बाजार से वापिस उठाई गई कुछ औषधों अथवा फार्मूलेशनों को भारत सहित अन्य देशों में बाजार में बेचना जारी रखा गया है। इस प्रकार की औषधों की संगतता की पूर्व में समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए गठित की गई विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा जांच की गई थी। देश में औषधों तथा उनके

इस्तेमाल की प्रकृति के बारे में उपलब्ध वर्तमान जानकारी के आधार पर इन औषधों को देश में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई और जब कभी आवश्यक समझा गया, केवल विशिष्ट लक्षणों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाई गई।

जब कभी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन न्यूज लैटर्स में किसी गंभीर प्रतिकूल घटना की सूचना मिलती है अथवा कुछ देशों में किसी औषध फार्मूलेशन को बाजार से वापिस उठाने की सूचना मिलती है, तो भारत में औषध फार्मूलेशनों की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त तंत्र है। इस प्रकार सूचित किए गए औषधों के इस्तेमाल का उपलब्ध तकनीकी सूचना, लाभ-जोखिम अनुपात, स्थानीय जरूरतों के आदि के आधार पर विशेषज्ञों से परामर्श करके मूल्यांकन किया जाता है। मामले पर औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड जो औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन एक सांविधिक निकाय है, द्वारा विचार किया जाता है। अब तक केंद्र सरकार द्वारा देश में औषध फार्मूलेशनों की 78 श्रेणियों को प्रतिबंधित किया गया है जिन्हें वर्तमान जानकारी के परिप्रेक्ष्य में असंगत अथवा हानिकारक समझा गया है।

[हिन्दी]

जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा

1620. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए गये हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित निधियों और उनके उपयोग का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति

1621. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री पशुपति नाथ सिंह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. और इसकी अनुषंगी कंपनियां ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मेजिया ताप विद्युत केन्द्र और पश्चिम बंगाल के कई अन्य उपभोक्ताओं की कोयले की कुल आवश्यकता को पूरा करने में समक्ष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दामोदर घाटी निगम के ताप विद्युत केन्द्रों और अन्य उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कोयले की आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) :
(क) से (ग) वार्षिक योजना के प्रतिपादन की प्रक्रिया में कोयला मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा कोयले की मांग का क्षेत्र-वार मूल्यांकन किया जाता है, जिसके आधार पर सीआईएल की वार्षिक आपूर्ति योजना को कोयला मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। वार्षिक योजना में किसी राज्य-वार अथवा अलग-अलग उपभोक्ता-वार मांग को सम्मिलित नहीं किया जाता है।

जहां तक दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) का संबंध है, सीआईएल के स्रोतों से पिछले तीन वर्षों के प्रेषण और मेजिया टीपीएस को प्रेषण की प्रवृत्ति नीचे तालिका में दी गई है:-

(हजार टन)

	2006-07	2007-08	2008-09 (अनंतिम)
समग्र डीवीसी	9454	10136	11200
मेजिया टीपीएस	4406	4497	5275

पिछले तीन वर्षों में सीआईएल से डीवीसी विद्युत गृहों को कोयले के प्रेषण की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 6.3% की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 8.8% रही है। जहां तक मेजिया टीपीएस का संबंध है, वृद्धि दर 9.4% थी। यदि विद्युत संयंत्र द्वारा कोयला रेकों की ढुलाई में बाधा के फलस्वरूप विद्युत गृह में अनलोडिंग की समस्या की ओर ध्यान दिया गया होता तो मेजिया टीपीएस में कोयले की प्राप्ति बेहतर होती।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआईएल के स्रोतों से पश्चिम बंगाल को कोयले का कुल प्रेषण तथा पश्चिम बंगाल के विद्युत गृहों को कोयले का प्रेषण नीचे तालिका में दिया गया है:-

(हजार टन)

	2006-07	2007-08	2008-09 (अनंतिम)
पश्चिम बंगाल का प्रेषण	30152	31142	33018
पश्चिम बंगाल के विद्युत गृहों को प्रेषण	24366	25501	28157

इसी प्रकार, पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के प्रेषण में पश्चिम बंगाल के मामले में सीएजीआर 4.6% रहा है, जो विद्युत गृहों के मामले में 7.5% रहा है।

(घ) नयी कोयला वितरण नीति के अंतर्गत विद्युत उपयोगिताओं सहित सभी उपभोक्ताओं को सीआईएल के कोयले के प्रेषण ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) द्वारा अभिशासित होते हैं। सभी विद्युत उपयोगिताओं द्वारा एफएसए सम्पन्न करने के लिए वार्षिक ठेका की मात्रा (एसीक्यू) का निर्णय, डीवीसी सहित विद्युत गृह-वार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा लिया गया है। एफएसए को अप्रैल, 2009 से लागू किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से विद्युत उपयोगिताओं के लिए माडल एफएसए विकसित किया गया है जिसमें वार्षिक ठेका की मात्रा (एसीक्यू) के 90% के स्तर पर प्रतिबद्ध आपूर्ति/उठान की गारंटी ली जाती है। प्रोत्साहन तथा आपूर्ति के प्रतिबद्ध स्तर से विचलन के लिए दण्ड के पर्याप्त प्रावधान हैं। इस प्रकार कोयले की आपूर्ति डीवीसी को आवश्यकतानुसार सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान प्रणाली पर्याप्त रूप से सुसज्जित है। अप्रैल-जून, 2009 की अवधि के दौरान, डीवीसी को कोयले की आपूर्ति की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:-

(हजार टन)

	सीईए द्वारा तय किया गया एसीक्यू	अप्रैल-जून, 09 के लिए प्रतिबद्धता	अप्रैल-जून, 09 में प्रेषण (अनं.)	प्रतिबद्धता की शत-प्रतिशत संतोषप्रदता
समग्र डीवीसी	11300	2825	2731	97
मेजिया टीपीएस	5200	1300	1237	95

ताजमहल में प्रदूषण

1622. श्री अशोक कुमार रावत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ताज महल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कोई योजना बनाई गई है या बनाने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) से (ग) भारत सरकार ने ताज ट्रेपेजियम प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण को वर्ष 1999 में अधिसूचित किया था ताकि ताजमहल की सुरक्षा और सुधार की विभिन्न स्कीमों और उक्त क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की मानीटरी की जा सके। इसके अलावा, सरकार ने ताजमहल की पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक स्कीम को तैयार और क्रियान्वित किया है। नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 222.21 करोड़ रुपये की धनराशि 10 परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 50:50 लागत शेयरिंग के आधार पर मंजूर की गई थी। परियोजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3
(i)	आगरा में विद्युत आपूर्ति	09.11
(ii)	गोकुल बांध	12.50
(iii)	आगरा बाई पास को चौड़ा करना	00.75
(iv)	स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम (आगरा)	06.60
(v)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	07.49
(vi)	आगरा बाई पास के एक भाग का निर्माण	10.65

1	2	3
(vii)	आगरा और फतेहपुर सीकरी के भीतर और बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में सुधार	39.09
(viii)	आगरा शहर के सड़कों के मास्टर प्लान में सुधार	21.22
(ix)	जलापूर्ति (आगरा)	72.80
(x)	जलापूर्ति (मथुरा वृन्दावन)	42.00
कुल		222.21

[अनुवाद]

सामुद्रिक प्रदूषण

1623. श्रीमती मेनका गांधी : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सामुद्रिक प्रदूषण बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विशेष आर्थिक क्षेत्र और प्रादेशिक जल-सीमा में सामुद्रिक सुरक्षित क्षेत्र बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) समुद्री प्रदूषण में वृद्धि कुछ विशिष्ट स्थानों में हुई है तथा इसमें हो रही वृद्धि स्थानीय स्वरूप की है। नाइट्रेट और रोगजनक

जीवाणु जैसे पोषक तत्व प्रमुख प्रदूषक हैं जो अनेक स्थानों पर बढ़ रहे हैं। उदाहरणार्थ, हुगली, पारादीप, मुंबई, कोच्चि और मंगलौर में पोषक तत्वों के स्तर औद्योगिक बहिःस्राव के निस्सरण, अशोधित मलजल के निपटान, कृषि संबंधित अपशिष्ट, तटीय शहरों और कस्बों के निकट उर्वरक संयंत्रों के प्रचालन तथा पतनों और बंदरगाहों में उर्वरकों के संचालन के कारण बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित अधिक जीवाण्विक संदूषण (फोकल कोलिफार्म) हुगली, पारादीप, चेन्नै, पाण्डिचेरी, कुड्डालोर, तूतीकोरिन, द्वारका, पीपावव, मुंबई, तारापुर और ओखा जैसे कई स्थानों पर देखा गया है और तटीय समुद्र में अशोधित घरेलू मलजल बहाने के कारण यह संदूषण बढ़ रहा है।

(ग) सरकार ने कई प्रकार की कार्रवाई शुरू की हैं जिनमें पर्यावरण और वन मंत्रालय के राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नदियों की सफाई करना भी शामिल है ताकि तटीय समुद्र में प्रदूषण की मात्रा कम की जा सके। मुंबई के मल-जल के शोधन के लिए एक व्यापक मल-जल शोधन स्कीम कार्यावित्त की गई है। उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं। कई औद्योगिक क्षेत्रों में छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट के शोधन के लिए सार्वजनिक बहिःस्राव शोधन संयंत्र लगाए गए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एससीसीएल द्वारा पुनर्वास

1624. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्र के जनजातीय लोग सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) के खनन क्रियाकलापों के कारण अपनी आजीविका से वंचित हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उस क्षेत्र के प्रभावित लोगों का पुनर्वास करने के लिए एससीसीएल को निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में एससीसीएल द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जब कभी वनभूमि में कोयला खनन प्रचालनों को शुरू किया जाता है तो जनजातीय लोगों का जीवन आंशिक अथवा पूर्ण रूप से प्रभावित होता है और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास (आर एं आर) पैकेज के अनुसार उनको मुआवजा दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) एससीसीएल द्वारा दिनांक 8.4.2005 के सरकारी आदेश एमएस सं. 68 तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी अनुवर्ती सरकारी आदेशों के अनुसार पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आर एंड आर) दिया जाता है। अब तक प्रभावित व्यक्तियों को दिए गए आर एंड आर के ब्यौरे निम्नवत हैं:

(लाख रुपए)

क्र. सं.	जिला	परियोजना का नाम	प्रभावित गांव	परियोजना प्रभावित परिवारों की सं. (पीएफ)	भुगतान की गई पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पैकेज की राशि
1	2	3	4	5	6
1.	खम्माम	एमएनजी ओसी-II	कोन्दापुर एच/ओ समितिसिगराम	42	84 एकड़ की वैकल्पिक भूमि दी गई (दिनांक 8.4.2005 के जीओ एमएस सं. 68 से पूर्व)
2.	आदिलाबाद	दोरली ओसी-I एवं II	नई दंतापल्लई, जन्दागोदा, राजागुदा,	273	776.06 रु.

1	2	3	4	5	6
ताडावगुडम, धोरली गुम्माडिलोडी, इप्पागुडम					
3.	आदिलाबाद	खैरगुदा ओसीपी	एरगुडम	63	(i) पीएफ को 315 एकड़ की वैकल्पिक भूमि दी गई। (ii) हालांकि वे पीडीएफ नहीं हैं, उन्हें मकानों के निर्माण हेतु 40000 रु. प्रत्येक को भुगतान किए गए। (दिनांक 8.4.2005 के जीओ एमएस सं. 68 से पूर्व)
4.	आदिलाबाद	खैरगुदा ओसीपी विस्त.	एरगुडम पेडाकोटा	71	366.46 रु.

राज्य सरकार की आर एंड आर नीति में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार एससीसीएल क्षेत्र के प्रभावित लोगों का पुनर्वास करने हेतु उपाय कर रही है। मनुगुरू ओसीपी-II क्षेत्र में प्रत्येक 5 सेंट के मकान के प्लॉट का विकास प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ सामुदायिक कृषि भूमि का स्थल आदि जैसे लाभ प्रभावित व्यक्तियों को दिए गए थे। इसी प्रकार, दोली ओसीपी-I, दोली ओसीपी-II तथा खैरागुदा ओसीपी विस्तार में एससीसीएल द्वारा प्रभावित लोगों को 202 वर्गमीटर का मकान का प्लॉट, मोटर, एवं पम्प के साथ पेयजल, आंतरिक सड़कें और नालियां, विद्युत लाइन, मकान के निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार को 50000 रु. आदि दिए गए थे।

वन्यजीव संबंधी कानूनों के उल्लंघन के मामले के लिए विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना

1625. श्री जगदम्बिका पाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वन्यजीव से संबंधित कानूनों के उल्लंघन के मामलों को दर्ज करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त कानून के उल्लंघन के मामलों की वर्षवार संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसे मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) और (ख) देश में वन्यजीव से संबंधित कानूनों के उल्लंघन की समस्या की जांच के लिए, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया है, जिसमें वन, पुलिस और सीमा-शुल्क से संबंधित कर्मचारी शामिल हैं। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख अधिदेश में संगठित वन्यजीव अपराध से संबंधित आसूचना का एकत्रण और मिलान, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रवर्तन से संबंधित राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय, वन्यजीव अपराधों के वैज्ञानिक और व्यावसायिक अन्वेषण के लिए अवसरचनात्मक विकास और क्षमता निर्माण विकसित करना तथा वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुकदमों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करना शामिल है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड के ध्यान में लाए गए संबंधित कानूनों के उल्लंघन के मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ऐसे मामलों से निपटने तथा वन्यजीव सुरक्षा संबंधी मामलों के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:-

1. वन्य जीवों की संकटापन्न प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में शामिल करके, उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।
2. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को समय-समय पर संशोधित किया गया है और इसे वन्यजीवों से संबंधित अपराधों के विरुद्ध अधिक कड़ा बनाया गया है।
3. दुर्लभ वन्य जीवों सहित वन्यजीवों और उनके वास-स्थलों को संरक्षित करने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।
4. वन्यजीवों और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार की जांच करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।
5. राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को वन्यजीवों से समृद्ध क्षेत्रों में और उनके आस-पास फील्ड फार्मेशन्स को और सुदृढ़ बनाने और गश्त में तेजी लाने के लिए अनुरोध किया गया है।
6. वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् वन्यजीव वास-स्थलों का समेकित विकास, 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।
7. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-'वन्यजीवों के वास-स्थलों का समेकित विकास' के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 'संवेदनशील रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके वास-स्थलों के लिए रिकवरी कार्यक्रम' शुरू करने के लिए एक नया घटक जोड़ा गया है।
8. अवैध वन्यजीव व्यापार की बेहतर मूल्यांकन के लिए सीमा-शुल्क, केन्द्रीय पुलिस बल आदि तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड के ध्यान में लाए गए संबंधित कानूनों के उल्लंघन के मामलों का ब्यौरा।

वर्ष	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता	उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली	दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई	कुल
2006	17	17	3	23	60
2007	25	7	4	49	85
2008	80	59	11	31	181
2009 तक 30-06-2009	74	30	5	39	148

[हिन्दी]

चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में अनियमितताएं

1626. श्री रुद्रमाधव राय :

श्री किसनभाई बी. पटेल :

श्री प्रदीप माझी :

श्री जगदीश शर्मा :

श्री अनंत कुमार हेगड़े :

श्री मिलिंद देवरा :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री प्रबोध पांडा :

श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी :

श्री एस. सेम्मलई :

श्री रुद्रमाधव राय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने, उनमें नामांकन के लिए मोटी रकम वसूल करने आदि में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों की प्रकृति सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन अनियमितताओं की कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में इन अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है या करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :
(क) से (ङ) समाचार पत्र में छपी इन रिपोर्टों के आधार पर कि तमिलनाडु में दो मेडिकल कालेज नामतः श्री रामचंद्र मेडिकल कालेज, पोन्नूर (सम विश्वविद्यालय) और श्री बालाजी मेडिकल कालेज, चेन्नई (सम विश्वविद्यालय) तथाकथित रूप से कैपिटेशन फीस की मांग कर रहे थे, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से रिपोर्टें मांगी। तमिलनाडु सरकार ने उत्तर दिया है कि इन दो मेडिकल कालेजों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं लेकिन उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने आगे बताया है कि उपर्युक्त दोनों मेडिकल कालेजों के खिलाफ उनके उत्तर प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने इस मामले की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है।

वन संरक्षण अधिनियम में छूट

1627. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में निर्माण और विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत छूट प्रदान करने के लिए सरकार को राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत छूट प्रदान की है। प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :

(क) से (च) जी, नहीं। जनजातीय क्षेत्रों के लिए, केंद्र सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत प्रत्येक घरों के लिए अंडरग्राउंड बिजली की केबल और बिजली की तारें; पेयजल आपूर्ति/वाटर पाइपलाइनें; टेलीफोन लाइनें बिछाने के लिए, जिनके लिए प्रत्येक परियोजना हेतु 50 से अधिक वृक्षों का काटा जाना है (60 सेमी. घेरे से कम वर्ग के) और जो राष्ट्रीय उद्यानों अथवा वन्यजीव अभ्यारण्यों से बाहर हैं और सड़क के किनारे लगे हैं और मार्ग के मौजूदा राइट के भीतर आते हैं, के लिए आम मंजूरी देने का प्रावधान किया है।

इसके अतिरिक्त, जनजातीय क्षेत्रों के लिए विद्युत, सड़क, रेलवे, टेलीफोन लाइनें/केबल्स, पेयजल सुविधा, स्कूल, औषधालय आदि जैसे अवसंरचना विकास परियोजनाओं को वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाती है। इन कार्यों को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन वासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भी अनुमति दी गई है।

पोलियो के मामले

1628. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पोलियो के कई मामलों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या टीकाकरण के बाद भी कई बच्चों को अभी भी पोलियो होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो देश से पोलियो के उन्मूलन के लिए क्या रणनीति बनाई गई है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को आबंटित, उन्हें जारी एवं उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) जी, हां। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सूचित मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2006 में भारत में पोलियो के 676 मामलों की सूचना दी गई थी जिसमें से 648 मामले वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 (डब्ल्यू पी वी 1) के प्रकोप द्वारा हुए थे।

वर्ष 2007 में, चूंकि कार्यक्रम का केन्द्रबिन्दु डब्ल्यू पी वी 1 को कम करना था अतः इसमें गिरावट आ कर यह केवल 82 मामले रह गया, लेकिन देश ने वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 (डब्ल्यू पी वी 3) का प्रकोप झेला। परिणामस्वरूप भारत में पोलियो के 874 मामले सूचित किए गए जिनमें से 794 मामले पी 3 के थे जो ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार से थे, जहां पोलियो अभियानों में पी 1 को लक्ष्य बनाते हुए बच्चों को अधिकतर वैक्सीन दी गई थी। इसके अतिरिक्त इन दो राज्यों में बच्चों में ट्राइवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन की नेमी प्रतिरक्षण कवरेज कम थी, जो तीनों प्रकार के पोलियो विषाणुओं से रक्षा करता है।

वर्ष 2008 में भारत में पोलियो के मामलों में 559 तक की गिरावट आई और डब्ल्यू पी वी 1 मामले घटकर 75 रह गए तथा डब्ल्यू पी वी 3 प्रकोप के मामले घटकर 484 रह गए।

10 जुलाई, 2009 तक पोलियो के 124 मामले सूचित किए जा चुके हैं जिसमें से 27 मामले पी-1 टाइप के तथा 96 मामले पी 3 टाइप के हैं। एक मामला पी 1 और पी 3 टाइप का मिश्रित मामला है।

(ग) जी, हां। जब तक देश के किसी भी भाग में पोलियो वायरस संचरण जारी रहेगा तब तक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को यह रोग लगने का खतरा बना रहेगा।

(घ) पोलियो वायरस संचरण की रोकथाम के लिए भारत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ युक्त पोलियो उन्मूलन संबंधी भारतीय विशेषज्ञ सलाहकारी समूह की सिफारिशों के अनुसार अनेक पहलें शुरू की हैं।

आई ई ए जी की सिफारिशों के अनुसार:

- प्रतिवर्ष दो राष्ट्र-व्यापी प्रतिरक्षण दौर एन आई डीज (राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस) आयोजित किए जाते हैं।
- उत्तर प्रदेश और बिहार तथा दिल्ली, मुम्बई सहित पोलियो के फैलाव के खतरे के संभावित पड़ोसी क्षेत्रों तथा पड़ोसी जिलों में लगभग 6 उप राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस (एस एन आई डी) आयोजित किए जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त, स्थानिक मारी वाले क्षेत्र से बाहर पाए गए प्रत्येक पी 1 मामले तथा पी 3 मामले की अनुक्रिया में द्रुत और बड़े पैमाने पर माप अप दौर चलाए जा रहे हैं।
- पंजाब, हरियाणा, गुजरात राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी लोगों की पहचान की जा रही है और इन प्रवासियों के बच्चों को उत्तर प्रदेश और बिहार में एस एन आई डी के दौरान शामिल किया जा रहा है।
- सामुदायिक सहभागिता में उन्नयन करने तथा पोलियो वैक्सीन को स्वीकार करने के लिए स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों, समुदाय एवं धार्मिक नेताओं को शामिल करके सामाजिक संघटन कार्यकलापों में तेजी लाई जा रही है।

- कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अभिज्ञात अंतरालों के संबंध में राज्य स्तरीय राजनैतिक नेतृत्व और प्रशासकों को निरंतर अद्यतन बनाया जा रहा है।
- पल्स पोलियो दौर के दौरान प्रत्येक अर्हक बच्चे तक पहुंचने के लिए नियत पोलियो बूथों और घर-घर जाकर बच्चों को वैक्सीनेशन देने संबंधी कार्यनीति के अलावा पूरे देश में रेलवे स्टेशनों में मार्गस्थ, लंबी दूरी की रेलों में मौजूद बच्चों, मुख्य बस स्टॉपों, बाजारों, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों, मुख्य रोड क्रासिंग इत्यादि में मौजूद बच्चों को वैक्सीन देने संबंधी प्रयासों में तेजी लाई गई है।

(ड) राज्यवार और वर्षवार विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित, निर्गत और प्रत्येक राज्य द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-॥ में दिया गया है।

विवरण-१

वर्ष 2006-2009 में राज्यवार पोलियो के मामले

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	548	371	305	85
बिहार	61	503	233	34
दिल्ली	7	2	5	3
राजस्थान	1	3	2	1
उत्तराखंड	13	6	1	1
हरियाणा	19	6	2	
महाराष्ट्र	5	2	2	
पश्चिम बंगाल	1	2	2	
पंजाब	8	1	2	
उड़ीसा	0	1	2	
आंध्र प्रदेश	0	5	1	
मध्य प्रदेश	3	0	1	

1	2	3	4	5
असम	2	0	1	
गुजरात	4	1	0	
कर्नाटक	0	1	0	
झारखंड	1	0	0	
चंडीगढ़	1	0	0	
हिमाचल प्रदेश	1	0	0	
जम्मू और कश्मीर	1	0	0	
तमिलनाडु	0	0	0	
छत्तीसगढ़	0	0	0	
केरल	0	0	0	
दमन और दीव	0	0	0	
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	
गोवा	0	0	0	
पांडिचेरी	0	0	0	
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	
लक्षद्वीप	0	0	0	
मणिपुर	0	0	0	
मेघालय	0	0	0	
मिजोरम	0	0	0	
नागालैंड	0	0	0	
सिक्किम	0	0	0	
त्रिपुरा	0	0	0	
कुल	676	874	559	124

दिनांक 10 जुलाई, 2009 की स्थिति के अनुसार डाटा।

विवरण-II

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के लिए निधि आबंटन एवं निधि निर्गत (2006-10)

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2006-07 के दौरान निर्गत धनराशि	वर्ष 2006-07 के दौरान सूचित व्यय	वर्ष 2007-08 के दौरान निर्गत धनराशि	वर्ष 2007-08 के दौरान सूचित व्यय	वर्ष 2008-09 के दौरान निर्गत धनराशि	वर्ष 2008-09 के दौरान सूचित व्यय	वर्ष 2009-10 के दौरान निर्गत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अरुणाचल प्रदेश	97.65	87.65	50.02	50.02	87.50	0	0
2.	असम	1252.84	1252.84	735.46	735.46	1928.71	0	98.50
3.	मणिपुर	129.98	129.83	64.99	64.99	117.73	0	0
4.	मेघालय	110.12	138.84	79.04	59.59	282.71	0	0
5.	मिजोरम	48.88	48.88	25.09	25.09	43.21	43.21	0
6.	नागालैंड	103.51	53.98	53.99	54.27	141.61	0	0
7.	सिक्किम	28.24	14.12	14.65	14.99	24.88	0	0
8.	त्रिपुरा	225.64	299.16	79.16	66.97	139.96	0	0
9.	बिहार	4937.51	4571.52	6233.56	5363.60	7560.68	0	3245.80
10.	मध्य प्रदेश	2396.19	2408.07	1097.10	1052.18	1957.32	1878.41	0
11.	उड़ीसा	657.03	652.90	564.06	534.69	1190.93	0	0
12.	राजस्थान	1439.16	1780.44	1430.46	1046.60	2596.46	0	155.15
13.	उत्तर प्रदेश	16044.12	14567.90	17616.78	16249.02	24927.62	16962.45	5742.50
14.	उत्तराखण्ड	548.66	450.10	585.53	572.14	1188.55	676.3	283.56
15.	छत्तीसगढ़	460.84	477.74	372.56	362.82	671.79	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	झारखंड	899.73	869.74	911.98	662.82	676.87	0	0
17.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	29.95	22.81	14.70	14.70	27.15	0	0
18.	आंध्र प्रदेश	2186.12	2029.30	2710.10	2466.44	2996.13	0	0
19.	चंडीगढ़	31.70	37.50	14.38	13.39	34.92	25.16	0
20.	दादरा और नगर हवेली	7.41	7.03	2.97	2.92	5.31	5.23	0
21.	दमन और दीव	4.44	4.26	2.25	1.38	3.57	0	0
22.	दिल्ली	708.02	572.37	1079.46	898.20	2151.06	0	449.98
23.	गोवा	18.98	10.19	9.78	9.40	17.98	15.33	0
24.	गुजरात	1614.96	1492.86	1300.49	877.48	1127.01	0	62.56
25.	हरियाणा	1049.08	865.51	827.03	143.64	1802.12	0	250.36
26.	हिमाचल प्रदेश	239.70	247.47	102.93	0	192.51	0	0
27.	जम्मू और कश्मीर	261.56	314.76	179.38	0	338.03	0	0
28.	कर्नाटक	1302.44	1150.97	735.07	700.07	999.13	0	0
29.	केरल	347.12	406.26	203.13	203.13	383.46	0	0
30.	लक्षद्वीप	4.89	5.54	2.84	2.26	5.04	0	0
31.	महाराष्ट्र	3348.2	2549.90	2516.63	2091.64	4233.23	3575.67	540.61
32.	पांडिचेरी	17.50	15.81	19.60	8.27	16.48	14.77	0
33.	पंजाब	828.52	786.93	657.29	450.03	724.39	764.61	42.81
34.	तमिलनाडु	968.39	979.71	512.66	494.44	969.70	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	2825.23	2473.88	1484.96	95.10	2239.45	0	169.69

टिप्पणी:- (i) वित्तीय वर्ष 2007-2008 तथा 2008-09 के संबंध में व्यय अनंतिम है।

(ii) शून्य व्यय यह दर्शाता है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

वेबसाइट से भ्रष्ट अधिकारियों के नाम हटाना

1629. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री विश्व मोहन कुमार :

श्री पशुपति नाथ सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की वेबसाइट से कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की सूची को हटाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषकर झारखंड में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्टाचार के कितने मामले निपटाए गए हैं तथा आयोग के पास मंत्रालयवार तथा राज्यवार कितने मामले लम्बित हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1999 में आयोग ने संगठित सेवाओं के ऐसे अधिकारियों की एक सूची प्रकाशित करने का निर्णय किया था जिनके विरुद्ध उसने 01.01.1900 से भारी शास्ति की आपराधिक/विभागीय कार्रवाई आरम्भ करने की सलाह दी थी। इस सूची को वेबसाइट पर दर्शाया गया था तथा आयोग के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, अगस्त, 2002 तक उसको अद्यतन किया जा रहा था। तत्पश्चात्, आयोग ने केवल उन्हीं अधिकारियों के नामों को दर्शाने का निर्णय किया जिनके विरुद्ध भारी शास्ति लगाई गई थी। ऐसे अधिकारियों की सूची को आयोग की वेबसाइट पर मासिक आधार पर लगातार दर्शाया जाता है।

(ग) आयोग का क्षेत्राधिकार केवल केन्द्र सरकार तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले व उसके नियंत्रणाधीन संगठनों/निगमों के लोक सेवकों तक ही है। आयोग द्वारा देखे जाने वाले/निपटाए गए मामलों की सूचना, मंत्रालय-वार अथवा राज्य-वार अथवा झारखण्ड जैसे आदि क्षेत्रवार के आधार पर नहीं रखी जाती। इसके अतिरिक्त, आयोग के क्षेत्राधिकार में राज्य सरकारों के कर्मचारी नहीं आते। फिर

भी, पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में मई, 2009 तक आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	निपटाए गए मामले	लम्बित मामले (वर्ष के अंत में)
2006	4683	441
2007	4672	710
2008	4283	1193
मई, 2009 तक	1979	1447

(घ) ऐसे अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा (वर्ष-वार) जिनके विरुद्ध आयोग द्वारा दी गई सलाह पर भारी शास्ति/दण्ड लगाना लगाया गया, इस प्रकार है:-

वर्ष	अधिकारियों की संख्या
2006	844
2007	765
2008	706
मई, 2009 तक	279

इनविट्रो फर्टिलाइजेशन क्लीनिक

1630. श्री नवीन जिन्दल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम प्रजनन कार्यों में लगे क्लीनिक सेरोगेट मदर के नाम पर शुक्राणु और अंडाणु की खरीद-बिक्री करने का अनैतिक व्यापार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार कृत्रिम प्रजनन कार्यों में लगे क्लीनिकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के अनैतिक व्यवहार को रोकने के लिए कोई कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) से इस प्रकार के क्लीनिकों के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) से (ग) ऐसी कोई रिपोर्ट शुक्राणु और अंडाणु की खरीद फरोख्त के बारे में सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अन्य मंचों ने ऐसे समाचार दिए हैं। ऐसे मामलों को विस्तार से सुलझाने के लिए सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक और नियमावली, 2008 का प्रारूप तैयार किया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत) की मदद से तैयार भारत में सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी निदानालयों को विनियमित करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश इस मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट www.mohfw.nic.in पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

चिकित्सकों और नर्सों की कमी

1631. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

श्री आनंदराव अडसुल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सकों और नर्सों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने नर्सिंग सेवा योजना विकास के अंतर्गत नई योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना की स्थिति क्या है; और

(ङ) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए चिकित्सकों और नर्सों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार एलोपैथिक डाक्टरों और जनसंख्या का अनुपात लगभग 1:1584 है। इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के 6 लाख से अधिक चिकित्सक हैं। इन सभी संख्याओं को साथ-साथ लेने पर डाक्टर और जनसंख्या अनुपात करीब 1:1860 होता है। जहां तक नर्सों का संबंध है, नर्सिंग स्टाफिंग मानदण्डों से संबंधित बजाज समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2012 तक 10.43 लाख नर्सों की आवश्यकता होगी। मौजूदा प्रशिक्षण क्षमता के साथ 2012 तक 6.84 लाख नर्सों को प्रशिक्षित किए जाने की आशा है। तथापि, केन्द्र सरकार के अस्पतालों में नर्सों की स्थिति संतोषजनक है।

(ग) और (घ) 11वीं योजना अवधि के दौरान नर्सिंग सेवाओं के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण (मानव स्वास्थ्य संसाधन) के लिए परियोजना के अंतर्गत नई योजनाओं को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

(ङ) भारत सरकार ने नर्सों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव किया है:-

- (i) उन जिलों में सहायक नर्सधात्री विद्या (ए एन एम) तथा सामान्य नर्सिंग एवं धात्री विद्या (जी एन एम) स्कूलों की स्थापना जहां ये दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं।
- (ii) स्नातकोत्तर नर्सिंग (एम.एससी. नर्सिंग) संस्थाओं की स्थापना।
- (iii) क्षेत्रीय उत्कृष्टता संस्थान की स्थापना।
- (iv) प्रत्येक राज्य में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना।
- (v) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को विशेषतौर पर जनसंख्या के गरीब एवं असुरक्षित वर्गों को सुगम एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रचालित किया गया है।
- (vi) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमों में भूमि की आवश्यकता, शिक्षक-छात्र अनुपात एवं सार्वजनिक-

निजी भागीदारी के संबंध में संशोधन किए जा रहे हैं जिनसे और मेडिकल कालेजों को खोलने में मदद मिलेगी।

कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्री

1632. श्री गणेश सिंह :

डॉ. राजन सुशान्त :

श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा आयोजित करती है;

(ख) यदि हां, तो तीर्थयात्रियों को प्रदान की गई सुविधाओं सहित तत्संबंधी औपचारिकताएं क्या हैं;

(ग) प्रत्येक तीर्थ यात्री को कितना भुगतान करना पड़ता है;

(घ) क्या सरकार हज तीर्थयात्रियों की तर्ज पर कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को राजसहायता प्रदान करती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(च) क्या चीन सरकार ने तीर्थयात्रियों को उनके साथ तरल पदार्थ, अर्धतरल पदार्थ ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(छ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ज) क्या सरकार ने इस मुद्दे को चीन सरकार के साथ उठाया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ङ) कुमाऊँ मंडल विकास निगम (केएमवीएन) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के समन्वय से विदेश मंत्रालय द्वारा भारत के नागरिकों के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जून से सितंबर माह के अंत तक साठ-साठ लोगों के सोलह बैचों में कैलाश मानसरोवर यात्रा आयोजित की जाती है। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में आवेदन प्राप्त करने के

लिए एक विज्ञापन कई समाचार-पत्रों में दिया जाता है और इसे दूरदर्शन पर और आकाशवाणी में प्रसारित किया जाता है। यात्रियों का चयन एक कंप्यूटर जनित स्त्री-पुरुष के सही अनुपात में बेतरतीब चयन प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। वर्ष 2009 में प्रत्येक यात्री को केएमवीएन को 20,000/- रु. (रुपए बीस हजार मात्र) की राशि और चीनी पक्ष को 700 अमरीकी डालर (सात सौ अमरीकी डालर मात्र) का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। सरकार यात्रियों को किसी प्रकार की राज सहायता प्रदान नहीं करती है।

(च) से (झ) सरकार को इस बात-बात की जानकारी है कि लिपुलेख दर्रे में स्थित सीमा पर सीमा शुल्क चौकियों में चीनी प्राधिकारी चीनी जनवादी गणराज्य में तरल एवं अर्द्ध-तरल वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से माल की आवाजाही को विनियमित करने का संप्रभु अधिकार होता है। इस मामले को चीनी पक्ष के साथ नहीं उठाया गया है।

स्वाइन फ्लू के लक्षण और कारण

1633. श्री संजय निरुपम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वाइन फ्लू के लक्षण और कारणों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : इन्फ्लूएंजा ए एच1 एन1 (पूर्व में स्वाइन फ्लू के रूप में संदर्भित के महत्वपूर्ण नैदानिक विशेषताओं में बुखार और ऊपरी श्वसन लक्षण तथा खांसी और गले की सूजन आदि शामिल हैं। यह श्वास लेने में कठिनाई के लक्षणों सहित निचले श्वसन मार्ग को दुष्प्रभावी कर सकता है। सिरदर्द, बदन दर्द, नाक का बहना, थकान, अतिसार और उल्टी के लक्षण भी देखे गए हैं।

इन्फ्लूएंजा ए एच1 एन1 (स्वाइन फ्लू) एक नए पुन-श्रेणीबद्ध इन्फ्लूएंजा ए एच1एन1 वायरस के कारण होता है जिसमें मानव, पक्षीय और स्वाइन इन्फ्लूएंजा विषाणुओं के प्रतिजनी संघटक होते हैं, इस वायरस के मूल प्रतिजनी अवयवों का ऊपरी श्वसन मार्ग और निचले श्वसन मार्ग हेतु अभिग्राहकों के लिए संबंधन है जिसके परिणामस्वरूप लक्षण उभरने लगते हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

श्री पवन कुमार बंसल — उपस्थित नहीं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) वर्ष 2009-2010 के लिए अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 246/15/09]

- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 247/15/09]

(दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 248/15/09]

(तीन) इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 249/15/09]

(चार) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा

परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 250/15/09]

(पांच) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 251/15/09]

- (3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2009, जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 188(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 2009, जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 189(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2009, जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 190(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2009, जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 191(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2009, जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 192(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2009, जो 24 मार्च, 2009 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 193(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2009, जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 194(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 2009, जो 1 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 230(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2009, जो 1 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 231(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 2009, जो 15 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 253(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 252/15/09]

(4) प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कर्मचारी) (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 24 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 253/15/09]

(5) वर्ष 2009-2010 के लिए अंतरिक्ष विभाग के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 254/15/09]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) :
मैं कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010

के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 255/15/09]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :
मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।

(दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 256/15/09]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1356(अ) जो 27 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसमें 27 मई, 2009 से 26 मई, 2014 की अवधि के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को सरकारी विश्लेषक तथा उसमें उल्लिखित प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

(दो) का.आ. 2728(अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसमें 25 नवम्बर, 2008 से 24 नवम्बर, 2013 की अवधि के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को सरकारी विश्लेषक तथा उसमें उल्लिखित प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

(तीन) का.आ. 1355(अ) जो 27 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसमें 27 मई, 2009 से 26 मई, 2014 की अवधि के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को सरकारी विश्लेषक तथा उसमें उल्लिखित प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 257/15/09]

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2009 जो 18 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 97(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 258/15/09]

(5) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 783(अ) जो 19 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित लुप्त प्राय पादप व पशुओं की प्रजातियां अधिसूचित की गई हैं तथा हिमाचल प्रदेश राज्य में कतिपय शर्तों के अधधीन उनके संग्रहण का प्रतिषेध और विनियमन किया गया है।

(दो) का.आ. 997(अ) जो 23 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित लुप्त प्राय पादप व पशुओं की प्रजातियां अधिसूचित की गई हैं तथा केरल राज्य में कतिपय शर्तों के अधधीन उनके संग्रहण का प्रतिषेध और विनियमन किया गया है।

(तीन) का.आ. 988(अ) जो 23 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित लुप्त प्राय पादप व पशुओं की प्रजातियां अधिसूचित की गई हैं तथा उत्तर प्रदेश

राज्य में कतिपय शर्तों के अधधीन उनके संग्रहण का प्रतिषेध और विनियमन किया गया है।

(चार) का.आ. 999(अ) जो 23 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित लुप्त प्राय पादप व पशुओं की प्रजातियां अधिसूचित की गई हैं तथा उत्तराखंड राज्य में कतिपय शर्तों के अधधीन उनके संग्रहण का प्रतिषेध और विनियमन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 259/15/09]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : मैं वर्ष 2009-2010 के लिए योजना आयोग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 260/15/09]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 7, श्रीमती परनीत कौर—उपस्थित नहीं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 263/15/09]

(3) (एक) सेंट्रल काउंसिल आफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल आफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 264/15/09]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) :

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) नेशन इंस्टिट्यूट आफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशन इंस्टिट्यूट आफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 265/15/09]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, मैं क्षमा चाहता हूँ। जब पहले मेरा नाम लिया गया था तब मैं यहां उपस्थित नहीं था।

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 244/15/09]

(3) वर्ष 2009-2010 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 245/15/09]

अपराहन 12.01 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2007-08 और 2008-09) के संबंध में पर्यावरण और वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 181वें और 200वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : मैं 1 सितम्बर 2004 के लोक सभा बुलेटिन, भाग-II द्वारा जारी अध्यक्ष महोदया, लोक सभा के निदेश सं. 73क के अनुसरण में विभाग से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की एक सौ इक्कासीवी (181वीं) रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में माननीय सदन को जानकारी देने के लिए यह वक्तव्य सभा-पटल पर रख रहा हूँ। यह रिपोर्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2007-08 की अनुदान मांगों पर विचार करने से संबंधित

*सभा-पटल पर रखा गया।

है। समिति ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष में की गई प्रगति की समीक्षा की और अनुदान मांगों (वर्ष 2007-08) पर विस्तार से विचार किया।

समिति ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की कार्यप्रणाली की समीक्षा तथा उनकी विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करते समय मंत्रालय के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में अनुदान मांगों का विश्लेषण किया और इन पर अपनी 181वीं रिपोर्ट 27 नवंबर, 2007 को सदन में प्रस्तुत की। इस 181वीं रिपोर्ट में तेइस सिफारिशें हैं।

समिति की सभी सिफारिशों पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में विचार किया गया है। मंत्रालय ने इन सिफारिशों पर 'की गई विस्तृत कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट' 16 फरवरी, 2009 को समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। की गई कार्रवाई संबंधी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 266/15/09]

मैं 1 सितम्बर 2004 के लोक सभा बुलेटिन, भाग-II द्वारा जारी अध्यक्ष महोदया, लोक सभा के निदेश सं. 73क के अनुसरण में विभाग से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की दो सौवीं (200वीं) रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में माननीय सदन को जानकारी देने के लिए यह वक्तव्य सभा-पटल पर रख रहा हूं। यह रिपोर्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की अनुदान मांगों पर विचार करने से संबंधित है। समिति ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष में की गई प्रगति की समीक्षा की और अनुदान मांगों (वर्ष 2008-09) पर विस्तार से विचार किया।

समिति ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की कार्यप्रणाली की समीक्षा तथा उनकी विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करते समय मंत्रालय के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में अनुदान मांगों का विश्लेषण किया और इन पर अपनी 200वीं रिपोर्ट 23 अक्टूबर, 2008 को सदन में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में बीस सिफारिशें हैं।

समिति की सभी सिफारिशों पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में विचार किया गया है। मंत्रालय ने इन सिफारिशों पर 'की गई विस्तृत कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट' 8 जून, 2009 को समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। की गई कार्रवाई संबंधी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 266-क/15/09]

अपराहन 12.02 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

“कि जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 6 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ट) के अनुरक्षण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष महोदया निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधधीन जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:-

“कि जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 6 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ट) के अनुरक्षण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष महोदया निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधधीन जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.03 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा शून्य काल में अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार करेगी।

श्री शरद यादव बोलिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, जिस सवाल को आज सदन में आपके आने के साथ ही उठाने का प्रयास हुआ था, वह अकाल का मामला था। देश में जिस तरह के हालात हैं, हमने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा उलट-फेर नहीं देखा है। बिहार ऐसी जगह है, जिसे पानी का सूबा कह सकते हैं। पूरा देश का, खासकर के हिमाचल की तराई से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के सभी भागों में, मैं उतनी पक्की जानकारी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इस सदन के सदस्यों से ज्यादा मेरी राय में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इस देश की धरती और जमीन को जानता हो। यह इतना गंभीर संकट है कि सदन के चलते यदि हमने इसका रास्ता या रोडमैप नहीं बनाया फिर आगे आने वाले देश में जो संकट है, उस चुनौती से हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देश में पानी की स्थिति जिस तरह बिगड़ी है, यहां प्रणव बाबू बैठे हैं। इन्द्र देवता को मैं नहीं मानता कि इन्द्र देवता पहले भी और बाद में भी, मैं मानता हूँ कि धरती और चराचर पर्यावरण से चलता है। आज नदियां सूख रही हैं, गंगा की धारा भी बीस-बीस मीटर खिसक रही है। नर्मदा नदी में सदा पानी रहता था, जो सूख रही है, चम्बल में जितने घड़ियाल हैं, अकेले उनका जीवन संकट में नहीं है, नदियां पूरी की पूरी सूख रही हैं, जिनमें सदा पानी रहता था। भाखड़ा नांगल देश का सबसे बड़ा जलाशय है, उसमें संकट है। पूरे देश के कई शहरों में पीने के पानी का हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर बहुत से ऐसे इलाके हैं, जहां पानी का संकट है। यहां बिजली मंत्री नहीं हैं, दो-तीन मंत्री राज्य सरकारों के आए थे। वे हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने बताया कि पानी से जो बिजली बनती है, उसके जेनरेशन में बहुत बड़े पैमाने पर कमी हो गई। बिजली एवं पीने के पानी का संकट होगा। जो वसुन्धरा अनाज देती है, इस देश में 75 फीसदी जमीन बरसात पर चलती है। ऐसी विकट परिस्थिति है, हम सब सदन में बैठे हैं। आप इस सदन की मालिक हैं और हम लोग सारी चिन्ताएं आपके तहत उठाते हैं। इससे विकट स्थिति कभी देश के सामने नहीं थी।

हमने इन सारी चीजों पर ग्रुप आफ मिनिस्टर बनाए। हमने सचिवों की बैठक की है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि इस सवाल पर, जो एक रूटीन रास्ते से हम चलते आए हैं, उससे कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। हम जब तक देश भर के लोगों को पूरी तरह इस बहस में, फैसले में हर तरह से उन्हें शामिल करने का काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। यहां सदन के नेता प्रणव बाबू जी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे विनती करूंगा। आपकी मिनिस्ट्री में बहस हुई है, आपके सचिवों ने बहुत मीटिंगें की हैं, राज्य और

सूबों से आपके पास सूचनाएं आ गई हैं, ठीक है। इस देश में सब पार्टियों की सरकारें हैं।

अध्यक्ष महोदया, राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है, बजट की बहुत कमी है, लेकिन सभी राज्य सरकारों के जो मंत्री एवं विधायक हैं, वे जितना देश को जमीन पर जानते हैं, उनसे ज्यादा जमीन को जानने वाले लोग कितनी भी बात करें, लेकिन इस सदन के लोग देश के चप्पे-चप्पे की खबर दे सकते हैं। तत्काल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को बुला कर बात करें। मौसम की क्या हालत है, कहां पानी बरसा और कहां नहीं बरसा है। स्वामी नाथन जी इस देश के बहुत बड़े जानकर कृषि विशेषज्ञ हैं। मैं मानता हूँ कि वे खेती और फसल के बहुत बड़े जानकार हैं। उनका तीन दिन पहले हिन्दू अखबार में सुझाव आया, बहुत जगह पानी बरसा है, कई सूबों में बीज बोने लायक पानी बरसा है। हमें तत्काल सारे मुख्यमंत्रियों को बुला कर इस बारे में बात करनी चाहिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा अन्य भी देश के बहुत सारे इलाके हैं, बहुत से सूबे हैं, जहां पानी बरसा है।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पूरे देश में सुखाड़ की स्थिति है।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : सुखाड़ है, लेकिन कई जगह पानी बरसा है।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बिहार पानी का सूबा है, वहां भी अकाल की स्थिति है।

महोदया, पूरा मगध कई वर्ष से सूखे की चपेट में है। बुन्देलखंड तो वर्षों से, एक वर्ष से नहीं, बल्कि सात-आठ वर्षों से सूखे की चपेट में है और पूरी तरह से उजाड़ हो गया है। पशु मर गए हैं और पक्षी उड़ गए हैं। विकट परिस्थितियां हैं। चारे की दिक्कत होगी। पानी की दिक्कत होगी और पूरे देश के जो पशु-पक्षी हैं, वे भी मर-मर कर गिर रहे हैं। हमारी खेती और किसानों में जो सबसे ज्यादा मददगार हैं, वे जानवर भी तबाही और दिक्कत के दौर में हैं। मैंने आपसे कहा कि डॉ. स्वामीनाथन जी ने कुछ दिन पहले ही कुछ सुझाव दिए हैं। मैं आपके माध्यम से श्री प्रणव मुखर्जी से कहना चाहता हूँ कि तत्काल देश के प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाएं, तत्काल सारी पार्टियों को बुलाएं और बैठक करें तथा देखें कि देश में कहां-कहां पानी गिरा है और कहां-कहां हम फसल को ठीक प्रकार से और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। राजस्थान है, पंजाब है और वैस्टर्न यू.पी. है, वहां तो कोई फसल होने वाली नहीं है। जहां फसल हो सकती है, वहां हमें तत्काल हाथ डालना चाहिए और सब तरह की सामर्थ्य और शक्ति लेकर हमें वहां जाना चाहिए।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह काम आपके ग्रुप आफ मिनस्टर्स से दिल्ली में बैठकर होने वाला नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि वे लोग काबिल नहीं हैं। वे बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन आपको देश के बारे में यहां बैठकर बहुत सी जानकारी नहीं मिल पाती है। बहुत सी चीजों के बारे में वहां के जो लोग बता पाएंगे, वे यहां बैठकर नहीं जानी जा सकती हैं। देश ऊपर से भी चलाया जाएगा और नीचे से भी चलाया जाएगा। यह ऐसा संकट है जिसके इंतजाम के लिए आपको तत्काल कदम उठाने चाहिए और अगर आपने तत्काल कदम नहीं उठाए, तो जो आपका बजट है, वह 'ऊंट के मुंह में जीरा' साबित होगा।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो संकट आने वाला है, उसमें आप टिकने वाले नहीं हैं और यह ऐसा संकट होगा, जिसमें हर तरह की कठिनाई होगी। इसमें प्यास, भूख, जानवर, जंगल, धरती, आकाश और गर्मी का सभी तरह का संकट होगा। इस तरह से तबाही होगी जो हमने कभी देखी भी नहीं होगी। इसलिए मेरी आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी, जो सदन के नेता हैं, मैं पार्टी के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं मन से जरूर बेचैन हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस मामले में जिस शिद्दत से आपको पहल करनी चाहिए, वह तत्काल करें और सारे मुख्य मंत्रियों को बुलाएं और दो दिन बैठकर, हिन्दुस्तान के सामने जो सूखे का संकट है, जो चुनौति है, उससे कैसे निपटें, इस बारे में सारे कदम उठाने का काम करें।

महोदया, आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूँ।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री गोपीनाथ मुंडे।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जो श्री गोपीनाथ मुंडे बोल रहे हैं, सिर्फ वही रिकार्ड पर जाएगा।

... (व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। देश में इस समय कृषि विभाग ने मानसून के जो अंदाजे प्रकट किए थे, वे सारे गलत निकले। विभाग ने जो अनुमान लगाया था, उससे ऐसा प्रकट होता था कि इस वर्ष देश में अच्छा मानसून होगा, लेकिन वह सत्य नहीं निकला। आज पूरे देश में अकाल की स्थिति है। देश में वर्ष 1972 के बाद यह सबसे बड़ा अकाल है। अकाल के कारण देश की स्थिति बहुत गम्भीर बन चुकी है। एक प्रदेश नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, महाराष्ट्र और कई प्रदेशों में आज अकाल की स्थिति है। आज यहां हमारे सदन के नेता भी बैठे हैं। अगर देश की स्थिति की गम्भीरता को ठीक प्रकार से पार्लियामेंट नहीं समझेगी और उपाय नहीं करेगी, तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। इतने बड़े संकट से मुकाबला करने के लिए प्रदेशों के पास साधन नहीं हैं, उनके पास धन नहीं है। वे इस अकाल की स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि आज किसान की स्थिति ठीक नहीं है। वे जानवरों को बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। पीने के पानी का संकट तो इतना गम्भीर है कि आज लोगों को गांवों में पीने के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है। सूखे के कारण देश की स्थिति बहुत गम्भीर बन चुकी है। इसलिए उनके लिए पानी तथा रोजगार के तत्काल उपाय करने चाहिए।

महोदया, सूखे के कारण महाराष्ट्र की स्थिति भी बहुत खराब है। आज वहां बरसात के दिनों में भी 7500 गांवों में टैंकों से पानी दिया जा रहा है। देश के जितने भी बड़े डैम हैं, उनमें 10 प्रतिशत भी पानी नहीं है, जबकि जुलाई का महीना आधा समाप्त होने जा रहा है। यह नैचुरल कैलेमिटी है। यह नैसर्गिक आपदा है। पहले इसकी जांच की जानी चाहिए कि विभाग द्वारा मानसून का जो अंदाज लगाया गया, वह गलत कैसे साबित हुआ। जिन किसानों ने सोइंग की थी, बरसात नहीं होने के कारण वह बुवाई बेकार हो गई और यदि बरसात होगी, तो उन्हें दुबारा बुवाई करनी पड़ेगी।

उसका खर्च करने के लिए किसान को जमीन बेचनी पड़ेगी, नहीं तो पत्नी के गहने बेचने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। देश में किसानों को सोइंग करने के लिए भी अनुदान देना पड़ेगा, सब्सिडी देनी पड़ेगी। केन्द्र सरकार यहां बैठकर क्या करेगी, प्रदेशों में चूंकि यह राज्यो पर छोड़ देगी तो मेरी मांग है कि जिन प्रदेशों में अकाल है, उन प्रदेशों में आप सैंटर की टीम भेज दें। यह बजट सेशन चल रहा है, इसलिए नैचुरल कैलेमिटी में मदद करने के लिए एक अलग

[श्री गोपीनाथ मुंडे]

राशि निकाली जाये और उससे प्रदेशों की मदद की जाये। अगर प्रदेश केन्द्र पर और केन्द्र प्रदेश पर छोड़ देगा तारे बहुत बड़ा संकट होने वाला है।

एक और बहुत गहरा संकट आया है कि लोग रोजगार के लिए शहरों में स्थानान्तरित हो रहे हैं। लोग रोजगार के लिए गांव छोड़कर जा रहे हैं, इस स्थानान्तरण को रोकना चाहिए। इस देश में अकाल के बाद अगर उनके पास पीने का पानी नहीं है, जानवरों को खिलाने के लिए चारा नहीं है तो गांवों में ही उनको रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। यह जिम्मेदारी केन्द्र टाल नहीं सकता। हमारे कृषि मंत्री परिस्थिति इतनी गम्भीर होने के बाद भी कहते हैं कि मानसून अच्छा होगा, बरसात गिरेगी। यह भविष्य में कौन कह सकता है। आज स्थिति गम्भीर है और इससे निपटने के लिए, इस स्थिति में गरीब लोगों को राहत देने के लिए केन्द्र को कड़े कदम उठाने चाहिए और कुछ घोषणाएं करनी चाहिए और अपने बजट में से कुछ अलग राशि निश्चित रूप से देनी चाहिए।

आज अनाज की देश में कमी नहीं है, आप लोगों ने चुनाव में प्रचार किया कि अनाज के गोदाम भरे हुए हैं, जबकि गोदाम खाली हैं। अगर संकट आएगा तो अनाज भी नहीं मिलेगा, इसलिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में भी पालिसी तय करनी चाहिए। हमारे देश का अनाज हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बड़ा खतरा मोल लेंगे। कुछ चीजें हैं, जो इस देश के लिए आपको आज से मंगानी होगी, चूंकि यह अकाल साल भी रहेगा। इसके लिए शार्ट टर्म कई मैजर्स उठाने पड़ेंगे और लॉग टर्म मैजर्स उठाए पड़ेंगे।

जैसे बुन्देलखंड की एक बात की, वैसे महाराष्ट्र में भी मराठवाड़ा और विदर्भ हैं, वहां हमेशा अकाल आता है। उन क्षेत्रों में प्रयास करना चाहिए कि आगे अकाल न हो और जितना उपलब्ध पानी है, उसको अपने प्रदेश, अपने डैम पूरा नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है। जैसे हमारी एन.डी.ए. सरकार ने गंगा-कावेरी जोड़ने का प्रयास किया था, अगर आप उस प्रोजेक्ट को पांच साल में पूरा करते तो शायद अकाल का सामना नहीं करना पड़ता। अगर हमारी सरकार गंगा-कावेरी को जोड़ने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये देती और वह प्रकल्प आज पूरा होता तो आज हमें अकाल का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बारे में अभी भी देर नहीं हुई है। अकाल का तो सामना करना पड़ेगा, अकाल के लिए तो राशि उपलब्ध करानी पड़ेगी, लेकिन गंगा-कावेरी के लिए आज भी देरी नहीं हुई है, आप इसमें शुरूआत

करें। गंगा में भी पानी नहीं है, आज यह कहा जा रहा है। जब सरकार इसके बारे में नहीं सोचेगी तो इस देश को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा और इससे गांव, गरीब और किसानों को नुकसान होगा।

मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सदन के नेता और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। आपने आर्थिक मंदी के लिए पैसा दिया, उसके लिए पैकेज दिया तो गांव, गरीब और किसानों के लिए पैकेज क्यों नहीं उपलब्ध सूखे में करा रहे हैं, उसकी मदद के लिए सरकार क्यों नहीं आगे आती? क्योंकि, वे अपनी आवाज नहीं उठा सकते, वे आप तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए, गांवों के लोगों को, जानवरों को बचाने का काम सरकार को करना चाहिए।
...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये।

श्री गोपीनाथ मुंडे : अध्यक्ष महोदय, इस पर सदन में बहस होनी चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद। आपने सूखे के सवाल को गम्भीरता से लिया। हम उन बातों को नहीं दोहराना चाहते, माननीय शरद यादव जी ने कहा है, मुंडे साहब ने भी कहा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि सूखा तो पड़ा ही है और सूखा ऐसा है, जो लगभग पूरे देश में है। उत्तर भारत पूरी तरह सूखे की चपेट में है। सबसे ज्यादा उत्तर भारत है और अन्य भी प्रदेश हैं।

आज सवाल है कि पानी तो है नहीं, तालाब, गड्ढे जो भी हुआ करते थे, वे भी खत्म हो गये। अब तो तालाबों को पाटकर जमीन बना ली गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक निर्देश भी दिया कि जितने पुराने तालाब थे, उन तालाबों को खुदवाया जाये, उन पर से कब्जे हटाये जायें। जो गड्ढे तालाब हुआ करते थे, वे जानवरों को पानी पीने के अलावा और जो जलस्तर नीचे जाता था, उसको रोकने के लिए ऐसे मौके पर मदद करते थे। जल स्तर नीचे चला गया है, ट्यूबवेल में पानी नहीं है, हैंड पंप कामयाब नहीं हैं। आज इस तरह की परेशानियां हैं कि न पीने के लिए पानी है, न जानवर के लिए, न इन्सान के लिए है। आज यह हालत है।

दूसरी चीज, आगे सबसे बड़ा संकट अन्न का आने वाला है। यह फसल तो गयी, खरीफ की फसल में कुछ पैदा नहीं होना है

और आगे आने वाली रबी की फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला सवाल जहां पानी का है, वहां अन्न का भी साथ-साथ संकट होगा। इससे भुखमरी फैलेगी, जब भुखमरी फैलेगी तथा पानी नहीं मिलेगा, तो फिर लोग लूट करेंगे, डंडा चलेगा, लाठी चलेगी, गोली चलेगी, झपटमारी होगी कि पानी कहां है और खाने का अन्न कहां है? यह हालत देश के अंदर आने वाले समय में होगी। कोई इन्सान भूखा नहीं मरना चाहेगा कि दूसरा खाये और वह भूखा रहे, लोगों में छीनाझपटी होगी। माननीय नेता सदन बैठे हैं, वह इसे गंभीरता से लें और सारे नेताओं की बैठक बुलायें। आप अकाल घोषित करें और तत्काल चारे का इंतजाम करें। जहां गरीब भूखों मरने वाले हैं, मर रहे हैं, मजदूर हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए तत्काल खाने-पीने का इंतजाम भी करे।

अध्यक्ष महोदया, सवाल यह है कि आज जल स्तर भी नीचे गया, जो सबसे बड़ा संकट है। गंगा को हम क्यों पूजते हैं, क्योंकि यह अन्न खिलाती है, इसलिए गंगा का इतना महत्व है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आ गयी है कि बीस-पच्चीस साल बाद गंगा में पानी नहीं होगा। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आ चुकी है, ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं कि सरकार ने इसे कितनी गंभीरता से लिया है कि गंगा सूखने वाली है और गंगा के सूखने के बाद क्या हाल होगा? सब जगह रेगिस्तान हो जाएगा। जहां असली पैदावार होती है, गंगा-जमुना के मैदान को जिसे सबसे ज्यादा उर्वरा माना जाता है, जो अन्न देता है, वह रेगिस्तान हो जाएगा।

वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट दी है, जो चर्चायें हैं, अखबारों में हैं, मैगजीन में हैं, उस के बारे में सरकार ने क्या विचार किया है कि जब गंगा सूखेगी तो देश का क्या हाल होगा? आप समझ लीजिए कि फिर तो पूरा देश रेगिस्तान हो जाएगा। यह गंभीर स्थिति सूखे तक ही सीमित नहीं है। सूखे के साथ-साथ ये सवाल भी महत्वपूर्ण हैं। नदियां सारी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन गंगा का इतना महत्व है कि गंगा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। गंगा ही तो सबसे ज्यादा अन्न पैदा कर रही है। यहां से लेकर आप कलकत्ता तक चले जाइए, पूरे इलाके में वह अन्न पैदा की रही है। आज वहां सूखे का सवाल है। इसके साथ जो तालाब और गड्ढे हैं, उनमें पानी नहीं है, जानवरों के पीने के लिए नहीं है। जल स्तर नीचे जा रहा है, ट्यूबवेल फेल हो रहे हैं और हैंडपंप काम नहीं कर रहे हैं। अब सरकार क्या कर सकती है?

हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह मामला पक्ष या विपक्ष का है। यह मामला पूरे देश का है। इसलिए इस मामले पर सभी दलों

के नेताओं की बात होनी चाहिए। सभी दल के नेताओं से इस पर सुझाव लेना चाहिए। सभी नेताओं को जानकारीयां हैं। अपने साथियों के ग्रुप बनाकर नेता सदन उनसे मिलें। आप प्रदेश के लोगों से मिले कि प्रदेश का क्या हाल है? उनके नेता भी आएँ, भले ही पूरे शासन को मत बुलाइए। यह देश का सवाल है, सत्तापक्ष या विपक्ष का नहीं है।

महोदया, हम मानते हैं कि यह दैवीय आपदा है, लेकिन दैवीय आपदा का बहाना सरकार नहीं ढूँढ सकती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि पानी कैसे दिया जाए, अन्न कैसे पैदा कराया जाए, पानी सिंचित कैसे किया जाए? केवल दैवीय आपदा के नाम पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि चाहे वह पाताल से पानी ले, चाहे कहीं से पानी ले, चाहे बांध बनाए, चाहे समुद्र से पानी ले, लेकिन यह सरकार का काम है। कोई यह कहता है कि दैवीय आपदा है, लेकिन सरकार यह नहीं कह सकती, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकती।

अध्यक्ष महोदया, यह गंभीर सवाल है, आप इस पर चर्चा करायें। यह एक या दो घंटे की चर्चा नहीं है, इस पर पूरे दिन सदन में चर्चा हो। आज अकाल की स्थिति है। खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी है और आगे आने वाली फसल के लिए इंतजाम नहीं है, तो भुखमरी फैलेगी, क्योंकि अन्न नहीं है। क्या हम विदेशी अन्न पर ज़िदा रहेंगे? हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर पैदावार किसी ने बढ़ायी है, तो किसान ने अपनी मेहनत और बुद्धि से बढ़ायी है। सरकार ने कोई ज्यादा मदद नहीं की है। यहां किसान भी बैठे हैं। ऐसे-ऐसे गांव बता देंगे जो आज पैदावार बढ़ा रहे हैं। उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। किसान ने अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से ढाई गुना पैदावार बढ़ाई है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि किसानों को प्राथमिकता के आधार पर, गांवों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए। शहरों में भी संकट है लेकिन यहां इंजीनियर रहते हैं, एमपी रहते हैं, एमएलए रहते हैं, मंत्री रहते हैं, चीफ मिनिस्टर रहते हैं, प्रधान मंत्री रहते हैं। राष्ट्रपति रहते हैं और सारे अधिकारी रहते हैं। यहां तो हाहाकार हो जाएगा। यहां पीने के पानी का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन सुदूर इलाके जहां गांव हैं, देहात हैं, आदिवासी हैं, गंदा पानी है, उनके लिए क्या इंतजाम होगा। दिल्ली की क्या चिन्ता है, दिल्ली में इंतजाम हो जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : एक दिन सांसद खड़े होकर कहेंगे कि पानी नहीं है, पानी नहीं है।... (व्यवधान) पानी मैला हो गया था। ... (व्यवधान) पानी गंदा है। पानी की बोतलें बिक रही हैं। एक बाल्टी पानी की क्या कीमत हो गई है। आज यह हालत है। इसलिए आपको कोई न कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। आप आज ही अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुला लें, कुछ भी कर लें, हमारे सुझाव आ चुके हैं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर जरूरत समझें तो नेताओं को बुला लें, लेकिन जरूरत नहीं है। आपको काम करना है, सुझाव आ गए हैं, आप जानते हैं।... (व्यवधान) आपने मुझे इतना बोलने देने की कृपा की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इस गंभीर सवाल पर पूरे दिन चर्चा होनी चाहिए।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए।

... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है जिसे सम्मानित सदस्य श्री यादव ने विस्तार से यहां रखा है। यह दैविक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। आज पूरे देश के नौजवान सब परेशान हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है कि किसी के नाते आपदा आई है, लेकिन संयोग है कि यूपीए सरकार बनते ही यह देश अकाल की गिरफ्त में आ गया है। ... (व्यवधान) सही क्या है, यह बता दीजिए।... (व्यवधान) आप पहले बात सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ।... (व्यवधान) सरकारें बनती, बिगड़ती रहती हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : मैंने कहा यह संयोग ही है, इसमें आपका दोष नहीं है। यह संयोग है कि आपकी सरकार बनते ही पूरा देश अकाल की चपेट में आ गया है।... (व्यवधान) किसान जो इस देश की रीढ़ है, आज सबसे ज्यादा परेशान है। पशु-पक्षी से लेकर इंसान, पहाड़ी इलाके, पूरे देश में जहां शुद्ध पानी नहीं मिलता था, सूखे की हालत यह है कि दिल्ली में पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत

है। लोग नाले का पानी पीने को मजबूर हैं जिससे आने वाले दिनों में गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। पानी के अभाव में देश में बिजली का सबसे बड़ा संकट है। पन बिजली परियोजना जो पानी की वजह से चलती थी... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त हो जाइए। आप इस तरफ देखकर संबोधित कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : आपने अपनी बात कह दी है, अब चुप रहिए।... (व्यवधान)

मैं समझता हूँ कि सारे दल के नेताओं, प्रदेश सरकारों, मुख्य मंत्रियों और संबंधित मंत्रियों को बुलाकर, सदन के सम्मानित नेता बैठे हुए हैं, विद्वान हैं, सारी स्थिति से परिचित हैं, सदन के नेता इस गंभीर संकट को देखते हुए प्रदेश सरकारों से राय लेकर, जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा है, जो जमीनी हकीकत है, पार्लियामेंट के सारे सदस्य हलके से चुनकर आते हैं, वे इस गंभीर स्थिति से निपटना जानते हैं और सच्चाई भी समझते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी राय भी ली जाए। देश में अकाल, सूखे की वजह से जो गंभीर स्थिति पैदा हुई है, उस पर गंभीरता से विचार किया जाए।

[अनुवाद]

श्री टी.के.एस. इल्लैंगोवन (चेन्नई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महोदय, सभा के अन्य सदस्यों की भावनाओं से स्वयं को संबद्ध करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 12 जून को सिंचाई के लिए कावेरी के मेट्टूर बांध से पानी छोड़ा जाता है। परन्तु इस वर्ष अब तक पानी नहीं छोड़ा गया है क्योंकि मेट्टूर बांध में पानी ही नहीं है। डेल्टा क्षेत्र के किसानों को इसके कारण कठिनाई हो रही है।

महोदय, तमिलनाडु इस देश के अंत में स्थित है। सामान्य तौर पर यह स्वीकार्य अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि ऊपरी तटवर्ती राज्यों को निचले तटवर्ती क्षेत्रों को पानी देसे से इंकार नहीं करना चाहिए। परन्तु यहां, तमिलनाडु को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और राज्य के लिए पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। इसलिए पानी की कमी के कारण हमारे किसानों को समस्या आ रही है। एक वर्ष का प्रभाव, अगले दो अथवा तीन वर्षों तक रहेगा। मुद्दा यही है। यदि एक वर्ष

तक पानी की दिक्कत रहती है तो इसका असर अगले दो से तीन वर्षों तक रहेगा। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और विशेषकर तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार-विमर्श करके कुछ निवारण उपाय किए जाएं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदया, आज देश में सूखे की बड़ी गंभीर स्थिति है। पहले जब सूखा पड़ता था, तो वह एक-दो सूखे या राज्य में ही पड़ता था, लेकिन इस बार सूखे की चपेट में पूरा देश है। ऐसा कोई सूखा या राज्य नहीं है, जहां सूखे का प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारा कहना है कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है।

अध्यक्ष महोदया, आज भी हमारे देश की 70 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इस बार किसान ने अपने खेतों में जो बीज बोया था, वह सब सूख गया, जल गया। उनके पास बोने के लिए दोबारा बीज नहीं है। हमारे देश में 50-50 फीसदी से ज्यादा प्रांतीय, मार्जिनल और गरीब किसान हैं, जो अपने पास केवल एक बार के लिए ही बीज रखते हैं। आज उनके पास बीज बोने के लिए नहीं हैं।

आज देश में ऐसी परिस्थिति है कि अगर सरकार उनकी मदद नहीं करती, तो देश में इस बार फसल नहीं होगी। यदि देश में अभी भी बारिश होती है तक भी फसल नहीं हो सकती। यदि सरकार समय पर उनकी मदद नहीं करती, तो हमारा उत्पादन घट जायेगा।

दूसरी, हमारी सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। इस बार हमने चुनाव में भी देखा है कि जनता की एक ही मांग थी- पानी। उनका कहना था कि हमें पानी दो। देश में पीने के पानी का संकट हो गया है खासकर गांवों में। शहरों में कहीं न कहीं पीने के पानी का विकल्प है, लेकिन गांवों में पीने के पानी का बहुत बड़ा संकट है। वहां लोग ट्यूब वेल और कुओं पर निर्भर करते हैं। ट्यूब वेल में पानी का लैवल काफी नीचे चला गया है। वहां कुएं आदि सब सूख गये हैं।

इस कारण से आज गांवों में बीमारियां फैल रही हैं, गांव में लोगों को डायरिया हो रहा है, मौत हो रही है। यह भी बहुत गंभीर समस्या हमारे सामने है। इसे भी हमें देखना होगा। इस सदन में चर्चा होगी, दिन भर चर्चा होगी, स्ट्रक्चर्ड डिबेट होगी, लेकिन डिबेट से समस्या हल नहीं होगी, हल निकालना होगा। एक शार्ट टर्म और लांग टर्म

प्लान हमें बनाना होगा कि अगर भविष्य में हमारे देश में ऐसी समस्या होगी तो उसका सामना कैसे करेंगे।

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : इसलिए डॉ. स्वामीनाथन ने सुझाव दिया है, हमारे देश के कृषि वैज्ञानियों के साथ सलाह-परामर्श करके, तमाम मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग बुलाकर और सभी पोलिटिकल पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक करके, केन्द्रीय सरकार को एक कंटीजेन्सी प्लान बनाना होगा कि कैसे हम इसका समाधान कर सकेंगे, कैसे इसका मुकाबला कर सकेंगे। हमारे देश में 80 फीसदी आबादी आज इस संकट में फांसी हुई है।

अध्यक्ष महोदया : अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : इस संकट का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए राज्य सरकारों की मदद करनी होगी, किसानों की मदद करनी पड़ेगी। हर समान का भाव बढ़ रहा है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : केवल वही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा जो श्री भर्तृहरि महताब कह रहे हैं।

(व्यवधान)*...

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया सभा में यह चर्चा कराने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूखा एक गंभीर समस्या है और इसे धीमी गति से होने वाली मृत्यु माना जाता है। सूखे से पीड़ित व्यक्ति अवसर सड़क पर आ जाते हैं। तूफान अथवा बाढ़ से होने वाले विनाश की तुलना में अवसर सूखे से होने वाले नुकसान को प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे नहीं देखा जा सकता। इसलिए सूखा एक ऐसी समस्या है जिससे सभी किसान प्रभावित होते हैं और समाज के कमजोर वर्गों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब इस सदन में इस प्रकार के मुद्दे को उठाया जा रहा है तो महोदया सभा की भावना को ध्यान में रखते हुए अपने हमारे नेताओं के सुझावों को सही रूप से स्वीकार किया है और आज इस ज्वलंत मुद्दे पर अनेक सदस्यों को भाग लेने की अनुमति दी है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री भर्तृहरि महताब]

मैं एक ऐसे राज्य से आया हूँ जहाँ पिछले दस महीनों से वर्षा नहीं हुई है। इस देश के पूर्वी भाग के तटीय राज्य उड़ीसा में दस महीनों से वर्षा नहीं हुई है। परंतु जब मुश्किल से दस दिन पहले वर्षा हुई थी तो उड़ीसा को पिछले सात दिनों से बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। जब यह सदन सूखे पर चर्चा कर रहा है तो मुझे सरकार और इस सदन का ध्यान उस आपदा की ओर आकर्षित करने के लिए बाध्य होना पड़ा जो हम पर बाढ़ के कारण आयी है। बैतरणी नदी के तट टूट चुके हैं। भद्रक और जाजपुर जिलों के अधिकांश भाग में पानी भर गया है। हीराकुड जलाशय के निचले भाग में एक बड़ा बाढ़ फट गया था और महानदी के निचले भाग में भारी बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से, उड़ीसा के दक्षिणी हिस्से के गंजम जिले के रूशीकुल्या क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। नयागढ़ जिले में एक दुर्घटना हुई है जहाँ एक बस बह गयी और अनेकों व्यक्ति हताहत हुए हैं।

महोदया, मेरे पास सरकार के विचारार्थ कुछ सुझाव हैं। उड़ीसा में धान की हाईलैंड किस्म की फसल पहले ही पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और धान की लोलेण्ड किस्म की फसल भारी बाढ़ से पूरी तरह तबाह हो चुकी है। मैं उड़ीसा राज्य को पूरा सहयोग देने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कृषकों की सहायता करने के लिए प्रकृति द्वारा हमारे सम्मुख खड़ी की गयी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक विशेष पैकेज तैयार किया जाए।

आज विडम्बना यह है कि उड़ीसा राज्य के अधिकांश जलाशय अभी तक भरे भी नहीं हैं परंतु हमें बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ रही है। हीराकुड, इन्द्रावती, रेंगाली, अपर कोलाब, चित्रकुंडा और बदनाला जैसे जलाशय भरे नहीं हैं परंतु क्षेत्र का काफी बड़ा हिस्सा जलमग्न है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब : मुझे केवल कुछ सुझाव देने हैं। मैं बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूँगा।

अल्पकालिक किस्म की धान का समय पहले ही बीत चुका है खरीफ की फसल खतरे में है; और कृषक अवसाद में हैं। केन्द्र सरकार को कोई कार्य योजना तैयार करनी चाहिए; स्थानांतरण को रोकने के लिए रोजगार मुहैया कराने की तैयारी की जानी चाहिए, स्वास्थ्य कार्यक्रम

सुदृढ़ बनाए जाने चाहिए; ग्रामीण जनता की सहायता के लिए ग्राम विकास विभाग द्वारा विशेष आकस्मिकता कोष बनाया जाना चाहिए और अंततः रबी फसल के लिए पर्याप्त बीज मुहैया कराये जाने चाहिए। इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) : अध्यक्ष महोदया, लगभग पूरे देश में आज सूखे की स्थिति है। मैं सबसे पहले सदन की ओर से आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूँ कि वह जल्द से जल्द सूखा घोषित करे। मैं आपके माध्यम से एक और मांग सदन में रखना चाहता हूँ। एनडीए सरकार के समय उस समय के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट बनाया था और उस पर काम शुरू किया था। लेकिन पिछली यूपीए सरकार ने उसे बंद बस्ते में डाल दिया, उसे वाइंड अप कर दिया। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि नदियों को जोड़ने वाले उस प्रकल्प को बंद बस्ते से निकाल कर उस पर पुनर्विचार करे।

अध्यक्ष महोदया, आज पूरे देश में सूखे की स्थिति है। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी गोपीनाथ मुंडे जी ने भी कहा कि टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ टैंकरों के लिए भी पानी नहीं है, क्योंकि नदियाँ और कुएं सूख गए हैं, जहाँ से पानी लेकर उनसे सप्लाई होती थी। इसलिए टैंकरों से भी पानी पहुंचाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति आज महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में खासकर पैदा हो गई है।

कुदरत का भी अजीब करिश्मा है। जब पूरे देश में सूखा है, तो मुम्बई में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। हमारे कोंकण क्षेत्र में रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बाढ़ आ गई है। इसके अलावा पुणे का कुछ हिस्सा और नासिक जिले में भी बाढ़ की स्थिति है। देश में जो सूखे की स्थिति है, उससे सरकार को लड़ना है। देश के कुछ ऐसे हलके हैं, कुछ ऐसे सूबे हैं, जहाँ बाढ़ की स्थिति का सामना करने की नौबत आ गई है। प्रकृति का अजब करिश्मा हमें दिखाई दे रहा है कि एक जगह बाढ़ है तो दूसरी जगह सूखा है। शरद यादव जी ने अभी एक सुझाव दिया था कि जिन राज्यों में पानी है, वर्षा हो रही है, वहाँ पर यदि अच्छी फसल लेनी है तो सरकार को उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मेरे क्षेत्र यानि कोंकण एरिया में, पुणे तथा नासिक में बारिश हो रही है, वहाँ पर समय पर खाद मिलनी चाहिए। इसके अलावा सूखे के कारण वहाँ जो पहले

बीज बोया गया था, वह जल गया है। इसलिए उसे दोबारा बोने की आवश्यकता है। आज स्थिति यह है कि खरीफ की फसल, यदि भविष्य में बारिश होती भी है, तब भी वह इस साल की देश में खत्म हो जाएगी। इस तरह यह मानकर चलें कि हमारी खरीफ की पूरी फसल खत्म हो चुकी है। इसलिए सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनंत गंगाराम गीते : शरद यादव जी ने प्रश्न काल में जिस विषय को उठाने की कोशिश की और आपने बाद में उस पर चर्चा कराने की अनुमति दी, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज पूरे देश के सामने अकाल और सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वह तुरंत देश में सूखे की घोषणा करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री सुदीप बंदोपाध्याय, मैंने आपका नाम पुकारा था परंतु आप उपस्थित नहीं थे।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : महोदया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी।

अध्यक्ष महोदया : परंतु आपने अपना नाम भेजा है। क्या अब आप बोल रहे हैं?

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : जी महोदया, मैं बोल रहा हूँ।

महोदया, कृषक या तो सूखे से प्रभावित होते हैं या फिर बाढ़ से। यह एक आम बात है। परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत सरकार और माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बड़े पैमाने पर जमीन से जुड़े कृषकों के हितों की रक्षा करने संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति की है। कभी-कभी हम सूखे से या फिर बाढ़ से प्रभावित होते हैं। कई बार सुनामी या टोरनाडो या आईला के नाम पर हमें विध्वंसकारी तूफान प्रभावित करता है। हम सब विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार बनते हैं। परंतु मानव अपनी इच्छा से अथवा अपने हितों के लिए प्राकृतिक आपदाओं से लड़ नहीं सकता। यदि आप देश में सूखे की स्थिति से लड़ना चाहते हैं जो जिला स्तर पर अथवा कम से कम राज्य स्तर पर जल संरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए। इस विचार को मूर्त रूप देना ही होगा। जल संरक्षण प्रणाली की इस प्रक्रिया को भारत सरकार की नीति के रूप में घोषित

किया जाना चाहिए ताकि कम से कम कृषि से जमीनी स्तर पर जुड़े लोगों को बड़े पैमाने पर वास्तव में लाभ मिल सके।

महोदया, हमारे राज्य में आईला से कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। इस संबंध में हमारा यह भी अनुरोध है कि सरकार जारी की गयी धनराशि का समुचित व्यय सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र भी विकसित करे। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि राज्य सरकार इस निधि का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए न करे।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : अध्यक्ष महोदया, हमारे सभी सदस्य इस देश में व्याप्त सूखे के प्रति चिंतित हैं। मेरे राज्य तमिलनाडु में भी यही स्थिति बनी हुई है और इसी सूखे की स्थिति के कारण तमिलनाडु के अधिकांश जलाशय सूख गये हैं। इसके कारण कृषक खेती कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। वे किसान जिन्होंने ऐसी स्थिति में कुछ खेती करने का जोखिम उठाया उनकी स्थिति बेहद खराब है। हमारे राज्य तमिलनाडु में पेयजल की भारी किल्लत है। जब भी मैं राज्य का दौरा करता हूँ मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश लोग पेयजल मुहैया कराने का अनुरोध करते हैं और वे हमें इस बात पर घेर लेते हैं। वे हमसे यह पूछते हैं कि इस सम्मानीय सदन में लोगों के प्रतिनिधि होने के नाते हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि आपको सरकार को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि इस देश के सभी नागरिकों को पेयजल मुहैया कराया जाए। ये उनकी मांगें हैं। यह बिल्कुल सही समय है जब हमें पेयजल मुहैया कराने की दिशा में विचार करना होगा। तमिलनाडु केवल कावेरी के जल पर ही निर्भर है। सभी पेयजल परियोजनाएं कावेरी जल से जुड़ी हुई हैं। इसलिए यदि हमें कावेरी से पानी नहीं मिल पाएगा तो हमारे पास तो पीने का पानी भी नहीं बचेगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश शहरों में 15 से 20 दिनों में पेयजल की आपूर्ति एक ही बार की जा रही है। इसलिए मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि कर्नाटक सरकार को काबिनी और कृष्णा राजसागर से कावेरी में कुछ पानी छोड़ने का निदेश दिया जाए। इससे न केवल हमारी पेयजल की समस्या का समाधान होगा अपितु कृषि कार्यों को भी राहत मिलेगी हमें तंजावुर तथा अन्य डेल्टा क्षेत्रों के लिए ऐसा ही करना होगा।

महोदया, आंध्र प्रदेश ने पालार नदी पर अवैध रूप से बांध बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इससे तमिलनाडु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतएव; मेरा केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और आंध्र प्रदेश सरकार को यह निदेश देने का अनुरोध है कि पालार नदी पर बांध का निर्माण रोक दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) : मैडम, पूरे देश के लिए परिस्थिति बहुत गंभीर है। यह कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए परिस्थिति बहुत गंभीर है। गंभीर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए, सरकार की तरफ से, जल्दी से जल्दी, कदम उठाया जाना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि इस परिस्थिति को नेशनल कैलेमिटी घोषित किया जाए और उसी हिसाब से कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग हम करते हैं कि देश के सभी राज्यों को साथ लेकर, केन्द्र सरकार एक जाइंट-प्लान, परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए बनाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। जून माह में सामान्य वर्षा की कुल 52 प्रतिशत ही वर्षा हुई है। यह सामान्य वर्षा से कहीं कम है। जून माह में केवल 30 मि.मी. वर्षा ही दर्ज की गई थी। संपूर्ण देश में धान की बुआई 25 प्रतिशत कम है। यह कमी मात्र तमिलनाडु, केरल तथा उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। तिलहन का उत्पादन 45 प्रतिशत कम हुआ है। इसका कारण यह है कि मंहगाई बढ़ रही है। आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर कृषि उत्पाद जैसे सब्जियों के मूल्यों में असामान्य वृद्धि हुई है। व्यापारी और थोक विक्रेता जो सूखे का अनुमान लगा कर बैठे हैं वे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कर रहे हैं। सूखे के अनुमान के साथ ही देश में खतरे की आशंका व्यक्त की जा रही है।

[हिन्दी]

इन परिस्थितियों को देखते हुए, हम चाहते हैं कि सरकार संसद को बताए कि वह क्या करने जा रही है? हम इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने मैट्रोलोजिकल विभाग से मीटिंग की है। हम यह भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री आफिस ऊर्जा विभाग से बात कर रहा है कि हिन्दुस्तान में बिजली का उत्पादन इतना कम क्यों हो रहा है? लेकिन जो भी हो रहा है, वह कैबिनेट में हो रहा है, वह साउथ ब्लॉक और नार्थ ब्लॉक के बीच हो रहा है। इस सबसे पार्लियामेंट अंधेरे में है।

[अनुवाद]

सरकार में जो कुछ हो रहा है वह नार्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के भीतर ही हो रहा है। संसद को अंधेरे में रखा गया है। इसलिए,

मैं सुझाव दे रहा हूँ कि इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए; मैं सुझाव दे रहा हूँ कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक होनी चाहिए; मैं सुझाव दे रहा हूँ कि शुष्क कृषि की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों के साथ बैठक होनी चाहिए साथ ही मैं यह भी सुझाव दे रहा हूँ कि संसद को अवगत कराया जाए कि सरकार इस राष्ट्रीय विपदा से निपटने के लिए किन उपायों पर विचार कर रही है जिसने देश को आ घेरा है।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : अध्यक्ष महोदया, आज देश में जो अकाल की स्थिति बनी है, उसके ऊपर सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए। हमने बजट को देखा है और हमें लगता है कि सूखे की स्थिति को देखते हुए, सरकार ने कोई भी पैकेज किसान के लिए नहीं दिया है। अकाल की वजह से कृषि, पीने के पानी और बिजली की समस्या होने वाली है। पिछले पांच साल से पहले 65 मिलियन टन फूड रिजर्व था, लेकिन अब वह 20 मिलियन पर आ गया है। 20 मिलियन फूड रिजर्व अकाल में पूरे देश के गरीब आदमी के लिए खाना देने के लिए है, उसी तरह से फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सीरियसली सोचना चाहिए। इसके लिए इमिडिएट एक्शन प्लान होना चाहिए। इसके अलावा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं कृषि मंत्रियों के साथ मिलकर प्लानिंग की जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ एक लॉग टर्म प्लानिंग भी होनी चाहिए। देश की नदियों के पानी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। रिवर लिंकिंग के लिए आने वाले अच्छे सुझावों पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। रिवर लिंकिंग का भी लॉग टर्म प्लान होना चाहिए। इसी प्रकार से स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी चाहिए।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले साल का गेहूँ का जो इनपुट कास्ट सरकार ने वर्क आउट किया है, वह 421 रुपया है। वर्क आउट करने के बाद अभी कहा जा रहा है कि 1080 रुपया गेहूँ का रेट दिया गया है। क्या कोई भी किसान पचास प्रतिशत लाभ में है? इस तरह से गलत इनपुट कास्ट...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : मैडम, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। किसान पर अन्याय हो रहा है। आंध्र प्रदेश पर अन्याय हो रहा है। उसके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। ..(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण) : मैडम, माननीय शरद यादव, मुलायम सिंह यादव जी, गीते जी और आचार्य जी ने जो चर्चा में भाग लिया, उन्होंने जो अपने उद्गार व्यक्त किये, जो चिंता व्यक्त की, मैं अपने को उससे संबंध करता हूँ। मैंने शुरू में ही जनरल बजट की चर्चा के दौरान आगाह किया था कि सूखे का अकाल का भारी संकट आ गया है और सरकार ने जो बजट तैयार किया है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह आम आदमी के लिए बिल्कुल चरमरा जाएगा।... (व्यवधान) मैं जानता हूँ कि आपके पास समय का अभाव है। बहुत लोग बोलने वाले हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि सभी पोलिटिकल पार्टीज के नेताओं को, सभी राज्य के मुख्य मंत्रियों को और जो कृषि विशेषज्ञ लोग हैं, उनको और हर राज्य के जो किसान हैं, वास्तव में जिनको अनुभव है, किसान नेता कम लेकिन जो आम किसान हैं, उनको ज्यादा जानकारी है कि किस सैगमेंट में, किस राज्य में क्या होने वाला है? इसलिए उनको भी बुला लीजिए। अलग से भी उनको आप बुला सकते हैं।

महोदया, यह जो ग्लोबलाइजेशन हुआ और दुनिया में जब हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में प्रवेश किया, तो जो पुराना सीड था, यह सब समाप्त कर दिया गया। मोटा अन्न, डॉ. लोहिया जी करते थे, कि मरुआ रागी जिसे कहते हैं, मरुआ कम पानी में भी गर्मी में भी घूड़ा मार कर भी लाठी से मरुआ लगा देते थे... (व्यवधान) सूखे की बात हो रही है, इसलिए जो साठी धान था, सांवा था, पूदो था, "साठी होकर साठ दिन और वर्षा होकर रात दिन।" वर्षा तो है नहीं, इसलिए ओजोन में जो भारी छेद हो गया है, यह जो लेयर पर लेयर, यह जो ग्लोबल वार्मिंग है... (व्यवधान) अंग्रेजी हम भी जानते हैं।... (व्यवधान) इसलिए यह भी हमें देखना चाहिए कि कहीं इसका असर तो देश पर नहीं पड़ रहा है। यह भी हमें देखना पड़ेगा। घोर कलयुग तो आ ही गया है। जब पाप बढ़ता है तो प्रलय होती है और जब सरकार जनसंख्या पर नियंत्रण करने में फेल हो जाती है तो मालथस थ्योरी लागू होती है। प्रकृति अपना काम करती है।... (व्यवधान) इसमें आप मीटिंग बुला लीजिए और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करिए। सिर्फ सरकार की ही नहीं, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। हर पोलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। भूखा किसान, मजदूर और फटेहाल खेत और खलिहान होगा तो राज्य सरकार और देश की सरकार के खिलाफ आक्रोश उठेगा।

अपराहन 1.00 बजे

जो जनप्रतिनिधि हैं वे भी नहीं छूट पाएंगे, चाहे वे किसी भी पालिटिकल पार्टी के हों। सब जगह मारकाट शुरू हो जाएगी, लोग

पत्थर फेंकेंगे और कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, ये लोग आराम से हैं और हम भूखे मर रहे हैं। पानी, तो अब पानी भी नहीं है, देश में पानी के लिए तो मारकाट होने वाली है, पानी के लिए ऐसा होता ही है। इन चीजों को सबसे पहले सब काम छोड़ कर कीजिए यह राष्ट्र का सवाल है, सबका सवाल है। आपके पास सरकार है, पावर है, साधन है, शक्ति है इसलिए आपको पहल करनी चाहिए।

मैंने सुझाव दिया था कि एक्सपोर्ट को तुरंत रुकवा दीजिए। गेहूं, चावल, दाल, खाद्य पदार्थ, मांस, मछली देश से बाहर भेज रहे हैं तो इस पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है नहीं तो ऐसा बड़ा संकट आएगा कि हर इलाके में हर रात डाका पड़ेगा, भूखे लोग रात भर लूटपाट करेंगे। भूखा आदमी और कर ही क्या सकता है? ... (व्यवधान) जानवर के चारा की बात आई है, जब जानवर ही मर गया, मर रहा है।... (व्यवधान) रंजन जी, मैं आपका इशारा जानता हूँ। आप ज्यादा काबिल मत बनें।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : यह भारत की जनता भी जानती है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप इधर संबोधित कीजिए।

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आज बड़े पैमाने पर सूखे की स्थिति हो गई है, अकाल की स्थिति हो गई है। इसलिए इसकी आज नहीं तो कल घोषणा कीजिए। हम सब लोगों को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। यह सवाल सिर्फ किसान का नहीं है, यह पूरे देश का सवाल है। अगर हम मिलकर मुकाबला नहीं करेंगे तो हर परिवार, हर वर्ग, हर तबका, खेत-खलिहान से लेकर इंडस्ट्री तक प्रभावित होगा, केवल किसान ही नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि जल्दी बैठक बुलाइए और निर्यात तुरंत बंद कीजिए। यह बात सही है कि आलू का दाम 16 रुपए किलो हो गया है, तुअर दाल 90 रुपए किलो हो गई है जबकि यह दाल जल्दी गलती ही नहीं है। इस सब चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज यहां जो चर्चा चल रही है, यह स्थिति सचमुच बहुत गंभीर है। पूरे देश को इसकी चिंता है। जैसा कि हमारे सीनियर लीडर्स ने कहा है कहीं पर बरसात है तो कहीं सूखा। मैं सूखे के हालात को समझती हूँ क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र उन्नाव में सूखे के हालात को देखकर रोने के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है। वहां की औरतों की दशा बहुत खराब है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई ऐसे ब्लाक्स हैं जिन्हें ब्लैक ब्लाक्स डिकलेयर कर दिया है क्योंकि पानी का स्तर ढाई सौ मीटर से नीचे हो गया है और बोरिंग तक होने की कोई संभावना नहीं है। सूखे की स्थिति केवल हमारे देश की नहीं है। कहीं ठंडा, कहीं गरम, कहीं बरसात, कहीं सूखा है। जैसा कि लालू जी ने भी कहा कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। यहां इस पर चर्चा करने में बहुत समय लगेगा इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे। शायद आपने पेपर में पढ़ा होगा कि 18-23 मीटर प्रति वर्ष हिमालयन ग्लेशियर पिघलता जा रहा है। आज देश में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है यह सिर्फ किसी सरकार की वजह से नहीं है। इसका दायित्व भी हमारा ही है। हम लोगों की वजह से, मनुष्य जाति की वजह से यह हुआ है। आज इसका दायित्व 543 सदस्य, जो यहां मौजूद हैं, जो पूरे देश का रिप्रेजेंट करने आए हैं, उनका है। मेरे ख्याल से सरकार के बारे में बोलना और यह कहना कि हम बैठक कर लें, इन सबके अलावा हम सबका अपनी कांस्टीट्यूंसी में एक दायित्व बनता है। इलैक्शन लड़ने के लिए हम लोग रात-दिन गांव-गांव घूमते हैं। लेकिन इस वक्त हम यहां क्यों बैठे हुए हैं, क्यों चर्चा कर रहे हैं? यहां हमारी सरकार है और सरकार चर्चा करके हमें पैकेज बताये कि हमें क्या करना है और सरकार हमें बतायेगी कि हमें क्या करना है। वहां जाकर हम काम करेंगे।...(व्यवधान) जो परेशानी है, अगर मैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री मुंडे, आपको अवसर मिल चुका है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने डा. रतन सिंह अजनाला का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती अन्नू टण्डन : मैं अपने सभी सीनियर लीडर्स को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ।...(व्यवधान) मुझे बोलने का मौका दीजिए।
...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : डा. रतन सिंह अजनाला।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

श्रीमती अन्नू टण्डन : एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए।
...(व्यवधान) आप मुझे बोलने तो दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : डा. रतन सिंह अजनाला, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती अन्नू टण्डन : यहां पर हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, वह सब इस बात को जानते हैं कि स्थिति गंभीर है, स्थिति गंभीर है, बोलने से क्या होगा। हमें मालूम है कि हमारी सरकार भी इसके लिए कुछ कर रही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : डा. रतन सिंह अजनाला की बात ही रिकार्ड में जायेगी और कुछ रिकार्ड में नहीं जायेगा। डा. रतन सिंह अजनाला, आप बोलिये।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती अन्नू टण्डन : आप यह कह रहे हैं कि मुख्य मंत्रियों को यहां बुलाया जाए और इस विषय पर चर्चा की जाए। हमारे उत्तर

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रदेश की मुख्य मंत्री को यहां आने का वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें न तो पाकों से फुर्सत है और न मूर्तियों से फुर्सत है।... (व्यवधान)
अमेठी में जब आम जनता बिजली के लिए धरना देती है तो पुलिस से कहकर उन्हें घरों से बाहर निकाल-निकाल कर मारा जाता है।
... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री मुंडे, आपको अवसर मिल चुका है। कृपया बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती अन्नू टण्डन, कृपया भाषण समाप्त कीजिये।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आपको बोलना है, आप बोलिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिये।

... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : मैडम, आप हाउस साइने-डाई एडजर्न करा दे, हम सब क्षेत्र में चले जायेंगे।... (व्यवधान) इस सदन में कोई नहीं बैठेगा। यह सदन चर्चा के लिए बना है। हम लोगों की भावनाएं बोल रहे थे।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सिर्फ डा. अजनाला की बात रिकार्ड में जायेगी।

... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय अन्य सदस्य जो अपने आपको संबद्ध करना चाहते हैं वे अपने नाम सभा पटल को भेज सकते हैं।

... (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अब हम मद संख्या 7 पर चर्चा करेंगे — श्रीमती परनीत कौर

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये।

डा. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब) : मैडम, मैं बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : जब हम आपको कह रहे थे तो आप नहीं बोले। अभी आप एक मिनट के लिए बैठ जाइए। मैं आपको अभी बुलाती हूं। आप एक मिनट बैठिये। मैं आपको बुलाती हूं। अभी आप बैठिये।

अपराहन 1.08 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र-जारी

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : अध्यक्ष महोदया, मैं सभा में उपस्थित नहीं थी इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूं।

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) विदेश मंत्रालय वर्ष 2009-2010 की विस्तृत अनुदानों की मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 261/15/09]

(2) विदेश मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 262/15/09]

अपराहन 1.09 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति
के बारे में — जारी

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : हम बुला रहे हैं। जब हमने बुलाया था तो वह नहीं बोले। डा. रतन सिंह अजनाला, अब आप बोलिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : डा. अजनाला, मैंने अभी आपका नाम पुकारा था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : सर्वश्री घनश्याम अनुरागी, शैलेन्द्र कुमार, रामकिशुन, आर.के. सिंह पटेल, डॉ. रामचंद्र डोम, जे.एम.आरुन रशीद, श्रीमती जयाप्रदा, श्रीमती सुस्मिता बाउरी, श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी के नाम श्री शरद यादव द्वारा उठाये गये विषय से संबंधित किये जाते हैं।

[अनुवाद]

*डा. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे संपूर्ण देश के किसानों से संबंधित गंभीर मुद्दे पर जिसके बारे में माननीय सदस्य श्री शरद यादव जी ने भी जिक्र किया था, पर बोलने का मौका दिया। मैं कांग्रेस पार्टी की महिला सदस्य के ये विचार सुनकर आश्चर्यचकित हूँ कि इसे मुद्दे को इस सभा में नहीं उठाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वे इस सभा में पहली बार चुनकर आयी हैं और उन्हें यह पता नहीं है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप विषय पर बोलिए। जो आपका विषय है, आप उस पर बोलिए।

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

डा. रतन सिंह अजनाला : पहले आकर सीखना चाहिए, फिर बोलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : जो आपका विषय है, आप उस पर बोलिए।

[अनुवाद]

*डा. रतन सिंह अजनाला : वे पहले सीखें और फिर बोलें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : डा. अजनाला, अगर आपको पंजाबी में बोलना था, तो आप पहले नोटिस देते। आगे से इसका ध्यान रखिए।

[अनुवाद]

*डा. रतन सिंह अजनाला : जहां जक पंजाब राज्य का संबंध है तो यह भी पहली बार सूखे की चपेट में है। भाखड़ा नांगल बांध का जल स्तर 40% तक कम हो गया है और रंजीत सागर बांध का जल स्तर 116 मीटर नीचे आ गया है। पंजाब में विभिन्न नहरों का जल स्तर भी 50% तक कम हो गया है। हमें इन बांधों के कारण भी परेशानी हो रही है तथा मानसून के आने में हो रही देरी के कारण भी। इसमें कारण हमें राज्य में गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदया, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमने अपने कार्यालयों तथा स्कूलों में कार्य की अवधि बिजली की इस कमी के कारण कम कर दी है। हमने राज्य में उद्योगों को बिजली की आपूर्ति रोक दी है ताकि पंजाब के किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जा सके। हमने राज्य के किसानों को बिजली की आपूर्ति करने के लिए 1200 करोड़ रुपए की बिजली की खरीद की है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आपको नोटिस देना पड़ेगा। नियम यह है कि आप पहले नोटिस दीजिए।

[अनुवाद]

*डा. रतन सिंह अजनाला : महोदया, कृपया हमेशा के लिए यह नोट कर ले कि मैं हमेशा पंजाबी में ही बोलूंगा तथा इस विषय में कोई दोहरी राय है ही नहीं। मैं पिछले कई वर्षों से पंजाबी में ही बोल रहा हूँ।

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

महोदया, कांग्रेस की इस सरकार ने डीजल का मूल्य 2/- रुपए बढ़ा दिया है। डीजल और बिजली की कीमत में वृद्धि के कारण कृषि को लागत में प्रति एकड़ 500-600 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रत्येक राज्य की अपनी एक विशिष्ट आवश्यकताएं और समस्याएं होती हैं, अतः मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाए तथा प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं पर चर्चा और निर्णय लिया जाए ताकि देश की जनता को दो समय का भोजन मिल सके। यह काफी गंभीर मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराहन 2.10 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराहन 1.11 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराहन 2.10 तक के लिए स्थगित हुई।

अपराहन 2.13 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराहन 2.13 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन आज के लिए सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

(एक) चम्बल नदी से होने वाले भू-क्षरण को रोकने के लिए स्कीम तैयार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (भिंड) : चम्बल नदी के कारण बीहड़ों का कटाव हो रहा है, जिससे प्रति वर्ष हजारों एकड़ कृषि भूमि बीहड़ों में बदल रही है। यदि बीहड़ों के कटाव की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। बीहड़ों के कारण कई गांव भी चपेट में आये हैं।

*सभा-पटल पर रखे माने गए।

मेरी केन्द्र सरकार से विनती है कि चम्बल के बीहड़ों के कटाव से भूमि को बचाने हेतु कोई योजना बनाई जाये।

(दो) राजस्थान में रतनगढ़ और सरदारशहर के बीच रेल लाइन का आमाम परिवर्तन का कार्य पूरा किए जाने और सरदारशहर तथा हनुमानगढ़ के बीच नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्बा (चुरू) : चुरू जिले की सम्पूर्ण रेल लाइन के आमाम परिवर्तन की प्रक्रिया चालू है। रतनगढ़ से सरदारशहर के बीच 45 कि.मी. लम्बी रेलवे लाइन का आमाम परिवर्तन का कार्य शेष बचा है। इस क्षेत्र की जनता को इस बजट में उक्त कार्य की स्वीकृति की काफी आशाएं थी, लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया है। सरदारशहर मेरे संसदीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण कस्बा है। शैक्षणिक एवं व्यापारिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण कस्बा है। यहां अध्ययन के लिए पूरे देश से छात्र आते हैं। यहां के प्रवासियों का व्यापारिक दृष्टि से पूरे देश में आना जाना है। ऐसे महत्वपूर्ण खंड का आमाम परिवर्तन नहीं करना यहां की जनता के साथ अन्याय है। इस क्षेत्र के व्यापारिक, सामाजिक एवं राजनैतिक संगठनों ने कई बार इसकी मांग की है तथा लोक सभा याचिका समिति के सम्मुख एक याचिका भी पेश की है। इसके अतिरिक्त सरदारशहर से हनुमानगढ़ तक नई रेल लाइन की मांग वर्षों से की जा रही है। इसका सर्वे भी हो चुका है। इससे पूरे पंजाब व पश्चिम राजस्थान का सीधा सम्पर्क अहमदाबाद एवं मुम्बई से हो जायेगा। इस क्षेत्र में जिप्सम का अतुल भंडार है, जिसकी सप्लाई पूरे देश में हो रही है। अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि रतनगढ़ एवं सरदारशहर के बीच रेल लाइन का आमाम परिवर्तन व सरदारशहर एवं हनुमानगढ़ के बीच नई रेल लाइन की स्वीकृति करवा कर राहत प्रदान करें।

(तीन) छत्तीसगढ़ में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग) : देश में सड़क परिवहन की सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से निजी वित्त को आकर्षित करते हुए पीपीपी योजना के अंतर्गत सड़कें बनाने की घोषणा जोर-शोर से की गई थी। लगभग चार साल बीतने के बावजूद छत्तीसगढ़ के (1) रायपुर-बिलासपुर, (2) बिलासपुर-उड़ीसा बार्डर, (3) सारंगढ़ से सराईपाली, (4) सिमगा से एमपी बार्डर और (5) आरंग बार्डर की सड़कों पर काम शुरू भी नहीं हो सका है। यह योजना लालफीताशाही की शिकार होकर रह गई है।

[कुमारी सरोज पाण्डेय]

उपर्युक्त कारणों से छत्तीसगढ़ का प्रादेशिक सड़क घनत्व प्रति वर्ग सैंकड़ा कि.मी. पर राष्ट्रीय औसत 76.80 कि.मी. की तुलना में मात्र 26.18 कि.मी. ही रह गया है। अतः इस अविलंबनीय लोक महत्व के कार्य को शीघ्र शुरू किया जाये।

(चार) विद्युत उत्पादन पर कर लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश पर्वतीय एवं सीमावर्ती प्रांत है। वहां मुख्य रूप से जल विद्युत और वन सम्पदा ही मिनरल के रूप में उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं में पैदा होने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट जेनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान करने का प्रकरण अनेक बार प्रदेश सरकार की ओर से भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में रंगराजन कमेटी ने भी हिमाचल प्रदेश को जेनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति देने की अनुशंसा की थी। इंडो-गैजेटिक प्लेन की एनवायरनमेंटल इकौलौजी को बचाने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने स्वयंमेव निर्णय लिया है कि वन-वर्धन (सिलवीकलचर) हेतु अथवा सिलेक्टिव साइंटिफिक फैंलिंग के अंतर्गत भी वनों को बिल्कुल नहीं काटा जायेगा। इस कारण भी उसे प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। अतः प्रदेश को वहां पैदा होने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट जेनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान की जाये।

(पांच) जीटी रोड को दिल्ली से लखनऊ तक छह लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : दिल्ली से कानपुर के लिए सीधा रास्ता जी.टी. रोड है। इस मार्ग में कई जिले जैसे- अलीगढ़, एटा, कन्नौज, मैनपुरी आदि पड़ते हैं। वर्तमान जी.टी. रोड पर ट्रैफिक का दबाव इतना ज्यादा रहता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दस किलोमीटर की दूरी तय करने में भी 2 घंटे से अधिक समय लग जाता है। समय चाहे सुबह का हो अथवा दोपहर का, शाम का हो या अर्द्धरात्रि का हो अथवा कोई भी समय हो, इस मार्ग में यात्रियों से भरी बस के जाम में फंसने पर महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों की बदतर स्थिति देखते बनती है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि व्यापक लोकहित के इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अविलम्ब ध्यान देते हुए दिल्ली से कानपुर

तक के जी.टी. रोड को 6 लेन का बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर निर्माण कार्य शुरू करायें।

(छह) उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नरायणी नदी से बारंबार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया) : उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका विशेषकर मेरा संसदीय क्षेत्र देवरिया हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाता है जिसके कारण सैंकड़ों पशु मारे जाते हैं एवं अरबों रुपये की फसल नष्ट हो जाती है। बाढ़ से नदियों के किनारे पर भूमि कटाव होता है जिसके कारण गांव के गांव बह जाते हैं और इन कटावों से खेत बंजर हो जाते हैं। लोगों के रहन-सहन में काफी असुविधा होती है। मेरे संसदीय क्षेत्र के नरायणी नदी पर तमकुही राज क्षेत्र पर भूमि कटाव के कारण जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। खेद की बात है कि यह बाढ़ प्रकोप का सिलसिला लम्बे समय से चल रहा है। इसके लिए स्थायी इलाज नहीं किये गये। बाढ़ प्रकोप से राहत प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को इस कार्य के लिए एक राहत पैकेज देना चाहिए, जिससे बाढ़ के नुकसान को कम किया जा सके और बाढ़ नियंत्रण के स्थायी समाधान के लिए पानी आधारित बिजली प्लांट एवं बाढ़ के पानी को बड़ी एवं छोटी नहरें बनाकर सिंचाई कार्य में प्रयोग करना चाहिए, जिसके कारण इस बाढ़ के पानी को नुकसान से हटाकर इसका उपयोग विकास कार्य में लगा सकें।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पूर्वांचल में बाढ़ प्रकोप को रोकने के लिए राहत पैकेज राज्य सरकार को दिया जाये एवं बाढ़ नियंत्रण के स्थायी हल निकाले जाये।

(सात) बिहार के दरभंगा और खगड़िया जिलों को जोड़ने वाले पिपराघाट के जीर्णोद्धार पुल की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

श्री महेश्वर हजारी (समस्तीपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कुशेयवर स्थान विधान सभा में पिपराघाट पुल दरभंगा जिला एवं खगड़िया जिला को जोड़ता है। यह पुल लकड़ों का बना हुआ है। वर्तमान में यह बहुत ही जर्जर एवं दयनीय स्थिति में है। इस पुल से हमारे संसदीय क्षेत्र की जनता अपनी रोजी-रोटी कमाने हेतु समस्तीपुर जिला से दूसरे जिला जाती हैं एवं अपनी जान जोखिम में डालकर यातायात में प्रयोग कर रहे हैं।

अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि लोकहित में ध्यान देते हुए इस पिपराघाट पुल का अविलम्ब जीर्णोद्धार कराने की कृपा करेंगे।

(आठ) डाक विभाग के कर्मचारियों को मिलने वाले सेवा के सभी लाभों को देश के ग्रामीण डाक सेवकों को भी दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड) : मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूँ जिससे डाक विभाग के लाखों ग्रामीण डाक सेवकों का जीवन प्रभावित होता है। यद्यपि वे वही कार्य कर रहे हैं जो विभागीय कर्मचारी करते हैं लेकिन उन्हें विभागीय कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ नहीं मिल रहे हैं। उनकी दशा अत्यधिक शोचनीय है क्योंकि वे जीवन निर्वाह लायक भी नहीं पा रहे हैं। न्यायमूर्ति चरणजीत तलवार समिति ने अपने प्रतिवेदन में 1997 में स्पष्ट रूप से कहा था कि ग्रामीण डाक सेवक डाक विभाग के मुख्य आधार हैं। इस समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि विभागीय कर्मचारियों को उपलब्ध सारे लाभ उन्हें भी दिए जाएं। इस वर्ष के गोपीनाथन की अध्यक्षता में एक अन्य समिति ने की अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। यद्यपि संचार मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि यह प्रतिवेदन लागू किया जाएगा लेकिन इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ग्रामीण डाक कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभ दिए जाने चाहिए।

(नौ) उड़ीसा में खुर्दा-बोलंगीर रेल लाइन के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री रुद्रमाधव राय (कंधमाल) : खुर्दा-बोलंगीर रेलवे लाइन को 1994 में स्वीकृति दी गई थी। यह पश्चिम उड़ीसा को राज्य की राजधानी से जोड़ने के साथ-साथ नयागढ़, बौद्ध, सोनपुर और बोलंगीर जिलों को जोड़ता है। इस रेल लाइन की कुल लम्बाई 279 कि.मी. है लेकिन कार्य केवल 30 किमी. मार्ग पर ही शुरू हुआ है। पर्याप्त निधियों का आबंटन न करने के कारण कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है जिससे पश्चिम उड़ीसा के लोगों में बहुत असंतोष है। यह लाइन उनके लिए अत्यंत आवश्यक है इसलिए मैं सरकार से इस परियोजना को वर्ष 2014-2015 तक पूरा करने हेतु बजट 2009-2010 में 250 करोड़ रुपये आबंटित करने का अनुरोध करता हूँ।

(दस) दिल्ली और महाराष्ट्र के मनमाड/कोपरगांव के बीच प्रतिदिन सुपरफास्ट ट्रेन चलाए जाने तथा शिरडी में तीर्थयात्रियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी) : महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में शिरडी में स्थित विश्व प्रसिद्ध साईं बाबा धाम में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं, किंतु वहां पर श्रद्धालुओं के लिए समुचित नागरिक सुविधाओं का भारी अभाव है। केन्द्र सरकार ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ शहर में स्थित धार्मिक स्थल के पर्यटन के विकास हेतु धन आबंटित किया गया है, उसी तरह से विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिरडी के लिए भी विश्व स्तर के पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने और साईं बाबा धाम शिरडी में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए राजधानी दिल्ली से मनमाड/कोपरगांव तक विशेष सुपरफास्ट रेलगाड़ी प्रतिदिन चलाये जाने के साथ-साथ वहां से गुजरने वाली सभी रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों में आरक्षण का कोटा बढ़ाये जाने और कोपरगांव में सभी रेलगाड़ियों का कम से कम 5 मिनट का स्टॉपेज दिए जाने की आवश्यकता है।

मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विश्व प्रसिद्ध शिरडी धाम को विश्व स्तरीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को समुचित नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ मनमाड/कोपरगांव तक विशेष सुपरफास्ट रेलगाड़ी प्रतिदिन चलाये जाने एवं वहां से गुजरने वाली समस्त रेलगाड़ियों में आरक्षण का कोटा बढ़ाये जाने हेतु कारगर कदम उठाये।

(ग्यारह) तमिलनाडु में तिरुपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी. शिवासामी (तिरुपुर) : तमिलनाडु में मेरा संसदीय क्षेत्र तिरुपुर एक जिला मुख्यालय है एवं वस्त्र निर्यात के लिए प्रसिद्ध है वस्त्र निर्यात से 11000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। अनेक विदेशी इस शहर में आ रहे हैं। तिरुपुर रेलवे स्टेशन की दशा अत्यंत शोचनीय है और यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। विदेशी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यातायात

[श्री सी. शिवासामी]

को सुगम बनाने के लिए पालाकाड-कोयंबटूर-तिरुपुर-इरोड के बीच एक दिन में कम से कम छह बार कोई नई विद्युत चालित रेलगाड़ी चलाई जाए। तिरुपुर से चेन्नई तथा तिरुपुर से नगर कबादूल को वाया इरोड, मदुरै होते हुए प्रतिदिन दो नई रेलगाड़ियां चलाई जाएं। तिरुपुर पर अतिरिक्त टिकट बुकिंग केन्द्र, एक अलग आरक्षण केन्द्र एवं पांच रेलवे ऊपरिपुलों का भी निर्माण किया जाए। हाल के रेल बजट में शोरानुर से कोयंबटूर के बीच नई रेलगाड़ी की घोषणा की गई है। इसे तिरुपुर तक बढ़ाया जाए। मैं सरकार से तिरुपुर के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

(बारह) महाराष्ट्र सरकार को तटीय सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत अतिरिक्त निधि दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : मुम्बई पर हुए हाल के आतंकवादी हमलों को ध्यान में रखते हुए 12 समुद्री पुलिस स्टेशनों, 24 बैरकों, 27 चेक पोस्ट, कार्ड रीडर, कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरणों के निर्माण कार्यक्रमलाप में तेजी लाए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए 4.49 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है और इसके लिए 3 फरवरी, 2009 को केंद्र सरकार को अनुरोध अग्रेषित किया गया था। तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के लिए 40.92 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई थी और नए पुलिस स्टेशनों, बैरकों, चेक पोस्टों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा 219.20 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी जबकि वाहन तथा अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 241.60 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। जारी की गई राशि का उपयोग प्रमाणपत्र केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। निम्नांकित के लिए निधि की अतिरिक्त आवश्यकता है:

1. नए पुलिस स्टेशन	—	1.29 करोड़ रुपए
2. बैरक	—	1.13 करोड़
3. चेक पोस्ट	—	1.08 करोड़ रुपए
4. कार्ड रीडर, कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरण	—	1.00 करोड़ रुपए
योग		4.50 करोड़ रुपए

महोदय, तटीय क्षेत्रों से खतरों को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि केंद्र सरकार कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए राज्य सरकार को राशि प्रदान करे।

(तेरह) गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेड्टी (हातकंगले) : सरकार ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) द्वारा की गई सिफारिश के विपरीत गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को घटा दिया है। इसके पूर्व भी सरकार ने इस संबंध में सी.ए.सी.पी. की सिफारिशों को स्वीकृत नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप गन्ना किसान खुश नहीं हैं। सी.ए.सी.पी. गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना खेती की लागत तथा गन्ने के उत्पादन में निवेश की गई अन्य लागतों के अधिकार पर करती है। सी.ए.सी.पी. ने 125/- रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य की सिफारिश की है। इसे सरकार द्वारा 9.5 - रिकवरी आधार पर घटाकर 107 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे तथा सी.ए.सी.पी. की सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार करे। अन्यथा गन्ना किसान गन्ने की खेती करना बंद कर देंगे और हमें अधिक मूल्य पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से चीनी का आयात करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

अपराहन 2.13½ बजे

नियम 331छ के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :-

“कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331छ को वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान के संबंध में लागू करने से निलम्बित किया जाए।”

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

“कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331छ को वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान के संबंध में लागू करने से निलम्बित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 2.14 बजे

उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यद्यपि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331छ को निलम्बित कर दिया गया है ताकि सभा अनुदानों की मांगों को संबंधित विभागों से संबंध स्थायी समितियों को सौंपे बिना पारित कर सके, तथापि, मांगे स्थायी समितियों के गठन के पश्चात् जांच करने तथा सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए उन्हें सौंपी जाएंगी।

अपराहन 2.15 बजे

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2009-2010

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57 और 58 पर चर्चा और मतदान पर विचार किया जाएगा।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्यों, जिनके मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित कटौती प्रस्तावों को परिचालित किया गया है, यदि वे चाहे तो कटौती प्रस्ताव पेश करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाते हुए 15 मिनट के भीतर पार्टीयां सभापटल पर भेज सकते हैं। जिन प्रस्तावों के संबंध में सभापटल को सूचना प्राप्त हुई है, उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा।

तत्पश्चात् सूचना पट्ट पर प्रस्तुत किए हुए माने गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या की सूची प्रदर्शित की जाएगी। यदि किसी सदस्य द्वारा इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो वह तत्काल इसे उस टेबल अधिकारी के ध्यान में लाएं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

“कि कार्य-सूची के स्तंभ 2 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57 और 58 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में संचय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तंभ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।”

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से
संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	31 मार्च 2010 को सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की योग की राशि	सभा की स्वीकृति के प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3	4
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

57.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	13039,30,00,000	250,00,00,000	28280,28,00,000	500,00,00,000
58	उच्चतर शिक्षा विभाग	4392,63,00,000	...	11036,3700,000	...

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए मुझे समय दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं ऐसा समझता था कि इसमें मंत्रिपरिषद् के वरिष्ठ सदस्य कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित होते तो ज्यादा अच्छा रहता।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : वे शीघ्र ही यहां आ रहें हैं।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : उपाध्यक्ष जी, मेरे सामने 2009-2010 के बजट पर बोलते हुए श्री प्रणब मुखर्जी का भाषण है जिसमें उन्होंने शिक्षा के बारे में एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य है-

[अनुवाद]

“ऐसे प्रतिस्पर्धी, प्रगतिशील और सुव्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का सृजन करना जो समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करते हों?”

[हिन्दी]

यह बहुत बड़ी बात उन्होंने कही,

[अनुवाद]

समाज के सभी वर्गों की अपेक्षाओं को पूरा करना।

[हिन्दी]

साथ ही साथ वह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक हो और अच्छी तरह से निगमित, नियंत्रित और नियमित हो, प्रगतिशील हो। ये बहुत अच्छे वाक्य हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। लक्ष्य की दृष्टि से किसी को इसमें मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है हमारे इस मंत्रालय की, वह कुछ और ही कहानी कहती है। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्तमान मंत्री जी हैं, उन्होंने पिछले दिनों कई ऐसी बातें कहीं जो समाचार पत्रों में अच्छी तरह से प्रकाशित हुई जिस पर देश में कुछ

बहस भी शुरू हुई। मैं ऐसा समझता हूँ कि इससे पहले कि मैं अनुदानों के अनेक संदर्भों पर चर्चा करूँ, यह अच्छा होगा कि पहले हम समझ लें कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। क्या उसका उद्देश्य सिर्फ परीक्षा लेना है या उसका उद्देश्य सिर्फ कुछ जिन्हें आप “स्किलफुल लोग” कहते हैं, उनका निर्माण करना है या शिक्षा का उद्देश्य सही मायने में मानव संसाधन का विकास करना है। मानव संसाधन क्या है और इस मानव का अगर संसाधन के रूप में विकास करना है तो क्या यह केवल उद्योगों के लिए विकसित होगा या यह समूचे संसार को एक अच्छा संसार बनाने के लिए विकसित होगा? मनुष्य ब्रह्माण्ड का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है और इसलिए उसका सम्पूर्ण विकास अभिलक्षित है। हमारे देश में महात्मा गांधी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉ. राधाकृष्णन, डॉ. कोठारी और मुदालियर कमीशन ने इस तमाम लक्ष्यों को निर्धारित किया है और उन्होंने बताया है-कि शिक्षा का लक्ष्य सर्वांगीण विकास है, व्यक्तित्व का विकास है। यह ठीक है कि आर्थिक दृष्टि से, संसार के व्यापार की दृष्टि से हमें मनुष्य के आर्थिक पक्ष को विकसित करना होता है। उसे कला, कुशलता और तकनीकियों को जानना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन यही मानव का विकास करता है, यह सत्य नहीं है। शिक्षाविदों ने सारी दुनिया में यह बताया है कि इसमें उसकी बौद्धिक शक्ति होना चाहिए, उसका इमोशनल विकास होना चाहिए, उसका शारीरिक विकास होना और भारत के तथा अन्य पूर्वी देशों के संदर्भ में उसका आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। अगर शिक्षा में संवेदनशीलता नहीं है, तो फिर व्यक्ति एक रोबोट की तरह से व्यवहार करता है। उसका नतीजा हम देख रहे हैं, सड़क पर लोग घायल पड़े रहते हैं और लोग उसके पास से बच कर निकल जाते हैं। हममें संवेदनशीलता नहीं है। इमोशनल क्वेश्चन जो कि हमारी शिक्षा का एक अंग है, उसके बारे में शिक्षा में विकास नहीं किया जा रहा है। शेयरिंग एंड केयरिंग, हम एक दूसरे के साथ मिल कर रहें, एक दूसरे की चिंता करें, भाई चारे का व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ भेदभाव न करें, इसके बारे में शिक्षा में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है और अगर कहीं है भी, तो वह बहुत कम है। शिक्षकों की संस्थाएं जब ऐसा करने के लिए आवाज उठाती हैं, और शिक्षाविदों की भी तो सामान्य तौर पर उन्हें बैकवर्ड कहा जाता है। इसका नतीजा यह है कि धीरे-धीरे शिक्षित व्यक्ति की संवेदनाएं अपनी भूमि से कट जाती हैं, अपनी भाषा से भी कट जाती हैं, अपने परिवारों से, समाज से कट जाती हैं और वह केवल एक आर्थिक प्राणी बन कर रह जाता है। अगर हम शिक्षा में कोई सुधार करना चाहते हैं, जिसकी तरफ काफी जोर-शोर से आजकल कहा जा रहा है, तो हम जानना चाहते हैं कि वह सुधार क्या हो रहा है? क्या सिर्फ दसवीं कक्षा की परीक्षा समाप्त कर देना, यह शिक्षा का सुधार है या कुछ रेग्युलेटरी

सिस्टम नये बना देने से शिक्षा का सुधार हो जाएगा? मेरा सुझाव यह है कि हम इन बातों के लिए देश भर के शिक्षाविदों, राज्यों और सब प्रकार के विचारों के साथ, भले ही हमें उसमें कुछ विलंब हो जाए, लेकिन हम शिक्षा में सुधार के लिए गंभीर हैं, तो इस तरफ गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिक्षा में सुधार का मतलब क्या है? क्या करीकुलम का सुधार पर्याप्त होगा? वह जरूरी है, मैं उससे असहमत नहीं हूँ। हमने किया था और आगे भी होना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है, हमें किस प्रकार का मनुष्य इस देश और दुनिया के लिए चाहिए? उसके क्रियाकलापों के अंश किस प्रकार से विकसित होने चाहिए? हर एक का अपना-अपना स्थान है, लेकिन केवल आर्थिक पक्ष को ऊपर रखना और बाकी सारे पक्षों को गौण कर देना, यह शिक्षा के सुधार का सही तरीका नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें, शिक्षाविद, स्कूल चलाने वाले, सरकार और राजनीतिक पार्टियों को साथ मिलकर इस मामले पर गंभीर विचार करना चाहिए और एक रोडमैप बनाना चाहिए।

महोदय, मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि पिछले अनेक वर्षों से शिक्षा में छोटी-छोटी बातों को लेकर हम राजनीति में फंस जाते हैं, हमें उससे थोड़ा ऊपर उठने की जरूरत है। पांच-छः साल तक शिक्षा मंत्री रहने के कारण मेरे सामने इस समय भारत का जो दृश्य है, कुछ चीजें मेरे अनुभव में आयीं, जिनके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमें कुछ मामलों में भारत की शिक्षा को भारत के ढंग से, भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है और वे आवश्यकताएं वैश्विक आवश्यकताओं पर कहां और किस स्तर पर मेल खाएंगी, किस स्तर पर जुड़ सकती हैं, उसका जरूर ख्याल करना चाहिए, न कि पश्चिम के जो कुछ माडल्स आ रहे हैं, जो वह कह रहे हैं, उसे हम यथावत अपने यहां ले आएँ, इससे हमारी शिक्षा में आज जो भ्रम है, वह और बढ़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे अनेक विश्वविद्यालय हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के मानक थे। जहां उस जमाने में 10-10, 12-12 हजार लोग शिक्षा लेते थे। विदेशी यहां आकर शिक्षा लेते थे, हमारे देश ने वह एक स्थिति प्राप्त की थी। इसका अर्थ मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हम फिर से नालंदा की पद्धति को एकदम अपना लें। तब से बहुत परिवर्तन हो गया है, लेकिन यह बात ध्यान देने की है कि हमारे देश में शिक्षा को लेकर हमेशा चिन्ता रही है कि एक अच्छे मानव का निर्माण करें। उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व को योगदान दिया।

मैं जब यह पढ़ता हूँ कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सारी चीजों को यहां लाना है, यह बहुत अच्छी बात है। हम जो अच्छी चीजें हैं, उन्हें जरूर लेंगे, लेकिन यहां मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शिक्षा के लिए बहुत योगदान किया है, हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए।¹³

उपाध्यक्ष महोदय, भारत के शिक्षाविदों, छात्रों और अध्यापकों को उस परम्परा का ध्यान होना चाहिए। हमारे देश की मिट्टी से जो शिक्षा पद्धति निकली थी और जो हजारों साल तक इस देश को परिपुष्ट करती रही और यहां के स्किल्ड लोगों की सारी दुनिया में मांग होती रही, हमें उन सारे तथ्यों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितने भी मसौदे शिक्षा के सुधारों या शिक्षा के उन्नयन के बारे में मेरे देखने में आए हैं, उनमें इस तरफ कोई ध्यान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कही जाती है कि हिन्दुस्तान को इनोवेटिव होना चाहिए, मैं इस बात से पूरे तौर पर सहमत हूँ। मैंने अपने जमाने में इनोवेशन फंड की स्थापना की थी, लेकिन मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि जब तक आप मौलिक, ओरिजनल नहीं होंगे, तब तक आप इनोवेटिव नहीं हो सकेंगे। इसलिए पहले भारत को, शिक्षा को ओरिजनल होने की जरूरत है, शिक्षा को मूल रूप में भारत की मिट्टी के अनुरूप भारत की आवश्यकताओं को वैश्विक संदर्भ में देखते हुए बनाने की जरूरत है। जैसा कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमें सिखाया था। जैसे कि कुछ मामलों में बुनियादी शिक्षा के आधार पर हमारे देश में इसे शुरू किया गया था। उस समय आजादी की लड़ाई के जमाने में अनेक संस्थाएं थीं, जो इस तरफ ध्यान दे रही थीं कि कैसा भारत, कैसा संवेदनशील मनुष्य, भूमि से जुड़े हुए मनुष्य का हम निर्माण करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का लक्ष्य तय हो और उस लक्ष्य पर आम सहमति हो। उसमें छोटी-छोटी बातों में धार्मिक और साम्प्रदायिक बातें न लाई जाएं। अगर यह कहा जाए कि शिक्षा में वेल्यू एजुकेशन, नैतिक शिक्षा की जरूरत है तो यह न समझा जाए कि यह किसी धर्म विशेष की या पूजा पद्धति की बात की जा रही है। यह इस सदन की कमेटी की सर्वसम्मति से स्वीकृत रिपोर्ट है कि नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, वेल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। वे वेल्यूस क्या हों, उस पर विचार होना चाहिए। वे केवल इकोनॉमिक वेल्यूस हो या इंटेलेक्चुअल वेल्यूस, मोरल वेल्यूस या स्पीरिचुअल वेल्यूस हों। इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा होगा, वह इस पर निर्भर करता है। इसलिए शिक्षा के बारे में बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। जब हम ये कहते हैं कि हम शिक्षा में सुधार

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

करना चाहते हैं, इनोवेशंस लाना चाहते हैं तो यह बात साफ तरीके से देश के सामने, अभिभावकों, अध्यापकों शिक्षाविदों और राज्य सरकारों के सामने जानी चाहिए। देश में ऐसे महान लोग हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे बात होनी चाहिए। भले ही उसमें थोड़ा समय लग जाए। सौ दिन की हड़बड़ी में गड़बड़ी करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। हमें इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में कुछ कहा है। वे कहते हैं-

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है "राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ-साथ मेरे-इसका अर्थ है श्री कपिल सिब्बल की सार्वजनिक घोषणाओं में यह कहा गया है कि हमें तीन बड़े सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है। पहला विस्तार तत्पश्चात समावेशन और उसके बाद उत्कृष्टता जिसका अर्थ है "पहुंच, समानता और गुणवत्ता"।

[हिन्दी]

इससे किसी को मतभेद नहीं होगा। शिक्षा सुलभ हो, शिक्षा सुलभ होनी चाहिए, एक्सेस बिल होना ही चाहिए और सब को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए।

महोदय, हममें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर कहा जाता है कि उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन शिक्षा की जो मौजूदा स्थिति है, उसमें ये तीनों बातें कहाँ हैं और वहाँ से हम इन्हें कहाँ और कैसे उठाकर ले जाना चाहते हैं, यह देखने की बात है। जब तक एक्सेस नहीं है और इक्वैलिटी नहीं है, तब तक आप क्वालिटी निर्माण नहीं कर सकते, तब तक गुणवत्ता और अच्छी शिक्षा बहुत सीमित लोगों के बीच में रह जाएगी। अगर आप एक्सेस और इक्वैलिटी चाहते हैं, तो इसमें इन्होंने नेबरहुड स्कूल की बात कही है।

मान्यवर, अब नेबरहुड स्कूल से उनका क्या मतलब है, यह सवाल भी उनसे किया गया, तो उन्होंने यह बताया कि किसी एक क्षेत्र में अगर कोई स्कूल नहीं है, तो उसके नेबरहुड में एक स्कूल खोल दिया जाए। कोठारी कमीशन ने, राधाकृष्णन कमीशन ने नेबरहुड स्कूल की यह कल्पना नहीं की थी। नेबरहुड स्कूल इस देश में अगर सही

मायने में चलाए जाते, तो आज शिक्षा के अन्दर जो गहरा मतभेद है, गहरी खाई है, वह नहीं होती। नेबरहुड स्कूल का मतलब यह है कि एक क्षेत्र में, उसके अन्दर रहने वाले जितने भी लोग हैं, वे चाहे निर्धन व्यक्ति हों या सबसे धनवान व्यक्ति, वे उसी विद्यालय के अंदर पढ़ें।

[अनुवाद]

निकटस्थ विद्यालय की अवधारणा यही है। लेकिन अगर आप नेबरहुड स्कूल का मतलब यह समझते हैं कि अगर एक किलोमीटर की दूरी पर स्कूल नहीं है, तो आप वहाँ एक स्कूल खोल दें, तो उससे शिक्षा का विस्तार तो हो सकता है, एक्स्पेंशन तो हो सकता है, लेकिन वह नेबरहुड स्कूल नहीं कहा जाएगा। नेबरहुड का मतलब है कि बराबर की साझेदारी, पड़ोसी के साथ मिलकर पढ़ने की जरूरत। पड़ोसी और पड़ोसी में मतभेद न हो, जाति और सम्प्रदाय में मतभेद न हो, गरीब और अमीर के बीच में शुरूआती मतभेद न हो। इसके लिए नेबरहुड स्कूल की बात उठाई गई थी। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को हमारे शिक्षा मंत्री जी अगर अच्छी तरह से देखें, तो उन्होंने बहुत विस्तार से यह बात कही थी। मुझे अफसोस है कि आज 40-50 साल होने के बावजूद भी, कोठारी कमीशन की महत्वपूर्ण सिफारिश को हम, अपने देश में लागू नहीं कर पाए।

मान्यवर, मैं केवल इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार उसे लागू नहीं कर पाई। कोई भी राज्य सरकार लागू नहीं कर पाई, कोई केन्द्रीय सरकार नहीं कर पाई। शायद आज इसे लागू करना और भी अधिक कठिन है। मैं इसकी कठिनाई को जानता हूँ, लेकिन फिर भी नेबरहुड स्कूल के कंसैप्ट को अगर शिक्षा मंत्री चाहते हैं, तो इसके बारे में बात की जा सकती है, इसके बारे में रास्ते निकाले जा सकते हैं, लोगों को समझाया भी जा सकता है। आज नहीं, तो धीरे-धीरे शुरूआत कर के आने वाले 5, 10 और 15 सालों में हम इस देश में डिवाइसिव शिक्षा को, जो गरीब और अमीर के लिए शिक्षा है, जो ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए शिक्षा है, जो एक सम्प्रदाय और दूसरे सम्प्रदाय के लिए शिक्षा है, उससे उभर सकते हैं।

महोदय, मंत्री जी कहते हैं कि इक्वैलिटी हो, फिर आप कहते हैं कि एक मदरसा बोर्ड अलग से हो। अगर इक्वैलिटी है, तो बोर्ड एक हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। कैरीकुलम अलग हो सकता है, इसमें क्या कठिनाई है? वहाँ कोई कमी है, वह दूर की जा सकती है।

मान्यवर, हमने हमने अपने कार्य-काल में उसे दूर करने की कोशिश की थी कि हर मदरसे में उनकी अपनी धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ जो आधुनिक शिक्षा है, जो विज्ञान और गणित की शिक्षा है, वह भी दी जाए और उसका सारा पैसा केन्द्र सरकार की तरफ से हमने दिया था। हमने यह करीब 1850 या 1900 मदरसों में इम्प्लीमेंट भी कर दिया था और कहा कि आप पढ़िए और आगे आइए। यह इक्वैलिटी लाने के लिए ही किया था। हमने कहा कि आप अपनी धार्मिक शिक्षा पढ़ते रहिए, आप सांस्कृतिक शिक्षा देते रहिए, लेकिन जो आधुनिक युग की जरूरतें हैं, जो भारत की जरूरतें हैं, उनके अनुसार आप सामने आइए। क्या आप विज्ञान की परीक्षा के लिए उनका बोर्ड अलग रखें? अगर उनकी धार्मिक शिक्षा के बोर्ड हैं, तो हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन जहां तक शिक्षा के बोर्ड का सवाल है, इसमें मतभेद बड़े विचित्र होंगे, खासकर के सम्प्रदाय के आधार पर।

महोदय, फिर कहा जा रहा है कि बोर्ड को एबालिश कर दो। बोर्ड को एबालिश करना शिक्षा के किसी भी पहलू का समाधान नहीं है। यह कहा जाता है कि परीक्षा का दबाव होता है। अगर वह दबाव यहां नहीं होगा, तो कहीं और होगा। 10वें दर्जे के बाद नहीं होगा, तो 12वें दर्जे के बाद होगा। वहां नहीं होगा, तो जहां बच्चा एडमिशन लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए जाएगा, वहां होगा। वहां नहीं होगा, तो नौकरी के लिए जो परीक्षा होगी, उसमें दबाव होगा। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल यह है कि आप सारी शिक्षा प्रणाली को दबाव से मुक्त रखना चाहते हैं, तो शिक्षा एक आनन्दकारी व्यवस्था होनी चाहिए।

[अनुवाद]

इसे अध्यापन कला की आनन्दकति एवं सृजनात्मक व्यवस्था होना चाहिए। जिसमें बच्चा आनन्द के साथ, प्रसन्नता और प्रफुल्लता के साथ, अपने वातावरण से हिलमिल कर, बिना दबाव के और बिना तनाव के सीखता चले।

यह उन्मुक्त वातावरण क्या हम स्कूलों में देने की स्थिति में आज हैं? अगर नहीं हैं तो हम कब आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, किस प्रकार से हम तनावमुक्त शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं? बच्चों के ऊपर बहुत जबरदस्त बोझ देने का बस्ता उसका एक अंग है। मैं यह देखता हूं कि आप केवल रूटीन अनुदान इधर से उधर सौ करोड़, दो सौ करोड़ रुपये कर दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि इसके लिए सिम्बल साहब जैसे बुद्धिमान

और बड़े तजुर्बेकार व्यक्ति की जरूरत नहीं है। वह तो कोई चार्टर्ड एकाउण्टेंट भी कर देगा, आपको 200 करोड़ बढ़ाना है तो इधर से उधर कर दो। वह भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा।

मैं इससे तो सहमत हूं कि सुधार होना चाहिए। मैं इससे भी सहमत हूं कि शिक्षा की हालत खराब है। मैंने खुद देखा है, खुद सुधार करने की कोशिश की है, लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि सुधारों की दिशा पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। यह केवल किसी एक कमेटी की सिफारिश पर नहीं होना चाहिए। यह केवल किसी एक छोटे समूह की जल्दबाजी में दी गई रिपोर्ट के आधार पर नहीं होना चाहिए। मैं आपका ध्यान यशपाल कमेटी की तरफ दिलाना चाहता हूं। मुझे पता नहीं कि सरकार ने उसे स्वीकार किया या नहीं किया, लेकिन जो मैंने डाउनलोड करके देखा है, मैं ऐसा समझता हूं कि वह बहुत जल्दबाजी में बनाई गई रिपोर्ट है। रिपोर्ट को पढ़ने से खुद ही पता लगता है कि किस ताह से कमेटी की टर्म्स आफ रैफरेंस बदलने के लिए कहा गया, उसका नाम बदलने के लिए कहा गया, काम बदलने के लिए कहा गया और फिर जल्दी में वह रिपोर्ट पेश कर दी गई। मेरा अनुरोध होगा कि उसको बिना सोचे-समझे और बिना व्यापक चर्चा के सब स्तरों पर लागू न करें और उसकी तरफ आप कदम बहुत सावधानी से बढ़ायें।

जब यह कहा जा रहा है कि शिक्षा को आटोनोमी दी जानी चाहिए, मैं इसका बहुत प्रबल समर्थक हूं। शिक्षा में स्वायत्तता, शिक्षा की निष्पक्षता, शिक्षा को सदा राजनीति से मुक्त रखने की शर्त के लिए आटोनोमी एक बहुत जरूरी चीज है, लेकिन आटोनोमी का मतलब क्या है। अगर आप वाइस चांसलर गवर्नर को एपाइंट करने का अधिकार दें या मंत्री को अधिकार दें, मुख्यमंत्री को अधिकार दें, पहले कहा जाता था कि अगर मुख्यमंत्री को अधिकार देंगे तो उससे पोलिटिकल इंटरवेंशन होता है। फिर कहा गया कि गवर्नर को दीजिए तो गवर्नर साहब भी जो करते हैं, मैं अनेक राज्यों के उदाहरण दे सकता हूं कि जहां जो कुछ पैनल में नाम गये, उसमें से जो राजनैतिक दृष्टि से, कई बार राज्यपाल महोदय की जातीय दृष्टि से जो व्यक्ति सुटेबल था, जो व्यक्ति उपयुक्त था, उसको कुलपति बनाया गया। फिर वहां अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बार-बार हस्तक्षेप किये गये। चपरासी तक की नियुक्ति के लिए हस्तक्षेप किये गये। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने मंत्रित्वकाल में किसी एपाइंटमेंट, किसी वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए, किसी प्रोफेसर या टीचर की नियुक्ति के लिए, किसी एडमिशन के लिए कोई सिफारिश नहीं की थी। अगर मंत्री महोदय इतना संयम रख सकें और समझ सकें कि शिक्षा की आटोनोमी का क्या मतलब है, अगर राज्यपाल साहब इस बात को समझ सकें कि उन्हें सारी शिक्षा का

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

प्रमुख इसलिए नहीं बनाया गया कि वे किसी राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर काम करें। अगर शिक्षा में यह स्थिति हो, जैसी कि मुझे एक बार राजस्थान में देखने को मिली कि राजस्थान के बोर्ड ने कुछ विषय इंट्रोड्यूस करने के लिए तय किये, उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी का इंटीग्रल ह्यूमेनिज्म भी शामिल किया गया। सरकार बदली तो सबसे पहला काम यह हुआ कि उसको निकाल दिया गया। यह कौन सा तरीका है, क्या इससे आटोनोमी होगी? क्या यह वैचारिक दृष्टि से लोगों को पंगु बनाने का काम नहीं है? क्या आज हम यह कह सकते हैं कि इस देश में मार्क्स की पढ़ाई बन्द कर दी गई है, महात्मा गांधी जी की पढ़ाई बन्द कर दी जाये, जयप्रकाश नारायण के विचार न दिये जायें या क्रान्तिकारियों के बारे में न पढ़ाया जाये? लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर हम पाठ्यक्रमों में ऐसे परिवर्तन कर रहे हैं कि क्रान्तिकारियों को आतंकवादी बताया जाये, जाटों को डाकू बताया जाये, गूजरों को जरायमपेशा बताया जाये तो फिर क्या बात बनेगी, आटोनोमी को हम किधर ले जा रहे हैं, हम कैसी स्वायत्तता चाहते हैं। इन सब मामलों में बहुत गहराई से चिन्तन की आवश्यकता है। मैं जिस विचारधारा का हूँ, पाठ्यक्रम में केवल उसी को पढ़ाया जाये, यह आटोनोमी नहीं हो सकती। अगर आप वास्तविक आटोनोमी चाहते हैं तो उसकी बुनियाद रखनी पड़ेगी और उस बुनियाद रखने में हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि देश में एक राजनैतिक तंत्र से मुक्त शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रण करने वाला संस्थान बने।

यह हर स्तर पर बने। केवल उच्च स्तर पर ही नहीं, नीचे के स्तर पर भी बने और ऊपर के स्तर पर भी बने। हमने एक बार कहा था और कोठारी कमीशन ने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से कहा था कि आप जिले के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड बनाइए और उसमें शिक्षाविदों को रखिए, अध्यापकों को रखिए। चूँकि सरकार की ग्रांट भी आती है, तो इसलिए उसमें एकाउंट्स देखने के लिए आप सरकार का भी एक आदमी रख सकते हैं। उसकी जांच करा सकते हैं। सीएंडएजी की तर्ज पर कोई एजुकेशन आडिट के लिए स्कीम बना सकते हैं। लेकिन शिक्षा प्रणाली में आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि नीचे से चलकर ऊपर तक व्यवस्था बने और वह देश भर के लिए, विभिन्न जोन्स के लिए हो और जो उसका व्यावहारिक रास्ते निकल सकें, उसको निकाला जाए।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ऐसी स्वायत्तशासी व्यवस्था होनी जरूरी है, लेकिन वह सारे देश के लिए एक होगी, हर राज्य के

लिए एक होगी, यह विवाद का विषय है। पंजाब की आवश्यकतायें अलग हैं, राजस्थान की आवश्यकतायें अलग हैं, बिहार की आवश्यकतायें अलग हैं, केरल की आवश्यकतायें अलग हैं। यह देश यूनिटी इन डायवर्सिटी में विश्वास रखता है। डायवर्सिटी को आप भुला नहीं सकते और शिक्षा के क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं भुला सकते। मेरा यह विश्वास है और 40-42 साल तक अध्यापक रहने का मेरा जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि डायवर्सिटी इस देश की कम से कम वैचारिक दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में, विचारों के क्षेत्र में सबसे बड़ी ताकत है। मुझे याद आता है, हमारे यहां विश्वविद्यालय में एक बार पंडित जवाहर लाल नेहरू आए थे। मुझे उनके वाक्य आज भी याद हैं। उन्होंने कहा-

[अनुवाद]

“ये संस्थाएं हमारे ज्ञान के मंदिर हैं। ये विचार और आदर्शवाद के आश्रयस्थल हैं। यदि इन संस्था में सब कुछ ठीक ठाक है तो देश में सब कुछ ठीक ठाक है।”

[हिन्दी]

मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज ये विश्वविद्यालय आइडियाज और आइडिलिज्म पैदा कर रहे हैं? जब हम पढ़ते थे, तब हमारे विश्वविद्यालय में जय प्रकाश बाबू भी बोलते थे, आचार्य कृपलानी भी बोलते थे, पी.सी. जोशी भी बोलते थे, जेड. ए. अहमद भी बोलते थे, आचार्य नरेन्द्र देव भी बोलते थे, डाक्टर मुखर्जी भी बोलने के लिए आए, जवाहर लाल जी बोलने के लिए आए, डॉ. राधाकृष्णन भी आए, लेकिन कभी किसी वाइस चांसलर ने आपत्ति नहीं की। हमारे सामने यहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कई छात्र बैठे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं था, जिनके विचार सुनने के लिए कभी किसी के द्वारा बाधा डाली गयी हो। कोई ऐसी फैकल्टी नहीं थी जिसके लोग उन्हें अपने आप न बुला सकें। हम जिन हास्टल्स में रहे हैं, वहां हर हास्टल के अलग-अलग स्टडी सर्कल्स थे, जिनमें तमाम दुनिया भर के लोगों के साथ एक्सपोजीशन होता था। हम उस परंपरा से निकलकर आए हैं। हमें दुख होता है, जब हम यह देखते हैं कि आज एक विश्वविद्यालय में अमुक व्यक्ति को कैपस में अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गोलवलकर जी भी आए, प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह विश्वविद्यालय के अध्यापक रहे, जो बाद में सरसंघचालक बने, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं की। जब प्रोफेसरशिप के लिए मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो मुझसे एक्सपर्ट ने पूछा कि क्या आप आर.एस.एस. से संबंध रखते हैं? जैसे ही मैं बोलने वाला था, मेरे वाइस चांसलर ने कहा।

[अनुवाद]

विशेषज्ञ महोदय, हमें नहीं लगता कि विशेषज्ञ समिति में एक प्रश्न के रूप में फिर भी प्रोफेसर के राजनितिक विचारों से संबंधित प्रश्न पूछा जाना चाहिए। आप योग्यता के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। आप उनके विषय के बारे में पूछ सकते हैं लेकिन आप उनसे यह नहीं पूछ सकते कि क्या उनका संबंध आर.एस.एस. या एस.एफ.आई. या कांग्रेस से है। क्या आज ऐसा हो रहा है? मुझे अफसोस है कि इस विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होता। क्या अब भी ऐसा करेंगे।

[हिन्दी]

आज उसी विश्वविद्यालय के अंदर जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने में मेरा भी बहुत योगदान था, आज उसके अंदर जो एजीक्यूटिव काउंसिलर्स बनाए गए, वे कैसे बनाए गए? उनमें से 9, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स थे। यह क्या है? क्या इससे आटोनोमी रहेगी? आप किस आटोनोमी की बात कर रहे हैं? आटोनोमी अगर रखनी है, तो बड़ी ईमानदारी के साथ, साफगोई के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आइए, हम तैयार हैं। आटोनोमी का यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि जो सरकार बैठी है, अगर वह चला रही है, तो आटोनोमी है और अगर दूसरी सरकार आ गयी, तो आटोनोमी नहीं है।

मेरे सामने ऐसे कई मौके आए, जब यह बार-बार कहा गया कि राष्ट्रपति महोदय को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्ति करने का अधिकार नहीं, बल्कि मिनिस्ट्री को अधिकार होना चाहिए। मैंने उसे मना किया। मैंने अपने कार्यकाल में सिवाय रिटायर्ड चीफ जस्टिस आफ इंडिया के किसी को भी मिनिस्ट्री की तरफ से रिकमेंड नहीं किया, उपकुलपतियों की नियुक्ति हेतु पैनल की अध्यक्षता करना। मेरे बहुत से मित्र शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, जो इसे करना चाहते थे लेकिन मैंने कहा यह नहीं होगा। ऐसी एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, जिसमें कोई वाइस चांसलर्स के बारे में सवाल न कर सके।

आटोनोमी के क्या पहलू होंगे, कैसे होंगे, इस पर गहराई के साथ चर्चा होनी चाहिए। जो हमारे अनुभव हैं, उन्हें हम आपके साथ शेयर करने को तैयार हैं। और लोग हैं, विभिन्न पार्टियां हैं जिसकी राज्यों में सरकारें चलती हैं हां, मैं समझता हूं कि शायद इस आटोनोमी के सिद्धान्त से हो सकता है कि आपके पुराने दोस्त, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सहमत न हों। मुझे पता नहीं वे होंगे या नहीं, लेकिन उनके अलावा मेरा ख्याल है कि बाकी सब लोग इस मामले में जो भी

जनतंत्र में, खुले विचारों में विश्वास रखते हैं, शिक्षा के उन्नयन में विश्वास रखते हैं, वे इसमें सहमत होंगे। मगर एक तरफा नहीं। यशपाल कमेटी केवल उसकी एकमात्र रीपोजिटरी नहीं है। उसकी सारी सिफारिशों पर, उसकी व्यावहारिकता पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। रैगुलेटरी सिस्टम अच्छे हों, बाबूडम से बिल्कुल मुक्त हों तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि सरकार फंड करेगी, कहीं न कहीं थोड़ा-बहुत बाबूडम रहेगा, मगर वह नियंत्रित रहेगा। वह उसके ऊपर हावी न होने पाए। आटोनोमी का यह मतलब भी नहीं है जो आईआईएमएस ने पिछली बार कहा था कि आप उन्हें पैसा देते जाएं और वे चाहे जो कुछ पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं। यह नहीं होगा। आटोनोमी में उन संस्थाओं को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि रैगुलेशन, हो, सैल्फ रैगुलेशन हो लेकिन हो जरूर। लेकिन वह पोलिटिकल या बिजनेस प्वाइंट आफ व्यू से प्रेरित न हो। आटोनोमी का यह मतलब नहीं है कि जो कुछ बिजनेस हाउसेज या बिजनेस इंटरस्ट या कारपोरेट सैक्टर कहे, वह आटोनोमी है और जिसे देश के लोग मानें, वह नहीं है। यह एक गंभीर प्रश्न है कि आटोनोमी, स्वायत्तता का अर्थ क्या होना चाहिए।

नेबरहुड स्कूल्स के बारे में मैं बोल रहा था, तब आप उपस्थित नहीं थे। इस पर भी गहराई से विचार की जरूरत है और यह एक ऐसा सवाल है जो वास्तव में शिक्षा की एकात्मकता और देश की एकात्मकता की तरफ ले जा सकता है। बहुत जल्दी से नहीं, तब भी आने वाले एक दशक में हम इसमें काफी प्रगति कर सकते हैं क्योंकि यह नीचे से चलेगा और आठ-दस साल में उसमें से निकला हुआ पहला बच्चा उस काबिल होगा जिसे हम कह सकें कि यह वैसा मानव बन रहा है जिसकी हमें जरूरत है। इसलिए आप इस पर गहराई के साथ ध्यान दें।

इसके बारे में मुझे एक बात और भी कहनी है। केंद्रीय विद्यालय - यह एक रास्ता हो सकता है अगर उस माडल को अधिक बढ़ाया जाए जो शिक्षा की गहरी खाई को दूर कर सकता है। केंद्रीय विद्यालयों का अभी तक जो उद्देश्य रहा है, उसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उनका लाभ हो, फौज, पैरा मिलिट्री फोर्सिंग, ट्रांसफरेंसल लोगों के लिए वह बनें यह ठीक है, वह होना ही चाहिए। लेकिन केंद्रीय विद्यालयों में अधिकांश बहुत अच्छे स्थान बने हैं। आप वहां दो पाली चला सकते हैं। एक पाली ऐसे लोगों के लिए, दूसरी पाली बाकी लोगों के लिए। लोग उसमें पढ़ना चाहते हैं। मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि जब मैंने इस काम को शुरू किया था, तब से और केंद्रीय विद्यालयों की स्थिति में हम पांच सालों में जो सुधार ला पाए हैं, उसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से आईएएस अफसर अपने बच्चों

[डॉ. मुग्ली मनोहर जोशी]

को वहां भेजने के लिए आए। वहां आसानी से बहुत सुधार हो सकता है क्योंकि उसे केन्द्रीय सरकार चलाती है और इसलिए वह माडल बन सकता है। वहां कम खर्च में एक्सैम्बिलिटी, क्वालिटी और इक्विटी, इन तीनों का ध्यान रखा जा सकता है। नवोदय विद्यालय केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, जिन्हें आप ओबीसी क्षेत्र कहते हैं या शैड्यूल्ड कास्ट्स कहते हैं, उनकी बढ़ोतरी के लिए हैं। वह एक पक्ष है उनमें इक्विटी और क्वालिटी निर्माण करने के लिए, क्योंकि एक्सैम्बिलिटी तो वहां आपने उन्हें दे दी है। लेकिन उनमें क्वालिटी निर्माण करने के लिए ये विद्यालय हो सकते हैं। मैंने इसका एक प्रयोग जम्मू कश्मीर के अंदर किया था। वहां मैंने जो केन्द्रीय विद्यालय दिए, उसमें यह शर्त रखी कि उसमें कश्मीर के बच्चे, सिविल बच्चे, पुलिस के बच्चे, फौज के बच्चे और आतंकवादियों द्वारा मारे गए परिवारों के बच्चे पढ़ेंगे। हास्टल इसीलिए दिए कि सब वहां रहेंगे। आप ऐसे प्रयोगों को कीजिए। ये इनोवेशन्स हैं। इनोवेशन का यह मतलब नहीं कि टोक्यो में जो बिल्डिंग बनी हुई है, हम वैसी बिल्डिंग बना दें। इनोवेशन का मतलब यह है कि भारतीय समाज में हम एकता कैसे लाएं, उसके अंदर इक्विटी कैसे पैदा करें, उसके अंदर क्वालिटी कैसे पैदा करें, सारे देश में हम एक हैं, यह भावना बच्चों के अंदर शुरूआत से कैसे पैदा करें और उनका इनटैल्क्चुअल, इमोशनल, फिजिकल और स्प्रिचुअल क्वेश्चेंट ये चारों विकसित करें। बच्चे का इम्तिहान सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, शारीरिक दृष्टि से कैसा है, क्रिएटिव कैसा है, यह जब तक आप नहीं करेंगे इनोवेशन नहीं हो सकेगा। यह मेहनत का काम है, थोड़ा मुश्किल काम है। इसमें आम सहमति बनाने और कुछ फिस्कल एंड अदर मेजर्स लेने की भी जरूरत है। किस माडल स्कूल को क्या आर्थिक सहायता दी जाये, कैसे दी जाये, ये सारे प्रयोग करने पड़ेंगे और राज्यों से आपको इस बारे में अधिक बातचीत करनी पड़ेगी।

अब हॉयर एजुकेशन एक बात है और सैकेंडरी एजुकेशन दूसरी बात है। जब प्राइमरी एजुकेशन आगे बढ़ी तब उस समय भी हमने यह कहा था कि हर साल दो-ढाई करोड़ बच्चे नये आयेंगे, क्योंकि अब हम सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान कर रहे हैं। ये दो-ढाई करोड़ बच्चे अगर सेंट परसेंट आगे तक गये, तो दो-ढाई करोड़ बच्चे हर साल आ जायेंगे, लेकिन अगर यह भी मान लें कि 60 प्रतिशत गये, आज तो बहुत कम पहुंचते हैं, 60 प्रतिशत भी गये, तो हर साल डेढ़-दो करोड़ नये बच्चे आयेंगे। अगर फर्टिलिटी रेट नहीं घटा, तो यह संख्या थोड़ी और बढ़ेगी।

हमारे देश की जनसंख्या करीब एक अरब 20-25 करोड़ होगी,

उसमें अगर ढाई परसेंट फर्टिलिटी रेट रहा, तो यह संख्या नयी आयेगी और ये सब बच्चे अनिवार्य और आवश्यक रूप से पढ़ेंगे, तो पांच-छः साल बाद ही यह विस्तार हो पायेगा। इस तरह सैकेंडरी एजुकेशन का क्या होगा? आपने एक सैकेंडरी एजुकेशन मिशन के बारे में बात की है, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन वह अगर इसी तरह से ढीला-ढाला चला और यह समझकर चला कि शिक्षा का यह क्षेत्र तो सरकारों के हाथ में है, तो माफ कीजिए, उसमें बहुत कठिनाई आयेगी और बड़ा भारी विस्फोट होगा। तब फिर इस सैकेंडरी के क्षेत्र में शिक्षा का इतना अधिक व्यापारीकरण होगा, जिसको रोकना कठिन होगा। उसकी क्वालिटी पता करना कठिन होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने सर्वशिक्षा अभियान शुरू किया था, तो अच्छी-अच्छी, बड़ी-बड़ी सरकारों ने महीनों तक उस पर गौर नहीं किया। हमारी अपनी सरकारों ने ही नहीं, बल्कि कांग्रेस सरकारों ने भी गौर नहीं किया। सिर्फ मुझे उसमें कहने की जरूरत है कि तमिलनाडु सरकार ने उसे झट से पकड़ा और काम शुरू कर दिया। लेकिन बाकी जगह समझाना पड़ा, बताना पड़ा। माननीय लालू प्रसाद जी अभी यहां नहीं हैं। उनके तो हाथ पकड़कर उस पर दस्तखत कराने पड़े कि आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्यों छोड़ रहे हैं?

मेरे कहने का अर्थ यह है कि इसे आप राज्य सरकारों की जिम्मेदारी कहकर टालें नहीं, बल्कि उनको तैयार करायें। हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है; क्योंकि बच्चे राज्य सरकारों के नहीं हैं, बच्चे देश के हैं। देश के बच्चे होने की वजह से, देश की सारी जिम्मेदारी हमारी होने की वजह से और अब इस फंडामेंटल राइट के मिल पाने की वजह से यह जिम्मेदारी और बढ़ गयी है।

मेरा आपसे अनुरोध होगा कि इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। सैकेंडरी एजुकेशन मिशन के लिए जो प्रावधान किये गये हैं, अगर आप गौर से देखेंगे, तो वे इस समस्या का समाधान नहीं कर सकेंगे। मुझे खुशी है कि सर्वशिक्षा अभियान को आपने अपनी सरकार का भी फ्लैगशिप कार्यक्रम माना है। मुझे इसलिए खुशी है कि इस कार्यक्रम की शुरूआत श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने की थी। मुझे उसमें शुरूआत करने का सुअवसर मिला था। इस कार्यक्रम की आपने एकेडेमिक और फिस्कल मौनीटरिंग नहीं की, तो माफ कीजिए, यह भी एनआरईजीए वगैरह की तरह से कहीं गुम न हो जाये, इसकी मुझे चिंता है। इसकी फिस्कल और एकेडेमिक मौनीटरिंग बहुत जरूरी है। हमने उसकें जो प्रावधान किये थे, वे अब मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके पूर्ववर्ती शिक्षा मंत्री ने उन्हें पता नहीं कहां रख दिया है। यह बहुत आवश्यक है। हर जिले, हर स्थान पर आज कालेजेज हैं। आज सीएंडए जी के रिटायर्ड आफिसर हर जिले में मौजूद हैं,

आप उनको ये काम दे सकते हैं। हमने यह काम दिया था, बहुत अच्छे नतीजे सामने आये। पता लगेगा कि जो पांच हजार रुपया दिया गया है, वह ठीक से लगा है या नहीं। जो नया भवन बना है, वह ठीक से बना है या नहीं। वहां मास्टर आ रहा है या नहीं और वह क्या पढ़ा रहा है? बहुत से ऐसे कालेजेज हैं जहां एजुकेशन डिपार्टमेंट है। आप वहां से अध्यापकों को भेज सकते हैं कि जाकर देखो। बहुत कम खर्च में आप एकेडेमिक और मौनीटरी एवं फिस्कल आडिटिंग करा सकते हैं। अगर पैसे का दुरुपयोग होगा, तो वह भी रुकेगा और साथ ही साथ क्वालिटी भी बढ़ेगी। अब क्वालिटी ऊपर से नहीं बढ़ती है। क्वालिटी के लिए जरूरी है कि आप जिले के प्रमुख विद्यालयों को इन प्राथमिक विद्यालयों के साथ जोड़ दें।

यह बहुत जरूरी है। टेक्नीकल कल एजुकेशन की हालत और वोकेशनल एजुकेशन की हालत के बारे में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसे जितनी तेजी के साथ बढ़ना चाहिए, वह नहीं बढ़ी है। यह केवल आवंटन से नहीं बढ़ती है, आवंटन आपने 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपए बढ़ा दिए, इतने बड़े देश में इसका कोई मतलब नहीं है। वह बढ़ेगा ही, उसे और ज्यादा बढ़ना चाहिए। मुझे आवंटनों से कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। एक-दो जगह छोटी-मोटी बातें हैं, मैं बता दूंगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप पालीटेक्निक्स, आईटीआईज, इंजीनियरिंग कालेजेज, इन सभी को ठीक से जोड़ेंगे और किसी एक इंजीनियरिंग संस्था को उस क्षेत्र के बारे में विशेषकर जो एनआईटीज हैं, जिनकी संख्या आप और बढ़ाने जा रहे हैं, उनको यह जिम्मेदारी देंगे कि वे उस इलाके के पालीटेक्निक्स, आईटीआईज को मानीटर करें, वहां जाएं, उनके साथ प्रोग्राम्स बनाएं, उनको जोड़ें, तब आप देखेंगे कि आने वाले पांच सालों में टेक्नीकल एजुकेशन में भारी गुणवत्ता की वृद्धि होगी। हमने यह स्कीम शुरू की थी, लेकिन पता नहीं वह कहां गायब हो गयी। टेक्नीकल स्किल्स में गुणवत्ता बहुत जरूरी है। इनोवेशन करने की काबिलियत हमारे देश में गांव के आदमी से लेकर ऊपर तक मौजूद है। हमने पूरा उपयोग किया था। हमने इसके लिए इनोवेशन फंड बनाया था, इसके लिए लोगों को निमन्त्रित किया था। बहुत अच्छे-अच्छे इनोवेशन्स उसके अन्दर आए थे। इनोवेशन्स हो सकते हैं बशर्ते इनोवेशन करने वालों को आप प्रोत्साहित करें, बशर्ते आप उसके साथ अंग्रेजी पढ़े-लिखे होने की शर्त न लगाएं। गांव का अनपढ़ आदमी भी इनोवेशन कर सकता है। प्रायः लोग कहते हैं कि हमने जुगाड़ लगा लिया, तो यह जुगाड़ ही इनोवेशन की बुनियाद है जो इस बात को बताता है कि मैं इस काम को एक नए ढंग से कर सकता हूं। लेकिन अगर वह अंग्रेजी पढ़ा नहीं है तो उसे आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एक ऐसी स्कीम की जरूरत है जिसमें इन

तमाम इनोवेटर्स को आप सर्टिफाई करें और बताएं कि तुम्हारी स्किल कहां तक है, फिर देखिए कैसा इनोवेशन होता है। यह भी एक इनोवेटिव प्रयोग है शिक्षा के अंदर। ऐसे प्रयोग कीजिए। खेती की शिक्षा के लिए प्रयोग कीजिए, पर्यावरण की शिक्षा के लिए प्रयोग कीजिए। हमने एक स्कीम चलाई थी कि हर बच्चा आपने आस-पास का सर्वेक्षण करे और उसकी रिपोर्ट दे। उत्तराखंड में जब यह स्कीम चली, वहां के छोटे-छोटे बच्चों ने अपने पर्यावरण का, अपने क्षेत्र का, सारी विविधताओं का, सारी कमियों का आकलन करके दिया। यह काम हो सकता है, इसमें खर्चा नहीं लगता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सब स्कीम्स गायब हैं। पिछले पांच वर्षों में बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ किया नहीं गया।

अपराह्न 2.58 बजे

[श्री अर्जुनचरण सेठी पीठासीन हुए]

एक और बात आपने कही है कि आप बड़ी संख्या में आईआईटीज और आईआईएमस खोल रहे हैं, खुलने चाहिए। लेकिन उनकी आवश्यकता केवल बिल्डिंग और एक्विपमेंट्स की नहीं होती है, सबसे बड़ी आवश्यकता फैकल्टी की है, अध्यापकों की है। अध्यापकों की इतनी कमी है कि बहुत से स्थानों पर मैं देखता हूं कि इंजीनियरिंग कालेजेज में सेवानिवृत्त अध्यापकों को लिया जाता है और वे बेचारे एक दिन एक विद्यालय में जाते हैं, दूसरे दिन दूसरे विद्यालय में जाते हैं, तीसरे दिन तीसरे विद्यालय में जाते हैं वही फैकल्टी घूम फिरकर चार-पांच विद्यालयों में काम कर रही है क्योंकि फैकल्टी की बहुत कमी है। इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नीचे ग्राइमरी से लेकर ऊपर तक अध्यापक बड़ी संख्या में नहीं मिलते हैं और ट्रेन्ड अध्यापक का मिलना अपने आप में बहुत कठिन हो गया है। खास तौर पर टेक्नीकल एजुकेशन में यह कठिनाई बहुत ज्यादा है। जब आप नई आईआईटी खोलेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स आफ टेक्नोलॉजी के अच्छे अध्यापक वहां चले जाएंगे, फिर इन एनआईटीज में अध्यापकों का जो अभाव होगा, उसको पूरा करने के लिए जो दूसरी टेक्नीकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनके अच्छे अध्यापक आ जाएंगे और वहां अभाव पैदा हो जाएगा। अगर कहीं इस बीच कोई अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट आ गयी, तो गजब ही हो जाएगा।

फिर आपका कोई अच्छा अध्यापक जो आईआईटीज में है, वह वहां नहीं बचेगा, सब चले जाएंगे। इसलिए अन बातों पर बहुत गौर करने की जरूरत है कि हम कैसे गुणवत्ता बढ़ाएं, कैसे टेक्नीकल एजुकेशन

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

को आगे बढ़ाएं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी आईआईटीज में रिसर्च बहुत कम है। उनका साइटेशन इंडेक्स बहुत कम है। उनके द्वारा जो रिसर्च पेपर्स अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में आते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है।

अपराहन 3.00 बजे

अक्सर पहले यह कहा जाता था, जब कोई व्यक्ति आईआईटी में प्रवेश ले लेता है तो उसका शरीर हिन्दुस्तान में रहता है और आत्मा विदेश में चली जाती है। रोकना जरूरी है, शरीर और आत्मा दोनों हिन्दुस्तान में रहें। आप जब कहते हैं कि इसके लिए बाहर की संस्थाओं को यहां लाएं, उस पर भी थोड़ा गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है कि कौन सी आएंगी। मैंने भी उस समय में 10-12 संस्थाओं की जांच की थी, जिनके साइन बोर्ड तक मिलना मुश्किल थे। उनके कैरीकुलम कैसे हैं, उनकी रिसर्च की क्या क्षमता रही है, ऐसी तमाम जांच के बाद उन संस्थाओं पर विचार करना चाहिए। मैंने देखा है कि इस बारे में आप एक कानून लाना चाहते हैं। मेरी सलाह होगी कि पहले आप उस कानून का मसौदा सबको सर्कुलेट कराएं। केवल जल्दी में कि बाहर से कुछ संस्थाएं आएंगी तो हमारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा जाएगी, ऐसा नहीं होगा। शिक्षा की गुणवत्ता भारतीय लोग ही बढ़ाएंगे। रुड़की विश्वविद्यालय या इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, इनकी गुणवत्ता दुनिया में किसी से कम नहीं है। इनमें कोई बाहर के लोग नहीं हैं। रिसर्च में कोलाब्रेशन करना तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाहर के लोगों को हमारी शिक्षा संचालन का अधिकार दे देना या इसमें प्रवेश करा देना, यह बहुत सोच विचार के साथ करने की जरूरत है। इस पर जल्दबाजी से फैसला नहीं लेना चाहिए, ठोक-बजाकर लेना चाहिए।

आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो मंदी है, तो वे भारत की इस शिक्षा के द्वारा बहुत कुछ कमाकर ले जाना चाहते हैं। मैंने देखा है कि यशनाल कमेटी के एक सज्जन का सुझाव था कि एजुकेशन कम्पनीज को रजिस्टर्ड कराएं और वह शिक्षण संस्थाओं को चलाएं। यह शिक्षा को व्यापार के रूप में चलाएंगे। यह हो सकता है कि किसी विशेष इंडस्ट्री के लिए शिक्षा के प्रबंधन का काम करें। लेकिन ये प्राथमिक शिक्षा में नहीं जाएंगे, ये सेकंडरी शिक्षा में नहीं जाएंगे, ये तो मैनेजमेंट और टेक्नीकल एजुकेशन में जाएंगे। ये जनरल एजुकेशन में भी नहीं जाएंगे। इसलिए इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। जहां कमियां हैं, उनको कैसे पूरा करें, न कि किसी भी संस्था का चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, उसे शिक्षा में व्यापार करने की अनुमति

दें। इस पर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है। कमर्शियलाइजेशन आफ एजुकेशन की तरफ देश तैयार नहीं है। इसका अर्थ होगा, शिक्षा को केवल कुछ धनी-मानी लोगों के हाथ में सौंप देना, यह बहुत अच्छा नहीं होगा।

मैं आपके सामने एक विषय और रखना चाहता हूं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ग्लोबल पोजिशन हमारी ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट में क्या है। यह एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है, जो हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमें कहां जाना है। हमारी ग्लोबल पोजिशन जो जीडीपी पर केपिटा, लाइफ एक्सपेंडेंसी, लिटरेसी रेट, इन सब पर निर्भर करती है। उसमें हम 132वें स्थान पर हैं। इजिप्ट हमसे आगे है, वियतनाम हमसे आगे है इंडोनेशिया हमसे आगे है, श्रीलंका हमसे आगे है, थाईलैंड हमसे आगे है, ब्राजील हमसे आगे है और रूस तथा पोलैंड तो हमसे कहीं आगे हैं। टर्की भी हमसे आगे है। हम 132वें स्थान पर हैं, जबकि ग्रास इंरोलमेंट के हिसाब से हम 134वें स्थान पर हैं। ये जो ग्रास इंरोलमेंट रेशो है, यह विचारणीय बात है। इसके लिए नीचे से ऊपर तक बहुत सुव्यवस्थित प्रबंध करने होंगे। अगर ये नहीं किए तो हमें बहुत दिक्कत आएगी। इस दृष्टि से शिक्षा पर होने वाला खर्च जब तक आप छः प्रतिशत कम से कम पब्लिक तथा प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर नौ प्रतिशत तक नहीं ले जाने की कोशिश करेंगे, तब तक यह काम कठिन होगा। हम इस मामले में आपकी मदद करने को तैयार हैं। अगर आप छः प्रतिशत जीडीपी का शिक्षा में लगाएंगे तो हम इसके लिए तैयार होंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों से, बाहर के कापिरिट हाउसेज से इसमें योगदान करने, परंतु पूर्ण व्यवस्था यहां से होगी, हम उनके हाथ में देने को तैयार नहीं हैं, लेकिन नौ प्रतिशत तक जीडीपी का शिक्षा में व्यय करने की तरफ आप बढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। वरना यह तीन प्रतिशत, 3.2 प्रतिशत या 3.4 प्रतिशत या चार प्रतिशत, इस पर ही अटका रहेगा। इसलिए इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। यह किसी एक सरकार के लिए, मैं सब सरकारों के लिए, सब पार्टियों के लिए कहता हूं कि ये बच्चे सारे देश के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं हैं। आज जो स्थिति हो रही है, अगर आपने शिक्षा व्यवस्था को रोजगार के साथ, इकोनामिक डवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ा।

मुझे खतरा है, जैसे आज सुबह कहा जा रहा था कि अकाल की वजह से देश में भूकम्प आयेगा। अकाल से आप किसी तरह से निपट लेंगे, लेकिन इससे एक ऐसा भूकम्प आयेगा, जिसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। अगर बी.ए., एम.ए. पास लोग, जो एजुकेटिड तो हैं, लेकिन उनके पास एम्प्लायमेंट नहीं है, उनके आगे आने की स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति में वह हाथ में बंदूक ले लेता है। इस

और ध्यान देने की जरूरत है। इससे अपराध बढ़ते हैं, सामाजिक तनाव बढ़ते हैं, खाईयां बढ़ती हैं। हां, यह बात जरूर है कि वकील साहबान के लिए कुछ ज्यादा अच्छे अवसर उपस्थित होते होंगे, क्योंकि जब क्राइम बढ़ता है तो उसका एक लाभ उधर हो जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि सारी स्थिति पर व्यापक दृष्टि से विचार करना चाहिए। आपकी ग्रांट्स के बारे में जितनी बातें होती हैं, यह चर्चा केवल उसी के लिए नहीं है। आप एक दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लोगों से मिलें, कोई जिद न करें कि यही करना है, जो कमेटी ने कह दिया, वही अंतिम बात है। गांव, माध्यमिक शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, हायर एजुकेशन, रिसर्च, इन सारी चीजों का बहुत बड़ा व्यापक फलक है। पूरे देश में उसका प्रबंध करना है।

मुझे कल्चर, स्पोर्ट्स और वूमेन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट मंत्रालय संभालने का भी मौका मिला, इसलिए मैं जानता हूं कि ये एक बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर आप कोशिश करें, जैसा कि हमने की थी और हम फंडामेंटल राइट्स भी दे सके, सर्वशिक्षा-अभियान भी चला सके, ट्रिपल आईआईटीज भी खोल सके, एक नयी आईआईटी भी बना सके, 17 नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी बना सके थे, तीन गुना इनटेक हमने इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6 साल में करके दिखाई थी। इंजीनियरिंग में और बाकी में दुगुने से अधिक स्थान थे और वहां कोई हड़ताल प्रवेश को लेकर नहीं हुई।

अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर इक्वैलिटी लानी है तो शैड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी के न केवल छात्र बल्कि उनके अध्यापकों को भी काम करने का मौका मिलना चाहिए। यह बताया गया है कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां कंडिडेट्स उपलब्ध हैं लेकिन वहां भी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। ऐसे-ऐसे तथ्य हैं जो आपके सामने लाए जा सकते हैं। मेरा अनुरोध होगा कि आप इन सारी बातों पर गहराई से विचार करें।

जहां तक आपके आबंटन हैं, इन आबंटनों में शायद ही किसी को कोई विरोध होगा, सर्वशिक्षा-अभियान आगे बढ़े, मिड-डे मील आगे बढ़े, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, इसको आप और आगे बढ़ाइये, इन्हें और आगे ले जाने की जरूरत है। नये केन्द्रीय विद्यालय खोलिये, त्रिवेदय विद्यालय खोलिये, आईसीडीएस खूब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, यह सोचकर करें। अगर उसका लक्ष्य गलत है, अगर लक्ष्य केवल पॉलिटिकल है तो सब धरा रह जाएगा। अगर लक्ष्य सीरियस और सिन्सेयर है और देश को शिक्षा की दृष्टि से उतना ही महान बनाना है, जैसा हम कभी नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के रूप से जाने जाते

थे, उस समय हमारी स्किल्स का भी कोई जवाब नहीं था। हमारे देश में इतनी सारी स्किल्स थीं। मैं आपसे कहूंगा कि इस ओर आप पूरा ध्यान दें, माडल्स बनाएं। मगर यह न हो, जैसा कि पिछली सरकार ने और पिछले मंत्री महोदय ने बहुत सारी साम्प्रदायिक चीजें शिक्षा में डाल दीं, शिक्षा को उससे मुक्त करें। शिक्षा में साम्प्रदायिकता लाना बहुत बड़ा जहर है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप विश्वविद्यालयों को कैम्पस खोलने की अनुमति दे रहे हैं तो आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय को सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में कैम्पस खोलने की अनुमति क्यों दे रहे हैं, अगर उनके पास टेलेंट है तो उन्हें और जगह भी जाना चाहिए। बीएचयू को आगे आने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैम्पस क्यों नहीं खुलवा रहे हैं? आप खुलवाइये, मुझे आपत्ति नहीं है, अगर इस बारे में सरकार में आम सहमति हो जाए कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कैम्पस बाहर खुल सकते हैं। जरूर खुलवाइये, लेकिन यह दृष्टि नहीं रहनी चाहिए कि चूंकि वह अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय कहलाता है, इसलिए उसके कैम्पस सिर्फ वहीं खुलेंगे। यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है, यह दृष्टिकोण विभाजक दृष्टिकोण है। शिक्षा को साम्प्रदायिकता से मुक्त कीजिए, शिक्षा को आर्थिक विभेद से मुक्त कीजिए और शिक्षा को भारत की जमीन से जोड़िये और एक लक्ष्य रखिये कि भारत का कोई बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि वह भूखा भी न रहे और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। यह सभी चीजें शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर सही शिक्षा देनी है तो एक इंटीग्रेटेड-कंप्रीहेंसिव प्लान की जरूरत है। आप उसको लेकर आइये, हम उसमें सुझाव देंगे और जहां हमें लगेगा कि बिल्कुल ठीक है वहां हम मदद भी करेंगे।

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र देव (आरकु) : सभापति महोदय, धन्यवाद।

सर्वप्रथम मैं प्रतिष्ठित शिक्षाविद; डॉ. मुरली मनोहर जोशी को उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। डॉ. जोशी से मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि जहां तक शिक्षा और मानव संसाधन विकास का संबंध है, यह हमारे या उनके दल की समस्या नहीं है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और मैं निश्चित रूप से उनकी इस भावना की कद्र करता हूं कि राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए इस समस्या पर विचार करना चाहिए।

मुझे नहीं लगता कि किसी को इस तथ्य पर विवाद है शिक्षा का उद्देश्य मात्र अथोन्मुखी या परिणामोन्मुखी नहीं होना चाहिए अपितु शिक्षा को व्यक्तित्व का विकास करने मानवता का विकास करने और

[श्री वी. किशोर चन्द्र देव]

उन मूल्यों का विकास करने और ऐसे गुणों का आत्मसात करने के लिए इसकी समग्रता के रूप में देखा जाना चाहिए जिन्हें हमने अनेक वर्षों से नहीं वरन् सदियों से अपने पूर्वजों से ग्रहण किया है।

डॉ. जोशी ने आध्यात्मिक विकास का उल्लेख किया है। यह ठीक है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक विकास तो होना चाहिए लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम मेरी अपनी सोच के अनुसार यह जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक विकास, धार्मिक विकास हो। धर्म को आध्यात्मिकता से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिकता इन सभी संकीर्ण मानदंडों से ऊपर है और मैं निश्चित रूप से इस भावना की सराहना करता हूँ। लेकिन मैं वास्तव में चाहूंगा कि धर्म और अध्यात्म में अंतर हो और इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि देशवासी ऐसा सोचें कि आध्यात्मिकता, हिंदुत्व या इस्लाम या किसी अन्य धर्म से जुड़ी हुई नहीं है।

महोदय, डॉ. जोशी के मुख से यह सुनना बहुत ही संतोष की बात है कि शिक्षा का भगवाकरण नहीं होना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ और आपने इस सम्मानीय सभा में यह बात कही जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी) : कृपया यहां राजनीति मत कीजिए।

श्री वी. किशोर चन्द्र देव : यह बिल्कुल राजनीति नहीं है। यदि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ लेकिन आपने ऐसा कहा है, मैं तो बस आपको बधाई दे रहा हूँ। मैं यह बात राजनीतिक दृष्टि या राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपने जो कुछ कहा मैं तहेदिल से उसकी सराहना कर रहा हूँ। ये आपके व्यक्तिगत विचार हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ।

जैसाकि उन्होंने पूर्व में उल्लेख किया है, मैं आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा था। मैंने वर्ष 2008 के यूएनडीटीपी द्वारा किए अद्यतन सांख्यिकीय आंकड़ों का भी अध्ययन किया। उसमें बताया गया है कि भारत, मानव विकास सूचकांक में 132 पायदान पर है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि यह आंकड़ा हमारे प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद रैंक, जोकि 126 है, से भी कम है और इसका एकमात्र कारण शिक्षा में हमारी रैंकिंग का कम होना है। इसलिए,

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शिक्षा को किसी न किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है और आज की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी सभा इस विशेष मुद्दे पर एकजुट होगी। राष्ट्रपति महोदय ने बजट सत्र प्रारंभ होने से पूर्व केन्द्रीय पक्ष में दोनों सभाओं के सम्मुख दिए गए अपने अभिभाषण में कहा था:

“विनियामक संस्थाओं में सुधार लाने हेतु राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और उच्च शिक्षा के लिए यशपाल समिति द्वारा संस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया जाएगा।”

डॉ. जोशी ने यशपाल समिति रिपोर्ट के बारे में अपने विचारों को विस्तार से व्यक्त किया है। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता या उनसे कोई विवाद नहीं कर रहा हूँ। यहां अनेक समितियां हैं और यह एक अनवरत प्रक्रिया है। इसी क्रम में यह नई समितियों में एक नई समिति है जिसने अपनी सिफारिशें दी हैं। सरकार ने इस विशेष सिफारिश को स्वीकार किया जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा भी की गई थी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख ही इस तथ्य को इंगित करता है कि सं.प्र.ग. सरकार देश में शिक्षा के विकास को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। मुझे आशा है इस बात की प्रशंसा वे सब लोग जरूर करेंगे जो यह विश्वास करते हैं कि इस क्षेत्र को वरीयता दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय इस वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा था कि वे देश में महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज देने जा रहे हैं। सामान्य बजट से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आवश्यक अनुदान प्रदान किए गए हैं। अब इसको आगे बढ़ाने का दायित्व संबंधित माननीय मंत्री का है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा था कि वे देश भर में एक समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहते हैं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से इसका पक्षधर हूँ। मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा। यह एक आदर्श स्थिति है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। परंतु शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और विभिन्न राज्यों के अपने अलग-अलग बोर्ड हैं। इसलिए यह एक दुष्कर कार्य होगा परंतु यदि माननीय मंत्री जी उन्हें मना सकें तथा एक समान पाठ्यक्रम लागू कर सकें तो मैं उन व्यक्तियों में से हूंगा जो कि बेहद प्रसन्न होंगे क्योंकि शिक्षा के मानकीकरण की आवश्यकता है।

महोदय डॉ. जोशी ने हमारी विविधता की बात की है। हां, हमारा राष्ट्र विविधताओं से युक्त है। हम हमेशा अनेकता में एकता की बात करते हैं और इस पर गर्व करते हैं। एक दल के रूप में हमने कभी भी पूरे देश में संपूर्ण एकसमानता की बात नहीं की क्योंकि हमारा राष्ट्र उपराष्ट्रीयता वाला राष्ट्र है। परंतु विषम स्थितियों में हम सब एकजुट हो जाते हैं। परंतु जब हम इस सीमारेखा से आगे बढ़कर जब हम देश भर की एकता की बात करते हैं तो हम अपने लिए समस्या को आमंत्रित करते हैं। कुछ पाठ्यक्रमों और विषयों में हम एकरूपता स्थापित कर सकते हैं। परंतु संस्कृति और विरासत जो कि एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से और एक राज्य की दूसरे राज्य से भिन्न हो सकती है जैसे पहलुओं की रक्षा की जानी चाहिए। जहां तक इन पहलुओं का संबंध है संबंधित राज्यों को यह देखने के लिए कदम उठते हुए अपनी वरीयताएं तय करनी चाहिए कि उनके राज्य के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते समय उनकी संस्कृति और विरासत को ध्यान में रखा जाना चाहिए और व किसी भी प्रकार उस ज्ञान से वंचित न रह पाएं जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है।

डॉ. जोशी ने विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों और अध्यापकों आदि के नामनिर्देशन के बारे में विस्तार से बताया है परंतु मैं एक मूलभूत बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो शिक्षा प्रणाली के बारे में है। यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और ऐसा देखा जा रहा है कि विशेषकर माध्यमिक स्तर पर हमारे विद्यार्थियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आज प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गयी है। विद्यार्थियों को काफी रटना पड़ता है। कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या आज हमारी शिक्षा प्रणाली इस रूप में विकसित हो चुकी है जिसमें हम विद्यार्थियों की स्मरण करने की क्षमता की जांच कर रहे हैं या उसकी आन्तरिक बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रहे हैं। यह एक दिन का कार्य है। हम सभी के अच्छे-बुरे दिन आते हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या किसी विद्यार्थी की योग्यता मापने का यही आदर्श तरीका है या नहीं। माता-पिता को इस कारण कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछली लोक सभा जिसमें कि आप भी एक सदस्य थे; के दौरान इस सदन में कृषकों द्वारा आत्महत्या करने के मामले पर कई बार चर्चा की गई थी। मैं सोचता हूं वो दिन बेहद दुखद होगा और मैं आशा करता हूं कि ऐसा दिन कभी न आए जब हमें इस सदन में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करने संबंधी मुद्दे पर चर्चा करनी पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल के वर्षों में इस रुझान में वृद्धि हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि हमें एकजुट होकर नई शिक्षा प्रणाली तैयार करनी होगी जिससे कि विद्यार्थियों को इस दबाव से मुक्ति मिल सके। मेरे विचार से इस संबंध में एक सतत् मूल्यांकन प्रणाली सहायता कर सकती है।

कई पश्चिमी राष्ट्रों में सेमेस्टर प्रणाली को अपनाया गया है। हमने भी कई संस्थानों में सेमेस्टर प्रणाली को अपनाया है परंतु मेरा मानना है कि इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इस दबाव से राहत पा सकें और विद्यार्थियों का वास्तविक मूल्यांकन उनके मूल और अन्तर्भूत बुद्धिमत्ता के आधार पर किया जा सके। तदनुसार, आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए।

महोदय, डॉ. जोशी ने निकटवर्ती विद्यालयों और अध्यापकों की कमी के बारे में कहा। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक चिंता का विषय है। परंतु वास्तविकता यह है कि विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्यामितीय अनुक्रम में बढ़ रही है जबकि विद्यालयों की संख्या अंकगणितीय रूप से बढ़ रही है। आप इस स्थिति से किस प्रकार निपट पाएंगे? यह एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ओर तो आप यह कहते हैं कि हमें और ज्यादा विद्यालय खोलने चाहिए और इस बात पर मैं आपसे पूर्ण सहमत भी हूं परंतु साथ ही साथ आप यह भी कहते हैं कि आपके पास अध्यापक नहीं हैं। इसलिए इस दिशा में कुछ करना ही होगा। इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर मैं नहीं जानता। हमें अच्छे और अधिक संख्या में अध्यापकों की आवश्यकता है परंतु हमें और विद्यालयों की स्थापना पर रोक नहीं लगानी चाहिए। महोदय आप भी इस तथ्य की प्रशंसा करेंगे। कि सरकार सभी को शिक्षा मुहैया कराने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती। इसी वजह से निजी संस्थाएं एवं विद्यालय अस्तित्व में आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सभी विद्यालय उच्च वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बने विद्यालय ही हों परंतु कुछ परिस्थितियों में ऐसा वास्तव में हुआ है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं करती कि जहां भी ऐसे संस्थान अस्तित्व में हैं उनको पूर्ण रूप से विशिष्ट विद्यालय बनाए बगैर इन विद्यालयों में समान अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

संविधान में एक नया अनुच्छेद 21(क) अंतःस्थापित किया गया है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि सभी को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाए। परंतु इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है जिससे यह देखा जा सके कि क्या इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है या नहीं। हालांकि इस अनुच्छेद को हमारे संविधान में अंतःस्थापित किया गया है परंतु इसे अब तक इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। हमारे माननीय मंत्री एक कानून विशेषज्ञ भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे कि संविधान के उस अनुच्छेद विशेष के अंतर्गत प्रावधानों को कारगर रूप से लागू किए जाएंगे ताकि हमारे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।

[श्री वी. किशोर चन्द्र देव]

महोदय, छात्रवृत्तियों और सामाजिक सुरक्षा का भी प्रस्ताव है या जिसे अंततः स्मार्ट कार्ड के रूप में परिणीत किया जा सकेगा। मंत्री जी के भाषण में कहीं इस बात का उल्लेख किया गया है। अब, चूंकि हम बहुप्रयोज्य फोटो पहचान पत्र के बारे में सोच रहे हैं और इस प्रयोजनार्थ एक आयोग भी गठित किया गया है तो कई कार्ड रखने की बजाय उस बहुप्रयोज्य पहचान पत्र में इस पहलू को भी शामिल करने का विचार बुरा नहीं होगा। आपके एक ही कार्ड रखना होगा जिसमें इस पहलू को भी शामिल कर दिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय इस पर गौर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जब भी यह प्रक्रिया चलेगी तो इस पहलू को शामिल किया जा सकता है।

महोदय, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से वैश्विक शिक्षा भी एक थी। आपके पर्यावरण की सतृप्ता के विषय में काफी सारी बात रखी हैं। ये सब बातें अपने बच्चों के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि पर्यावरण एक बेहद नाजुक पहलू बनता जा रहा है। हम सब देख रहे हैं कि वैश्विक तापन बढ़ता जा रहा है। आज सुबह ही हमने इस सदन में देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ के बारे में चर्चा की है।

मेरा विचार है कि यह सब पर्यावरणीय असंतुलन अथवा दशकों से मानवता और प्रकृति पर किए जा रहे प्रहार का परिणाम है। मेरा विचार है कि छात्रों को इन विभिन्न पहलुओं के बारे में प्राथमिक स्कूल स्तर से ही जागरूक और शिक्षित जाने किए की आवश्यकता है ताकि जब वे बड़े हो जाएंगे तो वे निश्चित तौर पर समझेंगे और जानेंगे कि यह उनका भी उत्तरदायित्व है।

यह अधिक अंक प्राप्त करने या अच्छी नौकरी प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है। निसंदेह वे भी महत्वपूर्ण हैं। परंतु साथ ही साथ, यह देखना भी अत्यावश्यक है कि हमारी भावी पीढ़ी हमारी संस्कृति तथा विरासत को भूल न जाए। निसंदेह अब संस्कृति एक पृथक मंत्रालय के अंतर्गत है। परंतु यह बहुत घनिष्ट रूप से हमारी शिक्षा से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। यह इस प्रकार अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं कि आप वास्तव में संस्कृति को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हम अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं तो यह एक पहलू है जिसका ध्यान पाठ्यचर्या तैयार करते समय हमें रखना चाहिए।

जहां तक विदेशी विश्वविद्यालयों तथा सहयोग का संबंध है, यह विधेयक अभी संसद के समक्ष रखा जाना है। मैं नहीं जानता कि वास्तव में विधेयक में क्या प्रावधान होंगे। परंतु मुझे ऐसे किसी ज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, सहजता आदि प्राप्त करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करने में कोई बुराई नजर नहीं आती जो हमारे पास नहीं है। मुझे यह विश्वास है कि इससे हम उन्हें अपनी संस्कृति विरासत अथवा अपने विश्वविद्यालयों पर हावी होने या मौका नहीं मिलेगा। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय का वास्तव में यह अभिप्राय नहीं है पर उनका इससे क्या अभिप्राय है।... (व्यवधान) मैं भी डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी के विचारों से सहमत हूँ।

वास्तव में, अब आप इंटरनेट में जाते हैं। कभी-कभी जब बच्चों को किसी विशेष विद्यालय या कालेज में प्रवेश नहीं मिलता है तो आप इंटरनेट से देखते हैं कि वे विदेशों में विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करते हैं। मेरा विचार है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को सहयोग हेतु आमंत्रित करने से अधिक अवसरों का सृजन होगा। इस प्रकार का जो व्यापार चल रहा है हम उसे भी कम करेंगे इनमें से अनेक छात्र तो इन विश्वविद्यालयों में गए तक नहीं हैं। पता नहीं वे परीक्षा कैसे देते हैं। शायद वे इसे ईमेल या इंटरनेट के माध्यम से देते होंगे। निसंदेह, आपको इसके लिए मोटी रकम चुकानी होती है। अंततः इस डिग्री, डिप्लोमा की कोई कीमत नहीं होती है। परंतु हमारे आईआईटी और आईआईएम ने सर्वोत्तम छात्र तैयार किए हैं। इन संस्थानों के छात्रों की तुलना हमारे देश के मानकों बल्कि वैश्विक स्तर पर भी की जा सकती है।

मेरे विचार से एक अन्य अत्यंत उत्कृष्ट विचार जिसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में है वह ग्यारहवीं योजना में नवीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किए जाने वाले चौदह विश्वविद्यालयों में संपूर्ण विश्व से प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए 'ब्रेन गेन' नीति का विकास करने के संबंध में थी। मेरे विचार से अब हमें यह देखने के लिए अधिक मेहनत से काम करना चाहिए कि हमारे देश के बाहर मौजूद इस शक्ति को यहां वापिस लाया जाना चाहिए तथा हमारे देश में अनुसंधान हेतु छात्रों को शिक्षित करने के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए जिसके लिए हमें सुविधाओं की आवश्यकता होगी और हमें उनका सृजन करना होगा। मैं नहीं समझता कि उनके बारे में कोई दो राय हैं।

सरकार ने कुछ नवोदय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है जिसके बारे में डॉ. जोशी बात कर रहे थे। मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था जिसके अनुसार उनमें से दस अनुसूचित जाति बहुत जिलों में स्थापित

किए जायेंगे और दस अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में स्थापित किए जायेंगे। मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा कि जब आप उन्हें ऐसे जिलों में स्थापित करते हैं जहां अनुसूचित जनजातियां अनुसूचित जाति के लोग बहुलता में हैं तो इससे पूर्ण रूप से उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए, जहां तक अनुसूचित जनजाति का संबंध है, वे एक ही अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित होने चाहिए। एक जिला है जहां अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र जिला मुख्यालय से तीन या चार घंटे की दूरी पर स्थित हैं। उस जिले में आपको जनजातीय जनसंख्या मिल सकती है और अन्य जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या हो सकती है। अगर आप इन संस्थानों को ऐसे स्थान पर स्थापित करें वे उस स्थान से काफी दूर स्थित हों जहां उनकी बहुलता है, तो इससे वास्तव में उद्देश्य पूरा नहीं होता। जहां तक इन संस्थानों का संबंध है मैं चाहता हूं कि अधिक नवोदय विद्यालय खोले जायें।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : नवोदय विद्यालय उस जिले के सबसे पिछड़े ब्लॉक में स्थित हैं। आज यह स्कीम है... (व्यवधान)

श्री वी. किशोर चन्द्र देव : यह बिल्कुल सच है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सर्वशिक्षा अभियान के बारे में माननीय मंत्री से अपील करना चाहूंगा। जनजातीय क्षेत्रों में इन स्कूल के भवनों के निर्माण के संबंध में अनेक कठिनाईयां और समस्याएं हैं। सामान्यतः, मेरे विचार से बरामदे सहित एक कमरा, जिसे एक इकाई कहा जाता है, के लिए लगभग 3 लाख रुपये दिये जाते हैं। परंतु जनजातीय क्षेत्रों में जोकि पहाड़ी क्षेत्र है जहां संचार की समस्या है, जहां श्रम की लागत अधिक है, जहां यातायात की लागत अधिक है, समग्र लागत अधिक है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में स्थित सर्वशिक्षा अभियान में विद्यालय के भवनों हेतु इस अनुदान में वृद्धि करें।

महोदय, मुझे याद है कि इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के लिए भी जब जनजातीय क्षेत्रों में एक इकाई के लिए 35000/- दिए गए थे, इसमें 3,520/- रुपये तक की वृद्धि की गई थी। इसी प्रकार, पर्याप्त धनराशि के अभाव में, इनमें से अनेक विद्यालय बिना भवन के चल रहे हैं। अनेक वार्डों तथा छात्रों के पास उपयुक्त आवास नहीं है।

जहां तक मध्याह्न भोजन का संबंध है, जब वर्षा होती है या भीषण गर्मियों में, कभी-कभी बड़ी कठिनाई होती है चूंकि इनमें से अनेक आश्रम, विद्यालयों या जनजातीय छात्रावासों में बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना देने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था नहीं है। उन

सभी को एक छोटे से बरामदे या कमरों में ठूस दिया जाता है जहां वे रह रहे होते हैं। इसलिए, मेरा विचार है कि अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों तथा आश्रम विद्यालयों तथा विशेषरूप से अनुसूचित जाति समुदाय के लिए बनाए गए विद्यालयों तथा संस्थानों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत है?

श्री वी. किशोर चन्द्र देव : जी हां, महोदय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय आईटीडीएस को धनराशि प्रदान करता है। वे इसे कार्यान्वित करते हैं परंतु पैसा यहां से जाता है।

सभापति महोदय : आपका धन्यवाद।

श्री वी. किशोर चन्द्र देव : महोदय, भाग्यवश या दुर्भाग्यवश आप मानव संसाधन मंत्रालय को पृथक रूप से नहीं देख सकते हैं। यह अन्य अनेक मंत्रालयों से जुड़ा हुआ है।

इसलिए मेरी इच्छा है कि माननीय मंत्री एक प्रकार की समिति बनाएं तथा अपने कुछ नौकरशाहों को अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ संपर्क में रहने को कहें। यह न केवल यह भी देखने के लिए कि इन विभिन्न मंत्रालयों तथा उन क्षेत्रों में जहां उन्हें समन्वय करना है, के बीच समन्वय हो वरन सतर्कता के लिए भी जरूरी है, आखिरकार, उन्हें अनेक अन्य पहलुओं से निपटना है।

स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय है। स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। लेकिन साथ ही, जब तक राष्ट्र के स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता; स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार नहीं होगा—यदि बच्चे बीमार हैं — तो वे किस प्रकार स्कूल जाएंगे और अध्ययन करेंगे?

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कई आदिवासी क्षेत्रों में आज भी तथा इस युग में भी एंथ्रेक्स के चलते मौतें होती हैं। यह अन्य किसी स्थान पर सुना भी नहीं जाता है। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां मलेरिया की स्थिति बनी हुई है। पेयजल सुविधाएं नहीं हैं। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पेयजल उपलब्ध कराने की आशा नहीं करता हूं। तथापि यह अत्यावश्यक है। आप बच्चों से स्कूल में घंटों बैठने की आशा कैसे कर सकते हैं, विशेषरूप से गर्मी के महीनों में, यदि पीने के लिए पेयजल ही नहीं हो? अतएव, ये सब चीजें हैं जिन पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। काफी ज्यादा समन्वय तथा धैर्य

[श्री वी. किशोर चन्द्र देव]

की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि सरकार के पास इच्छाशक्ति है तथा माननीय मंत्री के पास आगे बढ़ने तथा देखने के लिए धैर्य है कि वे यह सब कर सकें जो हम सभी चाहते हैं।

जहां तक महिला साक्षरता का संबंध है, मेरा सुझाव है कि स्वयं सहायता समूहों को महिलाओं की शिक्षा के साथ जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि वे काफी काम कर रहे हैं। वे दुर्गम क्षेत्र में महिलाओं के साथ निकट संपर्क बनाए हुए होते हैं। मेरे विचार से इस विशेष उद्देश्य के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है।

यह ठीक है कि सरकार पूरी जनसंख्या के लिए शिक्षा की मांग को पूरा नहीं कर सकती है। मेरे विचार से माननीय मंत्री मुझसे सहमत होंगे। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ तथा मेरे विचार से सदन का कोई व्यक्ति इस तथ्य से असहमत नहीं होगा कि उनका पूरी तरह व्यवसायीकरण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कहां पर रेखा खींची जानी है तथा यह किस प्रकार किया जाना है, इसके बारे में हम सभी को मिलकर विचार करना होगा। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ मूलभूत दिशानिर्देश लाने होंगे ताकि एक बिंदु के आगे ऐसा न हो।

अधिकतर इन योजनाओं की निगरानी, कि क्या हो रहा है की आवश्यकता के लिए भी यह आवश्यक है। यहां, जहां आप नीति दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं; आप निदेश देते हैं। केन्द्र सरकार भी अपने ओर से कुछ शुरुआत करती है। लेकिन हमारा संघीय ढांचा है। राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। जैसाकि आपने कहा राज्य सरकारों पर सारी जिम्मेवारी डालना बुद्धिमानी नहीं है, तथापि राज्य सरकारों की भी जिम्मेवारी है जिससे, मेरे विचार से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है क्योंकि यहां, यदि हम एक बिंदु से आगे बढ़ें तो बवंडर मच जाएगा। कल आप यह कहेंगे कि केन्द्र सरकार निरंकुश तरीके से व्यवहार कर रही है, मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है तथा अन्य बातें कहीं जाएंगी। इसके आगे, राज्य सरकार भी इस उत्तरदायित्व को नहीं छोड़ सकती है। विशेषरूप से, शिक्षा जैसे क्षेत्र में जहां अधिकांश स्कूल-प्राथमिक तथा माध्यमिक वास्तविक रूप से राज्यों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं—चाहे जो भी सरकार उन राज्यों में सत्ता में हो।

आपने राजनीति के गैर-सांप्रदायिकीकरण के विषय में कहा। हममें से कोई भी राजनीति का सांप्रदायिकीकरण नहीं चाहता है। लेकिन यह एकतरफा नहीं हो सकता है। जब हम वहां बैठते हैं, हम आप पर

आरोप लगाएंगे, जब आप वहां बैठते हैं, आप हम पर आरोप लगाएंगे। अतएव, ऐसा नहीं हो सकता है। आखिरकार, इतिहास तथा हमारी धरोहर तथ्य हैं। वे तथ्य हैं तथा तथ्यों को किसी के द्वारा तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता है तथा ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है, तो इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

आपने पूछा अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय क्यों होना चाहिए? तो बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय क्यों होना चाहिए?... (व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि जब आप उन्हें अपना कैंपस खोलने की अनुमति दे रहे हैं तो आप उन्हें केवल मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों में अनुमति क्यों दे रहे हैं? उने अपने कैंपस खोलने की अनुमति जहां भी उन्हें पसंद, होनी चाहिए।

श्री वी. किशोर चन्द्र देव : यदि वे अन्य किसी स्थान पर खोलना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी अनुमति होनी चाहिए... (व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : हां, उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

श्री वी. किशोर चन्द्र देव : निश्चित रूप से। लेकिन स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र में खोलना चाहेंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा लाभ होगा। हमारे पास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। अन्य कई संस्थाएं भी हैं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बहुसंख्यक हिंदू विश्वविद्यालय नहीं है। यह विश्वविद्यालय सबके लिए खुला है। अधिनियम में इसे अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय या बहुसंख्यक विश्वविद्यालय की नामावली प्राप्त नहीं है।

श्री वी. किशोर चन्द्र देव : अतएव, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरे विचार से, यह उचित बहस नहीं है। मैं इन पहलुओं में जाकर समूची बहस को हल्का नहीं करना चाहता हूँ जो मेरे विचार से वास्तव में अपवाद हैं। ये वास्तव में अपवाद हैं जिन्हें आपको ठीक करना पड़ेगा तथा देखना पड़ेगा कि भविष्य में ऐसी विकृतियां फिर पैदा न हों। मेरे विचार से, उसके लिए, प्रत्येक को सहयोग करना होगा।

महोदय, केवल एक प्रश्न है जो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा तथा जो मैं समझ नहीं सका। जब मैं अनुदानों की मांगों को देख रहा था तो मैंने पाया कि प्राथमिक शिक्षा की मांगों को कम कर

दिया गया है। वर्ष 2007-08 या 2008-09 में बजट अनुमान 50 करोड़ रुपए था लेकिन यह कम हो गया। संशोधित अनुमान 10 करोड़ रुपए हो गया। इस वर्ष, मेरे विचार से, आपने केवल 0.1 करोड़ रुपयों की मांग की है। इसे मैं नहीं समझ पाया। मुझे विश्वास है कि किसी कारण के चलते आपने ऐसा किया होगा। हो सकता है, आपने इस शीर्ष के अंतर्गत मांगों को शामिल कर लिया होगा। हो सकता है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऐसा हुआ हो। लेकिन मैं आपसे इस पहलू पर स्पष्टीकरण चाहूंगा क्योंकि निश्चित रूप से मुझे चिंता है। मैं महसूस करता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा के लिए आबंटित पैसों को उस हद तक कम कर दिया गया है। मेरा विश्वास है कि ऐसा नहीं है। अवश्य कोई अन्य तकनीकी कारण है, मेरा विश्वास है कि आप बताएंगे।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मेरी समझ से आप प्राथमिक पूर्व शिक्षा की बात कर रहे हैं और यह प्राथमिक शिक्षा के लिए नहीं है। प्राथमिक शिक्षा बजट में बढ़ोतरी हुई है।

श्री वी. किशोर चन्द्र देव : अनुदानों की मांगों में प्राथमिक शिक्षा हेतु एक कालिम होता है। मैं आश्वस्त हूँ कि मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करेंगे।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह सिफारिश करता हूँ कि ये मांगें स्वीकृत की जाएं तथा मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार को बधाई देता हूँ कि वे जनता को किए गए हमारे वादे पर कायम रहे। मैं आश्वस्त हूँ कि पूरी सभा इस परिस्थिति में सहयोग करेगी।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2009-10 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अच्छा हुआ कि कपिल सिब्बल साहब यहां आ गए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हम यह सोच रहे थे कि आप यहां नहीं रहेंगे।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके बोलने के लिए दस मिनट का टाइम है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, हम दस मिनट में क्या बोल पाएंगे?

सभापति महोदय : दस मिनट में आप बहुत बोल लेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, आजादी के 62 वर्ष के बाद शिक्षा में सुधार के लिए हम लोगों ने बहुत से आयोग और कमेटियां बनाईं — जैसे राधाकृष्णन आयोग, नरेन्द्र देव आयोग, कोठारी आयोग, राममूर्ति आयोग, यशपाल समिति ज्ञान आयोग आदि तमाम आयोग बनाए, लेकिन आज देश की आधी आबादी 25 वर्ष से कम लोगों की है, जो सीधी शिक्षा जगत से जुड़ी है। इस बजट में हमने 36 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। अगर हम यशपाल समिति की रिपोर्ट पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि इसमें ऐसे-ऐसे बिन्दु दिए गए हैं, जिस तरह एक बर्रे के छत्ते में अगर हाथ लगा दीजिए, उसी प्रकार की बात उसमें है।

दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में आजादी के 62 वर्ष बाद भी करीब 35 परसेंट लोग निरक्षर हैं, जिन्हें हमें शिक्षा देनी है। खास कर कमजोर आय वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चे उच्च शिक्षा से महारूम हो जाते हैं। अर्जुन गुप्ता जी ने अपनी कमेटी की सिफारिश में कहा है कि देश के अंदर 83 करोड़ 65 लाख लोग ऐसे हैं, जो रोजाना 20 रुपए से कम आय के हैं। ऐसी स्थिति में कमजोर आय वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को हम उच्च शिक्षा कैसे दे सकते हैं, यह एक सोचने योग्य विषय है और सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इस बजट में पिछली बार भी घोषणा की गई थी कि देश के अंदर 16 नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। मेरे ख्याल से हर राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाएगा, जिसमें 827 करोड़ रुपए की आपने व्यवस्था की है। मैं चाहूंगा कि आपके जो पुराने विश्वविद्यालय राज्यों में हैं, उनकी स्थिति भी बहुत दयनीय है। मैं अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ आपका ध्यान बाद में आकर्षित करना चाहूंगा। दसवीं और 12वीं कक्षा में आज भी तीन करोड़ के करीब छात्र अध्ययन करते हैं और 40 लाख इंटर पास करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय की ओर अग्रसित होते हैं। लेकिन वे भी दर-दर भटकते हैं, उनके लिए शिक्षा एवं एडमिशन पाना बहुत मुश्किल है। आप समाचार-पत्रों में डेली पढ़ते होंगे, आप दिल्ली की ही स्थिति देख लीजिए, बहुत बदतर है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के 90 प्रतिशत से अधिक बच्चे स्कूल में आज भी एनरोल हैं। लेकिन उनकी तरफ सरकार ने बहुत व्यापक पैमाने पर इंतजाम किया है। उसमें हमें और भी गहराई से इंतजाम करना पड़ेगा, जिससे वे बच्चे पढ़ सकें, चूंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अगर प्राथमिक शिक्षा मजबूत होती है तो वही देश के भावी कर्णधार हैं, उन्हीं के कंधों पर देश का भविष्य है। सरकार

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

ने यह भी कहा है कि एक किलोमीटर के दायरे में स्कूल खोले जाएं। आज भी यहां तमाम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सप्ता और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बैठे हैं, आप ईमानदारी से बताएं कि बहुत सी जगहों पर एक किलोमीटर नहीं, बल्कि डेढ़-दो किलोमीटर एरिया में स्कूल नहीं है।

महोदय, यह व्यवस्था हमें करनी है। बजट में यह व्यवस्था भी की गई है कि 1000 नए पॉलीटेक्निक खोले जाएंगे। हर राज्य में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कही गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थिति से आप पहले से ही भली प्रकार अवगत हैं। अगर 10 से 12वीं कक्षा की खराबी के बारे में, उसकी बदइतजामी के बारे में देखा जाए, तो आपको पता लगेगा कि जो इनके एग्जाम्स होते हैं, उनमें बड़े पैमाने पर और व्यापक रूप से गड़बड़ियां होती हैं। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उनमें गड़बड़ियों की कोई इन्तिहा नहीं है। उनमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। 17 से 23 वर्ष की उम्र के जो लड़के और लड़कियां हैं, इसका असर उनके ऊपर दिखाई पड़ता है। आज भी 85 प्रतिशत छात्रों को हम उच्च शिक्षा प्राप्त कराने में असमर्थ हैं। उन्हें हम उच्च शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इस ओर भी हमें बड़ी गंभीरता से सोचना और देखना पड़ेगा।

महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को शुरू करने की बात इस बजट में कही है। हमारे सामने जो असली चुनौती है, वह माध्यमिक स्तर की शिक्षा की है। हमें माध्यमिक स्तर की शिक्षा देने के लिए अपने संसाधनों को दो गुना बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ कर पाएंगे। आज 3 करोड़ बच्चों का जो दबाव माध्यमिक शिक्षा पर आने वाला है, उस पर भी इस सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं, उनका इंतजाम हम कैसे करें। आज पूरे देश में माध्यमिक स्तर पर 72 हजार शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं, जिन्हें हम आज तक नहीं भर पाए हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि 3 करोड़ बच्चों का जो दबाव आपके ऊपर है, उसे आप कैसे पूरा कर पाएंगे, इसे भी आपको देखना होगा। आज भी पूरे देश के स्तर पर, निचली से लेकर उच्च शिक्षा तक अगर देखें, तो 2 लाख नए शिक्षकों की जरूरत है, तब जाकर शिक्षा का आधारभूत ढांचा पूरा हो पाएगा। दो गुने माध्यमिक विद्यालयों की भी जरूरत है। अगर इतने माध्यमिक विद्यालय खोल दिए जाएं, तो मेरे ख्याल से जो इस स्तर पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी स्थिति अच्छी हो सकती है।

महोदय, मंत्री जी ने ब्लॉक स्तर पर 6 हजार आदर्श विद्यालय खोलने के लिए बजट में 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं चाहूंगा कि ये विद्यालय कम से कम ग्राम स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर अगर खुल जाएं, तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। आपने 11वीं पंचवर्षीय योजना में लड़कियों के लिए 3 हजार 500 होस्टल्स खोलने की व्यवस्था की है। आज भी विश्वविद्यालयों में और तमाम ऐसी जगहों पर, ज्यादातर नवोदय विद्यालयों में जो होस्टल्स हैं, उनमें रहने वाले, बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। हम नए 3,500 होस्टल्स तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पुराने होस्टल्स हैं, चाहे नवोदय विद्यालयों के हों या उच्च शिक्षा संस्थानों के हों, वहां की स्थिति भी आज बहुत गंभीर है, उसे भी सुधारने की आवश्यकता है। इस पर भी हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आपने यह प्रावधान पिछले वर्ष के बजट में रखा था कि आप 60 करोड़ रुपये में 3,500 होस्टल्स खोलेंगे, लेकिन आप दो वर्ष में भी इस काम को पूरा नहीं कर पाए हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप उच्च शिक्षा को बेहतर करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें मंजिल अभी भी बहुत दूर दिखाई पड़ रही है। आपने उच्च शिक्षा में 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की बात कही है। मैं आपका ध्यान इस संबंध में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर दिलाना चाहता हूं, जो मिनी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहा जाता है। वहां के पढ़े हुए लोग तमाम राजनैतिक पदों, जैसे प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे हैं और आज भी तमाम वैज्ञानिक, आई.ए.एस. पी.सी.एस. अधिकारी हैं। आज वहां की स्थिति यह है कि उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले हुए साढ़े तीन वर्ष हो चुके हैं, लेकिन वह बहुत खराब स्थिति में है। वहां के लिए 52 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वहां तीन साल में अब तक केवल 26 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए हैं। वहां तमाम ऐसे मूलभूत ढांचे हैं, जो आज भी कमजोर हैं, जर्जर हैं। वहां हम नए पाठ्यक्रम नहीं दे पा रहे हैं। उस विश्वविद्यालय में 500 रीडर और प्रोफेसर्स की नियुक्ति होनी है, जिसे हम अभी तक नहीं कर पाए हैं।

जहां तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात है, वहां पर मैडीकल फैकल्टी नहीं है। यह बड़ी गंभीर बात है। जब वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है तो वहां पर मैडीकल फैकल्टी भी होनी चाहिए। पहले तो सरकार ने विश्वविद्यालय को मैडीकल फैकल्टी देने की बात कही, लेकिन कहीं न कहीं वर्तमान सरकार के दबाव में फिर उसे वापस करने की बात कही गई है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो मिनी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, उसमें मैडीकल

फैकल्टी दी जाये और वहां का जो मैडीकल कालेज है, उसको विश्वविद्यालय के अधीन किया जाये।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के लिए 10 मिनट का समय है। 10 मिनट तो आपने ही ले लिए और कैसे आपको टाइम देंगे?

श्री शैलेन्द्र कुमार : इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ और दूसरे हमारे साथी इसमें बोलेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी.के. बिजू (अलधूर) : सभापति महोदय, मैं केरल का हूँ जहां भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर है। हमारे देश में अधिकांश जनता गरीबी में गुजर-बसर करती है। अर्जुन सेनगुप्ता समिति ने यह उल्लेख किया है कि 80 प्रतिशत लोगों की आय 20 रु. प्रतिदिन से भी कम है। इसलिए इस वर्ग निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना ही उनके उत्थान का एकमात्र रास्ता है।

महोदय, मैं आपकी अनुमति से हमारे संविधान के अनुच्छेद 45, जिसमें बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है, को उद्धृत करना चाहूंगा। अनुच्छेद 45 में उल्लेख है कि:

“राज्य, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।”

परंतु, दुर्भाग्यवश, वित्त मंत्री जी का बजट प्रस्ताव भारत में नव उदारवादी सुधारों का घोषणा पत्र है। जिसे कांग्रेस देश में पिछले दो दशकों से बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार नव उदारवादी सुधारों को अपनाने से हाल ही में पड़ोसी देशों में हुए घटनाक्रमों से सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। इन देशों में अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गयी। परंतु हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नव उदारवादी एजेण्डा पुनः जारी रखा है।

बजट प्रस्तावों के अनुसार, अम्बानी, बिड़ला समिति प्रतिवेदन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग प्रतिवेदन और हाल ही के यशपाल समिति प्रतिवेदन के अनुसरण में शिक्षा क्षेत्र में सघन निजीकरण अभियान प्रस्तावित है। इन सभी प्रतिवेदनों में एक समान बात शिक्षा का वाणिज्यिकरण और निजीकरण करना है। इसलिए मुझे भय है कि यह सरकार सामाजिक क्षेत्रों विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने को इच्छुक नहीं है। वर्ष 2015 के अंत तक शिक्षा क्षेत्र में सरकार का व्यय वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद के

3.02 प्रतिशत से घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 1.85 प्रतिशत हो जाएगा। इस इरादे से, सरकार हमारे देश में पी.पी.पी. और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम पर व्यापक पैमाने पर निजीकरण करने का प्रस्ताव कर रही है।

सरकार अम्बानी - बिड़ला समिति प्रतिवेदन के प्रति इतनी अधिक दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? आप कोठारी समिति प्रतिवेदन को क्रियान्वित क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि कोठारी समिति का सिफारिशें अब प्रासंगिक नहीं रह गयी है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण कोठारी समिति प्रतिवेदन का मुख्य प्रस्ताव है। यह बात पिछली संलग्न सरकार द्वारा उनके न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल थी। यदि आप इस देश में गरीबों को शिक्षा प्रदान करने के प्रति वास्तव में जागरूक हैं तो आपको इस सिफारिश को अवश्य लागू करना चाहिए। इसके बजाय आप औद्योगिक घरानों की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की सोच रहे हैं जो कि मात्र धनी लोगों के हितों की रक्षा करेगी।

आप दावा करते हैं कि यह बजट गरीब लोगों और आम आदमी के लिए है। बजट ने उनको क्या दिया? हमारे संविधान के अनुच्छेद 21क के माध्यम से, शिक्षा का अधिकार वर्ष 2002 में मौलिक अधिकार बन गया है। परंतु आज भी हम इस संबंध में विधेयक पारित नहीं कर पाए हैं। क्यों? यह भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों में इस कार्य के प्रति गंभीरता में कमी की वजह से हुआ। मानव संसाधन विकास मंत्री जी कहते हैं कि वह शीघ्र ही इस विधेयक को इस संसद में प्रस्तुत करेंगे। तब इसे क्रियान्वित करने हेतु धनराशि कहां है?

मैं उद्धृत करता हूँ:

“एक अनुमान के अनुसार, सात वर्षों की अवधि के लिए इस अधिनियम को क्रियान्वित करने हेतु 2.28 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय आवश्यकता होगी।...”

मैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन को भी उद्धृत करना चाहूंगा। हमारे माननीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल सी.ए.बी.ई. समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि :

“कपिल सिब्बल समिति, जिसने सी.ए.बी.ई. मसौदा तैयार किया था, ने वर्ष 2008-2012 की अवधि हेतु 2,20,643 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया था।”

[श्री पी.के. बिजू]

परन्तु इस बजटीय आवंटन में इस प्रयोजनार्थ निधि का प्रावधान नहीं किया गया है। महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वह हमें यह बताएं कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार संबंधी विधेयक का क्रियान्वयन कैसे संभव होगा। छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापरक शिक्षा देना सुनिश्चित करने के लिए आप कहां से धन लाएंगे? इस प्रयोजनार्थ एक भी पैसा आवंटित नहीं किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान हेतु धनराशि आवंटन में कोई वृद्धि नहीं की गई है तथा अ.जा./अ.ज.जा. छात्रवृत्ति को भी घटाया गया है।

क्या आप यह भार राज्य सरकारों के ऊपर डालने वाले हैं? इस देश में शिक्षा के लिए अधिकांश निधि राज्य सरकारों के से आती है।

महोदय, सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के आवंटन में कमी कर दी है। बच्चों के लिए निधि के आवंटन में यह कमी शर्मनाक है।

सरकार आर्थिक वृद्धि में गति लाने, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने आदि कि बारे में अनेक प्रकार के दावे कर रही है। लेकिन हमारे देश में विद्यालयों की क्या दशा है? वहां शिक्षक नहीं हैं; वहां फर्नीचर नहीं है; एवं वहां उपयुक्त सफाई सुविधाएं भी नहीं हैं। इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख एनयूपीईए रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्टों में किया गया था। सरकार वह स्थिति समझने में विफल रही है। अतः, हम बजट में पर्याप्त आवंटन के बिना शिक्षा क्षेत्र की चिरलंबित समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं? क्या आपका मानना है कि निजी क्षेत्र हमारे समाज के गरीबों एवं वंचित वर्गों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी लेगा? मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि शिक्षा के अधिकार का क्रियान्वयन करने हेतु पर्याप्त धनराशि का आवंटन किया जाए, तथा एसएसए एवं मध्याह्न भोजन योजना के लिए आवंटन में वृद्धि की जानी चाहिए।

महोदय, सरकार आर्थिक वृद्धि एवं विकास के बारे में स्थिति प्रस्तुत करती है। क्या गरीबों को कुछ मिला? इस बात का अनुमान लगाया गया है कि देश में सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत की आवश्यकता है। आप छह प्रतिशत की बात करते हैं। लेकिन, हम शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल तीन प्रतिशत व्यय करते हैं। आपकी योजना इसे 2015 तक घटाकर 1.85 प्रतिशत करने की है। वर्तमान में भारत में

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात मात्र 10 प्रतिशत है लेकिन विकसित एवं अन्य विकासशील देशों में यह विश्व अनुपात 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक है। क्या पीपीपी की सहायता से 2012 के अंत तक जोईआर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना संभव होगा? एक तरफ आप शिक्षा का अधिकार विधेयक पुरःस्थापित करते हैं एवं दूसरी तरफ आवंटन में पर्याप्त कमी करते हैं। फिर, आप अपने लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे?

अपराहन 3.58 बजे

[श्री फ्रांसिस्को कोच्ची सारदीना पीठासीन हुए]

सभापति महोदय, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि सरकार यशपाल समिति की सिफारिशों को लागू करेगी। यह उनकी 100 दिन की कार्य योजना में शामिल है। प्रस्ताव अत्यंत अस्पष्ट हैं एवं शिक्षा के मामले में राज्यों के अधिकारों के विरुद्ध हैं। हमारा देश विविधता के मामले में धनी है। इसलिए, प्रत्येक राज्य अपने लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह एक संवैधानिक अधिकार है एवं शिक्षा समवर्ती सूची में है। सरकार को इस बात की जानकारी है। लेकिन हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे पूरे देश में समान परीक्षा प्रणाली लागू करने जा रहे हैं। इससे राज्यों के महत्व पर प्रभाव पड़ेगा एवं इससे अपने देश के विभिन्न राज्यों की विभिन्न संस्कृतियां भी प्रभावित होंगी। यशपाल समिति की सिफारिशें हमारी प्रणाली की मूलभूत बातों का उल्लंघन करती है। यह विनियामक निकायों जैसे एआईसीटीई, यूजीसी, एमसीआई एवं अन्य निकायों को भंग करने तथा अपने देश में एनसीएचईआर के गठन की सिफारिश करती है। यह अत्यंत आपत्तिजनक प्रस्ताव है क्योंकि इससे हमारी शिक्षा प्रणाली गलत हाथों में चली जाएगी। इससे शिक्षा में केन्द्रीकरण और बढ़ेगा।

यशपाल समिति की सिफारिशें निश्चय ही देश में शिक्षा के वाणिज्यिकरण एवं निजीकरण के सिद्धांत हैं। लेकिन सरकार हमारे प्रासंगिक निकायों में एआईसीटीई एवं एमसीआई के संबंध में पूर्व यू.आर. राव समिति की सिफारिशों पर विचार-विमर्श नहीं करेगी।

अपराहन 4.00 बजे

यह शिक्षा में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सिफारिश करती है जो अत्यंत अवांछनीय है। अत्यधिक शुल्क, अत्यधिक मानद विश्वविद्यालय, सरकारी-निजी भागीदारी इससे शिक्षा में निजीकरण की प्रक्रिया मजबूत होगी तथा यह देश के एक छोटे सम्पन्न वर्ग के लिए

लाभदायक होगी। इस समय हमारे देश में शिक्षा में भ्रष्टाचार है। तथा बिना सोचे-समझे निजीकरण एवं स्ववित्तपोषित संस्थानों का दूषित होना इसके कारण हैं। मौजूदा नियम इन संस्थानों को नियंत्रित करने में पूरी तरह असफल हो गए हैं। क्या इन संस्थानों पर नियंत्रण करने के लिए आपके पास कोई अधिनियम या केन्द्रीय विधान है? उच्च शिक्षा लाखों गरीब विद्यार्थियों के लिए असंभव हो जाएगी।

महोदय, मेरा कहना है कि इस बजट के प्रस्ताव देश के गरीबों के हित के प्रतिकूल हैं। यह ऐसा बजट है जो उन कॉर्पोरेट एवं निजी पूंजीपतियों के हित पूर्ति में सहायक है जो भारतीय शिक्षा बाजार में निवेश करने में रूचि रखते हैं एवं इस देश के विद्यार्थियों के भविष्य से लाभ अर्जित करते हैं। यह मूल रूप से उन सिद्धांतों के प्रतिकूल है जिनका अनुसरण हम शिक्षा में करते हैं। सरकार का कर्तव्य है कि उन करोड़ों गरीब भारतीयों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करे जो देहात में रहते हैं। इनके मामले में निजी क्षेत्र कोई रूचि नहीं लेगा। यह बजट पूर्ण रूप से इस देश के दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों एवं वंचित वर्गों के विरुद्ध है। यह बजट कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के लिए है।

इसलिए, महोदय, मैं इस नव उदारवादी बजट का पुरजोर विरोध करता हूँ जो केवल अम्बानी घरानों एवं बिरला घरानों के लिए सिफारिशों को दोहराता है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, मैं यहां मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 2009-10 की अनुदानों की मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

आरंभ में, मैं यह कहूंगा कि यह वास्तविकता है कि आम आदमी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करना। इस सामान्य आकांक्षा का समुच्चय है राष्ट्रों के समुदाय में भारत को अग्रणी बनाने का राष्ट्रीय लक्ष्य।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री कपिल सिब्बल ने वास्तव में इस मंत्रालय के पूर्ववर्ती मंत्री के सुधार के अपर विवाद को तरजीह की नीति से हटकर एक अच्छी शुरुआत की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के गलियारों में सर्वत्र नयापन है। पूर्ववर्ती मंत्री के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में पांच महत्वपूर्ण वर्ष गंवाए जा चुके हैं। भारत अभी भी वर्ष 2015 तक सबके लिए शिक्षा संबंधी सहस्राब्दि विकास लक्ष्य प्रतिबद्धता को पूरा करने में पीछे है।

सर्व शिक्षा अभियान आज बदहाल स्थिति में है। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है जबकि समस्याएं सामने न आती हों। अतः, शिक्षा

संबंधी सुधार को केंद्र-राज्य संबंधों अथवा अधिकारों तथा कोई छोटा, शहरी विशिष्ट वर्ग प्रतिस्पर्धी है अथवा नहीं, इस संकीर्ण नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। सामने जो आया है तथा तो सरकारों को प्रेरित कर रहा है वह यह सर्वसम्मति है कि शिक्षा ज्ञान के हस्तान्तरण तक सीमित नहीं है। ब्रिटेन की सरकार के व्हाइट पेपर में यह कहा गया है :

“शिक्षा का तात्पर्य है छात्र के स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा समाज के लिए उत्तरदायित्व का बोध, विभिन्न पृष्ठ भूमियों से आने वाले लोगों के लिए आदर तथा समझदारी एवं ज्ञान तथा जीवन के लिए कौशल विकसित करना।”

जब कभी सरकार प्रणाली में सुधार करने का निर्णय लेती है, तो इसमें तीन स्तम्भों — प्रासंगिता, समता तथा उत्कृष्टता — को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि मंत्री महोदय को राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। आज शिक्षा में सर्वत्र हास राजनैतिक दूरदर्शिता की कमी तथा नौकरशाही की उदासीनता के संयोग का परिणाम है। कमी गर्व किए जाने लायक संस्थानों की विश्वसनीयता गायब हो गई है।

केवल शिक्षकों के वेतन में सुधार दृष्टिगोचर हो रहा है।

महात्मा गांधी तथा रबिन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा प्रणाली के लिए महान योजनाएं थीं जिससे समाज को गरीबी, सामाजिक भेदभाव से राहत मिल सके तथा वह स्वतंत्र बन सके। लेकिन इसका उल्टा हुआ है। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे का आधार रही है जिसे एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा वर्ष 2000 में राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श के उपरांत तैयार किया गया था। मंत्री महोदय द्वारा अब व्यक्त की जा रही बातों की एन.सी.एफ.एस.ई.-2000 में काफी प्रांजल रूप से सिफारिश की गई थी।

पुरानी पीढ़ियों के माता-पिता की तुलना में आज के माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर काफी व्यय कर रहे हैं, जिससे दीर्घकाल में अर्जित ज्ञान तथा स्थानीय अथवा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के बीच अत्यधिक अंतर उत्पन्न होना है।

एन.सी.एफ.एस.ई.-2000 में परीक्षाओं तथा अंकों को समाप्त करने तथा इनके स्थान पर श्रेणी लाने की सिफारिश की गई थी। इसके पूर्व 1990 में यशपाल समिति ने बच्चों को पहले ‘शिक्षा के बोझ’ से मुक्त करने की सिफारिश की थी। लेकिन शिक्षकों के बड़े तबके ने यह कहकर इसका विरोध किया था कि उच्च स्तर को बनाए रखा

[श्री भर्तृहरि महताब]

जाना चाहिए ताकि उन्हें इंजीनियरिंग तथा मेडिकल की संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं को पास करने में कठिनाई न हो। एक अन्य प्रभावशाली वर्ग चाहता था कि बच्चों में वैसे कौशल डाले जाने चाहिए जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

अब मंत्री महोदय ने भारतीय शिक्षा को अपकर्ष तथा अवसाद से बचाने की चुनौती लेने का निर्णय लिया है, तो आपको व्यापक तथा दोनों पक्षों का समर्थन मिलना चाहिए। इस संबंध में आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुधार संबंधी विचार-विमर्श किसी विशिष्ट राजनैतिक तबके के लोगों तक सीमित नहीं रहे। जैसा कि कहा जाता है कि 'इतिहास का रचयिता जीतने वाला पक्ष होता है' मानसिकता जिसका कि आपके यशस्वी पूर्ववर्ती मंत्री समर्थक थे, से आपके मिशन की सारी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी।

परीक्षा प्रणाली के विकल्पों की आवश्यकता को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह इस समय की आवश्यकता है। इक्कीसवीं सदी में वैकल्पिक, खुली एवं दूरस्थ शिक्षा एक सुनिश्चित तथ्य है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय तथा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक दूरस्थ शिक्षा की विश्वसनीयता को नकारा जाता है। इसके लिए दोष निर्धारित किया जाना चाहिए तथा सरकारी वर्ग इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकता कि उन्होंने विशेषज्ञों के मतों को सामने नहीं आने दिया है।

व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। बहु-संस्कृति वाले भारत में मूल्य पर आधारित शिक्षा को मंत्री महोदय के पूर्ववर्ती मंत्री द्वारा उच्चतम न्यायालय के सितम्बर, 2002 के आदेश का उल्लंघन करते हुए अस्वीकृत किया गया था। उन्होंने पर्यावरण शिक्षा को भी औपचारिकता तक सीमित कर दिया था।

मैं यह कहना चाहूंगा कि सच का सामना करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन जो आदमी सच बोल रहा है, उसमें धारा के विरुद्ध तैरने, शक्तिशाली लोगों के अनादर का मुकाबला करने तथा केवल इतिहास द्वारा पुष्टि किए जाने के लिए इंतजार करने की योग्यता होनी चाहिए। सुधार के मार्ग पर बिल्कुल फूल नहीं बिछे हुए हैं। समय के आवरण में जकड़ी शिक्षा प्रणाली को परिवर्तन के बयारों से गुजारने की तुलना में वित्तीय अर्थव्यवस्था अथवा औद्योगिक परिदृश्य में सुधार करना अपेक्षाकृत कम जटिल है। यह मानसिकता पुरानी हो

चुकी है कि बड़ी समस्याओं के लिए बड़े समाधानों की आवश्यकता होती है। परिसंपत्तियां, कर्मचारियों, प्रौद्योगिकी आदि में भारी निवेश से विरले ही वांछित परिणाम आए हैं। क्योंकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि ऐसे निवेश वास्तव में कहां किए जाएं। सरकार को यह समझना होगा कि व्यवहार में सुधार मुख्यतया इसमें शामिल लोगों के आचार-व्यवहार में सुधार है।

हमें प्रत्येक स्तर पर वर्धमान सुधारों की संस्कृति विकसित करनी चाहिए। कैंजेन की जापानी अवधारणा हमारे जैसी विकासशील देशों के लिए काफी उपयुक्त है। प्रथमतः, हमें प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा को अलग-अलग नहीं मानना चाहिए बल्कि इन्हें समन्वित समग्र शिक्षा प्रणाली के रूप में लेना चाहिए। मानसिक अवरोधों को दूर कर पुराने नियमों को तोड़े जाने की जरूरत है।

ज्ञान आयोग ने यह सिफारिश की है कि 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए, जबकि आज 400 से कम विश्वविद्यालय हैं। लेकिन क्या यह पहले से मौजूद औसत शिक्षा प्रणाली का कई गुणा विस्तार है? अगर भारत को गरीबी दूर किए जाने को सुनिश्चित करते हुए अगले दशक में आठ से नौ प्रतिशत की विकास दर को बनाए रखना है तो इसे मानव संसाधनों के भारी अवरोधों पर विजय पानी होगी। शिक्षा में व्यापक परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विस्तार की आवश्यकता है।

भारत को ज्ञान आधारित समाज बनने के लिए प्रयास करने होंगे आज 20 से 24 वर्ष की केवल पांच प्रतिशत श्रमशक्ति को ही औपचारिक व्यावसायिक दक्षता प्राप्त है और हमारे यहां इस श्रमशक्ति में प्रतिवर्ष 12 मिलियन लोग प्रवेश करते हैं जबकि इन्हें दक्ष बनाने के लिए मात्र 2.5 मिलियन प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इसमें बहुत बड़ा अंतर है।

इस माह यूनेस्को द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा संबंधी विश्व सम्मेलन, 2009 में उच्च शिक्षा में विविधीकरण को दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। स्वतंत्रता के समय थोड़े से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय केवल कुछ विषयों में ही उपाधि प्रदान करते थे उस समय यह मानना संभव था कि कि भारत के सभी विश्वविद्यालय समान रूप से अच्छे हैं। अतः उन्हें समान माना जाता था और उन्हें समान धनराशि प्रदान की जाती थी। आज और अधिक विश्वविद्यालय हैं बहुत सारे छात्र हैं और विभिन्न प्रकार के विषय हैं। इस परिदृश्य में विभिन्न संस्थाएं भिन्न-भिन्न उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। अतः उनका वित्त पोषण किया जाना आवश्यक है और उनके साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाना चाहिए।

हमें यह मालूम है कि उच्च शिक्षा के दो अलग-अलग मॉडल हैं पहला एंग्लो-अमेरिकन मॉडल है, जो उच्च शिक्षा के उपबंधों को विजातीय मानता है और विविधता को प्रोत्साहित करता है तथा दूसरा 'स्कैंडिनेवियन मॉडल' है जो इस उपधारणा पर आधारित है कि सभी संस्थाएं सजातीय हैं अतः उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए तथा उनके सभी कार्यक्रमों को भी समान मानना चाहिए। बड़ी जनसंख्या के परिणामस्वरूप व्यापक नामांकन के साथ हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था के एक विविध और विकेन्द्रीकृत व्यवस्था माना जाना चाहिए यह सुदृढ़ व्यवस्था राष्ट्र की सामाजिक विविधता के साथ मौजूदा अर्थव्यवस्था में श्रम के और अधिक जटिल विभाजन से स्वयमेव तारतम्य स्थापित कर लेती है। वर्तमान में भारतीय व्यवस्था अत्यधिक केन्द्रीकृत है और यह एकता तथा समतावादी प्रतिबद्धता के अवास्तविक मिथक से परिचालित है।

ऐसा माना जाता है कि संस्थाओं की गुणवत्ता में असमानता वगैरह से संबंधित मतभेद पैदा करेंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गुणवत्ता में समानता लाने का अभियान चलाकर सभी को एक औसत स्तर पर लाया जा सकता है। इसलिए शिक्षा प्रदाताओं की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है। आप शिक्षा के वित्त पोषण के लिए निजी क्षेत्र को सुविधा दे सकते हैं और निजी संस्थानों की लगाम कस सकते हैं तथा कंपीटेशन फीस पर कड़ा कानून बना सकते हैं।

परसों 13 जुलाई, 2009 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्य के बारे में एक अतारांकित प्रश्न पूछा गया था।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू किया गया था और इसमें 597 जिलों को शामिल किया गया था लेकिन आज इस सरकार का और इसके मंत्री जी का सारा जोर महिला साक्षरता को बढ़ाना है तथा इसी को ध्यान में रखते हुए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2012 तक 80 प्रतिशत महिलाओं को साक्षर बनाया जाएगा। लेकिन जो धनराशि दी गई है और आगामी तीन वर्षों में जो धनराशि प्रदान की जाएगी वह बहुत ही कम है। पिछले 20 या 21 वर्षों में जितनी धनराशि खर्च की गई है या निवेश की गई है, उससे पुरुष और महिला साक्षर में अंतर आया है। यद्यपि 1991 से 2001 के दौरान इसमें बमुश्किल 3 प्रतिशत की कमी आई है और यह बहुत ही चिंताजनक है। वर्ष 2001 में यह 21.59 प्रतिशत थी।

आखिर में, मैं केन्द्रीय विद्यालयों से संबंधित बात का उल्लेख करना चाहता हूँ। इस सभा के अनेक सदस्यों के संसदीय निर्वाचन

क्षेत्र में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। लेकिन इनमें से कुछ सदस्यों को विवेकाधिकार कोटे थे अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु दो नामों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है। इसमें साफतौर पर कहा गया है कि आप केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए केवल 2 नामों की सिफारिश कर सकते हैं बशर्ते कि विद्यालय आपके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित हो। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि जैसा कि राज्य सभा के सदस्य के मामले में होता है और उनके लिए राज्य में विद्यमान सभी केन्द्रीय विद्यालयों पर विचार किया जाता है ठीक उसी तर्ज पर लोक सभा सदस्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय विद्यमान न होने की दशा में कम से कम उसके राज्य के केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए दो नामों की सिफारिश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है।

मेरी आखिरी पंक्ति यह है कि सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों की स्वीकृति दी जाती है लेकिन मैं केवल माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि कम से कम उन विद्यालयों को इस शैक्षिक सत्र से कार्य करने की अनुमति दी जाए। उड़ीसा के साथ-साथ मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अनेक विद्यालयों की स्वीकृति दी गई है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि उन केन्द्रीय विद्यालय द्वारा शीघ्रान्तिशीघ्र कार्य करना शुरू करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

[हिन्दी]

श्रीमती मीना सिंह (आरा) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहस में हिस्सा लेना चाहती थी, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि शिक्षा का क्या महत्व है। मेरी समझ से शिक्षा का महत्व बच्चों के सर्वांगीण विकास से है, पर मुझे अफसोस है कि आज की शिक्षा पद्धति बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं कर पा रही है। आज की शिक्षा पद्धति मेरे ख्याल से बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रही है कि शिक्षा उपरांत वे ज्यादा से ज्यादा धनोपार्जन कर सकें। सैद्धांतिक रूप से मैं इस बात के विरोध में नहीं हूँ कि हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्ति के बाद अच्छी नौकरियों में जाकर ज्यादा धन कमाएं। हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्ति के उपरांत ज्यादा पैसा कमाएं, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। परंतु क्या उसके

[श्रीमती मीना सिंह]

आगे शिक्षा की कोई जवाबदेही नहीं? क्या हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक अच्छा नागरिक बनें, एक अच्छा देशभक्त बनें, अच्छे मां-बाप और भाई-बहन बनें? क्या यह शिक्षा की जवाबदेही नहीं है कि हमारे बच्चे नैतिकता का पाठ पढ़ें? मैं समझती हूँ कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी जरूर हो जो रोजगारोन्मुख हो, पर साथ-साथ हमारे बच्चों को अच्छा नागरिक भी बनाए।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे शिक्षा मंत्री शिक्षा का राजनीतिकरण कर रहे हैं। शिक्षा को अपने राजनैतिक स्वार्थ की प्राप्ति के लिए धर्म और मजहब से जोड़ जा रहा है। इतिहास को बार-बार, तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग है कि अगर हम सचमुच बच्चों की भलाई चाहते हैं तो शिक्षा को राजनीति से ऊपर रखना होगा।

महोदय, आज अधिकारी, दिल्ली में बैठकर राष्ट्र की शिक्षा-नीति तय करती हैं। शिक्षा पर हम जो भी रुपया व्यय करते हैं अगर उस राशि को संबंधित राज्य को दें, तो वहां की सरकार अपने ढंग से, जरूरत के अनुसार, शिक्षा पर पैसा व्यय कर सकती है और उससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकते हैं।

माननीय मंत्री जी, जिले में केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं, उस पर पैसे खर्च हो रहे हैं। परंतु महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन विद्यालयों में उस प्रदेश के बच्चों का नाम दर्ज नहीं हो पाता है। महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र आरा में केन्द्रीय विद्यालय है, परंतु उस विद्यालय में भारत सरकार के कर्मचारियों के बच्चों का ही नामांकन हो पाता है, मेरे क्षेत्र के बच्चों का नाम नगण्य है। ऐसे केन्द्रीय विद्यालय को राज्य में खोलने का क्या मतलब है, जब वहां के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ ही न पाएं।

माननीय मंत्री जी सर्व-शिक्षा-अभियान चला रहे हैं। मोटे तौर पर सर्व-शिक्षा का मतलब सबको शिक्षा देने से है। परंतु दूसरी ओर जिले में एक मॉडल स्कूल खोलने की बात करते हैं। महोदय, मैं पूछना चाहती हूँ कि एक मॉडल स्कूल में कितने बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या ऐसा स्कूल खोलकर हम बच्चों के बहुत बड़े तबके के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं? अतः मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि राज्य सरकार को शिक्षा के विकास के लिए राशि मुहैया कराई जाए, जिससे सभी को एक तरह की शिक्षा राज्य सरकार दे सके और किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव की नौबत

न आये। मैं समझती हूँ कि जब तक हम राज्य सरकार को सीधे धन मुहैया नहीं कराएंगे, तब तक सर्व-शिक्षा-अभियान एवं शिक्षा के मौलिक अधिकार जैसे दावे खोखले साबित होंगे।

महोदय, आज हकीकत यह है कि सरकार स्कूलों में पढ़ाई एवं बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है, इतना बुरा हाल है कि अधिकांश अभिभावक सरकार स्कूलों में अपने बच्चों के भेजने से घबराते हैं। बच्चों को मारने-पीटने की घटनाएं और पढ़ाई के नाम पर महज खाना-पूति की घटनाएं समाचार-पत्रों में देखने को मिलती हैं।

हमारे शिक्षा मंत्री जी एक विद्वान वकील हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वे शिक्षा को राजनीतिकरण एवं व्यापारीकरण से दूर रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो धन इस क्षेत्र में खर्च हो रहा है उसका लाभ समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के बच्चों को पहुंचे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेरी यही मांग है।

[अनुवाद]

श्री अधलराव पाटील शिवाजी (शिरूर) : धन्यवाद, सभापति महोदय, मैं यहां सभा में केवल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संबंध में कुछ एक सिफारिशें रखना चाहता हूँ।

प्रो. यशपाल समिति रिपोर्ट, जिसे हाल ही में प्रस्तुत किया गया था, मैं यूजीसी और अन्य शैक्षणिक नियामक नियंत्रक बोर्ड की बजाय एक शीर्षस्थ निकाय की सिफारिश की गई है। इसलिए, मैं माननीय मंत्रीजी और सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस शीर्षस्थ निकाय को शीघ्रताशीघ्र स्थापना की जाए क्योंकि शैक्षणिक क्षेत्र में अनेक नियामक नियंत्रण निकाय मौजूद हैं, जिन्हें टाला जाना चाहिए।

मैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमान और पेंशन के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। अध्यापकों के संबंध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों, जिन्हें अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय के अध्यापकों और वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनरों पर लागू नए पैटर्न और पे बैंड के बारे में यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्तर पर काफी भ्रम की स्थिति है। यह निरंकुशता इन हलकों में अत्यधिक रोष उत्पन्न कर रही है।

मैं यह उल्लेख भी करना चाहता हूँ कि शिक्षा के बारे में कोई सुस्पष्ट नीति नहीं है अर्थात् मूल स्तर से लेकर उच्चतर या विश्वविद्यालय स्तर तक। उदाहरणस्वरूप, माननीय मंत्री महोदय ने हाल ही में एक

विचार व्यक्त किया था कि दसवीं कक्षा स्तर पर कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। देश भर में विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से इसका काफी विरोध किया गया था। चूंकि कोई स्पष्ट नीति नहीं है, इसलिए विभिन्न राज्य सरकारों की और शैक्षणिक निकायों में अत्यधिक भ्रम व्याप्त है। हालांकि हम अध्यापन वृत्ति की प्रतिष्ठा के बारे में काफी चर्चा करते हैं, तथापि मौजूदा भ्रम वास्तव में अनेक नैतिक स्तर को गिरा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अध्यापन वृत्ति में पूर्ण विश्वास जगाने और इसे सम्मान दिलाने के लिए गंभीर प्रयास करें।

अब, मैं माननीय मंत्री जी के विचार हेतु उनकी जानकारी में एक मामला लाना चाहता हूं। व्याख्याताओं, जिन्हें अब सहायक प्रोफेसर कहा जाता है, के रूप में नियुक्ति के लिए नेट परीक्षा देना एक आवश्यकता है, किंतु पी.एचडी धारकों और एम.फिल. डिग्री धारकों को छूट दी गई थी। यूजीसी ने अपने जुलाई, 2008 के संकल्प में कहा कि जिन उम्मीदवारों ने एम.फिल. के लिए पंजीकरण किया है और जो 30 जून, 2009 तक एम.फिल पूरी कर लेंगे, उन्हें भी इस आवश्यकता से छूट प्रदान की जाएगी। किंतु, अब यूजीसी ने उन एम.फिल. उम्मीदवारों के लिए यह छूट वापिस लेने का प्रस्ताव किया है, जिससे भारी रोष उत्पन्न हो रहा है। यह बात हमारे शिवसेना दल के माननीय नेता द्वारा मंत्री महोदय की जानकारी में पहले ही लायी जा चुकी थी।

सर्व शिक्षा अभियान के बारे में चर्चा करें तो, यह काफी सफल रहा है और मैं सरकार को उच्चतम शिक्षा के लिए अत्यधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद देता हूं। यहां, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सर्व शिक्षा अभियान माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों की जो अस्तित्व में हैं। विशेषकर ग्रामीण भारत में, को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार द्वारा उन्हें कोई समुचित वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है। इसलिए, मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि वे सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के बारे में गंभीरता से सोचें।

महोदय, आज सुबह मैंने उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के बारे में प्रश्न पूछा था। रिकार्ड के अनुसार प्रत्येक वर्ष 2,64,000 से अधिक छात्र उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। क्या सरकार देश में अधिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना पर विचार कर सकती है ताकि एक बार इन संस्थानों में प्रवेश शामिल करने के पश्चात् वे उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश

जाने के बारे में कदापि न सोचें? मैं सरकार और माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे प्रत्येक राज्य या कम से कम बड़े शहरों में इन संस्थानों की स्थापना करें चूंकि यह विदेश जाने वाले सभी छात्रों के लिए भारत में ही अध्ययन करने में सहायक होगा।

आज के विश्व में व्यावसायिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक ऐसे स्नातक छात्र हैं, जिन्हें अपनी स्नातक शिक्षा पूरी करने के पश्चात् अपनी बीए या बी.कॉम उपाधियों से रोजगार नहीं मिल पाता। इसलिए, प्रमुख जोर व्यावसायिक शिक्षा पर होना चाहिए और व्यावसायिक शिक्षा के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि हमारे युवाओं को रोजगार न मिलने की समस्या का समाधान किया जा सके।

मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दें। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं केवल कुछ ही मामलों में हस्तक्षेप करूंगी चूंकि श्री कपिलजी और श्रीमती पुरन्देश्वरी दोनों ही बड़े करुणामयी हैं और शिक्षा के हित में सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्री किशोर चन्द्र देव जी पहले ही बृहद् समस्याओं पर विस्तार से बोल चुके हैं। मैं सूक्ष्म समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहती हूं। महोदय, सर्व शिक्षा अभियान में ज्यादातर यह कहा जाता है कि अध्यापक की उपस्थिति, योग्यता और उत्साहवर्द्धन आरम्भिक शिक्षा कार्यक्रम की सबसे कमजोर कड़ी प्रतीत होते हैं। इसके पीछे कुछ कारण हैं। एक तो यह कि अध्यापकों को दिया जाने वाला विस्तृत प्रशिक्षण इसका प्रमुख कारण है। एक अध्यापक एक प्रशिक्षण से आता है, कुछ दिन कक्षा में बैठता है और फिर उसे अन्य प्रशिक्षण पर भेज दिया जाता है। अध्यापकों में इस समस्त उन्नयन कौशल के लिए नाममात्र का उत्साहवर्द्धन है। उन्नयन की आवश्यकता है। हम पूरी तरह इसके समर्थन में हैं। किंतु इसके लिए कुछ योजना और अवधि होनी चाहिए। इसके साथ ही, प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक अध्यापक द्वारा किए जाने वाले दस्तावेजीकरण, कागजी कार्रवाई और रिपोर्टों की मात्रा काफी अधिक है। वे स्थानीय पंचायतों को दिए जाने वाले दस्तावेज तैयार करने में काफी समय व्यतीत करते हैं, जिससे अध्यापकों का ज्यादातर समय पाठ्यक्रम से वंचित रह जाता है।

हाल ही में, मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों की यात्रा की। शिक्षा की गुणवत्ता, सर्व शिक्षा अभियान में लगाई जा रही

[श्रीमती सुप्रिया सुले]

इतनी धनराशि के बावजूद बीच में ही विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों की दर अभी भी काफी अधिक है। चूंकि सर्व शिक्षा अभियान में हमारा संपूर्ण ध्यान विद्यालय अवसंरचना और पुस्तकों की ओर अधिक है। जिस प्रकार के परिणाम और गुणवत्ता देने की जरूरत है हम उस प्रकार के परिणाम और गुणवत्ता नहीं दे पा रहे हैं।

यहां तक कि मदरसों के मामले पर भी, जिस पर अनेक वरिष्ठ सदस्यों ने चर्चा की है, हमें वास्तव में इन सभी लोगों को औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत लाने की आवश्यकता है। कोई भी किसी भी प्रकार के धार्मिक विद्यालय के खिलाफ नहीं है।

हम सभी इसका स्वागत करते हैं चूंकि, हर किसी को इसका अधिकार है। किंतु, जब तक हम इन सभी संस्थाओं को औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं ले आते, समाज का एक वर्ग ऐसा होगा, जो पीछे छूट जाएगा। गुणवत्ता में सुधार करने के बारे में एक उदाहरण देते हुए, मैं कहना चाहती हूं कि पुणे जिले में मेरे संसदीय क्षेत्र में भोर नामक एक ब्लॉक है।

भोर में हमने एक नया रिकार्ड कायम किया है। दूसरी कक्षा से ऊपर की सभी कक्षाओं के छात्रों ने 2 से 35 तक के पहाड़े याद किए हैं और इसी कारण से बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर में कमी आई है तथा बच्चों के गणित ज्ञान में काफी सुधार आया है। अंग्रेजी शिक्षण में भी हमने इस सूत्र को लागू किया। वे प्रतिदिन पांच अंग्रेजी शब्द उनकी वर्तनी और उच्चारण याद करते हैं। परंतु साथ ही साथ मैं यहां एक हस्तक्षेप भी करना चाहूंगा कि अध्यापकों को भी अंग्रेजी भाषा का समुचित प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। मैं इसी तरह के एक विद्यालय में था और वे नर्सरी की एक अंग्रेजी कविता "रो, रो, रो, चोर बोट" का पाठ कर रहे थे गरीब ग्रामीण विद्यार्थी इस कविता को इस प्रकार पढ़ रहे थे, राव राव चोर बोट"। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। अपितु जब वे वरिष्ठ विद्यालयों में जाते हैं तो वहां ग्रामीण और शहरी बच्चों के बीच कोई समानता नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात का पता लगाने की दिशा में प्रयास करें कि भविष्य में हम गुणवत्ता, आधुनिक अवसंरचना पर किस प्रकार ध्यान दे सकते हैं क्योंकि पिछले कुछेक वर्षों में सरकार वास्तव में काफी कुछ कर पायी है।

माननीय मंत्री जी ने जिस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख किया है वह सार्वभौमिकरण और माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच से जुड़ा हुआ

है। योजना में सरकार ने तकरीबन 6,500 आदर्श विद्यालय खोलने की बात की थी परंतु अब तक किसी राज्य को कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। योजना जिसमें हमने इन आदर्श विद्यालयों की स्थापना की योजना बनाई थी उसके लगभग दो वर्ष बीत गए हैं।

इसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की बात आती है जो स.प्र.ग. सरकार के सर्वोत्तम कार्यक्रमों में से एक है। इसमें एक ही कठिनाई है। यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है, शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और अध्यापकों को भी बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है परंतु इन्हें बारहवीं कक्षा तक बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये विद्यालय पीढ़ी दर पीढ़ी सीखने वाली आदिवासी बालिकाओं के लिए बनाए गए हैं। माननीय मंत्री जी ने इसका विस्तार 8वीं कक्षा तक कर दिया है। हमें इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा और इसका विचार 12वीं कक्षा तक करना होगा ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े ये लोग जिनकी कोई शैक्षणिक पृष्ठभूमि नहीं है उनका उत्थान करते हुए उन्हें नए स्तरों पर स्थापित किया जा सके और उन्हें समान अवसर मिल सकें।

इसके अतिरिक्त, अगला क्रम आता है उच्चतर और तकनीकी शिक्षा का यह मेरे राज्य से जुड़ी समस्या है। इस समय हमारे सभी अध्यापक हड़ताल पर हैं क्योंकि छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। मैं मानती हूं कि यह पूर्णतया शिक्षकों के हित में है हमें यह देना ही होगा। सरकार इस पर कार्य कर रही है। तथापि, छोटे वेतन आयोग का समस्त वित्तीय भार महाराष्ट्र सरकार द्वारा वहन किया जाना बेहत मुश्किल है। अतएव मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इस बात की संभावना का पता लगाए कि क्या वे ऐसा कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिससे इस भार का कुछ हिस्सा केन्द्र सरकार वहन कर सके। यह सर्व शिक्षा अभियान के मामले में भी लागू होता है। मैं जानती हूं कि शिक्षा का अधिकार विधेयक में 75:25 के अनुपात में विभाजन करने की सिफारिश की गयी है। शिक्षा बेहद गंभीर विषय है। मेरा मानना है कि केन्द्र सरकार को किसी न किसी प्रकार से राज्यों को कुछ वित्तीय सहायता देने के प्रति कृत संकल्प होना चाहिए।

अन्य मामला शुल्क तथा प्रवेश से संबंधित है। शुल्क संरचना को भी नियंत्रित किए जाने तथा विद्यालयों में प्रवेश को पूर्णतया पारदर्शी बनाए जाने की जरूरत है। इसके लिए हमें एक व्यापक विधान बनाना होगा जिसके अंतर्गत शायद आप राज्यों को परामर्श दे सकें। ताकि किसी भी स्तर पर कोई दोहन न हो। आज ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। परंतु अच्छे अंक प्राप्त होने के बावजूद उन्हें निजी कालेजों में प्रवेश लेना पड़ता है जो उनसे काफी ज्यादा शुल्क वसूल करते हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारती चिकित्सा परिषद पर भी यही लागू होता है। उनका मुख्य कार्य गुणवत्ता को देखना है लेकिन मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इनमें से अधिकांश एजेंसियों द्वारा व गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इनमें से कुछ मुद्दों का समाधान जरूर किया जाए। मेरा मानना है कि इस विभाग का मुख्य ध्येय गुणवत्ता ही होना चाहिए।

दो अन्य विधेयक जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ वे हैं:- शिक्षा का अधिकार विधेयक तथा विदेशी विश्वविद्यालय पंजीकरण अधिनियम। यदि हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह शिक्षा की गुणवत्ता तथा देश के बच्चों के समग्र विकास करने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगा।

पुनः अपने राज्य की बात करूँ तो उससे जुड़े दो मुद्दे हैं जो सीधे-सीधे आपसे संबंधित नहीं हैं। परंतु हम चाहते हैं कि आप उन पर कुछ प्रकाश डालें क्योंकि आपने टेलीविजन पर दिए गए कुछ साक्षात्कारों के दौरान उनका उल्लेख किया है। उनमें से एक मुद्दा एक बोर्ड के बारे में है। मैं इस पर पूरी तरह से आपका समर्थन करती हूँ। साथ ही साथ हमारा एक राज्य बोर्ड है जो अनुकरणीय कार्य कर रहा है परंतु दुर्भाग्य से आज के.भा.शि.बो. आई.सी.एस.सी. और महाराष्ट्र राज्य बोर्ड पूरी तरह से अलग-अलग ढंग से कार्य कर रहे हैं। हमारे पास कार्यक्रमों के लिए कोई समान आधार नहीं है। हमारे कई मुद्दे प्रवेश से जुड़े हुए हैं। इसमें काफी विषमताएं हैं जो हमारे राज्य की सामाजिक प्रणाली को तोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें एक ऐसा विधान बनाना चाहिए जिसके अंतर्गत इन तीनों प्रणालियों को एकजुट करके एक सूत्र में पिरोया जा सके। इसके साथ ही मुझे लगता है कि हम सभी आपके प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं यदि हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे तो बच्चों के मन में किसी प्रकार द्वंद नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त जहां तक विद्यालयों में प्रवेश का संबंध है। इस पर अधिकांश राज्यों द्वारा ढुलमुल नीति अपनाई जा रही है। जब बच्चा लगभग जून माह में प्रवेश पाने जाता है तब विभिन्न प्रकार के मुद्दे, कोर्ट केस चल रहे होते हैं और माता पिता पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाते हैं। अतएव, मेरी आपसे अपील है कि एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए जिसके अंतर्गत यदि कोई राज्य विद्यालयों में प्रवेश से संबंधित नीतियों में कुछ संशोधन करना चाहे तो वह राज्य सितम्बर माह से पूर्व कुछ सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं जिससे कुछ समय मिल सकेगा। यदि कोई मुकदमा भी चल रहा हो तो परीक्षा से पूर्व उसका

भी निपटान कर दिया जाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज महाराष्ट्र के बच्चों को सरकार द्वारा नीतियों को बदले जाने के कारण पिछले दो वर्षों से कई बार कठिनाईयां झेलनी पड़ी है।

अंत में, मैं उसी बात को दोहराना चाहूंगी जो माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कही थी कि शिक्षा और कौशल का अधिकार देकर युवा वर्ग के बड़े प्रतिशत को गतिशील लाभदायक आर्थिक स्थिति में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि किशोर जी ने अपने भाषण में स्किल मिशन की बात कही है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ श्रम मंत्रालय मिलकर काम कर रहा है। मूल स्किल मिशन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय श्रम मंत्रालय तथा योजना आयोग शामिल हैं। मैं मानती हूँ कि उन्होंने यह महान हस्तक्षेप किया है। अतएव मेरी आपसे अपील है कि यदि इस स्किल मिशन को फिर से शुरू किया जाए और यदि हम कौशल विकास कर सकते हैं तो प्रत्येक बच्चे को जीने और सीखने के समान अवसर प्राप्त होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : सभापति जी, अज हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। यह मानव संसाधन विभाग केवल शिक्षा देने वाला या मनुष्य को साक्षर करने वाला विभाग नहीं है। इसलिये इस विभाग को केवल इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिये। यह मनुष्य बनाने वाला विभाग है, इसे संसाधन भी माना है ताकि देश के विकास में मनुष्यों का उपयोग हो। इस मानव में जो बुद्धिमत्ता या उसके अंदर की जो शक्ति है, कहीं न कहीं इसका सकारात्मक समाज के प्रति कर्तव्यबोध रखने वाली नई पीढ़ी का निर्माण करते हुये इसका उपयोग हो। इसके पीछे कहीं न कहीं यही कल्पना है। मैं कोई ऐसी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ। माननीय जोशी जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया है। बरटेंड रसल ने अपनी एक पुस्तक में कहा है, जो ध्यान में रखने लायक है। उन्होंने कहा कि आज का मानव, मानवीय कौशल तथा मानवीय मूर्खता के बीच में कहीं न कहीं जी रहा है। जब हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो मौलूम होता है कि यह हो रहा है। इसलिए उनका कहना था कि मानवीय कौशल के साथ जब हम मानव संसाधन की बात करते हैं तो अगर उसकी समझ में वृद्धि नहीं हुई, अधिकाधिक विकास का अंत दुःखःमय होगा। आज यह कहीं न कहीं हो रहा है और इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम सबके लिए मूलभूत शिक्षा की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान की बात आती

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

है। सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया है, यह बहुत अच्छी बात है कि हर लड़का और हर लड़की स्कूल में जाए और पढ़े। यह हमारा उद्देश्य है कि उन्हें शिक्षा उपलब्ध हो, इसके लिए हमने एजुकेशन सेस भी लगाया है। इसमें कहीं न कहीं लोगों का सहभाग भी है और चाहे थोड़ी-बहुत ही क्यों न हो, लोगों की सहभागिता से हम सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जब बजट पेश किया तो मैंने देखा कि चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो या मध्याह्न भोजन योजना हो, इनका बजट में उल्लेख नहीं था। ऐसा नहीं है कि इनका केवल उल्लेख नहीं था, कहीं न कहीं ऐसा लगा कि यहां आकर हमारा बजट रुक गया है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं सुझाव देना चाहती हूं कि इसमें काम तो हो रहा है, मैं जानती हूं कि शिक्षा स्टेट का भी विषय है, लेकिन मेरा अनुभव है कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए यहां से पैसा दिया जाता है। आपने बताया कि इतने लाख कमरे पूरे हिंदुस्तान में बनाये गये, इतनी इमारतें बनाई गईं, यह सब कुछ हुआ है, लेकिन यह किस तरीके से हुआ है। जब मैं अपने क्षेत्र में घूमने जाती हूं तब यह बात सामने आती है कि शिक्षा को अफसरशाही और उसकी जड़-मानसिकता ने कहीं न कहीं जकड़ लिया है। यशपाल जी ने भी यह कहा है कि शिक्षा को इससे बाहर लाना पड़ेगा और मुझे भी इसका अनुभव होता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो कमरे बनते हैं, स्कैंटर्ड बनते हैं, आप किसी गांव में जाइए तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा कमरा इधर बना है और एक छोटा सा कमरा उधर बना होता है। एक पुराना कमरा बिल्कुल गिरने की कगार पर है और कोई भी उसकी सुध-बुध नहीं ले रहा है मैंने पूछा कि यह क्या तरीका है? जब हम एक स्कूल की कल्पना करते हैं तो उसमें शिक्षा की एक बिल्डिंग होती है। एक ऐसे स्कूल का फार्मेशन होना चाहिए जिसके बाहर ग्राउंड हो, कहीं कोई दीवारर या बाउंड्री वाल बने, सेसी कल्पना हम गांव के किसी स्कूल की करते हैं।

महोदय, अधिकारियों के द्वारा यह बताया जाता है कि हमें बताया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बनने वाला कमरा अलग दिखना चाहिए। इसके अंतर्गत बनने वाले बाथरूम आदि भी बीच में बनाये जाते हैं। मैं यह समझती हूं कि इसके लिए स्टेट के मिनिस्टर के साथ भी बैठक हो सकती है और बैठक करके जो पैसा यहां से जाता है उस पैसे का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग कैसे हो, यह हमें करना चाहिए। आप मेरे साथ किसी भी गांव में चलिये, मैं आपको दिखा दूंगी कि पैसा तो हमेशा खर्च होता है मगर इस पैसे का ढंग

से उपयोग नहीं होता है। उस बिल्डिंग का भी ढंग से उपयोग नहीं होता है और मैं चाहूंगी कि स्कूल के लिए जो इमारत और कमरे बन रहे हैं, वे योजनाबद्ध तरीके से बनें। स्टेट गवर्नमेंट से मदद लेकर इसके लिए एक योजना बने और सर्व शिक्षा अभियान के कमरे बिखरे हुए न बनें।

महोदय, मैं दूसरी बात मध्याह्न भोजन योजना के बारे में कहना चाहती हूं। इसके लिए भी बजट में कोई वृद्धि नहीं है और वही पहले वाला बजट है। मध्याह्न भोजन के पीछे एक कल्पना यह है कि बच्चे इसके बहाने से स्कूल आ जाएं मगर इसके साथ यह कल्पना भी है कि उन्हें कोई प्रोटीन युक्त आहार मिले यानी उनके पोषण की भी कल्पना है। यह जिस तरीके से चल रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और आप इसके लिए जो पैसा दे रहे हैं उसमें स्टेट कुछ मिला रहा है या नहीं मिला रहा है, इसके लिए कोई मानीटरिंग नहीं है। मध्याह्न भोजन योजना की दुर्व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि यह बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा इसमें कहीं न कहीं लोगों का सहभाग होना चाहिए। हमारे यहां भारतीय संस्कृति में शिक्षा के साथ लोगों सहभाग की कल्पना है। आप देखें कि जब हम पुराने ऋषि-मुनियों के आश्रम की कल्पना करते थे तो उस समय यह बात होती थी कि अगर गांव में किसी के भी यहां शादी होती थी। तो वह कुछ आनाज आश्रम में पहुंचाता था। यह भाग उसे अपना कर्तव्य समझकर देना होता था।

यह भी हो सकता है मगर उसके लिए जनसहयोग लेकर अच्छी तरह से योजना बननी चाहिए नहीं तो मध्याह्न भोजन में कहीं न कहीं एक्सीडेंटल बातें ही ज्यादा होती रहेंगी। सरकार के करोड़ों रुपये खर्च हो जाएंगे। हम यहां पर वाहवाही लूटेंगे कि हमने इतने करोड़ रुपये बजट मध्याह्न भोजन के लिए रखे, लेकिन वास्तव में यह होता है कि सरकार के बजट का पैसा जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाता है और उसका जो आउटपुट आना चाहिए, वह भी नहीं आता है। आपने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की जो बात की है और उसमें 6000 आदर्श विद्यालयों की बात की, बहुत अच्छी बात है। प्रावधान अभी तो बहुत ही थोड़ा रखा गया, योजना भी ऐसी कोई ठोस नहीं बनी हुई है। मैं एक सुझाव देना चाहूंगी।

अभी केन्द्रीय विद्यालयों की बात हो रही थी। यह वास्तविक होती है। केन्द्रीय विद्यालय धीरे-धीरे अच्छा स्वरूप ले रहे हैं। इनको और अच्छा बनाया जा सकता है। इन्हें ही आदर्श बनाएं और इनकी संख्या अगर बढ़े तो अच्छा रहेगा। आज जिस तरीके से स्कूलों की फीस में वृद्धि हो रही है, वास्तव में बच्चों को पढ़ाना कठिन होता जाता

है। लोग चाहते हैं केन्द्रीय विद्यालय में एडमिशन, स्टेट गवर्नमेंट के इंप्लाइज भी चाहते हैं। कहीं न कहीं वह एडमिशन मिलने में कठिनाई है या इतने विद्यालयों की उपलब्धता नहीं है। मैं चाहूंगी कि अगर आप केन्द्रीय विद्यालयों को और सक्षम बनाते हुए उनकी संख्या बढ़ाने के मामले में सोचें जो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बात आपने और की है। मैं कहूंगी कि केवल स्कूल भवन बनाने से काम नहीं चलेगा। आदर्श विद्यालय तो है लेकिन आदर्श विद्यालय में शिक्षा का स्तर कैसे ऊपर उठे, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। वास्तव में आज सबसे ज्यादा दुर्गति यदि रहती है तो वह शिक्षकों की रहती है। उनको जनगणना से लेकर हरेक काम में लगाया जाता है। वे शिक्षा का काम कितना करते हैं यह भी सोचना पड़ेगा, लेकिन शिक्षा का स्तर उचित होना चाहिए। अभी तो दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा समाप्त करने की बात भी हो रही थी और ग्रेडेशन की बात हो रही थी। केवल इससे भी काम नहीं चलेगा। नहीं तो बच्चा आगे बढ़ता जाता है, मगर वास्तव में उसकी शिक्षा क्या होती है, उसका स्तर क्या रहता है? हमने देखा है कि आगे जाते तीन प्रतिशत ही लोग ग्रैजुएट होते हैं और उन तीन प्रतिशत ग्रैजुएट्स में से 25 प्रतिशत डिग्रीधारी कोई भी काम करने के लायक नहीं होते हैं, ऐसा एक सर्वे में मुझे पढ़ने में आया। क्योंकि मूल शिक्षा का स्तर ही नहीं बन पाया क्योंकि जो आधारभूत शिक्षा होती है, वह आधारभूत शिक्षा ही कहीं कमजोर रह गई तो इमारत बुलंद तो हो ही नहीं सकती है।

जल शिक्षण संस्थानों में बीच में कुछ सुधार हुआ था। जो जन शिक्षण संस्थान चलते हैं, वास्तव में यह एक अच्छी कल्पना है। यहां हम देखते हैं कि रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाती है। मैं चाहूंगी कि यदि इनके सुदृढीकरण की योजना हम बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां छोटे छोटे कोर्सेज स्किल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से जो पढ़ाए जाते हैं, वह कुशलता अगर हासिल हो जाती है तो यहां इनके अपग्रेडेशन की कोई योजना आप बनाए तो बहुत ठीक होगा। उच्च शिक्षा पर तो बजट अच्छा बढ़ाया गया है, लेकिन उच्च शिक्षा पर बजट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। आज हमारे बच्चे जिस तरीके से हम कहते हैं कि टैशन फ्री होकर उनको पढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चे, बाप रे बाप! वे भी टैशन पाल रहे हैं। होता यह है कि माता-पिता सभी टैशन में हैं। टैशन के बाद भी उसको ठीक लाइन मिलेगी या नहीं...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त करें। आप पहले ही दस मिनट ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मैं बिल्कुल दो मिनट बोलूंगी, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज आवश्यकता क्या है उसके अनुसार कालेज हैं या नहीं। डाक्टर्स की ज्यादा आवश्यकता है मगर मैडिकल कालेज की सुविधा है या नहीं। बच्चे उस तरफ जाना चाहेंगे लेकिन सुविधा नहीं है। आज इंजीनियरिंग के तीन लाख छात्रों के लिए सुविधा है मगर उसमें कंप्यूटर साइंस की लाइन में ही बच्चे जाना चाहेंगे। आवश्यकता सिविल इंजीनियर की भी है, लेकिन उनके लिए सुविधाएं नहीं हैं। देश की आवश्यकता के अनुसार हायर एजुकेशन के सिस्टम को कैसे सही कर सकते हैं? इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं जाते-जाते वैल्यू एजुकेशन पर एक-दो बातें कहना चाहती हूं। हमारे यहां ऐसे तीन संस्थान हैं, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान और मूल्यों में शिक्षा। मेरा कहना है कि उसके लिए केवल थोड़े करोड़ रुपये रखने से काम चलने वाला नहीं है, इनका उपयोग करके हम क्या कोई इस पर रिसर्च इन्स्टीट्यूट बना सकते हैं? मैं वैल्यू एजुकेशन की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि मूलभूत पाया ठीक नहीं होता है तो हमारे विचार ठीक नहीं बन सकते हैं। अभी एक मंत्री जी का जनसंख्या पर आधारित स्टेटमेंट आया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि मंत्री जी को हिन्दुस्तान की संस्कृति और संस्कारों की जानकारी नहीं है। यदि हमारे यहां गांव में लाइट नहीं होती है तो लोग इकट्ठा होकर भजन करते हैं, छोटे दिये जलाकर रामायण का पाठ करते हैं। मैं मूल्य आधारित शिक्षा की बात इसलिए करती हूं क्योंकि मंत्री पद पर पहुंचने के बाद भी उनको हमारे देश की जानकारी नहीं है। इसलिए वैल्यू एजुकेशन बहुत आवश्यक है, केवल कोर्स बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें इस पर ध्यान देना होगा। विदेशों की यूनीवर्सिटियां यहां आ रही हैं, लेकिन वे रजिस्टर्ड और स्टेन्डर्ड हैं अथवा नहीं? इन सब बातों पर ध्यान देना होगा।

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर) : माननीय सभापति महोदय, मैं यहां शिक्षा प्रणाली और शिक्षा प्रणाली के बारे में हो रही चर्चा पर अपनी पार्टी की तरफ से अपने विचार रखने के लिए खड़ी हुई हूं। इस विषय पर विचार रखने से पहले मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त किया और अपनी पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं के विश्वास की वजह से आज मुझे यह गौरवशाली मौका मिला कि मैं लोकतंत्र के पवित्र-पावन मंदिर में खड़ी हो कर अपनी बात पहली बार रख रही हूं। आने वाले पांच वर्षों में सभी पक्षों के प्रबुद्धजनों से कुछ सीखने का अवसर

[कुमारी मीनाक्षी नटराजन]

मुझे मिलेगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। इसी आशा के साथ मैं इस प्रबुद्ध सदन में बोलने के लिए उपस्थित हुई हूँ।

माननीय जोशी जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने इस बहस की शुरुआत करते हुए भारत के प्राचीन गौरवपूर्ण शिक्षा संस्थाओं और केंद्रों का जिक्र किया। यह सही है कि प्राचीन समय से ही हमारी संस्कृति के ज्ञान और शिक्षा को बहुत महत्व दिया और तमसो मा ज्योतिर्गमय की बात हमारे यहां कही गई और माना गया कि ज्ञान और इल्म की रोशनी के सहारे आदमी जहालत के अंधकार के अंधकार से दूर निकल सकता है। आज जब हम एक नई सहस्राब्दी में खड़े हैं और 21वीं सदी की तरफ हम देख रहे हैं, तब हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, इस पर बात करने की बहुत जरूरत है। कैसी शिक्षा व्यवस्था आज हमारे देश की होनी चाहिए? हमारे सांस्कृतिक मूल्य और धर्म ग्रंथ शिक्षा के बारे में कहते हैं - ता शिक्षाया विमुक्ते और विद्या ददाति विनयम्। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, जो बंधनकारी न हो, जो बंधनों से हमें मुक्त करती हो, जो भेदभाव के बंधनों को तोड़ती हो, जो इल्म की रोशनी की तरफ हमें ले की जाती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो विनय प्रदान करे, जो व्यक्ति को विनम्र बनाए। जब भारी बस्तों का बोझ अपने नन्हें-नन्हें कंधों पर उठाते कोमल बच्चों को हम देखते हैं। जिनका बचपन कहीं न कहीं कुम्हलाने लगता है। मुझे कबीर दास जी की वह बात याद आती है, जब उन्होंने कहा - "पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोए, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए।" हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो प्रेम का प्रचार-प्रसार करे, सदभावना पर आधारित हो, मनुष्य को मनुष्य बनाए। उसे जो अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा दे, सभी धर्मों और लोगों के बीच में समभाव रखने और सब का सम्मान करने की भावना दे। ऐसी शिक्षा नीति की हम लोगों को जरूरत है।

सभापति महोदय, मुझे बेहद खुशी है कि हमारी यूपीए की सरकार ने इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। अगर हम आजादी के आंदोलन की बात करें तो हमारे देश के राष्ट्रपिता ने जिस तरह की शिक्षा की बात की, उन्होंने कहा कि मैं भारत के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को दृढ़ता पूर्वक मानता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा मत है कि बुद्धि की सच्ची शिक्षा हाथ, पैर, आंख, कान, नाक आदि शरीर के अंगों के अंगों के ठीक अभ्यास और शिक्षण से ही हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य न तो कोरी बुद्धि है, न स्थूल शरीर है और न केवल हृदय या आत्मा ही है। सम्पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए तीनों के उचित और एक

रस मेल की जरूरत होती है, यही शिक्षा की सच्ची व्यवस्था है। आज जब हम इस आदर्श को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा नीति के बारे में तय करते हैं तो मैं आपके समक्ष केवल अपना एक अनुभव प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अपने निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण करते समय छोटे से गांव सावन में मुझे जाने का मौका मिला। वहां बहुत सी महिलाएं एकत्रित थीं। उनमें से एक महिला ने मेरा रास्ता रोकते हुए कहा, वह प्रश्न आज तक मुझे बेचैन करता है। इसलिए उसका अनुभव मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। उस महिला ने मुझ से कहा कि यदि हमारे गांव में रोज मास्टर आता तो मैं भी तुम्हारी जगह पर होती।

सभापति महोदय, आज हमारे सामने यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि आने वाले समय में ऐसा प्रश्न खड़ा करने वाली जब तक एक महिला भी होगी, तब तक हमारी शिक्षा नीति की सफलता पूरी नहीं मानी जाएगी। सर्वशिक्षा अभियान और मिड-डे-मील के अंतर्गत जो प्रयास हुए हैं, वे इसी दिशा में हैं कि वह गांव और शहर के बीच की दूरियों को पटा सकें, बीच की खमियों को दूर कर सकें। गांव में रहने वाले लोगों को भी वैसी ही शिक्षा मिले, जैसी शहर में रहने वाले लोगों को मिलती है। आज अगर हमारे सामने कोई चुनौती है, मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारी अपनी दिल्ली, जो देश की राजधानी है, उसमें अगर सेंट-स्टीफंस जैसे कालेजेस हैं, देश की इस राजधानी परिक्षेत्र में ही करीब तीस किलोमीटर की दूरी पर जो दो बड़े महिलाओं के लिए महाविद्यालय हैं, उनके हालात का हम वहां जाकर मुआयना करें तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी के इस फैसले का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, जहां उन्होंने शिक्षा के मौलिक अधिकार को कानूनी रूप प्रस्तुत करने और उसके शीघ्र से शीघ्र इम्प्लीमेंटेशन की बात की। हम जब शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाएं तो उसमें हम गुणात्मक शिक्षा की बात जरूर रखें। अगर शिक्षा गुणत्मक होगी तब हमारे समाज में जितने भी तरह के भेद हैं, जिसमें मैं समझती हूँ कि अवसर का भेद, यानी अवसर की असमानता सबसे बड़ा भेद है, वह भेद समाप्त हो सके।

सभापति महोदय, मैं यहां केवल एक-दो जरूरी बातें कहना चाहती हूँ। आज यहां माननीय जोशी जी ने पाठ्यक्रम के फेरबदल और उस पर पड़ने वाले राजनैतिक दबाव तथा इंटरफियरेंस की बात रखी। मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते अपनी बात जब यहां रखी तो उसका उल्लेख किया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, बड़ी गंभीर बात है कि देश के प्रथम प्रधान मंत्री जी और स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रवाणी भूमिका निभाने वाले आधुनिक भारत के यशस्वी

निर्माता पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को पाठ्यक्रम से गायब करने की कुछ प्रदेशों में कोशिश होती है।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, एक प्रदेश, जिससे मैं आती हूँ, वहाँ पर यह कोशिश हुई कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी कविता की चन्द पंक्तियों को गायब करने का अचानक इरादा प्रदेश की सरकार ने किया, यह अत्यन्त दुख की बात है। यह पीड़ा की बात है कि जिन लोगों ने आजादी के आन्दोलन का नेतृत्व किया और उसके बाद राष्ट्र के नव निर्माण में अपना योगदान दिया, उन लोगों के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ियों को मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी हम एक ऐसी पीढ़ी का नव निर्माण करते हुए आगे बढ़ सकेंगे, जो हमारे देश की विरासत को समझती होगी, उसकी मिलीजुली संस्कृति को समझती होगी और जो देश को आगे बढ़ाएगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मंत्री महोदय ने परीक्षा प्रणाली में कई तरह के सुधारों के सुझाव दिए हैं। मैं उन सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करना चाहती हूँ कि बचपन से हम सुनते आए हैं कि अपनी गलतियों से सीखो, मगर गलतियाँ क्या कीं, यह आज तक कोई बताता नहीं। जब परीक्षाओं में हम उत्तर पुस्तिकाएं भर कर देते हैं, तो हमें मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर उन उत्तर पुस्तिकाओं को प्रतिलिपि या नकद दे दी गई होती, तो हो सकता था कि हम अपने आप में गुणात्मक सुधार कर पाते। इसलिए ऐसा करने के लिए मैं आपसे विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहती हूँ।

महोदय, जब ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिशों को रखा, तो उन्होंने उसकी पृष्ठभूमि में इस बात को स्वीकार किया कि केवल 60 फीसदी लोग आज उच्च शिक्षा के द्वार तक पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि जो वर्तमान शैक्षिक सुधार होंगे, उसके तीन प्रधान लक्ष्य होंगे और वर्ष 2015 तक, यानी आगे आने वाले आठ वर्षों के लिए उन्होंने लक्ष्य निर्धारित करते हुए लिखा कि उनके लक्ष्य हैं- विस्तार, श्रेष्ठता और समावेश। वर्ष 2015 तक उन्होंने 1500 विश्वविद्यालयों की स्थापना के सुझाव प्रस्तुत किए।

अपराह्न 05.02 बजे

[डॉ. एम. तम्बिदुरई पीठासीन हुए]

महोदय, मैं यहां केवल इतना कहना चाहती हूँ कि जब हम शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात कर रहे हैं, तब ज्ञान आयोग ने जिस

विद्या क्रान्ति की बात कही और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ हमारी जो परीक्षा प्रणाली है, वह किसी व्यक्ति की समझ, सृजनात्मकता या रचनात्मकता की परीक्षा नहीं लेती, बल्कि वह केवल उसकी याददाश्त की क्षमता की परीक्षा लेती है। क्या हम अपने देश की भावी पीढ़ी को तोता-रटन्त बनाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि उसके अंदर की जो सृजनात्मकता है उसे हम निखार दें, उबार दें और उसे एक माध्यम दें कि वह शिक्षा के द्वारा अपनी सृजनात्मक क्षमता को आगे बढ़ाने का काम कर सके। यह बात राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों में भी दर्ज की गई है और उसने भी इस बात को माना है कि समझ की बजाय, यदि याददाश्त की परीक्षा होती रहेगी, तो वह किसी भी तरह से उचित नहीं होगा।

महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि मंत्री महोदय ने विदेशों से यहां शिक्षा देने हेतु आने वालों के लिए द्वार खोलने की बात कही है, मैं उस कदम का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारे देश के विद्यार्थी बाहर जाकर विद्या अर्जित करते हैं और उसके बाद लौटकर आते हैं, तो न केवल हमारे देश में आने के बाद और वृहद् स्वरूप में हमारे देश की सेवा कर पाते हैं, बल्कि जब वे किसी दूसरे देश में जाते हैं, तब भी हमारे देश के शैक्षणिक और सांस्कृतिक दूत के रूप में वहां होते हैं और हमारे देश का नाम रौशन करते हैं।

महोदय, स्वामी विवेकानन्द कहते थे कि हम 'टच मी नाट इज्म' की प्रवृत्ति से ऊपर उठने की जरूरत है। मैं भी वही बात कहना चाहता हूँ। अगर हमें उसमें किसी तरह का संशय है, तो आजादी के इतने वर्षों के बाद हमें किसी भी तरह के संस्थान, किसी भी तरह के शिक्षण केन्द्र या किसी भी तरह के बाहर से आने वाले अन्य विश्वविद्यालयों का भय क्यों सताना चाहिए?

महात्मा गंधी ने कितने सुन्दर शब्दों में कहा "मैं नहीं चाहता कि मेरा घर सब तरफ खड़ी हुई दीवारों से घिरा हो और उसके दरवाजे और खिड़कियां बन्द कर दी जायें। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे घर के आसपास देश-विदेश की संस्कृति की हवा बहती रहे।" हमें किस बात का खतरा है? जैसे अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया कि "यूनानो, मिश्र, रोमां, सब मिट गये जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।"

मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा जो बात की गई, मैं उसका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अन्त में मैं केवल एक बात और रखना चाहती हूँ कि आपने जो

[कुमारी मीनाक्षी नटराजन]

नई स्कालरशिप्स की बात की है, वह एक बहुत स्वागतयोग्य कदम है। जो हमारे आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े लोग हैं, जो कमजोर तबके हैं, उन वर्ग के छात्र-छात्राओं को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कदम आपने लेने का फैसला लिया है। मैं उसके लिए आपका बहुत-बहुत साधुवाद करती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि लगता है कि आपके इस ऐतिहासिक कदम को उठा देने के बाद अब हमारे देश में कोई एकलव्य ऐसा नहीं रहेगा, जिसको ज्ञान प्राप्ति के बदले अंगूठा कटवाना पड़े। ऐसी मैं आपसे उम्मीद व्यक्त करती हूँ।

आप लोगों ने मुझे यह अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ।

[अनुवाद]

*श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (फरीदकोट) : धन्यवाद सभापति महोदय, संसद में एक महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा उसका केन्द्र बिंदु होता है। जब तक कि देश की जनसंख्या विशेषरूप से अधिक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा के स्तर तक साक्षर न हो जाए तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है चूँकि यह शिक्षा का मूलभूत केन्द्र बिंदु है, इस शिक्षा पर ही जनसंख्या का आधार विकसित होता है। परंतु स्थायीनीति के अभाव में हमारी शिक्षा प्रारंभिक स्तर पर सफल नहीं रही है। जब कभी हमारी सरकार और मंत्री बदलते हैं तब हमारी शिक्षा नीति भी बदल जाती है।

यही कारण है कि शिक्षा क्षेत्र में प्रारंभिक स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ देने की दर बढ़ती जा रही है, इसे ठीक करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि प्राथमिक माध्यमिक, उच्च स्तर पर संपूर्ण देश में शिक्षा स्तर एक समान होना चाहिए तथा समान नीति होनी चाहिए। बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना आरंभ की गई थी। यह एक अच्छी योजना थी, परंतु इसमें अनेक खामियां थीं जिस पर मीडिया प्रेस तथा सदस्यों द्वारा प्रकाश डाला गया था परंतु इन्हें दूर नहीं किया गया। मुझसे पहले बोलने वाली वक्ता श्रीमती सुमित्रा महाजन ने भी इन कमजोरियों को उजागर किया था।

सर्वशिक्षा अभियान एक बहुत अच्छी योजना थी परंतु यह भी विफल हो गई, शिक्षा के क्षेत्र में इस योजना का कोई लाभ नहीं उठाया गया।

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

शिक्षकों को कक्षा में भेजने की बजाय उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के तहत अन्य दायित्व सौंपे गए। यदि हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत किए गए कार्य का व्यावहारिक रूप में निगरानी न करें तो उसको व्यावहारिक रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है।

बेरोजगारी को कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए देश के प्रत्येक जिले में आवासीय सुविधा युक्त केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। गरीब लड़कों और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। विद्यालयों में कम्प्यूटर संबंधी शिक्षा प्रदान करना निसंदेह एक अच्छी योजना है क्योंकि यह कम्प्यूटीकरण का युग है। यह विचारणीय है कि विद्युत के अभाव में गांवों में कम्प्यूटर बेकार पड़े हुए हैं, इसलिए मेरा यह परामर्श है कि गांवों में इन्वर्टर और जनरेटर उपलब्ध कराए जाये ताकि कम्प्यूटरों का उपयोग किया जा सके।

गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवास मुहैया कराया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय विद्यालय प्रणाली आरंभ की जाए जहां गरीब और अमीर दोनों एक ही छत के नीचे शिक्षा प्राप्त कर सकें।

हमने गरीब बच्चों की देखभाल के लिए गांवों में आगनवाड़ी खोली है परंतु उनके लिए उपयुक्त भवन का निर्माण नहीं किया। बच्चों को दिया जा रहा भोजन भी घटिया है। मुद्रस्फीति को ध्यान में रखते हुए आगनवाड़ी कामगारों और सहायकों को दिया जा रहा बोनस भी बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। आगनवाड़ी के लिए भवन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

निजी प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा बालिकाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए।

तेजी से उत्पन्न हो रहे निजी मानित विश्वविद्यालय बड़े पैमाने पर लूट में संलिप्त हैं। उनके यहां न तो शिक्षा का कोई स्तर है और न ही शुल्क पर कोई सीमा है। वे अमीर और गरीब बच्चों से मनमाना शुल्क लेते हैं। इसे विनियमित किया जाना चाहिए। तकनीकी और चिकित्सा महाविद्यालयों में गरीब बच्चों के लिए कम शुल्क होना चाहिए।

पंजाब में विशेषकर फरीदकोट तथा भटिंडा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रबंधन संस्थान तथा आईआईटी खोले जाने चाहिए क्योंकि वे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं।

केन्द्र सरकार को विद्यालयों के स्तर में वृद्धि करने के लिए अधिकतम अनुदान देना चाहिए। शिक्षकों की कमी को दूर किया जाना चाहिए, विद्यालयों में पेय जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए उन्हें विशेष लाभ दिए जाने चाहिए। हम चाहें शिक्षा प्रणाली में जितना भी सुधार कर लें जब तक हम ग्रामीण विद्यालयों में सुधार नहीं करते हैं अर्थात् जब तक हम शिक्षकों को विशेष सुविधाएं जैसे ग्राम भत्ता, आवास, आयकर में लाभ, अच्छी यातायात सुविधाएं नहीं देते हैं तब तक विद्यालय प्रणाली विशेषकर ग्रामीण विद्यालय प्रणाली में सुधार नहीं होगा।

मैंने तीस वर्षों तक शिक्षा विभाग में कार्य किया है और मैं शिक्षकों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के बारे में जानती हूँ परंतु समयाभाव के कारण मैं उन पर प्रकाश नहीं डाल सकती हूँ। जब तक हम ग्रामीण शिक्षा तंत्र में सुधार नहीं करते हैं तब तक समग्र शिक्षा में सुधार नहीं होगा।

छात्रों के बीच खेल संबंधी रुचि में वृद्धि करने के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें ग्रामों में शिक्षा के संबंध में विशेष प्रयास करने चाहिए क्योंकि देश की अधिकतम जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है।

त्रुटिपूर्ण शिक्षा नीति के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है इसलिए छात्रों में नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

देश का भविष्य नितांत अंधकार में है। जब तक हम शिक्षा में सुधार नहीं करते हैं तब तक अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ता जाएगा। मौजूदा शिक्षा तंत्र में गरीब और ग्रामीण परिवेश के लोग काफी पिछड़ गए हैं और निजी विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में वृद्धि के कारण शिक्षा मात्र अमीर लोगों के लिए ही रह गई है तथा मनमाने ढंग से बेतहाशा शुल्क वसूला जा रहा है। इसलिए शिक्षा नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें गरीब और अमीर एक साथ पढ़ सकें तथा सभी को समान सुविधाएं प्राप्त हों।

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर) : आदरणीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों, पर एआईएडीएमके पार्टी की ओर से विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए माननीय सभापति महोदय का धन्यवाद करता हूँ।

मैं इस सम्माननीय सभा में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए अपनी प्रिय नेता और आल इंडिया अन्ना डीएमके की महा सचिव

डॉ. पुरातची तलाईवी जयललिता अम्मा को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैं तिरुवल्लूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने भारी मतों से मुझे निर्वाचित किया।

मुद्दे पर आते हुए, मैं उच्च शिक्षा का पुर्नगठन करने के लिए यशपाल समिति के प्रतिवेदन की कतिपय सिफारिशों पर अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूँ।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रस्तावित प्रमुख बदलावों पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा जारी है।

प्रो. यशपाल ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अनुसंधान आयोग अर्थात् एनसीएचईआर नामक संस्थान के सृजन के प्रस्ताव के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए एक विस्तृत ढांचा प्रस्तुत किया है। हमारी शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार होने जा रहे हैं। मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से 10वीं बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बनाने या इसे समाप्त करने में अत्यंत सावाधानी बरतने का अनुरोध करूंगा। इसके गुण-दोष पर प्रिंट एंव श्रव्य मीडिया दोनों में ही चर्चा और बहस हुई है। इस मुद्दे पर विद्यार्थियों, उनके माता-पिता तथा प्रसिद्ध शिक्षाविदों की राय भिन्न-भिन्न हैं।

प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई स्कूल स्तर पर विद्यालयी शिक्षा में मूलभूत शिक्षा का समावेश है जो विद्यार्थियों के आंतरिक गुणों तथा मूल्यों का विकास करती है। इसलिए, दसवीं बोर्ड परीक्षा को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान 50 वर्ष पूर्व ले जाना चाहता हूँ जब तमिलनाडु में 'कुला कल्वी थिट्टम' अर्थात् समुदाय और जाति उन्मुखी शिक्षा आरंभ करने हेतु पहल की गई थी जिसका परिपार और अन्ना सहित सभी लोगों ने जमकर विरोध किया था। उसके चलते, एक बड़ी क्रान्ति हुई और अब हम पाते हैं कि गरीब, दबे-कुचले और वंचित समुदायों के लोग डाक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ।

महोदय, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, डीसीई और एमसीआई जैसे मौजूदा विनियामक निकायों को प्रतिस्थापित करने की सिफारिश के संबंध में हमें अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए नियामक तंत्र होना चाहिए ताकि हम स्वयं अपने शिक्षा तंत्र की निगरानी कर सकें।

समविश्वविद्यालय के दर्जे पर यशपाल समिति की सिफारिशों के संबंध में भी हमें अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। गुणवत्ता के साथ

[डॉ. पी. वेणुगोपाल]

समविश्वविद्यालय दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं मौजूदा सभी समविश्वविद्यालयों के लिए तीन वर्षों की अवधि के भीतर नए प्रत्यापन मानकों का पालन करने की अनिवार्यता में संबंधी सिफारिश का स्वागत करता हूँ जिसका पालन न किए जाने की स्थिति में समविश्वविद्यालय का दर्जा वापस ले लिया जाएगा। कतिपय पाठ्यक्रमों को अनुमोदन दिए जाने के संबंध में मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु तंत्र निर्धारित किया जाए। एकल खिड़की प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

मेरा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध है कि आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं के बारे में उक्त समिति की सिफारिशों तथा उन्हें अपनी अनुखी विशेषताओं को संजोए रखते हुए पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में अपने कार्य में विविधता लाने तथा विस्तार करने हेतु लागू किया जाए। जो सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक उदाहरण तथा आदर्श शासन तंत्र के रूप में कार्य करेगा।

चूंकि आईआईटी और आईआईएम में अध्ययन उपरांत अधिकांश छात्र विदेश जाना पसंद करते हैं इसलिए प्रतिमा पलायन को रोकने तथा उनकी सर्वोत्तम प्रतिमा को भारत के लिए उपयोग करने हेतु हमें अपने देश में ही अनुकूल माहौल पैदा करना होगा ताकि वे अपने देश में ही रहकर अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकें।

उच्च शिक्षा में परिस्थितियों के संबंध में हम विश्व के विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक पिछड़े हुए हैं। भारत में यह 10 प्रतिशत है जबकि अमरीका में यह 75 प्रतिशत और जापान में यह 45 प्रतिशत है तथा सूर्योप्य देशों में यह 40 प्रतिशत है। इसलिए हमें गुणवत्तायुक्त विश्वविद्यालयों की मौजूदा संख्या में कम से कम चार गुना वृद्धि करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

भारत में, सभी राज्यों में गुणवत्ता पर के शिक्षा केवल तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ही प्रदान की जाती है। यहां तक कि केरल में भी, जोकि साक्षरता दर में सबसे आगे है, वह भी गुणवत्ता परक शिक्षा में पिछड़ रहा है। अमरीका और ब्रिटेन में शिक्षा प्रणाली अनुसंधानोन्मुखी पद्धति पर आधारित है जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली केवल सिद्धांत आधारित है। हमारी शिक्षा प्रणाली को सिद्धोत्तोन्मुखी की बजाय अनुसंधानोन्मुखी बनाया जाना चाहिए। इसके लिए, राज्यों में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का अभिमुखीकरण किया जाना चाहिए और उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के समकक्ष लाया जाना चाहिए। हमें अनुसंधानोन्मुखी वैज्ञानिकों को बढ़ावा देना होगा।

पेरियार, अन्ना, एमजीआर और अम्मा के कारण तमिलनाडु में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रान्ति आई है। वर्ष 1979 के दौरान तमिलनाडु में 9 इंजीनियरिंग कालेज थे जिनसे केवल 2,000 छात्र इंजीनियर बनकर निकलते थे। परंतु एमजीआर और पूर्व मुख्य मंत्री अम्मा जयललिता के सतत् प्रयासों के कारण आज तमिलनाडु में 400 से अधिक इंजीनियरिंग कालेज हैं। जिनसे प्रतिवर्ष 1,00,000 से अधिक छात्र इंजीनियर बन कर निकलते हैं। हमारे प्रिय नेता पुरातची तलाई के जयललिता अम्मा के प्रयासों के कारण तमिलनाडु में 'तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय' खोलने हेतु कदम उठाए गए।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा ऋण के तंत्र को उदार बनाया जाना चाहिए तथा अधिस्थगन काल के दौरान पात्र छात्रों को पूर्ण राजसहायता प्रदान की जानी चाहिए।

अपनी बात समाप्त करते हुए, मैं सरकार से सभी विद्यालयों में नीतिशास्त्र को एक अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करने का अनुरोध करता हूँ। पाठ्यक्रमों में खेलों को सर्वोच्च वरीयता दी जानी चाहिए तथा हर कीमत पर पाठ्येतर क्रियाकलापों का विकास किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही) : मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। शिक्षा समाज की मूलभूत आवश्यकता है और समाज के विकास की प्रथम सोपान है। किसी भी समाज, व्यक्ति और परिवार का विकास शिक्षा से ही संभव है। आज देश में शिक्षा की जो व्यवस्था है, वह निश्चित रूप से शोचनीय है। ग्रामीण अंचलों में जहां शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है, जहां अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाने की हैसियत नहीं रखते, वहां केन्द्रीय सरकार के माध्यम से सर्वशिक्षा अभियान की एक व्यवस्था दी गयी। सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना, शिक्षा का प्रयास करना, उन्हें साक्षर और मनुष्य बनाने की सारी व्यवस्थाएं देना जैसी योजनाएं बनीं। लेकिन उसमें कहीं न कहीं त्रुटियां रह गयीं, जो निचले स्तर पर देखने को मिलती हैं।

समाज में शिक्षा से महत्वपूर्ण कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं। गांवों में रहने वाले लोग आज भी अंगूठा लगाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा के स्तर पर वे सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो मिलनी चाहिए। गांव में गरीब

परिवार रहता है। वहां स्कूल के नाम से जो विद्यालय खोले गये, कमरे बनाये गये, लेकिन आज भी गांव में ऐसे एकल विद्यालय चलते हैं जहां मात्र एक अध्यापक होता है। कहीं-कहीं तो ऐसे विद्यालय होते हैं जहां अध्यापक है ही नहीं। वहां विद्यालय खुलते ही नहीं। वे विद्यालय कागज पर हैं, लेकिन चलते नहीं हैं क्योंकि वहां अध्यापक नहीं हैं। आज जरूरत है कि पूरे देश में ऐसे विद्यालयों की एक सूची बनायी जाये, जहां अध्यापक हैं ही नहीं या जहां एकल अध्यापक हैं। एक अध्यापक कक्षा एक से कक्षा पांच तक कि शिक्षा कैसे दे पायेगा?

संयोग से मैं भी अध्यापक रहा हूं। मुझे भी इंटर कालेज में पढ़ाने का पन्द्रह वर्षों का अनुभव है। मुझे शिक्षा के बारे में बहुत तजुर्बा और जमीनी जानकारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सर्वशिक्षा अभियान का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि समाज एवं गांवों को साक्षर बनाना, गांव के गरीब परिवारों को शिक्षित बनाया, गांव में अंगूठे का निशान न लगाना पड़े। गांव का वह व्यक्ति जो अपनी रोजी-रोटी के लिए मजबूर है, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूर है, वह जब अपने बच्चों को किसी भी स्तर से गांव में स्कूल भेजता है, तो वहां अध्यापक नहीं है, पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, तो फिर शिक्षा कहाँ हो पायेगी?

दूसरा, पहले गांव में जो स्कूल थे, उनमें छत नहीं थी। आज उन्हें छत के नाम पर व्यवस्था दी गयी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम गांव के रहने वाले लोग हैं। हम गांव में जाते हैं। वहां जो कमरे बन रहे हैं, वे इतने घटिया किस्म के बनाये जा रहे हैं कि वे एक बरसात भी नहीं झेल पाते और चूने लगते हैं। उस कमरे में बैठने वाला लड़का छत के नीचे बैठना पसंद न करके पेड़ के नीचे बैठना पसंद करता है। यह घटिया किस्म की जो व्यवस्था है, उसकी भी इक्वायरी होनी चाहिए।

इसके साथ-साथ वहां मिड-डे-मील की व्यवस्था भी की गयी है। हमारे गांव के बच्चे गरीब हैं इसलिए उन्हें प्रोटीनयुक्त भोजन दिया जाये। हम लोग गांव में रहते हैं और देखते हैं। कभी-कभी अखबारों में निकलता है कि किसी गांव में मिड-डे-मील भोजन बना और उसमें जहर पाया गया, कीड़े पाये गये। बच्चों को सड़ा खाना मिल रहा है। हमारा कहना है कि ये सारी चीजें शिक्षा के नाम पर एक लूट है।

शिक्षा के नाम पर जो सुविधाएं दी गयी हैं, जो व्यवस्था दी गयी है, वह लूट की तरफ जा रही है और उसमें मानक भी इतना कम

है कि वे दे भी नहीं पाएंगे। अगर देना भी चाहें तो भी अच्छा भोजन नहीं दे पाएंगे। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जब सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य है गांव के बच्चों को शिक्षित बनाना, उन्हें प्रोटीनयुक्त भोजन देना, उन्हें विद्यालय तक आने के लिए आकर्षित करना, तो इसके लिए व्यवस्था करनी होगी, इसकी जांच करनी होगी, इसके लिए गांव स्तर से लेकर ऊपर तक जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हों, उन पर कार्रवाई करनी होगी। मुझे उत्तर प्रदेश असेंबली में रहते हुए विदेश जाने का मौका मिला। मैं चीन का जिक्र करना चाहूंगा। वहां सभी कसे शिक्षा देने की एक व्यवस्था की गयी। हम लोगों ने वहां के लोगों से पूछा कि आपकी यह व्यवस्था कैसे सफल हुई? उन्होंने बताया कि अगर एक बच्चा स्कूल तक नहीं आता है तो उसके लिए तीनों लोगों को पनिसामेंट दिया जाता है - एक उस गांव के प्रधान को, इसलिए कि वह बच्चा आपके गांव से स्कूल क्यों नहीं गया। दूसरे, उस बच्चे के गार्जियन को कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं गया और तीसरे, उस स्कूल के हेडमास्टर को कि आपके स्कूल का वह बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया। जब इतनी व्यवस्थाएं, इतनी चैकिंग होगी, हम इस पर इतना ध्यान देंगे, तभी हम सर्वशिक्षा अभियान को सफल बना पाएंगे।

महोदय, यह तो प्राथमिक स्कूलों की बात हुई, माध्यमिक स्कूलों में भी यही स्थिति है। आज वहां टीचर्स नहीं हैं, पद खाली हैं और लोग प्राइवेट स्कूलों की ओर भाग रहे हैं। गांव का गरीब, मजदूर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं भेज रहा है क्योंकि वहां अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। इसलिए वह प्राइवेट स्कूल की ओर भाग रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त करें। आपके दल से एक और सदस्य भाषण देने वाले हैं, अन्यथा उन्हें अवसर नहीं दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : उसे पता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, वहां व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, अध्यापक नहीं है और सारी चीजें अस्त-व्यस्त हैं, इसलिए वह प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सर्वशिक्षा अभियान तभी सफल होगा, जब इसकी मानीटरिंग हो, इसकी जांच हो और जिन लोगों को दोषी पाया जाए, उनको दण्डित करने की कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : सभापति महोदय, इस मामले पर चर्चा में भाग लेने हेतु आपने मुझे बुलाया इस के लिए आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम, मैं यू.पी.ए. सरकार, विशेषकर पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री, हमारे मौजूदा मानव संसाधन विकास मंत्री के पूर्ववर्ती मंत्री को, शिक्षा को सांप्रदायिकरण से बचाने की दिशा में उनके द्वारा किये गये प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूँ। अब यू.पी.ए. सरकार ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की है। किंतु, हमारे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री शुरुआत में ही पाठ्यक्रम और विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में एकरूपता के संबंध में विवादग्रस्त व्यक्ति बन गए हैं। मेरे विचार से, वे इस बारे में सोचेंगे, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। यह केवल समवर्ती सूची का ही विषय नहीं है; अब पंचायत राज प्रणाली को अधिक शक्ति प्रदान की जा रही है। इस प्रकाश, शक्तियों के अंतरण की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। विद्यालय शिक्षा में इस प्रकार की एकरूपता हमारे लिए सहायक नहीं होगी; यह हमारे देश के संघीय ढांचे के लिए सहायक नहीं होगी।

अब, मैं मूल विषय अर्थात् मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आता हूँ। सामान्य बजट प्रस्तुत करने के दौरान, माननीय वित्त मंत्री जी ने कौटिल्य को उद्धृत किया और इस टिप्पणी के साथ अपनी बात समाप्त की कि कट लगाने से पहले, धन संपत्ति अर्जित की जाए। यह निराशाजनक है कि राष्ट्र के संपत्ति निर्माण को इतने पक्षपात पूर्ण ढंग से देखा जा रहा है, जैसे धन का आशय केवल धनार्जन ही हैं, जबकि देश की वास्तविक धन संपत्ति इसके मानव संसाधन की गुणवत्ता है। इस संबंध में, वर्ष 2009-10 का बजट शिक्षा क्षेत्र को अनदेखा किए जाने के संबंध में निराशाजनक है।

महोदय, मैं शिक्षा के तीन पहलुओं का उल्लेख कर रहा हूँ। सर्वप्रथम, मैं सार्वभौमिक शिक्षा, आरम्भिक शिक्षा या सभी के लिए शिक्षा का जिक्र कर रहा हूँ; दूसरा मैं उच्च शिक्षा की सुगमता का उल्लेख कर रहा हूँ और तीसरा, शिक्षा की गुणवत्ता का। मैं बजटीय आबंटन पर आ रहा हूँ। जी.डी.पी. के अनुपात के रूप में शिक्षा पर संपूर्ण खर्चा अभी भी 6 प्रतिशत के उस मानक से नीचे है, जिसे 1966 में निर्धारित किया गया था और जिसे वर्ष 2004-05 के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में दोहराया गया।

वर्ष 2007-08 में यह 3.37 प्रतिशत था। इसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। अभी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

महोदय, जी.डी.पी. के अनुपात के रूप में शिक्षा पर संपूर्ण खर्चा छः प्रतिशत के मानक चिह्न से काफी नीचे स्तर पर है। सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के लिए धनराशि आबंटन मेरे पूर्व वक्ताओं द्वारा इस बिंदु पर पहले ही उल्लेख किया जा चुका है - मैं वर्ष 2008-2009 के संशोधित प्राक्कलन से गिरावट आ रही है।

अब, मैं अन्य मुद्दों पर चर्चा करूंगा। बड़ी संख्या में योजनाएं शुरू की गई हैं। यदि हम इन सभी योजनाओं पर ध्यानपूर्वक विचार करें, तो इससे पता चलेगा कि इनमें से अनेकों की स्थिति "नई बोतल में पुरानी शराब" जैसी है।

महोदय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) सक्सेस जर्नाल स्कीम फार यूनिवर्सल एक्सेस एंड क्वालिटी एट द सेकंडरी स्टेज का पुनर्निर्धारित संस्करण है, जिसे 2008-09 में तैयार किया गया था। ब्लाक स्तर पर 600 आदर्श विद्यालयों की स्थापना करने की योजना वर्ष 2008-09 के केन्द्रीय बजट में शुरू की गई आदर्श विद्यालय योजना का नाम उन्नत रूप है। इसलिए, यह कोई नयी चीज नहीं है।

नौवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय साधन-सह-मेघा छात्रवृत्ति योजना भी वर्ष 2007-08 के केन्द्रीय बजट में घोषित की गई योजना का रूपांतरित स्वरूप है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक योजना है। "माध्यमिक स्तर पर निशक्त बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा" नामक एक योजना अस्तित्व में है। इस नई उन्नत योजना में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर विद्यालयों को शामिल नहीं किया गया है? ऐसा प्रतीत होता है कि निशक्त छात्रों को ऐसे उपाय की जरूरत नहीं रह गई है। स्पष्ट रूप से इसे छोड़ दिया गया है।

"सक्सेस" योजना - जो सर्व शिक्षा अभियान के समान है- जिसे वर्ष 2007-08 में 1,305 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था- अब उसे बंद कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सभी नई राष्ट्रीय योजनाएं शुरू करने के बजाय आपने केवल 45 करोड़ रु. की कम धनराशि उपलब्ध कराई है। इसे 1305 करोड़ रु. से घटाकर 45 करोड़ रु. कर दिया गया है।

एक अन्य चिंताजनक पहलू शिक्षा के अंतर्गत ही एक क्षेत्र से ध्यान हटाकर दूसरी ओर लगाने से जुड़ा है अर्थात्, माध्यमिक और

तकनीकी शिक्षा में व्यापक प्रगति किए बिना आरम्भिक शिक्षा से ध्यान हटाना। आरम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है? बल्कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी अभी तक अधिनियमित नहीं किया गया है। मुझे नहीं पता कि चर्चा और पर्याप्त किए जाने के लिए शिक्षा का अधिकार विधेयक इस सभा में कब लाया जाएगा।

आरम्भिक शिक्षा पर सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तपोषण वापिस लिया जाना पूर्णतः दुर्भाग्यपूर्ण है।

महोदय, सबसे अंत में मैं सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आता हूं। यह तरीका अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में अर्थक्षम हो सकता है। किंतु यह चिंता का विषय है और मूल शिक्षा के रूप में पात्रता को निजी संस्थाओं पर छोड़ा जा रहा है। उदाहरणस्वरूप, नए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को पीपीपी मोड के तहत स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

अनेक मानद विश्वविद्यालय स्थापित हो रहे हैं। उनकी निगरानी के लिए क्या तंत्र है? शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए क्या तंत्र है?

मेरा आखिरी मुद्दा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में है।

महोदय, कलकत्ता विश्वविद्यालय की बहुत ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी ध्यान रखेंगे कि विशेष कर सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना में बजटीय आबंटन में कटौती की जाए। बल्कि वे इन योजनाओं के लिए अधिक बजटीय आबंटन उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार आरम्भिक शिक्षा और सार्वभौमिक शिक्षा के महत्व को कम नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन) : सर, इस विषय पर मैं भी अपने आपको संबद्ध करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है। आपको ऐसा करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर) : सभापति जी, मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझे इस गंभीर विषय पर, जो भारत के विकास से संबंधित है और जो बौद्धिक संपदा की चर्चा होती है, उससे जुड़े हुए विषय पर, अपना पक्ष को रखने का मौका दिया है।

हमारे माननीय मानव संसाधन मंत्री जी विद्वान हैं, भारत की ऊंची शिक्षा को दुनिया के स्तर पर ले जाना चाहते हैं। स्वभाविक है कि भारत को अगर प्रतियोगिता में टिके रहना है तो आवश्यक है कि भारत की ऊंची शिक्षा की शिक्षण-व्यवस्था मजबूत बने। इस वर्ष ऊंची शिक्षा में खर्च करने के लिए दो हजार करोड़ रुपये और बढ़े हैं। गत वर्ष इसमें 9 गुना वृद्धि थी और इस वृद्धि से लगता है कि हमारी ऊंची शिक्षा इस लायक बनेगी कि दुनिया में हमारे लोगों की बाजार में जो आवश्यकता है, उसके लायक यहां का जो हमूमन रिसोर्सेज है, उसे हम दुनिया के स्तर का बना पाएंगे।

महोदय, मिस्टर चर्चिल ने कहा था कि भविष्य के शासक वही बनेंगे जो मानसिक रूप में समृद्ध होंगे। भारत में मानसिक समृद्धि के लायक हमारी संस्थाएं बनें, इसका हम स्वागत करते हैं।

माध्यमिक शिक्षा में केवल साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस देश में माध्यमिक शिक्षा संस्थानों को दोगुना करने की आवश्यकता है। उनकी संख्या यदि दोगुनी होगी तो हम मान कर चलते हैं कि जो हमारे प्राथमिक और बेसिक शिक्षा से लोग आयेंगे, वे माध्यमिक शिक्षा के बाद, उच्च शिक्षा के लायक बनेंगे। लेकिन अफसोस है कि इस वर्ष केवल साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये इसके लिए व्यय होने वाले हैं और माध्यमिक शिक्षा की जो मांग है, शायद वह पूरी नहीं हो पायेगी। देश के पैमाने पर जितने संस्थानों की आवश्यकता है, तीन करोड़ विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा से ऊपर उठकर जब आयेंगे, तब उन्हें माध्यमिक शिक्षा में नामांकन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन शिक्षण संस्थाएं उस हिसाब से कम हैं।

हमने बजट पर बोलते हुए प्रश्न रखा था और पुनः अपने विद्वान मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं कि हमारे गांव के जो स्कूल हैं, क्या वे इस लायक हैं, जहां से पढ़ा हुआ विद्यार्थी ऊंची शिक्षा, जिसे आप विश्व स्तरीय बनाना चाहते हैं, इसका उपयोग कर पाएगा? भवन विहीन, फर्नीचर विहीन, किसी तरह का साधन नहीं, शिक्षकों की कमी, हर तरह की विसंगतियों में पड़े हुए हमारे प्राथमिक विद्यालय इस लायक नहीं हैं कि ग्रामीणों को, हमारे किसानों को, मजदूरों को जहां हमारी ज्यादा आबादी रहती है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवा सकें।

[श्री जगदानंद सिंह]

महोदय, 45 लाख बच्चे आज भी बाहर हैं, जिनका किसी प्राथमिक विद्यालय या शिक्षण संस्थान में नामांकन नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि एनरोलमेंट चाहे जितना बढ़ गया हो, जब हम ड्रॉपआउट पर विचार करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे विद्यालय उन्हें पढ़ाने के लायक नहीं हैं। अर्जुन सेन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री के पास वह रिपोर्ट है कि यदि हमारे प्राथमिक विद्यालयों की क्वालिटी नहीं बढ़ी, तो ड्रॉपआउट होने से रोका नहीं जा सकता है। क्वालिटी एजुकेशन से ही हमारा देश तरक्की कर सकता है। बौद्धिक सम्पदा यदि कुछ परिवारों की सम्पदा बन कर रह जाएगी, तो देश में गांवों के अंदर जिस बौद्धिक सम्पदा की हम आशा कर बैठे हैं, शायद उसे पैदा करने में हमें बहुत कठिनाई होगी। पिछले बजट में प्राथमिक विद्यालयों को 13 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे, अलग से विद्यालयों में 8 हजार करोड़ रुपया विद्यार्थियों को खिचड़ी खिलाने पर खर्च होना था। निश्चित रूप से हमारे बच्चों को पौष्टिक आहार चाहिए, लेकिन आज जितना पेट भूखा है, उससे अधिक लोगों का दिमाग भूखा है। यदि दिमाग की भूख नहीं मिटेगी, तो हमारे पेट की भूख स्थायी बन जाएगी और फिर वह विद्यार्थी जो कटोरा लेकर विद्यालय में खिचड़ी के लिए आ रहा है, वह जीवनभर कटोरा लेकर भटकता रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी से आप से कहना चाहता हूँ कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों को मजबूत कीजिए और जिस तरह से देश स्तर पर हमारे महाविद्यालयों की कहीं न कहीं से समीक्षा होती है कि हमारे महाविद्यालयों का स्तर क्या है, उसी तरह जिला स्तर पर हमारे प्राथमिक विद्यालयों का इवेल्यूएशन कराने का सिस्टम कायम किया जाए। इससे पता चलेगा कि हमारे प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं की स्थिति क्या है।

मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि जोर-शोर से मांग हो रही है कि परीक्षा खत्म होनी चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निजी विद्यालयों में, हमारे शहर के विद्यालयों में परीक्षा के बदले में इवेल्यूएशन सिस्टम है, क्या वह हमारे ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों तक जाएगा?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह : यदि हमारे ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों तक

यह सिस्टम नहीं जाएगा, तो अभी तक हमारी जो अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा होती थी, उससे अभिभावक समझ पाते थे कि उनके बच्चों की पढ़ाई का स्तर क्या है। यदि ये परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, तो अभिभावक जान नहीं पाएंगे कि उनके बच्चे हाई स्कूल में जाने के बाद फेल हो जाएंगे या आगे उनके बच्चों की स्थिति क्या होगी। उन्हें यह कैसे पता चलेगा कि इतने वर्षों की पढ़ाई के बाद उनका बच्चा ऊंची शिक्षा भी प्राप्त कर सकेगा या नहीं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपनी बात को दोहरा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह : मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा को मजबूत किया जाए। प्राथमिक शिक्षा मजबूत नहीं होगी और समान शिक्षा का अवसर नहीं मिलेगा, तो भारतवर्ष में दो वर्ग पैदा होंगे एक इंडिया का और दूसरा भारत का। बजट में इंडिया की शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने की पूरी योजना है, लेकिन हमारे भारत के बच्चों की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की योजना नहीं है। कृपया करके यूपीए सरकार हमारे प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करके ग्रामीण भारत के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, मेरे पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने वाले 13 वक्ताओं की सूची है। जो सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं। उन्हें कार्यवाही वृत्त का एक भाग माना जाएगा।

श्रीमती प्रिया दत्त (मुम्बई उत्तर-मध्य) : मैं सभापति महोदय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

मैं यहां पर मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। मेरे हिसाब से मानव संसाधन विकास मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। मैं मैडम सोनिया गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह जी को इस मंत्रालय को एक गतिशील नेतृत्व प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि

माननीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी देश में शैक्षिक सुधारों के एक नए युग का सूत्रपात करेंगे। युवा इनकी ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं।

गुणवत्ता, मात्रा और समानता तथा अवसरो के संदर्भ में शैक्षिक विकास का स्तर नीचा है। सामान्य, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता तथा अनुसंधान एवं विकास बहुत उत्साहजनक नहीं है। बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर बहुत ऊंची है।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वेब पेज के आरंभ में जो लिखा हुआ है उसे उद्धृत करना चाहती हूँ:-

“इस बारे में जागरूकता बढ़ती जा रही है कि इस देश के लोगों को मूल्यवान संसाधन वास्तव में अत्यंत मूल्यवान संसाधन, मानना चाहिए और विकास प्रक्रिया नागरिकों के बचपन से पूरे जीवन के समेकित विकास पर आधारित होनी चाहिए।”

यहां मैं यह बात कहना चाहती हूँ और “बचपन तथा जीवनकाल” पर जोर देना चाहती हूँ। लगता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बचपन और इस संसाधन का विकास जोकि हमारे बच्चे हैं, पर ध्यानकेन्द्रित करना चाहिए। मेरा विश्वास है कि उच्च शिक्षा में चाहे आप कितना भी आरक्षण दें दें इससे कमजोर वर्गों के लोगों को तब तक सशक्त नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उनकी नींव कमजोर है।

महोदय, प्राथमिक और आरंभिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। देश के अधिकांश बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं जहां पर स्वच्छ पेयजल और शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है इसके अतिरिक्त सरकारी भवन खस्ताहाल है जहां संवातन तथा प्रकाश का अभाव है और ये सूची बहुत लम्बी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां अध्यापकों का भी अभाव है। मैं अपनी सहयोगी सुप्रिया सुले की उस बात का समर्थन करना चाहूंगी जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि अध्यापकों पर काम का कितना बोझ है। अधिकांश अध्यापक, जनगणना कार्य, पल्स पोलियों अभियम, चुनाव कार्य इत्यादि जैसे गैर-शैक्षणिक क्रिया कलापों में लगे रहते हैं। मैं चाहती हूँ इसमें परिवर्तन आए ताकि बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा दी जा सके।

मध्याह्न भोजन प्रदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इससे बच्चों को विद्यालय में बने रहने और अभिभावकों द्वारा बच्चों को विद्यालय में भेजने को प्रोत्साहन मिलता है। यद्यपि यह पर्याप्त नहीं है। निसन्देह,

बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं जो कि बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन हम अभी तक बच्चों को विद्यालय में ऐसा अनुकूल वातावरण नहीं दे पाए हैं जिसमें बच्चा विद्यालय आना पसंद करे। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। हम विद्यालयीय शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन तभी देख पाएंगे जब प्रत्येक सरकारी कर्मचारी और हम सभी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में दाखिला दिलाएंगे हम वास्तव में विद्यालय शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन तभी देख सकते हैं।

माता-पिता अपने बच्चों के लिए अच्छे विद्यालय का चुनाव करते समय कुछ मानदंडों विशेषकर अध्यापक छात्र अनुपात, पाठ्यचर्या की प्रकृति और वातावरण पर गौर करते हैं। क्या प्रत्येक बच्चा इसका हकदार है। गुणवत्ता आधारित शिक्षा में वातावरण, पाठ्यचर्या, शिक्षकों की गुणवत्ता और अध्ययन सामग्री तथा तकनीकें सम्मिलित हैं और जब हम इन तीन कारकों पर गौर करते हैं तब हम गुणवत्ता की बात करते हैं। पाठ्यचर्या शिक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं और हमें इसमें समय के अनुसार परिवर्तन करने चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण को और अधिक गतिशील बनाया जाना चाहिए और अध्यापकों को और अधिक कार्य करना चाहिए तथा उन्हें बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। एक बच्चा अपना अधिकांश समय घर की बजाय विद्यालय में व्यतीत करता है। इसलिए, किसी बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में विद्यालय एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रतिवर्ष हमारे देश में किशोरों में विशेषकर परीक्षा के दिनों में आत्महत्या के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। मुझे लगता है कि यहां बैठे सभी माननीय सदस्यों के साथ-साथ उनके बच्चों ने भी अपने जीवन में कभी न कभी परीक्षा के डर का सामना किया होगा और वे मेरी इस बात से सहमत भी होंगे। एक विद्यालय में एक बच्चे के दस वर्ष कक्षा एक से कक्षा दस तक की शिक्षा में व्यतीत हो जाते हैं। तत्पश्चात बच्चे का भविष्य मात्र एक परीक्षा से निर्धारित होता है। क्या उसके गत दस वर्ष बेकार हो जाते हैं? यही वह प्रश्न है जो मैं पूछना चाहती हूँ। हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार की बड़ी एवं तत्काल आवश्यकता है। इसमें सांसारिक रटन्त ज्ञान तथा सृजनात्मकता की कमी के स्थान पर काफी कुछ शामिल किए जाने की आवश्यकता है। हम अपने बच्चों से उनका बचपन तथा सृजन, विकास एवं खोज की उनकी स्वाभाविक आवश्यकता को छीन रहे हैं। प्रश्न पूछने, खोज करने तथा प्रयोग करने के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

[श्रीमती प्रिया दत्त]

तीन बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में मैं सुझाव देना चाहती हूँ।

महोदय, एक सुझाव यह है कि खेल-कूद को शैक्षिक पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग बनाया जाना चाहिए। खेल-कूद को किसी अन्य शिक्षा कौशल की तरह एक विषय माना जाना चाहिए। इसमें भाग लेने के लिए अंक दिए जाने चाहिए तथा इसमें और उत्कृष्टता के लिए उचित पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इससे हमारे देश में अत्यावश्यक खेल-कूद संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी तथा हम प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज के लिए वृहत्तर संसाधन आधार का दोहन कर सकेंगे। खेलों के लिए अंकों के आबंटन की प्रक्रिया से हितधारकों यथा माता-पिता, शिक्षकों तथा संस्थानों की आवश्यकता अनुमति भी प्राप्त हो सकेंगी।

दूसरा सुझाव यह है कि माध्यमिक स्कूल स्तर पर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया जाए। इसका तात्पर्य बुनियादी कौशल है जिससे स्व-रोजगार में सहायता मिल सकती है तथा देश में कुशल श्रमिक के स्तर में वृद्धि हो सकती है। आप हमारे देश में कुशल श्रमिक को गरिमा दे सकते हैं। ये बड़ईगिरी, नलसाजी, सिलाई, राजगीरी, मरम्मत आदि जैसे बुनियादी कौशल समूह हो सकते हैं। प्रशिक्षण का यह रूप जनसंख्या के एक बड़े तबके के लिए आकर्षक हो सकता है तथा इससे माध्यमिक शिक्षा में विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को नियंत्रित भी किया जा सकता है।

तीसरा सुझाव यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली के 'रखवालों' अथवा अभिभावकों को प्रेरित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मेरा तात्पर्य अंतिम स्तर से है जहां हमारी योजनाओं को कार्यरूप दिया जाता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें सही तरीके से शिक्षा देने के लिए समुचित रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। यह प्रेरणा कई क्षेत्रों यथा वेतनमान, सक्रिय सरकार एवं नौकरशाही, बेहतर प्रशिक्षण, अनुकूल योजनाओं से आ सकती है। हमारी सभी योजनाएं अंततः समर्थकारकों के हाथों में हैं और अगर इस स्तर को पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं किया जाता है तो प्रणाली कभी भी कार्य नहीं करेगी।

महोदय, संविधान (86 वां संशोधन) अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार किए जाने का उपबंध किया गया है। तथापि, उपयुक्त अनुवर्ती विधान का अभी तक अधिनियमन नहीं किया गया है। हमें

खुशी है कि यह माननीय मंत्री महोदय तथा यूपीए सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) यूपीए सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मील के पत्थरों में से एक है तथा कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने एस.एस.ए. को सफल बनाने के लिए हर प्रयास किया है।

किसी छात्र के समक्ष आने वाली दूसरी बाधा तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाधा है विद्यालय स्तरीय शिक्षा से उच्च स्तर की शिक्षा में संक्रमण। जी हां, इसे मैं बाधा कहती हूँ क्योंकि अधिकांश माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे क्योंकि उन्हें नामांकन के लिए उनके पास आने वाले सैकड़ों छात्रों का सामना करना पड़ता है। यह एक बड़ी बाधा बन गई है। उच्च शिक्षा के लिए नामांकों में विनियमन तथा पारदर्शिता की आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय ने और पालिटैक्निकों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं की बात की है जिससे छात्रों को अपने हितों के अनुरूप विषय एवं विधा का चयन करने का अवसर मिलेगा जिससे काफी राहत मिलेगी क्योंकि छात्र अपनी पसन्द के कैरियर को चुनने में समर्थ हो सकेंगे।

महोदय, उच्च शिक्षा, आई.आई.एम., आई.आई.टी. आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तथापि, शिक्षा के कई केंद्रों, विशेषकर निजी संगठनों द्वारा संचालित केंद्रों में शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी चिंता का विषय है।

हमने कई वर्षों से अपने देश में प्रतिभा पलायन देखा है तथा और मैं माननीय मंत्री महोदय की दृष्टि (विजन) की सहारना करती हूँ कि उन्होंने ब्रेन गेन का विचार प्रतिपादित किया है। आज हम देखते हैं कि कई युवा छात्र विदेश में उच्च शिक्षा का विकल्प चुन रहे हैं तथा मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग के परिवार सिर्फ इसलिए बचत करते हैं, ऋण लेते हैं ताकि अपने बच्चों को अध्ययन के लिए विदेश भेज सकें। माननीय मंत्री जी का अपने देश में ही उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के विजन का छात्रों तथा उनके माता-पिता दोनों द्वारा स्वागत किया जाएगा।

मैं एक और अनुरोध करना चाहती हूँ कि उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी स्वागत योग्य परिवर्तन है। लेकिन इन संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखे जाने की तत्काल आवश्यकता है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करें।

श्रीमती प्रिया दत्त : महोदय, कृपया दो मिनट का समय दें।

छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई है और इसे उच्च शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए।

महोदय, अंत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा बिद्वानों के बड़े तथा अत्याधिक समर्थ समूह की है जो शिक्षण तथा अनुसंधान में शैक्षिक नेतृत्व प्रदान कर सकते हों। इनमें से कई स्कालर पहले से ही मौजूद हैं अथवा विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रैंक में जा रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई रणनीतियों के संयोजन की आवश्यकता है जिसमें शैक्षिक नियुक्ति तथा प्रोन्नति के लिए मानदंडों में परिवर्तन, युवा अध्ययनकर्ताओं की पहचान, प्रशिक्षण, सहायता तथा नियोजन के लिए एक अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शामिल है।

सभापति महोदय : आप अपने भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रख सकती हैं।

श्रीमती प्रिया दत्त : महोदय, केवल एक मिनट।

इसमें सफल भारतीय अध्ययनकर्ताओं को विदेश से वापस स्वदेश भेजने का बड़ा प्रयास शामिल होना चाहिए।

इसके साथ ही समय देने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ।

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर (पोन्नानी) : महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

जहां तक शिक्षा का संबंध है, पार्टी की नीतियां चाहें जो भी हों, किसी भी पक्ष की राय अलग नहीं होनी चाहिए, परन्तु यदि कोई दोष ढूंढना चाहे तो यह भी बहुत आसान है। डॉ. मुरली मनोहर जोशी मालापुरम में अपने भाषण में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हेतु 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने में दोष ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। वह कर रहे थे कि इसमें से कुछ न कुछ गलत है और इस के पीछे कोई विशेष कारण है। वह यहां तक कह रहे थे कि हम बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय क्यों नहीं बना सकते? महोदय, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यह वास्तव में निंदनीय है, क्योंकि जहां तक शिक्षा का संबंध है, हमें इस प्रकार का साम्प्रदायिक विभाजन नहीं करना चाहिए। उनके जैसे विद्वान तथा वरिष्ठ व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस संबंध में, मैं यह बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग का नेतृत्व करते हुए केरल में सात वर्षों तक

शिक्षा विभाग मेरे पास रहा। मेरे कार्यकाल के दौरान ही केरल में श्री शंकराचार्य के नाम से एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हमें इस प्रकार की बातों की धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से देखना चाहिए।

जहां तक शिक्षा का संबंध है, माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के बारे में हमारा दृष्टिकोण बिलकुल सही है। हम जानते हैं कि हमारे यहां राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा है। मैं केरल के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के रूप में इससे जुड़ा रहा हूँ। यह व्यवस्था पूरी तरह बदल रही है। शिक्षक केन्द्रित शिक्षा प्रणाली को अब विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा प्रणाली के रूप में बदला जा रहा है। पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा को अब क्रियाकलाप आधारित शिक्षा में बदल दिया गया है। इसी प्रकार से अब कथनी को करनी में बदला गया है। यह सभी स्वागत योग्य कदम हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तव में यह एक वरदान है। मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकारों को कुछ स्थानीय लचीलापन अपनाने की छूट दी जानी चाहिए। नागरिक विनिर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण हेतु और अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए।

सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, आई.सी.टी. के बारे में, मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इसका अधिकतम इस्तेमाल करना चाहिए। जहां तक एजुसेट का संबंध है, हम सभी जानते हैं कि इसमें बहुत संभावनाएं हैं। ऐसा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से दूरस्थ क्षेत्रों में, शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा ऐसी ही अन्य बातों के लिए आई.सी.टी. बहुत उपयोगी हो सकती है।

उच्च शिक्षा के बारे में, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में 350 विश्वविद्यालय हैं। ज्ञान आयोग ने अब 1,500 और विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया है। संख्यावार इसकी आवश्यकता है या नहीं, यह एक अलग बात है, जिसके बारे में हम बाद में वाद-विवाद कर सकते हैं, परन्तु उनकी गुणवत्ता के बारे में आप क्या कहेंगे? यदि हम विश्वविद्यालयों के संख्यावार विकास की जांच करें तो, मैं कहना चाहता हूँ कि यह बिलकुल भी संतोषजनक नहीं है। विश्व के 50 उच्च विश्वविद्यालयों की एक सूची है। इन 50 में भारत का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि गुणवत्तावार विकास पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए।

हमारे विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत ही शोचनीय है। मैं कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय डिग्री देने वाले डिपार्टमेंटल स्टोर बनकर

[श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर]

रह गए हैं। उनके शिक्षा के स्तर को सुनिश्चित करना होगा। हमें इसपर गहन विचार करना होगा। हमें इस वृहत् संबद्धता प्रणाली को क्यों जारी रखना चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है, केवल भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसे तीन देश हैं, जहां यह वृहत् संबद्धता प्रणाली है। हमें इस प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। हमें छोटे विश्वविद्यालय तैयार करने चाहिए और कालेजों को स्वायत्त दर्जा देना चाहिए। इसलिए हमें इसका पुनर्गठन करना होगा। हमें इस पर विचार करना होगा।

यह शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का युग है। आज सुबह एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 2,65,324 छात्र विदेश में अध्ययनरत हैं। सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं यही पूछ रहा हूं। हम विदेशी छात्रों को भारत आने के लिए क्यों आकर्षित नहीं कर सकते? तीन संबद्ध कारणों की बजह से हम निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं।

सायं 6.00 बजे

पहली बात यह कि भारत में शिक्षा की लागत पश्चिमी देशों की तुलना में कम है। दूसरे, भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। तीसरे, हमारी शिक्षा मूल्य आधारित है। इसलिए, भारत में बच्चे भेजने में कोई रिस्क नहीं है। अतः मुझे विश्वास है कि हम कम से कम अफ्रीकी और खाड़ी देशों से छात्रों को आकर्षित कर पाएंगे।

मैं प्रोफेसर यशपाल समिति की रिपोर्ट के बारे में कह रहा था कि...

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट के लिए रुकिए। मैं आपको बाद में पुकारूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

अब 6 बज चुके हैं। मैं सभा की राय जानना चाहता हूं। क्या हम सभा का समय एक घंटा बढ़ा सकते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय सदस्यों ने बहुत इम्पार्टेंट मैटर्स दिये हैं। इसके बाद ही डिमांड्स पर चर्चा कराएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : एक घंटे में यह मामला समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अब उसका उल्लेख कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : मसननीय सदस्यों ने अति लोक महत्व के प्रश्न रखे हैं। अध्यक्ष महोदय ने खुद यह जजमेंट दिया है कि 6 बजे जीरो आवर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आपको पता ही होगा कि हमने निर्णय लिया है कि मंत्री महोदय के उत्तर के पश्चात् हम तुरन्त शून्यकाल लेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अध्यक्षपीठ से सहयोग करें। सभी सदस्य संक्षेप में बोलें तथा आवंटित समय के भीतर ही अपना भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : पहले, हम इस कार्य को समाप्त करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : जीरो आवर शुरू कर दिया जाये, उसके बाद बाकी चर्चा कराये। सब लोग बैठे हुए हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम 'शून्य काल' शुरू करेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : 'शून्य काल' शुरू किया जाएगा। हम इस पर सायं 7.00 बजे चर्चा करेंगे। हम सायं 7.00 बजे से पहले इस कार्यवाही को समाप्त करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय की पीठ से निर्णय आया है कि सायं 6 बजे जीरो आवर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने शुरू में ही यह सुझाव दे दिया है कि जिन माननीय सदस्यों के पास लिखित भाषण हैं वे उन्हें सभा पटल पर रख सकते हैं और इसे कार्यवाही का हिस्सा माना जाएगा। मैं अन्य माननीय सदस्यों को लगभग तीन मिनट में अपनी बात रखने की अनुमति दूंगा और इस प्रकार हम इस कार्यवाही को समाप्त कर पाएंगे। हम इसे सायं 7.00 बजे से पहले समाप्त कर सकते हैं और इसके तुरंत बाद हम 'शून्य काल' की चर्चा करने में समर्थ होंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : तब तक बहुत देर हो जाएगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं समझता हूँ कि सभा इस निर्णय को स्वीकार करेगी।

अनेक माननीय सदस्य : हां, महोदय।

सभापति महोदय : इस प्रकार हम सभा का समय बढ़ा रहे हैं।

श्री बशीर, कृपया आप अपना भाषण समाप्त कीजिए क्योंकि अन्य माननीय सदस्य भी इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर : हां, महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। हम सायं 7.00 बजे 'शून्य काल' शुरू करेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम सायं 7.00 बजे 'शून्य काल' शुरू करने जा रहे हैं और हमने इसे स्वीकार कर लिया है।

श्री बशीर, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर : प्रो. यशपाल समिति के प्रतिवेदन में विनियामक निकाय के नए तंत्र का सुझाव दिया गया है जिसका अत्यंत स्वागत है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें प्रो. यशपाल समिति के प्रतिवेदन और नए शिक्षा विधेयक पर अवश्य ही बारीकी से चर्चा करनी चाहिए। यह बेहतर होगा कि सभा से बाहर भी शिक्षाविदों के बीच इस पर चर्चा हो।

जहां तक एस.एस.एल.सी. का प्रश्न है, मैं दसवीं कक्षा के लिए परीक्षा समाप्त करने के पक्ष में नहीं हूँ। जहां तक आरक्षण का प्रश्न है, मैं यह बताना चाहूंगा कि हम सभी समाज के हाशिए पर आए वर्ग की बात कर रहे हैं और हम सभी के लिए शिक्षा की बात करते हैं। परंतु हमारा वास्तविक उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम कुछ सकारात्मक कार्रवाई नहीं करते। इसलिए, मैं सुझाव देता हूँ कि प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों और अन्य पाठ्यक्रमों में भी आरक्षण लागू किया जाए।

अंततः, मैं एक और बात कहना चाहूंगा हम भारतीय शिक्षा सेवा (आई.ई.एस.) नाम से एक नया अखिल भारतीय कैडर बनाने के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? एक बार सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एजुकेशन में इस मुद्दे पर चर्चा की गयी थी। आई.ए.एस., आई.एफ.एस. इत्यादि की तरह आई.ई.एस. भी एक अच्छी चीज होगी। आमतौर पर, हम शैक्षणिक संस्थाओं और विभागों के प्रमुख के रूप में आई.ए.एस. अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस सुझाव का स्वागत किया गया है।

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर : आई.ई.एस. सबसे अच्छा विकल्प होगा और इस संदर्भ में रुझान भी काफी अपेक्षित है।

अंततः मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि शैक्षणिक संस्थाओं और स्कूलों के गुणवत्तापरक उन्नयन हेतु डी.आई.ई.टी. भी बेहतरीन योगदान दे रहे हैं। इसलिए डी.आई.ई.टी. को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार, 'सीमैट' को भी सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

मैं इन्हीं कुछ टिप्पणियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री जे.एम. आरुन रशीद (थेनी) : अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छे सुधार लाए हैं।

यशपाल समिति के प्रतिवेदन को देश के व्यापक हित में क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

आपको अध्यापन के पेशा में सुधार लाने होंगे। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्हें विदेशों की तरह जैसे लंदन और जर्मनी की तरह विकसित किया जाना चाहिए।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों अन्य एम.बी.ए. एम.सी.ए., एम. आर्किटेक्चर में किसी विद्यार्थी को दाखिला देने के पहले सावधानी बरती जानी चाहिए।

मानद विश्वविद्यालय गोबरछलों की तरह पनप रहे हैं। वे सिर्फ व्यावसायिक सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक विशेष दल द्वारा इनकी निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।

मेरे जिले अर्थात् मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र थेनी जिला में केन्द्रीय विद्यालय। कस्तूरबा बालिका विद्यालय खोले जाने चाहिए। बैंकों द्वारा विद्यार्थी शिक्षा ऋण प्रदान किये जाने चाहिए। विद्यार्थी शिक्षा ऋण प्राप्त करना काफी कठिन है। यहां तक कि एक लाख रुपये के लिए बैंक सेक्योरिटी की मांग करते हैं। हमें विद्यार्थियों के लिए तंत्र को अपेक्षाकृत अधिक सरल बनाना होगा। कॉलेज खोलने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय साफ्टवेयर उद्योग में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कतिपय हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। वैश्विक स्तर पर विद्यार्थी शीर्ष पर हैं। ठीक इसी प्रकार हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई का स्तर भी सुधारना होगा।

महोदय, हम विद्यार्थियों को मात्र सैद्धांतिक शिक्षा दे रहे हैं। हमें उन्हें अनुसंधानोन्मुख शिक्षा देनी होगी ताकि वे नए आविष्कार कर सकें। मैं तमिलनाडु अन्ना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने उपग्रह का आविष्कार किया जिसे पृथ्वी के कक्ष में स्थापित किया गया है। मात्र ऐसी शिक्षा ही काफी उपयोगी हो सकती है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस देश के सभी विश्वविद्यालयों में इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

महोदय, कठोर कानून बनाकर कॉलिजों में रैगिंग को रोकना होगा। सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों एवं कॉलिजों में अध्यापक-विद्यार्थी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अनुपात अत्यंत चिन्ताजनक है। महोदय, गांव में प्रत्येक कक्षा में 120 विद्यार्थी पर एक अध्यापक है। पहाड़ी स्थानों पर एकल अध्यापक विद्यालय भी हैं एवं दूरस्थ गांवों में अध्यापकों की उपस्थिति अत्यंत कम थी। इसको लागू करने हेतु वहां कोई निगरानी तंत्र नहीं है।

पहाड़ी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापकों को अत्यधिक मंहगाई भत्ता — मकान किराया भत्ता एवं अतिरिक्त यात्रा भत्ता जो आप शहरों में दे रहे हैं, देते हुए और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। गांव के गरीब निरक्षर बच्चों के भविष्य में गतिरोध आ गया है। सरकार के पास अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को भी प्रेरित करने के लिए उचित तंत्र होना चाहिए।

विद्यार्थियों को +2 के बाद वे क्षेत्र व्यावसायिक/अनुसंधान जैसे किसी भी क्षेत्र में उच्च अध्ययन करना चाहें आपको उन्हें वह विकल्प उपलब्ध करना होगा। महोदय, हमारे पास इस बात का रिकार्ड नहीं है कि कितने भारतीय विद्यार्थी विदेश में अध्ययन कर रहे हैं। हाल ही में आस्ट्रेलिया, लंदन एवं कनाडा में हमारे भारतीय विद्यार्थियों पर आक्रमण हुए थे। हमारी सरकार को अपने विद्यार्थियों के इस प्रकार के अवांछित उत्पीड़न को रोकना है। अपने विद्यार्थियों को विदेश जाने से रोकने के लिए आईआईटी, आईआईएम की तरह के संस्थानों की शुरुआत सभी जिलों में की जानी है क्योंकि हमारी विदेशी मुद्रा एवं बच्चों के जीवन की क्षति हो रही है।

मैडम सोनिया जी के सौभाग्यशाली नेतृत्व में हमारी संग्रह सरकार एवं हमारे ममाननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा सुधार कर रहे हैं। मैं इन मांगों का पूरा समर्थन करता हूं। इन्हें शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से बोलते समय संक्षिप्त रूप से बात रखने एवं तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त करने का अनुरोध करता हूं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माननीय मंत्री शाम 6.30 बजे इस बहस का उत्तर देंगे। हमें यह कार्य सात बजे तक पूरा करना है क्योंकि हमने पहले ही सभा को आश्वासन दिया है कि सात बजे 'शून्य काल' होगा। अगले वक्ता हैं श्री शरीफुद्दीन शारिक।

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामूला) : महोदय, ठीक है।

[हिन्दी]

चेयरमैन साहब, सब से पहले मैं मिनिस्टर साहब श्री कपिल सिब्बल को मुबारकवाद दे दूँ कि उन्हें ऐसा महकमा मिला है जिसमें इंसान

और इंसानियत की तामीर करनी है। सड़कों की तामीर होगी, बाकी चीजों की होगी लेकिन इंसान और इंसानियत की तामीर करने के लिये भगवान ने इनको चुना है, यह उनके लिये इम्तिहान है। तालीम लफ्ज पढ़ने या मैथेमैटिक्स के रूल्स सीखने से नहीं होती है।

तालीम इंसान को इंसान बना देती है, तालीम इंसान को किरदार देती है, तालीम इंसान को अखलाक देती है, तालीम इंसान को सोचने का बुलंद मेयार देती है। अगर यह सब हमारे अंदर है तो हम तालीमतोर पर कामयाब हैं। अगर हम जिंदगी के शौबो में वह चीज नहीं देखते हैं तो हमारी इस सारी कोशिश में कहीं न कहीं नुक्स है। हमारे माहौल के बारे में मैं गुजारिश करता हूँ कि निजामे तालीम और आपके दरसवतदरीस में बहुत कम लिखा जाता है। पर्यावरण के बारे में तालीम जरूर दी जानी चाहिए और हमें निसाबे तालीम को इस तरह तरतीब देना चाहिए कि तालीम जिंदगी के मसाइल से वाबिस्ता हो और जो तालीमयाफ्ता निकले वह समाज में बाइज्जत मुकाम हासिल कर ले। बी.ए. और एम.ए. करने के बाद वह दर-दर की ठोकें खाये और समाज में उसे कोई जगह न मिले, यह तालीम नहीं होती है। तालीम का मकसद यह है कि वह स्कूल, कॉलेज से निकलकर खुद-ब-खुद समाज में इस तरह से एडजस्ट हो जाए कि एक आदरू, मंदाना और मुअज्जिज जिंदगी गुजार सकें। अगर यह चीज नहीं है तो माहरीन तालीम को बैठकर पूरी तरह इस चीज को देखना पड़ेगा। अखलाकी तालीम के बारे में उन्होंने कहा है कि यह आवश्यक नहीं कि यह धार्मिक शिक्षा हो। अखलाक की तालीम, मोरल एजुकेशन जरूरी है। आप देखें कि इस वक्त हमारे समाज में मोरली कितनी बदयांतियां हैं, कितना लूट-खसोट है और कितना करप्शन है, भाई-भाई के पीछे छुरा लिए हुए है। यह इसी वजह से है क्योंकि हम मोरली गिर गये हैं। हमारे निजामे तालीम में, निषादे तालीम में, तरीके तालीम में कहीं न कहीं कोई कमी है। मैं आपका ध्यान और आपकी वसादत से मुल्क के माहरीन-ए-तालीम का ध्यान इसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। ट्रेनिंग का मेयार बुलंद करने की जरूरत है। टीचर्स को सरसरी टाइप की ट्रेनिंग मिल रही है। अध्यापकों के प्रशिक्षण का स्तर बढ़ाना है। यह इसमें देखना है। तरीके तालीम को बेहतर बनाना है। आजकल हम बच्चे को चंद अंग्रेजी के बोले सिखाकर, पापा, मामा, डैडी, मॉर्निंग और इवनिंग बहुत खुश हो जाते हैं। हम इससे बहुत खुश हो जाती हैं और हमारा छिछोरापन ऐसा है कि हम इन बातों को कहलवाने के लिए उस बच्चे को मेहमान के सामने भी लाते हैं। हम यह नहीं समझते हैं कि 5 किलो के बच्चे पर 15 किलो की किताबें लादकर हम उसे बेचारे को इतनी छोटी उम्र में गधा बना देते हैं। इसमें कहीं न कहीं दिक्कत है। यह पहले नहीं होता था और इसे देखने की जरूरत है। जैसे गांधी जी ने वारदा

स्कीम के लिए कहा था, मॉटिसरी मैथेड कहा था, 'लर्निंग वाई ड्रिंग' कहा था, वह आज हम नहीं करते हैं। हम जबानी जमाखर्च करते हैं और जबानी अंग्रेजी बोल-बोलकर अपने दिल को तसल्ली देते हैं कि तालीमयाफ्ता हो गये हैं। हम खांदा हैं, लेकिन तालीमयाफ्ता नहीं हैं। तालीम और तहजीब का आपस में रिश्ता होना चाहिए। तालीम पढ़कर आदमी खुदगर्ज भी हो सकता है, लेकिन अगर वह तहजीबयाफ्ता है तो वह कम तालीम होकर भी खिदमत-ए-खल्क के के लायक होता है। आप तालीम-ए-निजाम को ऐसे ढांचे में ढाल दीजिए। मेरी यह गुजारिश है कि इम्तहानात का तरीका बेहतर बनाया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको सहयोग करना होगा नहीं तो अन्य सदस्य नहीं बोल पाएंगे। मुझे इस बहस का उत्तर देने के लिए शाम 6.30 बजे मंत्री महोदय को बुलाना है।

[हिन्दी]

श्री शरीफुद्दीन शारिक : आपको तरीके इम्तहानात को बदलना पड़ेगा। आप उसकी 5 साल की पढ़ाई के इंटेलीजेंस का 10 मिनट में अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप प्राइवेटाइजेशन में शिक्षा दुकानदारी बन गई है, तिजारत बन गई है। छोटे बच्चों से 20-20, 50-50 हजार फीस वसूल की जाती है। आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है और इसे देखने की जरूरत है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री ओवेसी, कृपया संक्षेप में बोलें एवं केवल तीन मिनट का समय लें। मंत्री जी सायं 6.30 बजे उत्तर देंगे। माननीय सदस्य आप अपने लिखित भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शरीफुद्दीन शारिक : जनाब, दूर-दराज के इलाकों में कंप्यूटर तालीम देने की बहुत जरूरत है। आप हर एक कांस्टीच्युएंसि में दो-दो, तीन-तीन केंद्रीय विद्यालय खोलें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया, अपनी बात समाप्त कीजिए। श्री ओवेसी, कृपया अब अपना भाषण आरंभ कीजिए। आपको केवल तीन मिनट

बोलना है। हमें सभी भाषण शाम 6.30 बजे तक पूरा कर लेना चाहिए जब मंत्री जी उत्तर देना शुरू करेंगे। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री शरीफुद्दीन शारिक : तालीम का मकसद बच्चे की हमगीर, चौतरफा और ऑलराउंड तरबीयत का है जिसमें जहनीब, जिस्मानी और अखलाकी शामिल हैं। इसलिए खेलकूद की तरफ तव्वजो देने की बहुत जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : महोदय, मैं अत्यंत संक्षेप में बोलूंगा।

[हिन्दी]

अलखा अखबार में लिखा है कि सबक पढ़ फिर सदाखत का, सुजात का, अदालत का लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इबाबत का।

[अनुवाद]

महोदय, शिक्षा वह आधारशिला है जिससे कोई भी समाज या राष्ट्र अपने भविष्य का निर्माण करता है। समय कम है इसलिए मैं अपनी बात अल्पसंख्यकों के स्तर तक ही समाप्त करूंगा। सच्चर समिति के अनुसार, लिंग भेद के अनुसार राज्य-वार साक्षरता का स्तर शहरी क्षेत्रों में मुस्लिमों का 70, अनुसूचित जातियों का 68 तथा ग्रामीण क्षेत्र में मुस्लिमों का 53 एवं अनुसूचित जातियों का 49 है। यदि हम यही आंकड़ा उत्तर प्रदेश में देखें तो मुस्लिमों के संबंध में 55 एवं अनुसूचित जातियों के संबंध में 58 है; पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों के संबंध में 66 एवं अनुसूचित जातियों के संबंध में 68 है। 7 वर्ष एवं 16 वर्ष के आयु वर्ग में विद्यालय जाने वाले बच्चों का औसत मुस्लिमों के संबंध में 3.26 एवं अनुसूचित जातियों के संबंध में 3.35 है। यदि हम यही आंकड़ा उत्तर प्रदेश में देखें तो मुस्लिमों के संबंध में 2.60 एवं अनुसूचित जातियों के संबंध में 3.09 है। यदि आप सामाजिक-धार्मिक समुदायों के संबंध में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन का समानुपात देखें तो एक बार फिर पाएंगे कि मुस्लिम अत्यंत पीछे हैं। यदि हम इसको एक साथ देखें तो प्राथमिक विद्यालय तक शिक्षा प्राप्त करने वाले मुस्लिमों की प्रतिशतता 60.9 प्रतिशत है, मिडल स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करने के मामले में

60.9 प्रतिशत एवं मैट्रिक पास करने वाले 23.9 प्रतिशत हैं। यदि हम 15 सूत्री कार्यक्रम को देखें — इससे संबंधित आंकड़े मुझे इंटरनेट से मिले हैं — तो निर्माण किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या है 4,404 एवं इसमें लक्ष्य प्राप्त हुआ 3266 का जो कि 74 प्रतिशत है। प्राथमिक विद्यालयों के मामले में यह लक्ष्य प्राप्ति 64 प्रतिशत है। अतिरिक्त कक्षा के मामले में यह प्राप्ति 74 प्रतिशत है। केजीवी की स्वीकृत संख्या 168 है एवं लक्ष्य प्राप्ति 133 है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए।

दूसरा मामला यह है। मुस्लिमों में विद्यालय बीच में छोड़ने की दर अत्यंत अधिक है। माननीय मंत्री ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए केवल 1.5 करोड़ रुपये दिए हैं। यह कैसे पर्याप्त हो सकता है? उन्होंने 19 प्रतिशत जनसंख्या के लिए 1.5 करोड़ रुपये दिए हैं। इसे बढ़ाकर कम से कम 100 करोड़ रुपये किया जाना है।

अब हम एनसीपीयूएल की बात करेंगे। भाषा ने स्वतंत्रता संघर्ष में एक बड़ी एवं प्रमुख भूमिका अदा की है। क्या दिया गया है? केवल 5.70 करोड़ रुपये हैं। मुझे पता है कि सरकार के ध्यान में एमएएनयू है। गत सरकार में — माननीय राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं — सरकार ने एक यूनानी कॉलिज एवं आवास सुविधा युक्त सिविल सेवा प्रशिक्षण केन्द्र को मंजूरी दी थी। हमें नहीं पता उनका क्या हुआ। गत सरकार ने स्वीकार किया था कि केन्द्रीय विद्यालयों में आर्थिक रूप से पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों के लिए एक नयी श्रेणी बनाई जाएगी। केन्द्रीय विद्यालय इस श्रेणी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

अब हम जन शिक्षण संस्थान की बात करते हैं। अभी भी 88 ऐसे जिले शेष हैं जहां इसका गठन होना है। अब हम जेएनवी की बात करते हैं। गत सरकार ने यह निर्णय लिया था कि कक्षा VI से VIII तक प्रत्येक में एक नया वर्ग शुरू किया जाएगा। यह निर्णय अभी तक लंबित है। विविधता सूचकांक के बारे में क्या कहना है? विविधता सूचकांक का क्या हुआ? यूजीसी क्या कर रहा है? यह सरकार सतत् रूप से चल रही है।

सर्व शिक्षा अभियान के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से इसे 40 प्रतिशत तक ही रोकने का अनुरोध करूंगा। राज्य वितीय कठिनाइयों का सामना करने की स्थिति में नहीं है। वितीय कठिनाइयों के कारण राज्य यह कार्य नहीं कर सकते। समेकन करने की अत्यावश्यकता है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मुस्लिमों की साक्षरता दर में वृद्धि सुनिश्चित करें। मैं आपसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए सशर्त नकद अन्तरण योजना शुरू करने का अनुरोध करता हूं। फातमी

उपसमिति का क्या हुआ? गत समय राज्य मंत्री ने एक बैठक बुलाई थी। इसने अनेक बातों की सिफारिश की थी। हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसमें 100 आदर्श विद्यालयों के बारे में उल्लेख किया गया था। इसमें मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भागीदारी कितनी होगी? यही मेरे विचार हैं जिन्हें मैंने अत्यंत सक्षिप्त रूप में रखे हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे।

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर हेतु आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं लोक सभा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में भाग के लिए इस क्षण को विशेषाधिकार मानता हूँ।

सर्वप्रथम, मैं भारत की संसद, जो प्रजातंत्र का महान मंदिर है, में उपस्थित होने का अवसर प्रदान करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति हार्दिक अभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के पास युवा भारत को लेकर एक सपना था। उनका सपना अब शब्दशः सच होने जा रहा है। जैसाकि हम जानते हैं, भारत की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा 25 वर्ष से कम का है। उनमें से लगभग 10 प्रतिशत या 12 करोड़ लोग 18 से 23 वर्ष की आयु के बीच के हैं। यदि हम भारत की जनसंख्या की प्रकृति पर विचार करें तो हमें कहना पड़ता है कि हमारा देश विश्व में सबसे अधिक युवाओं का देश है। यह तथ्य स्पष्टतः नव और प्रगतिशील भारत के उद्भव को दर्शाता है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, मानव संसाधन किसी राष्ट्र का सबसे बहुमूल्य संसाधन है। मानव संसाधन के पास किसी संसाधन को उत्पादक परिसंपत्तियों में बदलने की क्षमता तथा योग्यता होती है। युवा भारत के समक्ष अब जो चुनौती है वह मानव संसाधन को एक बहुमूल्य संसाधन में बदलने की है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका लोगों के ज्ञान तथा क्षमता को शिक्षा तथा प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ाने का है। अशिक्षित जनसाधारण लोगों को शिक्षित पुरुषों तथा महिलाओं में बदलने के सबसे महान मिशन की शुरुआत हमारे महान दूरदृष्टा पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा की गयी थी। निस्संदेह स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से भारत ने शिक्षा के क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है।

महोदय, मैं भारत के सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य से आता हूँ। हम केरलवासी शिक्षा को विश्व में सबसे महत्वपूर्ण वरदान मानते हैं। यह मिशनरियों तथा हितैषी राजाओं द्वारा किए गए प्रशंसनीय प्रयासों का परिणाम है।

सभापति महोदय : भाषण का शेष अंश आप सभा पटल पर रख सकते हैं तथा यह कार्यवाही का अंश माना जाएगा।

श्री एंटो एंटोनी : महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

काफी पहले वे केरल में मजबूत शिक्षा प्रणाली के निर्माण के प्रति चिंतित थे। इससे केरल में शिक्षा का सार्वभौमीकरण हुआ। इससे केरल समाज में धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को अत्यधिक मजबूती मिली।

भारत में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। यहां सर्वोत्तम प्राथमिक तथा माध्यमिक शैक्षिक नेटवर्क है। इसके बावजूद हमारे पास राष्ट्रीय मानक वाली उच्चतर शिक्षा की कोई संस्था नहीं है। इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री से पथनमथीट्टा में शुरू किए गए नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दूसरा कैंपस शुरू करने का अनुरोध करता हूँ। वर्तमान में, विश्वविद्यालय केरल ने उतरी हिस्से में कसारागोड में स्थित है जो केरल की राजधानी से लगभग हजार किलोमीटर की दूरी पर है। यदि पथनमथीट्टा में दूसरा कैंपस स्थापित किया जाता है तो केरल के सभी क्षेत्रों से वहां पहुंचना आसान हो जाएगा।

इस अवसर पर मैं स.प्र.ग. सरकार की महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू करने हेतु सराहना करता हूँ। मैं सरकार से शैक्षणिक ऋण ब्याज राजसहायता योजना में और ज्यादा धनराशि आबंटित करने का अनुरोध करूंगा ताकि व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को भारी राहत मिल सके।

मैं आपका ध्यान कुछ राज्यों, उदाहरणस्वरूप केरल में विद्यमान अविवेकपूर्ण ऋण तथा ब्याज प्रणालियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। बैंक इन ऋणों पर 13.5 प्रतिशत तक ब्याज लेते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिए छात्रों को संबद्ध बैंकों में संपार्श्विक प्रस्तुत करना होता है। यह केवल छात्रों के अधिकारों के खिलाफ ही नहीं है वरन् संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना ऋण देने हेतु भारत सरकार द्वारा दिए गए निदेशों का भी उल्लंघन है। यह दृष्टिकोण अपनाते हुए बैंक गरीब परिवारों से आनेवाले मेधावी छात्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहे हैं।

सभापति महोदय : भाषण का शेष अंश आप सभा पटल पर रख सकते हैं। उपलब्ध समय कम है तथा मंत्री जी को उत्तर देना है।

श्री एंटो एंटोनी : इसके अलावा, अब बैंक केवल पचास प्रतिशत ऋण ही छात्रों को देते हैं। ये सभी प्रावधान छात्रों के हितों के विरुद्ध हैं।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्री तथा वित्त मंत्री दोनों से ही इस मामले पर तुरंत विचार करने तथा छात्र-सुलभ योजनाएं अपनाने के लिए बैंकों को निर्देश देने का अनुरोध करूंगा। केन्द्र के निर्देश के अनुसार, शैक्षिक ऋण बिना संपार्श्विक के कम ब्याज दर पर दिया जाना चाहिए। शैक्षिक रूप से अग्रणी राज्य होने के कारण केरल आई.आई.टी. तथा आई.आई.एम. जैसे उच्चतर शिक्षण संस्थाओं का पात्र है। यह केरल राज्य की लंबे समय से मांग है तथा मुझे आशा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पर अनुकूल रूप से विचार करेगा।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने 100 दिनों की आश्चर्यजनक कार्य योजना की घोषणा की है जो, यदि कार्यान्वित हो जाए तो भारत के शैक्षिक परिदृश्य में परिवर्तन आ जाएगा। कार्य योजना आगामी पीढ़ी हेतु एक महान राजनेता की दूरदृष्टि को दर्शाता है। तथापि, इस दूरदृष्टि का व्यवहार में क्रियान्वयन करने के लिए और अधिक वित्तीय संसाधनों के आबंटन की जरूरत है। संसाधनों की अड़चनों को देखते हुए, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। इसमें हितैषी तथा लचीले बैंकिंग कानूनों की आवश्यकता होगी।

महोदय, मैं भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रखता हूँ।

*मैं इस क्षण को लोक सभा में मानव संसाधन विकास पर कुछ विचारों को बांटने हेतु सम्मान की बात मानता हूँ।

हमने कई योजनाएं शुरू की हैं। इन वर्षों में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम काफी हद तक सफल रहे हैं। तथापि वैश्वीकरण के इस युग में हम केवल इस सफलता से संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। हमें इससे आगे के लिए सोचना है तथा उच्चतर शिक्षा के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने हैं।

उन्होंने जाति तथा धर्म के भेदभाव के बिना शिक्षा प्रदान की। इससे केरल में शिक्षा का सार्वभौमीकरण हुआ। इसने केरल समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को मजबूत किया। मैं विशेष रूप से खुश हूँ क्योंकि मैं उस जिले का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसने भारत में पहली बार 100% साक्षरता प्राप्त की।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, आज शिक्षा ने केरलवासियों के सामाजिक-राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य के एक तिहाई अर्थात् 3 करोड़ केरलवासी राज्य या देश के बाहर कार्य कर रहे हैं। यह उनकी शिक्षा है जिसके चलते वे अन्य स्थानों पर नौकरी पा सके। अतएव, मैं इसे कपना कर्तव्य मानता हूँ कि इस महत्वपूर्ण मंच पर मैं मानव संसाधन विकास से संबंधित शिक्षा के विशिष्ट पहलू पर बात करूँ।

एक अग्रणी साप्ताहिक पत्रिका द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार, नौ में से केवल एक छात्र महाविद्यालय जा पाता है। भारत का उच्चतर शिक्षा नामांकन अनुपात 11% है जो सबसे कम है। अमेरिका में यह 83% है। इससे भारत में उच्चतर शिक्षा की बुरी स्थिति का पता चलता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार परिषद द्वारा श्रेणीबद्ध किए गए 90% महाविद्यालय तथा 70% विश्वविद्यालय खराब मानक वाले थे। भारत में उच्चतर शिक्षा के खराब मानक के कारण छात्र विदेश जाने को प्राथमिकता देते हैं। भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 7 बिलियन डालर खर्च करते हैं।

महात्मा गांधी के अनुसार, “शिक्षा छात्रों की अभीष्ट क्षमता को खोजने की प्रक्रिया है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा प्रणाली छात्र को सीखने की प्रक्रिया में योदान करने योग्य बनाना है।”

महोदय, दुर्भाग्यवश हम शिक्षा के रटनू प्रणाली का अनुसरण करते हैं। यदि मुझे प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में उच्चतर शिक्षा के पुनरुद्धार भर गठित समिति के शब्दों को उद्धृत करना पड़े तो मैं उद्धू करूंगा, “हमारी शिक्षा प्रणाली के अधिकांश अभिकरण नए ज्ञान के सृजन हेतु मानव भस्तिष्क की संभावनाओं को क्षति पहुंचाते हैं। हमने जानकारी की सुपुर्दगी तथा सूचना भंडार बनाने की क्षमता को श्रुस्कृत किया है। इससे ज्ञान या पारित समाज बनाने में सहायता नहीं मिलती है।

एक अन्य प्रख्यात शिक्षा शास्त्री, प्रो. नरेन्द्र यादव, योजना आयोग के सदस्य तथा पुणे विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति श्री टिप्पणी है कि भारत में ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने 30 वर्ष से ज्यादा समय से पाठ्यक्रम संशोधित नहीं किया है। इसलिए रटनू शिक्षण प्रणाली तथा पुराने पड़ गए पाठ्यक्रम भारत में उच्चतर शिक्षा की विशेष बन गए हैं।

हम वैश्वीकरण के इस युग में इन पुराने पड़ गई सुविधाओं के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते हैं। मैं हाल के इस सर्वेक्षण से स्तब्ध

रह गया कि दस भारतीय छात्रों में से केवल एक के पास कला स्नातक की डिग्री है तथा चार इंजीनियरिंग स्नातक में से केवल एक रोजगार योग्य है। अतएव पाठ्यक्रम की सावधिक पुनरीक्षा काफी महत्वपूर्ण है।

महोदय, शिक्षा समाजोन्मुखी होना चाहिए तथा इसे समाज की आवश्यकताओं की पूरा करना चाहिए। उदाहरणस्वरूप, अमेरिकी शिक्षा प्रणाली उस देश की प्रौद्योगिकी उद्योग की रीढ़ है। आज अमेरिका विश्व में विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के लेखों का एक तिहाई हिस्सा खुद निकालता है। दूसरी ओर भारत कुल प्रकाशित शोध पत्रों का केवल 3% का भागीदार है। यह शिक्षा की शिक्षकोन्मुख रटनू शिक्षा प्रणाली का प्रभाव है।

हमारे छात्रों तथा शोधार्थियों की समाज को बहुत कम योगदान देना है। इसे परिवर्तित किया जाना चाहिए। हमें महात्मा गांधी के इस सपने को सच बनाने की जिम्मेवारी है कि शोधार्थी समाज में अधिकाधिक योगदान करें।

महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता प्रतिशत वाला है। यहां सबसे अच्छी प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण नेटवर्क है। इसके बावजूद यहां कोई राष्ट्रीय मानक वाली उच्चतर शिक्षा की कोई संस्था यहां नहीं है। मैंने इस अवसर का उपयोग माननीय मंत्री से पथनमथीट्टा में नई शुरू की गई केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दूसरा कैम्पस शुरू करने का अनुरोध करने में किया। वर्तमान में, विश्वविद्यालय केरल के उत्तरी भाग कास्सगोड में स्थित है। यह केरल की राजधानी से लगभग 1000 कि.मी. दूर है। यदि दूसरा कैम्पस पथनमथीट्टा में स्थापित किया जाये तो यह केरल के सभी क्षेत्रों से सुगम्य होगा।

यहां 'इग्नू' द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करना अधिक संगत होगा। 'इग्नू' सभी वर्गों विशेषकर वंचित वर्गों को उच्च शिक्षा मुहैया कराने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। 'इग्नू' द्वारा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पाठ्यक्रम चलाने एवं सामुदायिक कालेजों की शुरुआत करने हेतु किए गए प्रयत्न समाज के प्रति प्रतिबद्धता के उसके बेहतर उदाहरण हैं। मैं सरकार से अन्य विश्वविद्यालयों को समाज केन्द्रित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवश्यक निर्देश देने का भी अनुरोध करता हूं।

ज्ञान आयोग ने सदैव अनुसंधान संस्थाओं में ऐसा गुणात्मक सुधार लाने पर बल दिया जिससे और स्पष्ट अनुसंधान किया जा सके। अतः, हमें और बेहतर मूलभूत संरचना की आवश्यकता है जिस पर निजी क्षेत्र विश्वास कर सके।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का स्वागत करना एक सराहनीय कदम है। यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये विश्वविद्यालय अपने देश में विश्वस्तरीय हों एवं वे भारत में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने में सक्षम हों।*

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट) :** माननीय सभापति महोदय, शिक्षा जागरूकता लाती है, जागरूकता से बदलाव आता है, बदलाव आने से विकास होता है। भारत में विभिन्न नस्ल, संस्कृति, भाषा, समुदाय हैं। इसलिए मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता है। इस समय हमारे यहां दो प्रकार की शिक्षा है। एक शिक्षा संपन्न लोगों के लिए है। हमारे देश के विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रीय मानक के हैं। केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग इन संस्थाओं में प्रवेश पाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं एवं समाज में बेहतर जीवन यापन करते हैं। दूसरी ओर, हम देखते हैं कि ग्रामीण भारत, जहां 'सर्व शिक्षा अभियान' लागू किया गया है, विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं — वहां पानी नहीं है या बिजली का कनेक्शन नहीं है, सफाई की उचित सुविधाएं नहीं हैं, यहां तक कि अध्यापक भी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं और जो हैं उनमें से अधिकांश अनुपस्थित रहते हैं। ग्रामीण गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों या पिछड़े समुदायों के व्यक्ति कभी भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होते हैं। उन्हें अपने अस्तित्व के लिए रोजगार की जरूरत होती है न कि विद्यालय शिक्षा की। इसलिए, गांवों में शिक्षा बीच में ही छोड़ने की दर अधिक है। पूर्व अध्यक्ष जी ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर मुस्लिमों में विद्यालय बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। यदि शिक्षा से विकास होता है तो केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारों को शिक्षा के स्तर में सुधार लाने हेतु कठोर उपाय करने होंगे। शिक्षा समवर्ती सूची में है। यदि प्राथमिक एवं मैट्रिक स्तर का पाठ्यक्रम केन्द्रीय पाठ्यक्रम में मिलाया जाता है तो मैं निश्चय ही इसका विरोध करूंगा। हमारे यहां विविध धर्म, संस्कृति, समुदाय, भाषा हैं एवं प्रत्येक अद्वितीय है। इस प्रकार शिक्षा प्रणाली को समाज के न किसी एक वर्ग विशेषकर बल्कि सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को सभी की अधिगम आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए एवं तदनुसार पाठ्यक्रम स्वीकृत करना चाहिए।

महोदय, अब मैं कुछ सुझाव दूंगा पहला सुझाव यह है कि 'यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता' की स्थिति एक दाय संस्था की है। उसे केन्द्रीय

*मूलतः बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

[श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार]

विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाए। दूसरा सुझाव यह है कि अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए मदरसा स्तर के शिक्षण स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। तीसरा सुझाव ये है कि मैं जिस जिले का रहने वाला हूँ वहाँ के जिला मुख्यालय स्तर पर कोई केन्द्रीय स्कूल, इंजीनियरी कॉलेज, तकनीकी कॉलेज या कोई पोलिटेक्निक स्कूल नहीं है। मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया इस बात पर गौर करें कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ऐसी संस्थाएं स्थापित की जाएं ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिले एवं इसके स्तर में सुधार आए इससे समाज के गरीब, असहाय, दलित लोग तभी शिक्षा की तरफ आकर्षित होंगे लोग तभी शिक्षा की तरफ आकर्षित होंगे एवं अपने भाग्य को बनाने हेतु अधिक से अधिक सजग होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मुझे बोलने की अनुमति देने हेतु धन्यवाद देता हूँ एवं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महतो, आप सिर्फ तीन मिनट के लिए बोल सकते हैं। हमारे मित्र की तरह जिन्होंने अभी-अभी बोला है, आपको भी काफी संक्षेप में बोलना चाहिए।

श्री नरहरि महतो (पुरुलिया) : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुदानों हेतु मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

आपने मुझे तीन मिनट का समय दिया है, परन्तु मैं अपनी बात 2½ मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

मुझे इस मामले के संबंध में कुछ बातें कहनी हैं। सर्वप्रथम, मैं अधिकांशतः जनजातीय विद्यार्थियों और ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े विद्यार्थियों द्वारा बीच में ही स्कूल छोड़ देने के बारे में बोलना चाहूंगा। ये विद्यार्थी बीच में ही अपनी विद्यालय की पढ़ाई छोड़ रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान इसे व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है, परन्तु गरीबी की वजह से विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है। महोदय, आपके माध्यम से मेरी सरकार से अनुरोध है कि हमें जनजातीय, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों विशेषकर

बालिकाओं को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है; सरकार उन्हें प्रेरित करने के लिए आपको साइकिल मुहैया कराने के बारे में सोच सकती है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि सुदूर गांवों में विद्यालय काफी दूर स्थित होते हैं। जनजातीय और पिछड़े समुदाय की लड़कियां विद्यालय नहीं जाती हैं। यदि केन्द्र सरकार कक्षा 8 से कक्षा 12 तक की लड़कियों को साइकिल मुहैया कराती है तो ये छात्राएं विद्यालय जाने के लिए प्रेरित होंगी।

दूसरी बात यह है कि नवोदय विद्यालयों की अवसंरचना उतनी अच्छी नहीं है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पुरुलिया (प.ब.) में जो कि एक अविकसित और पिछड़ा जिला है, एक नवोदय विद्यालय है। इस नवोदय विद्यालय की अवसंरचना का अभी तक उन्नयन नहीं हुआ है।

तीसरी बात यह है कि, पश्चिम बंगाल में, पी.टी.टी.आई. के बारे में ज्वलंत समस्या है। 75,000 से अधिक प्रशिक्षु विद्यार्थी कठिन समस्या का सामना कर रहे हैं। अधिकांश विद्यार्थियों को नौकरियां मिल गई हैं, कुछ ने पी.टी.टी.आई. पाठ्यक्रम पास किया है और कुछ ने पाठ्यक्रम पूरा किया है। मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया वे इस मामले पर ध्यान दें।

अंततः, कलकत्ता विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तथा मेरा विनम्र निवेदन है कि इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय अवश्य घोषित किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सानलुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का यह अवसर प्रदान करने हेतु आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

मैं माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की इन मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ परन्तु मुझे उन कतिपय मामलों के बारे में गंभीर बातें करनी हैं जो आमतौर पर पूरे देश में और विशेषकर बोडोलैंड क्षेत्र और असम के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान अत्यंत डरावनी व दुःखद स्थिति से संबंधित हैं।

मैं अपनी मुख्य बात कहने से पहले बोडो माध्यम शिक्षा की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं माननीय संसाधन विकास मंत्री का ध्यान

निम्नलिखित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बोडो माध्यम शिक्षा की शुरुआत वर्ष 1963 से की गई अर्थात् बोडो भाषा को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया गया। तत्पश्चात् 1968 से इसे माध्यमिक स्तर तक माध्यम के रूप में अपनाया गया। 95 प्रतिशत से अधिक बोडो विद्यार्थी बोडो माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज की स्थिति यह है कि बोडोलैंड क्षेत्र और असम के अन्य जिलों में बोडो माध्यम के करीब 1000 प्राथमिक विद्यालय, करीब 500 उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्थात् बोडो माध्यम के अंग्रेजी माध्यम भाषा विद्यालय तथा बोडो माध्यम के करीब 500 उच्च विद्यालय निधियों की कमी की वजह से 1980 और 1990 से असम सरकार द्वारा इनका सरकारीकरण नहीं किए जाने के कारण बदतर स्थिति में पड़े हैं। इन विद्यालयों को अकथनीय मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।

इन विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान के लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है क्योंकि इन्हें असम सरकार अपने अधिकार में नहीं लिया है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह बोडो माध्यम शिक्षा को बचाने के उपाय के रूप में बदतर हालात वाले इन विद्यालयों का सरकारीकरण किए जाने हेतु बोडोलैंड क्षेत्र सरकार और असम सरकार को कम से कम 500 करोड़ रुपये का विशेष केन्द्रीय पैकेज अविलम्ब स्वीकृत करे। यह काफी गंभीर स्थिति है। यहां मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि वह जनजातीय शिक्षा क्षेत्र को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन लाए तथा भारत सरकार को असम राज्य में जनजातीय बोडो माध्यम शिक्षा हेतु नियमित रूप से वार्षिक 500 करोड़ रुपये की न्यूनतम राशि स्वीकृत करने का प्रावधान करना चाहिए।

महोदय, इन सभी बातों के अलावा, मैं लम्बे समय से लम्बित चली आ रही अपनी मांगों को रखना चाहता हूँ। कोकराझार में बोडोलैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाम से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। बोडोलैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाम से एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। बोडोलैंड क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम एक आई.आई.ओ., एक आई.आई.एम., एक आई.आई.आई.टी., 10 जवाहर नवोदय विद्यालय, 10 केन्द्रीय विद्यालय, 100 माडल स्कूल, 10 स्तरीय विज्ञान महाविद्यालय, 10 पालीटेक्नीक संस्थान, 5 टेक्साटाइल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने चाहिए। मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि बोडोलैंड क्षेत्र के अंतर्गत एक चिकित्सा महाविद्यालय भी होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री बोडोलैंड जनता की मांगों पर और अधिक विलम्ब किए बगैर गौर करें।

*हमारे बोडोलैंड क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान उपर्युक्त दयनीय स्थिति के मद्देनजर, मैं भारत सरकार द्वारा तत्काल सक्रिय विचार किए जाने हेतु अविलम्बनीय लोक महत्व के लम्बे समय से लम्बित निम्नलिखित उचित मांगों व मुद्दों को दुहराता हूँ।

बोडोलैंड क्षेत्र परिषद (बी.टी.सी.) के पक्ष में न्यूनतम 500 करोड़ रुपये की केन्द्रीय निधि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता तथा बोडो माध्यम के 1000 प्राथमिक विद्यालयों, 500 उच्च प्राथमिक। मध्य अंग्रेजी और 50 उच्च विद्यालयों का सरकारीकरण करने हेतु असम सरकार की सहायता करना। केन्द्र सरकार को सभी प्राथमिक विद्यालयों (1000), उच्च प्राथमिक विद्यालयों (500 मीडिल अंग्रेजी) और बोडो मीडियम के उच्चतर विद्यालयों (500) जोकि 1980 तथा 1990 से बोडोलैंड क्षेत्र के साथ-साथ असम के अन्य जिलों तक ही सीमित है, का प्रान्तीयकरण करने में सहायता हेतु तत्काल प्रभाव से बसेडोलैंड प्रादेशिक परिषद और असम की राज्य सरकार के पक्ष में कम से कम 500 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए इसके अतिरिक्त केन्द्र को अविलम्ब असमिया, बंगाली और हिन्दी माध्यम के गैर प्रान्तीयकृत विद्यालयों जोकि 1980 और 1990 से पूरे राज्य तक ही सीमित हैं, का प्रान्तीयकरण करने के लिए आवश्यकता कदम उठाने चाहिए।

केन्द्र सरकार को बोडोलैंड में निम्नलिखित प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए। कोकराझार में "केन्द्रीय बोडोलैंड विश्वविद्यालय" के नाम से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए।

तत्काल प्रभाव से बोडोलैंड प्रदेश में "केन्द्रीय बोडोलैंड कृषि विश्वविद्यालय" नाम के एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की भी जानी चाहिए। तत्काल प्रभाव से बोडोलैंड प्रदेश में एक आई.आई.एम., एक आई.आई.टी. और एक आई.आई.आई.टी. की स्थापना की जानी चाहिए।

बोडोलैंड प्रदेश में 10 जवाहर नवोदय विद्यालय, 10 केन्द्रीय विद्यालय और 100 आदर्श विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

बोडोलैंड प्रदेश में 10 आदर्श विज्ञान महाविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

बोडोलैंड प्रदेश में 10 बहुकला संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुधियारी]

बोडोलैंड प्रदेश में 5 टेक्सटाइल संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए।

बोडोलैंड प्रदेश में बोडोलैंड फैशन और टेक्सटाइल टेक्नोलाजी संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए; और पूरे देश में बोडो माध्यम शिक्षा और जनजातीय शिक्षा को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए।*

[हिन्दी]

*श्री मिथिलेश कुमार (शाहजहांपुर) : आपके माध्यम से माननीय मानव विभाग संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करना है। जहां से मैं चुनकर आया है जो उत्तर प्रदेश का जनपद शाहजहांपुर है। वहां पर कोई भी इंजीनियरिंग कालेज व मैडिकल कालेज नहीं है। जिस वजह से छात्रों को बाहर जाना पड़ता है।

अतः अनुरोध करता हूं कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक मैडिकल कालेज या इंजीनियरिंग कालेज खोलने की कृपा करें।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया) : सभापति महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की डिमांड्स पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

समय कह बहुत कमी है, इसलिए अपने क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय सहरसा बिहार के बारे में हम माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहते हैं कि उस केन्द्रीय विद्यालय को खुले हुए बहुत दिन हो गये हैं। उसका अपना भवन नहीं है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन कहता है कि जहां जमीन होगी, वहां हम तुरन्त भवन बनाएंगे, लेकिन चार वर्ष पहले केन्द्रीय विद्यालय सहरसा, बिहार के लिए बिहार सरकार ने निःशुल्क जमीन दी, लेकिन आज तक उसके भवन का निर्माण नहीं हो रहा है। उसी तरह से दूसरे जिले खगड़िया केन्द्रीय विद्यालय में भी इनका कोई प्रयास नहीं किया गया है सरकार जमीन उपलब्ध कराकर वहां भवन बनायें।

केन्द्रीय विद्यालयों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की गई है। सरकार लम्बा-चौड़ा बजट लाती है और काफी राशि का प्रावधान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है, इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि केन्द्रीय विद्यालय खगड़िया या उस तरह

के जो भी केन्द्रीय विद्यालय बिहार में या बिहार के बाहर हैं, एक योजना बनाकर सभी के भवन बनाना आवश्यक है, नहीं तो सरकारी भवन जो छोटा सा उपलब्ध हो पाता है, उसमें ठीक से बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। वह नाममात्र का विद्यालय होता है।

हम आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और उन सांसदों को, जिनके क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय है, उनको दो छात्रों का नामांकन करने के लिए कोटा सरकार ने दिया है। हमारा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो दो छात्र का कोटा है, उसे बढ़ाकर चार छात्र कर दीजिए, क्योंकि सभी सांसदों को सभी जगह इससे काफी दिक्कत होती है। यदि आप इस कोटे को बढ़ाएंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। एक निवेदन हम आपके माध्यम से और करना चाहते हैं कि हमारे जिले में नवोदय विद्यालय सहरसा है जिसमें शिक्षकों की बहुत कमी है।

वहां शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। वहां भी सांसद को छात्रों के नामांकन में कुछ कोटा दें, तो बहुत कृपा होगी।

*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर आज चर्चा की जा रही है। हम आम आदमी और बढ़ते विकास दर की बात करते हैं लेकिन मानव संसाधन के विकास में हम पिछड़े हैं। यूएनडीपी मानव संसाधन विकास सूचकांक सांख्यिकीय आंकड़े 2008 के अनुसार 2006 में 179 देशों में भारत का मानव विकास सूचकांक में 132वां स्थान था। इसका मतलब हमें इस क्षेत्र में और उपलब्धि हासिल करने हेतु प्रयास करना होगा। देश की लगभग आधी आबादी 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की है लेकिन उनके लिए शिक्षा के बेहतर विकल्प देने में सरकार नाकाम रही है। उच्च शिक्षा में सरकार ने दो हजार करोड़ रुपये के बजटीय आबंटन को बढ़ाया है। लेकिन माध्यमिक स्तर पर सरकार के सामने जो चुनौती है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक सर्वशिक्षा अभियान के कारण लगभग तीन करोड़ बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार पर आने वाली है। आज माध्यमिक स्तर पर लगभग 72 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं, और दो लाख नये शिक्षकों की आवश्यकता है, और सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए माध्यमिक स्तर के स्कूलों की भी बड़ी संख्या में आवश्यकता है। सरकार ने इसके लिए जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू करने के निर्णय लेकर उसके लिए बजट में केवल 350 करोड़ का आबंटन किया जोकि नाकافی है, इस राशि में 6 हजार स्कूल कैसे खोले जा सकते हैं। इसका बजटीय प्रावधान बढ़ाने की मैं मांग करता हूं।

14वीं लोक सभा में इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय जो कि अमरकंटक में स्थापित किया गया है, उसका विस्तार सभी जनजातीय क्षेत्रों में करने का सरकार ने आश्वासन दिया था लेकिन अभी भी इस पर काम नहीं किया गया। इसे देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय जनजातीय बहुल क्षेत्र महाराष्ट्र के गडचिरोली में मेडिकल कालेज के साथ अन्य उच्च तकनीकी शिक्षा का वहां प्रबंध करने हेतु बजट में घोषणा करे। सरकार ने विद्यापीठ अनुदान आयोग की ओर से गठित भालचंद्र मुंगणेकर समिति की सिफारिशों के आधार पर उच्च शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन हेतु कार्रवाई की है। लेकिन इन सिफारिशों पर अमल करते समय माननीय संवेदना को ध्यान में रखना होगा। यूजीसी ने शिक्षा का स्तर बढ़ाने पदवीपूर्व शिक्षा में भी नेट/सेट को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। अक्समात इस निर्णय को लागू करने से देश के लाखों अध्यापक जो एम.फिल उत्तीर्ण है, उन्हें बेरोजगार होना पड़ेगा। यूजीसी ने 30 जून, 2009 तक एम.फिल धारक अध्यापकों को इसमें रियायत देने का आदेश निकाला, लेकिन अब वह पलटकर नेट/सेट का आग्रह कर रही है। अनेक अध्यापकों ने नेट/सेट की पढ़ाई छोड़कर एम.फिल के लिए लक्ष्य केन्द्रित किया। वह अपने को फंसाया गया समझ रहे हैं। एम.फिल धारक अध्यापकों को भारी संख्या को देखते सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर नेट/सेट के लिए 30 जून, 2009 तक एम.फिल धारकों को समकक्ष मानकर उन्हें राहत देने का निर्णय घोषित करे। आज देश में नौकरियों का सृजन नहीं हो रहा है। बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय लाखों अध्यापकों को बेरोजगार कैसे किया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि सरकार इन अध्यापकों के बारे में तत्काल राहत का निर्णय लें।

सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों को इस देश में आने की अनुमति देने का निर्णय लेने का जान लिया है। अगर यह सच है तो भारतीय विश्वविद्यालयों को इन विश्वविद्यालयों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अन्य मामलों का भी इसमें उठना अवश्यम्भावी है। सरकार इस निर्णय को लागू करने से पहले विशेषज्ञों की समिति बनाकर आम राय बनाये। सरकार द्वारा चलित मिड-डे मील योजना में गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं। यह योजना अच्छी है। इसके कारण स्कूलों में आने वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन इसमें दिए जा रहे आहार के पोषण मानकों के अनुसार होना चाहिए। पोषण आहार बनाने के काम में शिक्षकों को नहीं लाना चाहिए। सरकार को पोषण आहार बनाने के काम को इस क्षेत्र में कार्यरत महिला बचत समूहों को दिया जा सकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश के सभी राज्यों में मिड-डे-मील योजना के अंतर्गत दिए जा रहे पोषण आहार का काम महिला बचत समूहों को देने का प्रावधान करें।

देश में जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में साक्षरता की दर काफी कम है। यहां पर शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना करने की आवश्यकता है, लेकिन अत्यधिक गरीबी, निरक्षरता के चलते बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नवोदय विद्यालय के तर्ज पर आवासीय विद्यालय की क्षेत्र में बड़ी जरूरत है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय शुरू करने के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन कर इस पर कार्रवाई करें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दसवीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की बहस छेड़ी गई है, इस पर दोनों तरफ से चर्चा हो रही है। लेकिन दसवीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की कार्रवाई से अनेक प्रश्न निर्माण होंगे। इसे विशेषज्ञों की समिति द्वारा आकलन कर उचित निर्णय लेना होगा। इस पर जल्दबाजी न करें।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर) : सभापति महोदय समय बहुत कम है, इसलिए मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा, लेकिन आप ज्यादा समझिएगा। मैं बेसिक, प्राइमरी, जूनियर और हाई स्कूल शिक्षा के बारे में कहूंगा। कपिल सिब्बल जी हिंदुस्तान ही क्या, इंटरनेशनल लेवल के बड़े तगड़े लायर हैं। वह बहुत जल्दी समझ जाएंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि दो भाग में जो बेसिक, प्राइमरी, जूनियर व हाई स्कूल का जो टीयर है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करिए। वहां सब चीज होती है, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती।

महोदय, मैं नार्दर्न इंडिया उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूं। वहां टीचर कांट्रैक्ट सिस्टम में पढ़ा रहा है। उसकी 12-15 हजार रुपए तनखाह है। वह 2 हजार रुपए में अपना रिप्रेजेंटेटिव रखे हुए है और वही स्कूल में पढ़ा रहा है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में जब ऐसी नौबत आयी, तो शिक्षा मित्र शुरू हो गए। इसलिए पहले आप क्वालिटी स्टैंडर्ड इंप्रूव करिए।

दूसरी चीज, मैं कहना चाहता हूं कि गर्ल्स एजुकेशन बिल्कुल जीरो है। अगर सौ बच्चों के स्कूल हैं, तो लड़कियों के दस स्कूल हैं। हमारे क्षेत्र महोबा में, मैं बुंदेलखंड से आता हूं, 50-50 किलोमीटर में न इंटरमीडिएट गर्ल्स कालेज है, न डिग्री कालेज है और न हाई स्कूल है। गर्ल्स एजुकेशन की पूरी तरह से उपेक्षा है।

तीसरी चीज, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी परेशानी है कि स्कूल कम हैं और कोचिंग सेंटर्स ज्यादा हैं। हाई स्कूल लेवल तक अगर 100 स्कूल हैं, तो 150 कोचिंग हैं। यह आपकी व्यवस्था है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में सिर्फ नकल होने की व्यवस्था है। यहां एडवरटाइजमेंट होता है कि हमारे यहां सेंटर में नकल की भी सुविधा उपलब्ध है। हाई स्कूल का जो लड़का पास होकर आता है, न हिन्दी में एप्लीकेशन लिख पाता है और न अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिख पाता है। यह शिक्षा की व्यवस्था है।

[श्री विजय बहादुर सिंह]

अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्टेट यूनिवर्सिटी में फंडिंग नहीं है। वाइस चांसलर के लेवल का व्यक्ति, डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है और उसकी चापलूसी करता है, तो उसके लिए फंड है। उत्तर प्रदेश ...* में, उनका जो डिग्री कालेज था, उसे 100 करोड़ रुपए दो साल में मिले जबकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कर बजट 12 करोड़ रुपए था। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में नहीं, जहां फंड की शार्टेज न हो। इसलिए या तो सभी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर दिया जाए।...(व्यवधान) आखिरी बात ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)...*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय उत्तर देने वाले हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी सीटों पर बैठ जाएं। माननीय मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

सभापति महोदय : मंत्री जी के उत्तर के पश्चात् हम शून्यकाल शुरू करेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। अब मैं माननीय मंत्री जी उत्तर देना शुरू करने का अनुरोध करता हूँ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : चूंकि वे यहां उपस्थित नहीं हैं अतः उनके नाम को हटाया जाता है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सिंह, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब उत्तर देना शुरू कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय आप उत्तर देना शुरू कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया शांति बनाए रखिए।

(व्यवधान)

*डॉ. किरिटी प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम) : महोदय हमारे लोकतंत्र के इस महान मंदिर में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मानव संसाधन और विकास के बारे में, मेरे विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मैं अपनी पार्टी तथा विपक्ष के नेता माननीय आडवाणी जी तथा सभा की उप-नेता श्रीमती सुषमा जी का भी आभारी हूँ।

लोकतांत्रिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है- सभी को समान अवसर प्रदान करना। यहां, मैं महात्मा गांधी का उद्धरण देना चाहूंगा, उन्होंने कहा था "कि लोकतंत्र, लोगों के विभिन्न वर्गों के संपूर्ण शारीरिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक संसाधनों को सभी के समान हित की रेखा हेतु एकजुट करने की कला एवं विज्ञान है।"

मैं शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहूंगा। महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे हमारे नेताओं तथा अन्य के निर्धनतम व्यक्ति तक शिक्षा फैलाने का स्वप्न देख था।

हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार होना चाहिए। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान परिदृश्य में, जहां तक शिक्षा का संबंध है, गरीबों और दलितों को भुला दिया गया है। आज शिक्षा नीति का पूरी तरह के व्यावसायीकरण हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा हेतु गैर-सहायता-प्राप्त विद्यालय।

के.जी. कक्षाओं तथा प्राथमिक शिक्षा में शुल्क संरचना बहुत अधिक है। ये स्कूल प्रवेश के लिए फार्मों के वितरण हेतु लगभग 500/- रुपए वसूल रहे हैं। ये स्कूल परिवहन, यूनिफार्म, पुस्तकों आदि जैसी अन्य सेवाओं के नाम पर काफी रुपए वसूल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा हेतु व्यावसायीकरण की यही व्यवस्था विद्यमान है और दसवीं तथा बारहवीं कक्षा के लिए ट्यूशन लगभग अनिवार्य हैं। आर्थिक रूप से मध्यम वर्ग के अभिभावकों के लिए ट्यूशन की शुल्क संरचना बहुत अधिक है।

ऐसे में इस पूंजीवादी व्यवस्था में गरीब के प्रवेश करने का प्रश्न ही कहां उठता है? गरीबों के बच्चों के लिए विज्ञान तथा अन्य विषयों में प्रवेश लेना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। वे प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग के लिए लाखों रुपए की व्यवस्था नहीं कर सकते।

शिक्षा का व्यावसायीकरण करके जाने-अनजाने में गरीब को विज्ञान तथा अन्य प्रकार की शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। यह बहुत ही गंभीर व्यवस्था है, जिसे बदले जाने की आवश्यकता है।

चिकित्सा, तकनीकी, प्रबंधन तथा अन्य प्रकार की उच्च शिक्षा हेतु कैपिटेशन फीस की व्यवस्था है, और मुझे विश्वास है कि गरीब इस व्यवस्था में प्रवेश पाने का स्वप्न भी नहीं देख सकता।

ऐसे बहुत से निजी चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थान हैं, जहां 100 प्रतिशत सीटों पर भुगतान करने पर ही प्रवेश का प्रावधान है।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन संस्थानों में धनी लोगों के लिए लगभग 100 प्रतिशत आरक्षण है।

भुगतान लेकर सीट देने वाले ये निजी संस्थान भुगतान श्रेणी के बीच योग्यता के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, जिसमें गरीबों का कोई स्थान नहीं है।

मैं कुलीन और धनाढ्य वर्ग हेतु 100 प्रतिशत आरक्षण की इस प्रणाली के बारे में चेतावनी देना चाहता हूं।

हमारे संविधान में, सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए आरक्षण लागू किया गया था, परन्तु आर्थिक रूप से धनी वर्ग हेतु यह शत प्रतिशत आरक्षण किसी भी प्रकार का सामाजिक न्याय नहीं है। कथित योग्यता के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है।

मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और भुगतान वाली सीटों वाले ऐसे संस्थानों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग, विशेषकर "सेरेब्रल पालसी" से पीड़ित बच्चों के पुनर्वास तथा शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सेरेब्रल पालसी से पीड़ित बच्चों की स्थिति ही दयनीय नहीं होती बल्कि उनके माता-पिता तथा परिवार के सभी सदस्यों को हर तरह से उनकी देखभाल करनी होती है।

इस वर्ग पर विशेष ध्यान देने तथा प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनके लिए ठोस कार्रवाई की जाए।

इस बजट में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) तथा मल्लापुर (केरल) में प्रत्येक विश्वविद्यालय को 25 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। मैं इसकी सराहना करता हूं परन्तु बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, गुजरात के एक अत्यंत पुराने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय तथा सोमानाथ संस्कृत विश्वविद्यालय हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया। छात्रवृत्तियों, राजसहायता एवं छात्र ऋणों के साथ शिक्षा सहायता के रूप में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दलित छात्रों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

सर्व शिक्षा अभियान और विशेषकर कन्या केलावाणी को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

गुजरात में, पिछले 8 वर्षों से प्रथम कक्षा में प्रवेश को 'शाला प्रवेश महोत्सव' के रूप में मनाया जाता है तथा नारी शिक्षा की प्रगति को "कन्या केलावाणी रथ" के रूप में बहुत सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है।

नई शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन के बारे में सरकार को राज्य सरकार तथा शिक्षा विदों को विश्वास में लेना चाहिए। मैं दसवीं कक्षा की परीक्षा को समाप्त करने के प्रति सरकार को सावधान करना चाहता हूं। दसवीं कक्षा के बाद डिप्लोमा आदि जैसे बहुत से पाठ्यक्रम हैं, जिनपर विचार किया जाना चाहिए।

12वीं कक्षा की परीक्षा हेतु एकल केन्द्रीय बोर्ड के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक विशाल देश है और प्रत्येक राज्य का अपना-अपना पाठ्यक्रम तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एकरूपता लाना भी काफी कठिन है। इसलिए, इसके क्रियान्वयन हेतु सरकार को इन सभी बिंदुओं पर विचार करना चाहिए।

[डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी]

मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में तत्कालीन राज्यमंत्री द्वारा पुरःस्थापित 'पढ़ो एवं सेवाओं में आरक्षण विधेयक, 2008' के बारे में कड़ी आपत्ति दर्ज करना चाहता हूँ। विधेयक में आई.आई.एम., आई.आई.टी., ए.आई.आई.एम आदि सहित उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले राष्ट्रीय महत्व के 47 प्रमुख संस्थानों में फ़ैकल्टी में आरक्षण से छूट मांगी गई थी। पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया था। जब हम पूरे जोर-शोर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान की बात करते हैं तो यह पूरी तरह से विरोधाभासी कदम है। इससे, इस वंचित वर्ग के साथ घोर अन्याय होगा। इसके विपरीत उनके लिए और अधिक ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। मैं इस विधेयक को तत्काल वापस लेने की अपील करता हूँ और सभा के पटल पर इस बारे में वादा किया जाना चाहिए।

संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है तथा यह हमारी विरासत और गौरव हैं। क्या हम केवल तभी सजग होंगे और संस्कृत पर ध्यान देंगे, जब कोई हमें इसके बारे में याद दिलाएगा, जैसे कि नासा के वैज्ञानिक रिचर्ड ब्रिक्स ने "संस्कृत तथा कृत्रिम बौद्धिकता में ज्ञान का प्रतिनिधित्व" संबंधी अपने लेख में संस्कृत के महत्व पर बल दिया है।

क्या हम चाहते हैं कि कोई विदेशी हमें यह याद दिलाए कि संस्कृत केवल एक भाषा ही नहीं है, बल्कि यह भारत की समृद्ध संस्कृति तथा बौद्धिक विरासत का भंडार भी है? और तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अध्ययन में भी इसका प्रमुख स्थान है तथा अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश आदि। विश्व प्रमुख भाषाओं का कोई भी भाषाविज्ञान संबंधी अध्ययन संस्कृत के ज्ञान के बिना पूर्ण नहीं है।

प्रसिद्ध प्राच्यवेत्ता और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जॉन्स ने बिल्कुल सही कहा था, "संस्कृत इसकी पुरातनता चाहे कुछ भी रही हो, भाषा का अद्भुत स्वरूप है, यह ग्रीक से अधिक परिपूर्ण है, लैटिन से अधिक प्रचुर है और अधिक परिष्कृत है।"

आज के समय में, संस्कृत रोजगार विकल्पों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। आगामी वर्षों में संस्कृत के छात्रों की अधिक मांग हो जाएगी, उन्हें निम्नलिखित उद्योगों में रोजगार मिल सकता है-

- सरकारी एजेंसिया
- महाविद्यालय और विश्वविद्यालय

- संचार उद्योग
- बैंकिंग क्षेत्र
- अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन
- अनुसंधान संगठन
- भारतीय सेना आदि
- भारत में संस्कृत के पांच सर्वोत्कृष्ट संस्थान हैं-
 - (1) दिल्ली विश्वविद्यालय
 - (2) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
 - (3) पुणे विश्वविद्यालय
 - (4) राष्ट्रीय संस्कृत संगठन दिल्ली
 - (5) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली।

*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : सभापति महोदय, बीकानेर (राजस्थान) में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मांग है। राज्य सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति ने बीकानेर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की है। मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इसे स्वीकार करें।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : महोदय, मैं बजट में यथा आबंटित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मैं इस सभा के सभी सदस्यों का आभारी हूँ, जिन्होंने अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद के दौरान शिक्षा के मुद्दे पर बारीकी से चर्चा की है। इससे मैं आशावान हूँ क्योंकि मेरे विचार से सभा में इस बात पर सर्वसम्मति की कि शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। अब, इन सुधारों की क्या दिशा होनी चाहिए और किन-किन रुकावटों को दूर किया जाना है?... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : आप हिन्दी अच्छी जानते हैं, आप हिन्दी में बोलिए।...(व्यवधान)

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप जारी रखें। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी को परेशान न करें।

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : अगर अनुमति हो तो मैं जवाब दूँ।

मैं कह रहा था कि विचार एक है रास्ते अलग हो सकते हैं। सोच एक है, किस रास्ते पर चना जाए, वह अलग हो सकता है। लेकिन साठ साल के बाद यह कहना कि हिन्दुस्तान की सरकार ने या कई सरकारों ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, उपलब्ध शिक्षा उल्लेख में समझता हूँ कि हम इसमें सफल नहीं हो पाए। यह असलियत है। असलियत को हम न मानें तो उसी रास्ते पर चलेंगे, असलियत को मानकर चलें तो शायद रास्ता बदल पाएँ और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर पाएँ। रास्ता बदलना है, उस रास्ते पर नहीं चलना है। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नीति बनाएँ तो हमें अपने सामने तीन बातें रखनी हैं-

[अनुवाद]

पहला, "विस्तार है"; दूसरा "समाविष्टि है" और तीसरा है उत्कृष्टता।"

[हिन्दी]

जब मुरली मनोहर जोशी जी ने बहस की शुरुआत की तो बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने एक सवाल पूछा जिसका उत्तर उन्होंने खुद नहीं दिया। लेकिन उन्होंने सवाल पूछा कि आटोनोमी का क्या मतलब है? आज मैं इस पर दो-चार मिनट अपनी बात रखना चाहूँगा।

[अनुवाद]

शिक्षा के संदर्भ में, "स्वायत्तता" का क्या अर्थ है? मेरे विचार से जब आप "स्वायत्तता" का अर्थ ढूँढ़ना चाहें, तो बच्चे को देखें, संस्थाओं को न देखें और नीतियों पर ध्यान न दें। "स्वायत्तता" तभी आएगी जब आप बच्चे को चुनने का अधिकार देंगे क्योंकि वह शिक्षा की नींव है। ज्ञान उसे ही प्राप्त करना है। जब तक आप उसे विकल्प नहीं देंगे, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। साठ वर्षों तक हमने अपने बच्चों को कभी भी विकल्प नहीं दिए हैं।

[हिन्दी]

बच्चे दसवीं के इम्तिहान में बैठते हैं और रिजल्ट आता है तो उन्हें कहा जाता है कि बेटा, तुमने साइंस में अच्छा किया है, जाओ इंजीनियर बन जाओ, तुमारे कामर्स में अच्छे नम्बर हैं, जाओ श्रीराम कालेज आफ कामर्स में दाखिला करवा लो।

[अनुवाद]

दसवीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम बच्चे का कैरियर तय करते हैं, न कि बच्चा तय करता है कि उसका कैरियर क्या होना चाहिए। यही दुविधा है, जिसका इस देश में शिक्षा को सामना करना पड़ रहा है। क्या आप बच्चे को निर्णय करने का अधिकार देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि परीक्षा तय करे कि बच्चे को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? आप बच्चे को स्वायत्तता तब देंगे, जब वह निर्णय लेगा, न कि जब परीक्षा उसके लिए तय करे।

[हिन्दी]

यह मूल बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वह बच्चा अपने मां-बाप से सलाह करके, अपनी टीचर से गाइडेंस लेकर तय करे कि मुझे आगे क्या करना है? जो अध्यापक है, वह बच्चे को जानता है, क्योंकि वह उसे पढ़ाता है। उसके माता-पिता बच्चे को जानते हैं और बच्चा खुद जानता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? लेकिन दसवीं क्लास का बोर्ड एग्जाम बच्चे को यह कहने के लिए साधन बन गया है कि तुम इस रास्ते चलो। उसकी आटोनोमी को आप खत्म कर रहे हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं दसवीं का बोर्ड एग्जाम खत्म कर दूँगा। मैंने आज तक ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने कहा कि सीबीएसई सिस्टम में, सेंट्रल बोर्ड आफ सैकेंडरी एजुकेशन के सिस्टम में जहां लगभग दस हजार स्कूल ऐफीलिटेटेड हैं, वहां अगर कोई भी स्कूल बारहवीं क्लास तक है, तो फिर उस बच्चे को जो दसवीं से ग्यारहवीं क्लास में जाना चाहता है, उसे बोर्ड एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं। मैंने केवल इतना ही कहा है कि उसे बोर्ड एग्जाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह बारहवीं करना चाहता है।

हिन्दुस्तान में 41 बोर्ड्स हैं। मैं अपनी कलम से उनको रद्द नहीं कर सकता और न मैंने आज तक कहा कि उनको मैं रद्द करूँगा। मुझे मालूम नहीं कि ये सवाल कहां से उठ रहे हैं? न तो मेरा हक है, न मेरा संवैधानिक हक है और न किसी कानून के अंतर्गत मेरा कोई हक है कि मैं उन बोर्ड्स को रद्द कर सकूँ। मैं उसे न करना चाहूँगा, न कर रहा हूँ और न मैंने कभी ऐसे कहा। मालूम नहीं, यहां

[श्री कपिल सिब्बल]

सदन में ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? मैंने सीबीएसई की बात इसलिए की, क्योंकि उन सारे सीबीएसई स्कूलों में एक ही यूनीफार्म सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन और एजुकेशन है। उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। इस पर हम विचार करेंगे, सलाह करेंगे। हम प्रिंसिपल से सलाह करेंगे, आप लोगों से सलाह करेंगे और बढ़ेंगे।

अब यूरोप में क्या मुहिम चल रही है? यूरोप में 40 देश इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक प्रौद्योगिकी की शुरुआत की है, जिसे हम बोलोनिया प्रौद्योगिकी कहते हैं। उसमें भिन्न-भिन्न देश हैं। अब चूंकि यूरोपियन यूनियन बनी हुई है, इसलिए कोई भी बच्चा एक स्कूल से कहीं दूसरे स्कूल में जा सकता है। अगर फ्रांस में अपना इंटरनैशनल बैकालोरिएट करे, तो वह जर्मनी में जाकर उच्च एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। बोलोनिया प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई है कि यूरोप में हर बच्चा तीन लैंग्वेज पढ़ेगा। जब वह इम्तिहान में बैठेगा, तो सारे 40 देशों में एक ही इम्तिहान होगा, ताकि वह फ्रांस में स्कूल पास करे, तो जर्मनी में यूनिवर्सिटी में जा सकता है। अगर जर्मनी में पढ़े, तो स्पेन में जा सकता है और कहीं भी जाकर नौकरी कर सकता है क्योंकि सिस्टम ऑफ स्कूल के तहत एग्जामिनेशन सिस्टम एक होगा। यूरोप में कोई डायवर्सिटी नहीं है। वे तो 40 देश हैं, लेकिन इस पर हमने अभी कोई विचार नहीं किया है। मैं एक बात आपके सामने रख रहा हूँ। इसके पीछे सोच यह है कि पापुलेशन की मोबिलिटी होनी चाहिए।

अगर एक बच्चा एक देश से पास करता है तो वह नौकरी कहीं और जाकर कर सकता है। हमारे यहां स्टेट बोर्ड्स की हालत देखिए, कहीं 35 प्रतिशत पास, कहीं 27 प्रतिशत पास और फिर जब यूनिवर्सिटी में दाखिला देना हो बाकी बोर्ड्स के साथ उसका इक्वीवैलेंस किया जाए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी दुविधा है। इससे सिविल सोसाइटी में टेंशन भी होता है। आने वाले दिनों में सभी को यह सोचना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली हम ऐसी बनाएं जिसमें बच्चों को मोबिलिटी भी मिले और शिक्षा भी उच्च स्तर की हो सके, जिससे सभी को क्वालिटी शिक्षा मिले। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि मैथमैटिक्स में क्या डायवर्सिटी है, कैमिस्ट्री में क्या डायवर्सिटी है, बायोलॉजी में क्या है, एंथ्रोपॉलॉजी में क्या है? डायवर्सिटी है तो जियोग्राफी में है, हिस्ट्री में है, लेकिन हिस्ट्री के लोग तो आईआईटी नहीं जाते हैं, लैंग्वेज के लोग तो आईआईटी में नहीं जाते हैं। कैमिस्ट्री फिजिक्स, बायोलॉजी, जुओलॉजी, एंथ्रोपॉलॉजी वाले ही जाते हैं, तो इसमें कौन सी डायवर्सिटी की बात है? मुझे आप बताइए कि किस डायवर्सिटी

की बात हो रही है? हमें राष्ट्र के बारे में सोचना है, हिन्दुस्तान के भविष्य के बारे में सोचना है। उसमें हम सब इकट्ठे हैं, प्रदेश, देश इकट्ठा हैं और इकट्ठे होने चाहिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम कोई ऐसी बात नहीं सोच रहे हैं कि स्टेट बोर्ड्स को खत्म कर देंगे, वस्तुतः हमारा प्रयास यह होगा कि अगले पांच-सात सालों में हम स्टेट बोर्ड्स की लेवल आफ एजुकेशन ऐसे उच्च स्तर पर ले जाएं ताकि वे भी दूसरे बोर्ड्स के साथ इक्वीवैलेंट रहें। उसमें हमें स्टेट्स का सहयोग चाहिए। मेरा भी हिन्दुस्तान के लिए एक सपना है, वह यह है कि ऐसी नीति बननी चाहिए कि पूरे हिन्दुस्तान के बच्चे ग्यारहवीं कक्षा के बाद केवल एक इम्तिहान में बैठें, जब सबका इक्वीवैलेंस हो जाए, क्वालिटी एक हो जाए ताकि मेरिट के आधार पर उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, यह नहीं कि भाग-दौड़ करनी पड़े कि आपके नम्बर कितने और उसके नम्बर कितने। जो मेरिट लिस्ट में आया, उसको वह इंस्टीट्यूट मिले जो वह चाहता है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, लेकिन अगर आप भिन्न-भिन्न बोर्ड्स रखेंगे, उनकी इक्वीवैलेंस नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी। हम यह काम कल नहीं कर सकते, लेकिन अगले पांच-सात सालों में कर सकते हैं। बात केवल दसवीं बोर्ड की नहीं है बात है आटोनामी की, जिससे मुरली मनोहर जी ने शुरुआत की थी। बच्चे को “स्वायत्त” कैसे बनाया जाए? आप बच्चे को तब तक स्वायत्त नहीं बना सकते, जब तक आप उसे विकल्प नहीं उपलब्ध कराते वह क्या पढ़ना चाहता है, किस तरह से पढ़ना चाहता है। वह च्वाइस मिलनी चाहिए। इसके लिए स्कूलों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। उसे यह च्वाइस होनी चाहिए कि वह किस स्कूल में जाना चाहता है, कोई ऐसा स्कूल होगा जिसका फोकस किसी एक सब्जेक्ट पर है, कोई दूसरा स्कूल ऐसा होगा जिसका फोकस किसी अन्य सब्जेक्ट पर होगा। कई माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई और सही बात उठाई कि आज के दिन अगर बच्चा दसवीं के बाद जिस स्ट्रीम में जाना चाहता है, वह जाता है, लेकिन वह कारपेन्टर क्यों नहीं बन सकता है? वह आटोमोबाइल इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता है, रेफ्रीजरेशन इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता है, मेसिन क्यों नहीं बन सकता है? सीबीएसई में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उसे सीबीएसई की डिग्री मेसिनरी के लिए मिले क्योंकि हर बच्चे को च्वाइस देना चाहिए कि वह क्या करना चाहता है। हर बच्चा डाक्टर नहीं बनना चाहता है, पीएचडी या एमफिल नहीं करना चाहता है। कोई चाहता है कि मैं आईआईटी में जाऊँ, कोई चाहता है कि कारपेन्टरी करूँ, कोई चाहता है कि मैं इंजीनियरिंग का छोटा-मोटा कोर्स कर लूँ ताकि मैं बाहर जाकर नौकरी कर लूँ। अगर आप सीबीआई की डिग्री इन वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज में दसवीं और बारहवीं कक्षा में देंगे तो वह बच्चा या तो पालीटेक्निक में जा सकता है या वह वापस एकेडेमिक्स में आ सकता है।

वह चौथस भी बच्चे को होनी चाहिए। जब चौथस दोगे, तब एटोनमी होगी। एटोनमी का यह मतलब नहीं है कि इसे एपाइंट कर लिया या उसे एपाइंट कर लिया, यह कोई मतलब नहीं होगा, यह तो कंट्रोल की बात है। एटोनमी की बात करते हो तो बच्चे की बात करो, युवा की बात करो। उस बच्ची की बात करो, जो क्या करना चाहती है, जो अपने पैरों पर खड़ा होकर हिन्दुस्तान को आगे ले जानी चाहती है।

[अनुवाद]

इसी प्रकार, यदि आप बच्चे को विद्यालय में वह स्वायत्तता देते हैं, तो आपको बच्चे को वही स्वायत्तता महाविद्यालय में भी देनी पड़ेगी और आप विस्तार के बिना स्वायत्तता नहीं उपलब्ध करा सकते। इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा क्योंकि आप अपने बच्चों के विकल्प को सीमित कर रहे हैं, यदि भारत में पर्याप्त संस्थाएं उपलब्ध नहीं होगी।

[हिन्दी]

कोई कहता है कि मेरे 97 परसेंट मार्क्स हैं, लेकिन मुझे एडमिशन नहीं मिल सकता, क्योंकि दो-चार ही ऐसे कालेज हैं, जहां सब लोग एडमिशन चाहते हैं। आपको वह एक्सेप्शन करना पड़ेगा। एक्सेप्शन आप कैसे करेंगे, जब आप ऐसी संस्थाओं को अनुमति दोगे जो अच्छी हों और एक ऐसे तरीके से दोगे, जिसमें कोई पोलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं होगा।

सभापति जी, अब मैं आता हूँ यशपाल कमेटी की रिपोर्ट पर। उन्होंने और नालेज कमीशन ने क्या कहा:

[अनुवाद]

हमें अवसरों का विस्तार करने की आवश्यकता है "क्यों? यह बच्चे की स्वायत्तता के लिए है। आप अवसरों का विस्तार कैसे कर पाएंगे, जब तक कि आप भारत में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की अनुमति नहीं देंगे? हमारी कुल आवश्यकता 4,00,000 करोड़ रु. के लगभग है।

[हिन्दी]

कहां से पूरी करोगे, सरकार के पास ऐसा कोई मैजिक वैंड नहीं है। न टैक्स से पैसा आएगा, यह तो इवैस्टमेंट से आएगा और इवैस्टमेंट कहां से लाओगे, थोड़ा-बहुत सरकार करेगी, राइट टू एजुकेशन बिल हम पास करेंगे, उस बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इवैस्टमेंट तो लानी पड़ेगी। पहले तो हमें अपने एजुकेशन सेक्टर को इंटरनली फ्री करना पड़ेगा। हमने उस बारे में सोचा है और मैं अपनी बात आपके सामने रखना भी चाहूंगा। हमने सोचा है कि एक ओवरआर्चिंग

हायर एजुकेशन में रेग्युलेटरी अथोरिटी होनी चाहिए। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट कुछ सुझाव देती है। नेशनल नॉलेज कमीशन ने भी कुछ कहा है। हमने अभी किसी बात को नहीं माना है। हम सोच-विचार कर रहे हैं, लेकिन एक ओवरआर्चिंग रेग्युलेटरी अथोरिटी होनी चाहिए। उसमें कोई पोलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, वह केवल एकेडमिक्स की होनी चाहिए। वह अथोरिटी निर्णय ले कि क्या मानदंड हैं। कैसे आप इंस्टीट्यूशंस वाले लोगों को संस्थान लगाने देंगे, मतलब यह है कि उसके एंट्री बैरियर्स तय करे। उसकी फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।

[अनुवाद]

क्या उसका शिक्षा क्षेत्र में कोई अनुभव है? उसके पास कितने वर्षों का अनुभव है? ये सभी शर्तें शिक्षाविदों के एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं, ऐसे सर्वोच्च निकाय जो शिक्षा नीति को नियंत्रित करता है और इसे इस देश की बाजार संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में और इस देश की अनुसंधान आवश्यकताओं के संदर्भ में इस देश के भविष्य के लिए शिक्षा नीति की रूपरेखा तय करनी चाहिए। एक बार ऐसे निकाय की स्थापना हो जाने पर, जो कोई भी प्रवेश सीमा को पार करेगा वह विश्वविद्यालय स्थापित करने का पात्र होगा। "मानित विश्वविद्यालय होने" की संकल्पना का अस्तित्व ही क्यों हो? उसका क्या अर्थ है? यदि आप प्रवेश सीमा को पार करते हैं, तो आप विश्वविद्यालय स्थापित करने के पात्र होंगे और शिक्षाविदों का वह सर्वोच्च प्राधिकरण एक बार अवसंरचना के रूप में संकाय के रूप में, उपकरण के रूप में और अन्य चीजों के रूप में समस्त प्रवेश सीमा के पूरा हो जाने के पश्चात विश्वविद्यालय को कार्य करने की अनुमति देने के संबंध में अन्ततोगत्वा एक अंतिम प्रमाण पत्र देगा और यह सब निरन्तर रूप से उस प्राधिकरण के समीक्षाधीन होगा। आप पृथक् रूप से एक प्रत्यायन एजेंसी की सेवाएं ले सकते हैं, जो गुणवत्ता के संबंध में संस्थाओं को प्रत्यापित करती है और उस प्रव्यायन की प्रत्येक दो वर्षों या तीन वर्षों पर समीक्षा की जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

क्या वह संस्था उसी उच्च स्तर पर काम कर रही है या नहीं।

सायं 7.00 बजे

[अनुवाद]

वह एक्क्रेडिटड एजेंसी एक प्रोफेशनल एजेंसी होती है, जैसे सेबी मार्किट को रैगुलेट करती है, ऐसा ही एक एक्क्रेडिटड एजेंसी आपकी शिक्षण संस्थाओं को रैगुलेट कर सकती है। उसको क्वालिटी कंट्रोल,

[श्री कपिल सिब्बल]

क्वालिटी सर्टिफिकेशन दे सकती है ताकि बच्चे को मालूम हो कि यह ए-प्लस इंस्टीट्यूशन है, यह ए-इंस्टीट्यूशन है और बी-प्लस इंस्टीट्यूशन है। ऐसे ही हमें सोचना होगा क्योंकि उस एटोनामी की बात हम कर रहे हैं जिसमें हमारे बच्चे को चोइस होनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब "7" बज गए हैं। यदि सभा सहमत हो, तो हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें पारित होने और विशेष उल्लेख समाप्त होने तक इस सभा का समय बढ़ा सकते हैं?

अनेक माननीय सदस्यगण : जी हां।

सभापति महोदय : ठीक है। सभा का समय उस वक्त तक के लिए बढ़ाया जाता है। माननीय मंत्री महोदय अपनी बात जारी रखें।

श्री कपिल सिब्बल : धन्यवाद।

पुनः यदि उस प्रत्यापन एजेंसी, जो कि एक व्यावसायिक निकाय है, की स्थापना की जाती है, तो शिक्षा से राजनीति कोसों दूर रहेगी और केवल गुणवत्तापूर्ण संस्थान आएंगे, जिसका श्रीमती सुप्रिया सुले उल्लेख कर रही थी। इसलिए, आप विस्तार और जैसे मैंने कहा इस प्रक्रिया में गुणवत्ता की संकल्पना को पूरा कीजिए। सभी संस्थाएं समावेशी होनी चाहिए और हम प्रवेश के मामलों में इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

अगर संस्था बनानी है तो पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन मिलेगा और उस पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। यह हमारा सपना और सोच है। तीन आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस देश में अगर 100 बच्चे बारहवीं पास करते हैं तो केवल 12 बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, 88 बच्चे यूनिवर्सिटी ही नहीं जाते। अगर आप अमरीका या यूरोप के देशों में देखें तो 100 में से 60-70 बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं। अगर सब-सहारा-अफ्रीका के देशों को देखें तो 100 में से केवल 6 बच्चे ही यूनिवर्सिटी जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा के स्तर पर हमारा देश कहां है? अब मैं स्कॅनडिनेवियन कंट्रीज की बात करता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा रिसर्च वहां होती है। वहां अगर एक मिलियन लोग हैं तो लगभग 6700 लोग रिसर्च करते

हैं, अमरीका में एक मिलियन पापूलेशन पर 4700 लोगों की संख्या है और हिंदुस्तान में यह आंकड़ा केवल 156 लोगों का है। हम रिसर्च के क्षेत्र में कहां हैं? हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हमने यह कर लिया, वह कर लिया, हिंदुस्तान में बड़ी-बड़ी कमाल की संस्थाएं हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि नहीं हैं, लेकिन कम हैं। अगर हमें विश्व से कम्पीट करना है तो हमें रास्ता बदलना होगा, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो वर्ष 2020 में एम्प्लायमेंट की खोज कर रहे होंगे। आपने माध्यमिक शिक्षा के बारे में तीन करोड़ बच्चों की बात कही, वे बच्चे जब 20 साल के होंगे और उनको आप अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, वह अवसर नहीं देंगे, तो आप अपने बच्चों को क्या कहेंगे?

आज बच्चे बाहर पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं? एक लाख साठ हजार बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, बिलियन्स आफ डालर खर्च होता है, हमारा फारेन एक्चेंज खर्च होता है। हमारे बच्चे को आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है लेकिन एमआईटी में मिल जाता है। यह सच बात है कि जिस बच्चे को आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है, वह एमआईटी में एडमिशन पाता है। यहां दाखिला लेना मुश्किल है लेकिन वहां आसान है, वहां चोइस है, एटोनामी है, यहां एटोनामी नहीं है। हमें वह एटोनामी और चोइस बच्चों को देनी है। इसलिए शिक्षा के स्तर पर एक्सटेंशन करो, इवैस्टमेंट लाओ और उसमें हम यह कहें कि सरकार सारी इवैस्टमेंट ला सकती है, यह संभव नहीं है। हमारे ग्यारहवें प्लान का एलोकेशन, उच्च शिक्षा में 85 हजार करोड़ रुपये है, जो कम है। इससे आप दस गुना भी कर लो, तो भी कम है। हमें प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है। हां, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा।

उसके लिए हम ऐसा कानून बनाएंगे कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वे मालप्रैक्टिस करें, तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, हम ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं और हम आपके सामने वह कानून लाएंगे। जहां डिमांड सप्लाई में अंतर होगा, आप अखबार में पढ़ते हो, वह भी होगा। अगर डिमांड सप्लाई में अंतर नहीं होगा, तो फीस भी कम होगी। लोगों को च्वाइस भी ज्यादा मिलेगी और आप नेशनल गोल भी पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं।

जब हम दसवीं कक्षा की बात करते हैं, नेशनल करिकुलम की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि साहब आपको कौशियस होना चाहिए। पहली बार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की नई सोच के साथ जब आगे बढ़े थे, वह वर्ष 1993 की रिपोर्ट थी। मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ। उस बात को 16 साल हो गए हैं। कितने साल आप

और बिताओगे, 15-20 साल सदन में चर्चा करते-करते कि 15 साल बाद कौशियस हो कर आगे कदम बढ़ाएंगे। फिर वर्ष 2000 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पालिसी बनी, उसमें भी यही कहा गया कि बच्चे का बर्दन कम होना चाहिए और इम्तिहान की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। जैसा आपने कहा था कि बच्चे का कंटिन्यूअस कांप्रिहेंसिव असेसमेंट होना चाहिए। यह कोई आज की बात नहीं है। यह वर्ष 2000 की बात है। वर्ष 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिप्लेस हुआ। उसमें फिर यही बात दोहराई गई। अगर 16 साल चर्चा हो चुकी है, तो आप बताइए कि मुझे कितना और कौशियस होना चाहिए। अगर 16 साल बाद भी कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि देश के भविष्य के लिए आप स्वयं रुकावट पैदा कर रहे हैं, जो हमें मंजूर नहीं है, सरकार को मंजूर नहीं है।

हम इसकी जल्दबाजी भी नहीं करेंगे, लेकिन हम कदम जरूर आगे बढ़ाएंगे। जहां तक राइट टू एजुकेशन बिल का सवाल है, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इसी सत्र में कोशिश करके हम लाएंगे और इसी सत्र में उसे पारित करेंगे। उस बारे में जोशी जी ने बात कही कि नेबरहुड स्कूल की डेफिनेशन क्या है। हमने जानकर नहीं रखी, क्योंकि यह स्टेट तय करेगी कि नेबरहुड स्कूल कहां-कहां होने चाहिए। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तब एक गलती करते हैं कि सारा दोष आप केंद्र सरकार पर थोप देते हैं। हालांकि एजुकेशन का जो फाउंडेशन है, वह फैमिली है। फैमिली एक लोकेलिटी में रहती है। लोकेलिटी पंचायत से जुड़ी है। पंचायत डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट से जुड़ा है और इसके बाद केंद्र आता है। शिक्षा की व्यवस्था की ज्यादा जिम्मेदारी स्टेट्स की होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि वहां घर खराब था, वहां ठीक तरह से कमरा नहीं बना हुआ था, उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। यह कमरा कौन बनाता है? यह कमरा स्टेट बनाती है, तब आप यहा बैठे-बैठे क्यों अपनी सरकार को दोष देते हो। हम कोशिश करके मोनिटरिंग करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की सीएजी की रिपोर्ट द्वारा मोनिटरिंग करते हैं। इंडिपेंडेंट आडिटर्स द्वारा मोनिटर करते हैं। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा मोनिटर करते हैं। हम लाखों स्कूलों को तो स्वयं मोनिटर नहीं कर सकते हैं, यह तो राज्य की जिम्मेदारी है कि खर्चा कैसे हो रहा है? आपको अपने राज्य की सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि आप क्यों ठीक नहीं कर रहे हैं। आप हमें जो बताएंगे, हम उस पर कार्यवाही करेंगे, जैसे हमने की है। हम कभी कार्यवाही करने से चूके नहीं हैं। हम चाहते हैं कि यह जो डिवाइसिस फैक्टर्स एंड एजुकेशन में जहां मैं समझता हूं कि हर कदम पर राजनीति लाई जाती है, राजनीति और शिक्षा का कोई ताल्लुक नहीं है। शिक्षा का सीधा-साधा संबंध हिंदुस्तान

के भविष्य से है। उन्होंने कहा कि साहब अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दी है, एक कैम्पस केरल में बना दी है, एक वेस्ट बंगाल में बना दी है।

वह क्या हमने बनाई? हमने नहीं बनाई। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस आई, उसके बाद 7वीं कमेटी बैठी और यूनिवर्सिटी ने खुद कहा, हम कहने वाले कौन होते हैं? मैं कहता हूं कि आप तय कीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी कहीं और सेंटर बनाना चाहती है तो केन्द्र सरकार क्या उसे रोक रही है? केन्द्र सरकार नहीं रोक रही है। लेकिन अगर ऐसा बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी नहीं सोचती तो इसमें केन्द्र का कोई दोष नहीं है। मैं तो चाहता हूं। अभी पीछे आईआईटी की मीटिंग हुई तो मैंने उनको कहा कि आईआईटी खडगपुर कानपुर में क्यों नहीं अपनी एक ब्रांच लगा सकता? क्यों रोक है? वह भी च्वाइस की बात है। अगर एक बच्चा चाहता है कि कानपुर में जो आईआईटी है, वहां यदि कोई टीचर मैकेनीकल इंजीनियरिंग अच्छा पढ़ता है, तो उसे कानपुर से क्यों नहीं करते, आजकल सब एआईसीटीई के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। उसे अपना कोर्स कानपुर से करना चाहिए। क्यों नहीं? लेकिन होता क्या है?

[अनुवाद]

यह दुखद भाग है। जब कभी भी शिक्षा पर वाद-विवाद होता है हम अपनी धारणाओं के गुलाम नजर आते हैं, और हम अपनी धारणाओं के गुलाम बने रहते हैं। अगर आप मुफ्त शिक्षा चाहते हैं, अपने आपको धारणाओं से मुक्त रखे चूंकि अपने आपको बदलने का वक्त आ गया है। देश को इसकी जरूरत है, और हमारी नौ जवान पीढ़ी को भी इसकी जरूरत है।

[हिन्दी]

अब कई माननीय सदस्यों ने सवाल उठाए। मैं कोशिश करके 5-10 मिनट में सवाल के जवाब देना चाहता हूं। करीकुलम की बात मैंने कह दी। उसे मैं दोहराना नहीं चाहूंगा।... (व्यवधान) किसी माननीय सदस्य ने कहा तो मैं बताना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान का जो हमारा बजट है, वह उतना ही है, वह कम नहीं हुआ। 13100 करोड़ हमें मिला था।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि टीचर्स अटैंड नहीं करते। सरकार भी इस बात पर चिंतित है कि टीचर्स अटैंड नहीं करते। लेकिन हम मोनीटर कैसे करें? स्टेट को मोनीटर करना चाहिए। खुद देखना चाहिए, खुद हमें बताना चाहिए क्योंकि स्कूल तो वहां हैं। स्कूल हमारे यहां

[श्री कपिल सिब्बल]

नहीं हैं। कैसे हम मानीटर करें? हमारे वामपंथी दल इस बात पर बड़े चिंतित हैं।

[अनुवाद]

हमने 20 राज्यों में शिक्षक उपस्थिति पर पमूना आधार पर तीन से चार सौ विद्यालयों में अध्ययन किया है। तीन स्वतंत्र औचक दौरों पर हमने पाया कि शिक्षक उपस्थिति 75 से 80 प्रतिशत थी।

[हिन्दी]

तो इतनी खराब हालत भी नहीं है, चर्चा के वक्त शायद ज्यादा दिखाई जाती है। इतनी खराब हालत नहीं है।

[अनुवाद]

जब कभी भी अच्छा सामुदायिक सहायता प्रणाली स्थापित की जाती है शिक्षक उपस्थिति तथा निष्पादन बेहतर होता है।

[हिन्दी]

लेकिन कम्युनिटी तो स्टेट में है। स्टेट में जब सपोर्ट सिस्टम सही होगा तो अटैंडेंस भी सही होगी। इसलिए आप अपनी जो पंचायतें, जो स्टेट सपोर्ट सिस्टम है जो एनजीओज हैं, उनको कहिए कि वहां इसमें पूरी निगरानी रखें।

[अनुवाद]

सबसे चिंताजनक बात यह है कि यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है, फिर भी जब बच्चे कक्षा VI, VII तथा VIII में पहुंचते हैं तो पढ़ाई छोड़ने की दर 46 प्रतिशत तक जाती है। इसलिए, हमारा सकल नामांकन अनुपात 12 प्रतिशत है। इसलिए, असल समस्या प्राथमिक तथा कक्षा VIII के बीच है।

[हिन्दी]

जहां ड्रॉप-आउट रेट बहुत ज्यादा हो जाती है। उसमें माध्यमिक शिक्षा अभियान जो हम शुरू कर रहे हैं और इस साल वह लागू हो जाएगी तो हम चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में वहां हम ड्रॉप-आउट रेट कम करें ताकि जो हमारा क्रिटिकल मांस है जो बारहवीं तक जाता है, वह बढ़े और जब वह क्रिटिकल मांस बढ़ेगा तो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ज्यादा होगा। हम चाहते हैं कि वर्ष 2012 तक यह

ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 12 से 15 चला जाए। लेकिन मेरा अपना सपना है कि वर्ष 2020 तक इसे मैं 25 तक ले जाऊं। हां, मॉडल स्कूल हम बनाने जा रहे हैं और 16 स्टेट्स से हमें प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं। महाराष्ट्र से कोई नहीं है।

हमने गाइडलाइन्स दी हैं, बाकी स्टेट्स ने प्रोजेक्ट दिए हैं लेकिन महाराष्ट्र ने नहीं दिया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, रेजिडेंशियल स्कूल हैं, हमें जैसे ही लैंड मिलेगा हम बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, गर्ल्स होस्टल बना देंगे लेकिन कई बार मुश्किल होती है जब लैंड लोकेट नहीं होती है। अंडर एसए फॉर ट्राइब्स के बारे में मजूमदार जी ने सवाल उठाया है।

[अनुवाद]

परंतु एसएसए के तहत, जनजातीय क्षेत्रों के लिए एसएसए के लिए मानदण्डों में ढिलाई दी गई है। जनजातीय क्षेत्रों में यदि 10 बच्चे हैं तो एसएसए विद्यालयों की स्थापना की जा सकती है मात्र दस बच्चे। अन्य क्षेत्रों में अपेक्षित मानदण्ड 20 बच्चों का है।

[हिन्दी]

जो भी शिक्षा वहां दी जाती है वह मदर टंग में पढ़ाई जाती है ताकि वे स्कूल से बाहर न जाएं। आईसीटी के लिए हमारा जो प्लान है वह पूरे तरीके से लागू हो जाएगा। किशोर जी ने कहा कि हमारी एलोकेशन कम हो गई है। मैं बताना चाहता हूं कि एलीमेंटरी एलोकेशन बजट एस्टीमेट के द्वारा 21788 करोड़ था और वर्ष 2009-10 में 21700 करोड़ है।

[अनुवाद]

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जो 31.3.2009 को समाप्त हो गया।

[हिन्दी]

यह एसएसए में मर्ज हो गया है इसलिए वहां टोकन प्रोवीजन एक लाख का रखा गया है और वह यही पूछना चाहते हैं।

महोदय, नवोदया विद्यालय इंग्लिश मीडियम में है।

[अनुवाद]

परंतु कक्षा VI से VIII तक भी वे क्षेत्रीय माध्यम में हैं तथा धीरे-धीरे, जब वे कक्षा VIII तक पहुंचते हैं, वे अंग्रेजी माध्यम को

अपना लेते हैं। विशेषकर जम्मू और कश्मीर में उर्दू से शुरुआत की जाती है।

[हिन्दी]

यहां सैलरीज के बारे में बात उठी कि छोटे वेतन आयोग टीचर्स के लिए लागू होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ कन्प्यूजन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई कन्प्यूजन नहीं है। अभी हमने जो पे स्केल और एलाउंसिस टीचर्स को दिए हैं।

[अनुवाद]

वे समूह क से बेहतर हैं, भा.प्र.स. से भी बेहतर है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को वेतन निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। हमने वचन दिया है कि जो भी राज्य शिक्षकों के वेतन की समीक्षा को लागू करता है उसे हम 1.1.2006 से बकाया राशि का 80 प्रतिशत दे देंगे।

[हिन्दी]

अब इसमें देर नहीं होनी चाहिए। बीजू जी ने कहा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में न्यू लिबरल पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। कल की बात है कि जोशी जी ने कहा अगर हम ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लागू करेंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाएंगे तो हम अपने आपको गुलाम बना लेंगे। यह माइंडसेट आपको चेंज करना होगा क्योंकि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिन्दुस्तान को एनसलेव कर सके। मैं मलेशिया गया तो मैंने वहां के एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा कि क्या आपके यहां फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं? उन्होंने कहा - हां। मैंने कहा - आपका क्या एक्सपीरिएंस है? उन्होंने कहा - बहुत अच्छा एक्सपीरिएंस है। हमने पूछा - फीस कितनी चार्ज करते हैं? उन्होंने कहा - अपनी जगह से आधी। यह एक्चुयल बात हो रही है और आप कहते हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हिन्दुस्तान में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहां आज हैं या नहीं? आप ही की स्टेट्स एलाऊ करती हैं क्योंकि मार्केट अपारच्युनिटीज हैं। आज दो किस्म की फॉरेन यूनिवर्सिटीज हिन्दुस्तान में आई हैं, होटल या रेस्टोरेंट मैनेजमेंट कोर्सिस में मार्केट अपारच्युनिटीज फॉरेन में हैं, टूरिस्ट इंडस्ट्री विदेशों की सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। वे चाहते हैं हिन्दुस्तान में आकर फॉरेन यूनिवर्सिटी उनको ट्रेनिंग देकर एक किस्म का डिप्लोमा देकर बाहर ले जाएं और नौकरी दिलवा दें। इस पर कोई रोक नहीं है क्योंकि हमने कोई लॉ नहीं बनाया। अगर हम लॉ बनाना चाहते हैं तो कहा जाता है कि लॉ बनाना नहीं चाहिए।

[अनुवाद]

कानून न होने से कानून होना बेहतर है कम से कम आप रातों रात गायब हो जाने वाले आपरेटरों को विनियमित कर सकते हैं, जोकि भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, और हम हर किसी विदेशी विश्वविद्यालय को इस देश में आने देने की अनुमति नहीं देने जा रहे हैं। एक विनियनकारी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हम ऐसी संस्थाओं को ऐसे क्षेत्रों में अनुमति देंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित में हैं। परंतु मुद्दा वहीं स्वायत्तता पर जाता है जहां से मैंने आरंभ किया था। एक बच्चा, एक नौजवान युवक, नौजवान युवती जो अध्ययन करना चाहती है उसे अपनी पंसद की संस्था में अध्ययन करने की स्वायत्तता होनी चाहिए।

इसलिए, हमें शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार के प्रयोगों की अनुमति देनी चाहिए, सरकारी-निजी भागीदारी, निजी उद्यम, सरकारी या नगर निगम के विद्यालयों का प्रबंधन, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने वाले सरकारी विद्यालय, शिक्षा के अधिकार का विधेयक पारित किया जा रहा है, मॉडल विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, विशेषकर अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अ.पि.व. के लिए किए जाने वाले कार्य। यह इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि वे उच्च स्तर पर आए। वे बिल्कुल निचले स्तर पर हैं। उन्हें शीर्ष स्तर तक उठना होगा तथा अन्य लोगों के साथ मुकाबला करना होगा और सिर ऊंचा करके चलना होगा कि वे भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि वे ऐसा करें और हम उन्हें ऐसा करने के अवसर प्रदान करेंगे।

[हिन्दी]

आजकल तो मैं देख रहा हूं कि खास तौर पर जो कई सेंट्रल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें हमने रिजर्वेशन लागू किया है, यह अत्यंत सफल प्रयोग रहा है। आई.आई.टी. ने भी उसे बड़ी अच्छी तरह से स्वीकारा है, आई.आई.एम. ने भी स्वीकारा है और हम उन्हें बता रहे हैं कि देखिये शिक्षा कोई किसी एक वर्ग के लिए नहीं है और न हम होने देंगे। लेकिन आपको अपनी सोशल रिस्पॉसिबिलिटी माइनोरिटीज, एस.सी.ज., एस.टी.ज., और ओ.बी.सी.ज. के प्रति निभानी पड़ेगी। वह हमारा नेशनल कमिटमैन्ट है।

महोदय, जहां तक महिलाओं का सवाल है, यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं फीमेल लिट्रेसी मिशन के बारे में बताता हूं कि हिंदुस्तान में दस करोड़ महिलाएं हैं, जो आज के दिन भी इल्लिट्रेट हैं और पांच करोड़ पुरुष इल्लिट्रेट हैं। हमने तय किया है कि एक फीमेल लिट्रेसी मिशन के द्वारा हम इसे खत्म करेंगे। लेकिन उसमें हमें सबका सहयोग

[श्री कपिल सिब्बल]

चाहिए। हां, कोई पालिसी परफैक्ट नहीं होती। मैं कहूँ कि जो मैंने किया है और जो हम करने जा रहे हैं या सरकार करने जा रही है, वह परफैक्ट है, यह भी बहुत गलत होगा। हम आपके क्रिटिसिज्म से सीखेंगे और हम आपका क्रिटिसिज्म चाहते हैं। हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन जो क्रिटिसिज्म हो, वह पॉलिटिक्स के आधार पर मत कीजिए। उन्हीं बच्चों का चेहरा अपने सामने रखते हुए क्रिटिसाइज कीजिए। अगर ऐसा होगा तो सदन इकट्ठा चलेगा, सदन एक ही रास्ते चलेगा और जो नया रास्ता हमने अपनाया है, सारा सदन उसी रास्ते पर चलेगा।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं सदस्यों को सीधे ही मंत्री से प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दें। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मंत्री महोदय के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

... (व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : अतः, मैं पुनः माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया... (व्यवधान)

[हिन्दी]

आपके सामने जब मैंने एक बयान दे दिया और स्टेटमेंट दे दिया कि हिंदुस्तान में अगर एजुकेशन होगी तो वह इन्क्लूसिव होगी तो आपका आन्सर हो गया... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...

श्री कपिल सिब्बल : मैं डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी तथा इस सभा के अन्य सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूँ जिन्होंने

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वाद-विवाद में भाग लिया तथा मेरे मंत्रालय से सम्बद्ध अनुदानों की मांगों का समर्थन किया। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय : अब मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

“कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57 और 58 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी बात संक्षेप में कहें क्योंकि प्रत्येक सदस्य को केवल दो मिनट का समय ही आबंटित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : सभापति महोदय, भारत सरकार ने गंगा नदी में प्रदूषण रोकने के लिये उसे राष्ट्रीय नदी घोषित करने का निर्णय लिया है।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में चन्दौली में मुलसराय नगरपालिका है। वहां रेलवे सैटलमेंट एरिया का एक गंदा नाला गंगा नदी में आकर मिल जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भारत सरकार को बनाकर भेजा है। उस गंदे पानी को शुद्ध करने और उसे किसानों को सिंचाई के लिये दिया जाना है लेकिन भारत सरकार की तरफ से वह योजना लम्बित है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जिस गंगा नदी को प्रदूषण से रोकने के लिये उसे राष्ट्रीय नदी घोषित किये जाने का निर्णय किया गया हो, उसमें इतने गंदे नाले का पानी जाये, यह अच्छी बात नहीं है। फिर उस पानी को शुद्ध करने के लिये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उसका

पानी साफ करके किसानों को पहुंचाना हो, यह कार्य अविलम्ब होना चाहिये। अगर पानी साफ करके किसानों को सिंचाई के लिये दिया जाता है तो किसानों की पैदावार बढ़ेगी वरना उस गंदे पानी से विभिन्न प्रकार की बीमारिया-मलेरिया, डेंगू, कालाजार फैलेंगी। रेलवे सैटलमेंट एरिया भारत सरकार का संस्थान है। रेलवे परिसर में उसके पानी की निकासी के लिये नाला बनाया गया है और उसमें भी रेलवे का पानी जाता है। इसलिये मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि नाले का पानी निकालने के लिये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम करे ताकि उस शुद्ध पानी का प्रयोग किसान खेती करने के लिये कर सकें और नदी को प्रदूषण से बचाया जा सके।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर) : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर दिलाना चाहता हूं।

कानपुर सैटल स्टेशन से रात में 11.35 बजे दिल्ली के लिये 2451 श्रमशक्ति एक्सप्रेस और दिल्ली से 2452 डाउन गाड़ी कानपुर के लिये चलती है। इस गाड़ी में मात्र 15 बोगियां हैं जबकि कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से कानपुर के लिये प्रतिदिन हजारों यात्री आते जाते हैं। दिल्ली से इलाहाबाद के लिये प्रयागराज एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 2417 चलती है। इधर से जाने पर उसका नं. 2418 है, उसमें 24 बोगियां लगाई जाती हैं।

महोदय, कानपुर और नई दिल्ली से चलने वाले यात्रियों की संख्या हजारों में है, यानी यहां से चलने वाले यात्रियों की संख्या इलाहाबाद से चलने वाले यात्रियों की संख्या से ज्यादा है। एक बोगी में 72 यात्रियों की कैपेसिटी होती है, लेकिन उनमें 250-250 यात्री यात्रा करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने उन बातों का उल्लेख कर दिया है जो आप सरकार से चाहते हैं। आपको इन सब बातों को विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। आप बताइए की आप क्या चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया रेल मंत्री जी से चाहता हूं कि उक्त गाड़ी में 24 बोगियां लगाई जाएं ताकि यात्रियों के लिए सुविधा हो सके। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।...(व्यवधान)

श्री राकेश सचान (फतेहपुर) : महोदय, मैं एसोसिएट करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप इसका समर्थन करते हैं तो ठीक है परन्तु नहीं बोल सकते।

...(व्यवधान)

श्री सी. शिवासामी (तिरुपुर) : सभापति महोदय, तमिलनाडु के नीलगिरी, तिरुपुर और इरोड संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अवानाशी, अन्नूर, कारामंडी, नांबियार, तिरुप्पुर, पेरुन्दुरई और सेन्मीमलई नामक दस पंचायत यूनियन हैं। इन पंचायत यूनियनों की कुल जनसंख्या लगभग 30 लाख है। इस क्षेत्र के लोग और मवेशी बड़े पैमाने पर पानी से वंचित है। इन क्षेत्रों के लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए पेयजल की भारी कमी है। लोग 1,000 फुट की गहराई तक बोरवैल की खुदाई करवा रहे हैं जिससे भूजल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि यह प्रवृत्ति बनी रहती है तो पांच वर्षों के भीतर यह क्षेत्र रेगिस्तान बन जाएगा।

परन्तु भवानी नदी में प्रचुर जल है और वर्षा के दिनों में भवानी नदी के अतिरिक्त जल के कारण निकटवर्ती गांवों में बाढ़ आ जाती है जिससे आम आदमी के जीवन और संपत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बेकार जल समुद्र में बह रहा है। एक ओर तो कई स्थान सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर भारी बाढ़ आ रही है। इस स्थिति से बचने के लिए सरकार को भवानी नदी के अतिरिक्त पानी का रुख नजदीकी जलाशयों और तलाबों की ओर करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि भूजल के स्तर में सुधार हो सके।

मेरा निवेदन यह है कि गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने से पहले सरकार को भवानी और नजदीकी जलाशयों और तलाबों के बीच लिंक स्थापित करने की दिशा में पहल करनी चाहिए ताकि भवानी नदी से प्रवाहित होने वाले अतिरिक्त जल का उपयोग जलाशयों और तलाबों को भरने के लिए किया जा सके और जिससे अवानाशी-अधिकवादायु योजना के क्रियान्वयन में सुविधा हो सके।

[हिन्दी]

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कन्यादान योजना के क्रियान्वयन के दौरान प्रशासन द्वारा अमानवीय, अमर्यादित, अनैतिक और कानून कृत्य, जिसमें विवाह

[डॉ. गिरिजा व्यास]

पूर्व मैडिकल परीक्षण के दौरान महिलाओं की अस्मिता और सम्मान पर जो चोट पहुंचायी गई है, के विषय में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ।

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, इस मामले में पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण माननीय मुख्यमंत्री जी विधान सभा में दे चुके हैं।...(व्यवधान)
यह गलत जानकारी है और सदन को गुमराह करने की कोशिश है।
...(व्यवधान)

सभापति महोदय : डॉ. व्यास जी, आप अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

डॉ. गिरिजा व्यास : महोदय, सदन को बिल्कुल भी गुमराह नहीं किया जा रहा है।...(व्यवधान)

मुझे सरकार का उत्तर प्राप्त हुआ है और उसके अनुसार निश्चित तौर पर सरकार ने माना है कि मैडिकल परीक्षण हुआ है। इसका कारण बताया गया है कि पूर्व में कराये गये विवाह के दौरान एक प्रसव हो गया था। जो महिला प्रेगनेंट है, उसे किस कारण से, किस नैतिकता के आधार पर, किस कानून के आधार पर विवाह से रोका जा सकता है। इसका उत्तर दिया गया कि भारतीय वैवाहिक पद्धति के अनुसार उसका विवाह नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल विरोधाभासपूर्ण, अप्रासांगिक तथा अनैतिक व्यवहार किया गया है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, वह कम है।

महोदय, मैं मांग करती हूँ कि इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और दोषी व्यक्तियों को दंड दे। किसी भी योजना का अंत अच्छा हो सकता है, लेकिन यदि उसका साधन अनुपयुक्त है तो यह ठीक नहीं है। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि उसने जो योजना बनाई है, उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है।

महोदय, इसे पब्लिकली महिलाओं का मैडिकल परीक्षण कहें या इसे कौमार्य परीक्षण कहें, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन सरकार ने माना है कि परीक्षण हुआ है और पब्लिकली परीक्षण इस बात का द्योतक है कि महिलाओं की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया है, उनकी प्राइवसी पर चोट हुई है, उनकी अस्मिता पर चोट हुई है। इसलिए केन्द्र सरकार समस्त राज्य सरकारों को निर्देशित करे कि योजना बनाते हुए और योजना के क्रियान्वयन के समय महिलाओं की

मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाए। केन्द्र सरकार विशेषकर मध्य प्रदेश सरकार को आगाह करे और यह सुनिश्चित करे कि इस योजना को पूरी तरह से देखकर ही उसका आगे क्रियान्वयन हो।

[अनुवाद]

श्री तापस पॉल (कृष्णानगर) : महोदय इस सम्मानीय सभा में कुछ कहने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

मैं अपनी कांस्टीट्यूएन्सी के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे इस मंदिर में भेजा। उन लोगों के संबंध में मुझे कुछ कहना है, मां, माटी, मानुष और इतिहास को बचाने के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की जालांगी नदी का उद्भव बंगलादेश में पदमा नदी से हुआ है। बंगलादेश के कुस्थिया जिले से होती हुई यह नादिया में प्रवेश करती है, तेहता, पालाशिप्रा, छपरा, कृष्णानगर, उत्तर तथा दक्षिण असेम्बली सेगमेंट में कृष्णानगर 12 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होती हुई यह नबाद्वीप के पास गंगानदी में मिल जाती है। यह पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदियों में से एक है। यह भारत के विभाजन से पहले तटीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। इसके पानी पर कार्गो और यात्रियों के साथ स्टीमर कोलकाता से असम के गोलांदा तक आते जाते थे। यह बात नादिया के जिला गेजेटियर में दर्ज है। अब गाद आदि के कारण यह मृत प्राय हो गई।

इसके अतिरिक्त, इसके तटों पर बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन हुआ है। कोटवाली पीएस, नबाद्वीप पीएस और तेहता पीएस में कई लोग बेघर हो गए हैं। गाद निकाल कर एवं तटबंध सुरक्षा का निर्माण करके जालांगी और नादिया की रक्षा की जा सकती है। अंजना कृष्णानगर स्थित जालांगी से निकलने वाली जीवंत नदी थी। अब यह एक मृत नहर बन गयी है। हालांकि अंजना नदी से गाद निकालने से कृष्णानगर शहर और उपनगर जलभराव उन्हें बाढ़ की समस्या से स्थायी रूप से निजात पा जाएंगे।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि प्राथमिकता के आधार पर इस विशाल क्षेत्र के आम आदमियों के हित में इस समस्या का समाधान करने के लिए समुचित कदम उठाया जाए।

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके, इस ओर ध्यान दें क्योंकि वहाँ सब गरीब लोग रहते हैं।

श्री गणेश सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान एक संवेदनशील मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह हमारे देश के करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। केरल राज्य के कोचीन जिले में मत्तनचेरी महल संग्रहालय है जो केन्द्र सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा संचालित है। वहाँ हिन्दू धर्म के देवी-देवताओं के अश्लील चित्र जनता को दिखाए जा रहे हैं। मैं खुद वहाँ गया था। जब मैंने वे सारे चित्र देखे तो मैंने शिकायत पुस्तिका में आपत्ति दर्ज की थी। वहाँ पर मैंने देखा कि भगवान विष्णु तथा अन्य देवी-देवताओं के अश्लील चित्र लगाए गए हैं। मैंने जानना चाहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसका जवाब वहाँ के संग्रहालय के अधीक्षक ने नहीं दिया। मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूँ कि ऐसे संग्रहालय जो केन्द्र सरकार खुद संचालित कर रही हो और हिन्दू भी धर्म के आस्था के प्रतीक देवी देवताओं के बारे में क्यों इस तरह से दिखाया जा रहा है। मैं तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग करता हूँ।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : कौन सा म्यूजियम है।

श्री गणेश सिंह : मत्तनचेरी महल है कोचीन में।

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को अपनी बात कहना चाहता हूँ। आज पूरे देश में महंगाई की स्थिति बहुत खराब हो गई है। जैसे त्रेता युग में सुरसा नाम की राक्षसिनी का मुँह कई योजन बढ़ा था, उसी तरह से आज देश में महंगाई ने मुँह पसार लिया है। इसी तरह पूरे देश में उसी की तरह महंगाई ने मुँह पसार लिया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में गरीबों, किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को फल खाना छिन गए थे, कोई बात नहीं है, लेकिन अब सब्जी खाना भी छिन गई हैं, सब्जियाँ तो दूर हैं, अब तो मिर्च, हल्दी, प्याज, लहसुन, जिनसे चटनी बनाकर गरीब व्यक्ति खाता था, वह भी उसके मुख से छीनी जा रही है। 105-110 रुपये प्रति किलो हरी मिर्च है। आज प्याज, लहसुन, मिर्च के रेट आसमान को छू रहे हैं। आज हमें इन पर मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता है। जिसमें व्यापारी और किसान का भी हित हो क्योंकि किसान को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। चार रुपये प्रति किलो टमाटर बिक रहा था, आठ रुपये प्रति किलो

प्याज बिक रही थी, वह आज 40-45 रुपये प्रति किलो पर टमाटर चला गया है। बिचौलिए और कुछ उद्योग जो कि इनका स्टोरेज कर सकते हैं, केवल वही कमा रहे हैं, किसान को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करूँगा कि सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य निर्धारण आयोग का गठन अविलम्ब करने की कृपा करे।

महोदय, मैं एक और छोटी से बात बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में महंगाई की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, चूँकि गरीब आज की स्थिति में वहाँ अपना पक्का मकान नहीं बना पा रहा है। इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को जो मकान दिया जाता है, वह उस मकान को बनाने में असमर्थ इसलिए होता जा रहा है ... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य आपने अपने नाम के आगे केवल एक मुद्दा सूचीबद्ध है जो बढ़ती हुई कीमतों से संबंधित है। आपको केवल उसी मुद्दे पर बोलना होगा। यदि आप किसी अन्य मुद्दे पर सभा में बोलना चाहते हैं तो आप कल उसके लिए नोटिस दे सकते हैं और सभा में बोल सकते हैं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री घनश्याम अनुरागी : महोदय, मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अध्यक्ष के कार्यालय में उसके लिए कल नोटिस दे सकते हैं। अतएव, आप केवल बढ़ती हुई कीमतों के मुद्दे पर ही बोल सकते हैं जिसके लिए आज आपने नोटिस दिया है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री घनश्याम अनुरागी : महोदय, बालू और मिट्टी का रेट आसमान को छूने लगा है। इन पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिल्कुल कब्जा

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री घनश्याम अनुरागी]

कर लिया है, उसे लूट का अड्डा बना लिया है। वहां मंहगाई कई गुणा ज्यादा बढ़ा दी गई है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्रवाई वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए बढ़ती हुई कीमतों के मुद्दे को ही कार्रवाई वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा इसके अतिरिक्त और किसी बात को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब श्री पी.टी. थॉमस।

...(व्यवधान)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : सभा में आम बजट पर चर्चा हुई थी... (व्यवधान) और माननीय वित्त मंत्री ने सभा में वाद-विवाद का उत्तर दिया था... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने बढ़ती हुई कीमतों में मुद्दे पर नोटिस दिया है और कार्रवाई वृत्तांत में केवल उसी को सम्मिलित किया जाएगा और किसी मुद्दे को नहीं।

...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अगले माननीय संसद सदस्य श्री पी.टी. थॉमस हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.टी. थॉमस (इदुक्की) : सभापति महोदय, सरकार की नीति जरूरतमंद विद्यार्थियों को ऋण मुहैया कराने की है जो वास्तव में एक स्वागत योग्य कदम है। दुर्भाग्य से बैंक अधिकारी उन्हें संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना उन्हें ऋण नहीं दे रहे हैं और यदि वे कुछ ऋण संस्वीकृत कर भी रहे हैं तो वे अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त भी नहीं हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हाल ही में, भारतीय बैंक परिसंघ ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को त्रि-वर्षीय जनरल नर्सिंग कोर्स के लिए 30,000 रुपये से ज्यादा ऋण न देने के अनुदेश दिए थे जबकि उक्त कोर्स की वास्तविक फीस ट्यूशन फीस तथा आवास प्रभार सहित लगभग 1.25 लाख रुपये हैं। बी.एससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के मामले में शुल्क 4 लाख रुपये तक है जबकि बैंक केवल 1.25 लाख रुपये ही दे रहे हैं। विद्यार्थी इससे किस प्रकार लाभान्वित हो पाएंगे?

दूसरा मुद्दा ब्याज दरों का है जो बैंक दर बैंक अलग-अलग है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि शिक्षा ऋणों के लिए रियायती दरों पर एक समान ब्याज दरें प्रारंभ की जाए।

महोदय कई बैंक अधिकारी सामंती जमींदारों की तरह व्यवहार करते हैं और वे आवेदन प्रपत्र तक भी देने को तैयार नहीं होते। वित्तीय संस्थाओं को अपने कार्यकरण के प्रति ज्यादा जिम्मेदार और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। केरल में कई सारे बैंक विशेषकर स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) शिक्षा ऋण देने से लगातार इंकार कर रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले में भी तुरंत हस्तक्षेप करे।

यह कहा भी गया है कि न्याय में विलंब न्याय से वंचन है। देश भर में दस हजार से ज्यादा छात्र और उनके माता पिता इस संबंध में शीघ्रताशीघ्र सही निर्णय लिए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान देश की पवित्र नदियों के, देश के अंदर अनियोजित, अवैज्ञानिक औद्योगिक विकास के कारण प्रदूषित होने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। आज सभी प्रमुख समाचार-पत्रों ने पवित्र गंगा नदी के प्रदूषण के बारे में हम सब का ध्यान आकर्षित किया है। देश की आत्मा पवित्र गंगा नदी है और भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी के रूप में हाल ही में उसे संरक्षित करने की घोषणा भी की थी। गंगा प्रदूषण से मुक्त हो, इस संबंध में कोई प्रभावी कदम उठ पाए हैं, इसकी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं हो पाई।

सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र जनपद गोरखपुर के अंदर बहने वाली एक पवित्र नदी आमी की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। संत कबीर नगर से गोरखपुर जनपद में यह नदी

प्रवेश करती है और गोरखपुर जनपद की यह एक लाइफ लाईन कही जाती थी। इस नदी के किनारे उन्नत पशुपालन और खेती होती थी। लेकिन संत कबीर नगर के रुधौली और खलीलाबाद तथा गोरखपुर के गोड़ा के कुछ औद्योगिकी इकाइयों का कचरा इस नदी में फेंकने के कारण आज यह नदी केवल कचरा वाहक के रूप में वहां पर रह पाई है और अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। इस संबंध में शासन एवं प्रशासन के मौन को देखते हुए स्थानीय जनता बहुत दिनों से इसके लिए मांग कर रही थी कि इसे प्रदूषण से मुक्त किया जाए। स्थानीय नौजवानों ने आमी बचाव मंच का गठन भी किया, लेकिन उनके लोकतांत्रिक आंदोलन को वहां जबरन दबाने का प्रयास हो रहा है। उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि आमी जैसी पवित्र नदियां गंगा यमुना या हमारी जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उन सब को प्रदूषण से मुक्त करने के साथ-साथ इन नदियों को संरक्षित करने, प्रदूषण से मुक्त करने के लिए जो स्वयं सेवी संगठन आगे आए हैं, उन पर दर्ज हो रहे फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाए और इन नदियों को प्रदूषण से मुक्त किया जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रेमदास राय (सिक्किम) : महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा के ध्यान में सिक्किम के लोगों की उस पीड़ा को लाना चाहूंगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग 31ए जो कि सिक्किम की जीवन रेखा और एक मात्र पहुंच मार्ग है, के हर बार बंद होने के कारण सिक्किम के लोगों को झेलनी पड़ती है।

अभी राजमार्ग जी.जे.एम.एम. द्वारा शिकायतों का निपटान कराने के लिए किए जा रहे प्रदर्शन के कारण पिछले दो दिनों से बंद है। मैं जानता हूं कि यह एक अनिश्चितकालीन बंद है। सिक्किम की सीमा चारों तरफ से घिरी हुई है और वहां पहुंचने का कोई और रास्ता ही नहीं है। हम भोजन और रोजमर्रा के उपयोग वाली अन्य चीजों के लिए इसी जीवन रेखा पर निर्भर होते हैं और जब कभी भी किसी भी कारण से यह राजमार्ग बाधित होता है तो हमारे लोगों को बेहद परेशानियों और महंगाई का सामना करना पड़ता है और व्यापार ठप्प हो जाता है। हम अपनी जीविका के लिए काफी हद तक पर्यटन पर भी निर्भर हैं अतएव इससे पर्यटकों को भी समस्या होती है और रोजमर्रा के जीवन में भी दिक्कतें आती हैं।

इसके अतिरिक्त इस समय माता-पिता, अध्यापक और बच्चे देश भर के कालेजों में प्रवेश के लिए बार-बार आ और जा रहे हैं और

कई रोगी देश के अन्य भागों में चिकित्सा सहायता लेने जाते हैं। परंतु दुखद बात यह है कि यह राजमार्ग 1987 से पश्चिम बंगाल राज्य में आंदोलन के कारण भी बंद हुआ है। यदि हम व्यवसाय में हुए नुकसान और कीमत बढ़ने के कारण यहां के लोगों और यात्रियों द्वारा किए गए भुगतान की गई लागत की गणना करें तो यह आंकड़े काफी अधिक होंगे। मैं नियत समयावधि में इस सभा के संज्ञान में वह आंकड़े लाऊंगा। हालांकि, सिक्किम के लोगों को हो रही मानसिक संताप को केवल धनराशि द्वारा नहीं मापा जा सकता।

सिक्किम देश का सबसे ज्यादा शांत राज्य है। हम अपने पर्वतीय राज्य और इसके लोगों का तीव्र गति से विकास सुनिश्चित करने के कार्य को अग्रसर रखना चाहते हैं। हम हमेशा विवश नहीं रहना चाहते। उत्तरी बंगाल की सीमा पर राजनैतिक तापमान में वृद्धि हो रही है। हम सिक्किम में इसे एक ऐसी समस्या की तरह देखते हैं जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा तुरंत ध्यान दिए जाने और हस्तक्षेप किए जाने की जरूरत है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य के साथ किए जा रहे इस प्रकार के व्यवहार जिसके लिए हमारे पास अपने आपको बचाने का कोई रास्ता नहीं है को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा) : सभापति महोदय, मैं आसन के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बिहार के नवादा संसदीय क्षेत्र से आता हूं और जब मैं यहां आया हूं तो नवादा भी यहां उपस्थित है। आज मैं नवादा की उस पीड़ा को इस सार्वभौम सदन के सामने आंसुओं के अर्क के रूप में उपस्थित कर रहा हूं।

सभापति महोदय, नवादा में सिरदल्ला, मैस्कोर, गोविन्दपुर, कोवाकोल, पकड़ी बरामा और रो, ये छः प्रखंड ऐसे हैं, जहां 20 लाख की आबादी है और इस आबादी के लिए, इन प्रखंडों में जमीन के नीचे पानी की लेयर नहीं है। आप सोच सकते हैं—जब पत्थर पिघलते हैं, इनकी दशा को देखकर, तो कुछ बूंदें गिरती हैं, उन्हीं से इनकी प्यास बुझती है।

महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि 60 वर्षों की आजादी के बाद भी, यह सवाल, इस सदन में मुझे पेश करना पड़ रहा है। वहां तीन नदियां ढाढ़र, धनंजय और अपर सकरी हैं। ये नदियां प्रत्येक वर्ष

[डॉ. भोला सिंह]

बरसात में जन्म लेती हैं, युवा होती हैं, मर जाती हैं और सूख जाती हैं। इनके पानी को रोकने के लिए कोई डैम नहीं है।

महोदय, मैं इस पीड़ा को सिर्फ बखान करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हूँ। जब इस सार्वभौम सभा में हमने इस पीड़ा को रखा है और इस समय जो सरकार है, मैं उसे संवेदनशील मानता हूँ। इसलिए वहां पानी की व्यवस्था करना उसकी भी जिम्मेदारी है। हम आपके माध्यम से सरकार से विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि वह नवादा जिले के इन प्रखंडों में एक टीम भेजे, उनका सर्वेक्षण कराए और सर्वेक्षण के बाद टीम से एक रिपोर्ट प्राप्त की जाए, जिसके आधार पर रिग मशीन भेज कर वहां पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाए। मैं वहां के 20 लाख लोगों के आंसुओं को अर्ध के रूप में आसन के सामने मैं उपस्थित कर रहा हूँ। नमस्कार।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालन्दा) : मान्य सभापति महोदय, आज देश के अंदर और बाहर नक्सल, आतंकी और पड़ोसी देशों की तरफ से खतरें बढ़ गए हैं, जिन्हें देखकर रक्षा का बजट बढ़ाना एक स्वागत योग्य कदम है। मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि तत्कालीन रक्षा मंत्री, जॉर्ज फर्नान्डीज द्वारा वर्ष 2002 में बिहार के नालन्दा जिले के राजगृह में एक अत्याधुनिक आयुध कारखाना स्थापित किया गया था। वह बनकर तैयार हो गया है। विगत 2005 से उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार खड़ी हुई है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उस अत्याधुनिक फैक्ट्री से कब तक सामान बनकर निकलेगा, क्योंकि उस कारखाने से रक्षा संबंधी जो अत्याधुनिक सामान बनकर निकलना है, वह अभी तक निकलना प्रारंभ नहीं हुआ है। मैं सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने उस कारखाने को बनाने पर करीब 6 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मैं सदन से मांग करता हूँ कि उस फैक्ट्री को शीघ्र चालू कराया जाए। मैं नालन्दा संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। इसलिए मैंने जनहित में यह मांग सदन में प्रस्तुत की है। मुझे उम्मीद है कि माननीय रक्षा मंत्री मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे और उक्त कारखाने में तत्काल उत्पादन प्रारंभ कराएंगे।

श्री मिथिलेश कुमार (शाहजहांपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ ले जाना चाहता हूँ। वहां भारत सरकार द्वारा गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना चलाई जाती है, जिसका वहां दुरुपयोग हो रहा है। उत्तर प्रदेश में यह तय कर दिया गया है कि हर विधान सभा क्षेत्र में हर साल 10 अम्बेडकर गांव चुने जाएंगे और इंदिरा आवास केवल

उन्हीं गांवों को दिए जाएंगे। यदि ऐसा होता है, तो क्या बाकी गांव, जो हमारे संसदीय क्षेत्र में आते हैं, उनमें क्या गरीब और निर्धन लोग नहीं रहते हैं? मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि भारत सरकार की तरफ से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए और केन्द्र सरकार की इस योजना को वहां पर लागू किया जाए। इस बिन्दु की जांच करा ली जाए कि अम्बेडकर गांव के अलावा और जिलों के गांवों में क्या गरीब लोग, सामान्य वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग या अन्य जातियों के लोग निवास नहीं करते हैं।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : केवल श्री मिथिलेश कुमार के भाषण को ही कार्रवाई वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मिथिलेश कुमार : मान्यवर, मैं सात वर्ष तक एम.एल.ए. और मिनिस्टर रहा हूँ। अगर मेरी यह बात असत्य निकले, तो मैं सदन में आना बंद कर दूंगा। आप इसकी गंभीरता से जांच कराएं। उनको न्याय मिलना चाहिए और यह भारत सरकार की योजना है तो भारत सरकार को कोई नोडल अधिकारी हर जिले में लगाकर इसको कार्यान्वित कराना चाहिए।

मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। कार्रवाई वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

सभापति महोदय : श्री भक्त चरण दास आप जिस मुद्दे को उठाना चाहते हैं वह राज्य सरकार का विषय है। इसे राज्य के विधायक विधानसभा में उठा सकते हैं। आप इसे यहां किस प्रकार उठा सकते हो।

...(व्यवधान)

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी) : महोदय, खनन केन्द्र सरकार का विषय है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि किस तरह से चार हजार करोड़ रुपये की माइनिंग लूट उड़ीसा में हुई है और राज्य की सरकार का योगदान उसमें है। 1996 में उड़ीसा के बॉम्बे जिले के रंगुडी, रुतुकेला और कटासाही गांवों की 96.568 हैक्टेयर जमीन एक कम्पनी ... *के नाम पर मैग्नीज, माइनिंग के लिए लीज कर दी गई, जिस कम्पनी को माइनिंग लीज के लिए फोरैस्ट एंड एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिली थी और जिस कम्पनी का इंटरनल डिस्प्यूट हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा में चल रहा था और ऑनरेबिल हाई कोर्ट ने कम्पनी को लिक्विडेशन का नोटिफिकेशन भी दिया है। इसका एक दूसरा मैटर भी पटना हाई कोर्ट में सबजुडिस था उस कम्पनी को इस सारी सच्चाई के बावजूद भी गैर कानूनी रूप से ...*करके एक व्यक्ति को माइनिंग करने के लिए पावर ऑफ एटार्नी दी और उस पावर ऑफ एटार्नी के आधार पर उस व्यक्ति ... *ने वहां माइनिंग के काम की शुरुआत की। राज्य सरकार ने उस माइनिंग के प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था की और सिक्योरिटी की व्यवस्था के अन्दर इन पिछले सालों में चार हजार करोड़ रुपये की मैग्नीज माइनिंग की लूट हुई है। यह बात पिछले चार दिनों में उड़ीसा की विधान सभा में उठी है और इन चार दिनों में विधान सभा एडजर्न हुई है।

मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी स्टेट में जो माइनिंग पॉलिसी है, वहां जब 75 परसेंट का इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर माइनिंग में अगर इंडस्ट्री बनाये तो उस कम्पनी का रिकमेण्डेशन फाइनल माइनिंग लीज के लिए भारत सरकार को भेजा जाता है। इस केस में इसको टोटली इग्नोर किया गया और यह जो यह व्यक्ति ... *उस कम्पनी को हैड करता है, इसमें

माइनिंग पालिसी को वायलेट करते हुए टोटल रियायत दी गई है।
..(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जिन व्यक्तियों के नाम आप ले रहे हैं व इस सभा के सदस्य नहीं हैं। उनके नाम इस सभा में नहीं लिए जा सकते। आप जो नाम ले रहे हैं उन्हें कार्रवाई वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास : मैं आपके माध्यम से माइनिंग मिनिस्ट्री, भारत सरकार से मांग करता हूँ कि भारत सरकार की चार हजार करोड़ रुपये की सम्पदा की लूट हुई है। इसमें उड़ीसा सरकार ने विजिलेंस इन्क्वायरी की मांग की है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि इसमें सी.बी.आई. इन्क्वायरी कराई जाये ताकि देश की जो माइनिंग सम्पदा की लूट हुई है, उसकी रिकवरी की जा सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा 16 जुलाई, 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.58 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 16 जुलाई, 2009/
25 आषाढ़, 1931 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह
बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-1

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री हरिन पाठक	161
2.	श्री प्रहलाद जोशी श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	162
3.	श्री मधु गौड यास्वी श्री जी.एम. सिद्देश्वर	163
4.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी श्री अनंत कुमार हेगड़े	164
5.	श्रीमती सुप्रिया सुले	165
6.	श्री सुदर्शन भगत	166
7.	श्री गणेश सिंह	167
8.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी श्री एंटो एंटोनी	168
9.	शेख सैदुल हक	169
10.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	170

1	2	3
11.	श्री निशिकांत दुबे	171
12.	श्री बदरुद्दीन अजमल	172
13.	श्री असादुद्दीन ओवेसी श्री हंसराज गं. अहीर	173
14.	श्री तथागत सत्पथी श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	174
15.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	175
16.	श्री वैजयंत पांडा श्री एन. चेलुवरया स्वामी	176
17.	श्री विलास मुत्तेमवार श्री किसनभाई वी पटेल	177
18.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री प्रदीप माझी	178
19.	श्री गुरुदास दासगुप्त	179
20.	श्री अर्जुन मुंडा श्री भर्तृहरि महताब	180

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	1498
2.	आदित्यनाथ, योगी	1482, 1494
3.	अडसूल, श्री आनंदराव	1513, 1562, 1596, 1612, 1631

1	2	3
4.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	1529, 1574, 1600, 1617
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1525, 1570, 1599, 1616
6.	अजमल, श्री बदरुद्दीन	1532, 1576
7.	एंटीनी, श्री एंटो	1541
8.	बालू, श्री टी.आर.	1501
9.	बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.	1474, 1493
10.	चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.	1490, 1615
11.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	1509, 1558, 1579, 1593, 1599
12.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1492
13.	चौधरी, श्री अधीर	1575
14.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	1560, 1575
15.	देवरा, श्री मिलिंद	1476, 1626
16.	देशमुख, श्री के.डी.	1497, 1548
17.	दुबे, श्री निशिकांत	1538, 1575
18.	दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव	1512
19.	दत्त, श्रीमती प्रिया	1469, 1555
20.	गद्दीगौदर, श्री पी.सी.	1514
21.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	1563
22.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1561, 1571, 1595
23.	गांधी, श्रीमती मेनका	1484, 1547, 1588, 1610, 1623
24.	गांधी, श्री वरुण	1495, 1544
25.	गोहैन, श्री राजेन	1505

1	2	3
26.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	1493, 1538
27.	हक, शेख सैदुल	1530
28.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	1626
29.	जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव	1516
30.	जयाप्रदा, श्रीमती	1515, 1550
31.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	1480, 1502, 1553, 1575
32.	जिन्दल, श्री नवीन	1461, 1508, 1544, 1630
33.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	1536, 1572
34.	कलमाडी, श्री सुरेश	1618
35.	करुणाकरन, श्री पी.	1487, 1587
36.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	1489
37.	खैरे, श्री चंद्रकात	1478, 1498, 1550, 1571, 1590
38.	कुमार, श्री विश्व मोहन	1498, 1602, 1629
39.	लागुरी, श्री यशवंत	1468, 1543, 1582
40.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1465, 1523, 1568, 1597, 1631
41.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1479, 1559, 1594
42.	महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद	1477
43.	महतो, श्री नरहरि	1504, 1517
44.	महताब, श्री भर्तृहरि	1549, 1589
45.	माझी, श्री प्रदीप	1542, 1581, 1626
46.	मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार	1517, 1522, 1566
47.	मीणा, श्री रघुवीर सिंह	1499

1	2	3
48.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	1491
49.	मैन्या, डॉ. थोकचोम	1496, 1545, 1584, 1605
50.	मुंडा, श्री अर्जुन	1540
51.	मुत्तेमवार, श्री विलास	1527, 1580, 1603, 1626
52.	नामधारी, श्री इन्दर सिंह	1488, 1557
53.	निरुपम, श्री संजय	1633
54.	निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद	1475, 1564
55.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	1533, 1577, 1601, 1618
56.	पाल, श्री जगदम्बिका	1486, 1510, 1554, 1625
57.	पांडा, श्री वैजयंत	1539, 1579, 1602
58.	पांडा, श्री प्रबोध	1506, 1626
59.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	1531, 1586, 1608, 1621, 1629
60.	पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार	1507, 1540, 1626
61.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1542, 1581, 1626
62.	राजगोपाल, श्री एल.	1463
63.	राम, श्री पूर्णमासी	1460, 1462
64.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	1470, 1493, 1528, 1539, 1574
65.	राव, डॉ. के.एस.	1483, 1534, 1583, 1604, 1618
66.	राव, श्री नामा नागेश्वर	1498, 1503
67.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1464, 1500, 1551, 1628
68.	राठवा, श्री रामसिंह	1511
69.	रावत, श्री अशोक कुमार	1481, 1546, 1587, 1609, 1622

1	2	3
70.	राय, श्री रुद्रमाधव	1626
71.	रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र	1480
72.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1478, 1556, 1605
73.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1552, 1591, 1611, 1624
74.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	1472, 1526, 1549, 1617
75.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	1517, 1578
76.	राय, श्री महेन्द्र कुमार	1466
77.	सेम्मलई, श्री एस.	1485, 1626
78.	सम्पत, श्री ए.	1575
79.	सत्पथी, श्री तथागत	1519, 1571
80.	शर्मा, श्री जगदीशन	1546, 1572, 1626
81.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	1513, 1537, 1573, 1613
82.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	1490, 1521, 1592
83.	सिंह, श्री गणेश	1632
84.	सिंह, श्री पशुपति नाथ	1621, 1629
85.	सिंह, श्री राधा मोहन	1511
86.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	1592
87.	सिंह, श्री राकेश	1473
88.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	1536, 1546
89.	सिंह, श्री उमाशंकर	1576
90.	सिरिसिल्ला, श्री राजैया	1464, 1520, 1538, 1567, 1614
91.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1467, 1547

1	2	3
92.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	1518, 1565, 1598, 1529
93.	सुशान्त, डॉ. राजन	1632
94.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	1524, 1569, 1606, 1619
95.	तिवारी, श्री मनीष	1502
96.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	1471, 1617, 1632
97.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1582, 1627
98.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	1535, 1585, 1607, 1620
99.	यास्वी, श्री मधु गौड	1561, 1571, 1595

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	167
कोयला	:	171
संस्कृति	:	175
पृथ्वी विज्ञान	:	170
पर्यावरण और वन	:	161, 176, 177, 179, 180
विदेश	:	173
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	164, 165, 166, 168, 169, 178
प्रवासी भारतीय कार्य	:	162
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकाय और पेंशन	:	
योजना	:	174
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	163
जल संसाधन	:	172

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	1499
कोयला	:	1488, 1498, 1506, 1530, 1546, 1557, 1579, 1585, 1607, 1608, 1614, 1618, 1621, 1624
संस्कृति	:	1467, 1468, 1500, 1508, 1532, 1549, 1561, 1577, 1603, 1620
पृथ्वी विज्ञान	:	1473, 1623

पर्यावरण और वन	:	1466, 1476, 1477, 1479, 1484, 1490, 1501, 1507, 1519, 1525, 1526, 1537, 1538, 1543, 1544, 1547, 1559, 1560, 1568, 1571, 1573, 1582, 1588, 1594, 1595, 1596, 1597, 1602, 1610, 1612, 1613, 1622, 1625, 1627
विदेश	:	1478, 1481, 1482, 1497, 1502, 1516, 1518, 1527, 1545, 1565, 1576, 1584, 1590, 1600, 1632
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	1461, 1462, 1463, 1464, 1469, 1470, 1471, 1474, 1475, 1480, 1485, 1486, 1489, 1494, 1495, 1496, 1504, 1505, 1510, 1511, 1512, 1514, 1515, 1517, 1520, 1523, 1524, 1528, 1531, 1535, 1541, 1548, 1550, 1551, 1552, 1554, 1555, 1556, 1562, 1563, 1564, 1580, 1583, 1592, 1594, 1619, 1626, 1628, 1630, 1631, 1633
प्रवासी भारतीय कार्य	:	1487, 1529, 1553, 1558, 1586, 1604, 1611
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकाय और पेंशन	:	1460, 1483, 1533, 1567, 1587, 1629
योजना	:	1521, 1534, 1536, 1542, 1569, 1572, 1598, 1606, 1609, 1616
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	1472, 1591, 1601, 1617
अंतरिक्ष	:	1539, 1574
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	1509, 1540, 1593, 1605
जल संसाधन	:	1465, 1491, 1492, 1493, 1503, 1513, 1522, 1566, 1570, 1575, 1578, 1581

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।
